सप्तम माला, खंड 29 अंक 3 मंगलवार, 13 जुलाई, 1982/22 आषाढ़ 1904 (शक)

लोक-सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी-संस्करण

(नौवां सत्र)

सत्यमेव जयते

खंड 29 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : रु०

लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)

मंगलवार, 13 जुलाई, 1982/22 आषाढ़, 1904 (शक)

का शुद्धि-पत्र

विषय सूची, पृष्ठ (i), पंक्ति 13, "विजयों" के स्थान पर "विजय" पढ़िये।

विषय सूची, पृष्ठ (iii), पंक्ति 7, "श्री बो0वेंकटसुब्बया" के स्थान पर "श्री पो0वेंकटसुब्बया" पढ़िये।

पृष्ठ 419, पंक्ति 1 - शीर्षक में -"विजयों" के स्थान पर "विजय" पढ़िये।

पृष्ठ 454, पंक्ति 4"(पकुरा)" के स्थान पर"(पंस्कुरा)" पढ़िये।

विषय सूची

अंक 3, मंगलवार, 13 जुलाई, 1982/22 आषाढ़, 1904 (शक)

विषय	पृष्ठ
के मौखिक उत्तर :	1—19
*तारांकित प्रश्न संख्या : 62 से 64, 67 और 68	19—414
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	
*तारांकित प्रश्न संख्या : 41 से 61, 65, 66 तथा 69 से 81	
अतारांकित प्रश्न संख्या : 441 से 456, 458 से 468, 470 से 494, 496 से 632, 634 से 784 तथा 786 से 905	
सभा पटल पर रखे गये पत्र	414—418
राज्य सभा से सन्देश	418
रेल अभिसमय समिति	418
पांचवां प्रतिवेदन	
अविलंबनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना	419—433
बम्बई के अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एयर इंडिया के बोइंग विमान का ताल में दुर्घटनाग्रस्त होना	
श्री चन्द्रपाल शैलानी	419
श्री अनन्त प्रसाद शर्मा	422
श्री उत्तम राठौर	424
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी	425
श्री एडुआर्डो फैलीरो	425
श्री विजय कुमार यादव	430
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के साथ भारत की विस्तारित व्यवस्था के कार्यक्रम के बारे में वक्तव्य	433—435
श्री प्रणव मुखर्जी	
कार्य मन्त्रणा समिति	435—436
31वां प्रतिवेदन	

*किसी नाम पर अंकित यह चिन्ह † इस बात बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
विधेयक—पुर:स्थापित	436—437
(एक) संसद सदस्य वेतन, भत्ते तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक	436
(दो) सम्पदा शुल्क (संशोधन) विधेयक	437
(तीन) पूर्त विन्यास (संशोधन) विधेयक	437
नियम 377 के अधीन मामले	837—440
(एक) बिहार की बन्द पड़ी कटिहार जूट मिल को पुन: चलाने की आवश्यकता श्री तारिक अनवर	437—438
(दो) पूर्वोत्तर रेलवे के बरेली-पीलीभीत-शाहजहांपुर-बहेड़ी-बदायूं सेक्शन में गाड़ियों का देरी से चलना श्री हरीश कुमार गंगवार	438
(तीन) राजस्थान सीमा होकर भारत-पाकिस्तान के बीच रेल और सड़क यातायात खोले जाने सम्बन्धी कार्यवाही श्री अशोक गहलोत	438—439
(चार) दिल्ली में कालेजों और स्कूलों में प्रवेश की समस्या श्री चतुर्भुज	439
(पांच) बिहार सरकार की दो पैट्रो-रसायन परियोजनाओं को केन्द्र द्वारा स्वीकृति प्रो० अजित कुमार मेहता	439
(छः) स्वतन्त्रता सेनानियों की पेंशन बढ़ाये जाने की आवश्यकता श्री रामावतार शास्त्री	439—440
विशेषाधिकार समिति	441—475
दूसरा प्रतिवेदन	
श्री रामविलास पासवान	441
डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी	447
प्रो० अजित कुमार मेहता	449
श्री इन्द्रजीत गुप्त	451
श्री जगपाल सिंह	452

विषय	पृष्ठ
श्री सत्यनारायण जटिया	453
श्रीमती गीता मुखर्जी	454
श्री सुन्दर सिंह	455
श्री हरिकेश बहादुर	455
श्री हरिनाथ मिश्र	457
श्री सोमनाथ चटर्जी	459
श्री वी० वेंकट सुब्बय्या	468
श्री राजेश पाइलट	468
संविधान (46वां संशोधन) विधेयक	475—597
विचार करने का प्रस्ताव	
श्री प्रणव मुखर्जी	475
श्री सोमनाथ चटर्जी	479
श्री गिरधारी लाल व्यास	486
श्री जगपाल सिंह	488
श्री सी० टी० दंडपाणि	489
श्री बापूसाहिब पखलेकर	491
श्री भोगेन्द्र झा	497
श्री चित्त बसु	499

लोक-सभा

मंगलवार, 13 जुलाई, 1982/22 आषाढ़, 1904 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

उड़ीसा में दूरसंचार सेवा को हुई क्षति

*62. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने उड़ीसा में हाल ही में आए तूफान से दूरसंचार सेवाओं को हुई क्षति का मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) राज्य में आवश्यक दूरसंचार सेवाएं पुनः चालू करने के लिए उनके मंत्रालय द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं; और

(घ) इन दूरसंचार सेवाओं को पुनः चालू करने पर कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) क्षति का ब्योरा संलग्न विवरण में सभा-पटल पर रख दिया गया है।

(ग) उड़ीसा में तूफान 3 और 4 जून, 82 को आया था जिसके तुरन्त बाद ही सेवाएं पुनः चालू करने का कार्य आरंभ कर दिया गया। लगभग 85 प्रतिशत टेलीफोन कनेक्शनों, 50 प्रतिशत ट्रंक सर्किटों और 10 प्रतिशत लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोनों को 8.6.82 तक चालू कर दिया गया था। कुछ ट्रंक लाइनों, जिन्हें चालू करने का कार्य अभी चल रहा है, को छोड़ कर अधिकांश कार्य पूरा कर लिया गया है।

(घ) इन सेवाओं को पुनः चालू करने का अनुमानित व्यय लगभग 35 लाख रुपये है।

विवरण

क्षति का विवरण

क्रम सं०	क्षतिग्रस्त सेवाओं का ब्यौरा	कितनी क्षति हुई
1.	टेलीफोन एक्सचेंज	72
2.	टेलेक्स एक्सचेंज	3
3.	खराब हुए स्थानीय टेलीफोन	5281
4.	खराब हुए ट्रंक सर्किट	106
5.	खराब हुए लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन	260
6.	टी० पी०/टेलीग्राफ सर्किट	50
7.	क्षतिग्रस्त मुख्य ट्रंक लाइनें	400 कि० मी० लगभग
8.	क्षतिग्रस्त शाखा खुली तार लाइनें	300 कि० मी० लगभग
9.	क्षतिग्रस्त नगरीय लाइनें	100 कि० मी० लगभग
10.	पेड़ों के उखड़ने तथा काफी समय तक पानी जमा होने की वजह से ज्वाइंटरों और पोटहैड्स में नमी के कारण क्षतिग्रस्त केबुलें	विभिन्न साइजों के 100 ज्वाइंट।

श्रीमती जयन्ती पटनायक : महोदय, हाल ही में आए सुमुद्री तूफान के दौरान उड़ीसा को संचार प्रणाली के मामले में काफी क्षति का सामना करना पड़ा है। हम अपनी प्रधान मन्त्री के आभारी हैं जिन्होंने सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। उनका यह विचार था कि तूफान के समय चेतावनी देने की तत्कालीन आवश्यकता के सन्दर्भ में तटीय क्षेत्र की समस्त संचार प्रणाली का पुनरीक्षण किया जाना चाहिये।

मैं इस सम्मानित सभा का ध्यान इस ओर दिलाती हूं कि उड़ीसा के 1971 विनाशकारी समुद्री तूफान के बाद भारत सरकार ने डा० कोटेश्वरन की अध्यक्षता में तूफान संकट निवारण समिति नियुक्त की थी। डा० कोटेश्वरन समिति ने तूफान की चेतावनी देने सम्बन्धी संचार-प्रणाली के बारे में कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें की थीं। समिति ने पारादीप में एक समुद्र तटीय रेडियो स्टेशन की स्थापना का प्रस्ताव रखा था। मैं यह बता देना चाहती हूं कि हाल के तूफान में कलकत्ता के समुद्रतटीय रेडियो स्टेशन और भुवनेश्वर के तूफान चेतावनी केन्द्र के बीच संचार सम्पर्क टूट गया था।

समिति ने एक अन्य सिफारिश यह की थी कि पारादीप राडार, भुवनेश्वर के तूफान की चेतावनी देने वाले केन्द्र और कटक आकाशवाणी केन्द्र के मध्य "स्नैप प्रूफ" संचार सम्पर्क स्थापित किया जाए। परन्तु यह भी नहीं किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न क्या है ?

श्रीमती जयन्ती पटनायक : मैं वर्तमान स्थिति स्पष्ट कर रही हूं। मैं इस मामले के इस महत्वपूर्ण पहलू को स्पष्ट कर देना चाहती हूं।

वर्तमान स्थिति यह है कि भुवनेश्वर मौसम और पारादीप राडार के बीच एक दूर मुद्रक परिपथ है। परन्तु तूफान का यही पहला शिकार बना और यह कार्य नहीं कर रहा है। एक स्थायी बेतार का तारयन्त्र भी है। हाल के तूफान के दौरान यह निष्क्रिय हो गया था···

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न नहीं है।

श्रीमती जयन्ती पटनायक : मैं एक प्रश्न पूछ रही हूं। हाल ही में तूफान के दौरान, मौसम केन्द्र से संपर्क 3 जून के 5.30 बजे सायं ही छूट गया था जबकि तूफान पारादीप में रात के लगभग 10 बजे अपने पूरे यौवन पर पहुंचा। इससे उड़ीसा में बेहतर संचार प्रणाली की व्यवस्था की आवश्यकता को बल मिलता है।

मैं यह पूछती हूं कि संचार मन्त्रालय द्वारा विशेषकर इन कमियों को दूर करने के लिए और खास तौर से कोटेश्वरन समिति के सुझावों के सन्दर्भ में क्या कार्यवाही की जा रही है।

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : उनके लम्बे प्रश्न का प्रथम भाग एक सुझाव है और हमने उनके सुझाव को नोट कर लिया है। उनके प्रश्न का द्वितीय भाग लाइनों को फिर से सक्रिय बनाने के बारे में है। अधिकांश लाइनों और दूरभाष केन्द्रों को फिर से चालू कर दिया गया है। 8 "पब्लिक कॉल" कार्यालयों को छोड़कर बाकी सभी लाइनों को फिर से चालू कर दिया गया है।

श्रीमती जयन्ती पटनायक : अब, मैं अपना दूसरा प्रश्न पूछती हूं।

अध्यक्ष महोदय : लम्बा और छोटा।

श्रीमती जयन्ती पटनायक : यह एक महत्वपूर्ण मामला है। हमने इस पर एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी थी। परन्तु हमारे नाम बैलेट में नहीं आये। यह स्वाभाविक है कि हमें प्रश्न पूछने का समय मिलना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : समय नियमों और विनियमों के अनुसार ही दिया जाता है।

श्रीमती जयन्ती पटनायक : ऐसा पता चला है कि उड़ीसा सरकार ने यह प्रस्ताव किया है कि उड़ीसा के उप-मण्डल मुख्यालयों और समुद्रतटीय क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण बस्तियों में, जहां पर तूफान और बाढ़ बार-बार आते रहते हैं, एस० टी० डी० सुविधाओं से जोड़ दिया जाए। यह इसीलिए मैं यह पूछती हूं कि इस सम्बन्ध में संचार मन्त्रालय क्या कार्यवाही कर रहा है··· मैं यह भी बता दूं कि वहां एक 'को-एक्सियल' लाइन है···

अध्यक्ष महोदय : इससे इस प्रश्न का कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्रीमती जयन्ती पटनायक : मैं यह कह रही हूं कि एस० टी० डी० की सुविधाएं क्यों न प्रदान की जाएं।

अध्यक्ष महोदय : यह असंगत है ।

श्रीमती जयन्ती पटनायक : बालसोर और बहरामपुर के बीच एक 'सह-धुरी, (को-एक्सियल) लाइन है । लेकिन भुवनेश्वर और बालासोर के मध्य तथा भुवनेश्वर और दत्तापुर के मध्य एस० टी० डी० सुविधा नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : इसका इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्रीमती जयन्ती पटनायक : यह विषय-वार लिखित में है । इनको फिर से चालू करने की अनुमानित लागत 35 लाख रुपये है, परन्तु माननीय मन्त्री महोदय ने कलकत्ता में हुए एक प्रेस सम्मेलन में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में बताया था कि फिर से काम चालू करने के लिए 50 लाख रुपये की आवश्यकता होगी । क्या मैं वस्तुस्थिति के बारे में जान सकती हूं ।

अध्यक्ष महोदय : इस विषय पर एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना को पहले ही स्वीकृति मिल चुकी है ।

श्री योगेन्द्र मकवाना : जहां तक एस० टी० डी० के बारे में पूछे गये प्रश्न के प्रथम भाग का सम्बन्ध है, वह सब तो उपस्कर की विश्वसनियता पर निर्भर करता है ।

जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, इसके लिए 10 से 50 लाख रुपये तक की आवश्यकता होगी ।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष जी, उड़ीसा में तूफान आया और वहां दूर संचार सेवाओं को क्षति पहुंचती है । तत्सम्बन्धी ब्योरा मन्त्री जी ने बताया है और उन्होंने यह आश्वासन भी दिया है कि वे क्या करने वाले हैं । लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि यहां दिल्ली में तो कोई तूफान नहीं आया फिर यहां पर अधिकतर समय टेलीफोन बेकार क्यों रहते हैं ? जहां पर तूफान नहीं आया है वहां पर क्या संचार व्यवस्था ठीक रहेगी ?

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है ।

एजेन्सियों द्वारा पर्चों पर रसोई गैस के सिलिण्डरों की डिलीवरी की तारीख और समय अंकित करने की पद्धति

*63. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्डेन डोमेस्टिक गैस कनेक्शन एजेन्सियों के लिए यह बाध्यकारी है कि वे पर्ची में (1) उपभोक्ता द्वारा सिलिण्डर की मांग करने की तारीख; और (2) सिलिण्डर की डिलीवरी की वास्तविक तारीख पृथक-पृथक रूप से अंकित करें;

(ख) क्या नई दिल्ली में सप्लाई-कर्त्ताओं द्वारा इस पद्धति का अनुसरण किया जा रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशकर) : (क) से (ग) वर्तमान नीति के अनुसार कुकिंग गैस (एल० पी० जी०) के वितरकों, जिसमें इण्डेन के वितरक शामिल हैं, को उपभोक्ताओं को एल० पी० जी० रिफिल सिलेण्डर सप्लाई करने की तिथि, समय और बुकिंग नं० और डिलिवरी की तिथि को अलग से इस काम के लिए बनाये गये रजिस्टर में रिकार्ड करना आवश्यक है। उपभोक्ताओं द्वारा डिलिवरी वाऊचर पर प्राप्ति करने की वास्तविक तिथि और डिलिवरी समय दिया जा सकता है। तेल कम्पनियों के फील्ड अधिकारी इन रजिस्टरों का नियमित रूप से निरीक्षण करते हैं।

(घ) तेल कम्पनियां जिनके वितरक वाऊचरों में इन ब्यौरों को नही दिखाते हैं, उन्हें परामर्श दिया गया है कि वे अपने एल० पी० जी० वितरकों को बताएं कि रिफिलों की डिलीवरी के समय पर एल० पी० जी० उपभोक्ताओं को जारी किये गये वाऊचरों में सभी ब्यौरे शामिल करें।

श्री पी० शिवशंकर : मैं उत्तर के भाग (घ) में जोड़े गए शब्द 'जिसके वितरक' के लिए क्षमा मांगता हूं। इन शब्दों को इसलिए जोड़ा जा रहा है क्योंकि इन्हें पहले नहीं जोड़ा था।

मैं इस भूल के लिए सभा से क्षमा मांगता हूं।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो जवाब दिया है वह वस्तुत: एजेंसियों में लागू नहीं होता है। आज जितना व्यापक भ्रष्टाचार एल० पी० जी० और गैस सिलिण्डर सप्लाई है वह अकथनीय है। बुकिंग कराने के 5-7 दिन के बाद गैस की सप्लाई की जाती है। अगर बाऊचर पर बुकिंग की डेट और समय तथा डेलिवरी एक एक्चुअल डेट और समय लिख दिया जाया करे तो उससे बात कुछ स्पष्ट हो सकती है लेकिन ऐसा नहीं किया जाता है। डी०-आई० जेड०, कनाट प्लेस में प्रेमनाथ मोटर कम्पनी की एजेन्सी के द्वारा और साउथ एवेन्यु में मोती बाग की जो कम्पनी गैस सप्लाई करती है या और भी जितनी एजेन्सीज हैं वह बुकिंग कराने के 4-6 दिन के बाद सप्लाई देते हैं। पार्लमेंट के मेम्बरों को भी कई बार तीन दिन के बाद गैस की सप्लाई हुई है। इसके अलावा सिलिण्डर में गैस का वजन भी कम रहता है। गैस कभी 15 दिन चलती है और कभी 10 दिन ही चलती है। मन्त्री जी ने कहा है कि सुपरविजन होता है और फील्ड आफिसर्स को आदेश दे दिए गए हैं लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। अगर हम एजेन्सी वाले से पूछते हैं तो वे कहते हैं कि हमने 2-3 लाख रुपए देकर एजेंसी ली है, हम तो ऐसा ही करेंगे, आपको जो लिखना हो लिख दीजिए। कभी फाइल गायब हो जाती है तो उसका भी पता नहीं चलता है। (व्यवधान) अगर यही दुर्दशा रहेगी तो सारी दिल्ली परेशानी रहेगी। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसे दो मिनटों में रखा जा सकता है। आप बेकार में ही अपना समय बर्बाद कर रहे हैं।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : यदि मंत्री जी नहीं समझेंगे तो उनको पता क्या लगेगा।

अध्यक्ष महोदय : अभी सवाल नहीं पूछा है।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : मैं सवाल पूछ रहा हूं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, यह एक (गैसीय) प्रश्न है। आप विरोध क्यों करते हैं ?

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : मैं यह कहना चाहता हूं कि कहीं पर गैस कनैक्शन तीस हजार देते हैं और कहीं पर 11 हजार देते हैं। अधिक संख्या रहने से वे समय पर गैस का वितरण नहीं कर पाते हैं। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो अनियमितताएं हैं, क्या वे उनको रिवाइज करेंगे, बराबर करेंगे, ताकि हर एजेंसी को बराबर की संख्या में गैस दिए जाएं ?

अध्यक्ष महोदय : आपने कुछ समझा ?

श्री पी० शिवशंकर : समझने की कोशिश तो की है। अध्यक्ष जी, मुझे खेद है कि हमारी कोशिशों के बावजूद भी डिस्ट्रीब्यूटर्स काफी गलतियां कर रहे हैं। मैं इतना ही आश्वासन दे सकता हूं कि यहां से हमारी जितनी कोशिश हो सकती है, वह हम करेंगे। जैसा कि मैंने निवेदन किया कि फील्ड आफिसर्स जाकर जांच करते हैं और इसको और थोड़ा सा मजबूत करने की मैं कोशिश करूंगा ···(व्यवधान)···मैंने मान लिया है कि गलतियां हो रही हैं। ऐसी बात नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूं कि गलतियां नहीं हो रही हैं।

जहां तक मेरे मित्र का सवाल अनियमितताओं के सम्बन्ध में है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि यह सही है कि बाज डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास तीन हजार कनैक्शन्स हैं और बाज के पास ज्यादा हैं। करीब बीस दिन पहले मिनिस्ट्री से यह जारी कर दिया गया है कि इस अनियमितता को दूर किया जाए और जिस एजेंसी के पास गैस कनैक्शन्स कम हैं, उनको ज्यादा करके इस किस्म से काम को किया जाए कि सबके पास बराबर गैस कनैक्शन्स दिए जायें।

अध्यक्ष महोदय : जैसे पुराने जमाने में पंचहजारी हुआ करते थे।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि कहा गया है कि गैस एजेंन्सियां एक्स-सर्विस मैन, शिक्षित बेरोजगार, हरिजन और आदिवासी लोगों को ही दी जायेंगी, लेकिन इस नीति को इनके अधिकारी लोग फालो नहीं करते हैं। इस तरह से गरीब या इस तरह के लोगों को गैस एजेंसियां नहीं मिल पाती हैं। उन्हीं लोगों को मिलती हैं, जिनके पास पैसा होता है। मैं आपको एक सिलचर का उदाहरण देता हूं। वहां हरिजन के नाम से एक एजेंसी निकली, लेकिन दी गई गैर हरिजन को। एजेंसी के लिए एक एम० ए० हरिजन महिला ने एप्लाई किया था, लेकिन उसको एजेंसी नहीं मिल पाई। इस अव्यवस्था से केवल गैस एजेंसियां गरीब लोगों को न मिलकर पैसे वालों को मिल रही हैं। क्या मंत्री महोदय इसकी जांच कर इस भ्रष्टाचार को रोकने की ओर ध्यान देंगे ?

श्री पी० शिवशंकर : अध्यक्ष महोदय, कुछ दिन पहले मैंने एक घोषणा की थी कि इस किस्म की त्रुटियां हैं, उनको किस तरह से दूर किया जाए। इस सम्बन्ध में हमारे मित्र, वित्त मंत्री से मैं बात कर रहा हूं कि हरिजन और दूसरे जो वीकर सैक्शन्स हैं, यदि उनको गैस एजेंसी दी जाती है, तो बैंक से उनको लोन दिया जाए। जो हम कमीशन देते हैं, उस कमीशन का एक भाग डायरेक्टली उस बैंक को दे दिया जाए, ऐसा मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, उन बैंकों को जिनको यह विश्वास नहीं है कि ये लोग क्या पैसा देंगे या नहीं देंगे।

दूसरा प्रश्न यह पूछा गया है कि कहीं पर किसी हरिजन को एजेंसी दी जाने वाली थी, लेकिन किसी दूसरे को दे दी गई है। मैं नहीं समझता कि ऐसा हुआ है···

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : ऐसा हुआ है।

श्री पी० शिवशंकर : अगर कोई ऐसा स्पेशल केस हुआ है तो मेरे ध्यान में लाइये, मैं उस एजेंसी को कैन्सिल करने का भी विश्वास दिलाता हूं और इस बात की कोशिश की जाएगी कि हरिजन भाई या हरिजन बहन को ही एजेंसी दी जाय।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : उचित रिकार्ड न रखे जाने के कारण न केवल भारी पैमाने पर गलत काम किए जा रहे हैं परन्तु बड़े ही खतरनाक ढंग से घटिया किस्म के (केसिंग) सप्लाई किए जा रहे हैं। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या उनका ध्यान हाल की प्रेस रिपोर्टों की ओर दिलाया गया है। उदाहरणस्वरूप ब्लिट्ज ने घरेलू गैस सिलेन्डरों और अनेक विस्फोटों द्वारा हुई मौतों की कहानी प्रथम पृष्ठ पर प्रकाशित की है। उन रिपोर्टों के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और क्या वे सही हैं या झूठ ?

श्री पी० शिवशंकर : जहां तक ब्लिट्ज में प्रकाशित रिपोर्ट की बात है, मैं कम्पनियों से पूर्ण रिपोर्ट देने के बारे में पहले ही कह चुका हूं। एक समिति उस पर विचार कर रही है और मैं यह देखूंगा कि इस मामले पर रिपोर्ट मिलने पर मैं कितना कुछ कर सकता हूं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : बम्बई में कई लोग मर चुके हैं।

श्रीमती कृष्णा साही : अमूमन यह आरोप लगाया जाता है कि जो डोमेस्टिक गैस सिलेण्डर्स होते हैं उनमें जितनी गैस की क्वान्टिटी होनी चाहिए, उतनी नहीं रहती है, कभी-कभी तो चार-पांच दिनों में ही गैस खत्म हो जाती है। क्या मंत्री कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जब गैस सिलेंडरों की घरों में सप्लाई हो तो उसमें कोई मीटर लगा दिया जाय जिससे मालूम हो जाय कि उसमें जितनी क्वान्टिटी होनी चाहिए, उससे कम नहीं है।

श्री पी० शिवशंकर : जहां तक डिस्ट्रीब्यूटर्स की एजेंसीज की जगहों का सवाल है, वहां हमने वेइंग-मशीन लगाने के आदेश दे दिये हैं और वेइंग मशीन्ज वहां पर हैं भी। डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास हमने कम्पलेंट सेल खोल दिये हैं जिनकी ठीक ढंग से अखबारों और टी० वी० पर पब्लिसिटी की जा रही है ताकि किसी किस्म की कोई कम्पलेंट है तो वह भेजी जा सके तथा उस पर जरूर जांच पड़ताल की जाएगी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब और अधिक नहीं। अगला प्रश्न।

कलकत्ता में तेल के भण्डारों की खोज

*64. †**श्री नारायण चौबे** :
प्रो० सत्यगोपाल मिश्र :

क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता नगर के कुछ भागों में हाल ही में तेल के भण्डारों की खोज की गई थी;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम रहे; और

(ग) कलकत्ता नगर में तेल के भण्डारों के सर्वेक्षण हेतु यदि कोई भावी कार्यक्रम बनाया गया है, तो वह क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग कलकत्ता शहर में शीघ्र ही भू-कम्पीय सर्वेक्षण प्रारम्भ करने के लिये प्रबन्ध कर रहा है ।

(ख) परिणाम सर्वेक्षण कार्य के पूरा होने के पश्चात् ही पता चलेंगे ।

(ग) कलकत्ता शहर में और इसके पड़ोसी औद्योगिक क्षेत्रों में जहां विस्फोटक सहित परम्परागत भू-कम्पीय सर्वेक्षण करना सम्भव नहीं है, जुलाई, 1982 में किसी समय वाइब्रोसिस सर्वेक्षण कराये जाने का प्रस्ताव है । इन सर्वेक्षणों के वर्ष 1982-83 के दौरान जारी रहने की आशा है ।

श्री नारायण चौबे : हाल ही में तो समाचार-पत्रों में छपा है कि भारत सरकार कलकत्ता में उचित सर्वेक्षण कराने के लिए कदम उठा रही है । समाचारों में कहा गया है 'कलकत्ता तेल पर तैर रहा है ।' वे कौन सी रिपोर्टें हैं जिनके आधार पर आप कलकत्ता में भूकम्पीय सर्वेक्षण कराने के प्रबन्ध कर रहे हैं ? यह भाग (क) है ।

भाग (ख) इस प्रकार है : आपको इस सम्बन्ध में सर्वेक्षण कार्य पूरा करने के लिए कितना समय चाहिए ?

श्री पी० शिवशंकर : जहां तक आधार का सम्बन्ध है, यह बताना तो उन भू-शास्त्रियों और वैज्ञानिकों का काम है जो उस क्षेत्र का सर्वेक्षण करते रहे हैं । दुर्भाग्य से, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के साथ मेरे अधिकारियों की हुई बैठक के आधार पर अखबारों में इन बातों को बढ़ा चढ़ाकर छापा गया है ।

हम सरकार को स्थिति स्पष्ट करना चाहते थे और जिन क्षेत्रों में हम आवश्यकता थी वहां उनकी सहायता चाहते थे । परन्तु बाद में कुछेक समाचार पत्र इस सीमा तक कह गये कि सारा कलकत्ता तेल के ऊपर तैर रहा है । वास्तव में, मैं विशिष्ट रूप से निदेशक, श्री दत्त से मिला था जिन्हें यह विवरण बताया गया था और उन्हें स्वयं इस पर आश्चर्य हुआ था । आसार तो हैं— मैं यह तो नहीं कहता हूं कि आसार नहीं हैं —परन्तु अन्ततः यह कम्पीय सर्वेक्षण ही होगा जिसके आधार पर हम उस क्षेत्र की वास्तविक भावी क्षमता के बारे किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकेंगे ।

तो, जहां तक समय की बात है, जब मैं रूस गया था तो वास्तव में मैंने स्वयं सोवियत संघ के तेल मन्त्री श्री एन० ए० माल्तसोव से विचार-विमर्श किया था और मैंने उन्हें वचन दिया था कि अगस्त के तीसरे सप्ताह के अन्त तक हम कुछ प्राथमिक सर्वेक्षण करने की स्थिति में आ

जाएंगे जिनके आधार पर वे और अधिक सर्वेक्षण तथा खोज कार्य करने के मामले में हमारी सहायता कर सकते हैं।

श्री नारायण चौबे : महोदय, जैसा कि आप स्वयं ही जानते हैं, पांचवें दशक के प्रारम्भ में जब सरकार ने प्रथम बार यह सर्वेक्षण करना आरम्भ किया कि क्या भारत में तेल है या नहीं तो अमरीका समेत बहुत से अन्य देशों ने हमें बताया था कि इस देश में तेल है ही नहीं। परन्तु सोवियत संघ ने हमें बताया था कि पहले तो हम देश में ही तेल प्राप्त कर सकते हैं और अब हम इस दिशा में आगे काम कर रहे हैं। मेरा प्रश्न यह है कि आप कौन से देशों से सहायता मांग रहे हैं ? मैं एक बार और फिर कहता हूं कि हाल ही में पश्चिम बंगाल में जल कुछ खुदाई कार्य समुद्र-तट से दूर डायमंड हार्बर क्षेत्र में हो रहा था तो ऐसे समाचार आ रहे थे कि कुछ इच्छुक पार्टियां वहां थीं तो उन्हें काम बन्द करना पड़ा।

अतः, इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं यह पूछना चाहता हूं कि भू कम्पीय सर्वेक्षण, सर्वेक्षण के इन मामलों में कौन-कौन से देश हमारी सहायता करेंगे और तेल प्राप्ति के मामले में बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में समुद्र के भीतर और समुद्र-तट पर क्या स्थिति है ?

श्री पी० शिवशकर : महोदय, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने व्यावहारिक रूप में 1963 से बंगाल की खाड़ी में तेल की खोज का कार्य आरम्भ कर दिया था। अभी तक उन्होंने सात कुएं खोदे हैं और दो कुओं में खुदाई चल रही है, एक जोगुली में और दूसरा विष्णुपुर में। यह तो हुई वर्तमान स्थिति की बात।

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान हम विभिन्न क्षेत्रों में निश्चित रूप से खुदाई करेंगे। जहां तक समुद्र तट पर खुदाई का सम्बन्ध है, विदेशों से सहायता लेने के प्रश्न के बारे में मैं कहूंगा कि अभी तक हमने केवल सोवियत संघ से ही इस प्रकार के ठेके किये हैं किसी और देश के साथ नहीं। अभी तक समुद्र-तट से दूर का कार्य पूरा नहीं हुआ है। एक बार इसका सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न हो जायेगा तो सम्भवतः तेल और प्राकृतिक गैस आयोग इस क्षेत्र में खुदाई का काम स्वयं अपने हाथ में ले लेगा।

श्री सत्यगोपाल मिश्र : क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या यह सत्य है कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने कुछ उपकरण प्राप्त कर लिये हैं जिसमें कम्पित और रिकार्ड उपकरण भी सम्मिलित हैं और जो अमरीका से कलकत्ता के तेल भण्डारों का सर्वेक्षण करने के लिए लगभग पांच करोड़ रुपये में मंगाये गये हैं ? यदि यह सत्य है तो अमरीका से इन उपकरणों की खरीद करने के क्या कारण हैं, जबकि हम इस सम्बन्ध में सहायता सोवियत संघ से ले रहे हैं ?

श्री पी० शिवशंकर : महोदय, मुझे खेद है कि जहां तक पांच करोड़ रुपये के उपकरणों की खरीद के बारे में विशिष्ट सूचना देने का सम्बन्ध है, मैं उसका उत्तर देने की स्थिति में अब नहीं हूं क्योंकि यह इस प्रश्न से थोड़ा अलग प्रश्न होगा। लेकिन मैं माननीय सदस्यों के ध्यान में इस बात को लाना चाहता हूं कि सोवियत संघ से हमने पर्याप्त मात्रा में उपकरणों की खरीद की है। वास्तव में, उस समय जब मैं वहां गया था···

श्रीमती गीता मुखर्जी : उपकरण की इस खरीद के बारे में समाचारपत्रों में भी इसकी सूचना छपी थी।

श्री पी० शिवशंकर : मैंने केवल यह कहा था कि माननीय सदस्य द्वारा जो जानकारी पूछी गई है वह इस समय मेरे पास उपलब्ध नहीं है। और इस समय इसकी सच्चाई अथवा इससे इन्कार करना सम्भव नहीं है, क्योंकि इसका वर्तमान प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है। यदि पृथक रूप से कोई प्रश्न पूछा जाता है तो मैं उसका उत्तर दूंगा। लेकिन मैं यह बताने की चेष्टा कर रहा था कि जो उपकरण—विशेषकर समुद्र तट पर खुदाई करने वाले उपकरण सोवियत संघ से खरीदा गया है वह बेहतर है। मैंने स्वयं विभिन्न फैक्टरियों में जाकर उनको देखा है, तथा सोवियत अधिकारी स्थल पर ही तत्काल आवश्यक उपकरण देने के लिए तैयार थे। मेरा यह विचार है कि यह हमारे देश में पहले ही पहुंच चुका है। महोदय, इसके अलावा बात यह नहीं है कि हमने एक ही देश से इसकी खरीद की है। यह किये जाने वाले कार्य की स्थिति, भूमि तथा उस क्षेत्र पर निर्भर करता है जहां की ड्रिलिंग का कार्य किया जाना है। इसी आधार पर उपकरण खरीदा गया है। मैं अमरीका के सम्बन्ध में कुछ भी कहने को तैयार नहीं हूं, जिसका कि जिक्र किया गया है।

डा० कृपासिन्धु भोई : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने बंगाल की खाड़ी में समुद्र तट पर तथा समुद्र तट से दूर एन० एस० आर० ए० के माध्यम से, जो कि एक हाइड्रो-कार्बन क्षेत्र का पता लगाने वाली एजेन्सी है, हाईड्रो-कार्बन की सम्भावना का पता लगाने के लिए विचार किया है। इसके अलावा मंत्री महोदय ने यह उत्तर दिया है कि बंगाल की खाड़ी समुद्र तट पर तथा समुद्र तट से दूर भूकम्पीय सर्वेक्षण के माध्यम से खोज नहीं की जाती है। क्या उनको इस बात की जानकारी है कि सोवियत संघ के एक जहाज द्वारा पहले ही बंगाल की खाड़ी में समुद्र तट तथा समुद्र तट से दूर का विस्तृत भूकम्पीय सर्वेक्षण किया जा चुका है। यदि इसके परिणामों के बारे में पता है तो बंगाल की खाड़ी के विशेषकर महानदी बेसिन को तेल और प्राकृतिक गैस आयोग (ओ० एन० जी० सी०) के बजाय आयल इण्डिया को क्यों सौंपा गया है तथा आयल इण्डिया को अभी भी—उत्पादन-परक खोज के द्वारा तेल प्राप्त करना होता है।

श्री पी० शिवशंकर : समुद्र तट पर तथा समुद्र तट से दूर दोनों ही स्थानों पर विभिन्न एजेन्सियों द्वारा सर्वेक्षण का कार्य पूरा करने का प्रयत्न किया जा रहा है। एन० एस० आर० ए० के द्वारा भी सर्वेक्षण को पूरा करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा नहीं है कि उनसे सर्वेक्षण किया ही नहीं गया हो। यह बात सच है कि पश्चिमी बंगाल में तेल के भण्डारों की सम्भावना के बारे में अलग-अलग रिपोर्टें प्राप्त हो रही हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि, एक बार सर्वेक्षण पूरा कर लेने पर आंकड़ों को एकत्रित करने का कार्य किया जाता है। यह एक जटिल कार्य है।

डा० कृपासिन्धु भोई : सोवियत संघ के जहाज द्वारा पहले ही खोज की जा चुकी है और उसके पश्चात उन्होंने उत्पादन-परक खोज की है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या एन० एस० आर० ए० को समुद्र तट पर तथा समुद्रतट से दूर दोनों ही स्थानों पर हाइड्रो-कार्बन का पता लगाने के लिए कार्य सौंपा गया है ?

श्री पी० शिवशंकर : जो कार्य किया जा रहा है मैं उसके ब्यौरे के बारे में बता रहा था। जो भूकम्पीय सर्वेक्षण किये गये हैं उसके आधार पर ही समय-समय पर कुछ ड्रिलिंग कार्य किये गये हैं। जहां तक महानदी बेसिन का सम्बन्ध है, आयल इण्डिया लिमिटेड को उसके सर्वेक्षण तथा ड्रिलिंग का कार्य सौंपा गया है। जहां तक पश्चिमी बंगाल के शेष क्षेत्र का सम्बन्ध है, अधिकतर भाग को ड्रिलिंग कार्य के प्रयोजन हेतु ओ० एन० जी० सी० को सौंपा गया है, क्योंकि ओ० एन० जी० सी० के पास न केवल उपकरण ही हैं बल्कि उसके पास विशेषज्ञता तथा बेहतर तकनीकी जानकारी भी है। जहां तक आज तक की स्थिति के बारे में समुद्रतट पर तेल खोज के ठेके का सम्बन्ध है यह केवल सोवियत संघ के ही साथ है। इस सम्बन्ध में हमने किसी अन्य देश से कोई अनुबन्ध नहीं किया है। जहां तक समुद्र तट से दूर ड्रिलिंग करने का सम्बन्ध है इस कार्य को ओ० एन० जी० सी० तथा आयल इण्डिया कर रही है।

श्री चित्त बसु : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय को इस तथ्य की जानकारी प्राप्त है कि सभी सातो तेल के कुओ क बारे मे, जिनकी पश्चिमी बंगाल में पहले ही खुदाई की जा चुकी है, खुदाई केवल 5,000 मीटर से अधिक नहीं की गई जबकि जानकारी रखने वाली पार्टियों का आम तौर से यह विश्वास है कि पश्चिमी बंगाल में तेल की पर्त 5,000 मीटर से अधिक गहराई पर है अत: इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री महोदय पश्चिमी बंगाल के बेसिन में और अधिक गहराई तक खुदाई करने के लिए ओ० एन० जी० सी० से कहेंगे ताकि तेल की खोज का कार्य और तेज गति से किया जा सके ?

श्री पी० शिवशकर : मेरे मित्र द्वारा विचार करने को लिए जो सुझाव दिया गया है मैं उस पर निश्चय ही ध्यान दूंगा।

प्रो० रूपचन्द पाल : मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह बात सच नहीं है कि काफी समय पहले वर्ष 1951-52 के दौरान स्टैण्डर्ड वैक्यूम आयल कम्पनी द्वारा तेल की खोज में पश्चिमी बंगाल का एक विस्तृत सर्वेक्षण किया गया था तथा बहुत से स्थानों पर खुदाई का कार्य किया था, जिसके अच्छे परिणाम निकले थे लेकिन 'स्तानवक' का वह प्रतिवेदन, जिसमें यह कहा गया है कि पश्चिमी बंगाल के बहुत बड़े क्षेत्रों में तेल के विशाल भण्डार हैं, रहस्यमय ढंग से गायब हो गया है, और उस प्रतिवेदन के बारे में कुछ भी पता नहीं है ? मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि उस प्रतिवेदन के सम्बन्ध में क्या उनको कोई जानकारी है अथवा नहीं ?

एक माननीय सदस्य : वह कह रहे हैं, "रहस्यमय ढंग से गायब हो गया है।"

श्री पी० शिवशंकर : जहां तक इण्डो-स्तानवक पेट्रोलियम परियोजना का सम्बन्ध है उस कम्पनी के द्वारा उस क्षेत्र में वर्ष 1951 से 1959 के बीच सर्वेक्षण तथा कुछ खुदाई का कार्य किया गया था। लेकिन खोज के लिए की गई खुदाई का परिणाम बहुत ही प्रोत्साहनजनक नहीं था तथा इस कम्पनी के द्वारा उस क्षेत्र में आगे का कार्य बन्द कर दिया गया था।

सोडा ऐश का उत्पादन और आयात

*67 †श्री कृष्ण चन्द्र पाण्डेय :

श्री सज्जन कुमार :

क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में सोडा ऐश का इतना अधिक उत्पादन होता है कि उसे बहुत कम मूल्यों पर बेचा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके बावजूद इसका आयात जारी रखे जाने के क्या कारण हैं;

(ग) देश में सोडा ऐश की मांग की तुलना में गत एक वर्ष के दौरान उसका कितना उत्पादन हुआ और कितनी मात्रा में सोडा ऐश का आयात किया गया और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सोडा ऐश का आयात रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) वर्ष 1981-82 में सोडा ऐश की मांग 6.80 लाख टन थी, जैसाकि तकनीकी विकास महानिदेशालय, विकास आयुक्त, लघु उद्योग, योजना आयोग और रसायन तथा उर्वरक विभाग के प्रतिनिधियों से अकार्बनिक रसायन पर गठित कार्यकारी दल ने अनुमान लगाया था। वर्ष 1981-82 में 6.32 लाख टन सोडा ऐश का उत्पादन हुआ। अब स्वदेश निर्मित सोडा ऐश का कारखाने से बाहर का मूल्य 1759.40 रुपये से 2395.57 रुपये प्रति टन के बीच है।

(ख) खुले सामान्य लाइसेंस (ओ० जी० एल०) के अन्तर्गत सोडा ऐश के आयात की अनुमति है। आर० ई० पी० लाइसेंसों के अन्तर्गत भी सोडा ऐश के आयात की अनुमति है। कोई भी वास्तविक उपभोक्ता या निर्यात कराना यदि चाहें तो सोडा ऐश का आयात कर सकता है।

(ग) कलैन्डर वर्ष 1981 में 6.40 लाख टन और वित्तीय वर्ष 1981-82 में 6.32 लाख टन सोडा ऐश का उत्पादन हुआ। वर्ष 1981-82 के लिए 6.80 लाख टन सोडा ऐश की अनुमानित मांग थी। वर्ष 1980-81 (दिसम्बर 1980 तक) 0.84 लाख टन सोडा ऐश का आयात हुआ। दिसम्बर 1980 के बाद की अवधि के लिए आयात सांख्यिकी का अभी प्रकाशन नहीं हुआ है। आंकड़ों के संकलन के बाद उन्हें भारतीय विदेश व्यापार की मासिक सांख्यिकी (खण्ड II) में प्रकाशित किया जाएगा जिनकी प्रतियां संसद ग्रंथागार में उपलब्ध होंगी।

(घ) निर्माता अभ्यावेदन दे रहे हैं कि बड़ी मात्रा में आयात और कम उठान के कारण स्टाक जमा हो रहा है और जब तक आयात पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाता, उद्योग बुरी तरह प्रभावित रहेगा। तथापि अखिल भारतीय कांच निर्माता परिसंघ और अखिल भारतीय सिलिकेट निर्माता संघ जैसे उपभोक्ता संघ चालू आयात नीति को जारी रखने की दलील दे रहे हैं। आयात नीति की लगातार समीक्षा की जाती है। मांग और स्वदेशी उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए आयात का विनियमन किया जाता है।

श्री कृष्ण चन्द्र पाण्डे : माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने काफी विस्तृत जवाब दे दिया है। माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि विदेश से जो सोडा ऐश आयात किया जा रहा है, 1980-81 में और 1981-82 में, यह किस मूल्य दर पर आयात किया जा रहा है ?

श्री पी० शिवशंकर : लगभग 80 डालर प्रति टन के हिसाब से।

श्री कृष्ण चन्द्र पाण्डे : जो सोडा ऐश आयात किया गया है, उसकी दर में और बाजार मूल्य में क्या फर्क है ? क्या यह बताने का कष्ट करेंगे ? सोडा ऐश का जो उत्पादन अपने देश में हो रहा है वह कौन-कौन सी कम्पनियों द्वारा किया जा रहा है और ये कम्पनियां जब चाहती हैं बाजार में इतना सोडा भेज देती हैं कि सोडे का मूल्य गिर जाता है और जब चाहती हैं सोडा ऐश का उत्पादन कम कर देती हैं, उससे मूल्य बढ़ जाता है।

श्री पी० शिवशंकर : जहां तक मूल्य का सवाल है, सोडा ऐश का मूल्य 2100 से 2400 रुपए प्रति टन है। चार कम्पनियां बनाती हैं—मैसर्स टाटा केमीकल्स, मैसर्स सौराष्ट्र केमीकल्स, मैसर्स धरंगधरा, हरि फर्टीलाइजर्स और पांचवीं कम्पनी तूतीकोरिन अलकेलाइज है जो इसका उत्पादन करने जा रही है। ऐसी बात दिखाई नहीं देती कि तब ये प्रोडक्शन ज्यादा करती हैं जब कीमतें ज्यादा होती हैं और जब कीमतें घट जाती हैं तो प्रोडक्शन कम करती हैं। यह बात जरूर है कि कुछ सोडा ऐश उन्होंने प्रोड्यूस किया। उसमें से काफी कुछ सोडा ऐश इस किस्म का है जिसकी बिक्री नहीं होने की वजह से वह पड़ा रह गया है। एक वजह यह भी हो सकती है कि जो आयात किया जा रहा है सोडा ऐश वह कम कीमत पर होने की वजह से इन कम्पनियों के पास जो सोडा ऐश है उसको बिक्री के लिए लोग उठा नहीं रहे हैं।

श्री सज्जन कुमार : जब सोडा ऐश का स्टाक काफी मात्रा में मौजूद है और यदि इसी तरह से वह मार्किट में बिक नहीं सका तो उसका उत्पादन गिर नहीं जाएगा और उत्पादन गिरने के कारण क्या हजारों मजदूर बेकार नहीं हो जायेंगे ?

जो सोडा ऐश आयात किया गया है उस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई है और जब सोडा ऐश हमारे पास है तो क्या उसके आयात पर प्रतिबन्ध लगाया जा रहा है ?

श्री पी० शिवशंकर : मजदूरों की बेकारी का कोई सवाल हो, ऐसी बात नहीं है। इसका कारण यह है कि आज भी पोजिशन यह है कि जहां तक हमारी डिमांड का सवाल है, डिमांड और प्रोडक्शन में काफी अन्तर है। हमारी प्रोडक्शन देश के अन्दर जो डिमांड है उसको मीट नहीं कर पा रही है। इस दृष्टि से मैं नहीं समझता हूं कि प्रोडक्शन गिर जाएगा और मजदूरों के लिए कोई मुसीबत खड़ी हो जाएगी।

जहां तक विदेशी मुद्रा खर्च करने की बात है सोडा ऐश का आयात ओपन जनरल लाइसेंस में है, उसको कैनेलाइज नहीं किया गया है। इसलिए यह कहना मुश्किल है कि कितनी इसमें फोरन एक्सचेंज इनवाल्व्ड है। लेकिन आम तौर से ऐसा होता आया है कि कुछ हजार टन सोडा ऐश का ही आयात बाहर से होता आ रहा है।

श्री वसन्त कुमार पण्डित : क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि 'ओ० जी० एल०' तथा 'आर० ई० पी०' लाइसेंसों के अन्तर्गत दो वर्षों में कितनी मात्रा में सोडा ऐश का आयात किया गया ? कोई और लाइसेंस देने से पूर्व सरकार की यह नीति रही है कि देश के उत्पादनकर्त्ताओं को प्रोत्साहित किया जाये । अत: मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या ये चार कम्पनियां, जो सोडा ऐश का उत्पादन कर रही हैं, उत्पादन अपनी पूरी क्षमता के अनुसार कर रही हैं अथवा वे आंशिक रूप से ही उत्पादन कर रही है ? यदि देश के उत्पादनकर्त्ताओं को समुचित समर्थन दिया जाये तो इन चार कम्पनियों द्वारा और भी उत्पादन बढ़ाया जा सकता है । इस बात का कोई कारण नहीं बताया गया है कि उपभोक्ता संघ ओ० जी० एल० नीति को जारी रखने के लिए सरकार से क्यों आग्रह कर रहे हैं । वे किन आधारों पर सरकार से आग्रह कर रहे हैं ? क्या आप उनके तर्कों से संतुष्ट हैं ? आपकी क्या नीति है ?

श्री पी० शिवशंकर : कौन सी नीति ? क्या आपका तात्पर्य आयात नीति से है ?

श्री वसन्त कुमार पण्डित : जी हां, आयात नीति । उपभोक्ताओं ने कौन-कौन से कारण बताये हैं ?

श्री पी० शिवशंकर : जहां तक आयात के प्रश्न का सम्बन्ध है वर्ष 1978-79 में 0.234 लाख मीटरी टन सोडा ऐश, वर्ष 1979-80 में 1.35 लाख मीटरी टन तथा वर्ष 1980-81 में दिसम्बर, 1980 तक 0.84 लाख मीटरी टन सोश ऐश का आयात किया गया ।

श्री वसंत कुमार पण्डित : मैं यह जानना चाहता हूं कि ओ० जी० एल० तथा आर० ई० पी० के अन्तर्गत अलग-अलग इसका कितना-कितना आयात हुआ है ।

श्री पी० शिवशंकर : इस मद के सरणीबद्ध आयात का कोई प्रश्न ही नहीं है । जैसा कि मैंने पहले बताया है आयात ओ० जी० एल० के अन्तर्गत किया गया है । जहां तक कम्पनियों का सम्बन्ध है, मैं इस बात से सहमत हूं कि कम्पनियां अपनी ओर से बहुत अच्छा प्रयास कर रही हैं । ऐसी बात नहीं है कि वे प्रयास ही न कर रही हों । कभी-कभी उनके लिए यह संभव नहीं होता है कि वे अपनी पूरी क्षमता के बराबर उत्पादन करें । जहां तक लोगों का आयात करने की लालसा से सम्बन्ध है, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह आयात मुख्यत: बल्गेरिया से है । कुछ वर्षों पहले जब हमने मूल्यों को निर्धारित किया था, जो कुछ हुआ वह यह था । उदाहरण के तौर पर वर्ष 1978 में सोडा ऐश का मूल्य प्रति टन 3500 रु० था और अब यह 2400 रु० से 2100 रु० के बीच है । लेकिन हुआ यह कि जब मूल्यों में कमी आ रही है, तब बल्गेरिया भी, जो कि सोडा ऐश का निर्यातक है, मूल्यों में कमी करके इसको भेज रहा है । यही कारण है कि वे लोग जो इसका आयात करते हैं, वे यह चाहते हैं कि देश के उद्योग की तुलना में जो कि मूल्य को एक विशेष स्तर पर कायम रखना चाहते हैं, आयात करना जारी रखा जाये । मैं यह कहना चाहता हूं कि देश के उद्योग द्वारा मूल्य निर्धारण के विषय को मैंने बी० आई० सी० पी० के पास सारे विषय का अध्ययन करने के लिए भेज दिया है ।

श्री मलिक एम० एम० ए० खां : मन्त्री जी ने दो सवालों के जवाब में अलग-अलग बातें कही हैं । एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इसलिए इम्पोर्ट किया जा रहा है सोडा ऐश

क्योंकि डिमांड और प्रोडक्शन में बड़ा भारी फर्क है, डिमांड ज्यादा है और प्रोडक्शन कम है इसलिए इम्पोर्ट किया है। और दूसरे सवाल के जवाब में यह कहा कि इम्पोर्ट करने की वजह से सोडा ऐश का स्टाक इंडिजिनसली ज्यादा बढ़ गया है। तो दोनों अलग-अलग बातें हैं। तो अगर हमारे यहां जितनी डिमांड है उतनी इन्डिजिनस प्रोडक्शन और कैपेसिटी है तो उनके प्रोडक्शन पर और प्राइस पर कंट्रोल करने के बजाय आप फोरेन ऐक्सचेंज इस्तेमाल कर रहे हैं इम्पोर्ट करने में, क्या यह आपकी पौलिसी सही है।

श्री पी० शिवशंकर : जहां तक मांग तथा उत्पादन का सम्बन्ध है, इसके बीच बहुत अधिक अन्तर नहीं है। मैंने स्थिति को स्पष्ट करते हुए बताया है कि यदि मांग तथा पूर्ति का हिसाब लगाना है तो स्थिति यह है कि हमारे देश के लिए कुछ ही हजार टन सोडा ऐश को आयात करने की आवश्यकता होती है। लेकिन इसके बावजूद, हमारा उत्पादन मांग के ही लगभग है। मैं यह कहना चाहूंगा कि वह मांग की तुलना में कुछ ही हजार टन कम है। यह विदेश से बहुत ही कम मूल्य पर आयात किया जा रहा है और जैसा कि मैंने बताया इसका आयात ओ० जी० एल० पर आधारित है। मैंने अपने साथी वाणिज्य मन्त्री से पहले ही यह अनुरोध किया है कि आयात को सरणीबद्ध करें। और एक बार जब एस० टी० सी० अथवा सी० पी० सी० के माध्यम से आयात किया जायेगा तो स्थिति यह होगी—कि यह जिस स्थिति में आज उपलब्ध हो रहा है, वह उपलब्ध नहीं होगा। क्योंकि ओ० जी० एल० के अन्तर्गत लोग वहां तक जा सकते हैं, तथा इसे प्राप्त कर सकते हैं। जितना अधिक हम उत्पादन कर रहे हैं, उतना ही अधिक हम देश की मांग को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। वे मूल्य को कम कर रहे हैं, दूसरे देश द्वारा भी मूल्य में कटौती की जा रही है, जिसके परिणामस्वरूप जहां तक हमारे देश के उद्योग का सम्बन्ध है माल जमा हो रहा है। यही कारण है कि आयातित सोडा ऐश देश में उत्पादित सोडा ऐश की तुलना में कम मूल्य पर बेचा जाता है। समस्या तो यही है और इसी कारण मैंने यह कहा है कि वास्तव में वे इसको धक्का दे रहे हैं। (व्यवधान)

सिन्दरी उर्वरक संयंत्र में आग से क्षति

*68. †**श्री बी० डी० सिंह** :
श्रीमती सुशीला गोपालन :

क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिन्दरी उर्वरक संयंत्र में हाल ही में लगी आग में करोड़ों रुपए के संयंत्र और उपकरण क्षतिग्रस्त हो गए;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके परिणामस्वरूप कितना नुकसान हुआ है; और

(ग) सरकार द्वारा की गई जांच के क्या परिणाम निकले तथा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) सिन्दरी एकक के पुराने और आवश्यक संयंत्र, जिसे तोड़ा जा रहा था, में गैस कटिंग कार्य से आग लग गई

और यह बिलकुल आकस्मिक दुर्घटना थी। 25.00 लाख रुपये की प्रारम्भिक हानि का अनुमान था। हानि के विस्तृत मूल्यांकन के पश्चात बीमा कम्पनी ने 18.2 लाख रुपए स्वीकार किए।

(ग) आग आदि के कारणों का पता लगाने के लिए भारतीय उर्वरक निगम (भा० उ० नि०) द्वारा एक जांच समिति गठित की गई थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। आग सिन्दरी एकक के पुराने और आवश्यक संयंत्र, जिसे तोड़ा जा रहा था, में गैस कटिंग कार्य से लगी और यह एक बिलकुल आकस्मिक दुर्घटना थी। सुरक्षात्मक कार्यवाही और अग्नि शमन सेवाओं और उपकरणों में वृद्धि के बारे में समिति की सिफारिशों पर कार्यान्वयन के लिए कार्यवाही की जा रही है।

श्री बी० डी० सिंह : अध्यक्ष महोदय, सिन्दरी फर्टिलाइजर प्लान्ट के पुराने और अनावश्यक संयंत्र को जो कटिंग गैस से हो रही थी, इस उत्तर से ऐसा लगता है कि जो आवश्यक सुरक्षात्मक सतर्कता वहां बरती जानी चाहिए थी, वह नहीं की गई। मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्योंकि इस रिपोर्ट में सुरक्षात्मक कार्यवाही और अग्निशमन सेवाओं और उपकरणों में वृद्धि की सिफारिश की गई है, तो जो आवश्यक सतर्कता नहीं बरती गई उसके लिए क्या जांच समिति ने वहां के कुछ अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया है ? यदि हां, तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री पी० शिवशंकर : महोदय, जहां तक समिति के प्रतिवेदन का सम्बन्ध है, इसमें विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है। इसमें स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया गया है कि क्षति के लिए वास्तव में कौन जिम्मेदार है। लेकिन समिति का यह विचार है कि यह एक दुर्घटना का मामला है। उन्होंने इसको भविष्य में रोकने के लिए भी सुझाव दिये हैं। प्रतिवेदन के इस भाग कर मंत्रालय तथा भारतीय उर्वरक निगम द्वारा ध्यान दिया जा रहा है।

श्री बी० डी० सिंह : यहां घटी घटना से फर्टिलाइजर प्लान्ट के कई हिस्से क्षतिग्रस्त हुए और इसमें 18.2 लाख रुपये की क्षति दिखलाई गई है। इस उत्तर से ऐसा लगता है कि यह क्षति यहां के क्षतिग्रस्त हिस्से का मूल्य है। मैं यह जानना चाहूंगा कि इस आगजनी के कारण फर्टिलाइजर प्लान्ट कितने समय तक बन्द रहा और उसमें उत्पादन में कितना नुकसान हुआ ?

श्री पी० शिवशंकर : फर्टिलाइजर प्लान्ट के बन्द होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यह पुराना प्लान्ट है जिसको डिसमैंटल किया जा रहा था, इसलिए न उत्पादन कम का सवाल है और न इसके बन्द होने का सवाल है।

श्रीमती सुशीला गोपालन : महोदय, गैर-सरकारी रिपोर्टों के अनुसार लगभग 4 करोड़ रुपये की हानि का अनुमान लगाया गया है। ब्लिट्ज ने भी ऐसी ही रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट यह है कि फैक्टरी के स्रोतों के अनुसार एक पुराने अमोनिया संयंत्र, एक अमोनिया बाईकारबोनेट केटलिस्ट प्लान्ट, पावर प्लान्ट के एक कूलिंग टावर तथा नाइट्रिक एसिड प्लान्ट में आग लग गई, जिसके कारण अनुमानत: कुल 4 करोड़ रुपये की हानि हुई। यही रिपोर्ट है। अतः जांच समिति के प्रतिवेदन तथा इस रिपोर्ट द्वारा अनुमानित हानि के बीच बहुत ही अधिक अन्तर है।

एक यह भी रिपोर्ट है कि एक ठेकेदार के कर्मचारियों को, जो फैक्टरी के अन्दर ही काम करते थे, उस क्षेत्र में ही खाना बनाने की अनुमति दी गई जहां कि इस पर पाबन्दी है। अतः इन सभी मुद्दों के बारे में प्रतिवेदन में कुछ भी नहीं बताया गया है। अतः जो बात बताई गई है वह बहुत ही गंभीर तथा कष्टदायक है। अतः इस बात की महत्ता को ध्यान में रखते हुए क्या मन्त्री महोदय एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति नियुक्त करेंगे, जो इस प्रश्न की विस्तार से जांच कर सके और यह पता लगा सके कि इस दुर्घटना के लिए क्या कोई अन्य कारण भी जिम्मेदार हैं ?

श्री पी० शिवशंकर : जहां तक घाटे का प्रश्न है, मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि यह 25 लाख रु० था। मेरे ख्याल से दूसरी कोई रिपोर्ट प्रमाणित नहीं हो सकती है, क्योंकि तथ्य यह है कि संयंत्र का यह हिस्सा पुराना था जो कि बन्द कर दिया गया था। इसे हटाया जा रहा था तो इसमें आग लग गई, और यह अनुमान लगाया गया कि केवल 25 लाख रु० की हानि हुई है। जहां तक बीमा कम्पनी का प्रश्न है, इसके कहा है कि चूंकि हानि केवल 18 लाख रु० की हुई है, इसलिए केवल 18 लाख रु० ही दिए जाएंगे।

जहां तक इस बात का प्रश्न है कि ठेकेदार के मजदूर जो वहां खाना खा रहे थे उनकी वजह से आग लगी है, यह बात सही नहीं प्रतीत होती है, क्योंकि यह समिति विशेषज्ञों की समिति है। उन्होंने इस सारे प्रश्न पर विचार किया है और कारण भी बताये हैं। कम से कम वे यह नहीं मानते कि मजदूर के खाना बनाने की वजह से यह आग लगी है। इसलिए इस बात को मानना मुश्किल है, जबकि विशेषज्ञ पहले ही इस बात पर अपना राय दे चुके हैं, और मैं भी इसी नतीजे पर पहुंचा हूं। मैं नहीं समझता··· (व्यवधान)

एक अन्य सुझाव, जो कि माननीय सदस्य ने दिया है यह है कि हमें एक उच्च, शक्ति प्राप्त समिति का गठन करना चाहिए। वास्तव में इसी समिति में ऐसे अच्छे अधिकारी थे जो कि इस विषय के विशेषज्ञ हैं और जिन्होंने, विस्तार से इस पर विचार किया है। अभी मैं इस हालत में नहीं हूं कि माननीय सदस्य द्वारा सोची गई समिति के गठन का आश्वासन दे सकूं।

श्री ए० के० राय : आग लगने के फौरन बाद, मुझे कारखाने का दौरा करने का अवसर मिला था, और मैं यह कह सकता हूं कि आपने अपने जवाब में उस खतरे और हानि को काफी कम करके बताया है। समूचे संयंत्र का 50 प्रतिशत हिस्सा अर्थात सारा कारखाना आग की लपटों में घिरा हुआ था। आग अमोनिया संयंत्र से शुरू हुई। फिर यह इसने सारे स्टोर को घेर लिया, और फिर नाइट्रिक एसिड संयंत्र ऑक्साइड संयंत्र को जलाती हुई पावर संयंत्र में खत्म हुई। मेरी यही राय है कि नुकसान अगर चार करोड़ रुपए का नहीं तो कुछ करोड़ रु० का जरूर हुआ है।

दूसरे, इतनी भयंकर आग की घटना के बाद, मंत्रालय के अधिकारियों को वहां का दौरा जरूर करना चाहिए था। नहीं तो, आप सदन में इस तरह का गुमराहकारी बयान न देते। इसमें कोई शक नहीं कि यह एक पुराना संयंत्र था, लेकिन शायद मन्त्री महोदय को यह जानकारी नहीं है कि जिस जगह से आग शुरू हुई, वहां अमोनिया का गोदाम था। नए संयंत्र से अमोनिया तैयार होता है। लेकिन इसे पुराने संयंत्र से रखा जाता है, जहां से आग लगी थी। उस क्षेत्र में 1,000 मीटरी टन से ज्यादा अमोनिया रखी हुई थी। इसके अलावा पावर संयंत्र, आपका कोई फालतू संयंत्र नहीं था। नाइट्रिक एसिड संयंत्र, आपका कोई फालतू संयंत्र नहीं था।

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न क्या है ?

श्री ए० के० राय : मैं एक पंक्ति का प्रश्न पूछता हूं। गैस-कटिंग की गई थी। क्या मैं जान सकता हूं कि द्रव अमोनिया के इतने नजदीकी क्षेत्र मे गैस कटिंग की अनुमति दी गई थी ? इस सम्बन्ध में मैं एक या दो प्रश्न पूछना चाहता हूं। पहला तो यह है कि ठेकेदार के मजदूर इस प्रकार की कार्रवाही कर रहे थे। लेकिन सुरक्षा और पर्यवेक्षण की जिम्मेवारी सिन्दरी प्रबन्धकों की है। इसके अलावा गैस-कटिंग द्रव अमोनिया के काफी नजदीक थी। क्या मन्त्री महोदय ठेकेदार से कुल घाटे को वसूल करेगी ? क्या उस स्क्रैप डीलर का ठेका खत्म कर दिया जाएगा ? क्या आप इसकी जांच करवायेंगे ? इस संयंत्र को पूरी तरह बर्बाद करने की एक साजिश थी, जिससे यह राख का ढेर हो जाए।

आखिर में, श्रीमान्···

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्नों की झड़ी नहीं लगा सकते। यह एक पूरक प्रश्न है। मंत्री महोदय···

श्री ए० के० राय : अगला प्रश्न यह है···

अध्यक्ष महोदय : मैंने सिर्फ एक पूरक प्रश्न की अनुमति दी है।

श्री ए० के० राय : मैं जानना चाहता हूं कि वे विशेषज्ञ कौन थे। क्या वे विभागीय अधिकारी हैं या बाहर से बुलाये गए हैं ?

श्री पी० शिवशंकर : जो मामले मेरे मित्र ने यहां उठाए हैं, उन्हें वे पहले भी उठाते रहे हैं और मैंने उनका जवाब भी दिया है। जहां तक स्क्रैप डीलर के ठेके को खत्म करने का प्रश्न है, इस मामले को उच्चत्तम न्यायालय तक ले जाया गया था यानि इस ठेकेदार को स्क्रैप के निपटान और इसे ठेका देने के बारे में। और अन्त में उच्चत्तम न्यायालय ने पाया है कि स्क्रैप-निपटान या ठेके के सम्बन्ध में याचिकादाता का भी कोई मामला नहीं बनता है।

माननीय सदस्य द्वारा यह कहना कि गैस-कटिंग, द्रवित अमोनिया के क्षेत्र के काफी नजदीक की जाती थी, समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार काफी हद तक सही प्रतीत नहीं होता। इसलिए, अगर मैं माननीय सदस्य की बातों के आधार पर उत्तर देता हूं तो मेरे लिए जैसा वे चाहते हैं उस तरीके से उत्तर देने में थोड़ी मुश्किल होगी। यह बात नहीं है कि किसी ने इसे रद्दी बना दिया हो, समय के साथ-साथ यह विशेष संयंत्र पुराना पड़ गया था, इसलिए इसका निपटान जरूरी हो गया था। इसका निर्णय विशेषज्ञों की रिपोर्ट, जिसकी बाद में निदेशक मण्डल ने जांच की थी, मिलने के बाद लिया गया। (व्यवधान) जहां तक विशेषज्ञों की रिपोर्ट का सम्बन्ध है, उन्होंने ठेकेदार पर दोष नहीं लगाया है।

श्री ए० के० राय : इस हानि की क्षतिपूर्ति कौन करेगा ? यह एक राष्ट्रीय हानि है।

श्री पी० शिवशंकर : समिति श्री एम० जी० शर्मा, उप-महाप्रबन्धक, एफ० सी० आई० की अध्यक्षता में गठित की गई थी। (व्यवधान) चूंकि आपने नाम पूछे हैं, इसलिए मैं नाम बताने

की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप नाम जानने के इच्छुक न हों, तो मैं नाम नहीं बताऊंगा। (व्यवधान)। समिति के अध्यक्ष थे श्री एम० जी० शर्मा, उप-महाप्रबन्धक एफ० सी० आई० और सदस्य थे श्री आर० एस० ए० नारायण, अतिरिक्त मुख्य अभियंता, श्री ए० वी० चक्रवर्ती, अतिरिक्त मुख्य अभियंता और श्री एस० के० घोष, अतिरिक्त मुख्य अभियंता। इन व्यक्तियों ने आग के कारण और उससे होने वाली हानि के मामलों पर जांच की।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या मैं मन्त्री महोदय से पूछ सकता हूं कि क्या इस आग की घटना के बाद ठेकेदार को इसे हटाने का खर्च भी दिया जाएगा ?

अध्यक्ष महोदय : क्या आप यह नहीं समझते कि इस कांड ने इसको भी खत्म कर दिया है ?

श्री पी० शिवशंकर : मैं इस प्रश्न का उत्तर अपने मित्र पर ही छोड़ता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त होता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की प्रबन्ध समितियों की बैठकें

*41. **श्री के० ए० राजन** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नियमानुसार संस्थानों की प्रबन्ध समिति की बैठकें प्रति तिमाही में होनी चाहिए;

(ख) क्या प्रबन्ध समिति के कार्यवाही वृत्तांत नियमित रूप से शासी निकाय को भेजा जाता है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जाने का विचार है ?

कृषि और ग्रामीण विकास तथा नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नियमों तथा उपनियमों में शासी निकाय नोटिस में प्रबन्ध समिति की कार्यवाही को लाने का कोई प्रावधान नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

सिंचाई के लिए अतिरिक्त परिव्यय

*42. **श्री पी० एम० सईद** :
श्री मोहन लाल पटेल :

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने नये 20 सूत्री कार्यक्रम के अधीन निर्धारित उच्च लक्ष्य प्राप्त करने हेतु 900 करोड़ रुपए के विशाल अतिरिक्त परिव्यय की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने वर्ष 1982-83 के दौरान बड़ी मध्यम तथा छोटी सिंचाई परियोजनाओं के लिए 2600 करोड़ रुपए की मांग की है;

(ग) क्या सरकार ने बीस सूत्री कार्यक्रम के अधीन छठी योजनावधि के शेष तीन वर्षों में 90 लाख हैक्टेयर की सिंचाई क्षमता जोड़ने का लक्ष्य रखा है; और

(घ) प्रत्येक वर्ष कुल कितनी अतिरिक्त सिंचाई क्षमता पैदा की जा रही है ?

सिंचाई मन्त्री (श्री केदार पाण्डेय) : (क) और (ख) यह अनुमान लगाया गया है कि नए 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत तैयार की गई छठी पंचवर्षीय योजना में सिंचाई सेक्टर के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य के लिए, छठी योजना की शेष अवधि के दौरान 2600 करोड़ रुपए के अतिरिक्त परिव्यय की व्यवस्था करना आवश्यक होगा । वर्ष 1982-83 के लिए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 750 करोड़ रुपए का अतिरिक्त परिव्यय जरूरी समझा गया है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) छठी योजना के पहले दो वर्षों के दौरान, 5.00 मिलियन हैक्टेयर अतिरिक्त क्षमता सृजित की गई है । 1980-81 में 2.4 मिलियन हैक्टेयर अतिरिक्त क्षमता सृजित की जा चुकी है और यह उम्मीद है कि वर्ष 1981-82 के दौरान 2.6 मिलियन हैक्टेयर और सिंचाई क्षमता सृजित कर ली जाएगी ।

वर्षा से खराब हुए गेहूं की खरीद

***43. श्री बी० वी० देसाई :**
श्री नवल किशोर शर्मा :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा वर्षा से खराब हुए गेहूं की अंधाधुंध खरीद से किसानों को लाभ हुआ है परन्तु अन्त में केन्द्र तथा राज्य सरकारों एवं भारतीय खाद्य निगम को भारी घाटा उठाना पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो अब तक सरकार ने वर्षा से खराब हुए गेहूं की कितनी खरीद की है और केन्द्र, राज्यों तथा भारतीय खाद्य निगम को कितना नुकसान उठाना पड़ा है;

(ग) क्या यह गेहूं मनुष्यों के खाने लायक है;

(घ) गेहूं की हुई भारी क्षति के कारण कितने किसानों को नुकसान उठाना पड़ा है; और

(ङ) उनकी सहायता के लिए क्या कदम उठाए गए ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) सरकार ने भारतीय खाद्य निगम को अनुदेश दिए हैं कि वे केवल ऐसा गेहूं ही वसूल करें

जो कि शिथिलित तथा निर्धारित समान निर्दिष्टियों के अनुरूप हो और वे केन्द्रीय पूल के लिए अन्य वसूली एजेन्सियों से भी ऐसा ही स्टाक लें जो कि इसी प्रकार की निर्धारित निर्दिष्टियों के अनुरूप हों। राज्य सरकार की एजेन्सियों को सूचित किया गया है कि ऐसे मामलों में जहां उनके द्वारा वसूल किया गया गेहूं कुछ अंश में निर्दिष्टियों से निम्न स्तर का है, उस दशा में उसमें बढ़िया गेहूं मिलाकर और उसे साफ करके उसे स्वीकार्य मानक तक लाया जाना चाहिए। अतः भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीदा गया और निगम द्वारा अन्य वसूली एजेन्सियों से लिया गया गेहूं विहित मानक के अनुरूप होगा और इससे सरकार को कोई हानि नहीं होगी।

(ग) इस वर्ष गैर-मौसमी वर्षा होने से हुई क्षति के कारण गेहूं के मामले में निर्दिष्टियों में ढील देने के बाद भी अनाज की किस्म खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित किए गए मानकों के अनुरूप होगी और इसलिए वह मानव उपभोग के लिए बिल्कुल उपयुक्त होगी।

(घ) गेहूं को क्षति पहुंचने के कारण कितने किसानों को हानि उठानी पड़ी है, उनकी संख्या के बारे में कोई जानकारी नहीं है लेकिन इस वर्ष अप्रैल-मई में वर्षा होने के कारण पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के भागों के अधिकांश किसानों को नुकसान उठाना पड़ा था।

(ङ) केन्द्रीय पूल के लिए खरीदे जाने वाले गेहूं के लिए समान निर्दिष्टियों में कुछ सीमा तक ढील दे दी गई है ताकि उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा करने की आवश्यकता और खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित किए गए न्यूनतम मानकों की अनुरूपता को भी ध्यान में रखते हुए किसानों को गेहूं का उपयुक्त मूल्य प्राप्त करने में मदद की जा सके। निर्दिष्टियों में दी गई ढील इस प्रकार हैं :

(1) बदरंग गेहूं, जिसका दाना क्षतिग्रस्त नहीं हुआ हो, को बिना किसी सीमा के वसूल किया जा सकता है;

(2) मामूली तौर पर क्षतिग्रस्त अनाज की सीमा अर्थात् सतही तौर पर क्षतिग्रस्त दानों के साथ अनाज, जिसकी किस्म प्रभावित नहीं हुई हो, को ग्रेड-2 के बारे में 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया है, लेकिन इस सम्बन्ध में वसूली मूल्य में किसी प्रकार की दण्डनीय कटौती नहीं की जाएगी; और

(3) ग्रेड-2 में अनाज की क्षति की सीमा को, बिना कोई मूल्य सम्बन्धी कटौती किए, 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। इन उपायों के अलावा, खाद्य विभाग की अन्न सुरक्षा अभियान से सम्बन्धित गतिविधियों को इन राज्यों में तेज किया जा रहा है ताकि फार्म-स्तर की भण्डारण की हालत में सुधार किया जा सके।

अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्यों में गिरावट के कारण आयातित तेल की लागत में कमी

*44. **प्रो० अजित कुमार मेहता :**

श्री राजेश कुमार सिंह :

क्या नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य तेलों के मूल्यों में यदि गिरावट आई है तो कितनी;

(ख) इसके परिणामस्वरूप आयातित तेल की लागत में कितनी कमी हुई; और

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में इसके मूल्य में गिरावट और आयात की कम लागत के परिणामस्वरूप सार्वजनिक वितरण पद्धति के जरिए रिलीज किए गए और वनस्पति उद्योग को दिए गए खाद्य तेलों के मूल्य में कितनी कमी हुई और देश में वनस्पति के मूल्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ा ?

कृषि, ग्रामीण विकास तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) व (ख) पिछले दो वर्षों के दौरान, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में विभिन्न खाद्य तेलों के मूल्यों का रुख अलग-अलग रहा है। तथापि, आमतौर पर उनमें गिरावट का रुख रहा है। फिर भी तुलनात्मक रूप में आयातित तेलों की लागत में कई कारणों से गिरावट नहीं आई, जिनमें एक कारण रुपए की तुलना में डालर का आमतौर पर मजबूत होना भी शामिल है।

(ग) वनस्पति के लिए तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आयातित खाद्य तेलों के निर्गम मूल्यों का निर्धारण अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के मूल्य के अलावा कई बातों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। ये मूल्य सितम्बर, 1979 से फरवरी, 1982 जब उनमें संशोधन करके मामूली वृद्धि की गई थी, तक उसी स्तर पर रखे गए थे। आयातित तेलों के खुले बाजार के मूल्यों और निर्गम मूल्यों के बीच अत्यधिक अन्तर से आयातित तेलों का अवांछित व्यापार माध्यमों के हाथों में चले जाने का खतरा रहता है।

दिल्ली में शकरपुर, लक्ष्मीनगर कालोनियों को नियमित करना

*45 **श्री विजय कुमार यादव :**

श्री रामावतार शास्त्री :

क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण को ऐसे कोई अनुदेश/निर्देश/मार्गदर्शी निदेश जारी किये गये हैं कि यह शकरपुर, लक्ष्मीनगर कालोनियों को नियमित करने के लिए कदम उठाये क्योंकि उनके नाम उन 612 कालोनियों में शामिल हैं जिनको नियमित किया जाना है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूर्ण ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अनुदेशों/निर्देशों/मार्गदर्शी निदेशों का पालन करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण ने क्या कदम उठाये हैं; और

(घ) निवासियों के लिये यह घोषणा करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं कि वहां विकास कार्य आरम्भ किया जा रहा है और वर्ष 1981 में आमन्त्रित किये गये टेंडरों के अनुसार

सड़कों का तल ऊंचा करने, ईंटें बिछाने तथा नालियों की व्यवस्था करने का कार्य वर्षा ऋतु के आरम्भ से पहले ही पूरा कर लिया जाएगा ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) और (ख) सरकार ने दिल्ली के उपराज्यपाल के लिए हिदायतें जारी की हैं कि दिल्ली की अनधिकृत कालोनियों का नियमितीकरण का कार्य और जिनमें न्यूनतम मूलभूत सुविधाओं को जुटाने का कार्य जैसा कि दिल्ली विकास प्राधिकरण/दिल्ली नगर निगम द्वारा इस प्रयोजन के लिए पता लगाया गया है। सरकार के 16-2-1977 के आदेशों की शर्तों पर आरम्भ किया जाय। नियमितीकरण तथा मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था के प्रयोजनार्थ दिल्ली नगर निगम/दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा चयन की गई 612 अनधिकृत कालोनियों की सूची में शकरपुर और लक्ष्मीनगर की अनधिकृत कालोनियों को भी शामिल किया गया है।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि 7-7-1982 को उसकी तकनीकी समिति ने इन कालोनियों के नियमितीकरण नक्शे के अनुमोदन के लिए सिफारिश की है और अब उसे प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

(घ) प्राधिकरण द्वारा नक्शों के अनुमोदन के बाद विकास कार्य आरम्भ किया जाएगा।

गेहूं के निर्गम मूल्य में वृद्धि

*46. **श्री सुशील भट्टाचार्य :**
श्री चित्त बसु :

क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह यह सच है कि गेहूं के वर्तमान निर्गम मूल्य में 15 रुपयों की वृद्धि करके 160 रुपये प्रति क्विंटल करने का विचार है;

(ख) इसका फ्लौर मिलों के लिए गेहूं के निर्गम मूल्यों पर क्या असर पड़ेगा; और

(ग) क्या इसका उपभोक्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास तथा नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली और रोलर फ्लोर मिलों को केन्द्रीय भण्डार से सप्लाई करने के लिए गेहूं के वर्तमान निर्गम मूल्यों में अभी तक कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

उड़ीसा में तूफान

*47. **श्री के० लकप्पा :**

प्रो० मधु दण्डवते :

क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के समुद्री तट पर आये हाल के तूफान से कितनी, जन, पशुधन, सम्पति और फसल की हानि हुई है; और

(ख) लोगों का संकट दूर करने के लिए उस क्षेत्र में किये गये राहत कार्यों का ब्योरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास तथा नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल० टी० 4214/82]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन कमीशन का पुनः नियुक्त किया जाना

*48. **श्री जी० एम० बनातवाला :**

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट :

क्या नागरिक पूर्ति मन्त्री सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन कमीशन के पुनः नियत किये जाने के बारे में अतारांकित प्रश्न 4635 दिनांक 22 मार्च, 1982 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मामले में कोई निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो बिलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(ग) मामले में निर्णय कब तक लिया जायेगा ?

कृषि, ग्रामीण विकास तथा नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) से (ग) दिल्ली प्रशासन द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन दुकानदारों को दिये जाने वाले कमीशन को पुनः नियत करने पर विचार करने के लिये गठित की गई समिति ने पहली मार्च, 1982 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। दिल्ली प्रशासन ने विचार करने बाद अप्रैल, 1982 में यह रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार के पास भेज दी है और इसकी जांच की जा रही है।

गेहूं की खरीद पर वर्षा का प्रभाव

*49. **श्री दौलत राम सारण :**

श्री रशीद मसूद :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तरी राज्यों में हुई हाल की बेमौसम की वर्षा और ओलावृष्टि के कारण फसल को हुई हानि का कोई अनुमान लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और उसके परिणामस्वरूप गेहूं की खरीद पर कितना प्रभाव पड़ने की संभावना है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास तथा नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जी हां।

(ख) हाल के मूल्यांकन के अनुसार अप्रैल-मई, 1982 के दौरान बेमौसमी और ओला-वृष्टि के कारण अनुमानतः लगभग 20 लाख मीटरी टन गेहूं का नुकसान हुआ। इस मात्रा में हुए नुकसान के अतिरिक्त गेहूं की फसल को, दानों के रंग और चमक से गिरावट आ जाने के कारण नुकसान पहुंचा है। 1981-82 के दौरान गेहूं का उत्पादन लगभग पिछले वर्ष के बराबर होने की आशा है। 8 जुलाई, 1982 तक 75 लाख मीटरी टन अधिप्राप्त कर लिया गया था जबकि पिछले मौसम में इसी अवधि के दौरान 64 लाख मीटरी टन अधिप्राप्त किया गया था। गेहूं उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्यों में अभी भी गेहूं की वसूली जारी है।

पश्चिम बंगाल में खाद्यान्नों तथा नकदी फसलों के उत्पादन पर सूखे का प्रभाव

*50. श्री नारायण चौबे :

श्री अजित कुमार साहा :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल में कई महीनों तक पड़े सूखे से राज्य में खाद्यान्नों तथा नकदी फसलों के उत्पादन को बहुत क्षति पहुंची है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने राहत कार्यों के लिए केन्द्र में 17.57 करोड़ रुपए का अनुदान मांगा है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया और तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास तथा नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल सरकार के ज्ञापन के अनुसार 1980-81 में साफ चावल के रूप में "अमन" धान के 60.0 लाख मीटरी टन के वास्तविक उत्पादन के मुकाबले में 1981-82 में केवल 44 लाख मीटरी टन का उत्पादन हुआ, अर्थात् उत्पादन में लगभग 27 प्रतिशत की कमी हुई है। जूट की फसल के मामले में फसल का क्षेत्र निर्धारित लक्ष्य का केवल 74.5 प्रतिशत रहा।

(ग) पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रारम्भ में 21.09 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता का अनुरोध किया था, लेकिन बाद में इसमें संशोधन करके 27.74 करोड़ का अनुरोध किया।

(घ) राज्य सरकार ने राहत रोजगार कार्यों, निःशुल्क राहत देने के लिए 12 रिगों की खरीद सहित पेय जल की सप्लाई और लघु सिंचाई योजनाएं शुरू करने के लिए केन्द्रीय सहायता के लिए अनुरोध किया है।

राज्य सरकार के इस अनुरोध पर 4 जून, 1982 को हुई अन्तः मन्त्रालय दल की बैठक में विचार किया गया था और राज्य सरकार से कुछ अतिरिक्त सूचना भेजने का अनुरोध किया था, जो अब प्राप्त हो गई है। केन्द्रीय सहायता देने के लिए राज्य के अनुरोध पर विचार किया जा रहा है।

उड़ीसा के समुद्री तूफानग्रस्त क्षेत्रों में वन लगाने का कार्यक्रम

*51. **श्री अनादि चरण दास** : क्या कृषि मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकार/केन्द्र सरकार ने उड़ीसा के समुद्री तूफानग्रस्त क्षेत्रों में वन लगाने का कोई कार्यक्रम बनाया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है;

(ग) क्या उड़ीसा राज्य सरकार/केन्द्र सरकार ने इस कार्यक्रम के अधीन छठी पंचवर्षीय योजना वर्ष 1982-83 की वार्षिक योजना में कोई वित्तीय प्रावधान किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और योजना की पूर्ववर्ती अवधियों में कितनी राशि खर्च की गई तथा भौतिक रूप से क्या उपलब्धियां हुईं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास तथा नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) जी हां,

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना में शामिल की गई "ग्रामीण ईंधन की लकड़ी के वृक्षारोपण सहित सामाजिक वानिकी" नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत बालासोर, कटक और पुरी के जिलों में तटवर्ती आश्रम पट्टी रोपण किया जा रहा है। इस योजना में किसानों और बच्चों द्वारा वृक्षारोपण करने के लिए पौधों की निःशुल्क सप्लाई करने की भी व्यवस्था है।

(ग) और (घ) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत 50 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता सहित 300 लाख रुपये के प्रावधान से, लगभग 7,000 हैक्टार क्षेत्र में आश्रय पट्टी रोपण किया जायेगा।

1982-83 के दौरान 21.40 लाख रुपये के परिव्यय से 500 हैक्टार का लक्ष्य रखा गया है।

उड़ीसा वन विभाग 1972-73 से आश्रय पट्टी रोपण के लिये एक योजना क्रियान्वित कर रहा था। इस योजना में तट के साथ-साथ एक किलोमीटर की दूरी तक वृक्षारोपण करने की व्यवस्था थी। इसमें केस्वारिन, काजू और नारियल के पेड़ लगाए गये थे।

1972-73 और 1981-82 के बीच 16885 हैक्टार क्षेत्र में 413.27 लाख रुपये की लागत से तटवर्ती आश्रम पट्टी रोपण किया गया।

1977-78 तक सुपर बाजार को हुई हानि

*52. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** :
श्री सूरज भान :

क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोओपरेटिव स्टोर्स लिमिटेड, नई दिल्ली का सुपर बाजार, 1977-78 तक हुए कुल 83 लाख रुपये से अधिक के घाटे के कारण अपनी समस्त शेयर पूंजी समाप्त

कर चुका था और अब तक कई वर्षों के लेखों की लेखा परीक्षा नहीं हुई है और 1977-78 के लेखे भी केवल 1981 में ही प्रमाणित किये गए; और

(ख) इस सम्बन्ध में तथ्य और कारण क्या हैं ?

कृषि, ग्रामीण विकास तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) सुपर बाजार, नई दिल्ली अपने कार्यकाल के प्रारम्भिक छः वर्षों में, जो सहकारी वर्ष 1971-72 के साथ समाप्त होते हैं, घाटे पर चलता रहा। तब से यह लाभ कमा रहा है और इस प्रकार धीरे-धीरे संचित हानि को समाप्त करता जा रहा है। 96 लाख रुपये की अंश पूंजी की तुलना में 30.6.81 को संचित हानि केवल 47 लाख रुपये थी।

वर्ष 1978-79 के लेखाओं की भी लेखा परीक्षा की जा चुकी है। 1979-80 तथा 1980-81 की लेखा-परीक्षा का कार्य चल रहा है।

(ख) 1977-78 के लेखाओं को अन्तिम रूप देने में कुछ विलम्ब हुआ क्योंकि एक पार्टी के लेखाओं में कुछ विवाद था, इससे 1977-78 की लेखा-परीक्षा को अन्तिम रूप देने में कुछ देरी हुई।

गंगा जल का मामला

*53. **श्री सन्त कुमार मंडल :**

श्री माधव राव सिंधिया :

क्या **सिंचाई मन्त्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत माह (24-6-1982) नई दिल्ली में मंत्रालय स्तर पर हुई बैठक में भारत और बंगला देश के बीच गंगा जल समझौते की पुनरीक्षा की गई थी;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला और गंगा का बहाव बढ़ाने के लिए गंगा-ब्रह्मपुत्र लिंक नहर बनाने के प्रस्ताव पर बंगलादेश सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) 1-11-1981 से 31-5-82 तक (महीना-वार) की अवधि के दौरान फरक्का से हुगली में कितनी मात्रा में पानी छोडा गया; और

(घ) पानी की कमी की अवधि के दौरान कलकत्ता बन्दरगाह के समुचित कार्यकरण के लिए हुगली नदी में पानी की सप्लाई बनाये रखने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पाण्डे) : (क) और (ख) फरक्का में गंगा जल के बंटवारे तथा इसके प्रवाह में अभिवृद्धि के सम्बन्ध में भारत और बंगलादेश के बीच हुए करार (1977) की दूसरी पुनरीक्षा 26 जून, 1982 को नई दिल्ली में हुई मंत्रालय स्तर की एक बैठक में की गई थी। पुनरीक्षा में यह नोट किया गया कि करार के भाग "क" के सम्बन्ध में, फरक्का में गंगा जल के बंटवारे की व्यवस्था करार के उपबंधों के अनुरूप पूर्णतः क्रियान्वित की गई थी। तथापि, इस बटवारे से दोनों देशों पर पड़ने वाले प्रभाव के सम्बन्ध में दोनों पक्षों में मतभेद था। शुष्क मौसम के

दौरान गंगा के प्रवाह में अभिवृद्धि से सम्बन्धित करार के भाग "ख" के सम्बन्ध में, जिसके लिए भारत ने गंगा-ब्रह्मपुत्र लिंक नहर का प्रस्ताव किया था, दोनों पक्षों ने इस बात को दोहराया कि यह विषय अब भारत-बंगलादेश संयुक्त नदी आयोग के समक्ष नहीं है। अब यह मामला उच्च राजनीतिक स्तर पर दोनों देशों के बीच निर्णय लिए जाने के लिए है और यह कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

(ग) 1977 के करार की शर्तों में फरक्का में गंगा के जल का बंटवारा, 10 दिन की अवधि के आधार पर, पहली जनवरी से 31 मई तक की अवधि से संबंधित है। नवम्बर और दिसम्बर 1981 के महीनों में कलकत्ता बन्दरगाह के लिए फरक्का से लगभग इष्टतम आवश्यकता का जल उपलब्ध कराया गया है। 1 जनवरी से 31 मई, 1982 तक कलकत्ता बन्दरगाह के लिए फीडर नहर के द्वारा भागीरथी-हुगली को फरक्का से छोड़ गए जल को दिखाने वाला विवरण संलग्न है।

(घ) 1977 का करार पांच वर्ष की अवधि अर्थात् 4 नवम्बर, 1982 तक लागू है तथा 1982 के दौरान भी उस करार के उपबंधों के अनुसार जल का बंटवारा किया गया था। पानी की कमी की अवधि के दौरान कलकत्ता बन्दरगाह के समुचित संचालन के लिए भागीरथी-हुगली को जल की पूरी सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए फरक्का पर गंगा के प्रवाह में अभिवृद्धि करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

विवरण

"फरक्का पर गंगा जल के बंटवारे के सम्बन्ध में तथा इसके प्रवाह में अभिवृद्धि के सम्बन्ध में करार (1977) के अनुसार। जनवरी, 1982 से 31 मई, 1982 तक फीडर नहर के द्वारा भागीरथी-हुगली को फरक्का से छोड़ा गया जल।

अवधि	भारत द्वारा लिया गया जल (भागीरथी-हुगली के लिए फीडर नहर) (क्यूसेक)
1.	2
जनवरी	
1-10	35092
11-20	31365
21-31	28079

1	2
फरवरी	
1-10	28385
11-20	32658
21-28	31119
मार्च	
1-10	27432
11-20	27109
21-31	28157
अप्रैल	
1-10	30250
11-20	31556
21-30	33282
मई	
1-10	34357
11-20	36115
21-31	38798

1982-83 के लिए गेहूं की वसूली का लक्ष्य

*54. **श्री कृष्ण चन्द पांडे :**

प्रो० रूपचन्द्र पाल :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982-83 के लिए सरकार द्वारा निर्धारित गेहूं की वसूली के लक्ष्य क्या है; और

(ख) अब तक वसूल की गई गेहूं की मात्रा कितनी है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास तथा नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) 1982-83 विपणन मौसम के लिए गेहूं की वसूली का कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं

किया गया है। तथापि, 8 जुलाई, 1982 तक 75.03 लाख मीटरी टन गेहूं वसूल किया जा चुका है।

पटसन के मूल्यों पर पुनर्विचार का प्रस्ताव

*55. **श्री रेणु पद दास** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटसन के मूल्यों के सम्बन्ध में कृषि मूल्य आयोग की रिपोर्ट सर्वसम्मत नहीं है;

(ख) यदि हां, तो पटसन उत्पादकों को देय मूल्य की अपेक्षा सरकार द्वारा कम मूल्य दिए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार निकट भविष्य में पटसन के मूल्यों का पुनरावलोकन करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास तथा नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जी हां।

(ख) भारत सरकार कृषि मूल्य आयोग की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए उचित स्तरों पर कच्चे पटसन के मूल्य निर्धारित करती है। आयोग उत्पादन लागत, मांग और पूर्ति की स्थिति एक फसल के मूल्य की दूसरी फसल से समता, पटसन से बनी वस्तुओं के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों तथा इनके निर्यात की संभावनाओं को ध्यान में रखता है।

(ग) से (ङ) कृषि मूल्य आयोग ने 1982-83 के मौसम के लिए कच्चे पटसन की मूल्य नीति सम्बन्धी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। सरकार इस रिपोर्ट पर विचार कर रही है।

बारानी भूमि में कृषि

*56. **श्री रणजीत सिंह** : क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) बारानी भूमि में कृषि को बढ़ावा देने के लिए चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या-क्या योजनायें तैयार की हैं; और

(ख) अब तक क्या परिणाम निकले हैं और कितने हेक्टेयर भूमि में बारानी कृषि के तरीके अपनाये जा रहे हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास तथा नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) तथा (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

[**ग्रंथालय में रखा गया—देखिए संख्या एल० टी० 4215/82**]

कोसी नदी पर बांध

*57. **श्री योगेन्द्र झा** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोसी नदी पर बहुद्देश्यीय ऊंचा बांध बनाने संबंधी नवीनतम परियोजना रिपोर्ट को वर्ष 1982 में नेपाल सरकार को भेजा गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और उस पर नेपाल की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या कोई अधिकारी उपरोक्त परियोजना के लिए विशेष रूप से तथा शिशापानी में कमला नदी पर और नन्थर के बागमती नदी पर ऐसे ही बांधों के निर्माण के बारे में नेपाल सरकार से मिला था; और

(घ) पश्चिमी कोसी नहर का समय पर निर्माण सुनिश्चित करने के लिए क्या विशिष्ट कदम उठाए जा रहे हैं ?

सिंचाई मन्त्री (श्री केदार पाण्डे) : (क) कोसी नदी पर प्रस्तावित बहुउद्देश्यीय उच्च बांध की अद्यतन पूर्व-संभाव्यता रिपोर्ट अगस्त, 1981 में नेपाल की महामहिम सरकार को भेजी गई थी।

(ख) अद्यतन पूर्व-संभाव्यता रिपोर्ट पर नेपाल की महामहिम सरकार की प्रतिक्रिया की अभी प्रतीक्षा है।

(ग) फरवरी, 1982 में दोनों सरकारों के बीच सरकारी स्तर पर बैठक हुई थी। जिसमें कोसी, कमला और बागमती नदियों पर बहुद्देश्यीय परियोजनाओं हेतु इन सभी प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया गया था। विचार-विमर्श आगे जारी रहने हैं।

(घ) बिहार में पश्चिमी कोसी नहर की प्रगति में तेजी लाने और उसका समय पर पूरा किया जाना सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(1) कार्यान्वयन करने वाले कर्मचारियों की संख्या में बिहार सरकार द्वारा 2 वृत्तों से बढ़ाकर 7 वृत्त कर दिए गए हैं।

(2) केन्द्रीय सरकार द्वारा परियोजना की मानीटरिंग आरम्भ कर दी गई है।

(3) कोसी नियंत्रण बोर्ड का बिहार सरकार द्वारा पुनर्गठन किया गया है।

(4) सिंचाई लाभ एक चरण-बद्ध तरीके से प्राप्त किए जाने के लिए आयोजित किए गए हैं जिससे जून, 1983 और उसके बाद में बिहार में सिंचाई लाभ उस समय होने प्रारंभ हो जाएं, जब कार्यक्रम के अनुसार पश्चिमी कोसी नहर का नेपाल का भाग पूरा हो जाए।

वनस्पति की चोर-बाजारी

*58. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वनस्पति की चोर-बाजारी बढ़ रही है, विशेष रूप से बड़े शहरों में जहां वनस्पति की काफी मांग है; और

(ख) खाना पकाने के उस लोकप्रिय माध्यम के मूल्य को कारगर ढंग से नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि, ग्रामीण विकास तथा नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) वनस्पति घी के मूल्य उद्योग द्वारा घोषित की गयी स्वैच्छिक मूल्य नियन्त्रण व्यवस्था के तहत नियत किए गए हैं । यद्यपि कुल मिलाकर यह व्यवस्था लागू है, तथापि कई बातों के कारण अस्थायी प्रकार की स्थानीय कमियों के होने से इन्कार नहीं किया जा सकता है ।

सरकार ने वनस्पति उद्योग पर इस बात के लिए जोर दिया है कि उत्पादक, थोक विक्रेता तथा खुदरा विक्रेता सभी स्तरों पर मूल्य नियन्त्रण बरतने की आवश्यकता है । राज्य सरकारों को सलाह दी गयी है कि वे वनस्पति के भंडारण तथा स्टाक की सीमा से सम्बन्धित कानूनों के उपबंधों को कड़ाई से लागू करें । कदाचारों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम तथा अन्य सम्बन्धित कानूनों के उपबन्धों के तहत कार्यवाही की जाती है । आवश्यक वस्तु अधिनियम में भी संशोधन किया गया है ताकि इस अधिनियम की कमियों को दूर किया जा सके तथा अपराधियों को अधिक कड़ी सजाएं दी जा सकें ।

आसाम में कम गहराई के नलकूपों की स्थापना

*59. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम लघु सिंचाई विकास निगम ने आसाम के सभी गांवों में कम गहराई में नलकूप लगाए हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि आसाम के गांव इन नलकूपों से पेय जल प्राप्त नहीं कर सके; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस मामले में सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पाण्डे) : (क) और (ख) असम राज्य लघु सिंचाई विकास निगम ने राज्य के विभिन्न भागों में लघु सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए मई, 1982 के अन्त तक कम गहराई के 2074 नलकूप प्रतिष्ठापित किए हैं, जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है । ये कूप सिंचाई के लिए अलग-अलग कृषकों या कृषकों के समूह के लिए निर्मित किए जाते हैं तथा ये गांवों को पेयजल की आपूर्ति के लिए निर्मित नहीं किए जाते ।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (क) और (ख) को ध्यान में रखकर, प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

विवरण

असम राज्य लघु सिंचाई विकास निगम द्वारा आरम्भ किए गए जोरदार (क्रैश) कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रतिष्ठापित किए गए गैर-सरकारी कम गहराई के नलकूपों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण ।

क्रम सं०	ल० सि० वि० नि० उपमंडल का नाम	प्रतिष्ठापित उथले नलकूप/ निम्न सारीय पम्प		1982-83 के दौरान		कुल सं० मई, 1982 तक
		1980-81	1981-82	अप्रैल, 1982	मई, 1982	
1.	गौरीपुर	"	93	19	"	
2.	गोलपाड़ा	"	20	10	"	
3.	बोंगईगांव (मुख्यालय)	"	43	3	"	
4.	बाड़पेटा	उपमंडल-	208	29	उपमंडल-	
5.	नालबाड़ी (मुख्यालय)	वार ब्यौरा	68	7	वार ब्यौरा	
6.	गुवाहाटी	उपलब्ध	126	29	उपलब्ध	
7.	नवगांव	नहीं है।	129	51	नहीं है।	
8.	नवगांव (मुख्या०)	"	65	—	"	
9.	मरिगांव	"	146	25	"	
10.	विश्वनाथ चारली	"	68	12	"	
11.	मंगलदोई	"	27	10	"	
12.	तेजपुर (मुख्या०)	"	41	8	"	
13.	उत्तरी लखीमपुर	"	14	8	"	
14.	गोलाघाट	"	46	20	"	
15.	जोरहाट (मुख्यालय)	"	72	33	"	
16.	शिवसागर	"	37	18	"	
17.	डिब्रूगढ़	"	147	29	"	
	जोड़	200	1350	311	213	2074

राजस्थान नहर परियोजना के चरण-दो का पुनरावलोकन

*60. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान नहर परियोजना के चरण-दो के आमूल पुनरावलोकन के लिए राजस्थान के अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पाण्डे) : मन्त्री, राजस्थान नहर परियोजना, राजस्थान ने मार्च, 1982 में एक नोट भेजा था जिसमें राजस्थान नहर परियोजना के चरण-दो में एक आमूल परिवर्तन करने का प्रस्ताव किया गया था। 11 मार्च, 1982 को उनके साथ हुए विचार-विमर्श के बाद, यह सुझाव दिया गया था कि राज्य सरकार एक विशेषज्ञ समूह का गठन कर सकती है जो वैकल्पिक प्रस्तावों के ब्यौरों की जांच करेगा और अपनी सिफारिशें देगा। राज्य-सरकार द्वारा समिति का अभी गठन किया जाना है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बिना बारी के किए गए आवंटन

*61. **श्री तारिक अनवर** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करके गत दस महीनों के दौरान विभिन्न टाइप के फ्लैटों का बिना बारी के आवंटन किया है;

(ख) ये फ्लैट किन आधारों पर आवंटित किए गए हैं तथा प्रत्येक मामले का ब्यौरा क्या है; और

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग किये जाने के क्या मानदण्ड हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) सभा पटल पर विवरण रखा हुआ है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4216/82]

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि बिना बारी के आवंटन अनुकम्पा के आधार पर किए गए हैं।

तेल की खोज के लिए सोवियत रूस के साथ की गई सन्धि

*65. **श्री के० टी० कोसलराम** :

श्री निरेन घोष :

क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल की खोज करने और तेल निकालने के लिए सहयोग बढ़ाने के लिए सोवियत रूस के साथ की गई सन्धि का ब्यौरा क्या है और इसे क्रियान्वित करने में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) सोवियत रूस की सहायता से अलाभकर और लगभग सूखे कुओं से होने वाले तेल उत्पादन में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) सभा पटल पर एक विवरण-पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।

(ख) रुग्ण कुओं से उत्पादन में सुधार लाने के लिए सोवियत संघ की बी/ओ० टैक्नो एक्सपोर्ट के साथ गुजरात में लगभग 120 रुग्ण कुओं के शेष कार्य को पूरा करने के लिए एक ठेके को अन्तिम रूप दिया गया था जिसमें उपकरण की सप्लाई भी शामिल थी। अधिकांश उपकरण को जहाज द्वारा भेज दिया गया है और तीन रूसी विशेषज्ञ अभी हाल में यहां पहुंच गए हैं, और कार्य को शीघ्र ही आरम्भ करने की आशा है।

पूर्वी क्षेत्र के गरीब उत्पादकों के उत्पादन में सुधार लाने हेतु इसी प्रकार के एक ठेके पर विचार किया जा रहा है।

सक्कर रॉड पम्पों की स्थापना द्वारा गुजरात में प्रतिष्ठापन, मरम्मत और तेल की कृत्रिम उठान की भावी योजना बनाने के सहायता देने के कार्य में एक सोवियत विशेषज्ञ एक वर्ष से कार्य कर रहा है।

विवरण

मंत्री (पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक) के सोवियत संघ में 30 मई से 6 जून, 1982 के दौरे के अन्त में जिस संलेख पर हस्ताक्षर किए गए थे, निम्नलिखित महत्वपूर्ण बातें शामिल हैं :

(1) इस क्षेत्र में भूकम्पीय रेखाचित्रों को पूरा करने के पश्चात् एक स्थल को छोड़ने और कलकत्ता उच्च गुरुत्व में एक कुएं को खोदने में सोवियत संगठन के सहयोग के लिए बातचीत की जायेंगी।

(2) पहले खोजे गये वे समस्त उपकरण जिनको मरम्मत कार्य के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण समझा गया था उनको पानी के जहाज द्वारा भारत में भेज दिया गया था और इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित विशेषज्ञ शीघ्र ही भारत के लिए रवाना हो जायेंगे।

(3) सोवियत पक्ष ने व्यधन स्थल पर व्यधन प्रौद्योगिकी में भारतीय व्यधनकर्ताओं को उनकी कुशलता में सुधार लाने के लिए उन्हें प्रशिक्षित करने हेतु तीन निरीक्षक दलों, जिसमें प्रत्येक में 6 सदस्य होंगे, भेजने में अपनी सहमति प्रदान कर दी है।

(4) भारतीय पक्ष मार्च, 1983 में सोवियत संघ से देहरादून स्थित व्यधन प्रौद्योगिकी संस्थान के लिए 10 विशेषज्ञों को प्राप्त करने की स्थिति में होगा।

(5) सोवियत पक्ष भारतीय विशेषज्ञों को पद्धति और वैज्ञानिक (प्रणाली विज्ञान) एवम् प्रौद्योगिकीय सहयोग के विस्तृत विषयों तथा तेल उद्योग क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रयोजनों हेतु विचार-विमर्श के लिए बुलायेगा।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में दूरसंचार सेवा का विस्तार तथा आधुनिकीकरण

*66. **श्री हरीश रावत** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना में पूर्वोत्तर दूरसंचार सर्किल के लिए कितनी धनराशि की व्यवस्था की गई है; और

(ख) सरकार इस क्षेत्र में दूरसंचार सेवा के विस्तार तथा आधुनिकीकरण के लिए क्या कदम उठा रही है ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) छठी पंचवर्षीय योजना में उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं के विकास के लिए 75 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है।

(ख) उत्तर पूर्वी क्षेत्र में दूरसंचार सेवाओं का विस्तार करने और उनको आधुनिक बनाने के उद्देश्य से विभाग ने अनेक कदम उठाए हैं, जैसे कि जिला मुख्यालयों में मैनुअल एक्सचेंजों का स्वचलीकरण, स्विचिंग और ट्रांसमिशन प्रणाली के क्षेत्र में अत्यधिक परिष्कृत प्रौद्योगिकी शुरू करना और दूरदराज के इलाकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपग्रह संचार सुविधाएं प्रारम्भ करना।

कोयला क्षेत्र में मजूरी का उत्पादकता-सम्बद्ध पुनरीक्षण

*69. **श्री कमला मिश्र मधुकर** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने कोयला कम्पनियों को कोयला क्षेत्र में मजूरी के पुनरीक्षण हेतु उत्पादकता से सम्बद्ध मानदण्ड लागू करने के लिए कहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) कोल इंडिया लि० को आगामी मजदूरी समझौता के समय मजदूरी को उत्पादकता से जोड़ने की आवश्यकता के बारे में सलाह दी गई है। इस बारे में अभी कोई योजना नहीं बनाई गई है।

औषधियों के उत्पादन की नई नीति

*70. **श्री उत्तम राठौर** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औषधियों के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु नई नीति के बारे में कोई निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उस नीति का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) एक विवरण-पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

सरकार की औषध नीति का एक मुख्य उद्देश्य औषधों के उत्पादन में शीघ्र स्वावलम्बन प्राप्त करना है। इस नीति का तेजी से कार्यान्वयन किया जा रहा है। भारतीय गैर-फैरा क्षेत्र में औषध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए डी० जी० टी० डी० पंजीकरण की योजना औषध उद्योग पर लागू की गई है। इसके अतिरिक्त, औषध उद्योग सहित विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में उत्पादन

बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा अनेक निर्णय लिए गए हैं। इस सम्बन्ध में लिए गए मुख्य निर्णय नीचे दिये गए हैं :

(i) अगस्त, 1980 में सरकार ने एक या अधिक अवस्थाओं में स्वत: 5% वार्षिक वृद्धि (5 वर्ष की अवधि में 25% तक सीमित) की व्यवस्था करने का निर्णय अधिसूचित किया। यह निर्णय दिनांक 22-5-1982 के प्रेस नोट द्वारा अधिसूचित उपयुक्त संशोधनों के साथ 1978 की औषध नीति के आधार पर औषध उद्योग पर लागू होता है।

(ii) अगस्त/सितम्बर, 1980 में सरकार ने 4-9-1980 की स्थिति के अनुसार लाइसेंस प्राप्त क्षमता से अधिक उत्पादक स्थापित क्षमताओं को मान्यता देने के निर्णय की घोषणा की। यह निर्णय औषध उद्योग पर भी लागू होता है। जैसाकि 17-10-1981 के प्रेस नोट द्वारा 1978 की औषध नीति के आधार पर संशोधित किया गया था।

(iii) अप्रैल, 1982 में सरकार ने क्षमताओं को पुन: मंजूरी देने की सुविधा की घोषणा की। इस सुविधा के अन्तर्गत यदि मार्च, 1982 को समाप्त होने वाली पांच वर्ष की अवधि के दौरान अधिकतम उत्पादन जमा उसका 1/3 भाग लाइसेंस प्राप्त क्षमता से 125% अधिक हो जाता है, तो उक्त अधिकतम उत्पादन जमा उसका 1/3 सम्बद्ध औद्योगिक लाइसेंस पर पृष्ठांकित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त यदि 1982-83 के दौरान प्रदत्त क्षमता से उत्पादन अधिक होता है तो वह उत्पादन जमा उसके 1/3 को 1983 में लाइसेंसों पर पृष्ठांकित कर दिया जाएगा। फैरा तथा एम० आर० टी० पी० कम्पनियों के लिए यह सुविधा परिशिष्ट 1 (महत्वपूर्ण क्षेत्र) कार्यकलाप तक सीमित है। दिनांक 17-10-81 के प्रेस नोट के उपबन्ध औषध एककों के सम्बन्ध में लागू होते हैं।

(iv) सरणीबद्ध प्रपुंज औषधों के लिए वर्ष 1982-83 के लिए वितरण नीति में डी० जी० टी० डी० एकों के लिए 25% की वृद्धि दर की व्यवस्था की गई है।

(v) 1982-83 की आयात नीति में, विटामिन "ए" और एस्प्रिन के आयात को सरणी-बद्ध किया गया है ताकि इन औषधों के स्वदेशी उत्पादकों को प्रोत्साहन दिया जाए।

(vi) निम्नलिखित औषध इन्टरमीडिएट्स के सम्बन्ध में, कस्टम ड्यूटी की दरों को समुचित रूप से परिवर्तित किया गया है ताकि और अधिक मूल स्तरों

1. डी-2 अमीनोबूटानोल

2. एल-बेस

से सम्बन्धित प्रपुंज औषधों के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए।

उत्तर बंगाल के चाय उद्योग के लिए कोयला-रैकों की आवश्यकता

*71. **श्री आनन्द पाठक** : क्या ऊर्जा मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर बंगाल के चाय उद्योग के लिए कोयला-रैकों की वार्षिक आवश्यकता कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उसे प्रति वर्ष कितने रैकों की सप्लाई की गई है;

(ग) क्या सरकार ने किसी समय चाय-उद्योग की मांग पूरी की है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री (ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) उत्तरी बंगाल में चाय उद्योग के लिए प्रायोजन प्राधिकारी टी बोर्ड है और उसमें वार्षिक मांग 120 रेक निर्धारित की है । इसकी तुलना में पिछले तीन वर्षों में रेलवे द्वारा सप्लाई की गई रैकों की संख्या और चाय बागानों के लिए लादे गए रैकों की संख्या नीचे दी गई है :

वर्ष	रैकों की संख्या
1979	27
1980	30
1981	30

(ग) और (घ) कोल इण्डिया लि० रेल द्वारा कोयले के प्रेषण में जो कमी रह जाती है उसके लिए सड़क से ले जाने के लिए भी कोयला देता है । इस प्रकार सड़क द्वारा जो कोयला दिया गया उसे शामिल करते हुए चाय बागानों की कोयले की मांग बहुत बड़ी हद तक पूरी कर दी गई है, जैसाकि निम्नलिखित आंकड़ों से स्पष्ट है :

वर्ष	टी बोर्ड द्वारा प्रायोजित मांग	कोयला सप्लाई (मैट्रिक टनों में)	प्रायोजित मांग की तुलना में सप्लाई का प्रतिशत
1979	2,16,000	1,06,670	49%
1980	2,16,000	1,73,315	80%
1981	2,16,000	1,78,801	82%

वर्ष 1979 में बाढ़ के कारण कोयले के उत्पादन और संचलन पर प्रतिकूल प्रभाव होने से सप्लाई में कमी आ गई थी । चाय बागानों की मांग पूरी करने के लिए खान मुहानों पर कोयले की कमी नहीं है । फिर भी, वैगनों की कमी के कारण तथा सड़क द्वारा कोयले के संचलन की लागत बहुत अधिक होने के कारण चाय उद्योग को कोयले की पूरी मांग के अनुसार कोयला नहीं मिल सका । कोल इण्डिया लि० ने अब सिलीगुड़ी में कोयले का एक डम्प खोला है जिससे चाय बागान अपनी जरूरत का कोयला बिना किसी बंदिश के ले सकते हैं ।

बिहार में कोयला क्षमता वाले क्षेत्र अधिनियम के अन्तर्गत विस्थापित आदिवासियों का पुनर्वास

*72. **डा० कृपासिंधु भोई** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया ने बिहार में कोयला क्षमता वाले क्षेत्र अधिनियम के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप विस्थापित हुए आदिवासियों का पुनर्वास करने के आदेश दे दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो विस्थापित आदिवासियों का पुनर्वास करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और इस दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) उसमें उत्पन्न होने वाली कानून और व्यवस्था की स्थिति पर नियन्त्रण करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) आदिवासियों के पुनर्वासन की सरकार की नीति के अनुरूप, जिन आदिवासियों की भूमि का अधिग्रहण कर लिया जाता है उन्हें नकद मुआवजे के अलावा उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार रोजगार भी दिया जाता है और कोयला कम्पनियों को भी यह सलाह दी गई है कि विस्थापित आदिवासियों को पुन: बसने के लिए भूमि उपलब्ध कराएं।

(ग) इस बात को लेकर अब तक कानून और व्यवस्था के सम्बन्ध में कोई गम्भीर समस्या नहीं पैदा हुई है।

मेजिया में विद्युत केन्द्र

*73. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से यह अनुरोध प्राप्त हुआ है कि प्रस्तावित तापीय विद्युत केन्द्र की स्थापना दामोदर घाटी निगम के अन्तर्गत करने की बजाये राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम के अन्तर्गत मेजिया, पश्चिम बंगाल में की जाए; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) केन्द्रीय क्षेत्र में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा मेजिया ताप विद्युत परियोजना की स्थापना करने का कोई औपचारिक प्रस्ताव पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, बांकुरा जिले में मेजिया में 3 × 220 मेगावाट के विद्युत केन्द्र की स्थापना के लिए दामोदर घाटी निगम के प्रस्ताव के बारे में 3-5-1982 को ऊर्जा मंत्रालय में हुई बैठक में विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श करते समय, पश्चिम बंगाल सरकार के प्रतिनिधि ने बताया कि केन्द्रीय क्षेत्र में सुपर ताप विद्युत केन्द्रों की स्थापना करने की केन्द्रीय सरकार की नीति को ध्यान में रखते हुए, पश्चिम बंगाल सरकार फरक्का सुपर ताप विद्युत केन्द्र में अपनाये जा रहे विद्युत के बंटवारे के उसी फार्मूले के आधार पर राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के द्वारा केन्द्रीय क्षेत्र में मेजिया विद्युत केन्द्र स्थापित किए जाने को वरीयता देगी। उन्होंने यह भी बताया कि यदि परियोजना स्थल दामोदर घाटी निगम के कमाण्ड क्षेत्र से बाहर होता तो इस मामले में केन्द्रीय क्षेत्र स्पष्ट तौर पर हस्तक्षेप कर सकता था। तथापि, यह पता लगाया गया है कि मेजिया परियोजना स्थल दामोदर घाटी निगम क्षेत्र के अन्तर्गत आता है और इस प्रकार दामोदर घाटी निगम अधिनियम 1948 (1948 की 14) के प्रावधानों के अन्तर्गत आता है तथा इसलिए दामोदर घाटी निगम द्वारा परियोजना को कार्यान्वित किया जाएगा।

पश्चिम बंगाल सरकार ने यह स्पष्ट किया कि यदि केन्द्रीय क्षेत्र में विद्युत केन्द्र स्थापित करना सम्भव नहीं हो सका तो इसे दामोदर घाटी निगम को सौंपे जाने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

न्यायालय फीस का समाप्त किया जाना

*74. **श्री बी० एस० विजयराघवन :**

श्री बाला साहिब बिखे पाटिल :

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने न्यायालय फीस समाप्त करने के प्रश्न पर राज्य सरकारों की राय मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) और (ख) जनवरी 1982 में संसद सदस्यों की सलाहकार समिति की न्यायालय फीस समाप्त करने से सम्बन्धित सिफारिश राज्य सरकारों को विचारार्थ भेज दी गई थी। उनसे अनुरोध किया गया था कि वे केन्द्रीय सरकार को उक्त सिफारिशों के बारे में की गई कार्यवाही की सूचना दें। कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सरकारों ने केन्द्रीय सरकार को लिखा था कि वे न्यायालय फीस के समाप्त किए जाने के पक्ष में नहीं हैं। नागालैंड सरकार ने सूचित किया कि वे अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के लिए न्यायालय फीस के समाप्त किए जाने के पक्ष में हैं।

18 और 19 जून, 1982 को आयोजित विधि मंत्रियों के सम्मेलन में भी इस विषय पर चर्चा हुई थी। सम्मेलन का विचार था कि वित्तीय मजबूरियों के कारण दृष्टिकोण यह होना चाहिए कि न्यायालय फीस का सुव्यवस्थीकरण किया जाए और उसे समाप्त न किया जाए। सम्मेलन ने पांच राज्यों अर्थात गुजरात, हरियाणा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल के विधि मंत्रियों की एक समिति का गठन किया जिसके संयोजक विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री होंगे। यह समिति न्यायालय फीस के सुव्यवस्थीकरण के प्रश्न पर विचार करने के लिए गठित की गई है।

अतिरिक्त गैस की बर्बादी

*75. **श्री अजय बिश्वास : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रतिदिन बरबाद होने वाली अतिरिक्त गैस की समस्या की पुनः जांच करने हेतु विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) प्राकृतिक गैस की उपलब्धता और इसके प्रयोग पर समय समय पर अध्ययन किये जाते हैं ताकि गैस नष्ट न हो।

पेट्रोलियम विभाग द्वारा एक कार्यकारी दल गठित किया गया है जो समय समय पर होने वाले परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक गैस की उपलब्धता और इसकी उपयोगिता का निरन्तर जांच करेगा।

(ख) और (ग) गुजरात के तटीय क्षेत्र में उत्पादित गैस की सम्पूर्ण मात्रा जो प्रतिदिन 2.36 मि० घन मी० की औसतन दर पर होती है उपभोक्ताओ की बड़ी संख्या को दी जाती है।

असम में अभी असम्बद्ध प्राकृतिक गैस जो उपलब्ध है और जो प्रतिदिन करीब 2.5 मि० घन मी० की औसतन दर पर होती है को कई उपभोक्ताओं को दी जाती है जिसमें हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन लि० के उर्वरक संयंत्र और असम राज्य विद्युत बोर्ड के विद्युत संयंत्र महत्वपूर्ण हैं। कुछ अल्पावधि के लिए गैस को जलाया जा रहा है परन्तु इसे समाप्त किया जायेगा जब इन दोनों संगठनों की अतिरिक्त यूनिटें पूरी हो जायेंगी और चालू हो जायेंगी।

बम्बई अपतटीय क्षेत्रों में 1982-83 में प्राकृतिक गैस की प्रतिदिन करीब 3 मि० घन मी० टन (औसतन दर) की उपलब्धता का पूर्वानुमान किया गया था परन्तु यह पूर्व अनुमानित गैस तेल अनुपात से अधिक अनुपात के कारण प्रतिदिन करीब 4 मि० घन मी० टन (औसतन दर) अधिक हो गया है। महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड के गैस टरबाइनों के चालू हो जाने के साथ गैस का जलाया जाना बहुत अधिक कम हो जायेगा और आगामी महीनों में यह बिल्कुल खत्म हो जायेगा।

जब उपभोक्ताओं के संयंत्र उपकरणों के अस्थायी तौर पर यांत्रिक रूप से खराब हो जाते हैं तो कुछ गैस को जलाया जाता है।

उड़िया फिल्मों का दिल्ली दूरदर्शन पर अपर्याप्त प्रसारण

*76. **श्री अनादि चरण दास** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली दूरदर्शन में क्षेत्रीय फीचर फिल्म कार्यक्रम के अन्तर्गत उड़िया फीचर फिल्मों का अन्य क्षेत्रीय फिल्मों की तुलना में कम दिखाये जाने के क्या कारण हैं;

(ख) पिछले तीन महीने में कितनी उड़िया फीचर फिल्में दिखाई गई हैं; और

(ग) क्या अगले महीने कोई उड़िया फीचर फिल्म दिखाने का कोई कार्यक्रम है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) से (ग) महानगरीय शहर होने के कारण दिल्ली को विभिन्न भाषाओं के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होती है। दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली क्षेत्रीय भाषाओं की फीचर फिल्में महीने में दो बार बारी-बारी के आधार पर, प्रत्येक क्षेत्रीय भाषा को अवसर देते हुए, टेलीकास्ट करता है। दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली पर उड़िया की फिल्में उनकी बारी आने पर दिखाई जाती हैं। एक उड़िया फीचर फिल्म पीछे 3-4-82 को दिखाई गई थी।

चीन द्वारा भारत में तेल की खोज के मामले में सहयोग दिया जाना

*77. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन तेल की खोज के मामले में भारत को पूरा सहयोग देने के लिए सहमत हो गया है; और,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

हिमाचल प्रदेश में अधिक टेलीफोन कनेक्शन और डाकघर

*78. **श्री कृष्णवत्त सुल्तानपुरी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश के उन जिलों के नाम क्या हैं जिनको और अधिक टेलीफोन कनेक्शन देने तथा डाकघर खोलने के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है और उनका ब्योरा क्या है;

(ख) क्या सरकार कम जनसंख्या वाले पर्वतीय क्षेत्रों में डाकघर खोलने के लिये जनसंख्या के निर्धारित अनुपात को कम करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है और यदि हां, तो इस बारे में निर्णय कब तक ले लिया जाएगा; और

(ग) इस बारे में आगामी दो वर्षों के लिये सरकार के कार्यक्रम का ब्योरा क्या है ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) **टेलीफोन कनेक्शन** : टेलीफोन कनेक्शन रजिस्टर्ड कराई गई मांग के आधार पर ही दिये जाते हैं। अतः किसी खास जिले में टेलीफोन कनेक्शन देने के लिये कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

डाकघर : चालू वर्ष के दौरान हिमाचल प्रदेश खोले जाने वाले 16 प्रस्तावित डाकघरों में से पांच डाकघर चंबा तथा अन्य स्थानों के पिछड़े तथा जन-जातीय इलाकों जैसे किन्नौर, लाहुल तथा स्पीति, भारमौर तथा मंगी तहसीलों में स्थित होंगे। शेष ग्यारह डाकघर जो सामान्य ग्रामीण इलाकों में खोले जाएंगे, सभी जिलों में बराबर-बराबर होंगे सिवाय शिमला और मंडी जिलों के जहां इनकी संख्या थोड़ी अधिक होगी।

(ख) डाकघर खोलने के लिए निर्धारित वर्तमान मानदण्डों के अन्तर्गत पहले से ही पिछड़े तथा जन-जातीय इलाकों में डाकघर खोलने के मामले में कम आबादी वाले इलाकों पर विचार किया जाता है और ये मानदण्ड पहाड़ी इलाकों पर भी लागू होते हैं। फिलहाल इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) हिमाचल प्रदेश में आगामी दो वर्षों के दौरान डाकघर खोलने के लक्ष्य को अन्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की भांति प्रत्येक योजना वर्ष के प्रारम्भ में निर्धारित किया जाएगा।

इंडियन पेट्रो-केमीकल्स कारपोरेशन लिमिटेड, बडोदा में ठेके पर काम करने वाले मजदूरों की दुर्दशा

*79. श्री एम० एम० लारेंस : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इंडियन पेट्रो-केमीकल्स कारपोरेशन लिमिटेड, बडोदा में ठेके पर काम कर रहे मजदूरों की दुर्दशा की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इंडियन पेट्रो-केमीकल्स कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा जिसने इस बीच उत्पादन शुरू कर दिया है, ठेका मजदूरी प्रणाली समाप्त करने के लिये क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) (क) और (ख) अभी हाल ही में इंडियन पेट्रोकैमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड (आई० पी० एल०) में ठेके के मजदूरों के सम्बन्ध में सरकार को सूचना मिली थी। चार ठेकेदार, जिनके पास ठेका मजदूर (उन्मूलन तथा विनियमन) अधिनियम 1970 के अन्तर्गत लाइसेंस हैं, इंडियन पेट्रो-केमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड (आई० पी० सी० एल०) को मजदूर सप्लाई करते हैं। ठेकेदारों द्वारा अपने ठेके के मजदूरों को निर्धारित मजदूरी देनी होती है तथा कानून की व्यवस्थाओं का अनुपालन करना होता है।

केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड, मद्रास

*80. श्री सी० टी० दण्डपाणि : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "साउथ इंडिया फिल्म चैम्बर" ने केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड, मद्रास के कठोर

व्यवहार को देखते हुए उसे सेंसरशिप के लिए अपनी तैयार फिल्में न भेजने का फैसला किया है;

(ख) क्या सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा "साउथ इंडिया फिल्म चेम्बर" के अधिकारियों के बीच हाल ही में कोई बैठक हुई है; और

(ग) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) भारत सरकार के उन अधिकारियों, जिन्होंने 11 जून, 1982 को मद्रास का दौरा किया था, को प्रस्तुत किए गए एक ज्ञापन में साउथ इंडियन फिल्म चेम्बर आफ कामर्स (दक्षिण भारत फिल्म उद्योग के लिए कार्यरत) ने यह कहा कि :

"दक्षिण के फिल्म उद्योग को खेद है कि 10 जून, 1982 के स्थानीय क्षेत्रीय कार्यालय का बहिष्कार करने का कठोर कदम उठाने का आश्रय लेना आवश्यक हो गया।"

(ख) तमिलनाडु सरकार के सूचना मंत्री श्री आर० एम० वीरप्पन की अध्यक्षता में मद्रास में 11 जून को एक बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में अन्य व्यक्तियों के साथ-साथ सूचना और प्रसारण मंत्रालय सेंसर बोर्ड, तमिलनाडु सरकार के अधिकारियों तथा फिल्म उद्योग के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।

(ग) इस बैठक के परिणामस्वरूप, मामले का सौहार्दपूर्ण ढंग से समाधान कर लिया गया।

दिल्ली में सुपर ताप बिजली घर

*81. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली को बिजली सप्लाई करने के लिए दिल्ली में एक सुपर ताप बिजली घर स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब पूरा कर लिया जाएगा ?

ऊर्जा मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) दिल्ली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता स्थापित करने का प्रस्ताव है। तथापि, प्रस्ताव की व्यवहार्यता अभी सुनिश्चित की जानी है।

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण सड़कों के लिए राज्यों को नियतन

441. **श्री गदाधार साहा** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण सड़कों के लिये राज्यों को कुल

कितनी राशि का नियतन किया गया, उसका राज्यवार ब्योरा क्या है;

(ख) राज्यों को वास्तव में कितनी निधि दी गई; तत्सम्बन्धी राज्यवार ब्योरा क्या है;

(ग) वर्ष 1982 के दौरान कुल कितनी राशि आबंटित की गई; और

(घ) यदि कोई वसूली अब तक की गई है; तो उसका राज्यवार ब्योरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) व (ग) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) व (घ) ग्रामीण सड़कों का कार्यक्रम, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का एक भाग है जिसके लिए राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों की योजनाओं में परिव्यय सुलभ किए जाते हैं । अतः केन्द्र सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को कोई आवंटन नहीं किये जाते हैं ।

विवरण

छठी पंचवर्षीय योजना (1980-1985) तथा 1980-1981, 1981-1982 तथा 1982-1983 की वार्षिक योजनाओं के दौरान न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण सड़कों के लिये परिव्यय

राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	छठी योजना 1980-85	वार्षिक योजना 1980-81	वार्षिक योजना 1981-82†	वार्षिक योजना 1982-83††
1	2	3	4	5
1. आन्ध्र प्रदेश	1500	450	200	200
2. असम	3600	558	700	600
3. बिहार	14000	2300	3570	2500
4. गुजरात	13500	2814	2600	500
5. हरियाणा	350	50	5	40
6. हिमाचल प्रदेश	3500	600	640	640

1	2	3	4	5
7. जम्मू तथा काश्मीर	1600	400	300	300
8. कर्नाटक	4500	665	583	850
9. केरल	1300	380	510	424
10. मध्य प्रदेश	4000	1325	933.87	800
11. महाराष्ट्र	9400	1490	1600	1750
12. मणिपुर	1000	200	200	250
13. मेघालय	520	150	80	95
14. नागालैण्ड	325	130	45	45
15. उड़ीसा	3000	605	530	550
16. पंजाब	2000	375	430	200
17. राजस्थान	6500	1037	980	1000
18. सिक्किम	900	118	130	230
19. तमिलनाडु	7000	700	807	1000
20. त्रिपुरा	1100	230	300	300
21. उत्तर प्रदेश	31500	4600	3133	6000
22. पश्चिम बंगाल	3750	652	800	800
केन्द्रशासित क्षेत्र				
23. अण्डेमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	450	76	90	81.50
24. अरुणाचल प्रदेश	300	85.40	86.67	80
25. चण्डीगढ़	10	—	2	12.80
26. दादरा तथा नगर हवेली	40	1	10	—
27. दिल्ली	30	5.10	10	10
28. गोवा, दमन तथा दिव	25	3	2	3
29. लक्षद्वीप	10	2.20	10	2.20
30. मिजोरम	720	184	258.50	236
31. पांडिचेरी	60	10.50	10	19.58
अखिल भारत	116490	20196.20	19556.04	19519.08

†संशोधित

00अनन्तिम

बांगला देश को गेहूं की सप्लाई

442. **श्रीमती जयंती पटनायक** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बांगला देश को ऋण पर गेहूं देने का निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो बांगला देश को ऋण के रूप में कुल कितने टन गेहूं दिया जाएगा;

(ग) क्या ऋण की अदायगी के लिए कोई शर्तें निर्धारित की गई हैं;

(घ) यदि हां, तो बांगला देश द्वारा गेहूं के ऋण की अदायगी कब की जाएगी; और

(ङ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में उपमन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) और (ख) जी हां। भारत सरकार और बंगलादेश सरकार के बीच 4 जून, 1982 को हुए एक करार पर हस्ताक्षर हुए हैं जिसके अन्तर्गत भारत बंगलादेश को जुलाई-सितम्बर, 1982 की अवधि के दौरान जिन्स ऋण के आधार पर एक लाख मीटरी टन (5 प्रतिशत अधिक अथवा कम) गेहूं देगा। इस प्रयोजन के लिए भारत सरकार द्वारा अतीत में विश्व खाद्य कार्यक्रम को ऋण के रूप में दी गई गेहूं की भरपाई के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम से भारत को प्राप्त होने वाली गेहूं को बंगलादेश को भेज दिया जाएगा।

(ग) से (ङ) बंगलादेश सरकार द्वारा गेहूं के इस ऋण को वापस करने से संबंधित शर्तों में साथ-साथ निम्नलिखित व्यवस्था है :

(1) गेहूं की सुपुर्दगी पूरी होने की तारीख से 2-1/2 वर्षों की अवधि के अन्दर सी० आई० एफ० आधार पर भारतीय बन्दरगाहों पर ऋण वापस करना होगा;

(2) इस ऋण पर 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज देना होगा जिसकी भारत द्वारा गेहूं के प्रत्येक प्रेषण की सुपुर्दगी के महीने के बाद के महीने की पहली तारीख से गणना की जाएगी। ऋण की प्रमुख मात्रा के अलावा वापस की जाने वाली गेहूं की अतिरिक्त मात्रा के हिसाब से ब्याज का हिसाब लगाया जाएगा।

(3 2-1/2 वर्षों की ऋण की अवधि के बाद गेहूं वापस करने में विलम्ब होने की दशा में, वापस की जाने वाली शेष मात्रा पर बंगलादेश सरकार द्वारा 2 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर अतिरिक्त ब्याज भी देना होगा। इस अतिरिक्त ब्याज की गणना भी भारत सरकार को वापस की जाने वाली अतिरिक्त मात्रा के हिसाब से की जाएगी।

चावल मिलों का आधुनिकीकरण

443. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 1980, 1981 और मार्च, 1982 तक चावल की भूसी के तेल का उत्पादन करने के लिए कितने चावल मिलों का आधुनिकीकरण किया गया; और

(ख) चावल की भूसी निकालने के लिए वर्ष 1982-83 के दौरान कितनी मिलों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में उपमन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) और (ख) जैसाकि विभिन्न राज्य सरकारों ने 31-12-1980 और 31-12-1981 को सूचित किया था, आधुनिक/आधुनिकीकृत चावल मिलों, जो कि तेल निकालने के लिए उपयुक्त भूसी का उत्पादन करती हैं, की कुल संख्या क्रमश: 7,204 और 9,771 थी। क्योंकि आधुनिकीकृत यूनिटों की संख्या के बारे में सूचना वार्षिक आधार पर संकलित की जाती है इसलिए 1982 के बारे में ब्यौरे 31-12-1982 के बाद ही उपलब्ध होंगे। धान कुटाई उद्योग विनियमन और अनुज्ञापन नियम के अनुसार, देश की सारी चावल मिलों का 1983 के मध्य तक आधुनिकीकरण किया जाना है।

बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में वृद्धि

444. **श्री सुधीर कुमार गिरि** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बांधों पर 10,000 करोड़ रुपये तथा बाढ़ सुरक्षा के सीधे अन्य उपायों पर 975 करोड़ रुपये से अधिक व्यय किये जाने के बावजूद अब बाढ़ पीड़ित क्षेत्र बढ़कर 4 करोड़ हेक्टेयर हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाने का विचार है ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी, नहीं। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने, 1980 तक की बाढ़ों से सभी क्षेत्रों की असुरक्षा के आधार पर बाढ़ों की सम्भावना वाले 40 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र का अनुमान लगाया है जिसमें से 32 मिलियन हैक्टेयर (80%) क्षेत्र को आयोग द्वारा सुरक्षा योग्य क्षेत्र स्वीकार किया गया है। 11.57 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र के लिए (मार्च 1981 तक) पहले ही उचित सुरक्षा की व्यवस्था कर दी गई है और 20.43 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र को आगे सुरक्षा की व्यवस्था करनी शेष है।

(ख) बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम में शीघ्रता लाने के लिए पहली सभी योजनाओं में की गई 976 करोड़ रुपये की व्यवस्था की तुलना में भारत सरकार ने छठी योजना के दौरान 1045 करोड़ के काफी बढ़े हुए परिव्यय की व्यवस्था की है। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की सिफारिशों को शीघ्रता से क्रियान्वित करने के लिए सभी राज्यों से भी अनुरोध किया गया है।

केरल को चावल और चीनी

445. **श्री ए० नीलालोहिथादासन नाडार** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल सरकार ने अनुरोध किया है कि आने वाले ओनम त्यौहार के मौसम के दौरान राज्य को चावल तथा चीनी की अधिक मात्रा की सप्लाई की जाये; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में उपमन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) और (ख) केरल सरकार ने अनुरोध किया है कि केन्द्रीय पूल से दिए जाने वाले उनके चावल के मासिक कोटे को 1.10 लाख मीटरी टन के वर्तमान स्तर से बढ़ाकर 1.35 लाख मीटरी टन कर दिया जाए ताकि विशेषकर जुलाई-अगस्त के कमी वाले महीनों और रमजान तथा ओनम मौसम को ध्यान में रखते हुए कार्डधारियों की बढ़ी हुई मांग को पूरा किया जा सके ।

केरल समेत विभिन्न राज्यों को चावल का मासिक आवंटन, केन्द्रीय पूल में चावल की कुल उपलब्धता, विभिन्न राज्यों की सापेक्ष आवश्यकताओं, बाजार में उपलब्धता और अन्य संबंधित तथ्यों को ध्यान में रखकर किया जाता है ।

तथापि, राज्य सरकार से आगामी ओनम के लिए और चीनी सप्लाई करने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है ।

मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अधीन 1980-82 के दौरान पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या

446. **श्री लक्ष्मण कर्मा** : क्या ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अधीन 1980-82 के दौरान कुल कितने व्यक्तियों ने अपने नाम पंजीकृत कराये और उनमें से कितने व्यक्तियों को 30 जून, 1982 तक रोजगार दिलाया गया;

(ख) उनको किस प्रकार का तथा वर्ग का रोजगार दिलवाया गया; और

(ग) सरकार द्वारा शेष व्यक्तियों को रोजगार दिलवाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं और क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) से (ग) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के मार्गदर्शी सिद्धान्तों में ग्रामीण बेरोजगार व्यक्तियों के पंजीकरण के लिए व्यवस्था नहीं है । ग्रामीण क्षेत्रों में सभी समर्थ बेरोजगार व्यक्ति चाहे वे पुरुष हों

अथवा महिलाएं, अपने क्षेत्रों में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यान्वित किए गए निर्माण कार्यों पर रोजगार पाने के लिए पात्र हैं। कार्यक्रम के अन्तर्गत सृजित रोजगार अधिकतर गैरकुशल स्वरूप का होता है, तथापि, कुछ कुशल मजदूरों को भी नियोजित किया जाता है।

कार्यक्रम के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार सृजित रोजगार के श्रमदिनों के बारे में ही सूचना केन्द्रीय स्तर पर प्राप्त की जा रही है। 1980-81 और 1981-82 के दौरान मध्यप्रदेश में कार्यक्रम के अन्तर्गत क्रमशः 661.38 लाख श्रमदिनों और 357.68 लाख श्रमदिनों का रोजगार सृजित होने की सूचना मिली है। 31-3-1982 के पश्चात सृजित रोजगार के आंकड़े प्राप्त नहीं हुए हैं।

आवंटियों को ब्याज का भुगतान

447. **श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री आवंटियों को ब्याज के भुगतान के बारे में 29 मार्च, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5593 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्याज के भुगतान सम्बन्धी विचाराधीन आवेदनों पर (शालीमार बाग ए/सी) अब तक कोई निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो कितने-कितने दावे मंजूर किए गए/रद्द किए गए/ विचाराधीन हैं, और तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं;

(ग) क्या यह सच है कि फ्लैटों का कब्जा आवंटियों को सौंपने के लिए ठेकेदार ने जुलाई, 1981 में स्वीकृति दे दी थी: यदि नहीं, तो जून से अगस्त, 1981 तक किस-किस दिन ठेकेदार ने किस-किस क्वार्टर में क्या-क्या काम किया तथा ऐसे कितने अनुरोध विचाराधीन हैं और उन पर क्या कार्रवाई किए जाने की सम्भावनायें हैं;

(घ) क्या यह भी सच है कि उपरोक्त प्रश्न (संख्या 5593) 29-3-82 के उत्तर में दिए गए आश्वासन के बावजूद इन आवंटियों को अन्तरण विलेख नहीं दिए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं तथा विलेख कागजों के कब तक जारी किए जाने की संभावना है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि ठेकेदार ने आवंटियों को इन फ्लैटों का कब्जा देने के लिए जुलाई, 1981 के अन्तिम सप्ताह से पूर्व स्वीकृति दे दी थी। तथापि आवंटियों द्वारा बताये गये कार्यों को/त्रुटियों को कब्जा देते समय ठीक कर दिया गया था।

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि दिल्ली प्रशासन के स्टाम्प कलैक्टर के कार्यालय से स्टाम्प लगवाने के लिए आवंटियों को अन्तरण विलेख पत्र भेज दिये गये हैं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में डेयरी विकास कार्यक्रम

448. **श्री गुलाम मोहम्मद खान** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड का विचार विश्व बैंक की सहायता से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में डेरी विकास कार्यक्रम आरंभ करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामिनाथन्) : (क) भारतीय डेरी निगम, उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में आप्रेशन फ्लड-2 परियोजना को सहकारिता के माध्यम से शुरू करेगा, जो सहकारिता के ढांचे के माध्यम से क्रियान्वयन होगा। आप्रेशन फ्लड-2 परियोजना, विभिन्नि राज्यों में, विश्व बैंक से ऋण की सहायता से यूरोपीय आर्थिक समुदाय की जिस सहायता और भारतीय डेरी निगम के आंतरिक संसाधनों से क्रियान्वित की जा रही है।

(ख) उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम के ब्यौरे को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है और इस मामले पर उत्तर प्रदेश सरकार और राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के बीच बातचीत हो रही है।

बायोगैस यूनिटों की स्थापना में उपलब्धि

449. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य में बायो-गैस यूनिटों की स्थापना करने के लिए निर्धारित लक्ष्य किस सीमा तक प्राप्त किए गए हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष क बायो-गैस यूनिटों की स्थापना के लिए प्रत्येक राज्य को कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है, और प्रयोग की गई; और

(ग) प्रत्येक राज्य ने सहायता का किस सीमा तक प्रयोग किया है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामिनाथन्) : (क) जानकारी विवरण-1 में दे दी गई है।

(ख) तथा (ग) छठी योजना की शेष अवधि के दौरान क्रियान्वयन के लिए 1981-82 में बायोगैस विकास के लिए राष्ट्रीय परियोजना मंजूर की गई थी। राष्ट्रीय परियोजना के अन्तर्गत

विभिन्न राज्यों को दी गई केन्द्रीय राज सहायता के सम्बन्ध में जानकारी विवरण-2 में दी गई है। विभिन्न राज्यों/कार्यक्रम क्रियान्वयन एजेंसियों को निर्मुक्त की गई केन्द्रीय राजसहायता की राशि उनके द्वारा भेजी गई आकार-वार और जिलावार जानकारी के आधार पर समायोजन किया जाता है।

विवरण-1

1981-82 के दौरान बायोगैस विकास—लक्ष्यों तथा उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय परियोजना

(परियोजना नवम्बर 1981 में शुरू की गई)

क्रम सं० राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बायोगैस एककों की संख्या	
	लक्ष्य	उपलब्धि
1. आन्ध्र प्रदेश	2000	515
2. असम	70	23
3. बिहार	2400	2064
4. गुजरात	3000	1807
5. हरियाणा	700	47
6. जम्मू तथा कश्मीर	100	3
7. कर्नाटक	3500	1282
8. केरल	500	262
9. मध्य प्रदेश	2000	302
10. महाराष्ट्र	3000	3061
11. उड़ीसा	1000	280
12. पंजाब	700	505
13. राजस्थान	2000	1220
14. तमिलनाडु	3500	1275
15. त्रिपुरा	47	4
16. उत्तर प्रदेश	10000	12188
17. पश्चिमी बंगाल	400	274
18. गोवा, दमन तथा दीव	20	46
19. दिल्ली	10	5
20. अन्य	53	20
कुल	35000	25183

विवरण-2

क्रम संख्या	राज्य सरकार/कार्यक्रम क्रियान्वयन एजेन्सियां	बायोगैस एककों के लिए निर्मुक्त की गई केन्द्रीय राजसहायता की राशि (हजार रुपए में)
	राज्य सरकार	
1.	बिहार	1872.00
2.	हरियाणा	337.60
3.	कर्नाटक	2730.00
4.	मध्य प्रदेश	624.00
5.	उड़ीसा	780.00
6.	राजस्थान	1560.00
7.	तमिलनाडु	2730.00
8.	उत्तर प्रदेश	9256.00
9.	गोवा, दमन एवं दीव	3.40
10.	पाण्डिचेरी	7.52
11.	दादरा तथा नगर हवेली	17.46
12.	दिल्ली	2.07
	कार्यक्रम क्रियान्वयन एजेन्सियां	
13.	गुजरात कृषि उद्योग निगम	2808.00
14.	मध्य प्रदेश राज्य खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड	936.00
15.	खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग	8096.40
	कुल :	31750.45

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निदेशक मंडलों (गैर सरकारी) की नियुक्ति

450. श्री भीखा भाई : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और उनके सहायक संस्थान हैं जिनके लिए उनके मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन गैर सरकारी निदेशक मंडलों की नियुक्ति की जाती है;

(ख) इन निदेशक मंडलों का गठन किस तिथि से किया गया और उनका वर्तमान कार्यकाल कब तक पूरा हो रहा है;

(ग) इन निदेशक मन्डलों में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के नामजद गैर सरकारी निदेशकों का ब्योरा क्या है; और

(घ) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से गैर-सरकारी निदेशक यदि अभी तक नियुक्त न किये गये हों तो उन्हें नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामिनाथन्) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

तुगलकाबाद एक्सटेन्शन कालोनी को नियमित करने के लिए अभ्यावेदन

451. श्री एफ० एच० मोहसिन : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या तुगलकाबाद एक्सटेन्शन कालोनी (तारा अपार्टमेंट, कालकाजी के सामने) नई दिल्ली को नियमित करने हेतु कोई अभ्यावेदन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो यह मामला इस समय किस चरण में है; और

(ग) इस कालोनी को नियमित करने में कितना समय लगेगा यहां इस बीच पक्की नींव वाले भवन बन चुके हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि कालोनी का वास्तविक सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण किया जा रहा है।

(ग) कोई समय सीमा निर्धारित करना व्यवहार्य नहीं है।

सघन कृषि जिला कार्यक्रम में शामिल किए गए जिले

452. प्रो० नारायणचन्द पराशर : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार उन जिलों के नाम क्या हैं जिन्हें सघन कृषि जिला कार्यक्रम में शामिल किया गया है; और

(ख) क्या शेष रह गये जिलों को इसमें शामिल करने का प्रस्ताव है और उनके कब तक शामिल किए जाने की सम्भावना है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामिनाथन) : (क) 31 मार्च, 1971 को सघन कृषि जिला कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किए गए जिलों के राज्यवार नाम निम्नलिखित हैं :

क्र०संख्या	राज्य का नाम	सघन कृषि जिला कार्यक्रम के नाम
1.	तामिलनाडु	थंजावूर
2.	आन्ध्र प्रदेश	पश्चिम गोदावरी
3.	बिहार	शाहबाद
4.	मध्य प्रदेश	रायपुर
5.	उत्तर प्रदेश	अलीगढ़
6.	पंजाब	लुधियाना
7.	केरल	अलेप्पी और पालघाट
8.	पश्चिम बंगाल	बर्दवान
9.	कर्नाटक	माण्डया
10.	उड़ीसा	संभलपुर
11.	गुजरात	सूरत तथा बलसाड़
12.	असम	कछार
13.	जम्मू एवं कश्मीर	जम्मू तथा अनन्तनाग
14.	दिल्ली	दिल्ली
15.	हरियाणा	करनाल

(ख) अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रम के कृषि विकास की नीति में एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में होने के कारण सघन कृषि उत्पादन की प्रौद्योगिकी को प्रत्येक सम्भावित क्षेत्र/जिले में हस्तांतरित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा क्षतिग्रस्त गेहूं की खरीद करने से इन्कार किया जाना

453. **श्री निहाल सिंह** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त गेहूं को भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों द्वारा इसके खराब होने के आधार पर इसकी खरीद करने से इन्कार करने से किसान सरकारी ऋणों की अदायगी करने में अनेक कठिनाइयां अनुभव कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार किसानों के वर्षा से प्रभावित गेहूं को बाजार में बिक्री करने की तथा स्वयं सरकार द्वारा उसकी खरीद की व्यवस्था करेगी; और

(ग) किसानों का वर्षा से प्रभावित कितना गेहूं अब तक खरीदा गया है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में उपमन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) और (ख) इस वर्ष गेहूं कटाई मौसम के दौरान गैर-मौसमी वर्षा होने के कारण गेहूं की फसल को कुछ क्षति पहुंची है। किसानों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से, सरकार ने उपभोक्ताओं की सुरक्षा और उनके स्वास्थ्य तथा खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित किए गए मानकों के अनुरूप यथा-सम्भव अधिक मात्रा में वर्षा से प्रभावित गेहूं की वसूली करने के लिए निर्दिष्टियों में ढील दे दी है। भारतीय खाद्य निगम और अन्य सरकारी एजेन्सियां इन शिथिलित निर्दिष्टियों के अनुसार गेहूं की वसूली कर रही हैं। सरकार मंडी में किसानों के स्टाक की बिक्री की जिम्मेदारी नहीं ले सकती है। ऋण वापस करने में किसानों द्वारा उठायी जा रही कठिनाइयों के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

(ग) केन्द्रीय भण्डार के लिए केवल निर्धारित निर्दिष्टियों के अनुरूप ही गेहूं खरीदा गया है। 8 जुलाई, 1982 तक 75.03 लाख मीटरी टन गेहूं वसूल कर लिया गया था।

अन्तरण विलेख और पंजीकरण के अन्य दस्तावेज देने में विलम्ब

454. **श्री दिगम्बर सिंह** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण आवंटियों को नगद-भुगतान आधार पर बेचे जाने वाले एम० आई० जी० फ्लैटों के मामले में अन्तरण विलेख और पंजीकरण का निष्पादन करने में अत्यधिक समय लेता है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है;

(ग) क्या यह सच है कि ईस्ट आफ कैलाश (सूरज पर्वत) में निर्मित एम० आई० जी० फ्लैटों के आवंटियों को, जिन्हें नवम्बर-दिसम्बर, 1975 में नगद-भुगतान आधार पर फ्लैट मिले थे, अब तक अन्तरण विलेख तथा पंजीकरण के अन्य दस्तावेज नहीं दिये गये हैं;

(घ) क्या इस विलम्ब से सरकारी राजकोष को भी राजस्व की हानि हो रही है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार का मामले को शीघ्र निपटाने तथा एक ऐसा दिन नियत करने, जब तक कि ईस्ट-आफ कैलाश में नगर-भुगतान आधार पर वर्ष 1975-76 में आवंटित किए गए सभी फ्लैटों का पंजीकरण हो जाए तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित समय तक काम पूरा किया जाना अनिवार्य बनाने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इस बात से इनकार किया है कि अन्तरण विलेख के निष्पादन में अत्याधिक विलम्ब होता है। इसने सूचना दी है कि निम्नलिखित मुख्य कारणों से विलम्ब होता है :

(1) बार-बार अनुस्मारक देने के बावजूद भी आवंटियों द्वारा देय राशि अर्थात् ब्याज प्रभार, भूमि किराया आदि न देना।

(2) फ्लैटों के नक्शे जिसमें अवस्थिति, चाहरदीवारी तथा फ्लैट का वास स्थान दर्शाया गया हो, तैयार करने के लिये फ्लैटों का निरीक्षण करना।

(3) आवंटियों द्वारा अनधिकृत रूप से परिवर्धन तथा परिवर्तन करना।

(4) स्टाम्प कलैक्टर द्वारा अन्तरण विलेखों में स्टाम्प की पद्धति में परिवर्तन।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचना दी है कि अधिकांश मामलों में अन्तरण विलेख या तो पंजीकृत हो गये हैं या स्टोर कलैक्टर के कार्यालय से स्टाम्प लगवाने के लिये आवंटियों को भेज दिये गये हैं। इसने यह भी सूचना दी है कि शेष मामलों में अन्तरण विलेख के कागजात तैयार करने और जारी करने की प्रक्रिया में हैं।

(च) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचना दी है कि इस विलम्ब के परिणामस्वरूप उन्हें किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता है।

(छ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचना दी है कि इस कालोनी के अन्तरण विलेख के कागजों को तैयार करने को प्राथमिकता दी गई है और इस कार्य को पूरा करने की वास्तविक तिथि अन्तरण विलेखों के निष्पादन की औपचारिकताओं को आवंटियों द्वारा पूरा करने में लगने वाले समय पर निर्भर है।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन में बाधा

455. श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के

क्रियान्वयन में मुख्य बाधा यह है कि राष्ट्रीयकृत बैंक इसमें समुचित भाग नहीं ले रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) यह सच है कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन में अपर्याप्त संस्थागत ऋण का दिया जाना एक अड़चन रही है ।

(ख) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए ऋण उपलब्ध कराने में सुधार करने हेतु उठाए गए कुछेक महत्वपूर्ण कदम निम्नलिखित हैं :

(1) ग्रामीण विकास मन्त्रालय द्वारा योजना आयोग के सदस्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है जो समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए समय-समय पर ऋण की उपलब्धता और ऋण प्राप्त होने में महसूस की जा रही प्रचलनात्मक कठिनाइयों में सुधार करने हेतु उपायों का पता लगाने के बारे में पुनरीक्षा करेगी;

(2) भारतीय रिजर्व बैंक ने 10-12-81 को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में बैंकों की भूमिका बारे में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को एक महत्वपूर्ण परिपत्र जारी किया है जिसमें इस आशय की कार्यवाही करने के बारे में अनुदेश दिए गए हैं कि बैंकों को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए संस्थागत ऋण का शीघ्र वितरण करने के लिए कदम उठाने चाहिए । इन अनुदेशों की पूर्ति हेतु ग्रामीण विकास मन्त्रालय द्वारा 8-1-1982 को राज्य सरकारों/केन्द्र शासित क्षेत्र प्रशासनों को पूरक मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए गए हैं;

(3) अलग-अलग राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए बैंकों से ऋण सम्बन्धी सहायता की विभिन्न स्तरों पर बैठकों के दौरान तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा राज्यों के दौरों के दौरान समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है;

(4) प्रचलनात्मक समस्याओं तथा उनके हल के बारे में ग्रामीण विकास मन्त्रालय द्वारा आयोजित गोष्ठियों तथा कार्यशालाओं में विचार-विमर्श किया जाता है जिनमें राज्य सरकार/केन्द्र शासित क्षेत्र भी भाग लेते हैं;

(5) भारतीय रिजर्व बैंक की चालू शाखा लाइसेंसिंग नीति ग्रामीण तथा अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में शाखाओं का विस्तार करने के लिए उन्मुख है ।

उत्तर प्रदेश में ग्रामीण और नगरीय आवास विकास के लिए नियत एवं प्रयुक्त राशि

456. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में ग्रामीण और नगरीय आवास विकास के लिए वर्ष 1979-80,

1980-81 और 1981-82 के दौरान कुल कितना ऋण और केन्द्रीय सरकार से सहायता नियत की गई एवं प्रयुक्त की गई; और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) आवास राज्य का विषय है । इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की भूमिका राज्यों को नीति निर्देशन जारी करने और समेकित ऋणों तथा समेकित अनुदानों के रूप में वित्तीय सहायता देने तक सीमित है जो उनके किसी विशेष योजना या विकास शीर्ष से सम्बद्ध नहीं होती है ।

तथापि, आवास तथा नगर विकास निगम ने उत्तर प्रदेश में विभिन्न आवास अभिकरणों को निम्नलिखित राशियों की स्वीकृति प्रदान की है :

1979-80—15.63 करोड़ रुपए

1980-81—22.21 करोड़ रुपए

1981-82— 9.01 करोड़ रुपए

हुडको द्वारा विभिन्न आवास अभिकरणों को दी गई राशि इस प्रकार है :

1979-80—10.50 करोड़ रुपए

1980-81—12.51 करोड़ रुपये

1981-82—12.46 करोड़ रुपए

ली गई उपर्युक्त राशियां 1979-80 से 1981-82 तक की अवधि के दौरान तथा इस अवधि से पूर्व हुडको द्वारा स्वीकृति सभी योजनाओं से सम्बन्धित हैं । इससे 77,984 रिहायशी एककों के निर्माण में सहायता मिलेगी, जिनमें से 86 प्रतिशत समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए तथा निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए हैं जिनकी मासिक परिवारिक आय 600 प्रतिशत रुपए से अधिक नहीं है ।

किसानों से ऋण एकत्र किए जाने के बारे में विचार-विमर्श करने के लिए विश्व बैंक के दल की तमिलनाडु की यात्रा

458. श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, 1982 के महीने में विश्व बैंक के दल ने किसानों से ऋण एकत्रित करने की समस्या के बारे में तमिलनाडु सरकार से विचार-विमर्श करने के लिए तमिलनाडु की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई निष्कर्ष निकाल लिया गया है; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामिनाथन्) : (क) से (ग) विश्व बैंक से प्राप्त ऋण की सामान्य पद्धति में कृषि पुनर्वित तथा विकास निगम के अन्तर्गत करार की शर्तों के अनुसार विश्व बैंक, परियोजना के कार्यान्वयन की आवधिक समीक्षा करने के लिए भारत को पर्यवेक्षण सम्बन्धी मिशन भेजता है। इस समय विश्व बैंक की सहायता से कृषि पुनर्वित तथा विकास निगम की चतुर्थ परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। विश्व बैंक की पर्यवेक्षण सम्बन्धी मिशन के साथ कृषि पुनर्वित विकास निगम के अधिकारियों ने 3-6-82 से 5-6-82 तक तमिलनाडु सहकारी भूमि विकास बैंक के पुनर्स्थापन, जिसमें ऋण वसूली स्थिति भी शामिल है, की समीक्षा करने के लिए तमिलनाडु का दौरा किया। विश्व बैंक पर्यवेक्षण सम्बन्धी मिशन ने तमिलनाडु सरकार के अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा करते हुए, प्राथमिक भूमि विकास बैंकों के वसूली कार्यों में सुधार लाने पर बल दिया, ताकि राज्य भूमि विकास बैंक, कृषि पुनर्वित तथा विकास निगम से पुनर्वित प्राप्त करते रहने को सुनिश्चित कर सकें।

यमुना-पार क्षेत्र में गांवों का शहरीकरण

459. **श्री मोती भाई आर० चौधरी** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के यमुना पार क्षेत्र में मंडावली, फजलपुर गांवों सहित कुछ गांवों का शहरीकरण किया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि शहरीकरण गांवों की दुग्ध-डेयरियों को कुछ अन्य सुरक्षित स्थानों पर अन्तरित कर दिया गया है; और

(ग) क्या यह भी सच है कि मंडावली और फजलपुर गांवों की भैंसों को भी वहीं से अन्यत्र भेज दिया गया है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पंजाब और हरियाणा में गेहूं की खरीद

460. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम ने पिछले तीन महीनों के दौरान पंजाब और हरियाणा में कुल कितने गेहूं की खरीद की है;

(ख) किसानों के पास अभी लगभग कितना गेहूं है; और

(ग) इस वर्ष कितना फालतू (बफर) भण्डार बनाने का विचार है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उपमंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) सभी सरकारी एजेन्सियों द्वारा 8 जुलाई, 1982 तक पंजाब और हरियाणा में कुल 59.87 लाख मीटरी टन गेहूं वसूल किया गया था जिसमें से भारतीय खाद्य निगम ने 15.84 लाख मीटरी टन गेहूं वसूल किया था ।

(ख) सरकार के पास किसानों द्वारा स्टाक रखने जाने के बारे में कोई जानकारी नहीं है ।

(ग) 1978 में सरकार ने वर्ष की विभिन्न अवधियों में 35 से 88 लाख मीटरी के रेंज में परिचालन स्टाक के अलावा, 120 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों का बफर स्टाक तैयार करने और उसे बनाए रखने का निर्णय किया था । इस वर्ष के दौरान बफर स्टाक की वास्तविक मात्रा वर्तमान स्टाक, वसूल की गई मात्रा और निकासी पर निर्भर करेगी ।

आयातित दुग्ध चूर्ण और बटर आयल को फिर से मिश्रण किया जाना

461. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि कस्बों तथा नगरों में पुनर्मिश्रण हेतु आयातित दुग्धचूर्ण और बटर आयल का प्रयोग बढ़ रहा है और यदि हां, तो 1970 और 1981-82 का तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामिनाथन्) : कमी वाले मौसम के दौरान, जब दुग्ध उत्पादन और खरीद में महत्वपूर्ण कमी होती है, कच्चे दूध की सीमित सप्लाई को बढ़ाने के लिए डेरी संयंत्रों द्वारा सप्रैटा दुग्ध चूर्ण तथा बटर आयल को प्रयोग किया जाता है । दूध के उत्पादन में वृद्धि होने, जो 1970 में प्रति दिन लगभग 22.5 था और 1981 के दौरान बढकर प्रतिदिन 71.3 लाख लिटर हो गया, तथा नयी डेरियों के शुरू होने के कारण महानगर डेरियों तथा अन्य डेरियों में पुनर्मिश्रण कार्यों के लिए सप्रैटा दुग्ध चूर्ण और बटर आयल के प्रयोग में वृद्धि हुई है । भारतीय डेरी निगम ने 1970-71 के दौरान उपहार/वाणिज्यिक खाते में 20,738 मीटरी टन सप्रैटा दुग्ध चूर्ण तथा उपहार खाते में, 2292 मीटरी टन बटर आयल प्राप्त किया । निगम को 1981-82 के दौरान 77,439 मीटरी टन सप्रैटा दुग्ध चूर्ण 14035 मीटरी टन बटर आयल तथा 3967 मीटरी टन बटर उपहार रूप में प्राप्त हुआ । तथापि, पुनर्मिश्रण कार्यों के लिए देश डेरी संयंत्रों द्वारा प्रयोग की गयी आयातित सप्रैटा दुग्ध चूर्ण और बटर आयल की सही मात्रा की जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

जल सप्लाई तथा मल निकास संस्थान में फार्मासिस्टों व डिस्पेंसरों के रिक्त पद

462. **श्री राम सिंह शाक्य** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जल सप्लाई तथा मल विकास संस्थान दिल्ली नगर निगम में फार्मासिस्टों व डिस्पेंसरों के कितने पद खाली पड़े हुए हैं;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ वर्ष पूर्व, फार्मासिस्टों व डिस्पेंसरों के रिक्त पद विभागीय ड्रेसरों की पदोन्नतियां करके भरे जाते थे, और यदि हां, तो इस बार भी फार्मासिस्टों एवं डिस्पेंसरों के पदों पर ड्रेसरों की नियुक्ति न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) फार्मासिस्टों व डिस्पेंसरों के कितने पद अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं और उन्हें भरने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली नगर निगम के दिल्ली जल प्रदाय एवं मल व्ययन संस्थान ने सूचित किया है कि इस संस्थान में कम्पाउंडर/फार्मेसिस्ट/डिस्पेंसरों के दो पद रिक्त हैं, इस समय ड्रेसर का कोई पद रिक्त नहीं है।

(ख) जैसा कि दिल्ली जल प्रदाय एवं मल व्ययन संस्थान ने सूचित किया है, कम्पाउंडर/फार्मेसिस्ट/डिस्पेंसर के पद के लिए वर्तमान भर्ती नियमों को अन्तिम रूप देने से पहले 1973 में एक ड्रेसर की पदोन्नति कर कम्पाउन्डर के एक पद को भरा गया था। कम्पाउन्डर/फार्मेसिस्ट/डिस्पेंसर तथा वितरक के लिए वर्त्तमान भर्ती नियमों में यह प्रावधान है कि यह पद सीधी भर्ती द्वारा भरा जाए।

(ग) संस्थान ने बताया है कि 40 प्वाइन्ट रोस्टर के अनुसार कम्पाउन्डर/फार्मेसिस्ट/डिस्पेंसर का एक पद और ड्रेसर का एक पद अनुसूचित जाति के उम्मीदवार को मिलना चाहिए, अनुसूचित जनजाति के लिए बनाया गया ड्रेसर का पद अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार से भरा गया है। कम्पाउन्डर/फार्मेसिस्ट/डिस्पेंसर के रिक्त पदों में से एक पद अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार द्वारा भरे जाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

सैक्टर XII, राम कृष्णपुरम के भूतल के फ्लैटों के लान का रखरखाव

463. **श्री रामलाल राही** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के बागवानी विभाग के कर्मचारी सैक्टर XII, राम कृष्णपुरम के भूतल के फ्लैटों के लान का रखरखाव तथा समय-समय पर बाढ़ काटने का काम नहीं करते और जबकि उसी सैक्टर में तथा उसी क्षेत्र में मिले-जुले टाइप के क्वार्टरों में भूतल के फ्लैटों के सम्बन्ध में उक्त कार्य करते हैं;

(ख) यदि हां, तो एक ही कालोनी में लान आदि के बारे में दो प्रकार का व्यवहार अपनाने के क्या कारण हैं;

(ग) राम कृष्णपुरम (सैक्टर XII) के पूछताछ कार्यालय में इस सम्बन्ध में कितनी शिकायतें की गईं; और

(घ) इस असंगति को दूर करने के लिए उनका क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (उद्यान विभाग) के कर्मचारीगण सैक्टर XII, रामकृष्ण पुरम, नई दिल्ली में 4 मंजिले (टाइप-iv) के क्वार्टरों सहित सभी क्वार्टरों क लान तथा बाड़ों के रख-रखाव का काम करते हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) औसतन 14 (चौदह) शिकायतें माह के दौरान प्राप्त होती हैं जिनको दूर किया जाता है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

"हुडको" योजना के फ्लैटों का आवंटन

464. श्री जैनुल बशर : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने "हुडको" पद्धति आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित फ्लैटों का आवंटन किया है;

(ख) यदि हां, तो आवंटित किये गये फ्लैटों का वर्गवार मूल्य क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि "हुडको" पद्धति के अन्तर्गत बहुत से फ्लैट निर्माणाधीन हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार उन्हें स्वाधीनता दिवस पर आवंटित करने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और आगामी ड्रा कब तक किये जाने की सम्भावना है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि रिहायशी एककों की बिक्री की लागत हर योजना में भिन्न-भिन्न है जो प्रत्येक के कुर्सी क्षेत्र तथा विशिष्टियों पर निर्भर करती हैं और रिहायशी एककों की अब तक निर्धारित की गई लागत इस प्रकार है :

मध्यम आय वर्ग—58,900 से 72,100 रुपये तक

निम्न आय वर्ग—32,200 से 42,800 रुपये तक

जनता— 10,700 से 25,200 रुपये तक

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि इस सम्बन्ध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की योजना पर विचार-विमर्श

465. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की योजना पर विचार करने के लिए दिनांक 25 अप्रैल, 1982 को एक बैठक हुई थी, जिसमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्रियों तथा दिल्ली के उप राज्यपाल ने भाग लिया था;

(ख) क्या वर्ष 1973 में अनुमोदित अन्तर्राज्यीय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना के अन्तर्गत 30,292 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र आता है और इसमें दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के दो जिले, हरियाणा के 3 जिले तथा राजस्थान की 5 तहसीलें शामिल हैं; और

(ग) यदि हां, तो जिन मामलों पर चर्चा की गई थी उनका ब्योरा क्या है तथा उक्त बैठक में क्या मतैक्य बना ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) उक्त बैठक 24 अप्रैल, 1982 को हुई थी ।

(ख) जी, हां ।

(ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए योजना बनाने तथा समन्वय तन्त्र की आवश्यकता पर केन्द्रीय निर्माण और आवास मंत्री तथा राज्यों के मुख्य मंत्रियों और दिल्ली के उप राज्यपाल के मध्य एक विस्तृत समझौता हुआ था ताकि एक सम्मत योजना के आधार पर इस क्षेत्र में सभी विकास कार्य का प्रभावी रूप से निरीक्षण किया जा सके । इस बैठक में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना की संकल्पना और विषय वस्तु के सम्बन्ध में और इस कार्यक्रम के लिए विशेष निधियों की आवश्यकता पर विचार विमर्श किया गया । इस बात को महत्वपूर्ण समझा गया कि इस क्षेत्र में उद्योग के लिये स्थान निर्धारण, बाढ़ नियंत्रण, यातायात तथा परिवहन और पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए एक समान नीति बनाई जानी आवश्यक है ।

नगर भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम के अधीन अब तक अधिगृहीत की गई भूमि

466. **श्री अशफाक हुसैन** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नगर भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम के अधीन देश के प्रत्येक राज्य और संघ प्रदेशों में अब तक कुल कितना भू-क्षेत्र अधिगृहीत किया गया है; और

(ख) किस विशेष प्रयोजन के लिये इस भूमि का उपयोग किया जा रहा है, उसका ब्योरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) नगर भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत राज्य सरकारों के पास

अर्जित तथा निहित रिक्त भूमि की सीमा अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार नीचे दी गई है :

	हैक्टयरों में
आन्ध्र प्रदेश	569.30
बिहार	15.16
गुजरात	64.27
कर्नाटक	729.32
मध्य प्रदेश	805.04
महाराष्ट्र	1195.00
उड़ीसा	8.80
राजस्थान	52.33
उत्तर प्रदेश	1161.81
पश्चिमी बंगाल	76.36
दिल्ली प्रशासन	21.20
योग	4698.59

(ख) राज्य सरकार, नगर भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा 23 में उल्लिखित उपबन्धों के अनुसार एवं क्षेत्र की वृहत योजना/क्षेत्रीय योजना में निर्धारित भू-उपयोग को ध्यान में रखते हुए अर्जित भूमि को बेचने के लिए सक्षम है ।

प्याज के निर्यात में एकाधिकार

467. **श्री के० राममूर्ति** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्याज के निर्यात के लिये एकाधिकार निर्यातकर्त्ता और एकाधिकारी आयातकर्त्ता के रूप में नेफेड ने 1981 में एक ठेका लिया है और क्या यह 1981 से पहले पालन की जा रही निर्यात नीति के विरुद्ध है; और

(ख) यदि हां, तो 1981 में निर्यात की एक नई नीति अपनाने के क्या कारण हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उपमंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) नाफेड ने एक मलेशियाई आयातक के साथ 16 मई, 1981 से 15 मई, 1982 की अवधि के दौरान "पहले आए पहले पाए" के आधार पर 50,000 मीटरी टन प्याज की सप्लाई के ठेके का करार किया था। इस ठेके में यह व्यवस्था थी कि निर्यात के 35 प्रतिशत के नौवहन की

व्यवस्था स्वयं नाफेड करेगा और शेष माल का नौवहन एक ऐसे सहयोगी पोतवणिक द्वारा किया जाना था जो उपरोक्त मलेशियाई खरीददार को हाल के वर्षों के दौरान नियमित रूप से प्याज का निर्यात कर रहा था। नाफेड द्वारा इस ठेके के बारे में करार किए जाने के कुछ दिन पश्चात, भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिए निर्यात की जाने वाली 2.25 लाख मीटरी टन की पूरी मात्रा का क्षेत्रवार निर्यात कोटा निर्धारित कर दिया, जिसमें मलेशिया और सिंगापुर के लिए केवल 50,000 मीटरी टन की मात्रा निर्धारित की गई थी। इसकी वजह से एकाधिकार की स्थिति बन गई, क्योंकि क्षेत्र विशेष के लिए निर्धारित की गई अधिकतम सीमा में से अन्य पार्टियों को निर्यात के लिये गुंजाइश नहीं रह गई थी।

(ख) नाफेड द्वारा इतने बड़े ठेके का करार प्याज के निर्यात को बढ़ाने की दृष्टि से किया गया था। नाफेड ने बताया है कि इस ठेके के बारे मे करार करते समय ऐसा कोई इरादा नहीं था कि किसी निर्यातक अथवा आयातक से करार करके एकाधिकार प्राप्त किया जाए।

सोवियत संघ को चावल का निर्यात

468. **श्री एस० ए० दोराई सेबस्तियन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता फेडरेशन वर्ष 1980-81 में सोवियत संघ को चावल निर्यात करने सम्बन्धी उत्तरदायित्व का निर्वाह नहीं कर सका है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) सोवियत संघ को चावल के निर्यात ठेके का क्या होगा ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उपमंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लि० ने "एक्सपोर्टखलेब" मास्को के साथ 26-11-1980 को वर्ष 1980-81 के दौरान सोवियत रूस को 25,000 से 50,000 मीटरी टन गैर-बासमती चावल सप्लाई करने के लिए एक ठेके पर हस्ताक्षर किए थे। क्योंकि यह ठेका सरकारी नीति का उल्लंघन था क्योंकि सरकारी नीति के अनुसार सरकार के आधार पर गैर-बासमती चावल के निर्यात को केवल भारतीय खाद्य निगम द्वारा ही हैंडल किया जाना था, इसलिए राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ को इस ठेके के अधीन चावल का निर्यात करने की अनुमति नहीं दी गई थी।

(ग) यह ठेका अब वैध नहीं है क्योंकि यह वर्ष 1980-81 में चावल का निर्यात करने से सम्बन्धित था।

गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ना

470. **श्री जायनल अबेदिन** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के सभी गावों को पक्की सड़कों से जोड़ने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) अब तक कितने गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ा गया है तथा उनका राज्यवार ब्योरा क्या है; और

(घ) 1982 में कितने गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ा जाएगा ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) व (ख) छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) प्रलेख में यह परिकल्पना की गई है कि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के भाग के रूप में 1500 से ऊपर की जनसंख्या वाले सभी गांवों तथा 1000 से 1500 की जनसंख्या वाले 50 प्रतिशत गांवों को 1990 तक सभी मौसमों में खुली रहने वाली सड़कों से जोड़ा जाएगा और इस प्रकार कार्यक्रम के अन्तर्गत लिए गए 50 प्रतिशत गांवों को 1985 तक जोड़े जाने का लक्ष्य है। राज्य क्षेत्र में इस प्रयोजन के लिए छठी योजना में 1165 करोड़ रुपए का परिव्यय सुलभ किया गया है।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत 1982-83 के दौरान 2410 गांवों को जोड़ा जाना है।

विवरण

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण सड़कें 31 मार्च, 1981 तक सभी मौसमों में खुली रहने वाली सड़कों से जोड़े गये गांवों का ब्योरा (अनन्तिम)

क्रम सं०	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	गांवों की कुल संख्या	31-3-1981 तक सभी मौसमों में खुली रहने वाली सड़कों से जोड़े गए गांवों की संख्या
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	27221	10627
2.	असम	22026	11136
3.	बिहार	67566	19094
4.	गुजरात	18275	8691
5.	हरियाणा	6741	6560
6.	हिमाचल प्रदेश	16916	2115

1	2	3	4
7.	जम्मू और काश्मीर	6503	3465
8.	कर्नाटक	26871	7448
9.	केरल	1268	1268
10.	मध्य प्रदेश	70883	14072
11.	महाराष्ट्र	36033	9554
12.	मणिपुर	2000	394*
13.	मेघालय	4583	2185
14.	नागालैंड	960	628
15.	उड़ीसा	54606	717
16.	पंजाब	12188	11997
17.	राजस्थान	33305	5287
18.	सिक्किम	434	161
19.	तमिलनाडु	23047	11530
20.	त्रिपुरा	4930	1250
21.	उत्तर प्रदेश	112561	9081
22.	पश्चिम बंगाल	38074	16870
	केन्द्र शासित क्षेत्र		
23.	अरुणाचल प्रदेश	3463	अप्राप्य
24.	अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	352	207
25.	चण्डीगढ़	26	26
26.	दादरा और नगर हवेली	72	55*
27.	दिल्ली	20	20
28.	गोवा, दमन और दीव	435	402
29.	लक्षद्वीप	अप्राप्य	अप्राप्य
30.	पाण्डिचेरी	333	286
31.	मिजोरम	237	40
		योग : 591929	155166

*31 मार्च, 1980 तक

मत्स्य-नौकायें

471. श्री वी० एस० विजयराघवन : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे देश के पास कुल कितनी मत्स्य नौकाएं हैं;

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ग) किन-किन राज्यों ने मत्स्य नौकाएं खरीदने का निर्णय लिया है; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने उन्हें मत्स्य नौकाएं खरीदने/भाड़े पर लेने के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामिनाथन्) : (क) स्वामित्व के आधार पर वाणिज्यिक क्षेत्र में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जलयानों (20 एम और इससे अधिक की लम्बाई) की संख्या 68 है और चार्टर आधार पर 15 विदेशी मत्स्यन जलयान हैं। इसके अतिरिक्त, समन्वेषी, प्रशिक्षण तथा प्रयोगात्मक मात्स्यकी कार्यों के लिए सरकार के पास 18 और जलयान हैं।

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जलयानों की संख्या को बढ़ाकर 350 तक करने का लक्ष्य रखा गया है। इसकी पूर्ति मत्स्यन जलयानों का आयात करके किराये पर लेकर तथा देश में विनिर्माण करके समुचित तरीके से किया जायेगा।

(ग) और (घ) आन्ध्र प्रदेश मात्स्यकी विकास निगम ने आन्ध्र प्रदेश सरकार के माध्यम से दो फैक्टरी ट्रालरों के आयात क लिए प्रार्थना पत्र भेजा है। उड़ीसा समुद्री और चिल्का क्षेत्र विकास निगम ने भी 2 श्रिम्प ट्रालरों के आयात के लि० प्रार्थना पत्र दिया है। तमिलनाडु सरकार ने 4 श्रिम्प ट्रालरों के आयात के लिए आशय पत्र जारी करने का अनुरोध किया है। उसके अतिरिक्त, उड़ीसा समुद्री और चिल्का क्षेत्र विकास निगम, आन्ध्र प्रदेश मात्स्यकी विकास निगम, केरल मात्स्यकी निगम तथा गुजरात कृषि समुद्री उत्पाद लिमिटेड कुल 35 विदेशी मत्स्यन जलयान चार्टर करने के आशय पत्र मंजूर कर दिये गये हैं जिनके तहत मत्स्यन जलयान खरीद करने का दायित्व उनका ही बनता है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सहकारी बैंकों को दिये गये ऋण

472. श्री रेणुपद दास : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष 1980 से अल्प और मध्यम अवधि के कृषि ऋणों के प्रयोजनार्थ सहकारी बैंकों को दिये गये ऋणों का ब्यौरा क्या है; और तत्सम्बन्धी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) सहकारी, वित्तीय संस्थाओं द्वारा की गई वसूली कितनी है और तत्सम्बन्धी राज्य-वार ब्योरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामिनाथन्) : ब्योरा बताने वाला एक विवरण अनुबन्ध-1 में दिया गया है।

(ख) सहकारी संस्थाओं द्वारा की गई वसूली को प्रदर्शित करने वाला एक विवरण अनुबंध-2 में दिया गया है।

[प्रथालय में रखे गये —देखिए संख्या एल० टी० 4217/82]

खाद्य तेलों का आयात

473. श्री राम प्यारे पनिका : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार खाद्य तेल आयात करने का है;

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा का आयात करने का प्रस्ताव है, और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार खाद्य तेल के उत्पादन में वृद्धि के लिए कोई कदम उठाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री मोहम्मद उसमान आरिफ) : (क) से (ख) पिछले कुछ वर्षों के दौरान, देश में खाद्य तेलों की कुल मांग और देश में उनके उत्पादन के बीच काफी अन्तर रहा है। इस अन्तर को पूरा करने की दृष्टि से, जहां तक व्यवहार्य है, सरकार भारतीय राज्य व्यापार निगम के माध्यम से सरकार की ओर से खाद्य तेलों का आयात कर रही है। आयात की जाने वाली मात्रा, देश में कुल मांग के अनुमान देशीय स्रोतों से मिलने वाले खाद्य तेलों की सम्भावना, देश में तथा अन्तर्राष्ट्रीय मंडियों में मूल्यों के रुख और इस प्रकार के अन्य कारणों पर निर्भर करती है।

(ग) व (घ) जी हां। निम्नलिखित प्रमुख कदम उठाये गये हैं :

(1) तिलहनों और तेल के उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कई स्कीमें आरम्भ की गई हैं।

(2) सोयाबीन के संसाधन के लिए सुविधाओं की व्यवस्था करने और आदिवासी क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए वृक्ष तथा वन मूल के तिलहनों के विकास और संसाधन के लिए भी दो योजनाएं आरम्भ की गई है।

(3) आधुनिक तेल काम्पलेक्सों की स्थापना करने की योजनाएं।

(4) चावल की भूसी के तेल, विशेष रूप से खाद्य ग्रेड के चावल की भूसी के तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिए कदम उठाना।

(5) इन योजनाओं के अलावा, तिलहनों और तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिए उपयुक्त भंडारण नियंत्रण आदेशों और अन्य कानूनों के प्रवर्तन से सम्बन्धित कानूनों के अन्तर्गत विभिन्न नियामक उपाय किये गये हैं।

देश में दूध का उत्पादन

474. **श्री लहना सिंह डूर :**
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

क्या कृषि मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 1970 और 1981 में राज्यवार दूध का कितना उत्पादन होता था और यदि इसमें कमी आयी हो तो उसके क्या कारण हैं;

(ख) वर्ष 1970 और 1981 में आपरेशन फलड-1 के अन्तर्गत राज्यवार मूल आवंटन कितना था;

(ग) क्या आपरेशन फलड-1 के अन्तर्गत किये गये व्यय के अनुसार दूध के उत्पादन में वृद्धि हुई है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार वर्ष 1970 और 1981 में आपरेशन फलड-1 और गैर आपरेशन फलड-1 जिलों के दूध उत्पादन के आंकड़ों को संकलित कर पायेगी ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामिनाथन्) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

शहरी क्षेत्रों में गन्दी बस्तियों की सफाई

475. **श्री रामस्वरूप राम** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शहरी क्षेत्रों में गन्दी बस्तियों की सफाई के लिए तथा शहर में रहने वाले गरीब लोगों को आवासीय सुविधा प्रदान करने के लिए चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन से कार्यक्रम तैयार किए गए हैं; और

(ख) इस दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) यह अनुमान है कि 1985 तक गन्दी बस्तियों में लगभग 331 लाख लोग रह रहे होंगे जिनमें से 68 लाख लोगों को मार्च 1980 तक मूल-भूत सुविधायें प्रदान की गई थीं। एक करोड़ गन्दी बस्ती के लोगों के लाभार्थ 151.45 करोड़ रुपये के परिव्यय से सामुदायिक पेयजल पूर्ति, नालियां, सड़कें बत्तियां, खड़ंजे बिछी हुई सड़कें और सामुदायिक शौचालय आदि जैसी मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था की जाय। अनुमान है कि चालू योजना के प्रथम दो वर्षों में लगभग 128 लाख लोगों को सुविधायें प्रदान की गई।

जहां तक शहरी गरीबों के लिए आवास का सम्बन्ध है छठी योजना में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए 485 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश से 16.2 लाख विकासित वास स्थलों को बनाने का प्रस्ताव है। उपलब्धियों का विस्तृत ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

आवास तथा नगर विकास निगम भी, जोकि भारत सरकार का एक उपक्रम है, गरीबों के लिए मकानों के बनाने को प्रोत्साहन देता आ रहा है। हुडको चालू योजना अवधि में विभिन्न आवास कार्यक्रमों में आवास अभिकरणों को 600 करोड़ रुपये ऋण के रूप में देगा। जिसमें से 55 प्रतिशत राशि निम्न आय वर्गों तथा समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए होगी। 31 मई, 1982 तक हुडको ने आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों और निम्न आय वर्गों को क्रमशः 813130 और 193522 रिहायशी एककों के निर्माण के लिए ऋण की मंजूरी दी है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बारे में संसद सदस्यों के पत्र

476. श्री सूर्य नारायण सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बारे में दस संसद सदस्यों ने सरकार को पत्र लिखे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूर्ण ब्यौरा तथा इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामिनाथन्) : (क) जी हां, श्रीमान। यह एक तथ्य है कि 10 संसद सदस्यों ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के डा० वाई० पी० गुप्ता, जैव-रसायन विज्ञानी को दण्डित करने के सम्बन्ध में आरोप लगाते हुए प्रधान मंत्री को पत्र लिखा था। जिसमें उन्हें पांच वर्ष के कार्य के मूल्यांकन के आधार पर पदोन्नति देने से इन्कार करना, तलवार समिति का गठन और दो अन्य वैज्ञानिकों के प्रति पक्षपात करने की बात लिखी गयी थी।

(ख) इस पत्र में उठाये गये विभिन्न मुद्दों पर की गई कार्यवाही को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1. पृष्ठभूमि

डा० एम० एस० स्वामिनाथन् के गेहूं की शर्बती सोनोरा किस्म में लाईसीन की मात्रा से सम्बन्धित दावा के विषय में की गयी शिकायत की जांच भारत के अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश डा० पी० बी० गजेन्द्र गडकर की अध्यक्षता में गठित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जांच समिति द्वारा गहराई से की गयी थी। समिति ने यह पाया कि सोनोरा-64 और कल्याण सोना से शर्बती सोनोरा स्पष्ट रूप से प्रोटीन की मात्रा में श्रेष्ठ थी लेकिन सम्भवतः लाईसीन की मात्रा में श्रेष्ठ नहीं पाई गयी। लोक सभा/राज्य सभा में 12-11-1973 को गजेन्द्र गडकर समिति की रिपोर्ट पर अपने वक्तव्य में उस समय के कृषि राज्य मन्त्री ने यह स्पष्ट किया था कि शर्बती सोनोरा में लाईसीन की मात्रा के बारे में की गयी शिकायत को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक के नोटिस में चार वर्षों—1972 तक, नहीं लाया गया था और इस तरह समिति लाईसिन की मात्रा के बारे में तथ्यों का पता नहीं लगा पायी क्योंकि राष्ट्रीय पोषण संस्थान के निदेशक ने उसे अपने पास दबा रखा था।

2. वण्डित करना

यह अभियोग कि, डा० गजेन्द्र गडकर समिति की रिपोर्ट को कार्यान्वित नहीं किया गया है और डा० गुप्ता विभिन्न प्रकार की सुविधाओं से वंचित रहे और उन्हें बराबर तकलीफ उठानी पड़ी है, सही नहीं है। जैसाकि ऊपर बताया गया है उस समय के कृषि राज्यमंत्री ने 12-11-1975 को लोकसभा/राज्य सभा में दिये गये अपने वक्तव्य में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जांच समिति की सिफारिशों के अनुसार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पुनर्गठन पर सरकार के निर्णय से सम्बन्धित जानकारी दी।

3. डा० गुप्ता को पदोन्नति के लिए पंचवर्षीय मूल्यांकन से इन्कार करना

डा० गुप्ता एक सरकारी नौकर बने रहे और उन्होंने परिषद की सेवा को स्वीकार नहीं किया है। पंचवर्षीय मूल्यांकन का लाभ उन्हीं को दिया जाता है जिन्होंने परिषद की सेवा स्वीकार कर ली है और जिन्हें कृषि अनुसंधान सेवा में शामिल कर लिया गया है। इसलिए, डा० गुप्ता के मूल्यांकन न होने का दोष उन्हीं का है।

4. जैव-रसायन प्रभाग से डा० गुप्ता का स्थानान्तरण

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के जैव-रसायन प्रभाग के अध्यक्ष डा० जी० पी० तलवार की अध्यक्षता में 22-3-1979 को गठित की गयी स्वतंत्र जांच समिति की चर्चा का एक विषय जैव-रसायन प्रभाग के वैज्ञानिकों की शिकायत थी। दिनांक 26-8-1980 को प्रस्तुत की गयी अपनी रिपोर्ट में समिति ने यह पाया कि डा० गुप्ता को जिन कठिनाइयों का सामना करना

पड़ा यह विशेषरूप से उन्हीं के समक्ष नहीं थी बल्कि उस प्रभाग के अन्य वैज्ञानिकों को भी उन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। डा० गुप्ता द्वारा व्यक्ति विशेष और संस्था के विषय में की गयी अधिकांश विशिष्ट शिकायतें उचित नहीं पायी गयी और समिति ने यह रिपोर्ट दी कि वर्षों तक उनका आचरण एक वैज्ञानिक की तरह नहीं रहा। समिति ने यह पाया कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक ने हाल ही में नियमों की अवहेलना करके डा० गुप्ता की मांग को पूरा किया था और उपकरणों की आपूर्ति तथा उनकी अन्य मांगों को पूरा करने के लिए सही प्रयास किया गया था लेकिन उनका व्यवहार सहयोगपूर्ण नहीं रहा। इसलिए, समिति ने उनके स्थानान्तरण के लिए सिफारिश की थी लेकिन यह स्थानान्तरण जैव-रसायन प्रभाग से अन्य प्रभाग में कर दिया गया ताकि उन्हें अधिक सुविधाजनक वातावरण उपलब्ध हो सके। इसलिए समिति ने उनके जैव-रसायन प्रभाग से स्थानान्तरण की सिफारिश की ताकि उन्हें अधिक सुविधाजनक वातावरण उपलब्ध कराया जाय।

5. तलवार समिति—एक धोखा

डा० जी० पी० गजेन्द्र गडकर की अध्यक्षता में गठित समिति में प्रो० टी० ए० वेंकटा-सुब्रमनियन, डा० पी० एन० भार्गवा, डा० आई० एस० भाटिया शामिल थे जो एक स्वतंत्र जांच समिति थी। समिति के गठन के सम्बन्ध में डा० गुप्ता का परोक्ष रूप से प्रवेश करना सही नहीं है। डा० गुप्ता जो शुरू में इस समिति को सहयोग नहीं दे रहे थे, इस समिति में आना आरम्भ किया और जनवरी और अप्रैल, 1980 में इसकी बैठक में भाग भी लिया और समिति द्वारा मांगी गई सूचना के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण दिया।

6. डा० एम० एस० नाइक और डा० एस० एल० मेहता के प्रति पक्षपात

डा० गुप्ता ने डा० एम० एस० नाइक और डा० एस० एम० मेहता के जैव-रसायन प्रभाग के अध्यक्ष तथा वरिष्ठ जैव-रसायन विज्ञानी के रूप में किये गये चयन के विरुद्ध गजेन्द्र गडकर समिति के सामने शिकायत नहीं की थी। विभिन्न पदों का चयन विधिवत रूप से गठित की गयी चयन समिति, योग्यता, अनुभव, सर्विस रेकार्ड और विभिन्न आवेदकों के कार्यों के आधार पर किया जाता है न कि केवल वरिष्ठता के आधार पर किया जाता है।

डा० एम० एस० नाइक को दिए गए रफी अहमद किदवई पुरस्कार से संबंधित डा० गुप्ता की शिकायत न्यायोचित नहीं थी। यह पुरस्कार डा० एम० एस० नाइक को निर्णायक समिति की सिफारिश पर दिया गया था जिसमें प्रतिष्ठित वैज्ञानिक शामिल थे और ऐसा परिषद के शासी निकाय तथा उस समय के राज्य कृषि मन्त्री के अनुमोदन से किया गया था। यह पुरस्कार डा० नाइक के उत्कृष्ट वैज्ञानिक कार्य पर दिया गया था। इस पुरस्कार को असंगत कारणों से रोका नहीं जा सकता।

डा० गुप्ता, डा० मेहता के वरिष्ठ जैव-रसायन विज्ञानी के रूप में चयन और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के पोस्ट ग्रेजुएट स्कूल के संकाय में, भारत के उच्चतम न्यायालय और दिल्ली के हाईकोर्ट में अपनी सदस्यता के जारी रहने के कारण उत्तेजित हुए हैं; उनकी 1977 की रिव्यू पीटिशन संख्या 71 अभी भी भारत के उच्चतम न्यायालय में कार्रवाई के लिए पड़ी है।

7. आत्महत्या

सन् 1960 से 1980 तक आत्महत्या के पांच मामले सामने आए हैं। डा० एम० टी० जोसफ, 1960 में और डा० वी० एम० शाह, 1972 में उच्च पद पर चयन न होने के कारण आत्महत्या की थी। डा० एस० एस० बतरा, जिसने 28-3-1970 को आत्महत्या की थी, उनका शरीर एक दीवार से लटका हुआ पाया गया था जिससे यह साबित नहीं हो पाया कि क्या यह मामला आत्महत्या का था ? कुमारी के० ज्योति ने 17-5-1975 को आत्महत्या की थी और डा० एस० बी० राघवन ने 15-10-1980 को आत्महत्या की थी। इन दोनों व्यक्तियों द्वारा आत्महत्या से सम्बन्धित कोई नोट नहीं पाया गया था, इस तरह यह आत्महत्या उनके कार्यालय की जीवन-वृत्ति से सम्बन्धित नहीं थी बल्कि निजी उद्देश्यों से की गयी थी।

जम्मू रेलवे स्टेशन पर खाद्यान्न का खराब होना

477. **श्री जगपाल सिंह :**
श्री राजेश कुमार सिंह :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा जम्मू और कश्मीर राज्य में एक करोड़ रुपये मूल्य का लाया गया चावल और गेहूं सहित खाद्यान्न जम्मू रेलवे-स्टेशन पर हाल में खराब हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में उपमन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) यह सही है कि अप्रल, 1982 में भारतीय खाद्य निगम के खाते पर रेलवे द्वारा जम्मू रेलवे स्टेशन पर बुक किए गए और उतारे गए गेहूं और चावल के कुछ प्रेषण वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त हो गए थे लेकिन यह क्षति केवल 50,261 रुपये तक ही सीमित थी और न कि एक करोड़ रुपये की क्षति हुई थी।

(ख) भारतीय खाद्य निगम के अनुसार, जम्मू में भारतीय खाद्य निगम के भण्डारण काम्प-लेक्स में रेलवे साइडिंग उपलब्ध होने के बावजूद रेलवे ने 20-4-82 से 24-4-82 की अवधि के दौरान जम्मू रेलवे स्टेशन पर खाद्यान्नों से लदे लगभग 92 वैगनों से अन्शत: ढके हुए शेड़ों में और अंशत: खुले में खाद्यान्न उतारे थे। 24-4-82 और उसके बाद भारी वर्षा होने के कारण, 16,000 बोरे (4,000 बोरे चावल के और 12,000 बोरे गेहूं के) वर्षा में पड़े रहे थे। भारतीय खाद्य निगम ने इस मामले को रेलवे के साथ तुरन्त उठाया था और रेलवे ने प्रभावित स्टाक का जायजा लिया था और रेलवे द्वारा जायजा लेने के बाद भारतीय खाद्य निगम ने इस स्टाक की

सुपुर्दगी ली थी। क्षतिग्रस्त स्टाक, जिसमें 24,251 रुपये के मूल्य का 138.58 क्विंटल चावल और 26,010 रुपये के मूल्य का 167.18 क्विंटल गेहूं शामिल है, को अलग कर लिया गया है और ठीक गेहूं निकाल लिया गया है।

(ग) जैसा कि ऊपर उत्तर के भाग (ख) में उल्लेख किया गया है, भारतीय खाद्य निगम ने रेलवे द्वारा क्षति का जायजा लेने के बाद ही खाद्यान्नों की सुपुर्दगी ली थी ताकि नियमानुसार यथाशीघ्र रेलवे से उसके लिए मुआवजे के लिए दावा किया जा सके।

चीनी का रक्षित भंडार

478. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार के पास चीनी का 11 लाख टन का रक्षित-भंडार स्थापित करने का एक प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार ने इसकी स्थापना के लिए कोई कार्यवाही की है;

(ग) क्या सरकार इस वर्ष के रिकार्ड चीनी उत्पादन को ध्यान में रखते हुए शीघ्र कार्यवाही करेगी;

(घ) ऐसे रक्षित भंडार की स्थापना के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(ङ) वर्ष 1981 में चीनी का आयात करने पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में उपमन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) सरकार ने 5 लाख मीटरी टन चीनी का बफर स्टाक तैयार करने के बारे में सिद्धान्त रूप में निर्णय ले लिया है।

(ख) और (ग) बफर स्टाक तैयार करने और उसके परिचालन से सम्बन्धित तौर-तरीकों की जांच की गई है और आशा है कि इस सम्बन्ध में निकट भविष्य में निर्णय ले लिया जाएगा।

(घ) ठीक-ठीक धनराशि की गणना करना सरकार द्वारा तौर-तरीकों और परिचालन से सम्बन्धित निर्णय लेने के बाद ही सम्भव हो पाएगा।

(ङ) चीनी वर्ष 1980-81 में 2.14 लाख मीटरी टन चीनी का आयात करने के लिए विदेशी मुद्रा में लगभग 102 करोड़ रुपये अपेक्षित थे।

खाद्य तथा कृषि संगठन की बैठक के सम्बन्ध में अधिकारियों द्वारा विदेशों का दौरा

479. **श्री कमला मिश्र मधुकर** :
श्री पी० के० कोडियन।
श्री बी० डी० सिंह :
श्रीमती किशोरी सिन्हा :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन अधिकारियों का पूरा ब्यौरा और नाम क्या हैं जो जकार्ता में खाद्य तथा कृषि संगठन की बैठक, भारतीय-अमरीकी कृषि आयोग और मेक्सिको के लिए मिशन के सम्बन्ध में विदेशों में गए हुए थे (दि०, 3-6-82);

(ख) क्या डी० ए० आर० ई०, आई० सी० ए० आर०, कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण विभागों के कोई अन्य अधिकारी स्वीडेन, यमन आदि के दौरों पर थे और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) 1-6-1982 को मुख्यालय से कितने वरिष्ठ अधिकारी (उप-सचिव के पद के तथा उससे ऊपर के पदों में) अनुपस्थित थे; और

(घ) इस मामले में क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है/करने का विचार है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामिनाथन्) : (क) एक विवरण अनुबंध-1 में दिया गया है।

[ग्रंथालय में रखा गया—देखिए संख्या एल० टी० 4218/82]

(ख) जी हां। एक विवरण अनुबंध-2 में दिया गया है।

[ग्रंथालय में रखा गया—देखिए संख्या एल० टी० 4218/82]

(ग) कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्रालयों से 1-6-1982 को उप सचिव और इससे उच्च पद वाले 15 अधिकारी विदेशी ड्यूटी पर प्रतिनियुक्ति पर थे।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता।

कृषि मूल्य आयोग को शुष्क खेती क्षेत्र का प्रतिनिधित्व

480. **श्री उत्तम राठौर** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कृषि मूल्य आयोग को उदार करने की मांग है और शुष्क खेती क्षेत्रों के एक प्रतिनिधि को भी प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामिनाथन्) : (क) तथा (ख) जी, हां। कृषि मूल्य आयोग में विभिन्न क्षेत्रों और हितों का प्रतिनिधित्व जिनमें बारानी खेती वाले क्षेत्र भी शामिल हैं, प्रदान करते हुए इसके ढांचे में तबदीली करने के लिए समय-समय पर मांग की जाती रही है। राष्ट्रीय कृषि आयोग और सरकार द्वारा इस प्रश्न की जांच की गई है। कृषि मूल्य आयोग के वर्तमान घटक की व्यवस्था में पहले से ही किसानों के हितों को प्रतिनिधित्व मिला हुआ है अतः इसमें किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।

एशियाई खेलों के दौरान आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता

481. श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :
श्री मगन भाई बरोट :

क्या नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में एशियाई खेलों के दौरान आवश्यक वस्तुओं और उपभोक्ता सामग्रियों की कमी न होने देने के लिये आवश्यक कार्यवाही की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

कृषि तथा नागरिक पूर्ति मन्त्रालयों में उपमन्त्री (श्री मोहम्मद उसमान आरिफ) : (क) व (ख) दिल्ली में उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने की दृष्टि से दिल्ली प्रशासन विभिन्न संगठनों से, जिनमें डबलरोटी, मक्खन आदि जैसी उपभोज्य वस्तुओं के उत्पादक भी शामिल हैं, संपर्क बनाये हुए हैं। उनके द्वारा इस विषय की निरन्तर पुनरीक्षा की जा रही है, ताकि एशियाई खेलों की अवधि के दौरान कोई कमी न हो तथा कीमतों पर काबू रहे।

वन सुरक्षा अधिनियम 1980 की तुलना में उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों में निर्माण कार्य

482. श्री हरीश रावत : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय को मालूम है कि उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों में वन सुरक्षा अधिनियम 1980 में रखे गए प्रावधानों के अन्तर्गत आने वाले प्रतिबन्धों के कारण अनेक निर्माण कार्य शुरू नहीं किये जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे कुल कितने प्रस्तावित निर्माण कार्य है जिन्हें राज्य सरकार शुरू करना चाहती है और जिसके प्रस्ताव केन्द्र को अपेक्षित मंजूरी के लिए उनसे प्राप्त हुए हैं और तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामिनाथन्) : (क) इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत निर्धारित कार्यविधि के अनुसार 30-6-82 तक उत्तर प्रदेश सरकार से कुल 25 मामले प्राप्त हुए थे तथा इनमें से 14 मामलों को निपटा दिया गया है। लम्बित पड़े मामलों की सूची संलग्न विवरण में है।

विवरण

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत उत्तर प्रदेश सरकार से 30-6-1982 तक प्राप्त प्रस्तावों की सूची जो केन्द्र सरकार के पास निपटाने के लिए लम्बित पड़े हैं।

क्र० सं०	क्षेत्र हैक्टार में	स्थान	वनों की कटाई का उद्देश्य	प्राप्ति की तारीख	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	202.400	नैनीताल जिला	कागज की एक मिल की स्थापना के लिए	18-3-82	राज्य सरकार से कुछ स्पष्टीकरण लेने के लिए लम्बित
2.	42.000	टेहरी गढ़वाल	टेहरी बांध के बनने से हटाये गये लोगों के लिए एक नये कस्बे की स्थापना के लिए	2-6-82	प्रस्ताव पर कारंवाई की जा रही है।
3.	0.020	उत्तर काशी जिला	मनेरी भल्लाई परियोजना चरण-2 द्वारा एक्सप्लोजिव मैगजीन के निर्माण के लिए	8-6-82	प्रस्ताव पर कारंवाई की जा रही है।
4.	0.500	देहरादून जिला	संसारखाला फीडर नहर परियोजना के निर्माण के लिए	8-6-82	प्रस्ताव पर कारंवाई की जा रही है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.	0.294	अल्मोड़ा जिला	सिंचाई नहर के निर्माण के लिए	15-6-82	प्रस्ताव पर कार्रवाई की जा रही है।
6.	0.027	देहरादून जिला	पीने के पानी की सप्लाई के लिए पाइपलाइन बिछाने के लिए	15-6-82	प्रस्ताव पर कार्रवाई की जा रही है।
7.	12.000	देहरादून जिला	132 के वी ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए	22-6-82	प्रस्ताव पर कार्रवाई की जा रही है।
8.	53.050	मिर्जापुर जिला	रेणुसागर से रेणुकूट तक 132 के वी ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए	23-6-82	प्रस्ताव पर कार्रवाई की जा रही है।
9.	2.000	अल्मोड़ा जिला	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के निर्माण के लिए	24-6 82	प्रस्ताव पर कार्रवाई की जा रही है।
10.	1.410	नैनीताल जिला	सिंचाई नहर के निर्माण के लिए	24-6-82	प्रस्ताव पर कार्रवाई की जा रही है।
11.	0.300	उत्तरकाशी जिला	सिंचाई नहर के निर्माण के लिए	24-6-82	प्रस्ताव पर कार्रवाई की जा रही है।

कृषि विश्वविद्यालयों की असन्तोषजनक प्रगति

483. श्री एच०, एन० मन्जे गौडा : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालयों में अन्दरूनी लड़ाई-झगड़े, कदाचार और अनियमितताओं के कारण हमारे कृषि विश्वविद्यालयों की प्रगति असंतोषजनक रही है;

(ख) क्या कृषि विश्वविद्यालय उन मानदण्डों और निदेशों का पालन नहीं कर रहे जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित किए गए हैं;

(ग) कृषि-विश्वविद्यालयों में अनियमितताओं और कदाचारी पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं; और

(घ) उन विश्वविद्यालयों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानदण्डों और निदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामिनाथन्) : (क) कृषि विश्वविद्यालय स्वशासी निकाय हैं जो उनके अपने नियमों और विधानों के अनुसार, संबंधित राज्य सरकारों के अन्तर्गत कार्य कर रहे हैं। इन विश्वविद्यालयों की निरीक्षण करने के अधिकार कुलपति, जो संबंधित राज्य का राज्यपाल होता है, के पास निहित है। इन सभी विश्वविद्यालयों में समान रूप से प्रगति नहीं होती परन्तु भारत सरकार के पास कोई प्रमाण नहीं है कि उनसे इन विश्वविद्यालयों में अन्त:कलह या कदाचार या अनियमितताओं के कारण असंतोषजनक प्रगति पर सुझाव देने के लिए कहा गया हो।

हाल ही में भारत सरकार/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने भारत में कृषि विश्वविद्यालयों के उत्थान और विकास का गहराई से मूल्यांकन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति, जिसे रंधावा समिति के नाम से अच्छी तरह जाना जाता है, की नियुक्ति कृषि विश्वविद्यालयों हेतु की। समिति ने अपनी रिपोर्ट (1978) की उपसंहार टिप्पणी में यह कहा है कि कृषि विश्वविद्यालय अति प्रवर्तक परिवर्तनशील और वास्तविक विकासपूरक संस्थान हैं, जिन्होंने कृषि विकास और ग्रामीण भारत के कल्याण के लिए भारी काम और सहयोग किया है।

(ख) कृषि विश्वविद्यालयों के अभिशासन के लिए भारत सरकार/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने एक आदर्श कानून बनाया है जिससे इन विश्वविद्यालयों के प्रशासन और संगठन हेतु नीति निर्देश मिलते हैं। फिर भी, इस आदर्श कानून को अपनाने की सीमा अलग-अलग विश्वविद्यालयों में भिन्न-भिन्न है। अधिकतर कृषि विश्वविद्यालयों/राज्य सरकारों ने अपने कानून और विधानों में इस आदर्श कानून के मुख्य प्रावधान सम्मिलित कर लिए हैं और लागू कर दिये हैं, उदाहरण के लिए राज्य भर में कृषि शिक्षा और अनुसंधान के दायित्व का कृषि विश्वविद्यालयों को हस्तान्तरण और शिक्षण, अनुसंधान और विस्तार शिक्षा का समन्वयन। फिर भी, कुछ कृषि विश्व-

विद्यालयों ने आदर्श कानून के कुछ प्रावधानों का अभी तक पालन नहीं किया है। इन प्रावधानों में उप-कुलपति के चयन की प्रक्रिया, प्रबन्ध मण्डल का गठन, प्रबन्ध मंडल में भा० कृ० अ० प० को एक प्रतिनिधि सम्मिलित करना आदि है।

(ग) जैसा कि ऊपर कहा गया है ये विश्वविद्यालय संबंधित राज्य विधान मण्डलों द्वारा पारित उनके अपने कानून और विधान द्वारा शासित होते हैं। यदि कोई अनियमितताएं या कदाचार हैं तो उनकी जांच करवाना संबंधित राज्य सरकार या विश्वविद्यालय के कुलपति का विषय है।

(घ) कृषि विश्वविद्यालयों के कार्यों के पर्यवेक्षण करने का सरकार के पास कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। फिर भी जब कोई अनियमितता, कदाचार आदि का मामला सरकार/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सामने लाया जाता है तो उस पर आगे की कार्यवाही करने के लिए संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति और संबंधित राज्य सरकार को कहा जाता है।

एशियाई खेलों के लिए निर्माणाधीन परियोजनाएं

484. श्री कुसुम कृष्णमूर्ति : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय की उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जो दिल्ली में होने वाले एशियाई खेलों के सम्बन्ध में निर्माणाधीन हैं अथवा जिनका निर्माण कार्य पूरा हो गया है; और

(ख) क्या एशियाई खेलों के लिए सभी परियोजनाओं के समय पर पूरे हो जाने की सम्भावना है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) नवम्बर, 1982 में होने वाले एशियाई खेलों के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग और दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित स्टेडियमों आदि का निर्माण/नवीकरण किया जा रहा है :

निर्माण करने वाली एजेन्सी	स्टेडियम का नाम
केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग	(i) लोधी रोड़, नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम (मुख्य खेलकूद स्टेडियम)
	(ii) राष्ट्रीय स्टेडियम का आधुनिकीकरण।
	(iii) हौज खास, नई दिल्ली में टैनिस स्टेडियम।
	(iv) प्रगति मैदान में राज्य प्रदर्शनी परिसर में खेल कक्ष।

दिल्ली विकास प्राधिकरण

(v) आई० पी० एस्टेट, नई दिल्ली में इन्डोर स्टेडियम ।

(vi) आई० पी० एस्टेट, नई दिल्ली में साईकल वैलोड्रोम ।

(vii) तुगलकाबाद, नई दिल्ली में चांदमारी ।

(viii) सीरी फोर्ट, नई दिल्ली में एशियाई खेल गांव परिसर ।

(ख) जी, हां ।

विलम्बित पेराई प्रोत्साहन के रूप में चीनी मिलों को आर्थिक सहायता

485. **श्री शिव कुमार सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981-82 के दौरान विलम्बित पेराई प्रोत्साहन के रूप में चीनी मिलों को कितनी धनराशि दी गई;

(ख) इस योजना के अन्तर्गत किसानों को कितनी धनराशि मिली; और

(ग) क्या इस योजना के अन्तर्गत चीनी मिलों ने पेराई मौसम समाप्त होने तक काम किया ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में उपमंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) पहली मई, 1982 से 30 सितम्बर, 1982 तक उत्पादित चीनी के लिए उत्पादन शुल्क में रिबेट के रूप में अधिक अवधि तक पेराई कार्य जारी रखने के लिए प्रोत्साहन दिया गया है जो कि पिछले तीन चीनी वर्षों की उसी अवधि के औसत उत्पादन से अधिक है। खुली बिक्री की चीनी के लिए रिबेट की दर 40 रुपये प्रति क्विंटल (35 प्रतिशत) और लेवी चीनी के लिए 24.50 रुपये प्रति क्विंटल (65 प्रतिशत), औसतन 29.93 रुपये प्रति क्विंटल है। प्रत्येक चीनी मिल का कुल प्रोत्साहन, पहली मई से 30 सितम्बर तक की अवधि के दौरान पिछले तीन वर्षों की औसत से इसके अधिक उत्पादन पर निर्भर करेगा ।

(ख) इस योजना में किसानों को कोई प्रत्यक्ष प्रोत्साहन देने की परिकल्पना नहीं की गई है। फैक्ट्रियों को प्रोत्साहन मिलने पर भी उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से लाभ होगा, इसके बावजूद कि फैक्ट्रियां मौसम के गर्मी के महीनों में पेराई कार्य जारी नहीं रखेंगी और उससे चालू मौसम के दौरान गन्ने के रिकार्ड उत्पादन को पा लेंगी ।

(ग) चालू मौसम 30 सितम्बर, 1982 को समाप्त होता है। विभिन्न मिलें गन्ने की उपलब्धता के आधार पर मौसम की भिन्न-भिन्न तारीखों तक काम करती हैं। 17 जुलाई, 1982

को 55 मिलें काम कर रही हैं। यह ठीक-ठीक बताना सम्भव नहीं हैं कि इनमें से कितनी फैक्ट्रियां उत्पादन शुल्क में अनुमत रिबेट के कारण इस तारीख तक काम कर रही हैं। तथापि, नीचे दी गई तालिका से यह प्रकट होता है कि प्रोत्साहन के फलस्वरूप, चालू वर्ष के गर्मी के महीनों के दौरान काम कर रही फैक्ट्रियों की संख्या पिछले तीन वर्षों के मुकाबले में काफी अधिक हैं :

वर्ष	7 जुलाई को काम कर रही फैक्ट्रियों की संख्या
1978-79	8
1979-80	4
1980-81	5
1981-82	55

प्याज के निर्यात के मामले में भेदभाव

486. **श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी :**
श्रीमती किशोरी सिन्हा :
श्री के० टी० कोसलराम :
श्री के० राममूर्ति :
श्री एस० ए० दोराई सेवस्तियन :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मलयेशिया और सिंगापुर के आयातकर्त्ताओं ने हाल ही में भारत से प्याज के निर्यात के मामले में भेदभाव के विरुद्ध सरकार से विरोध प्रकट किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उपमन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) तथा (ख) प्याज तथा आलू आयातक संघ, मलेशिया तथा सिंगापुर प्याज आयातक सिंगापुर ने सरकार को अभ्यावेदन भेजे हैं, जिनमें उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है कि भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लि० ने 1982-83 के दौरान 50,000 मीटरी टन प्याज के निर्यात के लिए मलेशिया की एक ही फर्म के साथ करार पर हस्ताक्षर किये हैं, जो भारत सरकार की वर्तमान नीति के अनुरूप नहीं हैं। उन्होंने अपने अभ्यावेदन में कहा है कि प्याज के परम्परागत आयातक होने के नाते उनके सदस्यों के नाम नाफेड की नामावली में हैं, लेकिन नाफेड के प्याज के निर्यात

की संभाव्यता के बारे में उन्हें सूचित नहीं किया। अतः उन्होंने अनुरोध किया है कि 1982-83 के दौरान, 50,000 मीटरी टन प्याज के निर्यात के लिए नाफेड द्वारा मलेशिया की एक ही फर्म के साथ किया गया करार रद्द कर दिया जाय तथा नाफेड को उनके सदस्यों के साथ निर्यात संबंधी करार करने के निर्देश दिए जाएं। तथापि नाफेड ने बताया है कि सहयोगी पोतवणिकों को भी मलेशिया तथा सिंगापुर सहित सभी अनुज्ञेय गंतव्य स्थानों में अपने क्रेताओं के लिए प्याज का निर्यात करने की अनुमति दी जा रही है।

हाजिरा परियोजना से प्रभावित परिवार

487. **श्री मवीन रवाणी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में हाजिरा परियोजना के लिए भूमि का अधिग्रहण करने से कितने परिवार प्रभावित हुए;

(ख) दिए गए मुआवजे का ब्यौरा क्या है; और

(ग) विस्थापित परिवारों को उनकी रोजी रोटी कमाने के लिए अन्य क्या सुविधाएं दी जा रही हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उपमंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) से (ग) दक्षिण बेसिन क्षेत्रों से प्राप्त होने वाली प्राकृतिक गैस पर आधारित रासायनिक उर्वरकों के उत्पादन के लिए हाजिरा जिला सूरत गुजरात में एक बड़े आकार वाला अमोनिया/यूरिया कम्प्लेक्स बनाने तथा इसका क्रियान्वयन करने के लिए कृषक भारती सहकारी लिमिटेड नामक एक राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समिति की स्थापना की गयी है। कम्प्लेक्स को स्थापित करने के लिए 191 भूमि मालिकों से 1200 एकड़ निजी भूमि का अधिग्रहण किया गया है। इन मालिकों को कृषक भारतीय सहकारी लिमिटेड द्वारा प्रति एकड़ 13,251 रुपए की दर से मुआवजा दिया गया है। कृषक भारती सहकारी लिमिटेड ने 50 प्रभावित मालिकों को रोजगार भी प्रदान किया है तथा ऐसे 100 और मालिकों को भारतीय डाइमण्ड संस्था, सूरत में डायमण्ड परिसंस्करण के प्रशिक्षण के लिए भेजा जा रहा है।

पुरानी इमारतों का अनुचित अनुरक्षण

488. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र मानव आवास केन्द्र, राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन और एस्केप (ई० एस० सी० ए० पी०) के संयुक्त राष्ट्र क्षेत्रीय आवास केन्द्र द्वारा फरवरी, 1982 में आयोजित संयुक्त बैठक में उन्होंने कहा था कि उन्हें इस बात की जानकारी है कि पुरानी इमारतों के अनुचित ढंग से अनुरक्षण का एक कारण किराया नियंत्रण कानून है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस समस्या के समाधान के लिए उठाए गए या उठाये जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) संघ राज्य क्षेत्रों के मामले को छोड़कर किराया नियंत्रण का सम्बन्ध राज्य सरकारों से है। भारत सरकार द्वारा निजी आवास के लिए गठित कार्यकारी दल ने अन्य बातों के साथ-साथ यह भी सिफारिश की कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि किराए में न केवल रखरखाव/मरम्मतों की ही लागत शामिल हैं अपितु पूंजी निवेश पर पर्याप्त आय सुनिश्चित करने के लिए किराया नियंत्रण अधिनियम में उचित प्रावधान बनाया जाना चाहिए और कि किरायों के आवधिक संशोधन का भी प्रावधान होना चाहिए। कार्यकारी दल की सिफारिशों को राज्य सरकारों/केन्द्रीय मंत्रालयों को आवश्यक कार्यवाही के लिए भेज दिया गया है, दिल्ली के संबंध में, दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, 1958 में संशोधन के लिए कतिपय प्रस्ताव सरकार के सक्रिय विचाराधीन हैं।

उड़ीसा की खारी पट्टी में एक ग्रामीण जल सप्लाई परियोजना के लिए डेन्मार्क के साथ करार

489. डा० कृपासिन्धु भोई : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा की खारी पट्टी (सैलाइन बेल्ट) में एक ग्रामीण जल सप्लाई परियोजना के लिए डेन्मार्क के साथ करार कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं, और तत्सम्बन्धी शर्तें क्या हैं; और

(ग) क्या उड़ीसा तथा अन्य राज्यों में पुरानों की जगह नये हैंडपम्पों की स्थापना का प्रस्ताव भी अन्तिम रूप से तैयार कर लिया गया है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) (क) उड़ीसा में ग्रामीण जल पूर्ति परियोजना के प्रारम्भिक चरण के लिए करार को पहले ही अन्तिम रूप दे दिया गया है जिसके लिए डेन्मार्क 105 लाख डेनिश क्रोनर (लगभग 1.19 करोड़ रु०) की सहायता देगा।

(ख) डेनिश सहायता की शर्तों सहित योजना की महत्वपूर्ण बातें संलग्न विवरण (क) में दी गई हैं।

(ग) तमिलनाडु राज्य में हैण्डपम्प परियोजना हेतु डेनिश सहायतार्थ करार को अन्तिम रूप दे दिया गया है। इस करार की मुख्य रूपरेखा संलग्न विवरण (ख) में दी गई है।

विवरण "क"

1. परियोजना का नाम	उड़ीसा की खारी पट्टी (सेलाइनं बेल्ट) में ग्रामीण जल पूर्ति परियोजना
2. परियोजना का विस्तार	जल पूर्ति के स्वच्छ स्रोतों सहित लगभग 4100 गांवों (अधिकांश समस्याग्रस्त गांवों) को लाभान्वित करना
3. प्राप्त होने वाली डैनिश सहायता की राशि	परियोजना के प्रारम्भिक चरण के लिए 105 लाख डैनिश क्रोनर (1.19 करोड़ रु०)
4. परियोजना के प्रारम्भिक चरण की अवधि	10 माह
5. सहायता का स्वरूप	ड्रिलिंग रिगें, जीपें, अन्य वाहन एवं वैज्ञानिक तथा प्रयोगशाला उपस्करों की व्यवस्था करना जिनमें डैनिश विशेषज्ञों की सेवाएं भी शामिल हैं।
6. भारतीय योगदान का स्वरूप	परियोजना बनाने एवं उसके कार्यान्वयन हेतु एक परियोजना एकक की स्थापना करना, परियोजना के कार्यान्वयन के लिए पर्यवेक्षण की व्यवस्था करना, तकनीकी प्रोत्साहन, मुख्यालयों के लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी विभाग में और जनपदों में अनुरक्षण पद्धति को सुदृढ़ करना तथा परियोजना की स्थापना एवं परिचालन लागतों को वहन करना।

विवरण "ख"

1. परियोजना का नाम	तमिलनाडु के सलेम एवं दक्षिणी आर्काट जनपदों में हैण्डपम्पों का नवीकरण
2. परियोजना का विस्तार	पुराने पम्पों की जगह भारतीय मार्क-II पम्पों से 2500 परम्परागत हैण्डपम्प लगाना
3. डैनिश सहायता से प्राप्त होने वाली राशि	78 लाख डैनिश क्रोनर (88 लाख रु०)
4. सहायता का स्वरूप	उपस्कर सहायता
5. परियोजना हेतु भारतीय योगदान का स्वरूप	परिचालन व्यय, स्थापना लागत और प्लेटफार्मों के निर्माण की लागत

राजस्थान में भयंकर सूखे की स्थिति

490. श्री दौलत राय सारण :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि राजस्थान में 20 मीलियन से भी अधिक लोग सूखे से पीड़ित हैं जो राज्य में लगातार पांच वर्ष से पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, स्थिति का सामना करने के लिए राज्य सरकार द्वारा मांगी गई सहायता के बदले केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी सहायता प्रदान की गई है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उपमंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) राजस्थान राज्य में खरीफ 1979 से सूखे की स्थिति बनी हुई है ।

(ख) केन्द्रीय दलों की रिपोर्टों तथा राहत सम्बन्धी उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने खरीफ 1979 से सूखे से राहत सम्बन्धी उपायों के लिए राज्य सरकार द्वारा मांगी गई सहायता की तुलना में व्यय की निम्नलिखित अधिकतम सीमा की मंजूरी दी है :

वर्ष	मांगी गई राशि	स्वीकृतत व्यय की अधिकतम सीमा
		(करोड़ रुपये)
1979-80	80.67	18.75
1980-81		
(मानसून पूर्व)	59.46	20.10
(मानसून बाद)	61.38	20.20
1981-82		
(मानसून पूर्व)	191.91	48.29
(मानसून बाद)	268.41	39.53
1982-83		
(मानसून पूर्व)	183.43	37.03

गेहूं का उत्पादन और निर्यात

491. श्री सज्जन कुमार : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गेहूं के रिकार्ड उत्पादन को ध्यान में रखते हुए इसका निर्यात करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उपमंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) और (ख) जी नहीं। सरकार का गेहूं का निर्यात करने का कोई विचार नहीं है। तथापि, भारत सरकार और बंगलादेश सरकार के बीच 4 जून, 1982 को हुए एक करार के अधीन भारत बंगलादेश को जुलाई-सितम्बर, 1982 की अवधि के दौरान जिन्स ऋण के आधार पर एक मीटरी टन (5 प्रतिशत अधिक अथवा कम) गेहूं देगा। इस प्रयोजन के लिए भारत सरकार द्वारा अतीत में विश्व खाद्य कार्यक्रम को ऋण के रूप में दी गई गेहूं की भरपाई के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम से भारत को प्राप्त होने वाली गेहूं को बंगलादेश को भेज दिया जाएगा।

मुर्गी पालन विकास निगम की स्थापना

492. श्री के० टी० कोसलराम : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने मुर्गी पालन विकास निगम बनाने के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने मुर्गी पालन विकास सलाहकार परिषदें बनाई हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामिनाथन्) : (क) केन्द्रीय क्षेत्र में भारतीय मुर्गी पालन विकास निगम की स्थापना करने का प्रस्ताव कृषि और सहकारिता विभाग के विचाराधीन है।

(ख) जहां तक कृषि और सहकारिता विभाग की जानकारी है, किसी भी राज्य ने अभी तक कुक्कुट विकास परिषद की स्थापना नहीं की है।

"दूध आन्दोलन" शीर्षक समाचार

493. श्री मूल चन्द डागा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 जून, 1982 के दैनिक "नवभारत टाइम्स" में "दूध आन्दोलन" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ख) क्या सरकार का विचार गाय के दूध का मूल्य 4/- रुपये प्रति लिटर तथा भैंस के दूध का मूल्य 5/- रुपये प्रति लिटर करने का है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामिनाथन्) : (क) तथा (ख) दुग्ध उत्पादकों के एक वर्ग ने हाल ही में दूध की कीमत बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन शुरू किया था। वे लोग गाय के दूध के लिए प्रति लिटर 4 रुपये और भैंस के दूध के लिए प्रति लिटर 5 रुपए की दर से उत्पादकों को भुगतान की मांग कर रहे थे। आंदोलन अब समाप्त हो गया है।

दिल्ली दुग्ध योजना और दिल्ली मदर डेरी को छोड़कर सभी दुग्ध आपूर्ति योजनाएं संबंधित राज्य सरकारों/राज्यों द्वारा प्रायोजित एजेन्सियों, जैसा की राज्य डेरी विकास निगम/राज्य दुग्ध विपणन संघों द्वारा चलायी जाती है, जोकि अपनी संबंधित योजनाओं के लिए दूध एकत्र करते हैं। दिल्ली दुग्ध योजना और दिल्ली मदर डेरी भी राज्य एजेन्सियों के माध्यम से दूध एकत्र करती हैं। दुग्ध उत्पादकों से दूध के खरीद मूल्य का निर्णय संबंधित राज्य स्तर की एजेन्सियों द्वारा किया जाता है।

सुपर बाजार में प्राइवेट दुकानों पर उपभोक्ता वस्तुओं की बिक्री

494. **श्री पी० के० कोडियन०**: क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कनाट प्लेस, नई दिल्ली के सुपर बाजार में स्थित बहुत सी प्राइवेट दुकानों पर उपभोक्ता वस्तुओं की बिक्री की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस बात की क्या गारन्टी है कि उन दुकानों पर बिकने वाली वस्तुएं असली हैं तथा उनके दाम उचित हैं ?

कृषि तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री मोहम्मद उसमान आरिफ) (क) व (ख) सुपर बाजार, कनाट प्लेस में कुछ सुविधाग्राही यूनिटें सार्वजनिक तथा निजी अभिकरणों द्वारा चलाई जा रही हैं। सुपर बाजार, कनाट प्लेस शाखा में चल रही इस तरह की विशेष यूनिटों की एक सूची संलग्न विवरण में है।

(ग) इस तरह की विशेष यूनिटों द्वारा बेची जाने वाली वस्तुओं की किस्म तथा उनके मूल्यों की सुपर बाजार के अधिकारियों द्वारा निरन्तर जांच की जाती है।

विवरण

कनाट सर्कस शाखा सुविधाग्राही यूनिटें चलाने वाली पार्टियों की सूची

क्र० सं०	यूनिट का नाम	
1.	कैमी वाच काउन्टर	
2.	कॉफी बोर्ड	कॉफी बोर्ड द्वारा चलाया जाता है।

3. हेयर ड्रेसिंग	
4. लाटरी के टिकट	
5. वेंगिंग मशीन	
6. पोधा स्वीट्स	
7. मिल्क बार	पंजाब डेयरी विकास निगम द्वारा चलाया जाता है।
8. केन्नड जूस	फ्रूट जूस बोटलिंग प्लांट (कृषि मंत्रालय) द्वारा चलाया जाता है।
9. इलैक्ट्रानिक्स रिपेयर्स	
10. डेन्टल क्लिनिक	
11. टोयज	
12. यू० पी० हैण्डलूम	उ० प्र० हथकरघा द्वारा चलाया जाता है।
13. जम्मू तथा कश्मीर यूनिट	जम्मू तथा कश्मीर हथकरघा द्वारा चलाया जाता है।
14. मारबल यूनिट	
15. सेनेटरी एण्ड पेन्टस	
16. आर्ट नावल्टीज	
17. पेन्टस एण्ड हार्डवेयर	
18. नेशनल टैक्सटाइल	राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा चलाया जाता है।

चालू मौसम में चीनी का उत्पादन तथा आबंटन

496. **श्री आनन्द पाठक :**
श्री अजित बाग :

क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चालू मौसम में चीनी का उत्पादन तथा आगे लाया गया स्टाक, पृथक-पृथक कितना है;

(ख) इस अवधि में खुले बाजार में बिक्री के लिए कितनी चीनी दी गई; और

(ग) खुले बाजार में बिकने वाली चीनी के मूल्यों में वृद्धि के क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उपमंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) 1-10-1981 को चीनी का पिछला बचा स्टाक 9.94 मीटरी टन था और वर्तमान चीनी वर्ष 1981-82 के दौरान चीनी का लगभग 84 लाख मीटरी टन उत्पादन होने का अनुमान है ।

(ख) चीनी वर्ष 1981-82 (अक्तूबर, 1981 से जुलाई, 1982 तक) में अब तक कुल 17.8 लाख मीटरी टन मुक्त बिक्री की चीनी निर्मुक्त की गई है जबकि पिछले वर्ष की उसी अवधि के दौरान 14.65 लाख मीटरी टन चीनी निर्मुक्त की गई थी ।

(ग) 31 दिसम्बर, 1981 को प्रमुख मंडियों में चीनी के थोक मूल्य 580 रुपए से 676 रुपये प्रति क्विंटल के रेंज में थे । चीनी के मूल्यों में निरन्तर गिरावट आती रही है और 30 अप्रैल, 1982 को थोक मूल्य गिरकर 500 रुपये से 541 रुपए प्रति क्विंटल के रेंज में आ गए । उसके बाद मूल्यों में आंशिक रूप से वृद्धि हुई और 19 जून, 1982 को मूल्य 512 रुपए से 570 रुपये प्रति क्विंटल के स्तर पर पहुंच गए । तथापि, मुक्त बिक्री की चीनी की उदार निर्मुक्त करने से चीनी के मूल्यों में फिर गिरावट की प्रवृत्ति आयी है और इस समय (अर्थात् 30-6-82 को) मूल्य 508 रुपये से 560 रुपये प्रति क्विंटल के रेंज में चल रहे हैं । अत: चीनी के मूल्यों में कोई तेजी आयी है और न ही अनावश्यक वृद्धि हुई है और मूल्यों को उचित स्तर पर बनाए रखने के लिए निरन्तर निगरानी रखी जा रही है ।

छोटे किसान विकास एजेंसी तथा मध्यम श्रेणी के किसान और खेतिहर मजदूर एजेंसी का कार्यकरण

497. **श्री रामविलास पासवान** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटे किसान विकास एजेंसी तथा मध्यम श्रेणी के किसान और खेतिहर मजदूर एजेंसी ग्रामीण निर्धनों, विशेषकर बिहार और उत्तर प्रदेश में, की स्थिति को सुधारने में कहां तक सफल रही हैं ?

(ख) इन एजेंसियों के कार्यकरण और अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने में क्या गलतियां, यदि कोई हैं, हुई हैं; और

(ग) इन एजेंसियों के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है और पिछले पांच वर्षों में इन्होंने कितनी धनराशि (वर्ष-वार) खर्च की है तथा शेष राशि खर्च न करने के क्या कारण हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) लघु किसान विकास एजेंसी/सीमान्त किसान तथा कृषि श्रमिक विकास एजेंसी के कार्यक्रम को 2 अक्तूबर, 1980 से समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के साथ मिला दिया है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 31-3-1980 तक 79.65 लाख परिवारों को लाभ पहुंचाया गया था जिनमें से बिहार में 10.60 लाख परिवारों तथा उत्तर प्रदेश में 16.33 लाख परिवारों को लाभ पहुंचा था ।

(ख) मुख्य कठिनाइयां अपर्याप्त ऋणों का दिया जाना तथा सहायक आधारभूत ढांचे की कमी थी।

(ग) 1977-78 से 1979-80 के वर्षों के दौरान लघु किसान विकास एजेंसी कार्यक्रम के अन्तर्गत बजट की गई, वंटित तथा उपयोग में लाई गई धनराशियों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। इसमें कमी भाग (ख) के सामने दर्शाये गए कारणों से हुई है।

जैसाकि पहले बताया जा चुका है, लघु किसान विकास एजेंसी कार्यक्रम को 2-10-1980 से समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में मिला दिया गया था।

विवरण

1977-78 से 1979-80 के वर्षों के दौरान लघु किसान विकास एजेंसी/सीमान्त किसान तथा कृषि श्रमिक कार्यक्रम के अन्तर्गत बजट की गई, वंटित तथा उपयोग में लाई गई धनराशियों को दर्शाने वाला विवरण

वर्ष	आवंटित/बजट की गई धनराशि	भारत सरकार द्वारा वंटित धनराशि	उपयोग में लाई सूचित की गई धनराशि (अनन्तिम)
			(धनराशि : लाख रुपए में)
1977-78	4496.00	4496.00	3918.55
1978-79	5750.00	4073.24	4419.69
1979-80	2272.50 (केन्द्रीय अंश)	1920.42 (केन्द्रीय अंश)	3530.82

नोट : मार्च, 1979 तक, कार्यक्रम को भारत सरकार द्वारा पूर्णतया वित्तपोषित किया गया था। 1979-80 के दौरान आवंटन को राज्य सरकारों के साथ बराबर-बराबर के आधार पर बांटा गया था। तथापि, उपयोग में लाई गई सूचित धनराशि केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध की गई कुल निधियों के मुकाबले में है।

भूमि के कटाव से कृष्य भूमि को नुकसान

498. श्री सुनील मैत्रा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूमि के कटाव की विभिन्न डिग्रियों से कुल कितनी कृष्य भूमि को नुकसान हो रहा है; और

(ख) सरकार का विचार इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामिनाथन्) : (क) कुल बोये गये लगभग 1430 लाख हैक्टार क्षेत्र में से, लगभग 1050 लाख हैक्टार क्षेत्र को मृदा भूक्षरण और भूमि अपकर्ष समस्याओं से नुकसान हुआ।

(ख) भूमि अपकर्ष की समस्या को सुलझाने के लिये देश के विभिन्न भागों में पहली योजना के दौरान से ही मृदा संरक्षण की अनेक केन्द्रीय/केन्द्र द्वारा प्रायोजित और राज्य क्षेत्र की योजनाएं कार्य कर रही हैं। वर्ष 1979-80 के अन्त तक, मृदा और जल संरक्षण उपायों सहित लगभग 234 लाख हैक्टार अवनत भूमि ठीक-ठाक करने के लिए 664 करोड़ रुपया व्यय किया गया। केन्द्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत छठी योजना के दौरान, 141.44 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 11.5 लाख हैक्टार का लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त, छठी योजना के दौरान, 53.2 लाख हैक्टार के लक्ष्य हेतु, 343.57 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ राज्य क्षेत्र कार्यक्रमों का क्रियान्वयन जारी रहेगा।

राजस्थान में बाढ़ राहत के लिए मंजूर की गई राशि

499. **श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष में आई अभूतपूर्व बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए राजस्थान सरकार को केन्द्र ने कितनी राशि मंजूर की है;

(ख) राज्य सरकार द्वारा कितनी राशि खर्च की गई है; और

(ग) क्या राज्य सरकार ने अपने काम की रिपोर्ट पेश कर दी है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) भारत सरकार ने राजस्थान में जून, 1981 में बाढ़ों से प्रभावित लोगों को राहत देने तथा उनके पुनर्वास के लिए और क्षतिग्रस्त सम्पत्तियों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना के लिए अधिकतम 45.06 करोड़ रुपये का व्यय अनुमोदित किया है।

(ख) मार्च, 1982 में राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 1981-82 के दौरान बाढ़ राहत कार्यों पर हुआ प्रत्याशित व्यय 45.06 करोड़ रुपये था। उसके बाद, अप्रैल, 1982 में राज्य सरकार ने सूचना दी थी कि उसके नियंत्रण से परे कुछ परिस्थितियों के कारण, वह पूर्वसूचित राशि में से 12.73 करोड़ रुपये की राशि व्यय नहीं कर सकी थी और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस राशि को व्यय करने के लिये समय बढ़ाने के लिये उसने अनुरोध किया था।

(ग) राज्य सरकार द्वारा राहत तथा पुनर्वास के लिए आरम्भ किए गए निर्माण-कार्यों की भौतिक तथा वित्तीय प्रगति के सम्बन्ध में आवधिक विवरणियां भेजी जानी होती हैं। उन्होंने वर्ष 1981-82 की रिपोर्ट अभी तक नहीं भेजी है।

चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा गेहूं की खरीद

500. **श्री चन्द्र पाल शैलानी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने इस वर्ष अब तक कितने लाख टन गेहूं खरीदा है;

(ख) क्या सरकार को वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त हुए गेहूं की बिक्री के समय किसानों को होने वाली समस्याओं का पता है; और

(ग) वर्षा और ओलावृष्टि से हुई हानि की प्रतिपूर्ति करने के लिए किसानों को सरकार ने कितनी सहायता दी है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उपमंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) 8 जुलाई, 1982 तक 75.03 लाख मी० टन।

(ख) जी, हां।

(ग) वर्षा और तूफान से गेहूं की क्षति होने के कारण किसानों को हुई हानि को कम करने की दृष्टि से सरकार ने यथासम्भव अधिकतम मात्रा में वर्षा से प्रभावित गेहूं की खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अधीन निर्धारित मानकों के अनुरूप वसूली करने के लिए विनिर्दिष्टियों में ढील दे दी है।

भूमि कटाव के कारण हानि के बारे में जांच

501. **श्री गुफरान आजम** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भूमि कटाव के कारण देश में प्रति वर्ष होने वाली हानि तथा उसके परिणामस्वरूप मिट्टी में जो खनिज हैं उनकी हानि के सम्बन्ध में मूल्यांकन के बारे में कोई जांच की है; और

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान हुई हानि का पूरा ब्यौरा क्या है और इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामिनाथन्) : (क) और (ख) भूमि कटाव की वजह से हुई क्षति और इसके फलस्वरूप मृदा में व्याप्त खनिजों की हानि का वर्षानुवर्ष देशव्यापी आधार पर मूल्यांकन नहीं किया जाता है। तथापि, समग्र रूप से अनुमान है कि लगभग 1500 लाख हैक्टार क्षेत्र में हवा से कटाव होता है, जबकि अन्य 250 लाख हैक्टार भूमि खेती ऊबड़-खाबड़ और खड्ड भूमि, लवणीयता और क्षारीयता, जल लग्नता आदि की समस्याओं से प्रभावित पाया गया है। यह भी अनुमान लगाया गया है कि प्रति वर्ष लगभग 6,000 मीटरी टन मृदा की हानि हो रही है जिसमें 84 लाख मीटरी टन पोषक तत्व

(नाइट्रोजन के 25 लाख मीटरी टन, फासफोरस के 33 लाख मीटरी टन और पोटाशियम के 26 लाख मीटरी टन) होते हैं। सरकार ने मृदा कटाव की समस्या को सुलझाने के लिये अनेक कदम उठाए हैं। इस सम्बन्ध में ब्योरे का प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

सरकार ने मृदा और भूमि अपकर्षण की समस्या को स्वीकार किया है और इस प्रकार केन्द्र और राज्य क्षेत्रों के माध्यम से पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान अनेक मृदा संरक्षण कार्यक्रम शुरू किये हैं। अनुवर्ती योजना अवधियों में कृषि और गैर-कृषि दोनों प्रकार की भूमि को ठीक-ठाक करने के लिए कार्यक्रमों का विस्तार और प्रसार किया गया। समस्याओं से सम्बन्धित मूल जानकारी एकत्रित करने, पैकेज पद्धतियों का विकास करने, उनको सुलझाने और व्यावसायिक संवर्ग बनाने हेतु प्रशिक्षण देने के लिए भी अनुसंधान, प्रदर्शन और प्रशिक्षण के कई केन्द्रों की स्थापना की गई थी।

राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत के कार्यक्रम अधिकांशत: विभिन्न कृषि सस्य, अभियांत्रिकी और जैविक उपायों के साथ कृषि भूमि और कुछ गैर-कृषि क्षेत्रों को ठीक ठाक करने पर सकेंन्द्रित हैं। नदी घाटी परियोजनाओं और बाढ़ प्रवण नदियों के स्रवण क्षेत्रों के स्थिरीकरण तथा उनका उपचार करने के लिये केन्द्रीय सहायता दी जाती है। प्राथमिकता/प्रतिक्रिया वाले क्षेत्रों को छांटने और बुनियादी स्रवण क्षेत्रों के लक्षणों का पता लगाने के लिए भी अखिल भारतीय मृदा और भू-उपयोग सर्वेक्षण संगठन स्रवण क्षेत्रों और चुनींदा जिलों में विभिन्न प्रकार के मृदा सर्वेक्षण कर रहा है। 100 हैक्टार से कम के भू खण्डों में कृषि योग्य बेकार भूमि के सर्वेक्षण और वर्गीकरण की योजना के अन्तर्गत, उत्पादक विकास के लिये 17 राज्यों मे 2.3 लाख हैक्टार क्षेत्र का पता लगाया था, जबकि बेकार भूमि के 1.9 लाख हैक्टार सुधारे गए क्षेत्र में भूमिहीन श्रमिकों के 1.1 लाख परिवारों को बसाया गया था। इसी प्रकार से अन्य केन्द्रीय योजना क जरिये गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में ऊबड़-खाबड़ भूमि के 8.3 लाख हैक्टार क्षेत्र का सर्वेक्षण करके काफी गहराई से सर्वेक्षण वर्गीकरण किया गया और स्वामित्व के विभिन्न गैर सरकारी, सरकारी और पचायतों जैसे स्वामित्व के विभिन्न प्रतिमा भी प्राप्त किए गए। कृषि/बागवानी के लिये पठारी भूमि के कटाव और ऊबड़-खाबड़ भूमि के कटाव को रोकने क लिए, ऊथले ऊबड़-खाबड़ क्षेत्रों का सुधार करने और ईंधन और चारा आरक्षणों के विकास द्वारा मध्यम और गहरे ऊबड़-खाबड़ क्षेत्रों का स्थिरीकरण करने के लिये ऊबड़-खाबड़ भूमि सम्बन्धी नीति का भी विकास किया गया था। केन्द्रीय सहायता से मार्गदर्शी परियोजना के अन्तर्गत चौथी और पांचवीं योजनाओं के दौरान इस कार्यक्रम की तकनीकी सम्भाव्यता और आर्थिक क्षमता का भी प्रदर्शन किया गया था। पांचवीं योजना अवधि के दौरान नदी घाटी परियोजनाओं के स्रवण क्षेत्रो और ऊबड़-खाबड़ क्षेत्रों में कार्यक्रमों को जारी रखने के अतिरिक्त भूम खेती और क्षारीरता सुधरे हुए क्षेत्रों में क्षेत्रों का नियंत्रण करने के लिए मार्गदर्शी परियोजनायें शुरू की गई थीं। वर्ष 1979-80 तक केन्द्र और राज्य क्षेत्रों दोनों के अन्तर्गत लगभग 66400 लाख रुपये की लागत से 234.0 लाख हैक्टार क्षेत्र का उपचार किया गया।

छठी योजना के दौरान, विभिन्न समस्याओं से ग्रस्त कृषि और गैर-कृषि भूमि का उपचार करने के लिए राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत प्रमुख प्रयास जारी रहे, जबकि निम्नलिखित योजनाओं के माध्यम से केन्द्र द्वारा विशेष सहायता दी जा रही है : (1) नदी घाटी परियोजनाओं के स्रवण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण, (2) बाढ़ प्रवण नदियों के स्रवण क्षेत्रों में समेकित पनधारा प्रबन्ध, (3) संघ राज्य क्षेत्रों में मृदा सर्वेक्षण संगठन को सुदृढ़ करना, (4) संघ राज्य क्षेत्रों में भूम खेती का नियंत्रण, (5) अखिल भारतीय मृदा और भू-उपयोग सर्वेक्षण संगठन सुदृढ करना।

वर्षा से सिंचित क्षेत्रों से कुल उत्पादन बढ़ाने और स्थिर करने के अतिरिक्त, जल संरक्षण/जल एवं उपयोग प्रौद्योगिकी के प्रसार की एक केन्द्रीय योजना को शुरू करने का प्रस्ताव है। मृदा की उर्वरा शक्ति की देखभाल से सम्बन्धित मामलों पर नीति निर्देश देने की दृष्टि से तथा विभिन्न विभागों में मृदा संरक्षण कार्यक्रम समन्वित करने के लिये एक केन्द्रीय भूमि संसाधन संरक्षण और विकास आयोग की स्थापना की जा रही है। यह आयोग 26 राज्य भूमि उपयोग मंडलों के कार्यों की देखरेख और समन्वय भी करेगा। छठी योजना के दौरान इन योजनाओं के अन्तर्गत 60.5 लाख हैक्टार क्षेत्र का उपचार करने का प्रस्ताव है।

इसके अतिरिक्त, छठी योजना में चल रही निम्नलिखित योजनाओं के अन्तर्गत, 1980-81 तक मृदा संरक्षण और वनरोपण उपायों से 22.38 लाख हैक्टार क्षेत्र का उपचार किया गया है :

(1) हिमाचल के क्षेत्रों में मृदा, जल और वृक्ष संरक्षण

(2) सामाजिक वानिकी और ग्रामीण ईंधन की लकड़ी का रोपण

(3) सूखा प्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम

(4) मरु विकास कार्यक्रम

उपयुक्त पैकेज पद्धतियां प्रदान करने की दृष्टि से केन्द्रीय मृदा और जल संस्थान अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के क्षेत्रीय केन्द्रों के माध्यम से अनुसंधान कार्यक्रम भी शुरू किये गये हैं। संस्थान और इसके क्षेत्रीय केन्द्र मृदा और जल संरक्षण के क्षेत्र में सेवारत प्रशिक्षण देने की कार्यात्मक अनुसधान परियोजनाएं तथा कार्यक्रम भी चलाता है। वर्ष 1981 तक, लगभग 1234 राजपत्रित अधिकारी और 3960 सहायक मृदा और जल संरक्षण में प्रशिक्षित किए गए हैं।

डेनमार्क सरकार द्वारा मध्य प्रदेश सरकार को मत्स्य पालन विकास योजना की मंजूरी

502. **श्री सुभाष यादव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डेनमार्क की सरकार ने मत्स्य पालन, विकास की मध्य प्रदेश सरकार की योजना की अपनी मंजूरी दे दी है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस योजना को कब तक शुरू किए जाने की सम्भावना है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामिनाथन्) : (क) जी नहीं।

(ख) डेनमार्क की सरकार इस योजना पर विचार कर रही है।

20-सूत्री कार्यक्रम के अधीन गुजरात में समाज के कमजोर वर्गों को भूमि तथा मकानों का आवंटन

503. श्री उत्तम भाई एच० पटेल : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात के कमजोर वर्गों में प्रधान मंत्री के बीस-सूत्री कार्यक्रम के अधीन भूमि तथा मकानों के आवंटन के प्रश्न को लेकर बहुत असन्तोष व्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त आवंटन के मामले में 20 सूत्री कार्यक्रम की द्रुतगति से तथा उचित क्रियान्वित के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) आवास स्थलों के आवंटन का और निर्माण सहायता का कार्यक्रम राज्य क्षेत्र में है और इसका कार्यान्वियन गुजरात सरकार द्वारा किया जा रहा है। 20-सूत्री कार्यक्रम के अनुसार भूमि तथा आवासों के आवंटन के बारे में कमजोर वर्गों में व्याप्त किसी नाराजगी के बारे में केन्द्रीय सरकार को कोई जानकारी नहीं हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है इस कार्यक्रम को प्रभावी तथा गुणकारी कार्यान्वयनों को सुनिश्चित करने के उपाय करें ताकि छठी पंचवर्षीय योजना में परिकल्पित लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके।

गेहूं का उत्पादन

504. श्री सत्य नारायण जटिया :
श्री चित्त बसु :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चालू वर्ष के दौरान गेहूं का कुल कितना उत्पादन हुआ है;

(ख) क्या देश ने खाद्यान्नों के उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है और यदि हां, तो उसका कितना उत्पादन हुआ है और यदि नहीं, तो आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए खाद्यान्न के कितने उत्पादन की आवश्यकता है; और

(ग) वर्ष 1982-83 के दौरान कितनी मात्रा में खाद्यान्न का आयात किया जायेगा और यह देश-वार कितनी-कितनी मात्रा में किया जाएगा तथा किस दर पर आयात किया जाएगा ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामिनाथन्) : (क) चालू वर्ष (1981-82) के दौरान गेहूं का उत्पादन गत वर्ष के 365 लाख मीटरी टन के स्तर के लगभग होने का अस्थायी अनुमान लगाया गया है ।

(ख) जी हां । सामान्य मौसम की परिस्थितियों के तहत हमारा देश खाद्यान्नों में आत्म-निर्भर है ।

(ग) खाद्यान्नों का आयात करने के लिए इस समय सरकार किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है ।

"हल रहित (नो प्लो)" खेती

505. श्रीमती किशोरी सिन्हा : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने "हल रहित (नो प्लो)" खेती के बारे में कोई कार्य किया है जिसे पाश्चात्य देशों में उत्तरोत्तर रूप से अपनाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामिनाथन्) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) "हल रहित" खेती जिसे बिना जुताई या शून्य जुताई की खेती के नाम से भी जाना जाता है इसके लिए प्रारम्भिक जुताई की तैयारी के बिना ही मिट्टी में बीज की बुआई आवश्यक है । भारत में कुछ विशेष स्थितियों में लम्बे समय से इस तरह की खेती की जा रही है । उदाहरण के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में जहां शिफ्टिंग खेती की जाती है वहां मृदा कटाव की हानि से बचने के लिए कृषकों द्वारा बीज की प्रत्यक्ष रूप से बुआई की जाती है । चावल उगायी जाने वाली निचली भूमि में जहां चावल के तुरन्त बाद कुछ दाल वाली फसलें उगायी जाती हैं जिससे की बुआई में विलम्ब न हो । वहां बिना किसी प्रारम्भिक जुताई चावल के खेतों में दालों के बीज सीध बिखेरे जाते हैं ।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों यानी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली, सी० ए० जैड आर० आई०, जोधपुर, सी० आर० आर० आई, कटक, सी० आई० ए० इ०, भोपाल तथा आई० आई० एस० आर०, लखनऊ द्वारा किये गये अनुसंधान कार्य से यह पता चला

है कि कुछ दालों, गेहूं की सीधी बुआई तथा चावल की पौद तथा गन्ने का रोपण किया जा सकता है बशर्ते कि सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो। बुआई की इस विधि में सबसे बड़ी समस्या खरपतवारों की रोकथाम है। पंजाब में मक्का, कपास, चावल, मूंग तथा सोयाबीन के बाद गेहूं की सीधी ड्रिलिंग कई स्थानों पर सिंचाई स्थितियों के अन्तर्गत हाथ में ली गई तथा यह पाया गया कि उपज उतनी ही हुई जो परम्परागत प्रणाली में बिना जुताई के होती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के विभिन्न संस्थानों में कार्य अभी भी प्रगति पर है तथा बिना जुताई की स्थितियों के अन्तर्गत खरपतवार नियंत्रण के कारगर उपाय विकसित करने के लिए सीधी ड्रिलिंग हेतु उपयुक्त सीड ड्रिल तैयार करने पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है।

चालू वर्ष के दौरान प्याज का उत्पादन

506. **श्री नरसिंह मकवाना**। क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष प्याज का कुल कितना उत्पादन हुआ और इसका सरकार द्वारा निर्धारित प्रति क्विंटल मूल्य क्या है;

(ख) निर्धारित मूल्य पर किसानों से कुल कितनी मात्रा में प्याज खरीदे गये और बाकी प्याज का क्या हुआ;

(ग) "नाफेड" के विपणन परिसंघ द्वारा कुल कितनी मात्रा में प्याज खरीदा गया; और

(घ) इस वर्ष अन्य देशों को गत वर्ष निर्यात किये प्याज की तुलना में कुल कितनी मात्रा में प्याज निर्यात किया गया और सरकार का विचार किसानों के पास पड़े प्याज का निपटान किस प्रकार करने का है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में उपमन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) अन्तिम अनुमानों के अनुसार, 1980-81 के दौरान प्याज का उत्पादन 24.11 लाख मीटरी टन था। नेफेड के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार 1981-82 के दौरान देश में प्याज का उत्पादन लगभग 24.87 लाख मीटरी टन था। अभी हाल में आरम्भ हुए चालू वर्ष के दौरान प्याज के उत्पादन के अनुमान नहीं लगाए गए हैं। चालू वर्ष के दौरान सरकार ने प्याज के कोई समर्थन मूल्य निर्धारित नहीं किए हैं।

(ख) समर्थन मूल्य का निर्धारण करना ही किसानों के हितों की रक्षा का एकमात्र उपाय है। अन्य उपायों में ये शामिल हैं—सार्वजनिक क्षेत्र सहकारी एजेंसियों द्वारा मण्डी में आना, निर्यात की अनुमति देना, पर्याप्त संख्या में रेल वैगनों की सप्लाई के लिए व्यवस्था करके खराब होने वाली जिन्सों को शीघ्र लाने ले जाने के कार्य को सुनिश्चित करना, आदि

(ग) यह ज्ञात हुआ है कि महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र राज्य सहकारी विपणन संघ को चालू वर्ष के दौरान 60 रुपए प्रति क्विंटल की दर से प्याज खरीदने की सलाह दी है। तथापि

महाराष्ट्र सघ द्वारा खरीदी गई मात्रा का ब्योरा उपलब्ध नहीं है । 1981-82 के दौरान नेफेड ने 945 रुपए प्रति मीटरी टन के औसत मूल्य पर 62089 मीटरी टन प्याज की खरीद की है। 1982-83 क दौरान (30 जून, 1982 तक) नेफेड ने लगभग 773 रुपए प्रति मीटरी टन के औसत मूल्य से लगभग 25,363 मीटरी टन की कुल मात्रा खरीदी। गुजरात सहकारी विपणन समिति लिमिटेड ने सूचित किया है कि उसने नेफेड के साथ संयुक्त उद्यम में 9760 मीटरी टन प्याज की खरीद की है ।

(घ) वित्तीय वर्ष 1981-82 के दौरान मलेशिया तथा सिंगापुर, खाड़ी के देशों, रूस तथा अन्य देशों सहित विभिन्न स्वीकार्य स्थानों को लगभग 1.68 लाख मीटरी टन की कुल मात्रा निर्यात की गई थी । चालू वित्तीय वर्ष के दौरान (31-5-82 तक) विभिन्न देशों को लगभग 33,072 मीटरी टन प्याज की कुल मात्रा निर्यात की गई थी, जबकि पूरे वर्ष का निर्यात-कोटा 2.25 लाख मीटरी टन है । सरकार को किसी भी राज्य में प्याज की बहुत कम मूल्य पर बिक्री किए जाने की कोई जानकारी नहीं है ।

आस्ट्रेलिया से आयात किए गए कीटनाशी दवाइयों से युक्त गेहूं का वितरण

507. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आस्ट्रेलिया से आयात किए गए बहुत बड़ी मात्रा में गेहूं में घातक कीटनाशी दवाइयां थीं;

(ख) क्या इस गेहूं का समूचे देश में उचित दर की दुकानों एवं निजी व्यापारियों के माध्यम से उपभोक्ताओं को बेचा गया है; और

(ग) यदि हां तो अब तक कितनी मात्रा में बिक्री की गई है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में उपमन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) से (ग) आस्ट्रेलिया से आयात किए गए गेहूं का फेनीट्रोथियन, जोकि अनाज संरक्षी दवाई के रूप मे बहुत सारे देशों द्वारा कीटनाशक दवाई है, से उपचार किया गया है, हालांकि कीटनाशक दवाई अवशेष खाद्य एवं कृषि संगठन/विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित की गई सीमा के अन्दर है, लेकिन यह हमारे देश के खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अधीन अनुमेय सीमा से अधिक है । तथापि, इसका अवशेष स्तर समय बीतने पर समाप्त हो जाता है । इस स्टाक को खपत के लिए केवल तभी जारी किया जाएगा जब कीटनाशक अवशेष स्तर अनुमेय निर्धारित सीमा के स्तर पर पहुंच जाएगा ।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत लाई गई आवश्यक वस्तुएं

508. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आज तक राज्यवार, लाई गई आवश्यक वस्तुओं का ब्योरा क्या है;

(ख) केन्द्र द्वारा राज्यों को इन वस्तुओं की नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या केन्द्र को राज्य सरकारों से वर्ष 1981-82 के दौरान उनके राज्यों में कुछ आवश्यक वस्तुओं की अनुपलब्धता के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालयों में उपमन्त्री (श्री मोहम्मद उसमान आरिफ) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) से (ङ) गेहूं, चावल, चीनी, आयातित खाद्य तेल, मिट्टी का तेल आदि जैसी आवश्यक वस्तुओं के स्टाक की केन्द्रीय पूल में समग्र उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए और राज्य सरकारों द्वारा की गई मांग को भी ध्यान में रखते हुए, केन्द्रीय सरकार विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों के बीच इन वस्तुओं के समान वितरण की व्यवस्था करती है । कुल मिलाकर, सार्वजनिक वितरण के लिए वस्तुओं की आपूर्ति संतोषजनक है, तथापि इतने बड़े आकार की प्रणाली में अस्थायी और स्थानीय कमियों के होने से इन्कार नहीं किया जा सकता । तथापि, देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण की लगातार समीक्षा की जाती है और आवश्यक वस्तुओं की नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सभी सम्भव कदम उठाये जाते हैं ।

विवरण

विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों द्वारा केन्द्रीय सरकार को भेजी गई रिपोर्टों के अनुसार स्थिति इस प्रकार है :

क्र० सं०	राज्य का नाम	सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से दी जाने वाली वस्तुएं
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	चावल, गेहूं, पामोलीन तेल, ताड़ का तेल, मिट्टी का तेल और चीनी ।
2.	असम	चावल, गेहूं उत्पाद, चीनी, नमक, खाद्य तेल, मिट्टी का तेल, नियंत्रित कपड़ा, कापियां । चाय, दियासलाइयां, साबुन आदि सहकारी विपणन और उपभोक्ता संघ के माध्यम से वितरित किए जा रहे हैं ।

1	2	3
	3. बिहार	गेहूं, गेहूं उत्पाद, चावल, मिट्टी का तेल, चीनी, खाद्य तेल, नियंत्रित कपड़ा, कापियां।
	4. गुजरात	गेहूं, चावल, चीनी, मोटा अनाज, खाद्य तेल, नियंत्रित कपड़ा।
	5. हरियाणा	गेहूं, आटा, चीनी, चावल, और मिट्टी का तेल। वनस्पति, नियंत्रित कपड़ा, दियासलाइयां, साबुन (नहाने और कपड़े धोने का) टायर और ट्यूबें, दालें, सोडाराख, कापियां, बैटरी सैल, चाय और नमक सहकारी समितियों/भण्डारों के माध्यम से वितरित किये जा रहे है।
	6. हिमाचल प्रदेश	गेहूं, आटा, चावल, खाद्य तेल, चीनी, नियंत्रित कपड़ा, कापियां, दालें और नमक।
	7. जम्मू व कश्मीर	चावल, गेहूं, आटा, मिट्टी का तेल और चीनी बहुविभागी बिक्री केन्द्रों तथा प्राधिकृत डीलरों के माध्यम से सप्लाई की जाती है। ग्रामीण इलाकों में मिट्टी का तेल, लेवी चीनी, नियंत्रित कपड़ा, रेपसीड तेल सहकारी समितियों के बिक्री केन्द्रों के माध्यम से सप्लाई किये जाते हैं। शहरों में रेपसीड तेल और वनस्पति सहकारी एजेंसियों के माध्यम से सप्लाई किया जाता है।
	8. कर्नाटक	चीनी, चावल, गेहूं, सूजी, माइलो, रागी, पामोलीन तेल, मिट्टी का तेल और ज्वार।
	9. केरल	चावल, गेहूं, चीनी, मिट्टी का तेल, पामोलीन, चाय और गेहूं उत्पाद।
	10. मध्य प्रदेश	गेहूं, चावल, चीनी, खाद्य तेल, मिट्टी का तेल, नियंत्रित कपड़ा, चाय, दियासलाइयां, और साबुन।
	11. महाराष्ट्र	चावल, गेहूं, ज्वार, खाद्य तेल, चीनी, मिट्टी का तेल।
	12. मणिपुर	चावल, चीनी, आटा, मिट्टी का तेल, नमक। आयातित खाद्य तेल सरकार द्वारा नामित डीलरों के माध्यम से।
	13. मेघालय	चावल, चीनी, नमक, गेहूं उत्पाद, रेपसीड तेल और आर० बी० डी० ताड़ का तेल।

1 2	3
14. नागालैंड	चीनी, नमक, चावल और गेहूं उत्पाद ।
15. उड़ीसा	चावल, गेहूं, चीनी और मिट्टी का तेल । नियंत्रित कपड़ा और आयातित खाद्य तेल उपभोक्ता सहकारी समितियों के माध्यम से वितरित किया जाता है ।
16. पंजाब	चीनी, गेहूं, आटा, चावल, मिट्टी का तेल और आर० बी० डी० ताड़ का तेल ।
17. राजस्थान	गेहूं, चावल, चीनी, खाद्य तेल, नियंत्रित कपड़ा ।
18. सिक्किम	चावल, गेहूं, गेहूं उत्पाद, चीनी, ताड़ का तेल, परिष्कृत रेपसीड तेल ।
19. तमिलनाडु	चावल, गेहूं, गेहूं उत्पाद, चीनी, मिट्टी का तेल तथा पामोलीन ।
20. त्रिपुरा	नमक, चीनी, चावल, गेहूं, आटा, नियंत्रित कपड़ा, मिट्टी का तेल, दालें और सरसों का तेल ।
21. उत्तर प्रदेश	गेहूं, चावल, चीनी और आयातित खाद्य तेल तथा मिट्टी का तेल ।
22. पश्चिम बंगाल	चावल, गेहूं, चीनी, दालें, चाय, साबुन (नहाने व कपड़े धोने का) खाद्य तेल (आर० बी० डी० ताड़ का तेल तथा रेपसीड तेल) दियासलाइयां, कापियां, मोमबत्तियां और जनता साड़ियां ।
23. अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	चावल, गेहूं, चीनी, खाद्य तेल, दालें, नमक, चाय, काफी, दियासलाइयां, मिट्टी का तेल, साबुन (कपड़े धोने व नहाने का) मैदा, सूजी, आलू, प्याज, कपड़े और मसाले ।
24. अरुणाचल प्रदेश	चावल, आटा, चीनी, मिट्टी का तेल और नमक ।
25. चंडीगढ़ प्रशासन	चीनी, चावल, आटा, मिट्टी का तेल । आयातित खाद्य तेल उपभोक्ता सहकारी समितियों के माध्यम से वितरित किया जा रहा है ।
26. दादरा व नगर हवेली	चीनी, गेहूं, चावल और कपड़ा ।
27. दिल्ली प्रशासन	गेहूं, परिणामी आटा, मैदा, सूजी, चीनी, चावल, आर० बी० डी० ताड़ का तेल, रेपसीड तेल, मिट्टी का तेल, साफ्ट कोक, सीमेंट, और नियंत्रित कपड़ा ।
28. गोआ, दमण व दीव	चावल, गेहूं, चीनी, खाद्य तेल और नियंत्रित कपड़ा ।

1	2	3
29.	लक्षद्वीप समूह	चावल, गेहूं, नियंत्रित कपड़ा, मिट्टी का तेल, साबुन, खाद्य तेल, चीनी, नमक, टायर/ट्यूबें, चना, दाल, और लाल मिर्च, सीमेंट, डीजल और पेट्रोल, सफेद कागज, चाय, काफी, सस्ता कपड़ा, खाद्य तेल, शिशु आहार, शुष्क सैल, केवल सहकारी समितियों के माध्यम से वितरित किए जा रहे हैं।
30.	मिरोजम	चावल, चीनी, आटा, खाद्य तेल, नमक और मिट्टी का तेल।
31.	पांडिचेरी	चावल, गेहूं, मैदा, सूजी, चीनी, पामोलीन और मिट्टी का तेल।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की उपलब्धियां

509. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान, गेहूं, मक्का, चावल, दाल, तिलहनों और अन्य फसलों के बारे में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की उपलब्धियां क्या हैं;

(ख) क्या उनसे अपनी उत्पादकता सुधारने में किसान और राष्ट्र लाभान्वित हुए हैं; और

(ग) भूमि का कुल कितना क्षेत्रफल है और हाल के गत पांच वर्षों की ये उपलब्धियां देश के किस हिस्से में खेतों के लिए प्रयुक्त की गई हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामिनाथन्) : (क) पिछले पांच वर्षों के दौरान कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए "अधिक उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम" जिसके अन्तर्गत अधिक उपज देने वाली किस्मों का विकास और उचित उत्पादन और प्रतिरक्षण प्रौद्योगिकी का विकास है जिससे कि उनकी आनुवंशिक सम्भाव्यता का पता लगाना भी सम्मिलित है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के एक मुख्य कार्यक्रम के रूप में चालू रहा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने फसलों में कई अधिक उपज वाली किस्मों का विकास किया जैसे गेहूं, मक्का, चावल, ज्वार, बाजरा, दालें आदि जिसकी सूची निम्न प्रकार है :

फसल	किस्में
गेहूं :	एच० डी० 2204, एच० डी० 5281, एच० डी० 2285, आई० डब्ल्यू पी-72, डी० एल० 153-2, एम० एल० के० एस०-11, एच० डी० 2236, एच० डी०-2278, एच० डी० 2189, एच० एस० 86, एच० बी० 208, एच० बी० 501, डी० एल० 209, एच० पी० 1102
मक्का :	संकर : ई० एच० 2380, ई० एच० 2420, ई० एच० 2310
	कम्पोजिट : दिआरा

चावल : पूसा 2-21, पूसा-33, पूसा-4

ज्वार : संकर : सी० एस० एच०-1 से सी० एस० एच०-8
किस्में : सी० एस० वी०-1 से सी० एस० वी०-7

बाजरा : संकर : बी० जे० 104, बी० के० 230, एन० एच० बी० 5

दालें : चना : बी० जी० 209, बी० जी० 268, बी० जी० 270,
मूंग : पी० एस०-10, पी० एस०-7, पी० एस०-16, एस० 8
लोबिया : सी०-152
अरहर : पूसा 74, पूसा-78, पूसा-84

तिलहन : सरसों : पूसा बोल्ड, पी० आर० 450
ब्राउन सरसों : बी० आई० डी० 7, डी० बी० एस० 2
पीली सरसों : डी० वाई० एस० 3

उपर्युक्त उत्पादन प्रौद्योगिकी के साथ अधिक उपज देने वाली किस्मों के विकास के अतिरिक्त भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने गहन फसल प्रणाली विकसित की है। इन प्रणालियों के अन्तर्गत दोहरी फसल जैसे अरहर-गेहूं, मक्का-गेहूं, तिहरी फसल प्रणाली जैसे मूंग-मक्का-गेहूं, मक्का-आलू-प्याज, मूंग-अरहर-गेहूं और चार फसल प्रणाली जैसे मूंग-मक्का-आलू-गेहूं आती है।

(ख) जी हां, श्रीमान्।

(ग) यद्यपि पिछले पांच वर्षों में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी और फसल किस्मों के अन्तर्गत लाये गये क्षेत्र के परिणाम बताना कठिन है, तो भी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और इसके क्षेत्रीय केन्द्रों द्वारा विभिन्न फसलों के लिए अधिक उपज वाली किस्मों और उत्पादन प्रौद्योगिकी के विकास ने देश के अधिकतर भागों में उत्पादकता वृद्धि और फसल उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की है।

सिंचाई परियोजनाओं और बांधों के बारे में गुजरात से प्राप्त प्रस्ताव

510. **श्री रामजी भाई मावणि** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात की विभिन्न सिंचाई योजनाओं/बांधों के बारे में 1 फरवरी, 1980 से 31 दिसम्बर, 1981 और 1 जनवरी, 1982 से 31 मई, 1982 के दौरान गुजरात से केन्द्र को कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है और इसका क्या परिणाम रहा;

(ग) क्या गुजरात सरकार और केन्द्र के बीच मन्त्रालयी और सरकारी स्तर पर उपरोक्त अवधि के दौरान विचार-विमर्श भी हुआ था;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और केन्द्र द्वारा क्या आश्वासन दिये गये हैं;

(ङ) प्रत्येक योजना, परियोजना और बांध पर कितनी राशि मंजूर की गई है, और वास्तव में कितनी राशि दी गई; और

(च) केन्द्र द्वारा शेष राशि कब वितरित की जायेगी ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण-एक और दो में दी गई है।

(ग) और (घ) परियोजनाओं की स्वीकृति के सम्बन्ध में मन्त्री अथवा अधिकारी स्तर की कोई बैठक नहीं की गई है। तथापि, परियोजनाओं से सम्बन्धित अनिर्णीत मामलों को हल करने के लिए केन्द्रीय जल आयोग में तकनीकी स्तर की बैठकें समय-समय पर की जाती हैं।

(ङ) और (च) सिंचाई एक राज्य-विषय है और सिंचाई परियोजनाओं के लिए निधियों की व्यवस्था राज्य सरकारों द्वारा स्वयं अपनी समग्र विकासात्मक योजनाओं के अन्तर्गत की जाती है। राज्यों को केन्द्रीय सहायता एकमुश्त ऋणों/अनुदानों के रूप में दी जाती है और वह विकास के किसी विशेष क्षेत्र अथवा परियोजना से संबद्ध नहीं की जाती।

विवरण-एक

क्रम सं०	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (लाख रुपयों में)	लाभ (हजार हैक्टेयर में)	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5
	(एक) बृहद स्कीमें			
1.	सरदार सरोवर	347112.00	**सिंचाई** 1525 (गुजरात) 148 (राजस्थान) **विद्युत** 1200 मेगावाट	राज्य सरकार से परामर्श करके केन्द्रीय जल आयोग में जांच की जा रही है।
2.	फतेबाड़ी नहर प्रणाली का आधुनिकीकरण	1350.05	39.863* (अतिरिक्त) 9.80**	—तदेव—
3.	पलीथाना में शत्रुनी का आधुनिकीकरण	1343.70	35.00* (अतिरिक्त) 0.20**	—तदेव—

*वर्तमान लाभों का सुस्थिरीकरण

**अतिरिक्त लाभ

1	2	3	4	5
4.	खारीकट नहर प्रणाली का आधुनिकीकरण	547.423	12.00* (अतिरिक्त) 1.80**	—तदेव—
5.	दन्तीवाड़ा का आधुनिकीकरण	1952.91	49.41* (अतिरिक्त) 6.90**	राज्य सरकार से संशोधित रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
6.	भदार का आधुनिकीकरण	1015.00	21.781* (अतिरिक्त) 4.62**	—तदेव—
7.	मच्छू-एक का आधुनिकीकरण	34600 580.04	11.50* (अतिरिक्त) 2.60**	—तदेव—
8.	उकई-काकरापार का आधुनिकीकरण	7125.48	264.71* (अतिरिक्त) 52.857**	—तदेव—
(बी) मध्यम स्कीमें				
1.	हदफ	677.64	4.95	योजना आयोग द्वारा 11-2-1980 को अनुमोदित की गई।
2.	डेमी-दो	537.50	2.437	योजना आयोग द्वारा 4-5-81 को अनुमोदित की गई।
3.	अजी-दो	622.30	2.39	योजना आयोग द्वारा 4-5-81 को अनुमोदित की गई।
4.	अजी-तीन	1323.10	6.837	—तदेव—
5.	भदार	1311.06	5.48	योजना आयोग द्वारा 20-10-81 को अनुमोदित की गई।
6.	उबेन	626.90	2.198	राज्य सरकार के साथ परामर्श करके केन्द्रीय जल आयोग में जांच की जा रही है।
7.	उमरिया	282.31	2.345	—तदेव—
8.	येन	820.13	6.478	—तदेव—
9.	अनी	600.10	3.52	—तदेव—
10.	खम्भदा	296.85	2.05	—तदेव—

*वर्तमान लाभों का सुस्थिरीकरण
**अतिरिक्त लाभ

विवरण-2

क्रम सं०	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (लाख रुपये)	लाभ (हजार हैक्टेयर)	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5
(एक) बृहद स्कीमें				
1.	सिधुम्बर जलाशय	3053.029	20.48	राज्य सरकार की सलाह से केन्द्रीय जल आयोग में जांच की जा रही है।
(दो) मध्यम स्कीमें				
1.	वालन	848.34	6.50	—तदेव—
2.	माचू-दो	2043.45	7.284	—तदेव—

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का "लेबोरेटरी टू लैंड" कार्यक्रम

511. **डा० वसंत कुमार पंडित** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा वर्ष 1979 में शुरू किया गया "लेबोरेटरी टू लैंड" कार्यक्रम ने अपने निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं; यदि हां, तो 1979-82 के प्रगति प्रतिवेदनों का ब्योरा क्या है;

(ख) क्या इस परियोजना के अन्तर्गत सुविधाओं के लिये एक लाख फार्म परिवारों का पता लगाया गया है और यदि हां, तो राज्यवार आंकड़े और इसकी उपलब्धियां क्या हैं;

(ग) प्रत्येक राज्य में प्रौद्योगिकी के अन्तरण के लिए कितने केन्द्र स्थापित किये गये हैं और ये किस एजेंसी के अन्तर्गत कार्य करेंगे;

(घ) क्या इस परियोजना, इसकी उपलब्धियों और बाधाओं की समीक्षा की गई है और यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या हैं;

(ङ) क्या सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक इस कार्यक्रम को लागू करने का निर्णय किया है; और

(च) यदि हां, तो कितने अतिरिक्त फार्म परिवारों के लिए और इस परियोजना के लिए योजना आयोग द्वारा कितनी अधिक धनराशि का आवंटन मंजूर किया गया है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामिनाथन्) : (क) जी हां, श्रीमान्। "प्रयोगशाला से खेत तक" कार्यक्रम, जो कि प्रौद्योगिकी प्रायोजना का प्रायोगिक हस्तान्तरण है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा इसके स्वर्ण जयन्ती स्मरणोत्सव के अंग के रूप में जून, 1979 में प्रारम्भ में एक वर्ष के लिये चलाया गया, जिसके अन्तर्गत 50,000 कृषक परिवार चुने गये। इसमें भाग लेने वाले कृषक परिवारों और लागू करने वाले अभिकरणों की प्रतिक्रिया के निर्णय से प्राप्त इस कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए इसे मई, 1982 तक और 2 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया।

छोटे और सीमान्त किसानों और भूमिहीन श्रमिकों में से 50,000 कृषक परिवारों का चयन करना, उनका सर्वेक्षण और उनके विकास के लिए 1979-80 हेतु व्यक्तिगत योजना विकसित करना और उत्पादन, रोजगार व आय बढ़ाने के लिए व्यवहार्य कृषि सम्बन्धित प्रौद्योगिकी के विकास का लक्ष्य आमतौर पर प्राप्त कर लिया गया है।

(ख) जैसा कि अनुमोदित किया गया है, यह कार्यक्रम 50,000 कृषक परिवारों के लिए था। इसके अन्तर्गत लिए गये वास्तविक कृषक परिवारों की संख्या 49,344 है। सारणी-1 में इसका राज्यवार विवरण दिया गया है।

[ग्रंथालय में रखा गया—देखिए संख्या एल० टी० 4219/82]

(ग) इस योजना के अन्तर्गत कोई नया प्रौद्योगिकी स्थानान्तरण केन्द्र नहीं खोला जाएगा। प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम के लिए 86 प्रौद्योगिकी स्थानान्तरण केन्द्र खोले गये हैं जिसमें वर्तमान आई० सी० ए० आर० के अनुसंधान संस्थान, कृषि विश्वविद्यालय, राज्य सरकारें, स्वैच्छिक संस्थायें और उनके केन्द्र/उपकेन्द्र शामिल हैं।

(घ) प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम की उपलब्धियों और अड़चनों पर 14-15 मई, 1982 को राष्ट्रीय कार्यगोष्ठी में विचार किया गया। प्रत्येक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण केन्द्र के अन्तः शाखीय दलों द्वारा क्रियान्वयन अवधि के दौरान दिन-प्रतिदिन विचार किया गया। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय समन्वय एककों, क्षेत्रीय सलाहकार समिति की बैठकों, और समन्वयकर्ताओं की बैठकों में भी क्रियान्वयन के दौरान सामने आई समस्याओं पर विचार किया गया। मुख्यालय में प्रयोगशाला से खेत तक प्रकोष्ठ द्वारा भी देश में इस योजना के क्रियान्वयन और उपलब्धियों पर लगातार नजर रखी गई। इस कार्यक्रम की समग्र उपलब्धि काफी संतोषजनक रही।

(ङ.) जी हां, श्रीमान्।

(च) कार्यक्रम के द्वितीय चरण (1982-85) में 75,000 नये कृषक परिवारों को लिया जायेगा, जिसके लिए प्रति 100 परिवार प्रति वर्ष 59,000 रु० का वित्तीय प्रावधान किया जाना है।

लक्ष्मीबाई नगर में झील का विकास

512. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली नगरपालिका लक्ष्मीबाई नगर के सामने ब्रिगेडियर होशियार सिंह मार्ग में एक झील का विकास कर रही है;

(ख) यदि हां, तो नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा झील और पार्क पर किया जाने वाला अनुमानित व्यय कितना है;

(ग) क्या यह भी सच है कि नई दिल्ली नगरपालिका ने इससे पूर्व इस स्थान पर "रोज गार्डन" और "बुड लैण्ड" का विकास किया था;

(घ) क्या यह भी सच है कि पहले लगाए सभी गुलाब के पौधे और पेड़ नष्ट हो गये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो नई दिल्ली नगरपालिका को इस पर कुल कितनी हानि हुई ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कृषि विज्ञान स्नातकों की आवश्यकता

513. **श्री के० ए० स्वामी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कृषि विज्ञान के स्नातकों की मांग बढ़ रही है; और

(ख) अधिक संख्या में कृषि विज्ञान स्नातकों को तैयार करने के लिये शिक्षा सुविधाएं बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामिनाथन्) : (क) कृषि विज्ञान स्नातक, राज्य के कृषि विश्वविद्यालयों, जो कि स्वायत्तशासी संस्थान है तथा अपने अधिनियम तथा संविधियों से शासित होते हैं, और कुछ अन्य कृषि महाविद्यालयों से जो केन्द्रीय विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध हैं तथा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के महाविद्यालयों से शिक्षा प्राप्त कर बाहर निकलते है। कृषि विश्वविद्यालयों की पृथक प्रवेश क्षमता सम्बन्धित विश्वविद्यालय की शैक्षिक परिषद के द्वारा नियमित की जाती है। अलग-अलग कृषि विश्वविद्यालयों की प्रवेश क्षमता का नियंत्रण संबंधित विश्वविद्यालय के शैक्षिक परिषद द्वारा होता है। इसी तरह सम्बद्ध महाविद्यालयों और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कृषि महाविद्यालय की प्रवेश क्षमता का निर्णय संबंधित विश्वविद्यालय/संस्थानों के प्रबन्ध समितियों द्वारा लिया जाता है।

(ख) मौजूदा समय में, उपर्युक्त संस्थान कृषि विज्ञान के विभिन्न शाखाओं में स्नातक डिग्री कार्यक्रम के लिए 7400 से अधिक छात्रों को दाखिला देते हैं। ये संस्थान यदि आवश्यक समझें तो वर्तमान सुविधाओं के तहत काफी संख्या में छात्रों को दाखिला दे सकते हैं। परिषद ने नये कालेज की स्थापना की बात को स्वीकार कर लिया है या मानव शक्ति की आवश्यकता के आधार पर उचित औचित्य के साथ राज्य के विश्वविद्यालयों की मांगों का समर्थन किया जाये तो जहां-कहीं संभव होगा परिषद दाखिले की क्षमता में वृद्धि कर सकती है।

बिहार में खाद्यान्नों का उत्पादन लक्ष्य

514. **श्री कुंवर राम :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1982-83 और 1983-84 में खाद्यान्नों का उत्पादन लक्ष्य पूरा करने के लिए बिहार में क्या उपाय किये गये; और

(ख) इसके अन्तर्गत सीमांत कृषकों, हरिजनों और आदिवासियों को शामिल करने के लिए क्या उपाय किए गए ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामिनाथन्) : (क) वर्ष 1982-83 और 1983-84 के दौरान बिहार में खाद्यान्न उत्पादन के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए किए गए उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ धान्यों और कदन्नों की अधिक उपजशील किस्मों वाले क्षेत्र में विस्तार करना, मिनिकिट कार्यक्रम का कार्यान्वयन करके विभिन्न मौसम की स्थितियों के लिए उपयुक्त किस्मों का चयन करना, सामुदायिक नर्सरी कार्यक्रम की सहायता से चावल की फसल जल्दी बोना, रासायनिक उर्वरकों का अधिक और कुशल उपयोग करना, सिंचित क्षेत्र में वृद्धि करना, कुल फसल क्षेत्र में वृद्धि करना, पर्याप्त वनस्पति रक्षण उपाय करना, उत्पादन की नयी प्रौद्योगिकी में विस्तार कर्मचारियों और किसानों को प्रशिक्षण देना व राज्य, जिला और ब्लाक स्तरों पर सिंचाई, कृषि, बिहार बिजली बोर्ड, बिहार जल विकास निगम और आदान एवं ऋण आपूर्ति एजेन्सियों के बीच समन्वय करना शामिल है।

(ख) उपर्युक्त उपाय सभी किसानों, जिनमें सीमांत, हरिजन और आदिवासी किसान भी शामिल हैं, के लाभ के लिए किए जा रहे हैं। इसके अलावा, आदिवासी क्षेत्रों में मक्का प्रदर्शन करने की एक विशेष योजना केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लाभ के लिए चलाई जा रही है।

आस्ट्रेलिया से गेहूं का आयात

515. **श्री रवीन्द्र वर्मा :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने आस्ट्रेलिया से साढ़े सात लाख टन गेहूं का आयात करने के लिए अनुबन्ध किया है;

(ख) यदि हां, तो कितना गेहूं यहां पहुंच गया है और कितना अभी आना है; और

(ग) क्या अब तक कुछ गेहूं वितरित किया गया है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उपमंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) जी हां। नवम्बर, 1981 में आस्ट्रेलिया से 7.50 लाख मीटरी टन गेहूं (खरीदार के विकल्प पर 5 प्रतिशत अधिक अथवा कम) आयात करने का ठेका किया गया था।

(ख) इस ठेके के प्रति कुल 7.61 लाख मीटरी टन गेहूं प्राप्त हो चुका है और शेष कोई मात्रा प्राप्त नहीं होनी है।

(ग) जी नहीं।

खाद्य तेलों के लिये बढ़ती मांग को हल करना

516. **श्री धर्मवीर सिंह** : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाद्य तेलों की बढ़ती हुई मांग पूरी करने के लिए हल के रूप में तेल देने वाले पाम बागानों का वाणिज्यिक रूप से विकास करने और चावल की भूसी से अधिक कुशलता से तेल निकालने के लिए कदम उठाये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1982-83 के दौरान खाद्य तेलों के बारे में अनुमानित आयात बिल क्या है ?

कृषि तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री मोहम्मद उसमान आरिफ) : (क) व (ख) जी हां।

वाणिज्यिक तेल-ताड़ के बागानों का विकास करने के लिए दो संगठनों अर्थात् भारत सरकार और केरल सरकार की संयुक्त क्षेत्र की परियोजना "आयल पाप इंडिया" और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह वन बागान विकास निगम (अंडमान एण्ड निकोबार आइलैंड्स फारेस्ट एण्ड प्लान्टेशन डैवलपमेंट कारपोरेशन) लि०, की स्थापना की गई है।

जहां तक चावल की भूसी के तेल का सम्बन्ध है, चावल की भूसी के उत्पादन के बारे में एक उच्च स्तरीय अन्तर-मंत्रालय समन्वय समिति गठित की गई है, जो मोटे तौर पर चावल की भूसी के तेल का और विशेष रूप से खाद्य ग्रेड के तेल का अधिक तथा ज्यादा कुशलता से उत्पादन करने से संबंधित विभिन्न बातों की जांच करेगी।

(ग) तेल वर्ष 1982-83 नवम्बर, 1982 से आरम्भ होगा। आयात का स्तर कई बातों पर निर्भर करेगा, जैसे देश में इसका उत्पादन, समय-समय पर आकलित की गई इसकी मांग, इसकी तुलनात्मक मूल्य स्थिति, विदेशी मुद्रा की उपलब्धता आदि। अतः इस समय यह अनुमान लगाना कठिन होगा कि आयात का संभावित बिल क्या होगा।

चीनी का उत्पादन

517. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चालू वर्ष के दौरान चीनी के प्रचुर उत्पादन होने को देखते हुए समेकित चीनी नीति बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार इस वर्ष संभावित प्रचुर उत्पादन को देखते हुए चीनी के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाने पर विचार कर रही है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उपमंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) और (ख) विभिन्न नीति विषयक वैकल्पों पर विचार करने के बाद सरकार ने दोहरी मूल्य निर्धारण नीति के साथ चीनी की आंशिक नियंत्रण की नीति तैयार की थी और जिसका 1967-68 से अनुसरण भी किया जा रहा है हालांकि थोड़े समय के लिए विनियंत्रण की नीति को भी लागू किया गया था। इस नीति का उद्देश्य उपभोक्ता, गन्ना उत्पादक और चीनी के उत्पादक के परस्पर विरोधी हितों के बीच सन्तुलन कायम करना है और चीनी के उत्पादन में वृद्धि करने में सहायता प्रदान करना है। तथापि, इस नीति में प्रत्येक वर्ष गन्ने और चीनी के उत्पादन, उपलब्धता और मूल्य आदि में व्यापक घट-बढ़ होने के कारण, कई एक बाधाएं पैदा हो जाती हैं जिनके फलस्वरूप समस्याएं पैदा हो जाती हैं और इस सम्बन्ध अल्पकालिक सुधारात्मक उपाय करना तथा नीति विषयक पैरामीटरों में अस्थायी परिवर्तन करना आवश्यक हो जाता है ताकि विभिन्न परिस्थितियों का मुकाबला किया जा सके। वर्तमान वर्ष के दौरान चीनी के भरपूर उत्पादन से पैदाशुदा स्थिति का मुकाबला करने के लिए, सरकार ने मुक्त बिक्री को चीनी के मासिक कोटों की सूझ-बूझ के साथ निर्मुक्तियां कर और खुले बाजार में चीनी के मूल्यों पर निरन्तर निगरानी रखकर चीनी के मूल्यों को अलाभकारी स्तर तक गिरने से रोकने के बारे में उपाय किए हैं। चीनी का बफर स्टाक तैयार करने का भी निर्णय किया गया है। भरपूर फसल होने के बावजूद भी राज्य सरकारों के परामर्श पर गन्ना उत्पादकों को चीनी मिलों से उनकी फसल का लाभकारी मूल्य मिल रहा है और उत्पादन शुल्क में रिबेट देने, गन्ना क्रय कर को वापस करने और अतिरिक्त ऋण सुविधा देने के रूप में उद्योग को पर्याप्त प्रोत्साहन दिए गए हैं ताकि वे यथा सम्भव अधिकतम उपलब्ध गन्ने की पिराई कर सकें और गन्ना उत्पादकों के गन्ने के मूल्य के बकायों का तुरन्त भुगतान कर सकें।

(ग) भारत से चीनी का निर्यात अन्तर्राष्ट्रीय चीनी करार इन्डो ई० ई० सी० करार के अन्तर्गत सामान्यतया पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात सम्बन्धी कार्य-निष्पादन के आधार पर आवंटित किए गए वार्षिक कोटों द्वारा विनियमित होता है। क्योंकि चीनी की कम उपलब्धता होने के कारण हम 1980 और 1981 के दौरान निर्यात के कोटे को पूरा नहीं कर पाए थे, इसलिए 1982 के दौरान निर्यात करने के लिए 7 लाख मीटरी टन रा-वेल्यू का कोटा प्राप्त करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय चीनी संगठन से पुरजोर अनुरोध करना पड़ा था।

विभिन्न उत्पादों के लिये समर्थन मूल्य

518. **श्री वी० वी० देसाई :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आने वाले कृषि सीसम में विभिन्न उत्पादों के लिए समर्थन मूल्य बढ़ाने के बारे में सरकार गम्भीरतापूर्वक विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने समर्थन मूल्य पर्याप्त मात्रा में बढ़ाने का भी निर्णय लिया है जैसाकि गत दो वर्षों के दौरान किया जाता रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामिनाथन्) : (क) जी नहीं। समान रूप से सभी सम्बद्ध पहलुओं पर विचार करने के बाद समर्थन मूल्य सम्बन्धी निर्णय लिए जाएंगे।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं होता।

सूखा पीड़ित राज्यों के लिए अध्ययन दल

519. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वर्ष में सूखा पीड़ित राज्यों में कोई अध्ययन दल भेजा है;

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें सूखा पड़ा और केन्द्रीय दल ने दौरा किया; और

(ग) सूखे के बारे में क्या मूल्यांकन किया गया ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उपमन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) केन्द्रीय दल 1982 के मानसून पूर्व सूखे के संबंध में 4 से 7 मई, 1982 तक राजस्थान का दौरा किया।

(ख) पश्चिम बंगाल 1981 के मानसून बाद सूखे से प्रभावित हुआ। तथापि, राज्य सरकार ने जून, 1982 के अन्त तक राहत संबंधी उपाय जारी रखे। पश्चिम बंगाल में कोई केन्द्रीय दल नहीं भेजा जा रहा है, परन्तु, निधि के लिए राज्य सरकार के अनुरोध का मूल्यांकन हाल में होने वाली अन्तर-मंत्रालय दल की बैठक में किया जाएगा।

(ग) राजस्थान केन्द्रीय दल की रिपोर्ट के अनुसार अधिकांश ग्रामों की फसल को लगातार 4 वर्ष से क्षति हो रही है। केन्द्रीय दल ने राजस्थान सरकार को स्वीकृति के लिए 37.03 करोड़ रुपए के व्यय की अधिकतम सीमा की सिफारिश की थी ताकि वह सितम्बर, 1982 तक अपना सूखा राहत संबंधी कार्य जारी रखने में समर्थ हो सके।

राहत संबंधी उच्च स्तरीत समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने सितम्बर, 1982 तक राहत संबंधी कार्य जारी रखने के लिए 37.03 करोड़ रुपए के व्यय की अधिकतम सीमा मंजूर की है।

पश्चिम बंगाल

अन्त: मंत्रालय की बैठक की सिफारिशें प्राप्त होने पर, सूखा राहत उपायों के लिए केन्द्रीय सहायता संबंधी अनुरोध पर विचार किया जाएगा ।

'पार्सिंग दि बक आन डेमेज्ड व्हीट' शीर्षक से समाचार

520. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 5 जून, 1982 के इंडियन एक्सप्रेस नई दिल्ली में प्रकाशित "पार्सिंग दि बक आन डेमेज्ड व्हीट" शीर्षक समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या क्षतिग्रस्त गेहूं का आटा बनाकर उसे राजधानी में उचित दर की दुकानों से बेचा जा रहा है; और

(ग) क्या इस आटे के पौष्टिक तत्वों का पता लगाने और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य में उसके प्रभाव की जांच करने के लिए कोई परीक्षण किया गया है; यदि हां, तो किस ढंग से और उसके क्या परिणाम निकले ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उपमंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) जी हां ।

(ख) भारतीय खाद्य निगम द्वारा उचित दर की दुकानों को सप्लाई किया गया गेहूं केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किए गए मानकों के अनुरूप होता है । रोलर फ्लोर मिलों द्वारा उचित दर की दुकानों को सप्लाई किया गया परिणामी आटा भारतीय खाद्य निगम के डिपो से जारी किए गए गेहूं से तैयार किया जाता है और वह समान विनिर्दिष्टियों तथा खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमों के अनुरूप होता है ।

(ग) रोलर फ्लोर मिलों द्वारा स्वैच्छिक रूप से किस्म संबंधी नियंत्रण रखने के अलावा, खाद्य अपमिश्रण निवारण निरीक्षक भी कभी कभी नमूने लेते हैं और जब कभी स्टाक निर्धारित सीमा के अनुरूप नहीं पाया जाता है तब इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाती है ।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को आवंटित धनराशि

521. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए पश्चिम बंगाल को कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा इस धनराशि में से जिला-वार और खंड-वार, विशेष रूप से सुन्दर वन क्षेत्र में कितनी-कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ग) इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत कार्यान्वित किए जाने के लिए किस-किस किस्म की योजनाएं तैयार की गई हैं और प्रस्तावित हैं तथा उनकी रोजगार क्षमता क्या-क्या होगी ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के बारे में पश्चिम बंगाल सरकार को वर्ष 1982-83 के लिए 1340 लाख रुपए का केन्द्रीय आवंटन है जबकि यह राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए चालू वर्ष की प्रथम दो तिमाहियों हेतु 674 लाख रुपए है, इसमें राज्य को आवंटित 11250 मीटरी टन चावल का मूल्य भी शामिल है। राज्य सरकारों द्वारा इन कार्यक्रमों के लिए अपने अंश के रूप में इतनी ही धनराशि सुलभ किए जाने की आशा है।

(ख) राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिक, माध्यमिक तथा तृतीय क्षेत्रों में सक्षम तथा बैंक ग्राह्य आर्थिक गतिविधियों के लिए सहायता उपलब्ध है जिनसे चुने लाभभोगी परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के लिए उनके आय-स्तरों में वृद्धि होने की संभावना है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत ऐसे निर्माण कार्य जिनसे ग्रामीण आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने में प्रत्यक्ष रूप से सहायता मिलती है और जिनसे ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ सामुदायिक परिसम्पत्तियों का सृजन होता है, शुरू किए जा सकते हैं तथा ऐसे निर्माण कार्य भी शुरू किए जा सकते हैं जिनसे ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था तथा गांवों में जीवन-स्तर में सुधार होता है। इस प्रकार के निर्माण कार्यों जिन्हें राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत शुरू किया जा सकता है, की एक निदर्शी सूची संलग्न विवरण में है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) के प्रत्येक वर्ष के दौरान 3 मिलियन परिवारों को लाभप्रद रोजगार सुलभ किए जाने की आशा है और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्पूर्ण देश में औसतन 300 से 400 मिलियन श्रमदिनों का रोजगार सृजित किए जाने की सम्भावना है।

विवरण

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत शुरू किए जाने वाले निर्माण कार्यों की एक निदर्शी सूची

1. सरकारी तथा सामुदायिक भूमि जिसमें, स्थानीय निकायों जैसे पंचायतें आदि की भूमि भी शामिल हैं, पर वनरोपण तथा सामाजिक वानिकी, सड़कों के किनारे पेड़ लगाना, नहरों के तटों तथा रेलवे लाइनों आदि के साथ बेकार पड़ी भूमि पर पेड़ लगाना, निरावृत्त वन क्षेत्रों तथा कृषि के लिए अयोग्य अन्य भूमि पर पेड़ लगाना, ईन्धन व चारे के लिए और फलदार वृक्ष लगाना,

2. पेयजल कुएं, सामुदायिक सिंचाई कुएं, अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए सामूहिक आवास तथा भूमि विकास परियोजनाएं,

3. घरेलू उपयोग अथवा पशुओं के लिए जल उपलब्ध कराने, सिंचाई या मत्स्यपालन आदि को विकसित करने हेतु ग्रामीण तालाबों का निर्माण, विद्यमान तालाबों की मरम्मत, उन्हें गहरा करना तथा उनका पुनरुद्धार करना,

4. लघु सिंचाई निर्माण कार्य जिसमें बाढ़ बचाव, नालियां तथा जल जमाव निवारक कार्य, सिंचाई परियोजनाओं के कमाण्ड क्षेत्रों में माध्यमिक तथा मुख्य नालियों तथा खेत की नालियों का निर्माण, भूमि समतलीकरण आदि, जल वाहिकाओं आदि की सफाई करना तथा उनकी गाद निकालना आदि शामिल है,

5. भू तथा जल संरक्षण और भूमि सुधार,

6. मानक विनिर्देशनों के अधीन ग्रामीण सड़कें जहां उन्हें पक्का करने, क्रास जल निकासी, रख-रखाव आदि के लिए विशिष्ट वित्तीय प्रावधान उपलब्ध हैं,

7. विद्यालय तथा बालवाड़ी भवन, पंचायत घर, सामुदायिक केन्द्र, पेयजल कुएं, वन क्षेत्रों में जंगली पशुओं के लिए पेय जल के स्रोत, पशुओं के लिए तालाब, पिंजरापोल, गोशालाएं सामुदायिक मुर्गीपालन तथा सूअरों के लिए घर, नहाने तथा कपड़े धोने के घाट, सामुदायिक शौचालय, सामुदायिक कूड़ेदान और सामुदायिक बायोगैस संयंत्र।

एशियाई खेलों के दौरान आवश्यक वस्तुए उपलब्ध कराने के लिए की गई कार्रवाई

522. **श्री सनत कुमार मंडल**: क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी एशियाई खेलों के दौरान होने वाली उपभोक्ता वस्तुओं तथा आवश्यक वस्तुओं की कमी पहले से ही दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है;

(ख) क्या यह सच है कुछ बेईमान व्यापारियों ने अभी से ही शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं को शीतागारों में रखकर और इनकी कमी पैदा करने, जमा करना आरम्भ कर दिया है ताकि खेलों के दौरान इनकी अत्यधिक मांग होने पर इनसे अत्यधिक मुनाफा कमाया जा सके; और

(ग) क्या व्यापारियों तथा शीतागार मालिकों के इसे छलसाधनों पर कोई नियंत्रण रखा जा रहा है ?

कृषि तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री मोहम्मद उसमान आरिफ) : (क) से (ग) दिल्ली प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिये कि दिल्ली में एशियाई खेलों के दौरान आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी न हो तथा उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े, समुचित उपाय किये गये हैं। इन उपायों में विभिन्न संगठनों तथा उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादकों के साथ कारगर सम्पर्क बनाये रखना भी शामिल है। खराब हो जाने वाली वस्तुओं आदि की जमाखोरी के सम्बन्ध में अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली है। तथापि, दिल्ली प्रशासन का खाद्य तथा आपूर्ति विभाग आवश्यक जांच कर रहा है तथा स्थिति पर बराबर नजर रखे हुए है।

केरल में नेय्यार ऊपरी बांध के निर्माण के लिए सम्पर्क

523. **श्री ए० नीलालोहितदासन नाडार** : क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केरल के नेय्यार बांध के निर्माण के बारे में भारत सरकार से सम्पर्क किया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बधी ब्योरा क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) : (क) जी, नहीं । तथापि, केरल सरकार ने यह सूचित किया है कि अपर नेय्यार बांध के निर्माण की सम्भाव्यता की जांच की जा रही है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

बाजार में चीनी के मूल्य की स्थिति

524. **श्री बी० वी० देसाई** :
श्री जैनुल अबेदिन :
श्री गदाधार साहा :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून 1982 के लिए 1.55 लाख टन खुली बिक्री की चीनी जारी करने के चार दिन बाद मूल्यों में अचानक वृद्धि बाजार में हुई तीव्र प्रतिक्रिया के परिणाम हैं;

(ख) क्या विभिन्न क्षेत्रों में सामान्य किस्मों पर खुले बाजार की चीनी के मूल्यों में 65 रुपये यथा 5351580 रुपये तक बढ़ गये;

(ग) क्या चीनी के रिकार्ड उत्पादन, जो कि इस वर्ष 80 लाख टन की सीमा पार कर गया है, के बावजूद मूल्यों में वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं;

(ङ) क्या सरकार कोटा घोषणा पर मूल्यों के चढ़ाव पर कड़ी नजर रख रही है लेकिन अभी तक मूल्य वृद्धि को रोकने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गई है; और

(च) इसके मुख्य कारण क्या हैं और चीनी के मूल्य में वृद्धि को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उपमंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) से (च) चीनी का भरपूर उत्पादन होने की आशा में, सरकार वर्तमान चीनी वर्ष के प्रारम्भ से मुक्त बिक्री चीनी की उदारता के साथ निर्मुक्त कर रही है । इसके परिणामस्वरूप, खुले बाजार के मूल्यों में भारी गिरावट आयी । इस बात को देखते हुए कि मूल्यों में और गिरावट आने से चीनी फैक्टरियों की सांविधिक न्यूनतम मूल्यों से अधिक गन्ने के मूल्यों का समय पर भुगतान करने की

क्षमता पर कुप्रभाव पड़ेगा और उसके फलस्वरूप भारी मात्रा में बकायों की राशि जमा हो जाएगी, इसलिये जून, 1982 के लिये 1.55 लाख मीटरी टन की मात्रा निर्मुक्त की गई थी। इसके तुरन्त बाद, दिल्ली में मूल्य 40/- रुपये प्रति क्विंटल तक बढ़ गए और अन्य प्रमुख मंडियों में मूल्य 5/- से 15 रुपये प्रति क्विंटल तक बढ़ गए। मूल्यों में वृद्धि को रोकने की दृष्टि से, दो अनुपूरक निर्मुक्तियां की गई थीं अर्थात् जून, 1982 के लिए कुल दो लाख मीटरी टन मात्रा निर्मुक्त की गई थी। जुलाई, 1982 के लिए भी इतनी ही मात्रा निर्मुक्त की गई। इसके फलस्वरूप वृद्धि की प्रवृत्ति को रोक दिया गया है और मूल्य उपयुक्त स्तर पर बने हुए हैं। निर्मुक्तियां करते समय, उपभोक्ता और गन्ना सम्भरणकर्ताओं के हितों के बीच सन्तुलन कायम करने का प्रयास किया जाता है।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं की प्राप्ति के लिए विशिष्ट में छूट देना

525. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने गेहूं की किस्म, जो साइलों के लिए दी जा सकती है, के बारे अपनी मानक विशिष्टयों में आगे छूट दी है;

(ख) क्या भारतीय खाद्य निगम ने साइलो में 5 प्रतिशत तक की मूल विशिष्टियों की तुलना में लगभग 20 प्रतिशत तक खराब गेहूं अथवा आंशिक रूप से खराब गेहूं को स्वीकार कर लिया है;

(ग) यदि हां तो भारतीय खाद्य निगम द्वारा अब तक कितना खराब गेहूं वसूल किया गया है और निगम द्वारा यह गेहूं किस प्रकार निपटाये जाने की संभावना है; और

(घ) इस निर्णय से किसानों को कितना लाभ पहुंचा है?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उपमंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) इस वर्ष गैर मौसमी वर्षा होने के कारण गेहूं की फसल क्षतिग्रस्त होने और खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अधीन निर्धारित किए गए न्यूनतम मानकों के अनुरूप खरीदारी करने की आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए, भारतीय खाद्य निगम और अन्य एजेन्सियों द्वारा केन्द्रीय भण्डार के लिए गेहूं की वसूली करने हेतु सरकार ने मानक निर्दिष्टियों को उदार बना दिया है। यह उदार-नीति निम्न-लिखित के बारे में :

(i) बदरंग गेहू, जिसका दाना किसी प्रकार से भी किस्म की दृष्टि से क्षतिग्रस्त नहीं हुआ हो और जिसे बिना सीमा के खरीदा जा सकता है।

(ii) मामूली तौर पर क्षतिग्रस्त अनाज, जहां दाना प्रभावित नहीं हुआ हो, जिसे 20 प्रतिशत तक खरीदा जा सकता है जबकि पहले यह सीमा 10 प्रतिशत थी; और

(iii) क्षतिग्रस्त अनाज को 5 प्रतिशत तक खरीदा जा सकता है जबकि पहले 3 प्रतिशत तक खरीदा जाता था।

परम्परागत गोदामों अथवा साइलों में रखे गए गेहूं की किस्म में कोई अन्तर नहीं है।

(ख) भारतीय खाद्य निगम वही गेहूं खरीदेगा जोकि ऊपर (क) में उल्लिखित निर्दिष्टियों के अनुरूप हो।

(ग) 8.7.1982 तक निर्धारित निर्दिष्टियों के अनुसार 75.00 लाख मी० टन गेहूं वसूल किया जा चुका है। इस स्टाक का प्राधिकृत निर्मुक्तियों के अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली और रोलर फ्लोर मिलों के लिए सामान्य माध्यमों के जरिये निपटान किया जाएगा।

(घ) किसानों को इस सीमा तक लाभ पहुँचा है कि वे शिथिलित निर्दिष्टियों के अनुरूप अपने वर्षा से प्रभावित गेहूं का निपटान करने में सक्षम हुए हैं।

जाली राशन कार्डों के जारी किये जाने की जांच

526. **श्री सुशील कुमार भट्टाचार्य** : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में मई में लगभग दस लाख जाली राशन कार्डों का पता लगाया गया था;

(ख) यदि हां, तो ये सभी कार्ड उचित जांच के बिना कैसे जारी किये गये थे; और

(ग) क्या राशन कार्ड जारी करने में गड़बड़ की जाती है ?

कृषि तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) जी नहीं। तथापि, मई, 1982 माह के दौरान 2942 जाली राशन कार्डों का पता लगाया गया और उन्हें खत्म कर दिया गया।

(ख) आमतौर पर, खाद्य कार्ड आवेदक के निवास स्थान के बारे में तथ्यों का पहले से पता लगाने के बाद ही जारी किये जाते हैं। समाज के सबसे कमजोर वर्गों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ प्रदान करने की दृष्टि से, प्रशासन ने अगस्त, 1980 में खाद्य कार्ड जारी करने की नीति को उदार बना दिया और कुछ मामलों में खाद्य कार्ड केवल आवेदनों पर ही जारी कर दिए गये।

(ग) जी नहीं।

काम के लिए अनाज कार्यक्रम" के अधीन श्रमिकों को बकाया मजदूरी की अदायगी का न किया जाना

527. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार के विभिन्न जिलों तथा विशेष रूप से नालन्दा जिले के श्रमिकों की 1979-80 और 1980-81 वर्षों के लिए "काम के लिए अनाज कार्यक्रम" के अधीन मजदूरी के करोड़ों रूपये बकाया हैं;

(ख) क्या बकाया मजूरी की अदायगी न किए जाने के कारण लाखों मजदूरों को मुखमरी का सामना करना पड़ रहा है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार श्रमिकों को बकाया मजूरी की अदायगी शीघ्रता से कराने के लिए कोई कार्रवाई करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

छोटे और सीमान्त किसानों की सहायता के लिए गुजरात सरकार की योजना

528. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वर्ष 1982-83 के दौरान छोटे और सीमान्त किसानों की सहायता करने के लिए कार्यान्वियन हेतु गुजरात सरकार की कोई योजना प्राप्त हुयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनमें कितना धन अन्तर्ग्रस्त है;

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार के पास देश के छोटे और सीमान्त किसानों की सहायता के लिए कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसी योजना का ब्यौरा क्या है और इसके लिए वर्ष 1982-83 के लिए कितनी धनराशि की व्यवस्था है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) से (ग) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धन ग्रामीणों के लक्षित वर्ग को सहायता सुलभ की जाती है जिसमें लघु तथा सीमान्त किसान भी शामिल हैं और इस कार्यक्रम को 1980-81 से देश के सभी खण्डों में कार्यान्वित किया जा रहा है जिनमें गुजरात के खण्ड भी शामिल है समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता सुलभ करने के लिए कार्यकारी योजनाएं जिला ग्रामीण विकास एजेन्सियों द्वारा तैयार की जाती है और इन्हें राज्य स्तरीय समन्वय समिति जिसमें भारत सरकार भी प्रतिनिधित्व करती है, द्वारा अनुमोदित किया जाता है । इसके अलावा, भारत सरकार के पास अलग से कोई प्रस्ताव नहीं आना है । 1982-83 हेतु गुजरात के लिए कार्यवाही योजनाएं शीघ्र तैयार किए जाने की सम्भावना है ।

(घ) व (ङ) उपर्युक्त समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत छोटे किसानों के लिए 25 प्रतिशत, सीमान्त किसानों, कृषि श्रमिकों तथा ग्रामीण कारीगरों को 33⅓ प्रतिशत तथा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्ध रखने वाले परिवारों को आर्थिक रूप से सक्षम परियोजनाएं शुरू करने के लिए 50 प्रतिशत की दर से सहायता सुलभ की जाती है, इससे उन्हें गरीबी की रेखा से ऊपर उठने में सहायता मिलेगी । शेष धनराशि को संस्थागत स्रोतों से प्राप्त किया जाना है । छठी पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम के लिए 1800 करोड़ रुपये का

परिव्यय रखा गया है जिसे केन्द्र तथा राज्यों के बीच बराबर-बराबर के आधार पर बांटा जाना है। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 3000 करोड़ रुपए का संस्थागत ऋण जुटाए जाने की संभावना है। इस प्रकार, छठी पंचवर्षीय योजना म इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 4,500 करोड़ रुपए का निवेश लगाया जाएगा। 31 मार्च, 1985 के अन्त तक प्रति वर्ष प्रति खण्ड औसतन 600 परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठने के लिए 15 मिलियन परिवारों के सहायता पहुंचाई जानी है।

1982-83 के दौरान इस योजना के लिए केन्द्रीय बजट मे 190 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है जिसमें विशेष पशुधन संवर्धन कार्यक्रम के लिए कुछ धनराशि भी शामिल है। 1982-83 के दौरान एक खण्ड के लिए 8 लाख रुपए का आवंटन है। 1982-83 के लिए गुजरात सरकार को 17.44 करोड़ रुपए का आवंटन होगा।

छोटे किसानों को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से तकनीकी सहायता

529. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने पचास हजार छोटे किसानों को तकनीकी सहायता देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या विभिन्न राज्यों में उपर्युक्त निर्णय को लागू करने के लिए अब तक कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है;

(ग) छोटे किसानों को इस प्रकार की तकनीकी सहायता देने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामिनाथन्) : (क) जी हां, श्रीमान। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्वर्ण जयन्ती के एक भाग के रूप में, 50,000 छोटे तथा सीमान्त किसान परिवारों के लिए वर्ष 1979 में एक प्रौद्योगिकी कार्यक्रम का प्रायोगिक हस्तान्तरण (प्रयोगशाला से खेत तक) शुरू किया गया था।

(ख) जनवरी, 1979 में एक राष्ट्रीय वर्कशाप का आयोजन किया गया था जिसमें 86 प्रौद्योगिकी केन्द्रों के हस्तान्तरण (23 कृषि विश्वविद्यालय, 32 भा० कृ० अ० प० के संस्थान, 31 संबद्ध अभकरण) के माध्यम से विभिन्न राज्यों में प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु विस्तृत योजना तथा गाईडलाइन्स तैयार की गई।

(ग) चुने गये छोटे तथा सीमान्त किसानों में से प्रत्येक को स्वीकृत अलग-अलग फार्म को वार्षिक योजना के अनुसार वस्तु के रूप में रुपये 500 रुपये का महत्वपूर्ण निवेश दिया गया। इसके अतिरिक्त जहां कहीं किसानों को मिट्टी में सम्बन्धित समस्या है उनको कृषि योग्य भूमि बनाने हेतु प्रदर्शन के लिए 1000 रु० प्रति एकड़ दिये गये। सामूहिक आधार पर सामान्य कार्यक्रम के लिए अधिक संख्या में किसानों के लाभ के लिए निवेश प्रदान करने का भी प्रावधान है।

(ब) पहले, किसानों का चयन किया गया है ताकि इस योजना से सिर्फ छोटे तथा सीमान्त किसान और भूमिहीन मजदूर ही लाभ उठा सके।

दूसरे, किसानों के परिवारों का, उनके संसाधन तथा आवश्यकताओं के मूल्यांकन तथा उनके उत्पादन तथा आय बढ़ाने के लिए जीवनक्षम तकनीकी जानकारी देने के लिए एक यथार्थवादी फार्म योजना के विकास हेतु. पहले, सर्वेक्षण किया गया था। तीसरे, फार्म योजना (महत्वपूर्ण निवेश) के अनुसार प्रति वर्ष प्रत्येक परिवार को रु० 500 या समस्याग्रस्त मृदा पर प्रदर्शन हेतु रु० 1000 प्रति एकड़ के हिसाब से वस्तु के रूप में सहायतार्थ दिया गया।

1971-81 के दौरान 1000 नये कस्बों की स्थापना के लिये प्रस्ताव

530. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1971-81 के दौरान लगभग एक करोड़ लोगों के लिए लगभग 1000 नये कस्बों की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव था;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजन के लिए राज्य-वार आवंटित की गई केन्द्रीय सहायता क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

"मार्टेलिटी रेट एट जू अलार्मिंग" शीर्षक से समाचार

531. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 14 मई, 1982 के "नेशनल हेराल्ड" में "मार्टेलिटी रेट एट जू अलार्मिंग" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में और 1982 के अब तक मृत दुर्लभ पशु पक्षियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि अधिकांश मौतें दिल्ली चिड़ियाघर कर्मचारियों के कुप्रबन्ध और अपनाए गए गलत दृष्टिकोण के कारण हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो लापरवाह कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ङ) दिल्ली चिड़ियाघर पर जानवर और पक्षियों की मृत्यु दर रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामिनाथन्) : (क) अखबार में छपी खबर वास्तविक स्थिति से अवगत नहीं कराती है। वास्तव में, दिल्ली चिड़ियाघर

में 1981-82 के दौरान जानवरों की मृत्यु दर पिछले 10 वर्षों में सबसे कम रही है। यह दर संसार के कुछ सुव्यवस्थित चिड़ियाघरों की औसत मृत्यु दर से कम है।

(ख) विवरण संलग्न है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता।

(ङ) सरकार ने दिल्ली चिड़ियाघर के लिए अवैतनिक पशु-चिकित्सकों का एक पैनल नियुक्त किया है। इसमें एक पशुचिकित्सक, भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संथान, इज्जतनगर और एक अन्य पशुचिकित्सक सैनिक पशुचिकित्सालय नई दिल्ली से किया गया है। ये विशेषज्ञ, चिड़ियाघर के कर्मचारियों की रोग की जांच करने और चिड़ियाघर के जानवरों का उचित इलाज करने में सहायता पहुंचाते हैं और जानवरों का सामान्य स्वास्थ्य और सफाई बनाए रखने के लिए रोग-निरोधक उपायों की सलाह भी देते हैं। इसके अलावा, चिड़ियाघर के क्षेत्र में पशुचिकित्सा सुविधाओं को मजबूत बनाया जाना है।

विवरण

क्रम संख्या	प्रजातियां	मृत्यु के कारण
	1979-80	
1.	सफेद चीता (बच्चा)	पैदा होने से पहले
2.	सफेद चीता	पैरालोगिया
3.	जेबरा	सिरीबरल कौनक्यूजन
4.	काली पूंछ वाला कंगारू	जराजीर्णता
5.	चामिन हिरण	पुलमोनेरी टी० बी०
6.	जेंट अम्ब्रेला क्रस्टेड कोकाटी	इन्टरटिस
7.	अफ्रीकन चीता	क्षीणता
8.	सफेद मादा चीता	डायसकोया स्ट्रेस
	1980-81	
1.	मोनाल फीजेंट	बुढ़ापा
2.	चिम्पाजी	अलसर
3.	ह्यूम फीजेंट	पैरीकारडिटस
4.	मूल्यूकन कुक्कट	सामान्य कमजोरी
5.	बीसा ओरक्स	टिनासिस

1981-82

1. पलास बिल्ली	टरुमेटिक कोलिक
2. मलाया रीछ	हैमआरंगिक इन्टेटिस
3. मलाया रीछ	सैप्टीकेमिया
4. बलिस बीक	वैनम जहर
5. ह्यूम फीजेंट	दीर्घकालिक निमोनिया
6. चेमिन हिरण	पैरटूरेंट टोक्समिया
7. चेमन हिरण	घाव फूटना
8. चेमिन हिरण	ट्योमिटरा
9. हिप्पोपोटामस (युवा)	अस्फेक्सिया
10. गुनाको	पेरासेटिक निमोनिया

1-4-82 से 30-6-82

1. मलाया रीछ	सिपटीकेमिया
2. लाल लंचयू	सिपटीकेमिया
3. लाल लंचयू	सांप का काटना
4. मेंडरील बन्दर	निमोनिया
5. सफेद कुटू	ज्ञान नहीं है
6. काला हंस	लीवर में उत्तकक्षय

दिल्ली में उचित दर की दुकानों द्वारा अनाज उठाया जाना

532. **श्री भीखा भाई** : क्या नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में उचित दर की दुकानों द्वारा अनाज और अन्य वस्तुयें उठाये जाने की नियत तारीखें क्या हैं;

(ख) क्या उचित दर की इन दुकानों द्वारा विलम्ब से माल उठाये जाने (महीने/पाक्षिक की लगभग अन्तिम तारीख को) के समाचार प्राप्त हुए हैं जिसके परिणामस्वरूप अनुचित तरीके अपनाये जाते हैं और जनता को दिक्कतें होती हैं; और

(ग) इस समस्या को हल करने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

कृषि तथा नागरिक पूर्ति मन्त्रालयों में उपमन्त्री (श्री मोहम्मद उसमान आरिफ) : (क) से (ग) वर्तमान व्यवस्था के अनुसार दिल्ली में उचित दर की दुकानों के मालिक अपना कोटा उस अवधि के एक पखवाडे पहले उठा सकते हैं, जिस अवधि के लिए वह कोटा है। माल उठाने में देरी कभी-कभी उचित दर की दुकानों के मालिकों द्वारा नियत तारीखों में स्टाक न उठा सकने के कारण हो सकती है। उन मामलों में, जहां उचित दर की दुकान का कोई दुकानदार बिना उचित कारण के अपनी अधिकृत मात्रा को उठाने में चूक करता है, तो उनके विरुद्ध दिल्ली प्रशासन द्वारा कानूनी कार्रवाई भी की जाती है।

सुपर बाजार से उपभोक्ता सामान की सप्लाई

533. श्री भीखा भाई : क्या नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें मालूम है कि सुपर बाजार को शुरू में इसलिए खोला गया था कि वहां बाजार की तुलना में उपभोक्ता सामग्री और अन्य सामान बेहतर किस्म का और सस्ती दरों पर मिलेगा;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें मालूम है कि सुपर बाजार में केवल ऊंची दरें ही नहीं हैं, बल्कि वहां पर्किंग इत्यादि की भी उचित सुविधायें नहीं दी जा रही हैं;

(ग) क्या उन्हें इस बात की भी जानकारी है कि बाजार में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद की पुस्तकें भी पांच प्रतिशत छूट पर उपलब्ध हैं जो कि सुपर बाजार नहीं दे रहा है और इतना ही नहीं, किताबों के साथ पेकिट पेपर या लिफाफा भी सप्लाई नही किया जाता है जो बाजार मे किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो क्या कीमतें कम करने और पेकिंग पेपर या लिफाफा उपलब्ध कराने हेतु शीघ्र उचित कार्यवाही की जायेगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि तथा नागरिक पूर्ति मन्त्रालयों में उपमन्त्री (श्री मोहम्मद उसमान आरिफ) : (क) जी हां।

(ख) अच्छी किस्म की वस्तुओं का उचित मूल्यों पर वितरण सुनिश्चित करने की दृष्टि से सुपर बाजार द्वारा मूल्यों की निरन्तर परिवीक्षा की जाती है और प्रचलित बाजार दरों से उनकी तुलना की जाती है। जहां आवश्यक होता है, उपभोक्ताओं की मांग पर वस्तुएं ले जाने के लिए प्लास्टिक की थैलियां तथा कागज के लिफाफें सप्लाई किये जाते हैं।

(ग) सुपर बाजार एन० सी० ई० आर० टी० की पुस्तकें नहीं बेच रहा है। इनकी बिक्री सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय के प्रकाशन प्रभाग द्वारा की जा रही हैं, जिनका बिक्री केन्द्र सुपर बाजार कनाट प्लेस शाखा में स्थित है।

(घ) व (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

योजना आयोग के कर्मचारियों को आवास निर्माण संस्था की मंजूरी मिलना

534. **श्री भीखा भाई** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें मालूम है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने हाल ही में योजना आयोग के कर्मचारियों की एक सहकारी आवास निर्माण संस्था को मंजूरी दी और इसके 540 सदस्य अब 25 वर्ष के इन्तजार के बाद अपना निर्माण कार्य कर सकते हैं;

(ख) क्या उन्हें यह भी मालूम है कि गृह निर्माण ऋण के लिए योजना आयोग को आवंटित निधि केवल 4 लाख रुपये है जो कि उपरोक्त प्रयोजन के लिए बहुत ही थोड़ी है;

(ग) क्या सरकार की नीति यह सुनिश्चित करने की है कि एक परिवार को कम से कम एक निवास तो उपलब्ध हो; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रायोजन के लिए योजना आयोग को कम से कम 20 लाख रुपये मंजूर करेगी ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि उन्होंने 16-12-1981 को प्लानिंग कमीशन को-आपरेटिव ग्रुप आवास निर्माण समिति को मकानों के निर्माण की गतिविधि प्रारम्भ करने की स्वीकृति दी थी।

(ख) चालू वर्ष के दौरान योजना आयोग को उनके सरकारी कर्मचारियों को गृह निर्माण अग्रिम के लिए 7 लाख रुपये का नियतन किया गया है।

(ग) इस योजना का आवास के क्षेत्र में नितान्त आश्रयहीन व्यक्तियों की संख्या में काफी कमी करने तथा अन्य लोगों को अपने आवासीय परिस्थितियों मे सुधार करने के लिए वातावरण बनाने का उद्देश्य है। मुख्य उद्देश्यों में से कुछ उद्देश्य ग्रामीण भूमिहीन श्रमिकों को वासस्थल तथा निर्माण सहायता का प्रावधान और समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए सामाजिक आवास योजनायें हैं। जहां तक शहरी आवास का सम्बन्ध है छठी योजना के दस्तावेजों में इस बात का उल्लेख है कि सरकारी क्षेत्र को इसमें केवल मामूली सी किन्तु प्रोत्साहनात्मक भूमिका अदा करनी है। शहरी क्षेत्रों में अतिरिक्त मकानों की बहुत बड़ी संख्या की पूर्ति निजी संसाधनों द्वारा पूरी की जानी होगी।

(घ) इस स्थिति में 1982-83 के दौरान गृह निर्माण अग्रिम के प्रयोजन के लिए योजना आयोग को अतिरिक्त निधियों का आवंटन करना व्यवहार्य नहीं है।

शान्ति निकेतन कालोनी में गलियों को पक्का किया जाना

535. **श्री एफ० एच० मोहसिन** : क्या निर्माण और आवास मंत्री शान्ति निकेतन कालोनी, नई दिल्ली में गलियों को पक्का किये जाने के बारे में 1 मार्च, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1312 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शान्ति निकेतन कालोनी की गली संख्या 2 के पीछे वाली गली के कुछ हिस्सों को पक्का किये जाने का मामला मई, 1980 में तत्कालीन आयुक्त, दिल्ली नगर निगम से उठाया गया था और इस मामले को दिल्ली नगर निगम के क्षेत्रीय सहायक आयुक्त के साथ निरन्तर अनुसरित किया था और इन सभी प्रयासों के बावजूद कुछ ठोस कार्यवाही नहीं की गई है;

(ख) क्या पक्की सड़क न बनाने और इस गली के पीछे स्कूल इमारत के लिए आरक्षित उबड़-खाबड़ प्लाट, जिसे जन सुविधा के स्थान के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है, के होने के कारण निवासियों को भारी दिक्कत हो रही है और सभी प्रकार के रेंगने वाले जीवों और कीटों के पनपने का स्थान होने के अतिरिक्त, पर्यावरण दूषित हो रहा है; और

(ग) लम्बे समय से चली आ रही इस समस्या को हल करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि समिति, शान्ति निकेतन की गली नं० 2 के पीछे वाली गलियों और छोटी गलियों के कुछ हिस्सों को पक्का करने के लिए पिछले समय से कहती आ रही है तथापि निगम ने सूचित किया है कि शान्ति निकेतन में पिछवाड़े की बाकी गलियों में से सभी मलबों, कचरों तथा छोड़ी गयी भवन निर्माण सामग्रियों को पहले ही हटा दिया गया है । निगम द्वारा सर्विस लेनों तथा पिछवाड़े की गलियों को पक्का करने/पूर्व मिश्रित डामर बिछाने के लिए भी आंकलन मंजूर कर दिये गये हैं और वित्तीय औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद इस वित्तीय वर्ष में यह कार्य आरम्भ किया जायेगा ।

(ख) निगम ने सूचित किया है कि ऐसी कोई रिपोर्ट उसके ध्यान में नहीं आई है ।

(ग) जैसा कि भाग (क) के उत्तर में बताया गया है ।

शान्ति निकेतन कालोनी में स्थित भूखंड वैकल्पिक प्रयोग

536. **श्री एफ० एच० मोहसिन** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री शान्ति निकेतन कालोनी में स्थित भू-खण्ड के वैकल्पिक प्रयोग के बारे में 31 अगस्त, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2041 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्कूल इमारत के लिये आरक्षित इस प्लाट के इर्द-गिर्द दिल्ली नगर निगम द्वारा लगाया गया बाड़ा इस बीच उखाड़ दिया गया है और इसकी गत एक वर्ष से अधिक समय से बिलकुल मरम्मत नहीं की गई है;

(ख) क्या इस कालोनी के निवासियों के प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में दिल्ली के उप-राज्यपाल से आग्रह किया था कि वह इस प्लाट को एक स्कूल बनाने के लिए शिक्षा समिति को आवंटित करें;

(ग) क्या इस कालोनी में दिल्ली नगर निगम का एक स्कूल खोलने के लिये कोई उपयोगिता है क्योंकि जिन व्यक्तियों के लाभ के लिये इसे बनाने का प्रस्ताव है, वे वहां के स्थायी निवासी नहीं हैं; और

(घ) क्या वहां पर एक प्राइवेट स्कूल अधिक उपयोगी होगा ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

पीतमपुरा की ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों के बीच की सड़क का तोड़ा जाना

537. **श्री अजित कुमार साहा** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पीतमपुरा की ग्रुप हाऊसिंग सोसाइटियों के बीच की एक पहुंच-सड़क जिसे वर्ष 1979 में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बनवाया था, तोड़ी जा रही है और इस प्रकार सोसाइटियों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और सरकार का इन सोसाइटियों को दिल्ली विकास प्राधिकरण के उत्पीड़न बचाने के लिए तथा सड़क के पुनर्निर्माण में खर्च की जाने वाली धनराशि की बचत करने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि मैकेडमी सड़क आंशिक रूप से 1980 में बनाई गई थी। तथापि उक्त सड़क की सिधाई के बारे में एक विवाद खड़ा हुआ और बनू बिरादरी सहकारी आवास समिति ने इस सड़क की पुनः सिधाई के विरुद्ध रोकादेश प्राप्त किया था। यह मामला न्यायाधीन है।

सरकारी क्वार्टरों पर अनधिकृत कब्जा

538. **श्री निहाल सिंह** : क्या निर्माण और आवास मंत्री दिल्ली में सरकारी क्वार्टरों के अनधिकृत कब्जे के बारे में 14 सितम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4139 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए निर्मित क्वार्टरों के अनधिकृत कब्जे धारियों से कोई किराया लिया जा रहा है; -

(ख) उन्हें बिजली और पानी के कनेक्शन देने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन क्वार्टरों को खाली कराने के लिए सम्पदा निदेशालय द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

धार्मिक तथा सामाजिक संस्थाओं को भूमि का आवंटन

539. **श्री निहाल सिंह** : क्या निर्माण और आवास मंत्री दिल्ली में धार्मिक और सामाजिक संगठनों को भूमि के आवंटन के बारे में 15 मार्च, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3260 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में धार्मिक तथा सामाजिक संस्थाओं को भूमि का आवंटन करने संबंधी जानकारी इस बीच एकत्रित कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) अतारांकित प्रश्न सं० 326 के आश्वासन को पूरा करने के लिए अलग से एक विवरण सभा पटल पर रखा जा रहा है।

उत्तर प्रदेश में विश्व बैंक की सहायता से नलकूप लगाया जाना

540. **श्री निहाल सिंह** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने विश्व बैंक की सहायता से राज्य में 5,000 नए नलकूप लगाने तथा 1400 पुराने नलकूपों को आधुनिक बनाने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा जिलेवार क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) : (क) विश्व बैंक की सहायता से 500 राजकीय नलकूपों के निर्माण की परियोजना राज्य के 12 जिलों में पहले ही क्रियान्वित की जा रही है। इसके दिसम्बर, 1982 तक पूरा हो जाने की सम्भावना है। तथापि इस परियोजना के चरण-दो पर, जिसमें पांच वर्ष की अवधि में 2200 अतिरिक्त राजकीय नलकूपों का निर्माण तथा 100 राजकीय नलकूपों का आधुनिकीकरण शामिल है, विचार किया जा रहा है।

(ख) परियोजना के चरण-दो के अन्तर्गत, मैदानी इलाकों में अधिकांश जिलों को शामिल करने का प्रस्ताव है बशर्ते कि वहां तकनीकी दृष्टि आदि से ऐसा करना व्यवहार्य हो।

सरकारी और सहकारी क्षेत्रों में डेयरी संयंत्र और कारखाने

541. **श्री निहाल सिंह** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी और सहकारी क्षेत्रों के उन डेरी संयंत्रों और कारखाने के क्या नाम हैं जो दूध और दूध से निर्मित वस्तुएं सप्लाई करते हैं;

(ख) प्रत्येक संयंत्र और कारखाने की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है और गत तीन वर्षों के दौरान चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक ने कितने प्रतिशत क्षमता का उपयोग किया है;

(ग) इन संयंत्रों और कारखानों के कार्यकरण के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) उनमें से प्रत्येक संयंत्र पर कुल कितनी पूंजी लगाई गई और गत तीन वर्षों के दौरान संयंत्र-वार हुई लाभ अथवा हानि का ब्योरा क्या है; और

(ङ) प्रत्येक संयंत्र के कार्यकरण में किस सीमा तक सुधार किये जाने की गुंजाइश है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामिनाथन्) : (क) से (ङ) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

दिल्ली दुग्ध योजना और मदर डेयरी, दिल्ली को छोड़कर देश में सभी दुग्ध योजनाएं राज्य सरकारों/राज्य प्रायोजित अभिकरणों के स्वामित्व की हैं और उनके द्वारा चलाई जा रही हैं । इन योजनाओं को कार्यान्वित करने और चलाने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित राज्य सरकारों का है । दिल्ली दुग्ध योजना और मदर डेयरी, दिल्ली के सम्बन्ध में जानकारी नीचे दी गई है :

(क) और (ख) :

1. दिल्ली दुग्ध योजना :

वर्ष	अधिष्ठापित क्षमता (प्रतिदिन लाख लीटर में)	क्षमता उपयोग प्रतिशतता
1979-80	2.50	93.62 प्रतिशत
1980-81	3.00	95.30 प्रतिशत
1981-82	3.75	93.55 प्रतिशत
1982-83 (26-4-82 तक)	3.75	87.53 प्रतिशत
2. मदर डेयरी, दिल्ली		
1979-80	4.00	87.5 प्रतिशत
1980-81	4.0	97.5 प्रतिशत
1981-82	6.0*	78.3 प्रतिशत
1982-83	6.0	90.0 प्रतिशत

*1-1-1982 से डेयरी की अधिष्ठापित क्षमता बढ़ाकर 6 लाख लीटर प्रतिदिन कर दी गई ।

(ग) कार्य संतोषजनक है ।

(घ) दिल्ली दुग्ध योजना :

वर्ष	पूंजी निवेश (लाख रुपयों में)	(लाख रुपयों में) लाभ (+)/हानि (—)
1979 80	55.47	(—) 229.12
1980-81	184.97	(—) 416.13
1981-82	उपलब्ध नहीं है	(—) 641.50 (अनन्तिम)
सदर डेयरी, दिल्ली		
1979-80	99.6	(+) 27.6
1980-81	164.3	(+) 40.8
1981-82	37.0 (अनुमानित)	उपलब्ध नहीं है।

(ङ) संयंत्रों और उपकरणों की कार्यकुशलता/निष्पादन में कड़ी निगरानी और नियंत्रण द्वारा और अधिक सुधार किया जा सकता है, जिसके लिए इस दिशा में सभी प्रयास किए जा रहे हैं। दिल्ली दुग्ध योजना के दूध का बिक्री मूल्य, दूध की वास्तविक उत्पादन लागत से कहीं कम है और दूध के बिक्री मूल्यों में उपयुक्त संशोधन करके अच्छे वित्तीय परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं।

चीनी मिलों द्वारा गन्ने को न उठाया जाना

542. **श्री बिगम्बर सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश (सहारनपुर सहित) में गन्ने को, जो अभी तक काटा नहीं गया है, उठाने में चीनी मिलों की असमर्थता के कारण लाखों टन गन्ने को जला दिए जाने की सम्भावना है; और

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप गन्ना उत्पादन में कमी के अलावा उत्पादकों को पहुंचाई जा रही इस भारी हानि को रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उपमंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) और (ख) चीनी फैक्ट्रियों की पिराई क्षमता सीमित है और वे सामान्यतया उत्पादित गन्ने के एक तिहाई गन्ने की पिराई करती हैं। तथापि, उन्हें आरक्षित क्षेत्रों के समस्त आबद्ध गन्ने की पिराई करनी होती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 24 चीनी फैक्ट्रियों में से बताया जाता है कि 21 फैक्ट्रियां अपने आरक्षित क्षेत्रों में सभी गन्ना पेरने के बाद बन्द हो गई हैं। राज्य सरकार ने राज्य की सभी चीनी फैक्ट्रियों को आदेश जारी किये हैं कि वे आरक्षित क्षेत्रों में सभी उपलब्ध गन्ने की पिराई करने के बाद ही काम बन्द करें।

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाली नौकाओं के बेड़े में वृद्धि करने के लिए धन

543. **श्री बी० एस० विजयराघवन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गहरे समुद्र में मछली पकडने वाली नौकाओं के बेड़े में वृद्धि करने के लिए जहाजरानी विकास निगम निधि से धन देने का कोई नया प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामिनाथन्) : (क) और (ख) कृषि मंत्रालय के तहत ट्रावलर विकास की निरन्तर चलने वाली प्लान स्कीम है, जिसके अन्तर्गत आयातित ट्रावलरों की लागत का 95 प्रतिशत तक आसान ऋण जहाजरानी विकास निधि समिति द्वारा पार्टियों को मंजूर किया जा सकता है ।

नगरों में पानी की प्रति व्यक्ति मांग और सप्लाई

544. **श्री गदाधर साहा** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गरमी के मौसम के समय दिल्ली और अन्य महानगरों में पानी की प्रति व्यक्ति मांग और सप्लाई कितनी है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

वनस्पति संसाधनों का संरक्षण

545. **श्री गदाधर साहा** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने वनस्पति संसाधनों का, जिन पर भारी दबाव पड़ रहा है तथा जो खतरे में हैं, संरक्षा करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामिनाथन्) : समस्त फसल पौधों के जननिक संसाधनों के संग्रहण, सरक्षण, रख-रखाव तथा उपयोग के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने राष्ट्रीय पौध जननिक संसाधन ब्यूरो की स्थापना की है ।

वन पौधों सहित समस्त कृष्य फसलों पर बीमारियों और कीटों के खतरे पर काबू पाने के लिए अनुसंधान और विस्तार सुविधाओं के लिए केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों ने अपेक्षित मूल सुविधाएं स्थापित की हैं । इसके अतिरिक्त, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण वन्य पौधों के अत्याधिक शोषण से उन्हें बचाने के लिए, भारत सरकार ने 20-7-1976 को वन्य वनस्पतियों तथा जीव जन्तुओं की खतरे में पड़ी हुई प्रणालियों के कन्वेंशन की सम्पुष्टि की थी ।

राज्य वन विभागों द्वारा लगाए गए सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा वनों में वृक्ष वृद्धि को सुरक्षा प्रदान भी की जाती है । वनों की कटाई को भी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 द्वारा नियंत्रित किया जाता है ।

आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि

546. **श्री बी० बी० देसाई :**

श्री रामावतार शास्त्री :

क्या **नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन महीनों के दौरान आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या गत वर्ष के इन्हीं महीनों के दौरान के मूल्यों की तुलना में ये मूल्य अधिक हैं;

(ग) यदि हां, तो इसमें वृद्धि होने के मुख्य कारण क्या हैं;

(घ) क्या यह भी सच है कि आवश्यक वस्तुओं का भी अभाव हो गया है;

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने पर विचार कर रही है; और

(च) इसमें कहां तक सफलता मिली है ?

कृषि तथा नागरिक पूर्ति मन्त्रालयों में उपमन्त्री (श्री मोहम्मद उसमान आरिफ) : (क) 19-6-1982 को समाप्त पिछले तीन महीनों के दौरान आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में मिश्रित रूप रहा, क्योंकि कुछ वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक गिरे हैं, कुछ के बढ़े हैं और कुछ अन्यों के स्थिर रहे हैं।

(ख) और (ग) 19-6-1982 को समाप्त पिछले तीन महीनों के दौरान आवश्यक वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांकों का एक वर्ष पहले की इसी अवधि के सूचकांकों के साथ तुलनात्मक विश्लेषण करने से पता चलता है कि इस वर्ष समग्र मूल्य स्थिति पिछले वर्ष की तुलना में अच्छी रही है, हालांकि इन दोनों अवधियों में अलग-अलग वस्तुओं के मूल्य सूचकांकों के उतार-चढ़ाव और उनमें आये परिवर्तन की मात्रा वही नहीं रही है।

(घ) से (च) केवल सीमेंट, मिट्टी के तेल और साफ्ट कोक के मामले में कुछ कमियों को छोड़कर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति-स्थिति आम तौर पर संतोषजनक रही है। मूल्यों को बढ़ने से रोकने और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए सरकारी नीति में प्रमुख बल विशेष रूप से उन वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने पर दिया गया है जो कम मात्रा में उपलब्ध हैं। सरकार द्वारा किये जा रहे अन्य उपायों में ये शामिल हैं : देश में कम उत्पादन वाली कुछ वस्तुओं में आयात के माध्यम से बढ़ोतरी करना, आधार ढांचे सम्बन्धी सुविधाओं में सुधार लाना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार करना। राज्य सरकारें आवश्यक वस्तु अधिनियम तथा इसी प्रकार के अन्य कानूनों के अन्तर्गत जारी किये विभिन्न आदेशों को कार्यान्वित कर रही हैं।

सरकार द्वारा किये गये मांग और आपूर्ति प्रबन्ध सम्बन्धी विभिन्न उपायों के परिणामस्वरूप, अनाज, दालें, चीनी, खांडसारी और गुड़, खाद्य तेल और सोडा राख जैसी आवश्यक

वस्तुओं की समग्र आपूर्ति की स्थिति में सुधार हुआ है और आम उपभोग की अन्य वस्तुओं की उपलब्धता की स्थिति देश भर में सामान्यतया संतोषजनक है ।

ग्रामीण पेय जल सप्लाई योजना के लिए राज्यों को दी गई राशि

547. **श्री पी० एम० सईद** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने केन्द्र द्वारा आयोजित द्रुतगामी ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अधीन विभिन्न राज्यों को ग्रामीण पेय जल सप्लाई योजना के लिए लगभग 13 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अधीन किन-किन राज्यों को लाभ पहुंचेगा;

(ग) प्रत्येक राज्य को कितनी राशि प्रदान की जायेगी;

(घ) क्या संघ राज्य क्षेत्रों पर भी लागू होगी;

(ङ) संघ प्रदेशों के क्या नाम हैं; और

(च) इन निधियों के उपयोग करने में राज्यों और संघ प्रदेशों द्वारा अब तक क्या प्रगति की गई है;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) सम्भाव्यत: माननीय सदस्य का संकेत मार्च, 82 में कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दी गई लगभग 13 करोड़ रुपये के कुल अनुदान की ओर है । तथापि, यह राशि 1981-82 के दौरान दिये गये अनुदान का एक अंश ही है । वास्तव में, 1981-82 के दौरान केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को कुल 1,09,93.57 लाख रुपये सहायता अनुदान के रूप में दिया गया था ।

(ख) से (ङ) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

(च) अधिकांशत: ऐसे अनुदानों का पूर्ण रूप से उपयोग किया जाता है । तथापि वास्तविक उपयोग का तभी पता लगेगा जब राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगी । सम्बन्धित वर्ष के लेखों को अन्तिम रूप से बन्द होने पर ही, यह उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध होगा ।

विवरण

वर्ष 1981-82 के दौरान दिया गया सहायता अनुदान

(राशि लाख रुपयों में)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कार्य	प्रबोधन तथा अन्वेषण एकक	कुल योग
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	3,70.75	6.00	3,76.75
2.	असम	4,00.75	2.70	4,03.45

1	2	3	4	5
3.	बिहार	8,62.50	—	8,62.50
4.	गुजरात	3,96.25	6.00	4,02.25
5.	हरियाणा	3,35 00	2.34	3,37.34
6.	हिमाचल प्रदेश	3,64.50	4.19	3,68.69
7.	जम्मू और कश्मीर	4,24.75	1.80	4,26.55
8.	कर्नाटक	4,85.50	—	4,85.50
9.	केरल	5,26.25	3.28	5,29.53
10.	मध्य प्रदेश	10,33.75	—	5,58.00
11.	महाराष्ट्र	5,52.00	6.00	5,58.00
12.	मणिपुर	1,46.00	5.32	1,51.32
13.	मेघालय	2,42.00	4.12	2,46.12
14.	नागालैंड	1,78.50	4.29	1,82.19
15.	उड़ीसा	5,93.00	6.00 4.00	6,03.00
16.	पंजाब	88.17	2.00	90.17
17.	राजस्थान	71.00 14,33.19	2.23	71.00 14,35.42
18.	सिक्किम	69.74	2.00	71.14
19.	तमिलनाडु	5,63.71	6.00	5,69.71
20.	त्रिपुरा	85.50	—	85.50
21.	उत्तर प्रदेश	10,18.13	6.00	10,24.13
22.	पश्चिम बंगाल	5,71.30	9.66	5 80.96
23.	अरुणाचल प्रदेश	35.00	—	35.00
24.	गोआ दमण और द्वीप	14.25	—	14.25
25.	मिजोरम	—	2.47	2 47
26.	पाण्डिचेरी	12.00	—	12.00
27.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	19.50	.60	20 10
28.	दिल्ली	9.50	4.00	13.50
	योग	1,09,02.49	91.08	1,09,93.57

नई सिंचाई परियोजनाओं को रोक देने की सलाह

548. **श्री पी० एम० सईद** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को यह सलाह दी थी कि वे सिंचाई व्यवस्था को बनाये रखने के लिए निर्माण के प्रारम्भिक चरणों वाली नई सिंचाई योजना को रोक दें ।

(ख) यदि हां, तो क्या उत्पादकता वर्ष के दौरान सरकार ने एक तरफ तो सिंचाई सुविधायें बढ़ाने और दूसरी तरफ सिंचाई-जल का उपयोग करने की स्थिति में सुधार करने के उपाय किये हैं;

(ग) यदि हां, तो सरकार अन्य क्या कार्यक्रम हाथ में ले रही है;

(घ) क्या सरकार ने नौ लाख हैक्टेयर भूमि में खेत वाली नहरें बनाने का कार्यक्रम तैयार किया है; और,

(ङ.) ये कार्यक्रम किस हद तक क्रमानुसार चल रहे हैं ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे निर्माणाधीन परियोजनाओं को शीघ्रता से पूरा करने के लिए, अगर आवश्यक हो, तो निर्माण की प्रारम्भिक अवस्थाओं में नयी परियोजनाओं से निधि व्यपजर्तित करके पर्याप्त धन का आवंटन करें ।

(ख) जी, हां ।

(ग) राज्यों को सलाह दी गई है कि वे बेहतर जल प्रबन्ध तथा उपयोग के लिए खेत नालियों के निर्माण और वारबन्दी आरम्भ करने के कार्य में तेजी लायें ।

(घ) छठी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में, वर्ष 1982-83 के दौरान खेत नालियों द्वारा नौ लाख हैक्टेयर भूमि के लिए एक कार्यक्रम बनाया गया था । उत्पादिता वर्ष 1982 के संदर्भ में, खेत नालियों का निर्माण करके इस लक्ष्य को बढ़ाकर 12 लाख हैक्टेयर भूमि को इसके अन्तर्गत कर दिया गया है ।

(ङ.) अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार, खेत नालियों के निर्माण के लिए वर्ष 1982-83 के लिए तैयार किए गए कार्यक्रम अनुसूची के अनुसार चल रहे हैं ।

आहार 82 अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य सम्मेलन

549. **श्री पी० एम० सईद** :

श्री गुलाम रसूल कोचक :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर में कोई 'आहार 82' अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो क्या सम्मेलन में भारत में खाद्य-उत्पादन और पोषण सम्बन्धी कोई अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी;

(ग) इस अध्ययन रिपोर्ट की मुख्य-मुख्य बातें क्या थीं;

(घ) क्या इस रिपोर्ट पर कोई विचार-विमर्श हुआ था; और

(ङ) सम्मेलन में और क्या निर्णय लिए गए थे ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में उपमन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

(ङ) खाद्य वैज्ञानिक और टेक्नोलोजिस्ट्स (इण्डिया), जो कि एक निजी निकाय है और जिसने सम्मेलन का आयोजन किया था, ने सूचित किया है कि इस सम्मेलन का उद्देश्य विचारों का स्वतन्त्र रूप से आदान-प्रदान करना और खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभिन्न पहलुओं के बारे में ज्ञान का आदान-प्रदान करना था और न कि इस विषय पर किसी प्रकार की सिफारिशें करना था।

छोटे कस्बों के विकास के लिए मन्त्रालय ऋण सहायता योजना

550. **श्री पी० एम० सईद :**

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 11 राज्यों में 35 छोटे कस्बों को अपने समेकित विकास के मामले में मंत्रालय ऋण सहायता योजना का लाभ पहुंचेगा;

(ख) यदि हां, तो यह लाभ किन कस्बों और राज्यों को प्राप्त होगा;

(ग) प्रत्येक कस्बे को कुल कितनी-कितनी धनराशि प्रदान की जाएगी; और

(घ) उपरोक्त योजना का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ग) छोटे तथा मध्यम दर्जे के शहरों की एकीकृत विकास की केन्द्र द्वारा प्रवर्ति योजना के अन्तर्गत 22 राज्यों और 6 संघ राज्य क्षेत्रों में 231 शहरों को केन्द्रीय ऋण सहायता दिये जाने का प्रस्ताव है। जिन राज्यों तथा शहरों को अभी तक केन्द्रीय ऋण सहायता दी जा चुकी है उनके नामों की सूची संलग्न विवरण-1 है। भविष्य में जिन शहरों को ऋण सहायता दिये जाने की आशा है उनके नाम इस योजना के मार्ग निर्देशों के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा किए गए चयन पर निर्भर होंगे। केन्द्रीय अंश के रूप में प्रत्येक शहर के लिए सामान्यतया 40 लाख रुपये या परियोजना

लागत के 50 प्रतिशत तक इसमें से जो भी कम हो, ऋण सहायता दी जानी है । राज्यों से समान अंशदान देने की आशा की जाती है ।

(घ) ब्यौरे संलग्न विवरण-2 में दिये गये हैं ।

विवरण-1

वर्ष 1979-80 के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र में छोटे तथा मध्यम दर्जे के कस्बों के एकीकृत विकास की केन्द्र द्वारा प्रवर्तित एक योजना आरम्भ की गई थी। दिसम्बर 1979 में राज्य सरकारों को इस योजना के मार्ग निर्देशन परिचालित किए गए थे और अनुमोदित मापदण्ड के आधार पर चुने गए शहरों की सूची भेजने तथा केन्द्रीय ऋण सहायता के लिए उपयुक्त परियोजना प्रस्तावों को भेजने के लिए भी राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया था । इस योजना को 96 करोड़ रुपये के योजना प्रावधान से छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान जारी रखा गया है । वर्ष 1979-80 के दौरान स्वीकृत 31 परियोजनाओं तथा छठी पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान 200 कस्बों का विकास करने के लिए मार्च, 1985 तक 231 छोटे तथा मध्यम दर्जे के कस्बों के एकीकृत विकास पर जोर दिया गया है ।

इस योजना की मुख्य विशेषतायें निम्नलिखित हैं :

(i) इस योजना के अन्तर्गत 1971 की जनगणना के अनुसार 1 लाख से कम आबादी वाले कस्बे जायेंगे ।

(ii) वर्ष 1971 में कुल शहरी आबादी के अनुपात में राज्य की शहरी आबादी के अनुसार विभिन्न राज्यों में से कुल 231 शहरों का नियतन किया गया है यह नियतन सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भेज दिया गया है।

(iii) राज्य सरकारों से यह अपेक्षा की जाती है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित मार्ग निर्देशनों के अनुसार इस योजना के अन्तर्गत विकास के लिए शहरों को चुने । जिला शहरों, उपमण्डलीय शहरों, तालुक शहरों और अन्य विकास केन्द्रों को महत्व दिया जाएगा । जनसंख्या वृद्धि की दर, जिला तथा क्षेत्र के विकास और दूर दराज के क्षेत्रों में किये गए पूंजी निवेश संस्थाओं की क्षमता इत्यादि की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए ।

(iv) परियोजना दस्तावेज में वे घटक शामिल होने चाहिए जिनके लिए केन्द्रीय सहायता उपलब्ध होगी और वे घटक भी शामिल होने चाहिए जिनके लिए राज्य सरकार तथा स्थानीय निकायों द्वारा निधियां दी जानी होंगी । समानता के आधार पर केन्द्रीय सहायता के लिए पात्र घटक निम्नलिखित हैं :

(क) भूमि अर्जन तथा विकास ।

(ख) सड़कों तथा बस स्टेण्डों के निर्माण सहित परन्तु वाहनों की खरीद के बिना यातायात तथा परिवहन ।

(ग) दूरदराज के क्षेत्रों के लाभ के लिए मण्डियों/बाजारों, औद्योगिक सम्पदाओं और सुविधाओं का विकास ।

राज्य योजनाओं से जिन घटकों को निधियां दी जायेंगी उनमें गन्दी बस्ती सुधार, शहरी नवीकरण, लघु उद्योग, जलपूर्ति, सीवरेज, ड्रेनेज तथा सफाई, चिकित्सा सुविधाएं, पार्क और खेल के मैदान इत्यादि शामिल हैं ।

(v) परियोजना की लागत सामान्यतया एक करोड़ रुपये तक होगी । केन्द्रीय सहायता लागत के 50 प्रतिशत तक ऋण के रूप में या 40 लाख रुपये तक, इनमें जो भी कम हो, होगी । इस बात पर बल दिया गया है कि परियोजना की शेष लागत समानता के आधार पर राज्य सरकार और कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा दी जानी है । केन्द्रीय ऋण समग्र पर भुगतान के लिए 1/4 प्रतिशत की छूट की शर्त पर $6\frac{1}{4}$ प्रतिशत ब्याज की दर से उपयुक्त किश्तों में दिया जाता है । 5 वर्षों की छूट की अवधि सहित इसका वापिस भुगतान 25 वर्षों में किया जाता है ।

(vi) केन्द्रीय व राज्य निधियां स्थानीय स्तर पर कार्यान्वयन अभिकरणों को दी जाती है । यह आशा की जाती है कि राज्य सरकार स्थानीय अभिकरण को सुदृढ़ बनाएगी और परिसम्पत्तियों का उचित रख-रखाव भी करेगी ।

विवरण-2

छोटे तथा मध्यम वर्ग के शहरों के एकीकृत विकास की केन्द्र द्वारा प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत अब तक अनुमोदित किये शहरों की सूची ।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अब तक अनुमोदित किए गए शहरों का नाम	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अब तक अनुमोदित किए गए शहरों का नाम
1	2	1	2
1. आन्ध्र प्रदेश			
	1. अनाकापलाई		7. मेडक
	2. रामचन्द्रपुरम		8. श्रीकाकुलम
	3. तेनाली		9. खाममम
	4. विजयनगरम		10. तिरुपती
	5. भीमावरन		11. नन्दयाल
	6. करीम नगर		12. गड़वाल

1	2
	13. चित्तौड़
	14. गुन्टाकाल
	15. महबूबनगर
	16. प्रोदात्तुर
	17. भीमुनीपटनम
2. असम	
	18. तिनसुकिया
	19. सिलचर
	20. जोरहाट
	21. तेजपुर
	22. डिब्रूगढ़
3. बिहार	
	23. गोपालगंज
	24. हाजीपुर
	25. सहरसा
	26. डालटनगंज
	27. छापरा
	28. दुमका
	29. चैबासा
	30. बेगूसराय
	31. दिओघर
	32. अराह
	33. हजारीबाग
	34. बाटीहा
4. गुजरात	
	35. आनन्द
	36. पोरबन्दर
	37. पाटन-नार्थ
	38. वेरावालपाटन
	39. वालसाद
	40. गोधरा
	41. मुंज
	42. मेहसना
	43. खमभात
	44. अमरेली
	45. कलोल-सैंज
	46. पालनपुर
	47. अंकलेश्वर
	48. दहोद
	49. मेहमदाबाद
5. हिमाचल प्रदेश	
	50. शिमला
6. जम्मू और कश्मीर	
	51. अनन्तनाग
7. केरल	
	52. कोट्टायाम
	53. गुरुवयूर
	54. त्रिचूर
	55. कयाकुलम
	56. तेलीचेरी
	57. तिरुर
	58. चंगाचेरी
	59. बादागारा
	60. मालापुरम

1	2	3	4
8.	हरियाणा		
	61.	करनाल	
	62.	कुरुक्षेत्र	
	63.	हिसार	
	64.	नारनौल	
	65.	पलवल	
	66.	सिरसा	
9.	कर्नाटक		
	67.	रैचुर	
	68.	हिसपेट	
	69.	तुमकुर	
	70.	हस्सन	
	71.	चित्रदुर्ग	
	72.	चानापटना	
	73.	कनकपुरा	
	74.	मगाडी	
	75.	हुमनाबाद	
	76.	होलेनारसीपुर	
	77.	सागर	
	78.	जमखण्डी	
	79.	कुशाल नगर	
	80.	रानीबेनुर	
	81.	शाहपुर	
10.	महाराष्ट्र		
	82.	बराई	
	83.	मनमद	
	84.	पारली-बैजनाथ	
	85.	यवतमल	
	86.	सतारा	
	87.	रत्नागिरी	
	88.	अमालनेर	
	89.	कंटोल	
	90.	परभानी	
	91.	कम्पथी	
	92.	किनवट	
	93.	ओम्मानाबाद	
	94.	मोरशी	
	95.	हिंगनघाट	
	96.	जलना	
	97.	अम्बेजोगई	
	98.	सेलू	
	99.	डिग्रास	
	100.	भण्डारा	
	101.	वाशिम	
	102.	इजलामपुर	
	103.	बारामाती	
11.	मणिपुर		
	104.	चन्देला	
12.	उड़ीसा		
	105.	पुरी	
	106.	सम्बलपुर	
	107.	बलासोर	
	108.	राउर केला	
13.	पंजाब		
	109.	पठानकोट	
	110.	होसियारपुर	

1	2	1	2
	111. संगरूर		133. उदागामण्डलम
	112. मोगा		134. गोबीचेत्ती
	113. खन्ना		135. त्रिचनागुडी
	114. फगवाड़ा		136. मनारगुडी
	115. मटिंडा		137. पालानी
	116. बतला		138. मेथूपालायाम
14.	राजस्थान		139. चेंगलपट्टू
	117. पाली		140. कुनूर
	118. बरन		141. मनामदुरई
	119. भीलवाड़ा		142. धारापुरम
	120. सिकार		143. अट्टूर
	121. चुरू		144. तिरुवन्नमलाई
	122. सुमेरपुर		145. उदमालपेट
	123. नाथद्वारा		146. होसुर
	124. बाड़मेर		147. पोलाची
	125. गंगानगर		148. नामाक्कल
	126. जैसलमेर		149. कोवीयपट्टी
	127. चित्तौड़गढ़		150. तेहनी-अली नगरम
			151. नागापट्टीनम
15.	सिक्किम		152. रानीपेट-अरकोट
	128. जोरथेंग		153. पनरुती
			154. करैकुडी
16.	त्रिपुरा		155. अरनी
	129. उदयपुर		156. कालाकुरची
			157. आराकोनम
17.	तमिलनाडु		158. सिवानाक्सू (रामखडूरई के स्थान पर)
	130. धरमपुरी	18.	उत्तर प्रदेश
	131. करूर		159. आजमगढ़
	132. पुडुकोटोई		

1	2	1	2
160.	फतेहपुर	189.	तारकेश्वर
161.	जौनपुर	190.	कृष्णानगर
162.	हाथरस	191.	सूरी
163.	बांदा	192.	ब्रह्मपुर
164.	बाराबंकी		
165.	देवरिया	20.	मध्य प्रदेश
166.	कासगंज	193.	बिलासपुर
167.	गाजीपुर	194.	देवास
168.	बिजनौर	195.	खजूराहो
169.	सीतापुर	196.	हारसी
170.	मैनपुरी	197.	रीवा
171.	राय-बरेली	198.	कटनी
172.	हरदोई	199.	मुरैना
173.	ओरई	200.	बरहूमपुर
174.	अलमोड़ा	201.	डूंगरगढ़
175.	मोहाब	202.	राजनन्द गांव
176.	ईटाह	203.	बालाघाट
177.	बलिया	204.	छिन्दवाना
178.	शामली	205.	हारदा
179.	बदायूं	21.	मेघालय
180.	अमेठी	22.	नागालैण्ड
181.	काशीपुर		संघ राज्य क्षेत्र
19.	पश्चिम बंगाल		गोआ, दमण और द्वीव
182.	खरगपुर	206.	पणाजी
183.	मिदलापुर		पाण्डिचेरी
184.	बंकुरा	207.	करईकल
185.	कालीमपोंग		अण्डमान और निकोबार
186.	कूच-बिहार		अरुणाचल प्रदेश
187.	पुरुलिया		दादर और नागर हवेली
188.	इंगलिश बाजार		मिजोरम

वरिष्ठ अधिकारियों का विदेशों का दौरा

551. प्रो० अजित कुमार मेहता : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में कृषि मंत्रालय और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनेक वरिष्ठ अधिकारियों ने कुछ अन्य देशों का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है तथा कितने अधिकारियों ने (उनके पद संहित) विदेशों का दौरा किया था तथा उनका दौरा करने का उद्देश्य क्या था;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान (वर्षवार) कृषि मंत्रालय और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधिकारियो ने विदेशों का कितनी बार दौरा किया था; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान (वर्षवार) उनके ऐसे दौरों पर कितना व्यय हुआ ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामिनाथन्) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

वरिष्ठ अधिकारियों की विदेश यात्रा

552. **श्री के० ए० राजन** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सचिव, कृषि और सचिव ("डेयर") (डी० ए० आर० ई०) सहित कई वरिष्ठ अधिकारी भारत-अमेरिकी आयोग के लिए कुछ समय पहले विदेशों में थे (हिन्दुस्तान टाइम्स, 8 जून, 1982);

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामिनाथन्) : (क) कृषि और सहकारिता विभाग के सचिव श्री एस० पी० मुखर्जी की अध्यक्षता में एक भारतीय प्रतिनिधि मंडल, (जिसमें भारत से 14 सरकारी/गैर-सरकारी अधिकारी और भारतीय दूतावास वाशिंगटन से 2 अधिकारी शामिल थे) और कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग के सचिव के भारत-अमेरिकी उप-आयोग के दूसरे सम्मेलन में भाग लिया। इसके चार कार्यकारी दलों की बैठकें 3 जून से 9 जून, 1982 तक वाशिंगटन में हुई थीं।

(ख) प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) इस सम्मेलन के सम्मत कार्यवृत्तों की प्रतियां तथा कार्यकारी दलों की रिपोर्ट जानकारी तथा आवश्यक कार्यवाही के लिए सभी संबंधित व्यक्तियों को भेज दी गई हैं।

विवरण

भारतीय शिष्टमंडल के सदस्यों के नाम

एस० पी० मुखर्जी	सचिव, कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, उप आयोग का भारतीय अध्यक्ष।
ओ० पी० गौतम	सचिव, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग, महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, अनुसंधान तथा शिक्षा सम्बन्धी कार्यकारी दल के भारतीय अध्यक्ष।

के० वी० रामा राव	सदस्य, केन्द्रीय जल आयोग तथा पदेन अपर सचिव, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, प्राकृतिक संसाधन प्रबन्ध सम्बन्धी कार्यकारी दल के भारतीय अध्यक्ष।
एम० शंकरानारायणन	संयुक्त सचिव, कृषि और सहकारिता विभाग, विस्तार तथा प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्यकारी दल के भारतीय अध्यक्ष।
आर० सी० गुप्ता	संयुक्त सचिव, कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, आदान तथा सम्बद्ध प्रौद्योगिकी सम्बन्धी कार्यकारी दल के अध्यक्ष।
आर० एम० वत्स	निदेशक, अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता, कृषि और सहकारिता विभाग, उप-आयोग के भारतीय कार्यकारी सचिव।
सुखदेव सिंह	कुलपति, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना।
आर० एम० आचार्य	उप महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद।
जी० एल० कौल	सहायक महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद।
पी० एन० राव	संयुक्त सचिव, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग एवं सचिव, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद।
समर सिंह	संयुक्त सचिव, कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय।
के० एच० चोरे	विशेष कार्य अधिकारी (तकनीकी) भारतीय उर्वरक निगम।
बी० एस० ककड़	प्रबन्ध निदेशक, राष्ट्रीय उर्वरक लि०
वी० वी० रामा सुब्बाराव	निदेशक (उर्वरक), रसायन तथा उर्वरक विभाग, भारतीय सचिव, आदान तथा सम्बद्ध प्रौद्योगिकी सम्बन्धी कार्यकारी दल।
एस० पी० बगला	आर्थिक कार्य के मंत्री, भारतीय दूतावास, वाशिंगटन, डी० सी०
एस० वरदाचारी	आर्थिक कार्य के सलाहकार, भारतीय दूतावास वाशिंगटन, डी० सी०।

डेरी बोर्ड में विदेशी विशेषज्ञ

553. **प्रो० अजित कुमार मेहता :**

श्री लहना सिंह तुर :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि व्यवस्था के अनुसार डेरी बोर्ड के साथ अक्तूबर 1968 से सम्बद्ध विदेशी विशेषज्ञ को अपने स्थान पर एक विशेषज्ञ को प्रशिक्षित करना था और यदि हां, तो क्या इस उद्देश्य की प्राप्ति हो गई है; और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार को आस्ट्रेलियन होम जर्नल (अगस्त, 1981) में बम्बई बन्दरगाह से प्राचीन फर्नीचर के भारी मात्रा में निर्यात के बारे में छपे समाचार का पता है और क्या उक्त विशेषज्ञ फर्नीचर व्यापार में अन्तर्ग्रस्त है तथा साथ ही साथ एन० डी० बी० कैम्पस में निर्माण सहित नकली नामों पर अमूल डेरी काम्पलैक्स में "थ्रीमस्केटर्स" नामक रेस्टोरेंट भी चला रहा है; और

(ग) क्या सरकार "विशेषज्ञ" की सेवाएं जारी रखने पर पुनर्विचार करेगी ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामिनाथन्) : (क) उन्होंने राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के अनेक अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया और उन्होंने उनकी कुशलता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया ।

(ख) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड, जिसके साथ यह विशेषज्ञ सम्बद्ध हैं, ने सूचित किया है कि यह विशेषज्ञ, अमूल डेरी काम्पलेक्स में जाली नामों से प्राचीन फर्नीचर का निर्यात और रेस्टोरेंट का धन्धा नहीं चला रहा है ।

(ग) विशेषज्ञ, खाद्य एवं कृषि संगठन-संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के विशेषज्ञ दल का नेता है, जो कि राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड/भारतीय डेरी निगम के साथ सम्बद्ध है । उसकी योग्यता, अनुभव और भारत में डेरी विकास से सम्बद्ध पहलुओं के सम्बन्ध में उनके ज्ञान को ध्यान में रखते हुए, सरकार को उसकी योग्यता, उपयोगिता और आपरेशन फ्लड के सिद्धांतों और उद्देश्यों के प्रति उसके उत्तरदायित्व में पूर्ण विश्वास है । अतः उन्हें कार्य करते रहने की अनुमति दी गई ।

सूखा और अकाल से ग्रस्त गांव

554. **श्री अजित कुमार साहा :**

श्री जायनल अबेदिन :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के कितने गांव ,चण्ड सूखे की चपेट में हैं;

(ख) राज्य सरकारों द्वारा अकालग्रस्त घोषित किए गए गांवों की राज्यवार संख्या कितनी है; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान इन प्रभावित राज्यों को राज्यवार कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में उपमन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) और (ख) राजस्थान सरकार से प्राप्त ज्ञापन के अनुसार इस वर्ष के पूर्व मानसून अवधि के दौरान राजस्थान के 23,245 गांव सूखे से प्रभावित हुए हैं । वर्ष 1981 के दौरान पश्चिमी बंगाल में मानसून के बाद सूखे से 17,250 गांव प्रभावित हुए थे । ये गांव अभी सूखे की चपेट में हैं और इन्हें राहत दी जा रही है ।

(ग) राजस्थान : 4 से 7 मई, 1982 तक राजस्थान का दौरा करने वाले केन्द्रीय दल द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर तथा उस पर उच्च स्तरीय राहत समिति की सिफारिशों पर भारत सरकार ने सितम्बर, 1982 तक विभिन्न सूखा राहत उपायों के लिए 3703.39 लाख रुपए की अधिकतम राशि व्यय करने की मंजूरी दी है ।

पश्चिम बंगाल

केन्द्रीय सहायता के लिए पश्चिम बंगाल सरकार के अनुरोध पर विचार किया जा रहा है ।

गेहूं की आयात

555. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश की मांग को पूरा करने के लिए भारत सरकार इस वर्ष और अधिक गेहूं आयात करने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसके सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) सरकार का फिलहाल गेहूं का आयात करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

खराब हुए गेहूं को खरीदना

556. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों के अनुसार इस वर्ष लगभग 16 लाख टन गेहूं में या तो अंकुर निकल आये हैं और वे टूट गए हैं या उनमें चमक नहीं रही है अथवा उनका रंग उतर गया है;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पंजाब सरकार ने वर्षा और ओले से क्षतिग्रत हुए सभी गेहूं को 142 रुपये के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने का निर्णय किया है;

(घ) यदि हां, उसका ब्योरा है और अब तक उसकी कुल कितनी मात्रा खरीदी गई है;

(ङ) क्या हाल में खरीदे गए क्षतिग्रस्त और नमी वाले गेहूं को प्राथमिकता के आधार पर कमी वाले राज्यों को भेजा गया था अथवा भेजा जा रहा है जिससे उन्हें उचित दर की दुकानों से वितरित किया जा सके; और

(च) यदि हां, तो उसका ब्योरा है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में उप मन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) और (ख) पंजाब कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विभाग, भारत सरकार, ने पंजाब कृषि विभाग के परामर्श से अप्रैल-मई, 82 में गैर-मौसमी वर्षा होने के कारण पंजाब में गेहूं को हुई क्षति का अन्दाजा लगाया है। अनुमानत: 6 से 7 लाख मी० टन के बीच गेहूं को हानि पहुंची है। दानों के टूटने, अंकुरण और नमी से प्रभावित होने के कारण मात्रा सम्बन्धी हानि के अलावा, खेतों में पड़े गेहूं के कुछ भाग का रंग तथा चमक खराब हो जाने से विभिन्न सीमा तक क्वालिटी सम्बन्धी क्षति हुई है।

(ग) और (घ) भारत सरकार द्वारा विहित समान विनिर्दिष्टियों के अनुसार, मूल्य समर्थन के अभियान के अधीन गेहूं की खरीदारी की जाती है। उत्पादकों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार ने केन्द्रीय पूल के लिए वसूल किए जाने वाले गेहूं की समान विनिर्दिष्टियों में ढील दे दी है :

(1) बदरंग गेहूं, जिसका दाना क्षतिग्रस्त न हुआ हो, को वसूल करने की अनुमति दे दी गई है;

(2) मामूली तौर पर क्षतिग्रस्त अनाज की सीम, अर्थात सतही तौर पर क्षतिग्रस्त दानों के साथ अनाज, जिसकी किस्म प्रभावित न हुई हो, को ग्रेड 2 के बारे में 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया है, लेकिन इस सम्बन्ध में बसूली मूल्य में किसी प्रकार की दंडनीय कटौती नहीं की जाएगी; और

(3) ग्रेड 2 में क्षतिग्रस्त अनाज की सीमा को, बिना कोई मूल्य सम्बन्धी कटौती किए 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।

सरकारी वसूली एजेन्सियों को केवल शिथिलित विनिर्दिष्टियों तक खरीदारी करने की अनुमति दी गई है। खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमों के अधीन उपभोक्ताओं की सुरक्षा के अनुरूप अधिकतम ढील दी गई है।

सभी वसूली एजेन्सियों और सम्बन्धित राज्य सरकारों को सूचित कर दिया गया है कि यदि उन्होंने विनिर्दिष्टियों से निम्न स्तर का स्टाक वसूल किया है तो ऐसे स्टाक को साफ करके और अच्छे स्टाक के साथ मिला करके स्वीकार्य मानक तक "अपग्रेड" करके केवल केन्द्रीय पूल के लिए स्वीकार किया जाएगा।

पंजाब में गेहूं की वसूली, पंजाब सरकार/इसकी एजेन्सियों और भारतीय खाद्य निगम द्वारा की जाती है। पंजाब में 8 जुलाई, 1982 तक 47.35 लाख मी० टन गेहूं की वसूली हुई है।

(ङ) तथा (च) केवल विहित विनिर्दिष्टियों के अनुरूप स्टाक को ही केन्द्रीय पूल के लिए स्वीकार किया जाता है और प्राथमिकता के आधार पर पंजाब से कमी वाले राज्यों को भेजने के लिए उनमें से वर्षा से प्रभावित स्टाक का पता लगाया जा रहा है।

उचित दर दुकानों के माध्यम से घटिया गेहूं की सप्लाई

557. **श्री सुशील भट्टाचार्य :**

डा० सरदीश राय :

श्रीमती सुशीला गोपालन :

श्री एम० एम० लारेंस :

श्री रवीन्द्र वर्मा :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बहुत अधिक आर्द्रता वाला तथा खराब रंग का गेहूं राजधानी में उचित दर दुकानों को सप्लाई किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) मानवीय खपत के अनुपयुक्त क्षतिग्रस्त गेहूं को उचित दर दुकानों को सप्लाई न करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में उपमन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) से (ग) भारत सरकार के पास राजधानी की उचित दर की दुकानों को नमीयुक्त और बदरंग किस्म का घटिया गेहूं सप्लाई करने के बारे में ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई हैं। तथापि, इस सम्बन्ध में कुछेक समाचार समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए थे और भारतीय खाद्य निगम से कहा गया है कि वे इस मामले में सतर्क रहें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए उचित दर की दुकानों को केवल निर्धारित विनिर्दिष्टियों के अनुरूप और मानव उपभोग के योग्य स्टाक जारी किया जाए।

ग्रामीण विकास सम्बन्धी योजनाओं के लिए प्रस्तावित व्यय

558. **श्री के० लकप्पा** : क्या **ग्रामीण विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण विकास के लिए बनाई गई प्रत्येक योजना पर वर्ष 1982-83 के दौरान सरकार द्वारा कितनी-कितनी धनराशि खर्च करने का विचार है; और

(ख) ये योजनाएं कब तक कार्यान्वित हो जायेंगी ?

कृषि और ग्रामीण विकास मत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) व (ख) ग्रामीण विकास मन्त्रालय के मुख्य कार्यक्रमों के लिए 1982-83 की वार्षिक योजना में केन्द्रीय

क्षेत्र के परिव्ययों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। वर्ष के दौरान राज्य सरकारों द्वारा बराबर का अंशदान सुलभ किए जाने की सम्भावना है। छठी योजना में ये सभी कार्यक्रम जारी रहेंगे।

विवरण

ग्रामीण विकास मंत्रालय के मुख्य कार्यक्रमों के लिए वार्षिक योजना 1982-83 हेतु केन्द्रीय क्षेत्र के परिव्ययों को दर्शाने वाला विवरण।

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं०	कार्यक्रम	1982-83 के दौरान परिव्यय
1.	समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	180.50
2.	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	190.50
3.	सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम	40.00
4	मरुभूमि विकास कार्यक्रम	8.00

छोटे और मध्यम दर्जे के कस्बों के विकास के लिए ऋण

559. **श्री के० लकप्पा :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में कुछ राज्यों में छोटे और मध्यम दर्जे के कस्बों के विकास के लिए ऋणों की मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूर्ण ब्योरा क्या है; और

(ग) कर्नाटक राज्य के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल० टी० 4220/82]

(ग) पात्र प्रस्तावों को प्रस्तुत करने की शर्त पर कर्नाटक राज्य के लिए 1982-83 में अस्थाई तौर पर 1.19 करोड़ रुपये का नियतन किया गया है। राज्य सरकार से आशा की जाती है कि वह अनुमोदित योजनाओं के लिए राज्य के बजट में उतनी ही राशि का प्रावधान करे।

गाय की खाल का निर्यात

560. **श्री अटल बिहारी बाजपेयी :**

श्री सूरजभान :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष तथा चालू वर्ष में गाय की कितनी खालों का निर्यात किया गया तथा पाकिस्तान में कितनी गायों को चोरी छिपे भेजा गया ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामिनाथन्) : जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विंडसर प्लेस में होटल के लिए भूमि

561. **श्री अटल बिहारी बाजपेयी :** क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली नगर पालिका ने मैसर्स प्योर ड्रिंक्स लिमिटेड को विंडसर प्लेस में होटल के लिए किन शर्तों पर लीज पर जमीन दी है;

(ख) दिनांक 21 मई, 1982 तक नई दिल्ली नगर पालिका को लाइसेन्स शुल्क की कितनी धनराशि देय है।

(ग) अब तक लाइसेन्स शुल्क की कितनी धनराशि प्राप्त हो चुकी है; और

(घ) यदि लाइसेन्स शुल्क की कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) व (ख) नई दिल्ली नगरपालिका ने सूचित किया है कि होटल के लिए सरकार द्वारा उनको आवंटित भूमि का 99 वर्षों की अवधि के लिए मैसर्स प्योर ड्रिंक्स (नई दिल्ली) लि० को न्यूनतम वार्षिक गारन्टी शुदा राशि के रूप में 2.68 करोड़ रुपये पर अथवा वार्षिक सकल उत्पादन के 23 प्र०श० दर इन दोनों में जो भी अधिक हो, की इस शर्त पर लाइसेन्स दिया गया था कि प्रत्येक 33 वर्ष के बाद न्यूनतम वार्षिक गारन्टी शुदा राशि पर अधिक से अधिक 100 प्र०श० की वृद्धि होगी। नई दिल्ली नगर पालिका तथा मैसर्स प्योर ड्रिंक्स (नई दिल्ली) लि० के मध्य लाइसेन्स करार की शर्तों के अनुसार, लाइसेन्सकर्ता को 16 अप्रैल, 1981 के लाइसेन्स करार के निष्पादन के 15 दिन के भीतर 90 लाख रुपये की राशि जमा करनी थी। भूमि के पूर्ण भूखण्डों को सौंपे जाने के बाद 1.78 करोड़ रुपये की शेष राशि की भुगतान किया जाना था।

(ग) 30 अप्रैल, 1981 तक नई दिल्ली नगर पालिका ने 90 लाख रुपये प्राप्त किए।

(घ) नई दिल्ली नगर पालिका तथा मैसर्स प्योर ड्रिंक्स (नई दिल्ली) लि० के मध्य लाइसेन्स करार के अनुसार, नई दिल्ली नगरपालिका को मैसर्स प्योर ड्रिंक्स को होटल के निर्माण के लिए 4.5 एकड़ माप की भूमि देनी थी। किन्तु स्थल की परिस्थितियों के कारण, सरकार नई

दिल्ली नगर पालिका को 4.5 एकड़ भूमि जिसके लिए प्रारम्भ में सहमति हुई थी, की तुलना में केवल 4.29 एकड़ भूमि ही लाइसेन्स में दे पाई। नई दिल्ली नगर पालिका ने मैसर्स प्योर ड्रिंक्स (नई दिल्ली) लि० को अब सूचित किया है कि होटल के निर्माणार्थ केवल 4.29 एकड़ भूमि ही उपलब्ध है और उन्हें 1.78 करोड़ रुपये शेष लाइसेन्स फीस के रूप में तुरन्त जमा करना चाहिए।

सिंचाई सुविधाओं सम्बन्धी लक्ष्य तथा उपलब्धि

562. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :**

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि देश में सिंचाई सुविधाओं के मामले में निर्धारित लक्ष्यों तथा उपलब्धियों के बीच अन्तर है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1980-81, 1981-82 तथा 1982-83 में इन लक्ष्यों तथा उपलब्धियों सम्बन्धी राज्यवार आंकड़े क्या है;

(ग) उपरोक्त मामले में लक्ष्य तथा उपलब्धि के बीच अन्तर को कम करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें 1980-81, 1981-82 और 1982-83 के वर्षों में सिंचाई क्षमता का लक्ष्य तथा उपलब्धि के राज्य-वार आंकड़े दिए गए हैं।

(ग) और (घ) राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे बाधाओं को दूर करके परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए उनकी समुचित मानीटरिंग करें। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार ने चुनी हुई बृहद परियोजनाओं की मानीटरिंग शुरू कर दी है। सिंचाई मंत्रालय भी राज्य सरकारों को दुर्लभ निर्माण सामग्री उपलब्ध कराने में उनकी सहायता कर रहा है।

विवरण

बृहद, मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाओं से सृजित सिंचाई क्षमता का लक्ष्य और उपलब्धि

(हजार हैक्टेयर)

क्रम सं०	राज्य का नाम	1980-81 लक्ष्य	1980-81 उपलब्धि	1981-82 लक्ष्य	1981-82 उपलब्धि	1982-83 लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	110	112	174	195	173.75
2.	असम	51	42	45	42	29.95

1 2	3	4	5	6	7
3. बिहार	227	202	213	264	323.08
4. गुजरात	95	40	58	55	119.83
5. हरियाणा	66	51	50	56	86.00
6. हिमाचल प्रदेश	7.5	8.5	5	7.8	5.01
7. जम्मू तथा कश्मीर	20	16 8	16	16.5	8.17
8. कर्नाटक	140	60	131	81	168.00
9. केरल	72	34	45	53	57.23
10. मध्य प्रदेश	151	180	225	218	221.00
11. महाराष्ट्र	205	127	177	155	194.95
12. मणिपुर	12.5	7.9	16	12.1	11.10
13. मेघालय	4	2.3	2	2.25	2.15
14. नागालैंड	3.5	2	2	2	1.14
15. उड़ीसा	113	85	122	116	137.33
16. पंजाब	88	70	47	74	93 00
17. राजस्थान	97	52	122	62	138.00
18. सिक्किम	2	1	1	1.5	1.73
19. तमिलनाडु	38	40.5	38	36	35.00
20. त्रिपुरा	3	1	2	0.85	1.63
21. उत्तर प्रदेश	924	1007	956	1006	891.00
22. पश्चिम बंगाल	202	987	123	83	150.50
उप-जोड़ : राज्य	2631.5	2275	2670	2520	2846.62
संघ राज्य क्षेत्र	10.5	2	7	2	4.38
कुल जोड़	2642	2277	2677	2522	2851

पश्चिम बंगाल में अधिक गेहूं तथा खाद्यान्नों की मांग

563. **श्री सनत कुमार मण्डल :**

श्रीमती गीता मुखर्जी :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में पिछले जून के मध्य तक निरन्तर बनी रहने वाली सूखा की स्थितियों को देखते हुए सरकार ने उस राज्य को अधिक गेहूं तथा अन्य खाद्यान्नों का आवंटन करने की पश्चिम बंगाल राज्य सरकार की मांग पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो पश्चिम बंगाल ने चालू वर्ष के दौरान कितने गेहूं और चावल की मांग की और मासिक आवंटन की मात्रा क्या है;

(ग) क्या उस राज्य में कोई आरक्षित भण्डार बनाया गया है;

(घ) यदि हां, तो उसकी मात्रा क्या है;

(ङ) पंजाब सरकार द्वारा गेहूं के राज्य से बाहर ले जाने पर लगाये गए प्रतिबन्ध का पश्चिम बंगाल को गेहूं के परिवहन पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(च) इस बात को देखने के लिए क्या एहतियाती कदम उठाए गए हैं कि क्षतिग्रस्त गेहूं की पश्चिम बंगाल को सप्लाई न की जाय ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उपमन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) पश्चिमी बंगाल सरकार के अनुरोध पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उनके गेहूं के मासिक आवंटन को फरवरी, 1982 के 55,000 मी० टन से बढ़ाकर मार्च, 1982 में 60,000 मी० टन कर दिया गया था और आवंटन को उसी स्तर पर बनाए रखा जा रहा है। इसी प्रकार चावल के मासिक आवंटन के स्तर को भी अप्रैल, 1982 के 1.30 लाख मी० टन से बढ़ाकर मई, 1982 में 1.50 लाख मी० टन और जून, 1982 में 1.40 लाख मी० टन कर दिया गया था। राज्य की रोलर फ्लोर मिलों को 35,000 मी० टन प्रति मास के हिसाब से गेहूं का आवंटन किया जा रहा है।

(ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें राज्य सरकार द्वारा वर्तमान वर्ष के दौरान मासवार गेहूं और चावल की की गई मांग और किए गए आवंटनों का ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) 95,000 मी० टन गेहूं और 1.40 लाख मी० टन चावल के वर्तमान मासिक आवंटन के प्रति, पश्चिमी बंगाल में भारतीय खाद्य निगम के पास 15 जून, 1982 तक 2.53 लाख मी० टन गेहूं और 1.99 लाख मी० टन चावल का स्टाक था।

(ङ) केन्द्रीय सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार, देश भर में गेहूं के अन्तर्राज्यीय और अन्त:राज्यीय संचलन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। तथापि, पंजाब सरकार ने पंजाब गेहूं व्यापार लाइसेंसिंग आदेश, 1982 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए विनियामक अनुदेश जारी किए

हैं ताकि किसानों के लिए उपयुक्त मूल्य सुनिश्चित किए जा सकें और बिक्री कर आदि से बचने के लिए फर्जी बिक्री को रोका जा सके तथा गेहूं के बारे में व्यापार के सौदों के विश्वसनीय रिकार्ड को भी बनाए रखा जा सके। इन विनियामक उपायों का केन्द्रीय सरकार के खाते पर गेहूं के संचलन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

(च) भारतीय खाद्य निगम भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई निर्दिष्टियों के अनुरूप खाद्यान्नों की वसूली करता है। राज्य सरकार को सप्लाई किए गए खाद्यान्न निर्धारित निर्दिष्टियों जोकि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम की सीमा के अन्दर होती है, के अनुरूप होते हैं। निगम के गोदामों से सुपुर्दगी लेने से पूर्व स्टाक की जांच करने के लिए राज्य सरकार के प्रतिनिधियों को सुविधाएं सुलभ की जाती हैं।

विवरण

1982 (जुलाई तक) के दौरान पश्चिमी बंगाल की केन्द्रीय पूल से खाद्यान्नों की मांग और आवंटन को बताने वाला विवरण।

(हजार मीटरी टन में)

	मांग				आवंटन			
मास	चावल	गेहूं		जोड़	चावल	गेहूं		जोड़
		सा० वि० प्र०	रो० फ्० मि०			सा० वि० प्र०	रो० फ्० मि०	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1982								
जनवरी	175	100	45	320	130	55	35	220
फरवरी	175	100	45	320	130	55	35	220
मार्च	175	100	55	330	130	60	35	225
अप्रैल	175	100	55	330	130	60	35	225
मई	175	100	55	330	150	60	35	245
जून	175	100	55	330	140	60	35	235
जुलाई	175	100	55	330	140	60	35	235

सा० वि० प्र० = सार्वजनिक वितरण प्रणाली

रो० फ्० मि० = रोलर फ्लोर मिलें

दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों की संख्या

564. **श्री कृष्ण चन्द्र पाण्डेय :**

श्री रामप्यारे पनिका :

श्री सज्जन कुमार :

श्री फूल चन्द वर्मा :

क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में 1 जुलाई, 1982 के दिन अनधिकृत कालोनियों का ब्योरा क्या है;

(ख) वर्ष 1982-83 के दौरान नियमित की जानी वाली कालोनियों का ब्योरा क्या है; **और**

(ग) उन कालोनियों के बारे में सरकार की क्या नीति है जो नियमित नहीं हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ग) गांवों के लाल डोरा के चारों ओर अनधिकृत कालोनियों सहित दिल्ली में बनी अनधिकृत कालोनियां सरकारी नीति के अनुसार नियमित की जायेंगी जिनके लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली नगर निगम ने 612 कालोनियों की अनुलग्नक के अनुसार एक सूची तैयार की है जिनमें 30-6-77 तथा 16-2-77 तक बनाई गई क्रमश: रिहायशी और वाणिज्यिक संरचनायें शामिल हैं। अनधिकृत कालोनियों की कोई दूसरी सूची नहीं बनाई गई है। 1982-83 के दौरान नियमित की जाने वाली कालोनियों के ब्यौरे भी अलग से तैयार नहीं किये गए हैं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4221/82]

रोहिणी स्कीम के अन्तर्गत प्लाटों का आवंटन

565. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे :**

श्री सज्जन कुमार :

क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक लोगों ने दिल्ली में रोहिणी स्कीम के अन्तर्गत प्लाटों के लिए अपने अपने नाम पंजीकृत कराए हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो उन्हें प्लाटों का आवंटन कब तक कर दिया जाएगा; और

(ग) रोहिणी काम्प्लेक्स के विकास के सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) प्लाटों का आवंटन 5 वर्षों की अवधि के दौरान चरणों में किया जाना है। विभिन्न वर्गों में प्लाटों की प्रथम किस्त को शीघ्र ही रिलीज किए जाने की सम्भावना है।

(ग) सेवाओं के प्रावधान के लिए विकास गतिविधियों को विकास के प्रथम चरण में आरम्भ किया जा रहा है ।

मोती नगर में दूध की सप्लाई

566. **श्री कृष्ण चन्द्र पाण्डे :**

श्री सज्जन कुमार :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मोतीनगर में डी० एम० एस० के बूथ नम्बर 1205 में दूध के केवल 24 क्रेट की सप्लाई की जाती है और वह भी गैर-सरकारी सप्लाई कर्ताओं को जिसके परिणामस्वरूप लोगों को भारी कठिनाई हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इन गैर सरकारी सप्लायरों को दूध सप्लाई किए जाने के क्या कारण हैं और उन्हें कितना दूध सप्लाई किया जा रहा है; और

(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि लोगों को दूध की किल्लत न हो और गैर-सरकारी सप्लायरों को वहां से दूध न दिया जाए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामिनाथन्) : (क) दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा मोतीनगर दुग्ध डिपो संख्या 1205 को दूध की 24 क्रेट सप्लाई की जाती है । तथा "पहले आये, पहले पाये," आधार पर उपभोक्ताओ को सम्पूर्ण मात्रा सप्लाई की जाती है ।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को दृष्टि में रखकर प्रश्न ही नहीं होता ।

(ग) दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा सप्लाई किये जाने वाले दूध का समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली दुग्ध योजना के क्षेत्रीय कर्मचारी दुग्ध डिपुओं का सुबह और शाम दोनों समय दौरा करते है । क्षेत्रीय स्टाफ द्वारा डिपुओं की नियमित जांच किये जाने के अलावा, दिल्ली दुग्ध योजना के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आकस्मिक निरीक्षण भी किया जाता है । उपभोक्ताओं को किये जाने वाले दूध के वितरण में पाये जाने वाले कदाचारों के मामलों का भी पता चलता है उनकी शीघ्र जांच करके उपचारात्मक उपाय किये जाते हैं ।

गेहू की वसूली

567. **श्री कृष्ण कुमार गोयल :**

श्री टी० आर० शमन्ना :

श्री नवीन रवाणी :

क्या कृषि मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष, प्रत्येक राज्य में गेहूं की कितनी वसूली की गई;

(ख) गेहूं का कितना भण्डार है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के पास गेहूं का कितना भण्डार है;

(ग) क्या मांग को पूरा करने के लिए गेहूं का पर्याप्त भण्डार है और गेहूं के आयात की कोई सम्भावना नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में उपमन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) 7-7-1982 तक प्राप्त सूचनानुसार, विपणन मौसम 1982-83 के दौरान वसूल किए गए गेहूं का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ख) 1-6-1982 को सरकारी एजेन्सियों के पास कुल लगभग 81.7 लाख मीटरी टन गेहूं का कुल स्टाक था । निजी स्टाक अर्थात् व्यापारियों, उपभोक्ताओं आदि के पास पड़े स्टाक के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ग) और (घ) विपणन मौसम 1982-83 में रबी की अच्छी वसूली होने और आवंटनों के वर्तमान स्तर को देखते हुए यह महसूस किया जाता है कि सरकारी एजेन्सियों के पास उपलब्ध गेहूं का स्टाक सार्वजनिक वितरण की जायज मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगा । वर्तमान वर्ष के दौरान सरकार का विदेशों से गेहूं का आयात करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

विवरण

विपणन मौसम 1982-83 के दौरान गेहूं की राज्यवार वसूली को बताने वाला विवरण ।

राज्य	वसूल की गई मात्रा (7-7-1982 को) (आंकड़े हजार मीट्री टन में)
बिहार	6
हरियाणा	1252
हिमाचल प्रदेश	नग०
जम्मू एवं कश्मीर	16
मध्य प्रदेश	60
पंजाब	4731
राजस्थान	125
उत्तर प्रदेश	1292
चण्डीगढ़	नग०
दिल्ली	7
जोड़ :	7489

नग० : 500 मीटरी टन से कम

माही बजाज सागर बांध का निर्माण

568. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या **सिंचाई मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि माही बजाज सागर बांध अभी तक पूरा नहीं हो सका है, जिसका निर्माण वर्ष 1972-73 में आरम्भ हुआ था;

(ख) इस बांध को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है;

(ग) इस बांध से सिंचाई सुविधायें कब तक प्राप्त होने लगेंगी; और

(घ) क्या यह भी सच है कि इस परियोजना के शीघ्र निर्माण के लिए सीमेंट की अतिरिक्त सप्लाई का प्रबन्ध करना पड़ेगा और उसका ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी, हां ।

(ख) बांध करीबन पूरा हो गया है । अन्तर्ग्राही तथा नहरों पर धीमी गति में भी तेजी लाई गई है और परियोजना प्राधिकारियों द्वारा विशेष मानीटरिंग की जा रही है ।

(ग) आंशिक सिंचाई सुविधायें 1983 के रबी के मौसम से आरम्भ कर दी जायेंगी ।

(घ) 1982 की पहली तिमाही के लिए विभिन्न सीमेंट कारखानों के सम्बन्ध में सीमेंट का निम्न प्रकार पर्याप्त आवंटन किया गया है :

क्र० सं०	कारखाने का नाम	1982 की पहली तिमाही तक बकाया सप्लाई
1.	मंगलम सीमेंट कारखाना, बोरक	3464 एम० टी०
2.	जयपुर उद्योग, सवाई माधोपुर	2400 एम० टी०
3.	जे० के० सीमेंट वर्क्स, निम्बहारा	4194 एम० टी०
4.	बिड़ला सीमेंट वर्क्स, चित्तौरगढ़	1463 एम० टी०
5.	उदयपुर सीमेंट वर्क्स, उदयपुर	509 एम० टी०
	जोड़	12030 एम०टी०

सीमेंट की सुपुर्दगी में शीघ्रता की जा रही है ।

कालीन, गलीचे और "अप्रैरल" ऊन की मांग और पूर्ति के बीच अन्तर

569. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कालीन, गलीचों की ऊन और 'अप्रैरल" ऊन की मांग और पूर्ति के बीच भारी अन्तर है;

(ख) ऊन विकास निगमों और भेड़ पालन करने वालों की सहकारी समितियां स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों से अनुरोध करने हेतु सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है;

(ग) घास और अन्य आदानों की खरीद में गड़रियों की सहायतार्थ क्या योजनायें बनाई गई हैं; और

(घ) ऊन, विशेषकर घटिया ऊन का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या योजनायें बनाई गई हैं और उनका ब्योरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामिनाथन्) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को उन बोर्डों/निगमों/सहकारी संघों की स्थापना करने की सिफारिश की है।

(ग) ऐसी कोई योजना नहीं है जिसके अन्तर्गत गड़रियों को घास खरीदने के लिए विशेष-रूप से सहायता दी जाती है। समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और विशेष पशुधन उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत, भेड़ बकरियों की स्थापना करने में पूंजीगत लागत पर लाभानुभोगियों को राज सहायता दी जाती है।

(घ) गलीचों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तथा कपड़ों में प्रयोग किए जाने वाले ऊन के उत्पादन और किस्म में सुधार करने के लिए भेड़ विकास कार्यक्रम प्रारम्भ किये गये हैं। गलीचे बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली ऊन के उत्पादन और किस्म में सुधार करने के कार्यक्रम में विदेशी दोहरे उद्देश्य वाली उत्तम ऊन की नस्लों वाली भेड़ों के साथ मोटी ऊन और लम्बे बालों वाली भेड़ों का संकर प्रजनन किया जाता है और ऐसी नस्लों का जितसे ऊन से अच्छी किस्म के देशी गलीचे तैयार किये जाते हैं, वर्गीकरण किया जाता है। कपड़े बनाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले ऊन का उत्पादन सुधारने के कार्यक्रमों में, उपयुक्त क्षेत्रों में देशी भेड़ों का बढ़िया ऊन देने वाले विदेशी नस्लों की भेड़ों के साथ संकर प्रजनन किया जाता है। इन कार्यक्रमों के समुचित स्वास्थ्य व्यवस्था, उन्नत भेड़ पालन की पद्धतियों, अच्छी किस्म के मेढ़ों के वितरण द्वारा भी सहायता दी जा रही है।

इन्सेट-1-ए के माध्यम से उड़ीसा में तूफान की पूर्व सूचना

570. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन :**
श्री ए० टी० पाटिल :
श्री सुधीर कुमार गिरि :
श्री विजय कुमार यादव :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह है कि इन्सेट-1-ए के माध्यम से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर केन्द्रीय मौसम विभाग ने उड़ीसा में समुद्री तूफान की चेतावनी उड़ीसा सरकार को लगभग 72 घंटे पहले दे दी थी;

(ख) यदि हां, तो चेतावनी प्राप्त होने के बाद उड़ीसा सरकार द्वारा क्या पूर्वोपाय किए गए;

(ग) उक्त चेतावनी के बावजूद उस तूफान के कारण भारी तादाद में हुई जान और धन की हानि के लिए कौन उत्तरदायी ठहराया गया है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में उपमन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार समुद्री तूफान का प्रथम संकेत उड़ीसा के समुद्री तट पर टकराने से लगभग 57 घंटे पहले इन्सेट-1-ए द्वारा भेजे गए बादलों के चित्रों में देखा गया था।

(ख) राज्य सरकार द्वारा दिए गए ज्ञापन के अनुसार वरिष्ठ अधिकारियों तथा कलेक्टरों को समुद्री-तूफान की चेतावनी दे दी गई थी। जिला एवं ब्लाक कर्मचारियों को सचेत कर दिया गया था और वरिष्ठ अधिकारी उन स्थानों में तुरन्त पहुंच गए थे, जहां अधिकतम नुकसान होने की आशंका थी।

आकाशवाणी से भी 2 तथा 3 जून को आधे-आधे घंटे के अन्तराल से 4 जून के प्रातः तक बार-बार इस संदेश का प्रसारण दिया गया। इस प्रकार प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को समुद्री तूफान के बारे में पूरी तरह से सचेत कर दिया गया था। समुद्री तूफान सम्बन्धी आनुषंगिक योजना के अनुसार लोगों को आश्रय देने के लिए कुछ सुरक्षित स्थानों का पता लगा दिया गया था और वे लोग उन स्थानों पर चले गए थे।

(ग) जान-माल की क्षति मुख्य रूप से तीव्र गति की हवा तथा भारी वर्षा के कारण घरों के ढह जाने से हुई थी।

तट के निकट समुद्री तूफान के तीव्र झोंके, प्रति घंटा 90 किलोमीटर और 220 किलोमीटर के बीच चलने वाली हवा का भारी स्पन्दन तथा हवा की रफ्तार में भारी उतार-चढ़ाव आने के कारण जान-माल को क्षति पहुंची। जान-माल की क्षति के लिए व्यक्ति विशेष को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता।

रेगिस्तानी क्षेत्रों में वन और चरागाह का विकास

571. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ऐसे कितने रेगिस्तानी क्षेत्र हैं जिनकी भूमिहीन किसानों को आवंटित करने के बजाय वन और चरागाह विकास के लिए आरक्षित की गई है;

(ख) इन क्षेत्रों में वन और चारागाह विकास कार्यक्रम की धीमी प्रगति के क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त कार्यक्रम की प्रगति तेज करने के लिए आगामी तीन वर्षों के दौरान क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामिनाथन्) : (क) जी नहीं। ग्रामीण विकास मन्त्रालय ने भूमिहीन कृषकों को आवंटित करने की बजाए वन और

चरागाह विकास के लिए भूमि का आरक्षण करने के लिये ऐसी कोई हिदायतें/निर्देश जारी नहीं किए हैं।

(ख) ग्रामीण विकास मन्त्रालय द्वारा गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के गर्म मरुस्थलों और हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर के शीतोष्ण क्षेत्रों में मरु विकास कार्यक्रम क्रियान्वित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम के अन्तर्गत हुई प्रगति नीचे दी गई है :

वर्ष	किया गया व्यय	सड़कों के किनारे चरागाह विकास, ईंधन और चारा रोपण सहित पौधरोपण	आश्रय पट्टियों का रोपण	रेल के टीलों का स्थिरीकरण
	लाख रुपये	क्षेत्र हैक्टेयर में	कि० मी०	है०
1979-80	388.07	9450	4679	2072
1980-81	493.08	9598	7034	2132
1981-82 (दिसम्बर 1981 तक)	301.70	7258	4250	1944

वर्षा और सिंचाई सुविधाओं की कमी, कठोर जलवायु सम्बन्धी परिस्थितियां और क्षेत्रों की कठिन ऊबड़-खाबड़ भूमि जैसे तत्व कार्यक्रम की क्रियान्विति में बाधा पहुंचाते हैं।

(ग) ग्रामीण विकास मन्त्रालय ने सीमान्त/उप-सीमान्त भूमि पर चरागाह और फार्म वानिकी शुरू करने के लिए लोगों को 100 प्रतिशत राज सहायता देने की एक योजना को मंजूरी दी है। इन क्षेत्रों के वार्षिक कार्यक्रमों में चरागाह और वनरोपण के विकास पर अधिक जोर दिया जा रहा है। परिव्यय का प्रमुख भाग इस क्षेत्र के लिए है।

खाद्यान्नों के लाने ले जाने के कारण भारतीय खाद्य निगम को हुई हानि

572. **श्री वृद्धि चन्द जैन :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में अब तक भारतीय खाद्य निगम द्वारा अपने गोदामों में से खाद्यान्नों को रेलों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने से कितनी हानि उठानी पड़ी और क्या उस हानि के वर्षवार आंकड़े सभा पटल पर रखे जायेंगे; और

(ख) निगम द्वारा मार्ग में, होने वाली हानि को कम करने के लिए उठाये गये विशेष कदमों या उठाये जाने वाले कदमों का ब्योरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में उपमन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) भारतीय खाद्य निगम द्वारा 1978-79 से 1980-81 के वर्षों के दौरान मार्गस्थ उठायी गई कुल हानियों का ब्योरा नीचे दिया जाता है :

	करोड़ रुपयों में
1978-79	28.68
1979-80	41.41
1980-81	59.09

जहां तक वर्ष 1981-81 और अब तक वर्तमान वर्ष के दौरान हुई मार्गस्थ हानियों का सम्बन्ध है, भारतीय खाद्य निगम द्वारा अभी सूचना संकलित की जा रही है।

(ख) इन हानियों को कम करने की दृष्टि से, भारतीय खाद्य निगम उपयुक्त तौल करने, लदान और उतरान केन्द्रों पर प्रभावकारी निगरानी रखने, डिपों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अचानक छापे मारने, विशेष स्क्वायडों द्वारा स्टाक की प्रत्यक्ष जांच करने, प्राप्ति, निर्गम और इतिशेष स्टाक से सम्बन्धित रिपोर्टिंग प्रणाली में सुधार करने, जिला, क्षेत्रीय और जोनल स्तरों पर रिपोर्ट्स की जांच और छान-बीन करने जैसे आवश्यक उपचारात्मक उपाय कर रहा है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा नीलामी करे बगैर प्लाटों का आवंटन

573. **श्री तारिक अनवर** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण ने नीलामी ने बगैर (सहकारी समितियों को आवंटित प्लाटों को छोड़कर) कितने प्लाट आवंटित किए हैं;

(ख) इन प्लाटों का कालोनी-वार और आकार-वार ब्योरा क्या है; और

(ग) वे प्लाट किन आधारों पर आवंटित किए गए हैं तथा उनका मामले-वार ब्योरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) 31.3.82 को समाप्त हुए पिछले 5 वर्षों में 4,844 आवंटन किए गए।

(ख) कालोनी-वार तथा श्रेणी-वार ब्योरे अनुलग्नक में दिए गए हैं। अर्जित की गई भूमि तथा गिराए गए मकानों के बदले में वैकल्पिक आवंटन के अन्तर्गत आवंटित प्लाटों का आकार 80 वर्ग गज से लेकर 400 वर्ग गज तक निम्न आय वर्ग को आवंटित प्लाटों का आकार 35 वर्ग गज से लेकर 125 वर्ग गज तक और मध्यम आय वर्ग के लिए प्लाटों का आकार 126 वर्ग गज से लेकर 200 वर्ग गज तक अलग-अलग हैं।

(ग) प्लाट निम्न प्रकार से आवंटित किए गए :

(i) दिल्ली में बड़े पैमाने पर भूमि का अर्जन, विकास तथा निपटान योजना के अन्तर्गत जिन लोगों की भूमि अर्जित की गई है या जिनके मकान गिरा दिए गए थे, उनको वैकल्पिक आवंटन ।

(ii) निम्न आय वर्ग तथा मध्य आय वर्ग के लोगों को जो दिल्ली विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत पंजीकृत थे । निम्न आय वर्ग तथा मध्य आय वर्ग को वैकल्पिक आवंटनों के रूप में लिए गए आवंटनों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

विवरण

लोक सभा के दिनांक 12.7.1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 573 के भाग (ख) तथा (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

योजना-वार तथा वर्ग-वार बेचे गए प्लाटों का विवरण

क्र० सं०	योजना का नाम	निम्न आय वर्ग	मध्य आय वर्ग	वैकल्पिक आवंटन
1.	विकासपुरी	77	—	49
2.	पश्चिमपुरी	253	1	50
3.	हैदरपुरी	968	—	—
4.	घौंडा	1221	—	43
5.	शालीमार बाग	65	1	92
6.	प्रीतमपुरा	1408	—	67
7.	झिलमिल चरण-I	—	—	4
8.	झिलमिल चरण-II	—	—	120
9.	मालवीय नगर	—	5	101
10.	सफदरजंग	—	6	223
11.	फ्रैन्डस कालोनी	—	—	37
12.	ईस्ट आफ कैलाश	—	1	11
13.	पंखा रोड़ (जनकपुरी)	—	1	8
14.	नारायणा	—	—	4
15.	श्रीनगर एक्स०	—	—	14
16.	गौतम नगर	—	—	11
17.	वजीरपुर चरण-I	—	—	1
18.	वजीरपुर चरण-II	—	—	1
19.	मसजीद मोठ	—	—	1
	योग :	3992	15	837

लोदी कालोनी नई दिल्ली में दूषित जल की सप्लाई

574. **श्री तारिक अनवर :** क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लोदी कालोनी के निवासियों को जून, 1982 के महीने में कई दिन तक कीड़ों से भरा कीचड़ वाला पानी सप्लाई किया गया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि दूषित जल की सप्लाई के कारण पेट की बीमारियों के मामले बढ़ गये है;

(ग) क्या यह भी सच है कि लोदी कालोनी के निवासियों द्वारा नई दिल्ली नगरपालिका अधिकारियों को अनेक अभ्यावेदन दिये जाने के बाजजूद इस समस्या के हल के लिए कोई उपचारात्मक कदम नहीं उठाये गए हैं;

(घ) कीड़ों के भरे कीचड़ वाले जल की सप्लाई किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार ने इस बारे में कोई तत्काल कार्रवाई की है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) नई दिल्ली नगरपालिका ने बताया है कि कीचड़ वाला पानी सप्लाई करने की कुछ शिकायतें थीं। कीड़ों के बारे में एक शिकायत थी, परन्तु बाद में उनके द्वारा दो या तीन अवसरों पर लिये गये नमूनों में कोई कीड़े नहीं पाये गये।

दिल्ली जल प्रदाय तथा मल व्ययन संस्थान ने भी जून, 1982 के आरम्भ में कीचड़ वाला पानी सप्लाई करने के बारे में शिकायतें प्राप्त की थीं।

(ख) नई दिल्ली नगरपालिका ने सूचित किया है कि उन्हें ऐसा कोई मामला नहीं बताया गया।

(ग) नई दिल्ली नगरपालिका ने सूचित किया है कि कीचड़ युक्त पानी की शिकायतें प्राप्त होने पर, नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा पाइप लाइनों की पानी बहाकर सफाई करके स्वच्छ पानी देने के लिये तत्काल ही कार्यवाही की गई।

(घ) नई दिल्ली नगरपालिका ने सूचित किया है कि कीचड़ वाला पानी सप्लाई करने की शिकायतें लोधी रोड में नये भूमिगत जलाशय के चालू करने और लोधी रोड के साथ-साथ पानी के पाइप लाइनों को बदलने के कारण थीं।

(ङ) नई दिल्ली नगरपालिका तथा दिल्ली जल प्रदाय तथा मल व्ययन संस्थान दोनों ने पाइप लाइनों को पानी बहाकर सफाई करके स्वच्छ पानी सप्लाई करने के लिए तुरन्त कार्यवाही की।

अपर्याप्त जल वितरण

575. **श्री तारिक अनवर :** क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शालीमार बाग, डी० डी० ए० कालोनी, पश्चिमपुरी, पंजाबी बाग, शालीमार गांव आदि तथा उत्तरी दिल्ली की अन्य कालोनियों में जल बिल्कुल अपर्याप्त मात्रा में सप्लाई किया जा रहा है; और

(ख) क्या इन कालोनियों में जल की समस्या के समाधान के लिए सरकार ने कोई उपाय किये हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मध्यम आय वर्ग योजना के अन्तर्गत 1975 में पंजीकृत आवेदकों को मकानों का आवंटन न किया जाना

576. **श्री तारिक अनवर :** क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 1975 मे मध्य आय वर्ग योजना के अन्तर्गत पंजीकृत आवेदकों को न तो मकानों का आवंटन किया है और न धनराशि ही लौटायी है;

(ख) ऐसे आवेदकों के ब्यौरे क्या हैं; और

(ग) इसके क्या कारण हैं कि दिल्ली विकास प्राधिकरण आवेदनपत्र आमन्त्रित करने के समय जारी वक्तव्य के अनुसार इन आवेदकों को मकानों का आवंटन नहीं कर रहा है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि मध्यम आय वर्ग के फ्लैटों के आवंटन के लिए वर्ष 1975 के दौरान कोई पंजीकरण योजना आरम्भ नहीं की गई थी ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

थोक बाजार में गेहूं के मूल्यों पर बेमौसमी वर्षा का प्रभाव

577. **श्री रामस्वरूप राम :**

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तरी राज्यों में मई 1982 के शुरू में बेमौसमी वर्षा के कारण गेहूं की फसल को भारी क्षति हुई, और उसके परिणामस्वरूप थोक बाजारों में गेहूं के भावों में तीव्र वृद्धि हुई और लोगों को बाजार में गेहूं की कमी का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो गेहूं के मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए और उपभोक्ताओं को पर्याप्त गेहूं उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामिनाथन्) : (क) उत्तरी राज्यों के कुछ भागों में गेहूं की फसल को मई, 1982 के पहले पखवाड़े में हुई बेमौसमी वर्षा से कुछ सीमा तक क्षति पहुंची थी। गेहूं की आम किस्मों के मूल्यों में कोई खास वृद्धि नहीं हुई है।

(ख) सरकार मूल्यों के विषय में लगातार कड़ी निगरानी रख रही है। हमेशा की तरह सरकार सम्बद्ध पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, जिसमें विभिन्न राज्यों की सापेक्ष आवश्यकताएं, मण्डी में सुलभता तथा मूल्य आदि भी शामिल हैं, विभिन्न राज्यों को प्रत्येक माह के आधार पर खाद्यान्नों का आवंटन किया जाता है।

वन्य प्राणियों की दुर्लभ किस्मों का समाप्त होना

578. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वन्य प्राणियों की (एक) भारतीय चीता (दो) गुलाबी सिर की बतख और (तीन) जंडन कोसेज विलुप्त हो गई हैं और अनेक वन्य प्राणियों की किस्मों के लुप्त होने का खतरा है;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(ग) नवीनतम गणना के अनुसार दुर्लभ घोषित प्राणियों में से प्रत्येक किस्म के प्राणियों की संख्या कितनी है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामिनाथन्) : (क) तथा (ख) अभी विगत में भारतीय चीता, गुलाबी सिरवाली बतख तथा जार्डन कार्सेज के पाए जाने की कोई रिपोर्ट नहीं की गई है। विश्वास किया जाता है कि भारत में ये किस्में समाप्त हो गई हैं। वन्य प्राणियों की किस्मों की संख्या में कमी आने के मुख्य कारण वास स्थलों का विनाश होना तथा व्यापार एवं वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए उनका शिकार करना एवं पकड़ा जाना है।

(ग) भारतीय वन्य प्राणी की खतरे में पड़ी हुई कुछ किस्मों की संख्या निम्नलिखित है :

(1) भारतीय शेर	205
(2) बाघ	3015
(3) भारतीय गैंडा	1200 (लगभग)
(4) थामिन हिरण (ब्रो एन्टलर्ड डीयर	30

जल संसाधनों के विकास और उपयोग के बारे में नीति

579. **श्री माधव राव सिन्धिया** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जैसा कि 9 जून, 1982 के इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित हुआ है, देश के जल संसाधनों का अधिकतम विकास और उपयोग सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय जल नीति बनाई जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में नवीनतम स्थिति क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) जैसा कि तारीख 9 जून, 1982 के इण्डियन एक्सप्रेस में प्रकाशित हुआ था, राष्ट्रीय जल नीति के बारे में सिंचाई मन्त्री द्वारा दिए गए वक्तव्य की सरकार को जानकारी है।

संविधान के अन्तर्गत "जल" एक राज्य-विषय है तथा जल साधनों के विकास की परियोजनाएं राज्य सरकारें तैयार करती हैं और क्रियान्वित करती हैं। बीते समय में, अन्तर्राज्यिक नदियों के जल बंटवारे के सम्बन्ध में कुछ विवाद थे। इनमें से अधिकांश या तो बातचीत के द्वारा अथवा न्यायाधिकरणों के मध्यस्थ निर्णयों आदि के द्वारा हल कर लिए गए हैं। अन्तर्राज्यिक नदियों में जल साधनों के इष्टतम विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, केन्द्र सरकार ने एक राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। यह अभिकरण अधिशेष जल वाले नदी बेसिनों से कम जल वाले और सूखा क्षेत्रों को जल व्ययवर्तित करने के लिए सुझावों सहित, व्यवहार्यता रिपोर्ट और बृहद् योजनाएं (मास्टर प्लान्स) तैयार करने के लिए अन्तर्राज्यिक प्रायद्वीपीय नदियों के सर्वेक्षणों और अन्वेषणों का कार्य हाथ में लेगा। अन्तर्राज्यिक नदियों के जल संसाधनों के इष्टतम विकास के लिए क्रियान्वयन हेतु इन योजनाओं को अनुमोदित करने के लिए प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में, जिसमें राज्यों के मुख्य मन्त्री सदस्यों आदि के रूप में सम्मिलित होंगे, एक राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद स्थापित करने का भी प्रस्ताव है। यह परिषद समूचे देश के लिए राष्ट्रीय जल नीति प्रतिपादित करेगी।

उर्वरकों का आयात न करना

580. **श्री माधव राव सिंधिया** :

श्री ए० टी० पाटिल :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस वर्ष जून में कुछ समय के लिए उर्वरकों का और आयात न करने का निर्णय किया था जबकि खनिज तथा धातु व्यापार निगम उर्वरकों के अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मूल्यों में कमी होने का लाभ उठाने को उत्सुक था; और

(ख) यदि हां, तो उस समय देश में विभिन्न किस्मों के उर्वरकों की स्टाक स्थिति क्या थी और चालू वर्ष की शेष अवधि में उसका और कितना उत्पादन होने का अनुमान था और देश की प्रत्येक किस्म के उर्वरक की वार्षिक मांग क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामिनाथन्) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना का क्रियान्वयन

581. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या **सिंचाई मंत्री** नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में 23 फरवरी, 1982 के तारांकित प्रश्न संख्या 91 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि नर्मदा नदी पर सरकार सरोवर परियोजना के क्रियान्वयन से मध्य प्रदेश के जलमग्न क्षेत्र को कम करके लोगों को होने वाली कठिनाइयों को कम करने हेतु अब तक क्या प्रयास किए गए हैं ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : नर्मदा जल-विवाद न्यायाधिकरण के निर्णय को पूर्ण रूप से कार्यान्वित करने के लिए गुजरात और मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्रियों के बीच 25-8-81 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। गुजरात सरकार पहले ही, सरकार सरोवर परियोजना की न्यायाधिकरण के निर्णय में निर्धारित ऊंचाई से अधिक ऊंचाई तक परियोजना का निर्माण न करने के लिए सहमत हो गई है। सरकार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति द्वारा गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों के राजस्व आयुक्तों का एक उप-दल, अद्यतन स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रभावित व्यक्तियों के सन्तोषप्रद ढंग से पुनर्वास के संबंध में न्यायाधिकरण के क्रियान्वयन की विस्तृत जांच करने के लिये गठित किया गया है।

दुग्ध उत्पादों में विषैली कीटनाशी औषधियां

582. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कलकत्ता से निकलने वाले "स्टेट्समैन" के 12 जून, 1982 के संस्करण में "टाक्सिक पेसटिसाइडजइन मिल्क प्रोडक्टस" (दुग्ध उत्पादों में विषैली कीटनाशक औषधियां) शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल के वैज्ञानिकों को करनाल (उत्तर) बम्बई (पश्चिम), कलकत्ता (पूर्व) के बाजारों से लिए गए दूध और डेरी उत्पादों के नमूनों से पता चला है कि उनमें कीटनाशी औषधियों का बचा हुआ अंश विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित निरापद सीमा से बहुत अधिक पाया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार इस मात्रा को कम करने के लिए विचार कर रही है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामिनाथन्) : (क) से (घ) राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल के एक पी० एच० डी० के छात्र ने करनाल (उत्तरी क्षेत्र), बम्बई (पश्चिमी), कलकत्ता (पूर्वी) तथा बंगलौर से दूध तथा डेरी उत्पादों के

नमूने एकत्र किये थे। इस नमूनों को विश्लेषण के लिए केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, लखनऊ में भेजा गया था। इन क्षेत्रों के तरल दूध तथा दुग्ध उत्पादों (दही एवं घी) के औसत नमूनों में डी० डी० टी० और बी० एच० सी० का स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा स्वीकृत मात्रा से कहीं अधिक था।

दूध एवं दुग्ध उत्पादों में इन कीटनाशी दवाइयों के अवशेषों के पाए जाने का सम्भावित कारण कृषि में कीटनाशी दवाइयों का अन्धाधुन्ध प्रयोग तथा तदुपरान्त दुधारू मवेशियों द्वारा आहार एवं चारे में उनका उपयोग करना है। खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के अन्तर्गत कीटनाशी दवाइयों के प्रयोग पर प्रतिबन्ध है। दूध एवं दुग्ध उत्पादों की सह्य सीमा भी निर्धारित है। राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान से इस मामले में और अधिक अनुसंधान करने का अनुरोध किया जा रहा है।

चीनी उद्योग में बकाया धनराशि का भुगतान

583. **श्री उत्तम राठौर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चालू पेराई मौसम के दौरान गन्ने के बकाया भुगतान की धन-राशि बढ़ कर कई करोड़ रुपये हो गई है;

(ख) क्या चीनी के उत्पादन में हुई रिकार्ड वृद्धि के अनुरूप ऋण की उपलब्धता नहीं हो रही है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इस स्थिति को सामान्य बनाने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उपमंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) फैक्ट्रियों द्वारा खरीदे गए गन्ने के जो मूल्य अदा किए जाने थे वह राशि 31-5-1982 तक 208.35 करोड़ रुपये बैठती थी जिसमें से 126.88 करोड़ रुपये पिछली बकाया राशि के थे और 81.47 करोड रुपये, उस गन्ने के मूल्य की बकाया राशि है जोकि पिछले 14 दिनों में खरीदा गया था और जिसे सांविधिक उपबन्धों के अधीन 14 दिनों के अन्दर अदा किया जा सकता है।

(ख) और (ग) प्रारम्भ में भारत के रिजर्व बैंक ने चीनी उद्योग के ऋण को 1981-82 के दौरान गत वर्ष में अनुमत अधिकतम ऋण की सीमा तक सीमित रखा था। प्रत्याशित अधिक उत्पादन की दृष्टि में, यह मामला भारत के रिजर्व बैंक के साथ उठाया गया था और उन्होंने इस सीमा को 25 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है और अधिक ऋण की आवश्यकता होने पर, भारत का रिजर्व बैंक प्रत्येक मामले के गुण-दोष के आधार पर व्यक्तिगत मामलों पर अनुग्रहपूर्वक विचार करता है।

डी० डी० ए० की कालोनियों के निवासियों की शिकायतें

584. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डी० डी० ए० की कालोनियों से घटिया सामान का इस्तेमाल किए जाने और अस्वास्थ्यप्रद स्थितियों और फ्लैटों के मूल्यों में भारी वृद्धि के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि घटिया निर्माण सामग्री के प्रयोग के बारे में कुछ शिकायतें आमतौर पर छोटी-मोटी त्रुटियों के बारे में हैं जिन्हें तुरन्त ही दूर कर दिया जाता है। उसने यह भी सूचना दी है कि डी० डी० ए० की कालोनियों में स्वास्थ्यप्रद स्थितियां उचित रूप से कायम रखी गई हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचना दी है कि रिहायशी एककों की लागत तब निकाली जाती है जबकि ये एकक पूर्ण रूप से बन जाते हैं और निर्माण कार्य की प्रगति के दौरान कीमतों की वृद्धि तथा सांविधिक वृद्धि और जिस दर पर यह निर्माण कार्य दिया गया था उस पर अन्तिम लागत निर्भर होती है।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि निर्माण की कोटि सम्बन्धित शिकायतों की जांच की जाती है और ठेकेदार के जोखिम तथा लागत पर अथवा विभागीय तौर से जैसे भी स्थिति हो, ध्यान में आई हुई शिकायतों को दूर किया जाता है।

भवनों की ऊंचाई

585. **श्री हरीश रावत** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में इस समय बनाए जा रहे भवनों के लिये स्वीकृत अधिकतम ऊंचाई क्या है;

(ख) क्या इस बारे में कुछ नियम पहले से ही विद्यमान हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या दिल्ली में जनसंख्या की वृद्धि दर को देखते हुए सरकार का विचार नियमों में अपेक्षित संशोधन करने और उसमें परिवर्तन करने का है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

महानगरों के आस-पास हरित पट्टी की स्थापना

586. **श्री हरीश रावत** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगरों को वायु प्रदूषण से बचाने के उद्देश्य से उनके आस-पास 5 कि० मी० के क्षेत्र में हरित पट्टी स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम पर कितना व्यय होने की सम्भावना है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) शहरों तथा उसके आस-पास हरी पट्टी का प्रावधान सम्बन्धित राज्य/शहर की वृहद योजना

विकास योजना, योजना विनियमनों के अनुरूप होना है। ऐसी पट्टियों को अन्य उपलब्ध वैधानिक और वित्तीय प्रावधानों और भू प्रयोग के अनुरूप विकासित सुरक्षित तथा बनाए रखा जाता है। हरी पट्टियों के लिए केन्द्रीय सरकार का ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है और इसके लिए कोई वित्तीय प्रावधान नहीं है।

सुपर बाजार की शाखाओं द्वारा बेचे जाने वाले सरसों के तेल के टिनों में छिपकलियां

587. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा :**

श्री डी० एम० पुत्ते गौडा :

क्या **नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के सुपर बाजार की शाखाओं में सरसों के तेल के जो टिन बेचे जा रहे थे उनमें बहुत सी छिपकलियां पाई गई हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले की जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूरा ब्यौरा क्या है और सरसों के तेल के उस विशेष ब्रांड के सप्लायरों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री मोहम्मद उसमान आरिफ) : (क) से (ग) सुपर बाजार, दिल्ली को 10 6-82 को एक शिकायत मिली थी, जिसमें सुपर बाजार की ग्रेटर कैलाश शाखा से खरीदे गए सरसों के तेल के एक टीन में छिपकली मिलने के बारे में सूचना दी गई थी। सुपर बाजार के अधिकारी तत्काल शिकायतकर्ता के घर गये और उन्हें एक खाली टीन मिला, जिसमें एक मरी हुई छिपकली थी। यह बताया गया कि सारे तेल का प्रयोग पहले ही किया जा चुका था। अधिकारियों द्वारा बार-बार जाने के बावजूद भी शिकायतकर्ता कैश मैमो नहीं दिखा सका और यह प्रमाणित नहीं कर सका कि उक्त टीन सुपर बाजार से खरीदा गया था। इस ब्रांड का तेल खुले बाजार में भी उपलब्ध है।

पूरी एहतियात बरतने की दृष्टि से सुपर बाजार ने विभिन्न शाखाओं में बड़े सरसों के तेल के उस बैच को उत्पादकों को वापिस करने के लिए, वापिस मगवा लिया था। सुपर बाजार ने तत्काल स्थिति स्पष्ट करते हुए एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी कर दी थी।

दक्षिण में संसद का सत्र

588. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा :**

श्री डी० एम० पुत्ते गौडा :

क्या **संसदीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण में संसद का सत्र बुलाए जाने पर कोई प्रस्ताव था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को बंगलौर में संसद का सत्र बुलाए जाने पर होने वाले खर्च के संशोधित प्राक्कलन प्राप्त हो गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूर्ण ब्योरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) मार्च, 1980 में 433 संसद सदस्यों ने संसद का अगला सत्र बंगलौर में आयोजित करने के लिए प्रधान मंत्री से एक निवेदन किया था ।

(ख) और (ग) दिसम्बर, 1981 में राज्य सरकार ने यह सूचित किया कि बंगलौर में संसद का सत्र एक माह से अनधिक अवधि के लिए आयोजित करने में रु० 5.5 करोड़ का खर्चा आएगा । इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार को मंत्रियों, मंत्रालयों/विभागों और संसद के दोनों सचिवालयों के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते का खर्चा भी करना पड़ेगा । अभी तक इस मामले में कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत शुरू की गई योजनाएं

589. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा** : क्या ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत दो वर्षों के दौरान राज्यवार "काम के बदले अनाज" कार्यक्रम के अन्तर्गत कितनी योजनायें शुरू की गईं और उनमें कितने लोग लगे हुए हैं;

(ख) क्या अनाज के उपलब्ध न होने के कारण कई बार कार्य में व्यवधान पड़ा है;

(ग) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों से कोई शिकायत मिली है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं और राज्यों को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं जिससे कि देश में गरीब लोगों के लाभार्थ इस योजना को लोकप्रिय बनाया जा सके ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) काम के बदले अनाज कार्यक्रम का स्थान अब राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम ने ले लिया है । इस समय राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम ही कार्यान्वित किया जा रहा है । गत दो वर्षों के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यवार सृजित रोजगार को दर्शाने वाला विवरण-1 संलग्न है । क्रमशः वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 में प्राप्त भौतिक लक्ष्यों को दर्शाने वाले विवरण-2 तथा 3 भी संलग्न है ।

[ग्रंथालय में रखा गया—देखिए संख्या एल० टी० 4222/82]

(ख) व (ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

बीमारी के कारण फसल की हानि को कम करने के लिए दालों की किस्मों में विविधता लाना

590. **श्री एच० एम० नन्जे गौडा :**

श्री डी० एम० पुत्ते गौडा :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की अनुसंधान एवं विकास शाखा ने बीमारी के कारण फसल के नुकसान को कम करने के लिए दालों की किस्मों में विविधता लाने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह नीति राज्यों को किसानों के लिए एक किस्म की दाल के स्थान पर अनेक किस्मों की सिफारिश करने में सहायक होगी;

(ग) यदि हां, तो इससे बीमारियां कम करने में कितनी सहायता मिलेगी; और

(घ) इस मामले में अन्य क्या कार्यवाही की गयी है अथवा करने का विचार है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामिनाथन्) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) जी हां, श्रीमान्।

(ग) बीमारियों और कीट महामारियों को नियंत्रित रखने के लिए उपजातियों की विविधता की प्रक्रिया महत्वपूर्ण हो सकती है। यह सर्वविदित है कि अगर कोई एक किस्म एक बहुत बड़े क्षेत्र में उगायी जाती है तो रोगजनकों या कीट व्याधियों के आक्रमण और उनके शीघ्रता से फैलने का बहुत अधिक अवसर प्राप्त हो जाता है। इसलिए आनुवंशिकी तौर पर विभिन्न किस्मों को काफी संख्या में लोकप्रिय बनाने से रोगों और कीट महामारियों के शीघ्र फैलाव को कम किया जा सकता है तथा फसल की अत्यधिक क्षति को न्यूनतम किया जा सकता है।

(घ) बीमारियों और कीट-व्याधियों के कारण होने वाले नुकसान को कम करने के लिए प्रस्तावित आय उपाय इस प्रकार हैं :

(i) कीट-व्याधि प्रतिरोधी किस्मों का प्रजनन;

(ii) आनुवंशिक प्रतिरोधी, आवश्यक पौध संरक्षण रसायनों और कृषि क्रियाओं का उपयोग करके समन्वित कीट-व्याधि नियंत्रित उपायों को लोकप्रिय बनाने और विकसित करने के लिए अनुसंधान और विस्तार क्रियाकलापों में तेजी लाना।

(iii) महामारियों को पहले से ही रोकने को ध्यान में रखते हुए बीमारियों और कीट-व्याधियों का सर्वेक्षण और निगरानी की व्यवस्था करना।

चीनी की दीर्घकालीन नीति बनाया जाना

591. **श्री चित्त बसु** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी का उत्पादन देश की घरेलू खपत से कहीं अधिक बढ़ गया है, इसको ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार चीनी की दीर्घावधि नीति बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रकार की नीति अब बना ली गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उपमंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) से (ग) चीनी की दीर्घकालीन नीति, गन्ने, जो कि चीनी तैयार करने की प्रमुख कच्ची सामग्री है, के उत्पादन, उपलब्धता, मूल्यों आदि में प्रत्येक वर्ष व्यापक उतार-चढ़ाव होने के कारण आने वाली विभिन्न बाधाओं को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है इस जिन्स के उत्पादन, उपलब्धता और इसके मूल्य से ऐसी समस्यायें पैदा हो जाती हैं जिसके नीति सम्बन्धी पैरामीटरों में अल्पकालीन सुधारात्मक उपाय और अस्थायी परिवर्तन करने लाजिमी हो जाते हैं ताकि विभिन्न स्थितियों से निपटा जा सके। अतीत में चीनी नीति-पैरामीटर के विभिन्न वैकल्पों, अर्थात पूर्ण नियन्त्रण, विनियंत्रण और आंशिक नियंत्रण को अजमाने के बाद सरकार की यह धारणा है कि दोहरी मूल्य प्रणाली के साथ चीनी पर आंशिक नियंत्रण में मूलतः वह लचीलापन है जिसकी कि बदलती स्थितियों का सामाना करने के लिए अपेक्षा है। 1971-72, 1977-78 और 1978-79 की अल्प अवधि के व्यवधान को छोड़ कर, यह नीति 1967-68 से लागू रही है और इसे चालू चीनी वर्ष 1981-82 के दौरान जारी रखने का प्रस्ताव है।

इस वर्ष लगभग 84 लाख मीटरी टन चीनी के रिकार्ड उत्पादन की आशा है और घरेलू खपत से बहुत अधिक उपलब्धता और निर्यात की आवश्यकता ने कुछ ऐसी समस्याएं पैदा कर दी हैं जिन्हें बफर स्टाक बनाकर कारगर ढंग से निपटने का विचार है। खुली बिक्री की चीनी सूझबूझ के साथ मासिक निर्मुक्तियां करके और मूल्य-प्रवृत्ति की निरन्तर निगरानी करके खुले बाजार में चीनी के मूल्यों को उचित स्तर पर बनाए रखा जा रहा है।

राष्ट्रीय वित्त संस्थान की स्थापना

592. **श्री चित्त बसु** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के एक उच्च स्तरीय कार्यकारी दल ने "जल आपूर्ति और सफाई क्षेत्र को ऋण दिए जाने और उसे विनियमित करने के लिए एक केन्द्रीय एजेन्सी के रूप में काय करने के लिए" हाल ही में एक राष्ट्रीय वित्त संस्थान का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने कार्यकारी ग्रुप की इस तथा अन्य सम्बद्ध सिफारिशों पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय लिया गया है ?

समदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) कार्यकारी दल की कुछ सिफारिशो पर राज्य सरकारों और अन्यों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा कार्यवाही की जानी है। नई दिल्ली में फरवरी, 1982 में हुए एक सम्मेलन

ने राज्य सरकारों से सम्बन्धित सिफारिशों की ओर राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों का ध्यान दिलाया गया था। जहां तक केन्द्रीय सरकार की सिफारिशों का सम्बन्ध है उन पर सरकार विचार करेगी तथा उन पर निर्णय लेने में कुछ समय लगेगा। इस समय यह नहीं कहा जा सकता कि क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा सिफारिशें स्वीकार कर ली जायेंगी या नहीं।

आई० बी० आर० आई० राष्ट्रीय संस्थान पशु प्रजनन का छीजना

593. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मृत्यु दर बढ़ने तथा दूध और बछड़ों की मात्रा कम होने के कारण भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पशु प्रजनन परियोजना नष्ट हो रही है और जिसके परिणामस्वरूप आई० बी० आर० आई० जैसे राष्ट्रीय संस्थान में अच्छी नस्ल के पशु छीज रहे हैं;

(ख) क्या कलकत्ता के पास जो अनुसंधान फार्म है और जिसमें 2000 से अधिक पशुओं में से 13 वर्षों से 500 पशुओं को छोड़कर सभी नष्ट हो गये हैं, के बारे में भारतीय कृषि अनुसंधान केन्द्र के जी० बी० ने गम्भीरतापूर्वक विचारते हुए महानिदेशक को उसका दौरा करने तथा 1979 की स्थिति की रिपोर्ट देने को कहा है, और वहां इस समय कितने पशु हैं;

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद परियोजनाओं के अधीन क्रास ब्रीडींग के समय से कलकत्ता के निकट के फार्म तथा ईवरी में कितना धन व्यय किया गया है; और

(घ) जी० बी० द्वारा 1979 में निर्णय लिये जाने के बाद हुई हानि के लिये उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामिनाथन्) : (क) जी नहीं, श्रीमान। भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान के पशुओं के झुण्ड में को कोई भारी मृत्यु नहीं तथा उक्त संस्थान के एकक में पशु समूह में 262% (1969 में 395 से बढ़कर 1982 में 1050 तक हो गई) की वृद्धि हुई जबकि उत्तरजीविता की दर 80% से अधिक थी। प्रायोजना की उसी अवधि के दौरान उत्पादन में 333% (हरियाणा में 600 कि० ग्रा० से बढ़कर संकर प्रजनित पशुओं में 2000 कि० ग्रा०) की वृद्धि हुई।

(ख) सन् 1979 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की शासी निकाय के निर्णय के अनुसार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक ने दिनांक 24 जनवरी, 1980 को हरिनघाटा में स्थित गोपशु प्रजनन एकक से सम्बन्धित अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजना का भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहायक महानिदेशक (पशु उत्पादन तथा प्रजनन) तथा प्रायोजना समन्वयक (पशु प्रजनन) के साथ दौरा किया। इस दौरे का उद्देश्य विधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय प्रबन्धक के प्रायोजना कर्मचारियों तथा पश्चिम बंगाल के राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के साथ तकनीकी कार्यक्रम के कार्यान्वन में पैदा हुई समस्याओं पर चर्चा करना था उनकी रिपोर्ट शासी निकाय को पेश की गई। शासी निकाय ने विधान चन्द्र, कृषि विश्वविद्यालय के प्रबन्धकों को अपनी चिन्ता से अवगत कराया। बाद की एक बैठक में शासी निकाय ने परिषद के महानिदेशक को यह अधिकार दिया कि वे प्रायोजना को विधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय से

राज्य सरकार से सहायता की वर्तमान पद्धति के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत राज्य सरकार को हस्तान्तरित करने हेतु नियमों और शर्तों को अन्तिम रूप दें। इसके बाद इस एकक के प्रशासनिक नियन्त्रण को उसकी पूंजी और देनदारी के साथ विधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय से पश्चिम बंगाल की सरकार के पशु पालन निदेशालय को 1.9.81 से दुबारा हस्तान्तरित कर दिया गया।

इस एकक के राज्य सरकार को हस्तान्तरित किये जाने के बाद हरिघाटा में दूध का उत्पादन लगभग 300% बढ़ गया है और तब से बिना किसी क्षति के 100 से अधिक बछड़े पैदा हुए। ए० आई० की कुल संख्या 347 थी और गामिन पशुओं की संख्या 140 घोषित की गई इस प्रकार पशुओं के झुण्ड में सुधार हुआ है। परिषद की शासी निकाय को प्रगति के विषय में बराबर जानकारी दी जाती रही है।

(ग) भारतीत पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान में 1973-74 के दौरान कुल व्यय 43.86 लाख रु० हुआ और इसके बाद इस योजना को संस्थान के गैर योजना अनुसंधान गतिविधि में विलय कर दिया गया और इस योजना पर आने वाले व्यय का अलग हिसाब नहीं रखा गया। हरिनघाटा एकक में 1969-70 से 1979-80 तक कुल व्यय लगभग 236.70 लाख रुपये था।

(घ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप-महानिदेशक (पशु विज्ञान) ने 18 अक्टूबर, 1981 को हरिनघाटा एकक का दौरा किया और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार को टी० बी० ब्रसेलोसिस और दूसरे पुनर्जनक बीमारियों से ग्रसित पशुओं की छटाई करने और उत्पादित चारे को सुधारने की सलाह दी।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने प्रायोजना के कार्य की समीक्षा करने हेतु एक मध्य अवधि आकलन समिति गठित की है और इसकी रिपोर्ट कुछ ही महीनों में मिलने की आशा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने एक और समिति का गठन किया है जिसमें प्रायोजना समन्वय-कर्त्ता (ए० बी०) और आई० वी० आर० आई० के संयुक्त निदेशक, एक वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं जो हरिनघाटा के काम की जांच करेंगे और उस केन्द्र की प्रगति के विषय में अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की है और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार को हस्तान्तरित किये जाने के बाद इस प्रायोजना के कार्य में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। इस समिति ने और अधिक सुधार के लिए अनेक सिफारिशें की हैं।

ऊपर बताई गई परिस्थितियों के अन्तर्गत इस समय किसी पर भी उत्तरदायित्व डालने का प्रश्न ही नहीं उठता।

ताप्ती नदी पर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों की संयुक्त सिंचाई योजना के लिए सहायता

594. **श्री शिव कुमार सिंह** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ताप्ती नदी पर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त सिंचाई योजना के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कितनी सहायता दी जा रही है;

(ख) इस योजना पर मध्य प्रदेश में वर्ष 1982-83 के दौरान कितनी धनराशि व्यय किए जाने की सम्भावना है; और

(ग) इस योजना के पूरा होने की लक्षित तिथि क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर रहमान अन्सारी) : (क) संविधान के अन्तर्गत सिंचाई एक राज्य-विषय है और सिंचाई परियोजनाओं के लिए धन की व्यवस्था राज्य सरकारों द्वारा अपनी समस्त योजनाओं के अन्तर्गत की जाती है। राज्यों को केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों/अनुदानों के रूप में दी जाती है और वह विकास के किसी विशिष्ट सेक्टर अथवा परियोजना के लिए नहीं होती।

(ख) मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने इस परियोजना के लिए वर्ष 1982-83 के दौरान परिव्यय का प्रस्ताव नहीं किया है

(ग) राज्य सरकार ने इसे पूरा करने के लिए किसी निर्धारित तारीख की अभी तक सूचना नहीं दी है।

विश्व बैंक द्वारा प्रायोजित गन्दी बस्ती सुधार कार्यक्रम

595. **श्री शिव कुमार सिंह** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक द्वारा प्रायोजित गन्दी बस्ती सुधार कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के कौन से नगरों को शामिल किया गया है;

(ख) क्या बुरहानपुर और खण्डवा नगरपालिकाओं ने बुरहानपुर और खण्डवा नगरों को उक्त कार्यक्रम में शामिल किए जाने के लिए प्रस्ताव भेजे हैं;

(ग) यदि हां, तो इन दो नगरों को इस योजना में कब तक शामिल कर लिए जाने की सम्भावना है; और

(घ) वहां पर गन्दी बस्ती सुधार कार्यक्रम लागू करने के लिए क्या योजना बनाई गई है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (घ) मध्य प्रदेश में गन्दी बस्ती सुधार हेतु विश्व बैंक सहायता प्राप्त परियोजना का कोई प्रस्ताव नहीं है।

केला, गन्ना और कपास अनुसन्धान केन्द्र स्थापित किया जाना

596. **श्री शिव कुमार सिंह** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के खण्डवा जिले में केला, गन्ना और कपास अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उसकी विस्तृत रूपरेखा क्या है; और

(ग) इस योजना पर कितनी धनराशि व्यय की जाएगी और इससे कितने किसानों के लाभान्वित होने की सम्भावना है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामिनाथन्) : (क) जी नहीं, श्रीमान्। तथापि, पूर्वी निमाड़ के लिए जो कृषि अनुसन्धान फार्म, खंडवा में स्थित है, पपीते और केले से सम्बधित अनुसन्धान का एक तदर्थ योजना जवाहरलाल नेहरु कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर द्वारा प्रस्तुत की गयी है जो भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद के विचाराधीन है। राष्ट्रीय कृषि प्रायोजना के अन्तर्गत जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर कपास अनुसन्धान केन्द्र को इन्दौर से खंडवा में स्थानान्तरित करने पर भी राजी हो गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

आप्रेशन फलड 2 के अन्तर्गत खण्डवा और देवास जिलों का शामिल किया जाना

597. **श्री शिव कुमार सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड के आप्रेशन फ्लड 2 योजना के अन्तर्गत मध्य प्रदेश के खण्डवा और देवास जिलों को शामिल किया गया है; और

(ख) इस योजना के क्रियान्वयन में क्या प्रगति हुई है और इसके कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामिनायन्) : (क) जी हां। मध्य प्रदेश के खण्डवा और देवास जिलों को आपरेशन फलड-2 परियोजना के अन्तर्गत शामिल किया गया है।

(ख) खण्डवा और देवास जिले सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ के अंग हैं जिसका मुख्यालय इन्दौर में है। अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ की सहायता से, क्रियान्वित किये जा रहे समेकित डेरी विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत जो अप्रैल, 1983 तक जारी रहेगा इन जिलों को शामिल किया गया है। इस परियोजना के समाप्त होने के पश्चात आपरेशन फलड-2 कार्यक्रम के 1986 तक पूरा होने की सम्भावना है। अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से सहायता प्राप्त परियोजना के समाप्त होने के पश्चात् यह परियोजना आपरेशन फलड-2 के अन्तर्गत जारी रहेगी। आपरेशन फलड-2 कार्यक्रम के 1986 तक पूरा हो जाने की सम्भावना है।

बिहार से प्राप्त बाढ़ नियंत्रण योजना

598. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार सरकार ने बाढ़ नियन्त्रण और राज्य में सिंचाई सुविधाएं बढ़ाने के लिए एक बृहद योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने उक्त योजना केन्द्र सरकार को भेज दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(घ) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर रहमान अन्सारी) : (क) से (घ) बिहार सरकार ने बाढ़ नियंत्रण के लिए एक बृहद् योजना तैयार की है, जिस पर 481.56 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। गंगा बाढ़ नियन्त्रण आयोग ने इसकी जांच की है और जनवरी, 1981 में अपनी टिप्पणियां राज्य सरकार को भेज दी है। राज्य सरकार ने इन टिप्पणियो के उत्तर नहीं भेजे हैं।

राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई बृहद योजना का ब्योरा निम्न प्रकार है :

	(करोड़ रुपयों में)
1. संचयन जलाशयों का निर्माण	113.92
2. तटबन्ध	177.07
3. नदी नियन्त्रण तथा कटावरोधी उपाय	26.79
4. भू-संरक्षण उपाय	105.03
5. नगर सुरक्षा उपाय	30.82
6. गांवों को ऊंचा करना	18 13
7. पुलों के नीचे जलमार्गों का सुधार	8.96
अन्य मदें	0.84
जोड़	481.56

"12000 विलेजेज केसिंग ड्रिंकिंग वाटर प्रोब्लम" शीर्षक समाचार

599. श्री रामावतार शास्त्री : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 18 मई, 1982 के पटना के "इंडियन नेशन में' 12,000 विलेजेज फेसिंग ड्रिंकिंग वाटर प्रोब्लेम" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समस्या का ब्योरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और क्या उपचारात्मक उपाय किया गया है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) यह समाचार सम्भवतया उन "समस्याग्रस्त" ग्रामों के संदर्भ में है, जिनका निम्न-लिखित मानदण्डों के अनुसार पता लगाया गया है :

(1) वे गांव जिनमें 1.6 किलोमीटर की उचित दूरी पर या 15 मीटर की गहराई पर पेयजल का आश्वस्त स्रोत नहीं है।

(2) वे गांव जो हैजा तथा गिनी कृमि इत्यादि जैसी स्थानिक मारी रोग से ग्रस्त हैं।

(3) वे गांव जहां उपलब्ध पानी में अधिक खारापन, लोहा, फ्लोराईड या दूसरे विषाक्त पदार्थ हैं।

(ग) बिहार सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, 1.1.1980 को राज्य में 15,194 समस्याग्रस्त गांव थे जिनमें स्वच्छ पेय जल मुहैया करना शेष है। इनमें से 1980-81 में 2,660 समस्याग्रस्त ग्रामों को तथा 1981-82 में 2700 समस्याग्रस्त ग्रामों को जल पूर्ति मुहैया कर दी गई थी। नये 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत छठी योजनावधि के दौरान पता लगाए गए सभी समस्याग्रस्त ग्रामों को कम से कम स्वच्छ पेय जल का एक स्रोत से लाभान्वित करने का प्रयत्न किया जायेगा।

राज्यों में पेय जल की कमी

600. **श्री रामावतार शास्त्री :**

श्री एस० बी० सिदनाल :

क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के अनेक भागों में पेय जल का गम्भीर संकट है;

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में राज्यवार ब्योरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार ने पेय जल के संकट को दूर करने के लिए राज्य सरकारों को आर्थिक सहायता दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) देश के विभिन्न भागों में पीने के पानी की कमी है किन्तु जलपूर्ति राज्य का विषय है इसलिए इस सम्बन्ध में विस्तृत सूचना सम्बन्धित राज्य सरकारों के पास उपलब्ध होगी। जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है, समस्याग्रस्त ग्रामों को सुरक्षित पेय जल प्रदान करने को छठी पंचवर्षीय योजना में उच्च प्राथमिकता दी गई है। नए 20-सूत्री कार्यक्रम में समस्याग्रस्त ग्रामों को पेय जलपूर्ति सूत्र नं० 8 के रूप में भी शामिल किया गया है। चिरकालिक अभावग्रस्त ग्रामों अथवा सुरक्षित जलस्रोतों वाले गांवों को सुरक्षित पेयजल करने का उद्देश्य है। राज्य सरकारों

से प्राप्त अद्यतन आंकड़ों से पता चलता है कि 1 अप्रैल, 1980 को देश में लगभग 2.31 लाख ऐसे गांव थे जिन्हें प्राथमिकता आधार पर जलपूर्ति की सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता है। इन गांवों का राज्यवार एक ब्यौरा अनुलग्नक-1 में दिया गया।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल० टी० 4223/82]

(ग) तथा (घ) समस्याग्रस्त गांवों को पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिए राज्य सरकार के संसाधनों की प्रतिपूर्ति के केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत उन्हें अनुदान दिए गए है। 1980-81 और 1981-82 के लिए राज्यवार ब्यौरे अनुलग्नक-2, 3 और 4 में दिए गए हैं।

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिए संख्या एल० टी० 4223/82]

राष्ट्रीय स्लम सुधार नीति

601. **डा सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बेदखली सुविधायें और मरम्मत के सम्बन्ध में कोई राष्ट्रीय स्लम नीति तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो इस नीति का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) सरकारी नीति छठी योजना के दस्तावेजों में निर्दिष्ट की गई है। सरकार, गंदी बस्तियों का विस्तृत पुनः स्थान निर्धारण के प्रयास करने के बजाय गंदी बस्तियों के पर्यावरणीय सुधार पर भारी बल देती है। सभी शहरी क्षेत्रों में एक करोड़ गन्दी बस्ती निवासियों को 151.45 करोड़ रुपये के परिव्यय से मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए छठी योजना में पर्याप्त बढ़ाया गया पूंजी-निवेश का प्रस्ताव किया गया है। अनुसूचित जातियों, सफाई करने वालों आदि से बसे हुए क्षेत्रों को उचित प्राथमिकता दी जानी है।

कम लागत के मकानों के निर्माण के लिए महाराष्ट्र सरकार का ऋण

602. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र आवास निर्माण बोर्ड की देख-रेख में कम लागत के मकानों के निर्माण हेतु महाराष्ट्र सरकार को कोई ऋण दिया था;

(ख) क्या उक्त ऋण के मूलधन तथा ब्याज की राशि अभी तक उसकी ओर बकाया है; और

(ग) यदि हां, तो कितनी राशि अदा होनी शेष है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं। तथापि, आवास तथा नगर विकास निगम (हुडको) जो एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है, महाराष्ट्र आवास तथा क्षेत्र विकास प्राधिकरण को परियोजनाओं के लिये ऋण स्वीकृत करता है, जिसके मुख्य लाभ भोगी समाज में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग और निम्न आय वर्ग हैं।

(ख) तथा (ग) महाराष्ट्र आवास तथा क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा हुडको के साथ हुए समझौते के अनुसार ऋण वापस किया जाता है। महाराष्ट्र आवास तथा क्षेत्र विकास प्राधिकरण को हुडको द्वारा दिये गये 1361.02 लाख के कुल ऋण में से इस प्राधिकरण ने अब तक 450.95 लाख रुपये वापिस कर दिये हैं। अभी तक ब्याज अथवा मूलधन की अदायगी में किसी प्रकार की चूक नहीं हुई है।

ग्रामीण विकास परियोजनाओं के लिए दीनदयाल अनुसन्धान संस्थान नई दिल्ली को अनुदान

603. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान सरकार ने ग्रामीण विकास परियोजनाओं के लिए दीनदयाल अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली को कोई अनुदान दिया है; और

(ख) यदि हां, तो ठीक-ठीक कितनी-कितनी धनराशि दी गई है तथा अनुदान के मानदंड क्या हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) व (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राज्यों के लिए चीनी का कोटा निर्धारित करना

604. **श्री नवीन रवाणी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीनी के वितरण हेतु प्रत्येक राज्य के लिए कितना कोटा निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि चीनी का कोटा प्रत्येक राज्य तथा प्रत्येक नगर के लिए भिन्न-भिन्न है;

(ग) यदि हां, तो चीनी के कोटे के निर्धारण के लिए क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं; और

(घ) क्या सरकार सम्पूर्ण देश में चीनी का एक समान कोटा निर्धारित करने पर विचार करेगी ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में उपमन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) से (घ) लेवी चीनी के मासिक कोटे 1-3-1981 को जनसंख्या के सदर्भ में 425 ग्राम की प्रति व्यक्ति उपलब्धता के आधार पर पुन: अप्रैल, 1982 से पुन: निर्धारित किए गए थे, जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। कुछेक राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के अतीत के मासिक कोटों, जो कि

प्रति व्यक्ति उपलब्धता से अधिक थे, में कोई कमी नहीं की गई थी अर्थात् उन्हें अतीत के उसी उच्चतर स्तर पर ही बनाए रखा गया था, जैसाकि उक्त विवरण में उल्लेख किया गया है । अतः विभिन्न राज्यों के लेवी चीनी के मासिक कोटों को समान कसौटी के आधार पर ही निर्धारित किया गया है । केन्द्रीय सरकार समूचे राज्य और न कि राज्य के अन्दर विभिन्न शहरों/नगरों के लिए कोटा निर्धारित करती है ।

विवरण

1-3-1981 (अप्रैल, 1982 से प्रभावकारी) की जनसंख्या के आधार पर 425 ग्राम की प्रति व्यक्ति उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्यवार लेवी चीनी के मासिक कोटों को बताने वाला विवरण ।

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	1-3-81 को जनसंख्या	प्रति व्यक्ति 425 ग्राम की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कोटा (मी० टन)	राज्य जहां अतीत के कोटे से प्रति व्यक्ति उपलब्धता 425 ग्राम से अधिक है
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	53403619	22696	—
2.	असम	19902826	8459	—
3.	मिजोरम	487774	207	—
4.	बिहार	69823154	29675	—
5.	गुजरात	33960905	14433	—
6.	हरियाणा	12850902	5462	—
7.	हिमाचल प्रदेश	4237569	1801	—
8.	जम्मू तथा कश्मीर	5981600	2542	—
9.	केरल	25403217	10796	—
10.	मध्य प्रदेश	52131717	22156	—
11.	महाराष्ट्र	62693898	26645	—
12.	कर्नाटक	37043451	15743	—

1 2	3	4	5
13. नागालैंड	773281	340	नागालैंड 440 ग्राम
14. उड़ीसा	26272054	11166	—
15. पंजाब	16669755	7085	—
16. राजस्थान	34102912	14494	—
17. तमिलनाडु	48297456	20526	—
18. उत्तर प्रदेश	110858019	47111	—
19. पश्चिमी बंगाल	54485560	23156	—
20. अण्डमान तथा निकोबार	188254	190	अण्डमान तथा निकोबार 1009 ग्राम
21. चण्डीगढ़	450061	275	चण्डीगढ़ 611 ग्राम
22. दादर तथा नगर हवेली	103677	44	—
23. दिल्ली	6196414	6104	दिल्ली 985 ग्राम
24. गोआ, दमन तथा दीव	1082117	470	गोआ, दमन तथा दीव 431 ग्राम
25. लक्ष्यद्वीप	40237	65	लक्ष्यद्वीप 1615 ग्राम
26. मणिपुर	1433691	609	—
27. मेघालय	1327874	564	—
28. अरुणाचल प्रदेश	628050	267	—
29. पाण्डिचेरी	604136	257	—
30. त्रिपुरा	2060189	876	—
31. सिक्किम	315682	134	—
जोड़	683810051	294348	

उड़ीसा में खाद्य उत्पादन को बढ़ाया जाना

605. **डा० कृपा सिंधु भोई** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाद्यान्न के उत्पादन और विशेषरूप से चावल उत्पादन के मामले में उड़ीसा राज्य में प्रगति अवरुद्ध है, हालांकि उत्पादन क्षेत्र बढ़ा दिया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि विश्व बैंक द्वारा प्रायोजित पूर्वी भारत खाद्यान्न कार्यक्रम के अन्तर्गत भारी राशि के निवेश के बावजूद राज्य में कृषि उत्पादन में वृद्धि नहीं लाई जा सकी है; और

(ग) केन्द्र द्वारा राज्य सरकारों को इस मामले में यदि कोई मार्गदर्शन तथा सहायता दी गई है तो क्या ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामिनाथन्) : (क) और (ख) जी, नहीं। उड़ीसा में खाद्यान्नों का उत्पादन 1976-77 के 40.75 लाख मीटरी टन से बढ़कर 1980-81 में 58.46 लाख मीटरी टन हो गया है। इसी तरह इस अवधि के दौरान चावल का उत्पादन 32.18 मीटरी टन से बढ़कर 43.31 लाख मीटरी टन हो गया है, जबकि धान वाले क्षेत्र में कमी हुई अर्थात् 1976-77 में यह क्षेत्र 43.80 लाख हैक्टार था और 1980-81 में घटकर 41.99 लाख हैक्टार रहा।

(ग) मौसम परिस्थितियों और विभिन्न फसलों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक फसल मौसम के आरम्भ होने से पहले कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए राज्यों को क्षेत्रीय बैठकों में तथा अन्यथा भी मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त चावल की सामुदायिक नर्सरियां तैयार करने मिनीकिट कार्यक्रम के अन्तर्गत वितरण हेतु बीज की निःशुल्क आपूर्ति, दलहनों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए प्रदर्शनों, बीज वितरण तथा पौध रक्षण उपायों आदि के लिए राज्य-सहायता, विस्तार कर्मचारियों और किसानों के प्रशिक्षण के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्ण रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु नीति तैयार करने के लिए एक समिति का गठन

606. **डा० कृपा सिन्धु भोई** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्ण रोजगार के अवसर पैदा करने के प्रयोजन से नीति तैयार करने हेतु एक समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं तथा उसके निर्देश-पद क्या हैं;

(ग) यह समिति संभवतः कब तक अपना प्रतिवेदन पेश कर देगी; और

(घ) क्या समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को सहायता देने हेतु एक उच्च स्तरीय समिति भी गठित की गई है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) जी हां।

(ख) 28 दिसम्बर, 1981 के संकल्प संख्या एम० 25011/14/81-आर० एम० ई० जिसमें समिति के सदस्यों के नाम तथा विचारणीय विषय दिए गए हैं, की एक प्रति संलग्न है (परिशिष्ट-I)।

[**पटल पर रखा गया—देखिए संख्या एल० टी० 4224/82**]

(ग) रिपोर्ट समिति के गठन के 6 महीने के अन्दर प्रस्तुत की जानी थी। रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाने का प्रश्न विचाराधीन है।

(घ) जी हां। समिति के गठन के बारे में 12 अगस्त, 1981 की अधिसूचना की एक प्रति भी संलग्न है। (परिशिष्ट-2)

[ग्रथालय में रखा गया—देखिए संख्या एल० टी० 4224/82]

हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर जिले के बाराचोरू के लिए पेय जल सप्लाई योजनायें

607. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर जिले के नादौन और बिफर ब्लाकों में बाराचोरू, भूमपात नौंधा, दियोट-सिधा गांवों के लिए पेयजल योजनाओं के निर्माण कार्य को मंजूर कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी अनुमानित लागत कितनी होगी, इसमें कितने गांव और लोग इनके अन्तर्गत आयेंगे तथा यह किस तारीख को मंजूर की गई और इन योजनाओं में से प्रत्येक योजना के कब तक पूरे हो जाने की सम्भावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो उनके मंजूर करने की सम्भावित तिथि क्या होगी तथा निर्माण कार्य कब तक शुरू हो जाएगा और विलम्ब के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) इस मन्त्रालय के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, बाराचोरू और दियोटसिध गांवों के समूह के लिए पेयजल पूर्ति योजनाओं का अनुमोदन कर दिया गया है। दियोटसिध योजना के निष्पादन के लिए वित्तीय सहायतार्थ नीदरलैंड सरकार के साथ शीघ्र ही करार को अन्तिम रूप दिए जाने की आशा है। भूमपाल-नौंधी गांवों के समूह के लिए राज्य सरकार से योजना प्राप्त नहीं हुई प्रतीत होती है।

(ख) इन दो योजनाओं के सम्बन्ध में सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

योजना का नाम	अनुमानित लागत	लाभान्वित गांवों की संख्या	वह जन समुदाय जिन्हें लाभान्वित किया जाना है	अनुमोदित की तारीख	कार्य पूर्ण होने की सम्भावित अवधि
1	2	3	4	5	6
1. बारा चोरू	14,10,250 49		3790	16-11-81	लगभग 4 साल
2. दियोट सिध	1,24,23,000 82		15753	17-9-81	लगभग 4 साल

प्राकृतिक विपदाओं से होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति हेतु स्थायी राहत उद्योग की स्थापना

608. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारी वर्षा, बर्फानी तूफानों, ओलावृष्टि सूखा, बाढ़ भूचाल आदि जैसी प्राकृतिक विपदाओं के कारण लोगों तथा पशुओं की जानों और सम्पत्ति तथा फसलों आदि को होने वाली हानि को क्षतिपूर्ति करने हेतु तुरन्त ही कार्यवाही करने के लिए एक स्थायी राहत आयोग स्थापित करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो राज्यों के सहयोग से स्थापित होने वाले इस आयोग का ढांचा तथा कार्य क्षेत्र क्या होगा। और इसकी स्थापना सम्भवत: किस तारीख तक हो जायेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसे मामलों में तुरन्त ही सहायता तथा राहत पहुंचाने की व्यवस्था करने हेतु सरकार क्या उपाय करने का विचार कर रही है क्योंकि सामान्यतया केन्द्रीय दलों के दौरों में काफी समय लगता है और प्राय: राहत कार्यों में देर हो जाती है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उपमन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

(ग) वित्तीय सहायता राहत व्यय की योजना के अनुसार, 7वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर, प्रत्येक राज्य के लिए, मूल्य वृद्धि के कारण 15 प्रतिशत की वृद्धि के साथ राहत व्यय 9 वर्ष के औसत पर मार्जिन धनराशि निर्धारित की गई है, यह मार्जिन धनराशि राज्य सरकारों के पास उनके बजट में प्रतिवर्ष उपलब्ध होती है, जिसका प्रयोग प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुए किसी भी आकस्मिक व्यय को पूरा करने के लिए किया जा सकता है यदि मार्जिन धनराशि के अधिक सहायता की आवश्यकता होती हैं तो राज्य केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करते है। केन्द्रीय सरकार सहायता की आवश्यकताओं का जायजा लेने के लिए दल भेजती है। अत: वर्तमान प्रणाली तत्काल राहत देने के लिए है।

फल और सब्जी प्रोसेसिंग उद्योग तथा कोल्ड स्टोरेजों के लिए वित्तीय सहायता

609. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फल और सब्जी प्रोसेसिंग उद्योग (हिमायत तथा गंधरहित सहित) को तथा राज्यों में कोल्ड स्टोरेज स्थापित करने के लिए गत तीन वर्षों के दौरान कोई वित्तीय सहायता प्रदान की है; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक वर्ष राज्य-वार दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य-वार उस प्रयोजन के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में उपमन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) जी हाँ।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

खाद्य विभाग ने फलों और सब्जियों के उत्पादन, विधायन और विपणन के लिए एक समन्वित कृषि-औद्योगिक काम्पलेक्स स्थापित करने के लिए बिहार फल और सब्जी विकास निगम लि० को 1980-81 के दौरान इक्विटी पूंजी के रूप में 20 लाख रुपये दिए हैं। इसके अलावा, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम विभिन्न राज्यों में सहकारी क्षेत्र में फल और सब्जी विधायक यूनिट और शीतागार स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता दे रहा है। पिछले तीन वर्षों के दौरान फल और सब्जी विधायन यूनिटों के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा दी गई वित्तीय सहायता और वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए निश्चित की गई सहायता का राज्यवार ब्योरा नीचे दिया जाता है :

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा फल और सब्जी विधायन यूनिटों के लिए दी गई/ निश्चित की गई वित्तीय सहायता का राज्यवार ब्योरा

(लाख रुपये में)

क्रम सं०	राज्य	के दौरान दी गई धन राशि			1982-83 के लिए निश्चित की गई वित्तीय सहायता
		1979-80	1980-81	1981-82	
1.	असम	—	5.500	5.528	3.400
2.	बिहार	4.12	—	—	4.000
3.	हिमाचल प्रदेश	—	1.901	0.413	4.000
4.	कर्नाटक	—	—	—	6.000
5.	केरल	—	3.190	0.695	0.740
6.	राजस्थान	—	1.220	—	3.460
7.	पश्चिमी बंगाल	—	6.680	—	4.090
8.	मणिपुर	6.12	—	—	2.220
9.	तमिलनाडु	—	—	1.305	3.910

हिमाचल प्रदेश में सड़क निर्माण के लिए वृक्ष काटने की मजूरी देना

610. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में देहरा ब्लाक के ज्वालामुखी और टेहरी गांव के बीच एक सड़क के निर्माण के लिए कुछ वन वृक्षों को काटने के लिए मंजूरी देने का मामला उठाया है;

(ख) यदि हां, तो वन संशोधन अधिनियम के अन्तर्गत किस तारीख को अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ग) इस बारे में सरकार द्वारा क्या निर्णय किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो सम्भवतया किस तारीख तक निर्णय लिया जाएगा और इस विलम्ब के कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामिनाथन्) : (क) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं होता।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत दी जाने वाली नकद धनराशि

611. **श्री के० टी० कोसलराम** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्यान्नों की सीमित उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत नकद धनराशि दी जा रही है;

(ख) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत रोजगार के अवसर पैदा करने और वास्तविक परिसम्पत्तियों के बारे में किन राज्यों ने त्रैमासिक अथवा मासिक रिपोर्टें भी प्रस्तुत नहीं की हैं; और

(ग) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों को राज्य-वार कुल कितनी नगद सहायता दी जा रही है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत मजदूरी के रूप में 1 किलोग्राम खाद्यान्न तथा शेष का नकदी के रूप में भुगतान करना पड़ता है।

(ख) ऐसे राज्यों, जिन्होंने तिमाही अथवा मासिक रिपोर्टें नहीं भेजी हैं, के नाम संलग्न विवरण-1 में दिए गए हैं।

(ग) वर्ष 1981-82 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों को दी गई नकद सहायता के राज्यवार आंकड़े दर्शाने वाला विवरण-2 संलग्न है। वर्ष 1982-83 के

दौरान कार्यक्रम के अन्तर्गत दी जाने वाली कुल सहायता गत वर्ष दी गई कुल सहायता से अधिक होगी तथापि यह राज्यों के पहली दो तिमाहियों के निष्पादन कार्य पर निर्भर होगी।

विवरण-I

वर्ष 1981-82 के दौरान जिन राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों ने प्रगति मासिक तथा तिमाही रिपोर्ट नहीं भेजी, को दर्शाने वाला विवरण-1

राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	प्रगति रिपोर्ट नहीं प्राप्त हुई	
	मासिक समाप्त	तिमाही समाप्त
1. बिहार	—	मार्च 82
2. हरियाणा	फरवरी और मार्च	मार्च 82
3. हिमाचल प्रदेश	—	मार्च 82
4. महाराष्ट्र	अप्रैल 81 से मार्च 82	जून, सितम्बर, दिसम्बर, 81 और मार्च 82
5. नागालैंड	—	—यथोपरी)
6. उड़ीसा	—	मार्च 82
7. सिक्किम	—	मार्च 82
8. अरुणाचल प्रदेश	अक्तूबर 81 से मार्च 82	दिसम्बर 81 और मार्च 82
9. मिजोरम	अक्तूबर 81 से मार्च 82	दिसम्बर 81 और मार्च 82

विवरण-2

वर्ष 1981-82 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को दी गई नकद सहायता के राज्यवार आंकड़े दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	वर्ष 1981-82 में वंटित नकद निधियां (लाख रुपए में)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	18,96.000
2.	असम	4,00.00

1	2	3
3.	बिहार	12,10.00
4.	गुजरात	5,60.00
5.	हरियाणा	1,60.00
6.	हिमाचल प्रदेश	1,20.00
7.	जम्मू और काश्मीर	80.00
8.	कर्नाटक	8,28.00
9.	केरल	8,04.00
10.	मध्य प्रदेश	13,20.00
11.	महाराष्ट्र	14,20.00
12.	मणिपुर	10.00
13.	मेघालय	10,00
14.	नागालैंड	20.00
15.	उड़ीसा	8,20.00
16.	पंजाब	2,52.00
17.	राजस्थान	4,68.00
18.	सिक्किम	8.00
19.	तमिलनाडु	14,80.00
20.	त्रिपुरा	60.00
21.	उत्तर प्रदेश	33,40.00
22.	पश्चिम बंगाल	13,48.00
23.	अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	16.00
24.	अरुणाचल प्रदेश	16.00
25.	मिजोरम	32.00
26.	पाण्डिचेरी	16.00
	योग	166,94.00

राज्य में तिलहन परियोजनाएं

612. **श्री के० टी० कोसलराम** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1979 में नेशनल डेरी डिवेलपमेन्ट बोर्ड की 150 करोड़ रुपये की तिलहन परियोजना केवल तमिलनाडु, गुजरात और मध्य प्रदेश में क्रियान्वित की गई है; और

(ख) यदि हां, तो अन्य राज्यों द्वारा परियोजना को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित न किए जाने के क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्यमन्त्री (श्री आर० वी० स्वामिनाथन्) : (क) तथा (ख) यह परियोजना गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा तमिलनाडु में क्रियान्वित की जा रही है। परियोजना की कार्यान्वियन एजेंसियां, राज्य स्तर के सहकारी तिलहन उत्पादक संघ है, यह परियोजना आन्ध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र में भी क्रियान्वित की जानी है। राज्य स्तर का सहकारी तिलहन उत्पादक संघ भी आन्ध्र प्रदेश में पंजीकृत किया गया है, परन्तु इसके उपनियमों, बोर्ड के पुनर्गठन और परियोजना क्षेत्रों के चयन को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। राज्य स्तर का सहकारी तिलहन उत्पादक संघ महाराष्ट्र में अभी स्थगित नहीं किया गया है। परियोजना के कार्यान्वियन की कार्यपद्धतियों तथा प्रस्तावित संघ के उपनियमों को भी राज्य में अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

काम के बदले अनाज कार्यक्रम के लिए पुनर्मूल्यांकन रिपोर्ट

613. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "काम के बदले अनाज कार्यक्रम" की पुनर्मूल्यांकन रिपोर्ट से यह पता चला है कि विभिन्न ब्लाकों/जिलों में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अनेक चुने गये रोजगारों में से लगभग 46.6 प्रतिशत रोजगार अस्थाई रूप के थे और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ख) उसके लिए किन व्यक्तियों को उत्तरदायी ठहराया गया है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि भविष्य में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत केवल स्थाई पद ही बनाए जायेंगे, क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) व (ख) कार्यक्रम के अन्तर्गत 1980 से पूर्व कोई सामग्री घटक नहीं दिया जा रहा था तथा कार्यक्रम के अन्तर्गत निष्पादित किए गए निर्माण कार्यों को टिकाऊ बनाने के लिए राज्य सरकारों से अपने बजट में से ही संसाधन प्राप्त करने की प्रत्याशा की जाती थी. अनेक मामलों में इस प्रयोजन के लिए राज्य पर्याप्त संसाधन नहीं जुटा पाए अतः कार्यक्रम के अन्तर्गत अस्थाई स्वरूप के निर्माण कार्यों की यह समस्या आई है। अब कार्यक्रम के अन्तर्गत दिए गए 40 प्रतिशत संसाधनों को सामग्री घटक पर व्यय किए जाने की अनुमति है। राज्य सरकारों को यह भी सलाह दी गई है कि वे कार्यक्रम के अन्तर्गत निष्पादित किए गए बड़े सामग्री घटक की आवश्यकता रखने वाले इसी तरह

के निर्माण कार्यों के लिए अपने बजट में सुलभ की गई निधियों में वृद्धि करें। केन्द्रीय मार्गदर्शक सिद्धान्तों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत टिकाऊ निर्माण कार्यों को शुरू करने पर बल दिया गया है।

रोपड़, हरिके और फिरोजपुर हैडवर्क्स का प्रबन्ध भाखड़ा-व्यास प्रबन्ध को सौंपा जाना

614. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रोपड़, हरिके और फिरोजपुर के हैडवर्क्स का प्रबन्ध भाखड़ा व्यास प्रबंध को अब तक न सौंपने के क्या कारण हैं जबकि भारत के भूतपूर्व प्रधान मंत्री ने 3 अक्तूबर, 1977 को पंजाब रिआर्गनाइजेशन एक्ट के उपबंधों को तत्काल क्रियान्वित करने का निर्णय दिया था;

(ख) क्या राजस्थान के मुख्य मंत्री द्वारा 14 फरवरी, 1979 को यह मामला फिर उठाया गया था और यदि हां, तो उस पर तत्कालीन प्रधान मंत्री द्वारा क्या निर्णय दिया गया; और

(ग) क्या यह सच है कि सभी निर्णयों के बावजूद राजस्थान अपना जल का हिस्सा प्राप्त नहीं कर रहा है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) : (क) और (ख) जहां तक अक्तूबर, 1977 में हुई बैठक में हैडवर्क्स के अन्तरण के संबंध मे लिए गए निर्णय का संबंध है, जिसकी पुनरीक्षा फरवरी, 1979 में की गई थी, पंजाब ने जुलाई, 1979 में उच्चतम न्यायालय में एक मुकदमा दायर किया था। इसी बीच, राज्यों के बीच जल के नियतन, विनियतन और उचित वितरण के संबंध में बातचीत हुई थी और 31-12-1981 को पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के मुख्य मंत्रियों के बीच सम्मत व्यवस्था के अन्तर्गत, भाखड़ा-व्यास प्रबंध बोर्ड को यह सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है कि सभी तीनों राज्यों अर्थात पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को 31-12-1981 को हस्ताक्षरित करार के उपबंधों के अनुसार, दिन-प्रति-दिन के आधार पर, सिंधु के जल का उनका हिस्सा उन्हें प्राप्त हो। तदनुसार, भाखड़ा-व्यास प्रबन्ध बोर्ड को नियंत्रण स्थलों को नियत करने, मापन करने, स्वतः-अभिलेखी मापकों (गेजों) को प्रतिष्ठापित करने, इत्यादि की अनुमति दी गई है। भाखड़ा-व्यास प्रबंध बोर्ड के इस कार्य में पूर्ण सहयोग देने के लिए राज्य सरकारें भी सहमत हो गई है। इस प्रकार, मूल उद्देश्य को, अर्थात सभी संबंधित राज्यों को उनके हिस्सों का जल समय पर प्राप्त हो, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, सम्मत व्यवस्था के अन्तर्गत पूर्णतः पूरा हो गया है।

(ग) राजस्थान को कम सप्लाई के संबंध में 1982 के दौरान इस मंत्रालय में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत अस्थायी नौकरियों को स्थायी नौकरियों में बदलना

615. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1980-81 के दौरान प्रत्येक राज्य और संघ शासित क्षेत्र को समयबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी अस्थायी नौकरियों को स्थाई नौकरियों मे बदलने के लिए नकद अनुदान बांटने हेतु कितनी धनराशि दी गई; और

(ख) राजस्थान को कितनी धनराशि दी गई और स्थायी नौकरियों में बदली गई अस्थायी नौकरियों की सूची का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 1980-81 के दौरान राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को गैर-टिकाऊ निर्माण कार्यों को टिकाऊ बनाने के लिए सुलभ की गई निधियों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) जैसा कि विवरण में दर्शाया गया है, राजस्थान को 273.00 लाख रुपए की निधियां दी गई थी। राजस्थान में इन निधियों का उपयोग करके उन गैर-टिकाऊ निर्माण कार्यों, जिन्हें टिकाऊ बनाया गया था, की सूची एकत्र की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 1980-81 के दौरान राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को सामग्री घटक के लिए सुलभ की गई निधियों को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपये में)

क्रम संख्या	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	1980-81 के दौरान सामग्री घटक के लिए वंटित नगद सहायता
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	1108.50
2.	असम	216.00
3.	बिहार	1422.00
4.	गुजरात	327.00
5.	हरियाणा	84.75
6.	हिमाचल प्रदेश	57.75
7.	जम्मू और काश्मीर	86.25
8.	कर्नाटक	489.00

1	2	3
9.	केरल	474.00
10.	मध्य प्रदेश	783.00
11.	महाराष्ट्र	837.00
12.	मणिपुर	10.50
13.	मेघालय	10.50
14.	नागालैंड	7.50
15.	उड़ीसा	483.00
16.	पंजाब	148.50
17.	राजस्थान	273.00
18.	सिक्किम	3.75
19.	तमिलनाडु	873.00
20.	त्रिपुरा	31.50
21.	उत्तर प्रदेश	1956.00
22.	पश्चिम बंगाल	787.50
23.	अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	7.50
24.	अरुणाचल प्रदेश	7.50
25.	मिजोरम	7.50
26.	पाण्डिचेरी	7.50

राजस्थान के पाली जिले में पेयजल की समस्या का सामना करने वाले गांवों की संख्या और उनके नाम

616. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के पाली जिलेमें उन गांवों की संख्या और नाम क्या हैं जो 20 सूत्री कार्यक्रम आरम्भ किये जाने के समय गम्भीर रूप से पेयजल की समस्या का सामना कर रहे थे;

(ख) उनमें से कितने गांवों को अब तक पेयजल की सुविधा प्रदान की गई है;

(ग) उन गांवों की संख्या और उनके नाम क्या हैं जिन्हें 1982-83 और 1983-84 में अलग-अलग पेयजल की सुविधा प्रदान की जाएगी; और

(घ) इस सम्बन्ध में योजना का ब्योरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) पेयजल पूर्ति राज्य का विषय है और गांवों नामों के बारे में विस्तृत सूचना राजस्थान सरकार के पास उपलब्ध होगी। नया 20-सूत्री कार्यक्रम 14 जनवरी, 1982 को घोषित किया गया था। निर्माण और आवास मन्त्रालय के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, 1-4-1982 को राजस्थान के जिला पाली में जिन गांवों का समस्याग्रस्त गांवों के रूप में पता लगाया गया है, उनकी संख्या 236 है।

(ख) तथा (ग) 23-6-82 को राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ हुई बैठक के दौरान राज्य सरकार के प्रतिनिधियों ने बताया कि शेष 216 समस्याग्रस्त ग्रामों में से निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत इनका 165 समस्याग्रस्त ग्रामों को शामिल करने का विचार है :

वर्ष	एम० एन० पी०	ए० आर० पी०	ए० पी० ए०	योग
1982-83	65	45	20	130
1982-84	10	25	—	35
योग	75	70	20	165

वर्ष 1982-84 के दौरान विशिष्ट गांवों को लाभान्वित करने के लिए इनका चयन राज्य सरकार ने करना है।

(घ) निम्नलिखित योजनाओं के अन्तर्गत पेयजल पूर्ति की सुविधाएं मुहैया की जाती हैं :

(i) राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम।

(ii) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की प्रतिपूर्ति के लिए केन्द्रीय सरकार त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम या ए० आर० पी० के अन्तर्गत अनुदान देती है।

(iii) सूखे से प्रभावित गांवों के लिए, भारत सरकार पेयजल प्रदान के लिए अग्रिम योजना सहायता भी देती है। इसके अन्तर्गत आंशिक रूप से प्रदान की गई निधियों का उपयोग भी समस्याग्रस्त ग्रामों को लाभान्वित करने के लिए किया जाता है।

केरल को स्वीकृति हेतु लम्बित सिंचाई परियोजनाएं

617. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार के पास केरल की कौन-कौन सी सिंचाई परियोजनायें स्वीकृति हेतु लम्बित हैं; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनको स्वीकृत करने के लिए भारत सरकार ने क्या कार्यवाही की है तथा इन परियोजनाओं को कब स्वीकृत दी जाएगी ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) : (क) और (ख) तकनीकी जांच के लिए और योजना आयोग का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त केरल की सिंचाई स्कीमों तथा उनकी जांच की वर्तमान स्थिति को दिखाने वाला विवरण संलग्न है।

स्कीमों पर केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों के स्पष्टीकरण/उत्तर प्राप्त हो जाने के बाद और उनकी तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता और लागत प्रभाविता सिद्ध हो जाने के बाद इन पर स्वीकृति हेतु आगे कार्यवाही की जा सकती है। काबेरी बेसिन में अनिर्णीत स्कीमें काबेरी जल विवाद का हल हो जाने के बाद ही स्वीकृत की जा सकती हैं।

विवरण

क्र० सं	परियोजना का नाम	केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त होने की तारीख	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4
	बृहद् स्कीमें		
1.	केरल भवानी	26.6.1972	काबेरी के जल के संबंध में करार न हो पाने के कारण लम्बित।
2.	कक्कांडाबू	17.9.1974	लाभ-लागत के अनुपात के बारे में केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों के उत्तर केरल सरकार से प्राप्त नहीं हुए हैं। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने परियोजना की लाभ-लागत के अनुपात का अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन किया है और समिति द्वारा पुन: अध्ययन पूरा हो जाने के बाद टिप्पणियों के उत्तर भेजे जाएंगे।

1 2	3	4
3. मुवत्तुपूझा	8 1.75	योजना आयोग की सलाहकार समिति द्वारा 24.8.1981 को हुई अपनी बैठक में इस परियोजना की स्वीकार्य पाया गया बशर्ते कि इसे विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्वीकृति दे दी जाए।
4. कुट्टीयाडी विस्तार	2.9.1977	कावेरी के जल के संबंध में करार न हो पाने के कारण लम्बित।
5. इवमलयार	30.6.1978	जल वैज्ञानिक और अन्य पहलुओं के संबंध में दिसम्बर, 1981, मार्च और जून, 1982 में स्पष्टीकरण मांगे गए हैं और ये स्पष्टीकरण राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुए हैं।
6. चिकोनो	17.9.1978	तकनीकी सलाहकार समिति का नोट योजना आयोग को इसकी अगली बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है।
7. करावारा कुरियार कुट्टी बहूद्देशीय स्कीम (सिंचाई भाग)	22.2.1979	जून और सितम्बर, 1979 में तथा जनवरी, 1980 में भेजी गई केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों के उत्तर राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुए हैं।
मध्यम स्कीमें		
1. अट्टापाडी	30.8.1971	कावेरी के जल के संबंध के करार न पाने के कारण लम्बित।
2. बामनपुरम	10.10.1980	सलाहकार समिति द्वारा 3.3.1982 को हुई अपनी बैठक में परियोजना स्वीकार्य पाई गई।

केरल की विजिनजम मत्स्य पत्तन परियोजना सम्बन्धी रिपोर्ट

618. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विजिनजम में प्रयोगात्मक मत्स्य गतिविधि के बाद कोई रिपोर्ट मिली है;

(ख) यदि हां, तो रिपोर्टों का ब्योरा क्या है; और

(ग) सरकार का केरल विजिनजम मत्स्य पत्तन परियोजना के प्रथम और दूसरे चरण को कब तक स्वीकृति देने का विचार है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामिनाथन्) : (क) जी, हां।

(ख) वैज बैंक के मात्स्यकी संसाधनों के समन्वेषी सर्वेक्षण के परिणामों पर प्रगति रिपोर्ट नं० 1 मार्च, 1982 में प्राप्त हुई है। अक्तूबर से दिसम्बर, 1981 तक तीन समुद्री मार्गों में "मत्स्या निरीक्षणी" (40.55 मीटर) नामक जलयान द्वारा किए गए तल मात्स्यकी संसाधन सम्बन्धी सर्वेक्षण और तीन समुद्री मार्गों में "मत्स्यासुगन्धी" (31.5 मीटर) नामक जलयान द्वारा किए गए उन्मुक्त मात्स्यकी संसाधनों सम्बन्धी सर्वेक्षणों के परिणाम इस रिपोर्ट में शामिल हैं। ये परिणाम अन्तिम संश्लेषण और संभावित अध्ययन सम्बन्धी विस्तृत सारणियों के साथ माहवार आधार पर प्रस्तुत किए गए हैं। डेमरसल (तल) मात्स्यकी सर्वेक्षण के दौरान परचेस, कर्नगिड्स, सकिनडस और कटल मछली जैसी उच्च किस्म की मछलियों के बहुतायत वाले क्षेत्रों का पता लगाया गया। लांग लाइन पद्धति द्वारा किए गए उन्मुक्त मात्स्यकी सर्वेक्षण के दौरान उन स्थानों, जहां कि शार्क मछलियां अत्यधिक मात्रा में पाई जाती हैं, का पता लगाया गया। ठोस परिणाम प्राप्त करने के लिए अधिक गहन सर्वेक्षण करना आवश्यक समझा जाता है।

(ग) जुलाई, 1968 में 173.00 लाख रुपए की अनुमानित लागत से विझिन्जम मत्स्यन पत्तन का प्रथम चरण मंजूर किया गया और यह चरण पहले ही पूरा हो चुका है। मात्स्यकी संसाधन सम्बन्धी सर्वेक्षण की अन्तिम रिपोर्ट तथा वैज बैंक क्षेत्र में अब किए जा रहे व्यवहार्यता सम्बन्धी अध्ययन के प्राप्त होने पर ही विनियोजन सम्बन्धी निर्णय के लिए विझिजम मत्स्यन पत्तन के द्वितीय चरण को मंजूर करने सम्बन्धी प्रस्तावों पर कार्यवाही की जा सकती है।

चूक करने वाले कृषकों के विरुद्ध निर्देश

619. **श्री सी० टी० दण्डपाणि** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कृषि मंत्रालय ने राज्य सरकारों से कहा है कि कृषकों से बकाया की वसूली के लिए चूक करने वाले कृषकों के विरुद्ध कठोर कदम उठाये; और

(ख) यदि हां, तो उक्त निर्देश कब जारी किये गये थे और वे क्या हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामिनाथन्) : (क) तथा (ख) राज्य सरकारों को यह सलाह दी गई है कि जैसे कि वसूली को बट्टे खाते में डालने अथवा स्थगन के पूर्ण उपाय करने अथवा जोर जबर्दस्ती की प्रक्रिया के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने जैसे निर्णयों को लेने से बचना अनिवार्य है, जिनसे कि सहकारी ऋण संस्थानों के कारगर संचालन पर दीर्घकालीन प्रतिकूल प्रभाव पड़े। यह सलाह अप्रैल, 1981 में उस स्थिति में दी गई थी जब अनेक राज्यों में संस्थागत ऋणों की वसूली की हालत खराब थी। कुछ मामलों में लिए गए ऋणों को वापस न करने का कारण मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियां हो सकती हैं, परन्तु अनेक मामलों में ऐसी गैर-अदायगी का कारण जानबूझकर अदायगी न करना तथा वसूली की खराब परिस्थितियां हो सकती हैं। इन समस्याओं को हल करना जरूरी है अन्यथा भारी पैमाने के अतिदेय ग्रामीण क्षेत्र की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए ऋण संस्थानों की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

तथापि संस्थागत और अन्य सरकारी ऋणों की वसूली सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा अपनाए गए कानूनी एवं प्रशासनिक प्रावधानों द्वारा किया जाता है।

तमिलनाडु को गेहूं की सप्लाई

620. **श्री सी० टी० दण्डपाणि** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को तमिलनाडु सरकार से उक्त राज्य को गेहूं के अपर्याप्त आवंटन के बारे में शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो शिकायतें किस प्रकार की हैं; और

(ग) तमिलनाडु की मांग क्या है और केन्द्र सरकार ने उसमें से कितने गेहूं का आवंटन किया है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में उपमन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) और (ख) राज्य की रोलर फ्लोर मिलों और सार्वजनिक वितरण प्रणाली दोनों के लिए गेहूं के आवंटनों में वृद्धि करने के लिए तमिलनाडु सरकार अनुरोध कर रही है।

(ग) केन्द्रीय भण्डार में समूची उपलब्धता, विभिन्न राज्यों की सापेक्ष आवश्यकताओं, मंडी में उपलब्धता और अन्य संगत बातों को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक मास के आधार पर तमिलनाडु सहित विभिन्न राज्यों को खाद्यान्नों के आवंटन किए जाते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए 10,000 मी० टन की गेहूं और रोलर फ्लोर मिलों के लिए 50,000 मी० टन की गेहूं की मासिक मांग के प्रति तमिलनाडु सरकार को जनवरी, 1982 से जुलाई, 1982 की अवधि के दौरान क्रमशः प्रतिमास 4 000 मी० टन और 30,000 मीट टन गेहूं आवंटित किया गया है।

भारतीय खाद्य निगम को दी गई राज सहायता

621. **श्री राम प्यारे पनिका** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम को दी जा रही राज सहायता की राशि में लगातार वृद्धि हो रही है;

(ख) निगम को बढ़ी हुई राज-सहायता दिए जाने के क्या कारण हैं और क्या निगम ने और अधिक राज सहायता की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो यह राशि किस शीर्ष के अन्तर्गत खर्च की जायेगी ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में उपमन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) जी हां।

(ख) खाद्यान्नों का परिचालन निगम द्वारा भारत सरकार की ओर से किया जाता है ताकि उत्पादन लाभकारी मूल्य देना सुनिश्चित किया जा सके और समाज के कमजोर वर्गों को उचित मूल्यों पर खाद्यान्नों की सप्लाई करना सुनिश्चित किया जा सके। निर्गम मूल्य में तदनुरूपी वृद्धि किए बिना प्रत्येक वर्ष खाद्यान्नों के वसूली मूल्य में वृद्धि करने के कारण खाद्य राजसहायता के लिए अधिक व्यवस्था की जा रही है। कुछ हद तक, यह वृद्धि भारतीय खाद्य निगम की परिचालन लागत में वृद्धि होने के कारण भी हुई है। इसमें मुख्यतया राज्य की एजेन्सियों को देय ब्याज, भाड़ा, भण्डारण प्रभार और वसूली सम्बन्धी प्रासंगिक खर्चे शामिल हैं।

(ग) जिस लेखा-शीर्ष के अन्तर्गत राज सहायता अदा की जाती है वह इस प्रकार हैं :

मुख्य शीर्ष—309-ग० खाद्य

ग० 4—खाद्य राजसहायता,

ग० 4 (1)—खाद्यान्नों के सौदों पर भारतीय खाद्य निगम को देय राजसहायता।

बंजर भूमि का उपयोग

622. **श्री राम प्यारे पनिका** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अब तक कितने एकड़ भूमि बंजर पड़ी है;

(ख) सरकार का इस बंजर भूमि को किस ढंग से उपयोग में लाने का विचार है; और

(ग) सरकार ने उक्त बंजर भूमि का विकास करने वाले व्यक्ति को किस प्रकार की सहायता देने का निर्णय किया है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामिनाथन्) : (क) लगभग 210 लाख हैक्टार।

(ख) पहाड़ी, मरू आदि जैसे क्षेत्र बंजर तथा अकृष्य क्षेत्र हैं, जो कि कृषि के तहत मितव्ययी रूप से नहीं लाए जा सकते हैं। अत. इस प्रकार की बंजर भूमि को उपयोग में लाने की कोई योजना नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

वर्षा के कारण खाद्यान्न की क्षति

623. **श्री राम प्यारे पनिका** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ सरकार ने वर्षा के कारण खाद्यान्नों को हुई क्षति का निर्धारण करने के लिए एक केन्द्रीय दल भेजा है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों तथा स्थानों के नाम क्या हैं जहां यह दल भेजा गया है; और

(ग) क्या इस दल ने सरकार को अपने प्रतिवेदन पेश किये और यदि यहां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरे क्या हैं और सरकार की उन पर क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामिनाथन्) : (क) और (ख) जी हां। एक से अधिक दल न प्रभावित राज्यों का दौरा किया। दौरा किए गए राज्यों और स्थानों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) जी हां। उन दलों ने जिन्होंने गेहूं की फसल को बहुत नुकसान का जायजा लिया है, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। उनकी रिपोर्टों के आधार पर, वर्षा के कारण गेहूं की फसल को इस समय लगभग 20 लाख मीटरी टन का नुकसान होने का अनुमान है। इसके अलावा, गेहूं के दाने के रंग और चमक में ह्रास होने के कारण गेहूं की फसल के एक भाग को गुणवत्ता के रूप में भी नुकसान पहुंचा है, हालांकि इस प्रकार के अन्न की खाद्य की उपयुक्तता में सामान्यता कोई कमी नहीं आई है। सरकार ने किसानों को सहायता देने के लिए गेहू की खरीद कर की विशिष्टियों में ढील देने की अनुमति दे दी है।

विवरण

केन्द्रीय दलों के अधिकारियों द्वारा दौरा किए गए स्थानों के नाम।

राज्य	दौरा किए गए स्थान
हरियाणा	सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, कैथल, जींद, हिसार, सिरसा, हांसी और रोहतक के गांव।
पंजाब	रोपड़, लुधियाना, जलन्धर, कपूरथला, अमृतसर और होशियारपुर जिले।
उत्तर प्रदेश	बुलन्दशहर, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, आगरा, मथुरा, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर जिले।
राजस्थान	अलवर, भरतपुर और जयपुर जिले।

लारेन्स रोड में पानी के बिलों की वसूली के लिए एक कार्यालय खोला जाना

624. **श्री राजेश कुमार सिंह** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली नगर निगम ने दिल्ली में घनी आबादी वाली बस्ती लारेन्स रोड में पानी के बिलों की वसूली के लिये अब तक कोई कार्यालय या वसूली केन्द्र नहीं खोला

है और निवासियों को बहुत समय बरबाद करना पड़ता है तथा उन्हें अपने पानी के बिलों के भुगतान के लिये म्युनिसिपल जाने आफिस, करोल बाग जाने में बड़ी भारी असुविधा उठानी पड़ती है;

(ख) क्या निवासियों अथवा उनकी वेलफेयर एसोसिएशन से लारेन्स रोड में एक वसूली केन्द्र खोलने या पानी के बिलों की वसूली के लिये कुछ निर्धारित दिनों में उस क्षेत्र मे एक गाड़ी भेजने अथवा लारेन्स रोड में स्थित स्टेट बैंक को पानी के बिलों की वसूली हेतु प्राधिकृत करने के बारे में कोई अभ्यावेदन मिला है; और

(ग) यदि हां, तो क्या उन अभ्यावेदनों पर विचार किया गया है; और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली नगर निगम के दिल्ली जल प्रदाय तथा मल व्ययन संस्थान ने बताया है कि लारेन्स रोड रिहायशी क्षेत्र में पानी के बिलो को जमा करने के लिए कोई कैश काउन्टर नही है । तथापि, इस संस्थान ने सूचित किया है कि इस क्षेत्र के निवासियों को पानी के बिलों के भुगतान के लिये निगम के करोल बाग क्षेत्रीय कार्यालय में जाना आवश्यक नहीं है । वे पानी के प्रभारों का भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी प्राधिकृत शाखा के माध्यम से दे सकते हैं । बैंक की एक ऐसी शाखा वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र में विद्यमान है, जोकि लारेन्स रोड आवासीय क्षेत्र से अधिक दूर नहीं है ।

(ख) तथा (ग) इस संस्थान ने सूचित किया है कि निवासियों से एक अभ्यावेदन प्राप्त होने पर स्टेट बैंक की लारेन्स रोड रिहायशी क्षेत्र में में खुली नई शाखा को पानी के प्रभारों को लेने के लिये प्राधिकृत करने के प्रश्न को सम्बन्धित प्राधिकारियों के साथ उठाया गया था और बैंक प्राधिकारियों से अन्तिम उत्तर की प्रतीक्षा है ।

गंगा जल विवाद को अन्तर्राष्ट्रीय रूप देना

625. **श्री राजेश कुमार सिंह :**

श्री रामविलास पासवान :

श्री सुभाष यादव :

क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलादेश सरकार गंगा जल के बंटवारे के विवाद को अन्तर्राष्ट्रीय रूप देने का प्रयास कर रही है,

(ख) यदि हां, तो क्या इससे यह पता चलता है कि बंगलादेश गंगा के जल के बंटवारे के लिए हस्ताक्षर किये गये अस्थायी समझौते का नवीकरण करने का इच्छुक नहीं है; और

(ग) क्या भारत सरकार उत्तर प्रदेश, बिहार तथा पश्चिम बंगाल सरकारों को सलाह देगी कि सितम्बर में बंगलादेश के साथ समझौते की समाप्ति के तुरन्त बाद सिंचाई प्रयोजनों के

लिए गंगा के पानी के लिए गंगा के पानी के उपयोग हेतु वे अपनी योजनाएं बनाने का काम अभी से आरम्भ कर दें ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) : (क) भारत सरकार को इस आशय की कोई जानकारी नहीं है कि बंगलादेश गंगा जल के मामले को अन्तर्राष्ट्रीय रूप देने का प्रयास कर रही है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल की सरकारें गंगा के जल का उपयोग करने के लिए अपनी-अपनी सिंचाई स्कीमों का अन्वेषण, उनके सम्बन्ध में कार्रवाई और उनका क्रियान्वयन कर रही हैं । अत: भारत सरकार द्वारा इन राज्यों को मौजूदा करार के समाप्त हो जाने के बाद, क्रियान्वयन के लिए उनकी अपनी स्कीमों को नए सिरे से तैयार करने की सलाह देने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

सतही जल का उपयोग

626. **श्री गदाधर साहा** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने भण्डारण बांधों का निर्माण किया गया है और उनकी क्षमता क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि 17800 लाख क्यूबिक मीटर सतही जल में से केवल 6000 लाख क्यूबिक मीटर का ही उपयोग किया जा सकता है तथा शेष बाढ़ का कारण बनकर समुद्र में बह जाता है; और

(ग) यदि हां, तो सतही जल के प्रभावी उपयोग के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) : (क) हमारे देश में अब तक 700 से अधिक बांध बनाए जा चुके हैं । छोटे टैंकों द्वारा सृजित क्षमता सहित अब तक सृजित कुल संचयन क्षमता लगभग 160 हजार मिलियन घन मीटर (130 मिलियन एकड़ फुट) होने का अनुमान लगाया गया है ।

(ख) भूतल जल की कुल उपलब्धता लगभग 1780 हजार मिलियन घन मीटर (1440 मिलियन एकड फुट) होने का अनुमान लगाया गया है । पहले यह अनुमान लगाया गया था कि लगभग 666 हजार मिलियन घन मीटर (540 मिलियन एकड़ फुट) को अन्तत: इस्तेमाल किया जा सकता है । तथापि यह विचार किया गया है कि विभिन्न नदी प्रणालियों को परस्पर जोड़कर तथा अधिशेष जल वाले नदी बेसिनों से जल की कमी वाले क्षेत्रों का जल का अन्तरण करके अतिरिक्त 222 हजार मिलियन घन मीटर (180 मिलियन एकड़ फुट) जल का उपयोग किया जा सकता है ।

(ग) अपने देश के जल संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए, जहां भी सम्भव है, अतिरिक्त जल संचयन जलाशय निर्मित करने का प्रस्ताव है ।

बाढ़ नियंत्रण के लिए राज्यों को राशियां दिया जाना

627. **श्री आनन्द पाठक** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में राज्यवार कुल कितना क्षेत्र बाढ़-प्रवण है; और

(ख) पिछले तीन वर्षों में, राज्यवार बाढ़ नियंत्रण के लिए राज्यों को कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) : (क) जैसा कि राज्य सरकारों द्वारा सूचित किया गया है, भारत में 34.64 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र बाढ़-प्रवण क्षेत्र है। राज्यवार आंकड़े विवरण-एक में दिए गए हैं।

(ख) वर्ष 1979-80, 1980-81 और 1981-82 के दौरान बाढ़ नियंत्रण सैक्टर के अन्तर्गत राज्यों को दी गई केन्द्रीय सहायता के राज्यवार पृथक-पृथक आंकड़े विवरण-दो में दिए गए हैं।

विवरण-1

बाढ़-प्रवण क्षेत्र को दिखाने वाला विवरण

आंकड़े मिलियन हैक्टेयर में

क्रमांक	राज्य	बाढ़-प्रवण क्षेत्र
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	1.39
2.	असम	3.15
3.	बिहार	4.26
4.	गुजरात	1.39
5.	हरियाणा	2.35
6.	हिमाचल प्रदेश	0.23
7.	जम्मू तथा कश्मीर	0.08
8.	कर्नाटक	0.02
9.	केरल	0.87
10.	मध्य प्रदेश	0.26

1 2		3
11. महाराष्ट्र		0.23
12. मणिपुर		0.08
13. मेघालय		0.02
14. उड़ीसा		1.40
15. पंजाब		3.7
16. राजस्थान		3.26
17. सिक्किम		—
18. तमिलनाडु		0.45
19. त्रिपुरा		0.33
20. उत्तर प्रदेश		7.34
21. पश्चिम बंगाल		3.77
22. दिल्ली		0.05
23. अन्य संघ राज्य क्षेत्र		0.01
	जोड़	34.64

विवरण-2

वर्ष 1979-80, 1980 81 और 1981-82 के दौरान बाढ़ नियंत्रण के लिए राज्यों को दी गई केन्द्रीय ऋण सहायता के राज्यवार पृथक-पृथक आंकड़ों को दिखाने वाला विवरण।

(लाख रुपए में)

क्रम सं०	राज्य का नाम	दी गई केन्द्रीय ऋण सहायता		
		1979-80	80-81	81-82
1.	केरल	331.85	350.00	350.00
2.	उड़ीसा	345.00	358.00	418.00
3.	असम	1075.00	1315.61	1590.00
4.	बिहार	—	115.00	150.00
5.	पश्चिम बंगाल	—	162.37	142.00
6.	उत्तर प्रदेश	—	—	40.00
7.	हरियाणा	—	—	150.00
	जोड़	1751.85	2300.98	2840.00

त्रिपुरा में खाद्य संकट

628. **श्री आनन्द पाठक :**

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती :

श्री बाजूबन रियान :

श्री अजय बिश्वास :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि केन्द्र सरकार की त्रिपुरा राज्य को खाद्यान्न भेजने में असफलता के कारण राज्य में खाद्य स्थिति प्रतिदिन बिगड़ रही है;

(ख) क्या यह भी सच है कि मंत्री महोदय द्वारा मई 1982 में त्रिपुरा के बारे में आश्वासन दिया गया था;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं कि अभी तक खाद्यान्न नहीं भेजे गये हैं; और

(घ) त्रिपुरा को खाद्यान्न कब भेजे जायेंगे तथा सरकार द्वारा इस बारे में अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में उपमन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) और (ख) यह सच नहीं है कि त्रिपुरा को खाद्यान्न भेजने में केन्द्रीय सरकार की विफलता के कारण त्रिपुरा में खाद्य स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है । मई और जून, 1982 के दौरान, त्रिपुरा को भेजे गए चावल की मात्रा इस प्रकार थी :

(आंकड़े मीटरी टन में)

मास	प्रेषण
मई, 1982	12,270
जून, 1982	11,209

जून, 1982 के दौरान (27 तक) त्रिपुरा को 8687 मीटरी टन चावल और 750 मीटरी टन गेहूं की सप्लाई करने के बाद भी, त्रिपुरा में भारतीय खाद्य निगम के पास 27-6-82 को खाद्यान्नों के इतिशेष स्टाक के रूप में 8807 मीटरी टन चावल और 2093 मीटरी टन गेहूं था ।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) की दृष्टि में, प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) मासिक आवंटनों, त्रिपुरा राज्य में भारतीय खाद्य निगम के पास पहले से ही उपलब्ध स्टाक और अन्य संगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मासिक आधार पर त्रिपुरा को खाद्यान्न भेजने के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा कार्यक्रम बनाए जाते हैं । जुलाई, 1982 के लिए भारतीय खाद्य निगम उत्तरी जोन से त्रिपुरा को 11,000 मीटरी टन चावल भेजने का कार्यक्रम

बनाया है, जिसके प्रति प्रेषण कार्य प्रगति पर है । वर्तमान व्यवस्था के अनुसार, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विभिन्न राज्यों (त्रिपुरा समेत) को गेहूं की सप्लाई, केन्द्रित बुकिंग न्यू गोहाटी से न्यू बोंगईगांव को आम तौर पर की जाती है । इस समय उत्तर पूर्वी क्षेत्र में गेहूं का पर्याप्त स्टाक उपलब्ध है ।

"नाफेड" में कुप्रबन्ध

629. **श्री रामविलास पासवान :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी संख्या में संसद सदस्यों ने ज्ञापन में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नाफेड) में कथित भ्रष्टाचार और कुप्रबन्ध की जांच करने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में उपमंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) जी हां । प्रधान मन्त्री को 40 संसद सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित एक ज्ञापन दिया गया था, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ के अध्यक्ष के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं अन्य कदाचारों के आरोप लगाये गये हैं और इन आरोपों की जांच करने के लिए एक जांच आयोग गठित करने का सुझाव दिया गया है ।

(ख) भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ के निदेशक-मण्डल को नेफेड के अध्यक्ष के विरुद्ध लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों का पहले ही पता है और उसने अध्यक्ष के विरुद्ध विभिन्न आरोपों के तथ्यों का पता लगाने के लिए एक निदेशक समिति नियुक्त की है । इस समिति द्वारा नेफेड के निदेशक मण्डल के निर्णय के लिए रिपोर्ट अभी पेश की जानी है । सरकार मण्डल के निर्णय का इंतजार कर रही है । निदेशक मण्डल के निर्णय के उपलब्ध होने पर ही सरकार इस बात पर विचार करेगी कि क्या कोई और कार्रवाई अथवा जांच जरूरी है ।

नेशनल कंज्यूमर्स कोआपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड

630. **श्री रामविलास पासवान :** क्या नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) क्या बड़ी संख्या में संसद-सदस्यों ने एक ज्ञापन में राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड (नेशनल कंज्यूमर्स कोआपरेटिव फैडरेशन लिमिटेड) में कथित भ्रष्टाचार और कुप्रबन्ध की जाँच करने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो मामले में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) जी हां ।

(ख) ज्ञापन का सम्बद्ध भाग भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लि० को, संघ के निदेशक मंडल द्वारा जांच करने तथा उस पर रिपोर्ट देने के लिए भेज दिया गया है ।

तुर्कमान गेट के बेदखल लोगों को क्वार्टरों का आवंटन

631. **श्री रशीद मसूद** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तुर्कमान गेट के बेदखल लोगों को राउज एवेन्यू नई दिल्ली में कितने क्वार्टर आवंटित किये गये थे;

(ख) क्या इनमें से कोई भी क्वार्टर अनधिकृत कब्जे में पाया गया है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे कितने क्वार्टर हैं और उन क्वार्टरों पर किन लोगों का अनधिकृत कब्जा है; और

(घ) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) मिन्टो रोड क्षेत्र में विभिन्न टाइपों के सामान्य पूल के 94 क्वार्टर तुर्कमान गेट के बेदखलकारों को बसाने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण को सौंपे जा चुके हैं।

(ख) और (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण को सौंपे गये 94 क्वार्टरों में 71 क्वार्टर अनधिकृत व्यक्तियों के कब्जे में हैं।

(घ) अनधिकृत दखलकारों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की गई है।

एक एकड़ से कम भूमि के स्वामी ग्रामीण परिवार

632. **श्री सुनील मैत्रा** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1982 में जमीदारी उन्मूलन प्रणाली के समय ऐसी कोटि के ग्रामीण परिवार कितने प्रतिशत थे जिनके पास एक एकड़ से भी कम भूमि थी; और 1980 की स्थिति क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : वर्ष 1961-62 के दौरान राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के सत्तरहवें दौर में भूमि जोतों के बारे में सर्वेक्षण के परिणामों के अनुसार एक एकड़ से कम भूमि वाले परिवारों में 36.8 प्रतिशत ग्रामीण परिवार थे (उन परिवारों को छोड़कर जिनके पास या तो बिल्कुल भूमि नहीं थी अथवा जिनके पास 0.005 एकड़ से कम भूमि थी)। 1980 के लिए इसी प्रकार की सूचना उपलब्ध नहीं है।

ग्रामीण विकास के अन्तर्गत ग्रामीण जनता को वित्तीय सहायता

634. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ग्रामीण विकास के अन्तर्गत ग्रामीण जनता को वित्तीय सहायता देने के लिये इस समय अपनाई जा रही प्रक्रिया पेचीदी और समय नष्ट करने वाली है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रक्रिया को ठीक करने के लिये क्या कार्यवाही की गई ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) व (ख) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय सहायता देने की प्रक्रिया को उपदान घटक के सम्बन्ध में पर्याप्त रूप से सरल बनाया गया है । जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को जिला स्तर पर प्रमुख बैंकों को बचत बैंक खाता खोलने और इस खाते में देय उपदान को डेबिट करने हेतु बैंकों को प्राधिकृत करने के लिए कहा गया है । इससे एजेंसी द्वारा उपदान देने में विलम्ब कम हुआ है । जहां तक ऋण घटकों का सम्बन्ध है, इस बारे में निम्नलिखित कदम उठाए गए है :

(क) ऋण प्रक्रिया को सरल बना दिया गया है,

(ख) 5,000 रुपये तक गिरिसम्पत्तियों की भारी क्रांति के अलावा कोई प्रत्याभूति नहीं रखी गई है;

(ग) सरकार कमजोर वर्गों को ऋण प्रदान करने के लिए उनकी सेवाओं में सुधार करने हेतु बैंकों से लगातार बातचीत कर रही है ।

सिंचाई ग्रिडों का सर्वेक्षण

635. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सिंचाई ग्रिड बनाने के लिए सर्वेक्षण किया गया था;

(ख) यदि हां, तो ये सर्वेक्षण किस स्थिति में है; और

(ग) क्या महानदी और बगाई के प्रस्तावित ग्रिड के अन्तर्गत चित्तूर जिले को सिंचाई के लिए पानी किस प्रकार दिया जा सकता है, उसका पता लगाने के लिए सर्वेक्षण करने का आदेश दे दिया गया है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) : (क) से (ग) जी, नहीं । अधिक जल-संचयन जलाशयों और प्रायद्वीपीय नदियों की अन्तः सम्बद्ध लिंकों के निर्माण की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण आरम्भ करने का प्रस्ताव है ताकि कमी वाले क्षेत्रों को पानी उपलब्ध कराया जा सके ।

रायलसीमा और तेलंगाना को कृष्णा से पानी

636. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रायलसीमा और तेलंगाना को कृष्णा से पानी दिये जाने के बारे में सर्वेक्षण किया जा रहा है; और

(ख) यह कब आरम्भ किया गया था ?

सिंचाई मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

खेती पर मिट्टी की लवणता और जल अवरुद्धता का प्रभाव

637. **प्रो० रूप चन्द पाल** : क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मिट्टी की लवणता और जल अवरुद्धता के कारण बहुत सी भूमि स्थायी रूप से खेतों के लिये बेकार हो सकती है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) : (क) और (ख) जी, हां। इसलिए, भारत सरकार ने सिंचित कृषि-भूमि से अधिकतम लाभ प्राप्त करने तथा जल-जमाव को कम करने के उद्देश्य से सिंचाई और जल-निकास के संयुक्त उपयोग के लिए एकीकृत कार्यप्रणाली की एक नीति निर्धारित की है।

मध्य प्रदेश में पशु विहारों की स्थापना

638. **श्री सुभाष यादव** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में किन स्थानों में पशु विहार स्थापित किये जाने की सम्भावना है; और

(ख) इस प्रयोजन के लिए कितनी राशि का नियतन किया गया है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामिनाथन्) :

(क) मध्य प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित आश्रय स्थलों की स्थापना किए जाने की सम्भावना है :

1. रातमाती आश्रय स्थल हरदा जिला
2. लेसर फ्लोरीकन आश्रय स्थल रतलाम जिला
3. सिंगोरगढ़ आश्रय स्थल दमोह जिला
4. श्यामगिरी आश्रय स्थल पन्ना जिला
5. उदन्ती आश्रय स्थल रायपुर जिला

इसके अतिरिक्त, सिओनी तथा बस्तर जिलों में दो राष्ट्रीय पार्कों को स्थापित करने का भी प्रस्ताव है।

(ख) इस प्रयोजन के लिए आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा राज्य के बजट में निधि नियतन किया जाएगा।

विभिन्न नगरों में काम कर रहे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों द्वारा अनुभव की जा रही आवास कठिनाई

639. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच कि विभिन्न नगरों में काम कर रहे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को आवास की कमी के कारण अनेक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो महानगरों सहित ऐसे नगरों के नाम क्या हैं जहां पर यह समस्या विकट है;

(ग) उन नगरों में कितने कर्मचारी सरकारी आवास के लिये प्रतीक्षा कर रहे हैं; और

(घ) उनकी आवास समस्याओं को हल करने के लिए सरकार द्वारा उठाये जाने वाले कदमों का ब्योरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) यह सत्य है कि पात्र केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी सामान्य पूल में वास की कमी का सामना कर रहे हैं।

(ख) तथा (ग) 1-1-82 की स्थिति के अनुसार महानगरों और कतिपय अन्य शहरों में जहां सामान्य पूल वास विद्यमान हैं, सामान्य पूल वास की मांग, उपलब्धता और कमी संलग्न विवरण में दी गई है ।

(घ) छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान, त्वरित कार्यक्रम के अन्तर्गत दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, चण्डीगढ़, हैदराबाद और बंगलोर में 19,940 क्वार्टरों का निर्माण किये जाने का प्रस्ताव है।

विवरण

1 जनवरी, 1982 की स्थिति के अनुसार, विभिन्न शहरों में सामान्य पूल वास की मांग, उपलब्धता और कमी दर्शाने वाला विवरण ।

स्थान	मांग	उपलब्धता	कमी
1. दिल्ली	1,00,384	49,335	51,149
2. बम्बई	26,035	4,857	21,178
3. कलकत्ता	47,685	2,956	44,729
4. शिमला	3 825	663	3,162
5. नागपुर	7.648	1,063	6,585
6. फरीदाबाद	2,438	1,429	1,009
7. मद्रास	15,012	1,091	13,921
8. चण्डीगढ़	8,390	1,282	7,108
9. बंगलौर	7,123	173	6,950
10. गाजियाबाद	1,597	500	1,097
11. इन्दौर	449	164	285

सुवर्ण रेखा सिंचाई परियोजना के लिए विश्व बैंक की सहायता

640. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुवर्ण रेखा सिंचाई परियोजना का वित्तपोषण करने के लिये विश्व बैंक के साथ बातचीत आरम्भ हो गई है;

(ख) क्या विश्व बैंक के अधिकारी दल ने परियोजना स्थल का दौरा किया है;

(ग) यदि हां, तो उन्होंने दौरा कब किया था; और

(घ) उपरोक्त परियोजना क्रियान्वित करने के लिए विश्व बैंक से कुल कितनी सहायता किये जाने की सम्भावना है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) नवम्बर-दिसम्बर, 1981 और अप्रैल, 1982 में मूल्यांकन किया गया था।

(घ) सहायता की मात्रा के सम्बन्ध में बातचीत की जा रही है और उसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है।

केन्द्रीय भूमि और जल संरक्षण अनुसंधान केन्द्र द्वारा शुष्क गांवों को सिंचित क्षेत्रों में परिवर्तित करने सम्बन्धी परियोजना

641. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भूमि और जल संरक्षण अनुसंधान केन्द्र शुष्क गांवों को सिंचित क्षेत्रों में बदलने की विशेष परियोजनाओं का काम शुरू कर रहा है;

(ख) वर्ष 1981 में कौन-कौन सी परियोजनायें पूरी हो गई हैं और वर्ष 1982 के दौरान किन-किन परियोजनाओं का काम शुरू किया जाना है;

(ग) ऐसी परियोजनाओं को शुरू करने के लिए केन्द्र ने मध्य प्रदेश राज्य के कौन-कौन से विशेष क्षमता वाले जिलों को चुना है; और

(घ) वित्तीय सहयोग के रूप में मध्य प्रदेश सरकार ने क्या सहायता देने का वचन दिया है और अन्तर्राष्ट्रीय ऐजेंसियों से कितनी सहायता मिलने की आशा है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामिनाथन्) : (क) केन्द्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान संस्थान, देहरादून, उत्तर प्रदेश में स्थित है जिसके छः क्षेत्रीय केन्द्र में चण्डीगढ़, आगरा, कोटा, वसाद (गुजरात) बरेली तथा उटकमण्ड में कार्य करते हैं। इस संस्थान ने दो परिचालन अनुसंधान प्रायोजनायें सुखोमाजरी (चण्डीगढ़) तथा फकोट (टिहरी गढ़वाल, उत्तर प्रदेश) में स्थापित की हैं। इसके अतिरिक्त संस्थान के बरेली केन्द्र ने चित्रदुर्गा जिले (कर्नाटक) में जी० आर० हल्ली में परिचालन अनुसंधान प्रायोजना की स्थापना के लिए

कर्नाटक सरकार को परामर्श दिया। सूखे की स्थितियों के दौरान फसल को बचाने के लिए की जाने वाली सिंचाई के लिए पानी का बहाव रोकने तथा रुके पानी के पुनर्चक्र हेतु इन सभी परिचालन अनुसंधान प्रायोजनाओं ने अपने कार्यक्रम में तालाबों और छोटे जलाशयों को शामिल किया है। इस प्रकार, इन प्रदर्शनकारी प्रायोजनाओं के माध्यम से सूखे आदि की स्थितियों में फसल के चूकने को रोकने के लिए सीमित पूरक सिंचाई की जाती है। यह सूखे गांवों से सिंचित क्षेत्रों में पूर्ण परिवर्तन के रूप में नहीं समझा जा सकता।

(ख) और (ग) सन् 1981 के दौरान इन सभी तीन प्रायोजनाओं के निर्माण और प्लान्टिंग कार्य पूरे हो गये थे। पानी के बहाव, मृदा की क्षति और अग्रिम उत्पादन आदि से संबंधित संगत आंकड़े एकत्र किये जा रहे हैं। उपरोक्त प्रायोजनाओं के अलावा और अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजना (आई० सी० ए० आर०) के एक भाग के रूप में, सन् 1974-75 में इन्दौर (मध्य प्रदेश) में बारानी कृषि पर भारत-ब्रिटेन परिचालन प्रायोजना कार्यान्वित की गयी थी। 1979-80 में ब्रिटेन का सहयोग बन्द हो जाने के बाद उक्त प्रायोजना को छठी योजना (1980-85) के दौरान जारी रखा गया जिसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के सहयोग से कोष प्रदान किया। इन प्रायोजना में अपनाई गई प्रौद्योगिकी में मृदा और जल संरक्षण और मध्यम वर्षा वाली स्थितियों के अन्तर्गत गहरी काली मिट्टियों में प्रबन्ध प्रक्रिया शामिल है। प्रायोजना क्षेत्र में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए टोपोसिक्वेन्स के सम्बन्ध में उपयुक्त फसलों और फसल चक्रों को भी अपनाया गया। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर से गुना और सिद्धि जिलों में वाटर शेड के आधार पर इसी तरह की परिचालन अनुसंधान प्रायोजनाओं के लिए दो और प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के विचाराधीन है।

(घ) सिद्धि तथा गुना जिलों (म० प्र०) के लिए प्रस्तावित परिचालन अनुसंधान प्रायोजनाएं परिषद से 100% वित्तीय अनुदान से कार्यान्वित की जायेगी। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर कार्यान्वयन का अभिकरण होगा। इसलिए कोई वित्तीय सहायता की आवश्यकता नहीं है। इसलिए इस योजना के सम्बन्ध में राज्य सरकार या कोई अन्य अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरण से वित्तीय समर्थन की आवश्यकता नहीं है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा प्लाटों की नीलामी

642. **डा० वसन्त कुमार पण्डित :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1980 के प्रारम्भ से लेकर अब तक दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली के कुछ क्षेत्रों में भवन निर्माताओं को प्लाटों की नीलामी द्वारा बिक्री की है;

(ख) क्या शर्तों के अनुसार नीलामी में प्लाट खरीदने वाले व्यक्ति को 25 प्र० श० का भुगतान नीलामी स्थल पर ही करना होता है और शेष 75 प्र० श० का भुगतान 90 दिनों के भीतर करना होता है;

(ग यदि हां, तो ऐसे कौन कौन से खरीददार हैं, जिन्होंने नीलामी में प्लाट खरीदे हैं उन्हें कितने-कितने क्षेत्रफल के प्लाट बेचे गये हैं और वे कहां कहां स्थित है;

(घ) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण उन व्यक्तियों को भी भुगतान के मामले में समय की छूट दे रहा है, जो 90 दिन के भीतर-भीतर 75 प्र० श० बकाया का भुगतान करने में असफल रहे हैं;

(ङ क्या केन्द्रीय जाच ब्यूरो ने इन शिकायतों और आरोपों की जांच करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण की सम्बन्धित फाइलें जब्त कर ली हैं; कि इन चूककर्ता व्यक्तियों ने खुले विज्ञापन के माध्यम से जनता से भारी राशि एकत्र कर ली है तथा इन्हीं लोगों को फिर बेनामी नामों में अन्य नीलामियों में भाग लेने की अनुमति प्रदान कर दी गई थी; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की गई जांच का परिणाम क्या रहा और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार सबसे ऊंची बोली देने वाले को घन्टी बजने पर स्थल पर ही अपनी बोली की राशि का 25 प्र० श० जमा कराना अपेक्षित होता है। शेष 75 प्र० श० समाज सदनों में वाणिज्यिक प्लाटों के विक्रय के मामले में 15 दिन के अन्तर्गत दिया जाना होता है और डिस्ट्रिक्ट सेन्टर्स के वाणिज्यिक प्लाटों के विक्रय के मामले में 90 दिन के अन्तर्गत देना होता है।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है।

(घ) जैसे कि प्रश्न के भाग (ख) में उल्लेख किया गया है कि समाज सदनों तथा स्थानीय विपणन केन्द्रों के वाणिज्यिक प्लाटों के लिए 15 दिन के अन्तर्गत और डिस्ट्रिक्ट सेन्टरों के वाणिज्यिक प्लाटों के लिए 90 दिन के अन्तर्गत बोली की शेष 75 प्र० श० राशि जमा करानी अपेक्षित होती है। यदि पार्टी निर्धारित अवधि के अन्तर्गत शेष राशि जमा नहीं करती है और अदायगी के लिए समय वृद्धि के लिए अनुरोध करती है तो उनके मामले पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता है और समय वृद्धि प्रदान की जाती है। विलम्ब से भुगतान के लिए 18 प्र० श० प्रति वर्ष की दर से दण्डस्वरूप ब्याज लिया जाता है।

(ङ) और (च) सूचना एकत्र की जा रही है।

केन्द्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान में कुप्रबन्ध के सम्बन्ध में जांच समिति की रिपोर्ट

643. **डा० वसन्त कुमार पण्डित** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान के बारे में ज्योतिर्मय बसु की अध्यक्षता वाली जांच समिति की रिपोर्ट के प्रत्येक भाग में विशेष निष्कर्ष क्या हैं और किस पर जिम्मेदारी निर्धारित की गई ; और

(ख) ज्योतिर्मय बसु समिति की रिपोर्ट के निष्कर्षों के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है; यदि नहीं की है तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामिनाथन्) : (क) केन्द्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान में भेड़ों की अधिक मृत्यु दर को जांचने के लिए स्वर्गीय श्री ज्योतिर्मय बसु, संसद सदस्य की अध्यक्षता में गठित जांच समिति की रिपोर्ट तीन भागों में है। इस रिपोर्ट के भाग I के अनुबंध के साथ भाग III (अन्तिम रिपोर्ट) फरवरी, 1982 के दूसरे पक्ष में प्राप्त हुई थी। इस मामले के साथ सम्बन्ध न रखने वाले अधिकारियों की सहायता से रिपोर्ट की जांच की जा चुकी है और अब भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की शासी निकाय के विचाराधीन है। उक्त तथ्यों के संदर्भ में इस अवस्था में समिति के निष्कर्षों पर अपनी टिप्पणी देना उचित नहीं होगा।

(ख) जैसे ही परिषद की शासी निकाय रिपोर्ट की जांच पूरा कर लेगी और उस पर अपनी सिफारिश दे देगी, समिति के निष्कर्षों पर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

सरकार सरोवर (नर्मदा) परियोजना पर खर्च की गई धनराशि का हिस्सा

644. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरदार सरोवर (नर्मदा) परियोजना के निर्माण में भाग ले रहे राज्यों से किसी ने भी, 31 मार्च, 1982 तक हुए खर्चे की अपने हिस्से की धनराशि का अभी तक भुगतान नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो मार्च, 1982 तक प्रत्येक भागीदार राज्य का हिस्सा कितना है;

(ग) क्या यह सही है कि अकेले गुजरात ने ही अब तक इस बड़ी परियोजना पर सारा वित्तीय भार वहन किया है; और

(घ) यदि हां, तो इन राज्यों को समय से अपने अंशदान का भुगतान करने हेतु समझाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (घ) गुजरात सरकार ने, जो सरदार सरोवर परियोजना का कार्यान्वयन कर रही है, सूचित किया है कि मार्च, 1982 तक इस परियोजना पर उनके द्वारा 128.80 करोड़ रुपये व्यय किये जाने की प्रत्याशा है। भागीदार राज्यों के हिस्से की लागत निम्न प्रकार है :

1. गुजरात	75.51 करोड़ रुपए
2. महाराष्ट्र	15.40 करोड़ रुपए
3. मध्य प्रदेश	32.51 करोड़ रुपए
4. राजस्थान	5.38 करोड़ रुपए
जोड़	128.80 करोड़ रुपए

महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान के अन्य तीन भागीदार राज्यों द्वारा व्यय की उनके हिस्से की लागत के भुगतान से सम्बन्धित मामले को केन्द्र द्वारा इन राज्य सरकारों के साथ पहले ही सक्रिय रूप से उठाया गया है और उनसे अनुरोध किया गया है कि बकाया राशि का भुगतान 1982-83 से आरम्भ करके, तीन किस्तों में किया जाना चाहिए। इस मामले पर और आगे कार्यवाही की जा रही है।

सरदार सरोवर (नर्मदा) परियोजना हेतु वित्तीय सहायता

645. **श्री आर० वी० गायकवाड़** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सरदार सरोवर (नर्मदा) परियोजना जल्दी पूरी करने के लिए विश्व बैंक के अलावा अन्य किन्हीं स्रोतों से विदेशी सहायता प्राप्त करने की सभावनाओं का पता लगा रही है;

(ख) यदि हां, तो वे स्रोत कौन से हैं और कितनी सहायता मांगी गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने के लिए इस समय, इस परियोजना पर विचार-विमर्श किया जा रहा है। इसलिए, विश्व बैंक के अलावा अन्य स्रोतों से विदेशी सहायता प्राप्त करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

कच्चे काजू के मूल्यों में कमी

646. **श्री के० ए० स्वामी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कच्चे काजू के मूल्यों मे अचानक तेजी से आयी गिरावट के क्या कारण हैं;

(ख) क्या यह सच है कि परिष्कृत काजू, उत्पाद का मूल्य निरन्तर बढ़ता रहा है;

ग) इस असंगत स्थिति के क्या कारण हैं; और

(घ) काजू की खेती करने वालों को बेहतर मूल्य दिलाने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामिनाथन्) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य में गिरावट आने, मन्दे निर्यात, केरल राज्य सहकारी विपणन संघ से परि-संस्करणकर्त्ताओं और निर्यातकों द्वारा कम माल उठाये जाने के फलस्वरूप कच्चे काजू के मूल्य में गिरावट आयी है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। काजू के थोक मूल्यों में हाल के महीने मे गिरावट आयी है।

(घ) कच्चे काजू की एकाधिकार खरीद की योजना के अन्तर्गत केरल सरकार राज्य सर-

कार द्वारा निर्धारित मूल्यों पर केरल राज्य सहकारी विपणन संघ के माध्यम से कच्चा काजू खरीदती है। केरल सरकार केरल राज्य सहकारी विपणन संघ से अधिक काजू उठानेके लिए परिसंस्करण कर्ताओं और निर्यातकों से बातचीत कर रही है।

गया, नावादा और नालन्दा जिलों के गावों को पक्की सड़कों से जोड़ना

647. **श्री कुंवर राम** : क्या ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं जिन पर गया, नावादा और नालन्दा जिलों के गांवों को ग्रामीण विकास विभाग की सहायता से सड़कों से जोड़ने का काम चल रहा है;

(ख) इनमें से कितनी परियोजनाओं का काम वर्ष 1983-84 तक पूरा हो जाने की सम्भावना है; और

(ग) इन जिलों के कितने गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने की संभावना है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) से (ग) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी मौसमों में खुली रहने वाली सड़कों से गांवों को जोड़ने के लिए बिहार सहित राज्यों को सहायता सुलभ करने के लिए ग्रामीण विकास मन्त्रालय में कोई योजना नहीं है। ग्रामीण सड़क कार्यक्रम जो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का भाग है, राज्य क्षेत्र में है तथा इसके लिए राज्यों तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों की योजनाओं में व्यवस्था की जाती है।

बिहार में छोटे शहर विकास परियोजना

648. **श्री कुंवर राम** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटे शहर विकास परियोजनाओं क अन्तर्गत बिहार में नालन्दा, बिहार शरीफ, राजगढ़ नावादा और राजौली के विकास हेतु केन्द्र सरकार द्वारा कितनी धनराशि मंजूर की गई है और कितने समय के लिये; और

(ख) उसमें राज्य सरकार के अंशदान का अनुपात कितना है और स्वीकृत परियोजनाओं को कब तक कार्यान्वित किया जायेगा ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) उल्लिखित शहरों में से किसी भी शहर को केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी भी योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता नहीं दी जा रही है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

पिछले दो वर्षों के दौरान बिहार की मंजूर की गई सिंचाई परियोजनायें

649. **श्री कुंवर राम** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार ने पिछले दो वर्षों के दौरान बिहार की कितनी सिंचाई परियोजनायें मंजूर कीं;

(ख) लम्बित परियोजनाओं के नाम क्या हैं और प्रत्येक परियोजना कब से लम्बित है;

(ग) मंजूर शुदा परियोजनाओं के लिये चालू वर्ष में कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(घ) उक्त धनराशि में से कितनी धनराशि व्यय किये जाने की सम्भावना है ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर रहमान अन्सारी) : (क) जुलाई, 1980 से जून, 1982 तक बिहार की बारह ब्यम सिंचाई स्कीमें अनुमोदित की गईं ।

(ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें 30-6-82 की स्थिति के अनुसार उन परियोजनाओं का ब्योरा दिया गया है जिनकी जांच की जा रही है ।

(ग) और (घ) निर्माणाधीन और नई बृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिए 1982-83 के लिए योजना आयोग द्वारा 169.07 करोड़ रुपये का परिव्यय मंजूर किया गया है जिसके राज्य सरकार द्वारा इसी वर्ष में खर्च किए जाने की आशा है ।

विवरण

30-6 82 की स्थिति के अनुसार, बिहार की उन परियोजनाओं का ब्योरा जिनकी जांच की जा रही है

क्रम सं०	परियोजना का नाम	बेसिन	अनुमानित लागत (लाख रुपये)	लाभ (हजार हैक्टेयर)	केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त होने की तारीख
1	2	3	4	5	6
	(क) बृहद स्कीमें				
1.	बरारी पम्प नहर स्कीम (भागलपुर)	गंगा	755.82	9 37	20-7-76
2.	सिक्तिया बराज (भागलपुर)	गंगा	6603.00	40.59	अक्तूबर, 76
3.	कोनार जलाशय से सिंचाई (हजारीबाग)	गंगा	2976.00 (विद्युत तत्व को छोड़कर)	62.82	26-12-77
4.	कमला सिंचाई स्कीम का आधुनिकीकरण	कमला	1149.00	25.95	14-4-82

1	2	3	4	5	6
5.	तिलैया जल का घाघरे में व्यपवर्तन (नवादा)	दामोदर	46.74	31.70	15-10-74
6.	औरंगा जलाशय परियोजना (पलामऊ)	सोन	12540	55.4	9-12-81
7.	कांची सिंचाई स्कीम का पुनरूपण (रांची)	सुवर्णरेखा	485.57	16.19	अगस्त, 81
8.	अपर सकरी जलाशय स्कीम (नवादा, हजारीबाग और मुंगेर)	गंगा	5975.23	58.20	10-4-78
9.	कोइल-कारो सुवर्णरेखा अन्त: बेसिन सिंचाई परियोजना (सिंहभूम)	सुवर्णरेखा और ब्राह्मणी	10592.77	302.23	5-4-80
10.	सुखसेनघाट पम्प नहर स्कीम (संथाल परगना)	गंगा	1229.69	24.36	22-4-81
11.	पुनपुन दरधा (सिंचाई स्कीम) (गया और पटना)	गंगा	2077.67	57.88	30-4-81
12.	बिहार में बाणसागर के जल के उपयोग के सम्बन्ध में परियोजना रिपोर्ट (रोहतास, शाहबाद और गया)	सोन	2263.00	स्थिरीकरण	30-7-80
13.	उत्तरी कोईल जलाशय परियोजना (पलामऊ)	सोन	11377.00	109.42	30-11-79
14.	पुनासी जलाशय स्कीम (संथाल परगना)	अजय	2509.00	24.29	11-11-79
15.	मसान जलाशय परियोजना (पश्चिमी चम्पारन)	गंगा	3472.92	27·075	अक्तूबर, 80
16.	ऊजगेबीनाथ पम्प नहर स्कीम (भागलपुर)	गंगा	1680.00	17.206	22-12-78
17.	बागमती परियोजना	बागमती	18570.00	121.20	18-8-81

1	2	3	4	5	6
18.	सुवर्णरेखा बहुप्रयोजनी परियोजना	सुवर्णरेखा	48090.00	241.873	दिसम्बर, 1980
19.	कनहार जलाशय स्कीम (पलामऊ)	सोन	10100.00	110.93	23-10-75
	(ख) मध्यम स्कीमें				
1.	हाथू जलाशय स्कीम	सोन	643.64	5.67	अप्रैल, 1982
2.	धनसिंह टोली जलाशय स्कीम	कोइल-कारो	476.2	2.98	अप्रैल, 1982
3.	सतरोतका जलाशय स्कीम (सिंहभूम)	दक्षिणी कोईल	553.49	2.35	8 3-82
4.	केशो जलाशय स्कीम	बराकर (दामोदर)	434.34	3.4	अप्रैल, 1982
5.	इजरी जलाशय स्कीम (धनबाद)	दामोदर	640.23	18.3	26-2-81

विशेष घटक योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के लोगों के विकास के लिए दी गई धनराशि

650. **श्री सूरजभान :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय में विशेष घटक योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के लोगों की बेहतरी और विकास के लिए 1980-81 और 1981-82 के वर्षों के लिए पृथक-पृथक कुल कितनी धनराशि की व्यवस्था की गई है;

(ख) उपरोक्त योजना के अन्तर्गत गत दो वर्षों के दौरान वास्तव में पृथक-पृथक कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ग) प्रत्येक वर्ष में खर्च न किये जाने/कम खर्च करने के क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामिनाथन्) : (क) से (ग) वर्ष 1980-81 और 1981-82 के लिये कृषि और सहकारिता विभाग की केन्द्रीय और केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के विकास के लिये निर्धारित परिव्यय निम्नलिखित हैं :

(लाख रुपये)

	1980-81	1981-82
1. अनुसूचित जातियों के विकास के लिए निर्धारित परिव्यय	15.14	496.50
2. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लाभ के लिये निर्धारित संयुक्त परिव्यय	94 91	121.56*
कुल	110.05	618.06

*. यह उन योजनाओं के परिव्यय का द्योतक है जिससे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों दोनों के लोगों को लाभ होगा और लाभ को पृथक करना सम्भव नहीं है।

उपर्युक्त परिव्यय, कुल परिव्ययों का एक भाग हैं जिनकी विभिन्न कार्यक्रमों के लिये व्यवस्था की गई है। अनुसूचित जातियों के लिये निर्धारित परिव्ययों में से व्यय के अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

पंजाब के गोदामों में चावलों का सड़ना

651. **श्री धर्मवीर सिंह** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब की चावल मिलों में गत दो वर्षों से 25 करोड़ रुपये के मूल्य का चावल इकट्ठा हो गया है;

(ख) क्या पंजाब चावल मिलर्स एसोसिएशन ने सरकार को, वसूल करने वाली एजेन्सियों के माध्यम से चावल भन्डारों की खरीद करने के लिए अभ्यावेदन किया है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) क्या यह सच है कि पंजाब के गोदामों में बड़ी मात्रा में चावल सड़ गया है;

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उपमंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) से (घ) पंजाब चावल मिल मालिक एसोसिएशन से उनके पास उपलब्ध चावल के स्टाक की बिक्री के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है और सरकार के पास पंजाब के मिल मालिकों के चावल के स्टाक की मात्रा और किस्म के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

यमुनापार क्षेत्र में कालोनियों का विकास

652. **फूल चन्द वर्मा** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यमुनापार क्षेत्र, दिल्ली में कालोनियों का विकास के बारे में 29 मार्च, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5670 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शकरपुर के मकान मालिकों से विकास शुल्क प्राप्त किया गया था;

(ख) यदि नहीं, तो सही स्थिति क्या है;

(ग) उस भूमि के स्वामियों को कितनी धनराशि मुआवजे के रूप में दी गई जो कि सरकारी भूमि बताई जाती है जहां शकरपुर बसा हुआ है;

(घ) शकरपुर में अर्जित की गई भूमि के लिए सरकार द्वारा भूमि के स्वामियों को कितने मुआवजा दिया गया; और

(ङ) उन स्वामियों के विरुद्ध कितने मामलों में कानूनी कार्यवाही की गई है जिन्होंने मुआवजा स्वीकार करने के बाद भी अपनी भूमि बेची; उन दैनिक समाचार पत्रों की संख्या, उनके नाम, और वे तारीखें क्या हैं, जिनको शकरपुर में उस अर्जित की हुई भूमि को न खरीदने की चेतावनी दी गई थी जिसके लिए सरकार ने मुआवजा दिया है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि इस कालोनी के कुछ निवासियों ने विकास प्रभार के रूप में 1,72,937.45 रुपये की राशि जमा की है।

(ग) तथा (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि अब तक घोषित शकरपुर गांव के अवार्डों के सम्बन्ध में भूमि के मालिकों को 10,97,377.28 रुपये की राशि दी गई है।

(ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि यमुनापार क्षेत्र में मार्च, 1980 की अवधि से अवैधानिक रूप से भूमि के अन्तरण के विरुद्ध उसने 90 शिकायतें दर्ज की हैं; उनमें से 11 शिकायतें शकरपुर के बारे में हैं।

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने खुरेजी खास क्षेत्र जिसमें शकरपुर भी शामिल है, में भूमि की अवैध बिक्री के विरुद्ध नीचे लिखे आठ समाचार पत्रों में उनके सामने लिखी तारीखों को चेतावनी जारी की थी।

समाचारपत्र का नाम	अंक की तारीख
1. इंडियन एक्सप्रेस	2-7-81 और 4-7-81
2. नेशनल हेरल्ड	वही
3. पैट्रीआट, नई दिल्ली	वही
4. स्टेट्समैन, दिल्ली	वही
5. नवभारत टाइम्स	वही
6. हिन्दुस्तान, दिल्ली	वही
7. टाइम्स आफ इण्डिया	23-7-81 तथा 30-7-81
8. हिन्दुस्तान टाइम्स	वही

सतलुज यमुना लिंक नहर

653. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सतलुज यमुना लिंक नहर (एस० के० एल०) परियोजना के कार्यान्वयन में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) इसे पूरा होने में कितना समय लगेगा ?

सिंचाई मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) : (क) और (ख) सतलुज-यमुना लिंक का हरियाणा में पड़ने वाला कुल 75.72 कि० मी० लम्बा भाग पूरा हो गया है। पंजाब में पड़ने वाली 108.5 कि० मी० की दूरी के सम्बन्ध में, परस्पर सम्मत संरेखण को अन्तिम रूप दे दिया गया है और निर्माण के लिए प्रारम्भिक कार्य आरम्भ कर दिए गए हैं। लगभग 1.5 लाख घन मीटर मिट्टी का कार्य भी पूरा हो जाने की सूचना मिली है।

इस परियोजना को 1983-84 तक पूरा किया जाना अनुसूचित है।

कृषि के विकास के लिए पी० एल०-480 सहायता

654. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कृषि के विकास से सम्बन्धित योजनाओं को चलाने के लिए पी० एल०-480 के अन्तर्गत सहायता मिल रही है;

(ख) यदि हां, तो योजनाओं के राज्यवार आंकड़े क्या हैं और उनका ब्यौरा क्या है जो वित्त पोषित की जा रही हैं और पी० एल० 480 के अन्तर्गत चल रही है; और

(ग) उन नई योजनाओं का क्या ब्यौरा है जिन्हें सरकार द्वारा 1982-83 के दौरान शुरू किये जाने का विचार है, उनका ब्यौरा क्या है तथा वे किन स्थानों पर शुरू की जायेंगी ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामिनाथन्) : (क) जी नहीं, श्रीमान्। पी० एल०-480 कोष (जिसे अब यू० एस० हैल्ड स्पेशल फन्ड कहा जाता है) केवल कृषि अनुसंधान के लिए उपयोग में लाया जाता है न कि विकास योजनाओं के लिए।

(ख) कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में अनुसंधान योजनाओं के राज्यवार आंकड़े परिशिष्ट-1 में दिये गए हैं जिनको यू० एस० हैल्ड स्पेशल रूपी फन्डस के अन्तर्गत वित्तीय सहायता दी जाती है।

[ग्रंथालय में रखा गया—देखिए संख्या एल० टी० 4225/82]

(ग) पहले से नयी योजनाओं की सही संख्या बतलाना कठिन है जिन्हें कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में अन्ततः अनुमोदित करना है और 1982-83 के दौरान हाथ में लेना है। अभी तक 1982-83 के दौरान 9 योजनाएं अनुमोदित की जा चुकी हैं और अधिक योजनाओं की छानबीन की जा रही है। अनुमोदित की गयी 9 योजनाओं का विस्तृत विवरण परिशिष्ट-2 में दिया जा रहा है।

ग्रंथालय में रखा गया—देखिए संख्या एल० टी० 4225/82]

गहरे समुद्र से मछली पकड़ने के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन

655. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में हाल ही में गहरे समुद्र से मछली पकड़ने के बारे में एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इस विचार विमर्श के परिणामस्वरूप प्राप्त हुए मुख्य सुझाव क्या है;

(ग) क्या भारत में मछली पकड़ना अब केवल "श्रिम" मछली तक ही सीमित है और विशाल तट रेखा अभी तक एक हिस्से का भी विदोहन नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार देश में समुद्र से मछली पकड़ने का पूरा उपयोग करने और विदोहन करने के लिए एक रूपरेखा बनाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामिनाथन्) : (क) नई दिल्ली में हाल ही में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के बारे में एक सम्मेलन हुआ था, जिसमें कुछ विदेशी प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।

(ख) यह सम्मेलन भारतीय मात्स्यकी उद्योग संघ द्वारा आयोजित किया गया था। सरकार को आयोजकों से सम्मेलन की कार्यवाही प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) जी, नहीं। पकड़ी जाने वाली कुल मछलियों में श्रिम्प मछली का भाग केवल लगभग 10 प्रतिशत होता है। तट रेखा के साथ समुद्र के 2 लाख वर्ग किलोमीटर से कुछ अधिक क्षेत्र का फिलहाल उपयोग किया जा रहा है।

(घ) और (ङ) छठी योजना के अन्तर्गत भारत सरकार के पास समुद्री मात्स्यकी संसाधनों का पूरा उपयोग करने के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण योजनाएं हैं :

(i) विदेशी जलपोतों को किराए पर लेकर, संयुक्त उद्योग आयात और देशी निर्माण के माध्यम से मछली पकड़ने वाले बेड़े में वृद्धि करना।

(ii) मत्स्यन जलयानों की खरीद के लिए आसान किस्तों पर ऋण उपलब्ध कराना, जो देशी जलयानों की लागत का 95 प्रतिशत तथा आयातित जलयानों की लागत का 90 प्रतिशत होगा और जिसे एक वर्ष की मोहलत के बाद 15 वार्षिक किस्तों में अदा किया जाएगा।

(iii) देश में निर्मित जलयानों की लागत पर 33 प्रतिशत की राजसहायता देना;

(iv) बड़े और आधुनिकतम जलयानों के माध्यम से मात्स्यिकी सर्वेक्षण तेज करना;

(v) जनशक्ति की आवश्यकताओं के लिए प्रशिक्षण सम्बन्धी सुविधाओं को बढ़ाना।

(vi) बड़े और छोटे बन्दरगाहों पर मत्स्यन पत्तनों का निर्माण करना और छोटे मत्स्यन केन्द्रों पर माल उतारने और जहाज ठहराने की सुविधाएं मुहैया करना।

(vii) भारतीय समुद्रीय क्षेत्र (विदेशी जलयानों द्वारा मत्स्यन का विनियमन) अधिनियम, 1981 को लागू करके विदेशी जलयानों द्वारा मत्स्यन का विनियमन करना ।

(viii) खारे जल की मछली/झींगा पालन के लिए सहायता उपलब्ध कराना ।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निदेशक मण्डलों की नियुक्ति

656. **श्री भीखा भाई** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और उनके सहायक संस्थानों के नाम क्या हैं जो उनके मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं तथा इन उपक्रमों के जिन निदेशक मंडलों में गैर सरकारी निदेशकों/अंश-कालिक निदेशकों की नियुक्ति होनी है;

(ख) उन मण्डलों का गठन किस तारीख से किया गया और उनका वर्तमान काल कब पूरा हो रहा है;

(ग) क्या यह सच है कि इन उपक्रमों के निदेशक मण्डलों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को गैर-सरकारी निदेशकों/अंश-कालिक निदेशकों के तौर पर कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया; और

(घ) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और उनके सहायक संस्थानों के सभी मण्डलों में गैर-सरकारी निदेशक/अंशकालीन निदेशक के तौर पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कम से कम एक व्यक्ति नामजद करने के लिए आवश्यक आदेश जारी कर दिये हैं ।

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) : (क) जल तथा विद्युत सलाहकार सेवाएं (भारत) लिमिटेड (वैपकोस) । इस सरकारी उपक्रम के अधीन कोई सहायक संगठन नहीं है ।

(ख) से (घ) जल तथा विद्युत सलाहकार सेवाएं (भारत) लिमिटेड (वैपकोस) 1969 में स्थापित किया गया था । प्रबन्ध निदेशक के अलावा, निदेशक मंडल में दस नाम निर्देशित अंशकालिक निदेशक हैं जो विभिन्न मन्त्रालयों/विभागों के वरिष्ठ अधिकारी हैं और जो अपने संगठनों में वैपकोस के हित के विषयों को संभालते हैं । अधिवार्षिता या स्थानान्तरण के कारण वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कार्यमुक्त हो जाने पर उनके स्थान पर आने वाले अधिकारी स्वत इसके सदस्य हो जाते हैं । क्योंकि वैपकोस में कोई गैर-सरकारी निदेशक नहीं है और इसके संस्थागत गठन को ध्यान में रखकर, प्रशासनिक दृष्टि से यह व्यवस्था करना व्यवहार्य नहीं होता कि वैपकोस के निदेशक मंडल में कम से कम एक सदस्य अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का होना चाहिए ।

यमुना बिहार में बरसाती पानी की नालियों का निर्माण

657. **श्री जैनुल बशर** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी० डी० ए० कालोनी यमुना बिहार में बरसाती पानी के लिए पक्की नालियों का निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के बजट में योजना और खर्च

658 **डा० ए० यू० आजमी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की 1974-75 से 1981-82 तक वर्षवार बजट योजना क्या थी; संशोधित आंकलन व्यवस्था और पूरे वर्षों के दौरान नवम्बर तक और प्रत्येक वर्ष मार्च के दौरान वास्तव में कितनी धनराशि को उपयोग में लाया गया;

(ख) क्या 1979-80 1981-82 तक योजना के उपयोगी करने में कोई गिरावट आयी है जिसका कि 1978-79 के अन्त तक कोई मामला नहीं था और क्या प्रत्येक वर्ष मार्च के दौरान दी गई धनराशि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के पहले आठ महीनों की तुलना में अत्यन्त अधिक रही है;

(ग) यदि हां, तो सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है; और

(घ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा अनुसंधान में भारी खर्च करने के बावजूद अनुसंधान राजस्व प्राप्तियां इतनी कम क्यों है; अनुसंधान राजस्व प्राप्तियों से अधिक फसल देने वालीं प्रौद्योगिकी भी बढ़नी चाहिए लेकिन क्या भारतीय कृषि अनुसधान परिषद में ऐसा हो रहा है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी वर्षवार ब्योरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामिनाथन्) : (क) से (ग) योजना बजट अनुमान, संशोधित अनुमान, पूरे वर्ष हेतु वास्तविक योजना खर्च और प्रत्येक वर्ष के नवम्बर मास तक के लिए और प्रत्येक वर्ष के मार्च में, खर्च के सम्बन्ध में सूचनाओं से सम्बन्धित एक विवरण संलग्न है ।

जहां वर्ष 1979-80 हेतु संशोधित बजट आवंटन के उपयोग में 2.14 करोड़ रुपये की गिरावट आई, वहीं वर्ष 1980-81 में योजना के अन्तर्गत संशोधित अनुमान हेतु उपलब्ध कराई गई राशि का तुलनात्मक उपयोग पूर्ण से अधिक हुआ । दो वर्ष (1979.81) के लिए योजना के अन्तर्गत वास्तविक खर्च दो वर्षों के संशोधित अनुमानों की राशि के योग से अधिक रहा । यह कहना सही नहीं है कि 1979 80 से पहले उपयोग में गिरावट नहीं आई । 1974-75 में और पुनः 1978-79 में संशोधित अनुमानों के अनुसार उपलब्ध करायी गयी निधि की तुलना में उपयोग में क्रमशः 45 लाख रुपये और 105 लाख रुपये की कमी आई ।

1978-79 की तुलना में 1979 80 में योजना खर्च में गिरावट इसलिए आई कि 1977-78 तक के कुछ वचनबद्ध खर्च को गैर-योजना में परिवर्तित कर दिया गया जिसके कारण 1979-80 के गैर योजना खर्च में भारी वृद्धि हुई । 1974-75 से प्रत्येक वर्ष के लिए शिक्षा और अनुसंधान पर योजना और गैर-योजना खर्च की पूरी तस्वीर नीचे दी जा रही है :

(रुपये लाखों में)

वर्ष	गैर-योजना	योजना	योग
1974-75	1327.48	1455.37	2782.85
1975-76	1679.28	2285.44	3964.72
1976-77	1756.19	2910.75	4666.94
1977-78	1902.58	3920.27	5822.85
1978-79	2033.92	4764.69	6798.61
1979-80	3145.80	3985.56	7131.36
1980-18	3400.04	4231 10	7631.14
1981-82——लेखा को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है——			

उपरोक्त तथ्यों से पता चलेगा कि खर्च का रुख इन वर्षों में आरोही रहा है। योजना खर्च का प्रवाह अन्य महीनों की तुलना में मार्च महीने में अधिक होता है।

(घ) भा० कृ० अ० प० का मुख्य उद्देश्य कृषि, पशुपालन और मछली पालन में अनुसंधान और शिक्षा के विषयों पर कार्य करना, सहायता देना, प्रोत्साहन देना और समन्वय स्थापित करना है। भा० कृ० अ० प० का व्यय अनुसंधान और शिक्षा पर होता है न कि उत्पादन पर। भा० कृ० अ० प० के संस्थानों के राजस्व का मुख्य स्रोत प्रायोगिक फार्मों द्वारा कृषि और पशुधन उत्पाद और टीकों आदि की बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि है। चूंकि प्रायोगिक फार्म, विभिन्न प्रकार के जननद्रव्यों जिनमें विभिन्न गुण, जैसे रोग प्रतिरोधिता, सूखा प्रतिरोधिता, शीत-सहिष्णुता आदि हों, के विस्तृत पैमाने पर अनुरक्षण के लिए हैं, जीवों की संख्या के पृथक्करण को बढ़ाने के लिए बड़ी संख्या में पौधे और पशुओं का चयन करना होता है जोकि चयन के आकार और निर्देशों पर आधारित होता है। पौध या पशु सुधार कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य तत्काल उत्पादन अथवा उपलब्धि न होकर अनुवंशिक अस्थिरता के रोग रोधी स्रोतों का प्रजनल और अनुरक्षण है। इसलिए उपरोक्त कार्य द्वारा परिषद को प्राप्त आगमात्र आनुषंगिक है तथा इसका अनुसंधान पर किये जाने वाले खर्च से कोई सीधा संबंध नहीं है। फिर भी, नीचे दर्शाये गये राजस्व प्राप्ति विवरण से यह पता चलता है कि इसका रूख भी वृद्धि की ओर है :

(I) 1978-79—रु० 297-01 लाख

(II) 1979-80—रु० 387.17 "

(III) 1980-81—रु० 442.33 "

विवरण

(लाख रुपयों में)

वर्ष	योजना		वास्तविक व्यय	नवम्बर मास तक हुआ व्यय	मार्च महीने के दौरा हुआ
	ब० अ०	स० अ०			
1974-75	2200.00	1500.40	1455.37	593.39	540.70
1975-76	2300.00	2123.50	2285.44	784.47	550.84
1976-77	2750.00	2900.00	2910.75	1185.46	787.54
1977-78	3674.00	3874.00	3920.27	1530.79	1217.00
1978-79	5100.00	4870.14	4764.69	1627.89	1559.64
1979-80	5500·00	4200.00	3985.56	1095.88	1895.74
1980-81	5949.00	4002.22	4231.10	1279.32	1442.28
1981-82	6500.00	4734.01	—लेखा अभी पूर्ण नहीं—		

दुग्ध उत्पादकों का सहकारी समितियों को दूध बेचना बन्द करना

659. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :**

श्री धर्मवीर सिन्हा :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु के दुग्ध उत्पादकों ने 28 जून, 1982 से लाभप्रद मूल्यों की मांग पर जोर देने के लिए सहकारी समितियों और अन्य नियमित खरीददारों को दूध बेचना बन्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार इस स्थिति से निपटने और लोगों को दूध उपलब्ध कराने के लिए क्या विचार कर रही है;

(ग) क्या यह भी सच है कि मदर डेरी के दूध के मूल्यों में वृद्धि के कारण दिल्ली दुग्ध योजना के दूध, जिसके दाम नहीं बढ़ाये गये हैं, के बूथों में लोगों की कतार में भीड़ होने लगी है, और

(घ) यदि हां, तो सरकार का विचार इस स्थिति से किस प्रकार निबटने का है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामिनाथन्) : (क) और (ख) हाल ही में दुग्ध उत्पादकों के एक वर्ग ने दूध के मूल्यों में वृद्धि करने सम्बन्धी अपनी मांगों के मनवाने के लिये आन्दोलन किया था । यह आन्दोलन अब समाप्त कर दिया गया ।

दिल्ली दुग्ध योजना और दिल्ली मदर डेरी को छोड़कर सभी दुग्ध सप्लाई योजनायें सम्बन्धित राज्य सरकारों/राज्य डेरी विकास निगमों/राज्य दुग्ध विपणन संघों जैसी राज्यों द्वारा प्रायोजित एजेन्सियों द्वारा चलायी जाती है, जो अपनी-अपनी योजनाओं के लिए दूध खरीदती हैं । दिल्ली दुग्ध योजना और दिल्ली मदर डेरी भी राज्य एजेन्सियों के माध्यम से दूध खरीदती हैं । दुग्ध का खरीद मूल्य सम्बन्धित राज्य स्तर की एजेन्सियों द्वारा तय किया जाता है ।

(ग) और (घ) मदर डेरी के दूध के मूल्यों में संशोधन होने के पश्चात दिल्ली दुग्ध योजना के दुग्ध केन्द्रों पर ज्यादा व्यक्ति लाइनों में दूध के लिए खड़े पाये जाते हैं । "पहले आये पहले पाये" के आधार पर उपभोक्ताओं को दूध का सामान वितरण सुनिश्चित करने के लिए किसी भी अकेले उपभोक्ता को एक समय 6 बोतलों से ज्यादा दूध देने की अनुमति नहीं है ।

भूमिहीन लोगों की संख्या और अनुपात

660. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या निर्माण और आवास मंत्री 12 अप्रैल, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7447 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों और संघ प्रदेशों में ऐसे लोगों की कुल संख्या और अनुपात कितना है जो भूमिधारक हैं तथा उनके पास कुल खेतिहर और उपजाऊ भूमि का कितना भाग है;

(ख) क्या सीमांत और छोटे किसानों की भूमिधरी को बनाये रखने तथा सहकारी फार्म के साथ स्व नियोजित कृषि उद्योगों की स्थापना के बारे में सुनिश्चित करने का प्रस्ताव है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) मार्च, 1983 में भूमि सुधार साधन पूर्णरूपेण लागू किए जाने के बारे में सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन, राजनीति और वैधानिक स्तर पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) 12 अप्रैल, 1982 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 7447 के उत्तर में बताई गई प्रचालन जोतों की संख्या तथा बड़ी श्रेणियों के अधीन प्रचालित क्षेत्र के बारे में दिए गए आंकड़े अद्यतन कृषि गणना, 1976-77 के परिणामों पर आधारित हैं।

(ख) विभाजन, बिक्री, विनियम उपहारों, वसीयत आदि के माध्यम से होने वाले जोतों के उप-विभाजन पर रोक लगाने के लिए कई राज्यों में प्रावधान बनाए गए हैं जिसके परिणामस्वरूप जोतों के ऐसे छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं जिन पर काश्त करना अलाभकारी होता है।

वर्तमान नीति सहकारी सोसायटियों के गठन को प्रोत्साहित करने की है जिससे सदस्यों को सुधरी प्रौद्योगिकी, कृषि निवेश सुलभ किए जाने हैं ताकि वे भूमि पर लाभकारी ढंग से व्यक्तिगत आधार पर खेती कर सकें।

(ग) भूमि सुधार के कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। नए 20-सूत्री कार्यक्रम के संदर्भ में उनसे अनुरोध किया गया है कि वे अधिकतम सीमा से फालतू भूमि का वितरण शीघ्र करें और इस दिशा में अदालतों में लम्बित पड़े मामलों को शीघ्र निपटान सुनिश्चित करें।

उत्तर प्रदेश में किसानों को देय गन्ने की बकाया धनराशि

661. **श्री अशफाक हुसैन** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादक किसानों को कुल कितनी धनराशि देनी बकाया है और तत्सम्बन्धी मिल वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन बकाया राशियों के भुगतान के लिये अब तक क्या आवश्यक कार्यवाही की गई और उसका क्या परिणाम निकला;

(ग) क्या यह सच है कि गन्ने की बकाया राशि 15 जून, 1982 को 106 करोड़ रुपए से भी अधिक थी और क्या सरकार किसानों को गन्ने की सप्लाई के 15 दिनों के भीतर गन्ने की बकाया राशि 50% भुगतान तथा एक महीने के भीतर पूरे भुगतान के लिए कोई मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित करेगी ताकि उनको निर्धारित सीमा में बकाया राशि का भुगतान किया जा सके; और

(घ) क्या सरकार इस प्रस्ताव पर भी विचार करेगी कि यदि मिलों द्वारा गन्ने की बकाया राशि का भुगतान गन्ने की सप्लाई के एक महीने के भीतर न किया जाये तो किसानों को उस पर 18% ब्याज दिया जाये ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उपमंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) 15 जून, 1982 तक चीनी फैक्ट्रियों द्वारा देय गन्ने के मूल्य की 103.71 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया जाना शेष था जिसमें 2.72 करोड़ रुपए की राशि 1980-81 और अतीत के मौसमों से सम्बन्धित थी। 15 जून, 1982 तक उत्तर प्रदेश के गन्ना सम्भरणकर्ताओं को अदा की जाने वाली गन्ने की बकाया राशि का ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

[ग्रथालय में रखा गया—देखिए संख्या एल० टी० 4226/82]

(ख) गन्ने के मूल्य के बकायो का भुगतान करवाने की जिम्मेदारी मुख्यतया राज्य सरकार की होती है। तथापि, केन्द्रीय सरकार द्वारा भी समय-समय पर स्थिति की समीक्षा की जाती है और राज्य सरकारों को परामर्श दिया जाता है कि वे बकायों का तुरन्त भुगतान करवाने की व्यवस्था करें। गन्ने और चीनी के प्रत्याशित रिकार्ड उत्पादन को देखते हुए भारत के रिजर्व बैंक से पुरजोर अनुरोध किया गया है कि वे चीनी मिलों की नकद ऋण सीमा को गत मौसम के दौरान लिए गए अधिकतम ऋण के 25 प्रतिशत तक बढ़ा दें। इसके अलावा, भारत का रिजर्व बैंक और अधिक ऋण सुविधाएं देने के लिए व्यक्तिगत मामलों पर भी विचार करता है। आशा है कि इन उपायों से चीनी फैक्ट्रियां गन्ने के मूल्य का तुरन्त भुगतान कर पाएंगी।

(ग) और (घ) 15 जून, 1982 तक गन्ने के बकायों की कुल राशि 103.73 करोड़ रुपए थी। गन्ना (नियन्त्रण) आदेश, 1966 के सांविधिक उपबन्धों के अनुसार, चीनी मिलों से अपेक्षा की जाती है कि वे खरीदारी की तारीख से 14 दिनों के अन्दर-अन्दर गन्ने के मूल्य का पूरा भुगतान कर दें और यदि उस अवधि के बाद भुगतान किया जाता है तो वे 15 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करें। इस व्यवस्था को पर्याप्त समझा जाता है और फिलहाल इसमें परिवर्तन करने का कोई विचार नहीं है।

विदेशों में कार्यरत भारतीय कम्पनियों द्वारा प्राप्त किये गये निर्माण ठेके

662- **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों से 1979-81 के दौरान वर्षवार कितने मूल्य के सिविल निर्माण ठेके प्राप्त किये गये;

(ख) क्या यह सच है कि गत दो वर्षों के दौरान विदेशों में सिविल निर्माण ठेकों में कमी आई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जहां तक निर्माण और आवास मंत्रालय का सम्बन्ध है, एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम समिति जो इस मत्रालय के संरक्षण में कार्य कर रहा है, ने विदेश में निर्माण ठेके प्राप्त किये हैं। इन प्राप्त ठेकों की लागत इस प्रकार है :

वर्ष	ठेकों की लागत (करोड़ों रुपयों में)
1978-79	63.85
1979-80	68.46
1980-81	29.64

(ख) और (ग) जी, हां। सामान्य रूप से गत्यावरोध के निम्नलिखित कारण हैं :

(i) इराक और ईरान के बीच युद्ध छिड़ना जिससे कि इराक में विकास की गतिविधियां प्रभावित हुई हैं;

(ii) दक्षिण पूर्व एशियाई देशों विशेषकर दक्षिणी कोरियाई कम्पनियों में कड़ी प्रतिस्पर्द्धा क्योंकि ये बहुराष्ट्रीय प्रकृति की है और इन्हें प्रबल वित्तीय समर्थन प्राप्त है तथा अपनी सरकारों तथा बैंकों से आसान शर्तों पर ऋण प्राप्त होता है।

(iii) निजी क्षेत्रों की भारतीय कम्पनियों तथा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के बीच प्रतिस्पर्द्धा।

(iv) ऋणों पर भारतीय बैंकों द्वारा लगाई गई ब्याज की ऊंची दरें और इस प्रकार राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम, निविदायें कुछ हद तक अप्रतिस्पर्द्धात्मक हो जाती है।

(v) दक्षिण कोरिया इत्यादि जैसे अन्य विदेशी श्रमिकों की तुलना में भारतीय श्रमिकों की कम उत्पादक। जिसके परिणामस्वरूप श्रमिक लागत में वृद्धि होती है।

इस निगम द्वारा स्थिति को सुधारने के लिए विस्तृत रूप से निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :

(क) विदेशी कारोबार के लिए निरन्तर एवं दीर्घकालीन निविदायें देना।

(ख) कारोबार के विकास के लिए उचित रूप से मार्ग निर्देशन करना सारांश में निविदा पद्धति को कारगर बनाना।

(ग) इराक और लीबिया के अलावा उन देशों में विदेश कारोवार को फैलाने के दीर्घ-कालीन प्रयास करना जिसमें निगम पहले से प्रतिबन्ध लगाता आ रहा है।

उपर्युक्त उपायों को परिणामस्वरूप यह निगम वर्ष 1981-82 के दौरान विदेशी कारोबार को 92.63 करोड़ रुपए तक बढ़ाने में समर्थ रहा है। आशा की जाती है कि सऊदी अरेबिया, कुवैत, बैहरीन इत्यादि जैसे अन्य देशों में कारोवार को आगे बढ़ाने से विदेशी विकास कार्य में प्रगति होने की सम्भावना है।

वन्य पौधों की समाप्ति

663. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट आफ पोलियोबोटनी, लखनऊ के अनुसार वनों के काटे जाने के कारण लगभग 5000 उपयोगी वन्य पौधे समाप्त होने की स्थिति में हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या उन पौधों की किस्मों का पता लगाने और उनका परिरक्षण करने के लिए कोई कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामिनाथन्) : (क) तथा (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

गेहूं के उत्पादन में वृद्धि करने में भारतीय वैज्ञानिकों का योगदान

664. श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फिलेडेल्फिया, लंदन, टोरोंटो से प्रकाशित एक पुस्तक "एन्वाइरन-मैन्टल साइंस" (1978) में यह कहा गया है कि मुख्य रूप से अधिक श्रमिकों और सिंचाई तथा उर्वरकों के सन्दर्भ में सरकार द्वारा अधिक आदानों की व्यवस्था करने के कारण ही गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुई है जबकि इसमें भारतीय वैज्ञानिकों के योगदान का उल्लेख नहीं किया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो गेहूं के उत्पादन में वृद्धि में भारतीय वैज्ञानिकों का व्यावहारिक योग-दान क्या है और ऐसे कौन से गेहूं है जिन्हें पुरस्कार मिला है और खेती में उनका क्षेत्रफल कितना है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामिनाथन) : (क) तथा (ख) फिलडोफिया लन्दन और टोरोंटों से प्रकाशित "पर्यावरण विज्ञान 1978" नामक पुस्तक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में प्राप्त नहीं हुई है । तथापि इस बात को संसार भर में माना जा रहा है कि गेहू और किसी अन्य फसल के उत्पादन को उर्वरक के उपयोग, सिंचाई और अन्य आदानों मे बहुत अधिक नहीं बढाया जा सकता, जब तक उपयुक्त किस्में सुलभ न हों, जो इन आदानों और उन्नत प्रबंधकीय पद्धतियों का लाभ उठा सकें । भारतीय वैज्ञानिकों ने पिछले 15 वर्षों में गेहूं की अधिक पैदावार देने वाली अनेक किस्मों का विकास किया है और सफल तथा सुरक्षित पैदावार के लिए समुचित तकनीकी को विकसित किया है । गेहू की इन उपलब्ध किस्मों, जिसमें 1960 से शुरू होने वाले दशक में विकसित मेक्सिको किस्में भी शामिल हैं, और किसानों द्वारा उन्नत पैकेज प्रणालियों को सरकारी एजेन्सियों की सहायता से अपनाने से गेहू की आगेत उपज को दुगना करने और उत्पादन को लगभग 120 लाख मीटरी टन से बढ़ाकर 360 लाख मीटरी टन से अधिक करने में सहायता मिली है ।

भारतीय गेहू वैज्ञानिकों ने बार्लोग पुरस्कार, हरिओम पुरस्कार, रफी अहमद किदवाई (दल पुरस्कार) और पंजाब कृषक पुरस्कार आदि प्राप्त किये हैं ।

खेती में किस्मवार औसत के बारे में अलग से सूचना एकत्र नहीं की गयी है ।

पटसन की फसल का क्षेत्रफल और कृषि मूल्य आयोग द्वारा निर्धारित कच्चे पटसन के मूल्य

665. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत चार वर्षों के दौरान पटसन की फसल का क्षेत्रफल वर्षवार कितना रहा;

(ख) इस वर्ष कितने एकड़ भूमि में फसल होने का अनुमान है;

(ग) कृषि मूल्य आयोग द्वारा गत चार वर्षों के दौरान कच्चे पटसन के लिए कितने मूल्य, वर्षवार, निर्धारित किए गए थे; और

(घ) क्या कृषि मूल्य आयोग ने आगामी फसल के लिए कच्चे पटसन के लिए मूल्य निर्धारित कर दिए हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामिनाथन्) : (क) पिछले चार वर्षों के दौरान पटसन और मेस्ता का क्षेत्र निम्नलिखित था :—

क्षेत्र (लाख हैक्टार)

वर्ष	पटसन	मेस्ता
1977-78	7.97	3.65
1978-79	8.84	3.80
1979-80	8.34	3.83
1980-81	9.41	3.59

(ख) 1981-82 के दौरान पटसन के अन्तर्गत के प्रत्याशित क्षेत्र का अनुमान 8.27 लाख हैक्टार और मेस्ता का 3.27 लाख हैक्टार है ।

(ग) पिछले चार वर्षों के दौरान कच्ची पटसन के निर्धारित मूल्य निम्नलिखित थे :

(रुपये प्रति क्विंटल)

वर्ष	कच्ची पटसन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य	
	कृषि मूल्य आयोग द्वारा सिफारिश किये गये	सरकार द्वारा निर्धारित किये गये
1978-79	150	150
1979-80	155	155
1980-81	160	160
1981-82	175	175

(घ) कृषि मूल्य आयोग ने 1982-83 के मौसम के लिए कच्ची पटसन की मूल्य नीति पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की प्रबन्ध समिति की बैठक

666. **श्री के० ए० राजन** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान नियमों के अनुसार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की संस्थानों की प्रबन्ध समिति की कितनी बैठकें हुई थी;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान किन संस्थानों की बैठकें नहीं हुई थीं; और

(ग) उसके क्या कारण हैं और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामिनाथन्) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे प्राप्त हो जाने पर सभा के पटल पर रख दिया जायेगा।

किसानों को पास बुक जारी करना

667. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं जहां राज्य सरकारों ने किसानों को उनकी भूमि के बारे में उन्हें काश्तकारी के मालिकाना अधिकारों के लिए पासबुकें जारी की हैं; और

(ख) ऐसे कौन से राज्य हैं जिन्होंने इन पास बुकों को कानूनी रूप से देने के लिए कदम उठाये हैं और यह किस तरीके से किया गया है, इस बारे में ब्योरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामिनाथन्) :

(क) तथा (ख) राज्य सरकारों से जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बेमौसम की वर्षा द्वारा नष्ट हुई फसलें

668. **डा० कृपासिंधु भोई** :

श्री दिगंबर सिंह :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्षा ऋतु में निरन्तर वर्षा होने के कारण गेहूं की फसल को कितनी क्षति पहुंची; और

(ख) किसानों को क्या सहायता दी गई है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उपमंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) गेहूं उत्पादक राज्य अर्थात पंजाब, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश के कई भागों में अप्रैल के अन्तिम सप्ताह में और इसके बाद 4 तथा 14 मई, 1982 के मध्य में बेमौसमी वर्षा हुई। राजस्थान के कुछ भागों में मई में भी वर्षा हुई। इन राज्यों में बेमौसमी वर्षा के कारण गेहूं की फसल की कुल अनुमानित क्षति लगभग 20 लाख मीट्रिक टन आंकी गयी है।

(ख) भारत सरकार ने खरीफ मौसम के लिए कृषि आदानों की खरीद तथा वितरण के लिए पंजाब को 10 करोड़ रुपए, हरियाणा को 6.75 करोड़ रुपए, उत्तर प्रदेश को 15 करोड़ रुपए तथा राजस्थान को 7 करोड़ रुपए का अल्पकालीन ऋण दिया है ताकि किसान खरीफ की फसल शुरू कर सके।

भारत सरकार ने किसानों को गेहूं के मामले में हुई क्षति को कम करने की दृष्टि से गेहूं की वसूली सम्बन्धी विशिष्ठियों का दर्जा कम कर दिया है जिसके लिए गेहूं की खरीद के लिए भारतीय खाद्य निगम को निर्देश जारी कर दिए हैं।

जम्मू तथा कश्मीर में कृषि क्षेत्र के बारे में भारत और पाकिस्तान के बीच सहमति

669. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इन्दु, झेलम तथा चिनाब नामक तीन नदियों से जम्मू तथा कश्मीर में कुल सिंचित कृषि भूमि के बारे में भारत और पाकिस्तान के बीच कोई सहमति हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी समझौते का ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1960 के पुराने इन्दु समझौते तथा नए समझौते के अन्तर्गत जम्मू तथा कश्मीर में सिंचित क्षेत्र के बारे में आंकड़े क्या हैं ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (ग) भारत और पाकिस्तान के बीच किसी नए समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। तथापि, सिन्धु जल संधि, 1960 के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप, प्रभावी तारीख को सिंधु, जेहलम और चिनाब नदियों से सिंचित फसली क्षेत्र के सम्बन्ध में उठ खड़े हुए एक अनिर्णीत मामले को हाल में पाकिस्तान के साथ हल किया गया है।

कच्चे पटसन के समर्थन मूल्य का निर्धारण

670. **श्री अजित कुमार साहा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने वर्ष 1982-83 के मौसम के लिए कच्चे पटसन की वसूली हेतु क्या समर्थन मूल्य निर्धारित किया है;

(ख) क्या सरकार ने कच्चे पटसन का समर्थन मूल्य निर्धारित करने से पहले उन विभिन्न राज्यों की सरकारों से परामर्श किया था, जो पटसन का उत्पादन करते है:

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामिनाथन्) : (क) सरकार 1982-83 के मौसम के लिए कच्चे पटसन के सांविधानिक न्यूनतम समर्थन मूल्य से सम्बन्धित कृषि मूल्य आयोग की रिपोर्ट पर इस समय विचार कर रही है और उसके निर्णय की घोषणा शीघ्र ही कर दी जायेगी।

(ख) से (घ) कृषि मूल्य आयोग कच्चे पटसन के समर्थन मूल्य-सम्बन्धी अपने प्रस्तावों को तैयार करते समय पटसन उगाने वाले सभी राज्यों से विचार-विमर्श करता है। इसके अलावा, आयोग सभी सम्बद्ध पहलुओं को ध्यान में रखता है जिसमें उत्पादन लागत, प्रतियोगी फसलों के सापेक्ष मूल्य, विभिन्न विपणन केन्द्रों पर मौजूदा मूल्य, निर्यात सम्भावनाएं, पटसन विनिर्माण सम्बन्धी स्थिति आदि शामिल है। इन सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद ही आयोग अपनी रिपोर्ट को अन्तिम रूप देता है।

अल्प तथा मध्यम अवधि के कृषि ऋण की वसूली

671. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अल्प तथा मध्यम अवधि के कृषि ऋण की वसूली का स्तर कम होने के कारण विभिन्न राज्यों में सहकारी और विकास बैंकों की वित्तीय क्षमता पर खराब असर पड़ा है;

(ख) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने समूचे देश में सहकारी वित्तीय संस्थाओं को यह स्पष्ट कर दिया है कि वे अल्पावधि ऋण की विभिन्न श्रेणियों में बकाया राशि की कम से कम 60 प्रतिशत वसूली करें;

(ग) यदि हां, तो भारतीय रिजर्व बैंक ने कृषि ऋण की वसूली के लिये इन संस्थाओं को क्या अन्य सुझाव दिया है; और

(घ) यदि हां, तो कितने राज्यों ने किसानों से अब तक कृषि ऋण वसूल किया है और कितने राज्यों ने 1 प्रतिशत ऋण तक वसूल नहीं किया है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामिनाथन्) : (क) यह सच है कि कृषि ऋणों की वसूली का स्तर निम्न होने के कारण कुछ राज्यों में संस्थागत ऋण का प्रवाह प्रभावित हुआ है।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम वसूली निष्पादन 40 प्रतिशत है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्नलिखित अनुदेश जारी किए हैं :

(1) जानबूझकर अदायगी न करने वालों को नए ऋण नहीं दिए जाने चाहिए।

(2) 60 प्रतिशत से अधिक अतिदेय वाले केन्द्रीय सहकारी बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की ऋण सीमा के पात्र नहीं हैं।

(3) केन्द्रीय सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण लेने के सम्बन्ध में गैर-अति-देय सीमा को बरकरार रखना है।

(4) केन्द्रीय सहकारी बैंकों को प्रत्येक वर्ष मार्च तथा जून के अन्त तक प्राथमिक कृषि ऋण समितियों से मांग के न्यूनतम प्रतिशत की वसूली करनी है।

(ब) केन्द्रीय सरकारी बैंकों तथा राज्य भूमि विकास बैंकों के वसूली निष्पादन को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

केन्द्रीय सहकारी बैंकों तथा राज्य भूमि विकास बैंकों की
30-6-1981 को वसूली प्रतिशतता।

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	केन्द्रीय सहकारी बैंक	राज्य भूमि विकास बैंक
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	66.08	62.40
2.	आसाम	शून्य	36.86
3.	बिहार	50.86	74.20
4.	गुजरात	60.35	23.97
5.	हरियाणा	79.70	100.00
6.	हिमाचल प्रदेश	60.69	51.12
7.	जम्मू और काश्मीर	53.31	52.22
8.	कर्नाटक	45.12	50.11
9.	केरल	81.41	96.92
10.	मध्य प्रदेश	63.25	56.03
11.	महाराष्ट्र	59.06	34.72
12.	मणिपुर	34.45*	×
13.	मेघालय	23.77*	×
14.	नागालैंड	37.57*	×
15.	उड़ीसा	70.02	65.17

1	2	3	4
16.	पंजाब	83.40	99.02
17.	राजस्थान	59.74	74.53
18.	सिक्किम	शून्य	शून्य
19.	तमिलनाडु	65.31	19.39
20.	त्रिपुरा	29.27*	50.18
21.	उत्तर प्रदेश	58.42	70.25
22.	पश्चिम बंगाल	47.07	48.00
	संघ राज्य क्षेत्र		
23.	अन्दमान एवं निकोबार द्वीप समूह	46.9L*	×
24.	अरुणाचल प्रदेश	उ. न.	×
25.	चण्डीगढ़	उ. न.	×
26.	दादर नगर तथा हवेली	उ. न.	×
27.	दिल्ली	29.35*	×
28.	गोवा दमन और दीव	58.98*	50.22
29.	लक्ष्यदीप	उ. न.	×
30.	मिजोरम	उ. न.	×
31.	पांडिचेरी	28.52	23.63
	अखिल भारतीय	63.71	52.17

*यह राज्य सहकारी बैंकों के सम्बन्ध में हैं क्योंकि इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कोई केन्द्रीय सहकारी बैंक नहीं है ।

उ. न. —उपलब्ध नहीं ।

× इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कोई भूमि विकास बैंक नहीं है।

डब्ल्यू-5 किस्म के पटसन के बढ़े हुए मूल्य

672. **श्री अजित बाग :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार वर्ष 1982-83 के पटसन के मौसम के लिए पटसन (डब्ल्यू-5 किस्म) के मूल्यों में वृद्धि चाहती है;

(ख) यदि हां, तो क्या कृषि मूल्य आयोग और सरकार ने कथित मूल्य स्वीकार कर लिए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन्) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) कृषि मूल्य आयोग ने प्रमुख पटसन उत्पादक राज्यों तथा दूसरे घटकों को ध्यान में रखते हुए, 1982-83 के मौसम के लिए कच्चे पटसन की मूल्य नीति पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। भारत सरकार इस रिपोर्ट पर विचार कर रही है।

पटसन के वसूली मूल्य का निर्धारण

673. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पटसन के उत्पादों को कच्चे पटसन के लिए कृषि मूल्य आयोग द्वारा निर्धारित लाभप्रद मूल्य भी नहीं मिल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो चालू मौसम के लिए निर्धारित वसूली मूल्य क्या हैं; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि कृषकों को अपने उत्पाद के लिए यह मूल्य मिल सके ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामिनाथन्) : (क) कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों की विधिवत जांच करने के बाद सरकार द्वारा निर्धारित लाभकारी मूल्य लगभग सभी पटसन उत्पादकों को मिल रहा है। कुछ क्षेत्रों में उत्पादक मूल किस्म के घटिया होने के कारण सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सांविधिक मूल्य प्राप्त नहीं कर रहे होंगे।

(ख) सरकार द्वारा 1982-83 के चालू मौसम के लिये अभिप्राप्ति मूल्य की जांच की जा रही है और इसे शीघ्र घोषित कर दिया जाएगा।

(ग) यह सुनिश्चित करने के प्रयास किये जा रहे हैं कि जहां तक संभव हो भारतीय पटसन निगम, द्वारा पटसन उत्पादकों या उनकी सहकारी समितियों से सीधे खरीद की जाए। भारतीय पटसन निगम, हाल के वर्षों में कच्ची पटसन की अधिक से अधिक खरीद कर रहा है। भारतीय पटसन निगम ने 1981-82 के दौरान प्रत्येक 180 किलोग्राम वाली 17.59 लाख गांठों की कच्ची पटसन की रिकार्ड खरीद की है।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम

674. **श्री के० लकप्पा :**

श्री गुमरान आजम :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा चलाया गया समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में व्यवधान आ गया है और जिन कृषक लोगों को लाभ पहुंचाने का आशय था उनको इससे लाभ नहीं मिले हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) जी नहीं।

(ख) यद्यपि, गत दो वर्षों के दौरान इस कार्यक्रम के निष्पादन में सुधार हुआ है फिर भी छठी योजना के शेष वर्षों में और अधिक सफलता प्राप्त करने हेतु सरकार द्वारा अन्य कदम उठाए गए हैं। 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रबोधन सम्बन्धी प्रयास के भाग के रूप में खण्ड और जिला स्तर से राज्य तथा राष्ट्रीय स्तरों को निष्पादन कार्य के मुख्य सूचकों के बारे में सूचित किया जाता है। केन्द्र सरकार ने कार्यक्रम के कार्यान्वयन के विभिन्न पहलुओं का और लाभभोगियों पर इसके प्रभाव का क्षेत्रीय अध्ययन करने के लिए प्रत्येक राज्य में जिलों और खण्डों के दौर के करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा है। इसके पश्चात प्रचलनात्मक कठिनाइयों को दूर करने के लिए राज्य स्तर पर विचार विमर्श होते हैं। इस वर्ष से मूल्यांकन/प्रभावी सम्बन्धी अध्ययनों को भी इस कार्यक्रम के एक अभिन्न अंग के रूप में करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

छठी योजना के अन्त तक अनुमानित विद्युत उत्पादन

675. **श्री अजित कुमार साहा** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजना के अन्त तक अनुमानित विद्युत उत्पादन क्या होगा;

(ख) उस समय देश में बिजली की अनुमानित मांग क्या होगी;

(ग) मांग की तुलना में उत्पादन कितना कम होगा; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) छठी पंचवर्षीय योजना में 19666 मेगावाट की क्षमता की वृद्धि की परिकल्पना है जिसमें 14208 ताप विद्युत, 4768 जल विद्युत तथा 690 मेगावाट न्यूक्लीय क्षमता शामिल है।

(ख) ग्यारहवें वार्षिक विद्युत सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार ऊर्जा की आवश्यकता 185 टी० डब्ल्यू० एच० होगी

(ग) और (घ) यह आशा की जाती है कि छठी योजना के अन्त तक मांग और पूर्ति में सन्तुलन हो जाएगा।

परियोजना को चालू करने में पिछड़ने के कारणों, यदि कोई हों, का पता लगाने तथा ताप विद्युत संयंत्रों के कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिये राज्य बिजली बोर्डों को ठोस कार्रवाई करने की सलाह दी गई है। विद्यमान प्रतिष्ठापित क्षमता समुपयोजन में सुधार करके विद्युत

उत्पादन को अधिकतम करने के लिए बहुत से अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपाय किए गए हैं तथा किए जा रहे हैं। इसमें 210 मेगावाट की यूनिटों के लिये कृत्रिक बल को पुनः क्रियाशील बनाना, 100/110/120 मेगावाट की यूनिटों के लिए ऐसे ही कृत्रिक बल की स्थापना करना, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से प्रचालन विशेषज्ञों के भ्रमणकारी दल, नवीकरण तथा सुधारात्मक कार्यक्रम तैयार करने तथा उनका कार्यान्वयन आदि कार्य करना शामिल है।

अवकाश के दिनों में डाकघरों का बन्द होना

676. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऐसा निदेश जारी किया गया था कि रात्रिकालीन डाकघरों सहित सभी डाकघर रविवार और राष्ट्रीय अवकाश के अतिरिक्त सभी डाक अवकाश दिवसों पर बन्द रहेंगे;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विदेशों में डाक और टेलीग्राफ विभाग बिना कोई अतिरिक्त प्रभार लिए चौबीसों घंटे सेवा प्रदान करते हैं; और

(ग) क्या रात्रिकालीन डाकघरों की सुविधा पर पुनर्विचार किया जाएगा तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा बना है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) इस आशय के आदेश जारी कर दिए गए हैं कि संयुक्त डाक-तारघरों की तार शाखा और रात्रिकालीन डाकघरों के अतिरिक्त समस्त डाकघर 1-6-1982 से सभी डाक अवकाशों के दिन बन्द रहेंगे। इस समय जहां कहीं भी रात्रिकालीन डाकघर अपने कार्य घंटों के अनुसार रविवार/डाक अवकाशों के दौरान पहले की तरह ही खुले रहेंगे।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि रात्रिकालीन डाकघरों की सुविधा समाप्त नहीं की गई है।

रानीगंज में एल० पी० जी० की सप्लाई

677. **श्री अजित बाग** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** रानीगंज-आसनसोल कोयला क्षेत्र में कुकिंग गैस की सप्लाई करने के बारे में 22 दिसम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4919 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि रानीगंज को एल० पी० जी० गैस सप्लाई करने के बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : हाल ही में पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (एच० पी० सी० एल०) के अधिकारियों की दिनांक 22-6-82 तथा दिनांक 23-6-1982 को कलकत्ता में खाना पकाने की गैस के अपने वितरकों के साथ हुई बैठक में जुलाई के अन्त तक शीघ्र ही समझौता होने की सम्भावना बलवती हुई थी। जैसे ही समझौता होगा

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (एच० पी० सी० एल०) की पश्चिम बंगाल की वितरण व्यवस्था में अपने स्वयं के सिलेंडर लाने की योजना है तथा इसके लिए एच० पी० सी० एल० के पहाड़पुर टर्मिनल में 4000 सिलेंडरों और इतने ही रेगूलेटरों के भण्डार की व्यवस्था पहले ही कर दी गयी है। जहां तक इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (आई० ओ० सी०) द्वारा नये वितरकों की नियुक्ति का सम्बन्ध है, जैसे ही एजेंसियों के चयन के लिए मार्गदर्शी निर्देश को अन्तिम रूप दे दिया जायेगा/कार्यवाही की जायेगी।

आकाशवाणी और दूरदर्शन के कलाकारों के लिए पेंशन योजना

678. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने आकाशवाणी और दूरदर्शन के कलाकारों के लिए एक पेंशन योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना से किन वर्गों के कलाकार लाभान्वित होंगे ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (ग) जी, हां। सरकार ने आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों के विभागीय कलाकार कहे जाने वाले कर्मचारियों को दो श्रेणियों : (क) कलाकार और (ख) अन्य कर्मचारी, जो उसी तरह के काम करते हैं जिस तरह के काम नियमित श्रेणियों के सरकारी कर्मचारियों द्वारा किए जाते हैं, मे वर्गीकृत करने का निर्णय लिया है। दोनों श्रेणियां उनके द्वारा कलाकार/सहकारी कर्मचारी, जैसी भी स्थिति हो, बनने का विकल्प देने के अधीन तथा समायोजन के प्रयोजन के लिए स्क्रीनिंग के अधीन पेंशन के लाभों की पात्र होंगी।

देश भक्ति के गीतों के माध्यम से राष्ट्रीय गौरव की भावना पैदा करना

679. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार देश भक्ति के गीतों के माध्यम से किशोर पीढ़ी में विशेषत: छात्रों में राष्ट्रीय गौरव की भावना पैदा करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) सूचना और प्रसारण मन्त्रालय अपनी विभिन्न माध्यम यूनिटों के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा और एकीकरण प्राप्त करने के काम में युवकों सहित लोगों की भागेदारी प्राप्त करने का प्रयास करता है। देशभक्ति के गीतों का प्रसार और प्रसारण सम्बन्धित माध्यम यूनिटों की सामान्य गतिविधियों का अंग है। आकाशवाणी भी देश भक्ति और राष्ट्रीय गौरव की भावना भरने, राष्ट्रीय एकीकरण की भावना और

सामान्य राष्ट्रीय हितों के बारे में प्रेरक विचारों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से अभियान के रूप में समूह गायन विकसित करने की एक योजना तैयार कर रहा है। इस योजना में ये शामिल होंगे :

(1) शैक्षिक प्रसारणों और बाल कार्यक्रमों में समूह गायन के नियमित पाठों का प्रसारण।

(2) गीतों को सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में सहायता करने के लिए वास्तविक संस्थानों को स्वरलिपि के साथ गीतों और आलेखों की रिकार्डिंगों की सप्लाई करना।

(3) स्कूलों में समूह गायन का आयोजन करने में आकाशवाणी समूह गायन दल के स्वीकृत कंडक्टरों द्वारा सहायता देना।

(4) अभियान फैलाने के लिए शैक्षिक संस्थानों में चुनींदा संगीत अध्यापकों के लिए समूह गायन में कार्यशालाओं की व्यवस्था करना।

आकाशवाणी और दूरदर्शन में स्टाफ आर्टिस्टों की सेवाओं को नियमित किया जाना

680. **श्री डी० एम० ए० शिवप्रकाशम** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी तथा दूरदर्शन में विभिन्न केन्द्रों में काम करने वाले स्टाफ आर्टिस्टों की सेवायें नियमित नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो उनमें से कितने ऐसे हैं जिनकी सेवायें इस समय नियमित नहीं की गई हैं और आज तक उनकी कुल सेवा कितनी हैं; और

(ग) उनकी सेवाओं को विनियमित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (ग) आकाशवाणी और दूरदर्शन में स्टाफ आर्टिस्टों को संविदा कर्मचारियों के रूप में नियुक्त किया जाता है जिन्हें, परिवीक्षा अवधि पूरी कर लेने के बाद सामान्यतया 58 वर्ष की आयु तक सुविधायें दी जाती हैं। जब भी स्टाफ आर्टिस्ट परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूरी कर लेते हैं, उनको 58 वर्ष की आयु तक संविदा देने की यह प्रक्रिया मामले प्रति मामले में चलती रहती है।

तथापि, सरकार के हाल ही के निर्णय के अन्तर्गत उन स्टाफ आर्टिस्टों, जो स्वभावत: परफार्मिंग आर्टिस्टों के कार्यक्षेत्र में नहीं आते, को उनके द्वारा सरकारी कर्मचारी बनने का विकल्प दिए जाने पर सरकारी कर्मचारियों के रूप में नियमित किया जा रहा है और उनको वे सभी लाभ प्राप्त होंगे जो अन्य सरकारी कर्मचारियों को मिलते हैं।

केवल आर्टिस्ट संविदा आधार पर चलते रहेंगे किन्तु उन्हें नियमित सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाओं के लाभ भी दिए जायेंगे।

हल्दिया पेट्रो-रसायन कम्पलेक्स

681. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार हल्दिया पेट्रो-रसायन कम्पलेक्स तथा उर्वरक संयंत्र को इस आधार पर केन्द्रीय क्षेत्र में रखना चाहती है कि केन्द्रीय सरकार बाह्य वित्तीय सहायता और तकनीकी सहयोग के लिए बातचीत करने हेतु बेहतर स्थिति में होगी; और

(ख) यदि हां तो इस मामले में केन्द्रीय सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) राज्य सरकार ने प्रस्ताव दिया था कि केन्द्र और राज्य सरकार को हल्दिया में प्रस्तावित पेट्रो-रसायन उद्योग समूह के लिए प्रत्येक को साम्य शेयर पूंजी का अंशदान करना चाहिए।

हल्दिया का उर्वरक संयंत्र केन्द्रीय सेक्टर में है।

निम्न स्तर के कीटनाशियों की सप्लाई के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो का प्रतिवेदन

682. **श्री निहाल सिंह** : क्या पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री उन फर्मों के विरुद्ध कार्यवाही, जिनसे निम्न स्तर की कीटनाशक औषधियां खरीदी गई, के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 3585 दिनांक 16 मार्च, 1982 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन फर्मों के नाम तथा पते क्या हैं जिन पर निम्न स्तर के कीटनाशकों की सप्लाई के आरोप हैं तथा प्रत्येक की मासिक उत्पादन क्षमता क्या है;

(ख) क्या उत्तर में केन्द्रीय जांच ब्यूरो का उल्लिखित प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो जांच के कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

पूर्ति और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

उन फर्मों के नाम और पते जो कीटनाशकों की सप्लाई करती हैं, तथा उनकी मासिक उत्पादन क्षमता

क्रम संख्या	फार्म का नाम और पता	मासिक उत्पादन क्षमता
	बी० एन० सी० 50 प्रतिशत डब्ल्यू डी० पी०	
1.	मैं० कृषिकेमीन प्राइवेट लिमिटेड, पी० बी० नं० 118, जयानगर, बंगलौर-560011	420 मी० टन
2.	मैं० देवीदयाल (सेल्स) प्राइवेट लिमिटेड, पी० बी० नं० 6219, तुलसी राम गुप्ता मिल्स इस्टेट, रीए रोड, बम्बई	1000 मी० टन
3.	मैं० एस० एस० सी० प्राइवेट लिमिटेड, सुभाष रोड, जागेश्वर ईस्ट, बम्बई-400060	2000 मी० टन
4.	मैं० रैलीस (इंडिया) लिमिटेड, (उर्वरक तथा कीटनाशी प्रभाग), रैलीस हाऊस, 21 रावेलकाईन स्ट्रीट, बम्बई-400001	290 मी० टन
5.	मैं० यूनाईटेड फर्टिलाइजर्स इण्डस्ट्रीज, 12, नानभाई, फोर्ट, बम्बई-400001	125 मी० टन
6.	मैं० खानदेश पेस्टीसाइड्स प्राईवेट लिमिटेड, 9/77, जौली मैंसर्स, चैम्बर्स नारीमा पास्ट, बम्बई-400021	80 मी० टन
7.	मैं० किलोस्ट प्राइवेट लिमिटेड, 7-सी औद्योगिक क्षेत्र, भोपाल	800 मी० टन
	मेलाथीन 25 प्रतिशत डब्ल्यु० डी० पी०	
1.	मैं० एस० एम० पी० प्राइवेट लिमिटेड, सुभाष रोड, जागेश्वर ईस्ट, बम्बई-400060	2500 मी० टन
2.	मैं० किलोस्ट प्राइवेट लिमिटेड, 7-सी०, औद्योगिक क्षेत्र, भोपाल-462023	800 मी० टन
	पाइरीथ्रम तेल	
1.	मैं० शैल्ट ब्रादर्स नं० 5, लकलौडस स्ट्रीट, मद्रास-600003	75000 लीटर

"डेसू" द्वारा वसूल की जा रही बिजली की दरें

683. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डेसू, घरेलू उपभोक्ताओं से बिजली की विभिन्न दरें वसूल करता है;

(ख) यदि हां, तो घरेलू उपभोक्ताओं से क्या-क्या दरें वसूल की जाती हैं;

(ग) क्या ये दरें मासिक खपत के आधार पर वसूल की जाती हैं;

(घ) क्या डेसू, दिल्ली के कुछ हिस्सों में बिजली के बिलों को मासिक आधार पर नहीं भेजता बल्कि यह दो अथवा तीन माह की खपत के आधार पर भेजता है; और कुल खपत की दरों का निर्धारण करते समय इस राशि को उन महीनों की संख्या से विभाजित नहीं करता जिन महीनों के लिए ये बिल भेजे जाते हैं और इस प्रकार उपभोक्ताओं को परेशानी होती है; और

(ङ) इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि उपभोक्ताओं को सही-सही बिल भेजे जाएं और उन्हें परेशानी न उठानी पड़े, क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हां ।

(ख) विद्युत की प्रति मास की खपत पर आधारित टैरिफ की घरेलू श्रेणी के अन्तर्गत स्लैब प्रणाली निम्नानुसार है :

प्रतिमास आरम्भ के 100 यूनिट के लिए

25 पैसा प्रति यूनिट

प्रति मास 100 यूनिटों से आगे के लिए

30 पैसे प्रति यूनिट

प्रति मास 200 यूनिट से अधिक के लिए

35 पैसे प्रति यूनिट

उपर्युक्त के अतिरिक्त उत्पादन शुल्क के रूप में 2 पैसे प्रति यूनिट एक समान कर तथा अन्य 2 पैसे प्रति यूनिट बिजली कर के रूप में लिए जाते हैं ।

(ग) जी, हां ।

(घ) और (ङ) सामान्य तौर पर घरेलू टैरिफ के लिए बिजली की खपत के बिल, दो महीनों में एक बार ली गई रीडिंग के आधार पर भेजे जाते हैं । तदनुसार दो महीनों के बिल को बनाते समय मासिक स्लैब को दो गुणा कर दिया जाता है । हाथ से बिल बनाने के स्थान पर कम्प्यूटर द्वारा बिल बनाना आरम्भ करने के कारण दिल्ली के कुछ भागों में बिल बनाने का कार्य पिछड़ गया तथा बिल बनाने के अन्तराल अवधि को पूरा करने के लिए संस्थान को चार महीने का बिल बनाने का सहारा लेना पड़ा था । तदनुसार मासिक स्लैब का उपयोग 4 महीनों के आधार

पर किया गया । इस सम्बन्ध में उपभोक्ता को किसी प्रकार की हानि नहीं हुई है तथा यदि कोई मामला डेसू की जानकारी में आता है या उपभोक्ता डेसू की जानकारी में लाता है तो मामले पर गुण-दोषों के आधार पर विचार किया जाता है तथा स्लैब दर के अनुसार जो भी लाभ अनुदेय होता है, तदनुसार उपभोक्ता को दिया जाता है । जहां पर 4 महीनों के बिल बनाए जा रहे हैं, उपभोक्ताओं के लिए द्विमासिक बिल बनाए जाना सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं ।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा खोज कार्यों की स्थापना के लिए योजनायें

684. **श्री एम० एम० कृष्ण** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने संभावना वाले पश्चिमी क्षेत्र अर्थात गुजरात, खम्भात की खाड़ी, पश्चिमी मध्य प्रदेश और दक्षिणी राजस्थान में खोज कार्यों को गति देने के लिए बड़ी योजनायें बनाई हैं;

(ख) यदि हां, तो बनाई गई योजनाओं का स्वरूप क्या है; और

(ग) इन योजनाओं को कब कार्यान्वित किये जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी ।

मथुरा को सीधी डायल सेवा द्वारा दिल्ली, आगरा तथा लखनऊ से जोड़ना

685. **श्री दिगम्बर सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक व तार विभाग मथुरा को (जो कि एक महत्वपूर्ण तीर्थस्थान है तथा अब वहां एक तेलशोधन कारखाना भी है) सीधी डायल सेवा द्वारा दिल्ली, आगरा और लखनऊ से जोड़ने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां तो यह मामला इस समय किस चरण में है और मथुरा एक्सचेंज में सीधी डायल सेवा की सुविधा उपलब्ध कराने में कितना समय लगेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इस दिशा में कार्यवाही आरम्भ करने में डाक व तार विभाग के सामने क्या कठिनाइयां हैं और विभाग का विचार उन्हें किस प्रकार दूर करने का है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां ।

(ख) प्रथम कार्रवाई के बतौर मथुरा स्थित मैनुअल एक्सचेंज का स्वचलीकरण किया गया है । मथुरा को आगरा के प्रस्तावित ट्रंक आटोमेटिक एक्सचेंज (टी० एक्स०) से जोड़ने की योजना भी बनाई गई है । मथुरा से आगरा के लिए आवश्यक लम्बी दूरी के सर्किट आगरा-मथुरा-बरेली सहधुरीय प्रणाली के चालू हो जाने के पश्चात् उपलब्ध हो सकेंगे । इन प्रस्तावों को चालू योजना के अन्त तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के गैर सरकारी निदेशक मंडल

686. **श्री भोखा भाई :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय के प्रशासकीय नियंत्रण के अन्तर्गत ऐसे कितने सरकारी उपक्रम और उनकी सहायक कम्पनियां हैं जिनमें बोर्डों में निदेशकों को नामजद किया जाना है;

(ख) ये निदेशक बोर्ड किन-किन तारीखों को स्थापित किए गए थे और उनका वर्तमान कार्यकाल कब समाप्त हो रहा है;

(ग) इन बोर्डों में नामजद किए गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के निदेशकों का ब्योरा क्या है;

(घ) यदि उपर्युक्त बोर्डों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है तो क्या सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों की भांति अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के गैर सरकारी निदेशक नामजद करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम के गैर सरकारी निदेशक के तौर पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को नामजद करने के लिए की गई सिफारिश विचार के लिए लम्बित पड़ी है, यदि हां, तो उस पर कब तक विचार कर लिया जायेगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ङ) प्रश्न के भाग (क) से (ङ) के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

मिट्टी के तेल की राज्यवार आवश्यकता

687. **श्री सोमनाथ चटर्जी :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मिट्टी के तेल की राज्य-वार मांग क्या है और गत छह महीनों में उसका मासिक आवंटन कितना किया गया; और

(ख) क्या राज्यों को किये जाने वाले आवंटन और उनकी वास्तविक सप्लाई हमेशा उनकी न्यूनतम मांग से काफी कम रही है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) मिट्टी के तेल की राज्यवार आवश्यकताओं का बताना सम्भव नहीं है। मिट्टी के तेल के आवंटन चार महीनों में एक बार किये जा रहे हैं और इस प्रयोजन के लिए वर्ष को प्रत्येक 4 महीनों के तीन खण्डों में विभाजित किया गया है। ग्रीष्म कालीन महीनों (मार्च-जून 82) और वर्षा कालीन महीनों (जुलाई-अक्तूबर 82) के लिए आवंटन पिछले वर्ष के तदनुरूपी 4 महीनों की औसतन बिक्री की तुलना में 5% वृद्धि देकर समान आधार पर किया गया है। इसके अतिरिक्त विशेष आपात जैसे बाढ़, प्राकृतिक संकट और अन्य सम्बद्ध पहलुओं के लिए तदर्थ आवंटन भी किये जाते हैं। दिसम्बर

1981 से मई 1982 की छह माह की अवधि के लिए विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को मिट्टी के तेल का कुल आवंटन और इन छः महीनों के दौरान हुई वास्तविक बिक्री संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में मिट्टी के तेल की वास्तविक बिक्री (सप्लाई) प्रायः आवंटन के अनुरूप थी। आवंटन की तुलना में सप्लाई में कमी मामूली थी और यह कमी मुख्यतः कठिन उत्पाद उपलब्धता की स्थिति जो अप्रैल 1982 में सामने आई थी, तथा जो कि भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन की बम्बई शोधनशाला में औद्योगिक सम्बन्धों की समस्याओं के कारण और कुछ शोधनशालाओं के लगातार बन्द रहने के परिणामस्वरूप और आयात में भी रुकावट आने के कारण हुई थी।

विवरण

दिसम्बर, 1981 से मई, 1982 तक की अवधि के दौरान किए गए मिट्टी के तेल का राज्यवार आवंटन तथा बिक्री को दर्शाने वाला विवरण पत्र

आंकड़े मी० टनों में

राज्य/संघ शासित प्रदेश	आवंटन	बिक्री (अस्थायी)
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	188300	181681
अरुणाचल प्रदेश	2700	2440
अण्डमान एवं निकोबार	1200	538
असम	65050	63896
बिहार	128900	126273
चण्डीगढ़	6300	5837
दादरा एवं नागर हवेली	1200	1265
दिल्ली	75300	73536
गुजरात	241200	205800
गोआ, दमन और द्वीप	9000	7557*
हरियाणा	44578	47830
हिमाचल प्रदेश	10500	9220

1	2	3
जम्मू एवं कश्मीर	19500	17276
कर्नाटक	138300	133522
केरल	73500	68791
मध्य प्रदेश	107000	107345
महाराष्ट्र	454567	452439
मणिपुर	5100	5761
मेघालय	4200	4529
मिजोरम	2100	1410
नागालैंड	2700	2446
उड़ीसा	42300	41314
पंजाब	87600	91662
पांडिचेरी	4500	4063
राजस्थान	76000	75212
सिक्किम	3000	1312
तमिलनाडु	208000	200494
त्रिपुरा	6000	5431
उत्तर प्रदेश	248002	249843
पश्चिम बंगाल	220400	218222
योग	2476997	2436645

पश्चिम बंगाल और बिहार में बिजली से चलने वाले भूमिगत खानों का बिजली की सप्लाई में कमी होने से प्रभावित होना

688. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल और बिहार के कोयला क्षेत्र में बिजली से चलने वाले भूमिगत खानों में कोयले का उत्पादन बिजली की कमी के कारण प्रभावित हो रहा है जबकि दामोदर घाटी निगम इन कोयला खानों को बिजली की सप्लाई में वृद्धि करने के लिए अथक प्रयास कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो दामोदर घाटी निगम द्वारा की जाने वाली बिजली की सप्लाई में कमी होने के कारण मई, 1982 के दौरान 350 से अधिक खानों में निर्धारित कार्यक्रमानुसार कार्य नहीं हो सका है;

(ग) यदि हां, तो मई और जून, 1982 में कुल कितनी मात्रा में कोयले का उत्पादन हुआ;

(घ) दामोदर घाटी निगम के कुल कितनी मात्रा में बिजली की सप्लाई की और इन कोयला खानों को कितना नुकसान हुआ; और

(ङ) इन 350 खानों को, जो बिजली की कमी के कारण प्रभावित हुए हैं, बचाने के लिए सरकार का क्या तात्कालिक कदम उठाने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

दक्षिण दिल्ली में ईंडेनगैस विक्रेताओं के पास पंजीकृत ग्राहकों की संख्या

689. **श्री एफ० एच० मोहसिन** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरवरी 1979 के दौरान दक्षिण दिल्ली की आर० के० पुरम और आनन्द निकेतन कालोनियों में अनुमानत: कितने ग्राहकों ने इंडेन गैस कनेक्शन के लिए अपने नाम इंडेन विक्रेताओं के पास पंजीकृत कराये थे;

(ख) प्रतीक्षा सूची में दर्ज इन ग्राहकों को चालू वर्ष में कनेक्शन मिलने में कितना समय लगेगा; और

(ग) उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित विक्रेताओं के पास फरवरी में जो पंजीकरण कराये गए हैं, उसकी कितनी तिथि तक कनेक्शन पहले ही दिए जा चुके हैं अथवा आगामी 2-3 महीनों के दौरान दिए जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) फरवरी, 1979 के दौरान, दक्षिण दिल्ली की रामाकृष्णापुरम तथा आनन्द लोक कालोनियों में खाना पकाने की गैस (एल० पी० जी०) के कनेक्शनों के लिए 867 व्यक्तियों ने अपने आपको इंडेन वितरकों के पास पंजीकृत कराया था ।

(ख) और (ग) फरवरी, 1979 के दौरान किये गये पंजीकरणों को क्षेत्र में नये एल० पी० जी० कनेक्शन जारी किये गये हैं क्योंकि अभी तक जनवरी 1979 तक किये गए पंजीकरणों को सम्मिलित किया गया है । एल० पी० जी० कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूचियों को तरलीकृत पेट्रोलियम गैस की उपलब्धता के आधार पर उत्तरोत्तर पूरा किया जा रहा है ।

डाक तथा रेवेन्यु टिकटों की कमी

690. **श्री नवीन रवाणी** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ देश के भागों में डाक तथा रेवेन्यू टिकटों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन टिकटों की मांग पूरी करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) प्राप्त जानकारी के आधार पर अभी हाल में डाक-टिकटों की कमी की सूचना देश के किसी भाग से प्राप्त नहीं हुई है । तथापि, केरल तथा आन्ध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में रसीदी टिकटों की कमी की जानकारी प्राप्त हुई थी ।

(ख) भारत प्रतिभूति मुद्रणालय से अपर्याप्त सप्लाई के कारण अस्थायी तौर पर कमी थी ।

(ग) भारत प्रतिभूति मुद्रणालय से फिर से सप्लाई करने हेतु कार्रवाई पहले ही की जा चुकी है ।

माइक्रोवेव प्रणाली और एस० टी० डी० प्रणाली द्वारा बस्तर जिले को भोपाल के साथ जोड़ना

691. **श्री लक्ष्मण कर्मा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के कितने जिले राज्य की राजधानी भोपाल से एस० टी० डी० द्वारा जुड़े हुए हैं;

(ख) क्या बस्तर जिले (मध्य प्रदेश) को भोपाल से माइक्रोवेव प्रणाली और टेलेक्स प्रणाली से जोड़ने और इस जिले को एस० टी० डी० की सुविधा देने का कोई प्रस्ताव है ताकि इस पिछड़े क्षेत्र के लोगों को भी देश के अन्य भागों के साथ टेलीफोन से सम्पर्क स्थापित करने का अवसर मिल सके;

(ग) क्या सरकार का विचार प्राथमिकता के आधार पर इस कार्य को क्रियान्वित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो यह काम कब तक आरम्भ करने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) इस समय पांच जिला मुख्यालय एस० टी० डी० से भोपाल के साथ जुड़े हुए हैं ।

(ख) (1) माइक्रोवेव-जगदलपुर (बस्तर का जिला मुख्यालय) को रायपुर से जोड़ने के लिए एक नैरो बैंड माइक्रोवेव लिंक का प्रस्ताव है । रायपुर माइक्रोवेव लिंक बरास्ता नागपुर और जबलपुर द्वारा भोपाल के साथ पहले से ही जुड़ा हुआ है ।

(2) टेलेक्स फिलहाल बस्तर जिले में टेलेक्स प्रणाली की संस्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(3) एस० टी० डी०—एस० टी० डी० सुविधाओं के लिए जगदलपुर को रायपुर के प्रस्तावित टी० ए० एक्स० से जोड़ने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

(ग) प्रस्तावों को चालू वित्तीय वर्ष में शामिल किया गया है।

(घ) (1) माइक्रोवेव-माइक्रोवेव योजना पहले से ही कार्यान्वित की जा चुकी है।

(2) टेलेक्स—प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि इस समय टेलेक्स प्रणाली की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(3) एस० टी० डी०—ऐसी संभावना है कि रायपुर टी० ए० एक्स० चालू योजना के अन्त तक कार्य प्रारम्भ कर देगा।

बिहार विशेषकर उत्तरी बिहार में बिजली का उत्पादन

692. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या ऊर्जा मन्त्री बिहार, विशेषकर उत्तरी बिहार में बिजली के उत्पादन के सम्बन्ध में 27-4-1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9837 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में तथा सम्पूर्ण देश में तापीय और पनबिजली स्रोतों से बिजली की स्थापित क्षमता, वास्तविक उत्पादन और वास्तविक खपत (मेगावाट अथवा किलोवाट) में क्या है और बिहार में विद्युत उत्पादन को अखिल भारतीय स्तर पर लाने के लिए क्या विशेष प्रयास किए जा रहे हैं;

(ख) क्या बिजली के कम उत्पादन, बड़े पैमाने पर चोरी, और "लीकेज" आदि के लिए विदेशों में प्रशिक्षण प्राप्त इन्जीनियरों का स्थानांतरण, निर्माण के क्षेत्र से हटाकर उन्हें वितरण के काम में लगाया जाना, घटिया किस्म का कोयला, उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार आदि उत्तरदायी हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

गुजरात में गांवों का विद्युतीकरण

693. **श्री मोहन लाल पटेल :**

श्री नवीन रवाणी :

क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य में 31 मार्च, 1982 तक विद्युतीकृत हुए गांवों की संख्या कितनी है;

(ख) गुजरात में अभी और ऐसे कितने राज्य हैं जिनमें बिजली लगाई जानी बाकी है;

(ग) वर्ष 1982-83 के लिए क्या लक्ष्य रखे गए हैं;

(घ) क्या गांव में हरिजनों तथा समाज के निर्धन वर्गों को मुफ्त बिजली देने अथवा कुछ रियायतें देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इससे कितने लोगों को लाभ पहुंचा है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) मार्च, 1982 के अन्त तक गुजरात राज्य में कुल 18,275 गांवों में से 13,429 गांव, जो 73.5 प्रतिशत हैं, का विद्युतीकरण हो चुका है। इस प्रकार उस तारीख तक विद्युतीकरण किए जाने के लिए बचे गांवों की संख्या 4846 है।

(ग) 1982-83 के दौरान गुजरात में 1260 गांवों के विद्युतीकरण का प्रस्ताव है।

(घ) से (ङ) गुजरात राज्य बिजली बोर्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार बोर्ड किसी भी गांव में समाज के किसी भी वर्ग को मुफ्त बिजली नहीं देता है। तथापि, ग्राम विद्युतीकरण निगम पहले से ही विद्युतीकृत गांवों के पास की हरिजन बस्तियों को विद्युतीकृत करने की दृष्टि से बनाई गई स्कीमों को 5 प्रतिशत ब्याज की रियायती दर से वित्तीय सहायता देता रहा है। हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण की स्कीमों के सम्बन्ध में उन सक्षम मानदण्डों के पूरा होने पर जोर दिया जाता है जो सामान्यत: अन्य श्रेणियों की स्कीमों पर लागू होते हैं। गुजरात में मार्च, 1982 तक पहले से ही विद्युतीकृत गांवों के पास की हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण के लिए ग्राम विद्युतीकरण निगम ने 0.52 करोड़ रुपये की ऋण सहायता वाली 32 स्कीमों को स्वीकृति प्रदान की है। इन स्कीमों में 1792 हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण का लक्ष्य है जिनमें से 1668 हरिजन बस्तियां विद्युतीकृत की जा चुकी हैं। इसके अतिरिक्त राज्य बिजली बोर्डों/राज्य सरकारों द्वारा तैयार की गई ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के अन्तर्गत, जो वित्तीय सहायता के लिए निगम के पास आती हैं, यह सामान्यत: सुनिश्चित किया जाता है कि जब कभी भी वहां पर स्ट्रीट लाइट देने की व्यवस्था होती है, तो स्कीम के अन्तर्गत आने वाले गांवों के पास की हरिजन बस्तियों को भी मुख्य गांव के साथ-साथ विद्युत के विस्तार के लिए शामिल किया जाता है।

पेट्रोलियम की आवश्यकता

694. **श्री सुधीर कुमार गिरि** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पेट्रोलियम की जरूरत का प्राकलन करने के आधार क्या हैं;

(ख) इस समय इनके उत्पादन तथा मांग में कितना अन्तर है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान तेल के आयात पर कितनी राशि खर्च की गई ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) अशोधित तेल की मांगों का पूर्वानुमानित प्राप्ति योग्य शोधनशाला थ्रूपुटों तथा स्टाक तैयार करने के लिए आवश्यकताओं के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। संसाधित पेट्रोलियम उत्पादों की आवश्यकताओं

का विगत में उपभोग की प्रवृत्ति उत्पादवार वृद्धि के प्रति भविष्य में दृष्टिकोण, स्टाक तैयार करने के लिए आवश्यकताएं तथा भण्डार/रख-रखाव में होने वाली हानि के आधार पर अनुमान लगाया जाता है ।

(ख) ब्यौरे नीचे दिये गये हैं :

मद	1982-83 के लिए अनुमानित आवश्यकताएं	1982-83 के लिए अनुमानित अनुमानित स्वदेशी उत्पादन
क्रूड	31.70 मि० मी० टन	20.95 मि०मी टन
पेट्रोलियम उत्पाद	35.71 मि० मी० टन	31.80 मि०मी० टन

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान अशोधित तेल तथा पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर व्यय की गयी धनराशि नीचे दी गयी है :

(करोड़ रुपयों में)

	1979-80	1980-81	1981-82
अशोधित तेल	*2187.53	*3348.97	*3712.77
पेट्रोलियम उत्पाद	*1082.39	*1917.52	*1472.27
	*3269.92	*5266.49	*5185.04

*आंकड़े अस्थायी हैं ।

बिना डाकघर वाले गांव

695. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिना डाकघर वाले गांवों की राज्यवार संख्या कितनी है; और

(ख) इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) बिना डाकघर वाले गांवों की राज्यवार संख्या एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) इस समय 1,26,222 ग्रामीण डाकघर हैं जो 5,75,936 गांवों में कार्य कर रहे हैं । इस विकास स्तर को संतोषजनक मान सकते हैं यदि हम इस बात को ध्यान में रखें कि

स्वतन्त्रता के समय देश में, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र को मिलाकर, डाकघरों की कुल संख्या 12,116 थी। जनसंख्या, मौजूदा निकटवर्ती डाकघर से दूरी तथा लागत की तुलना में होने वाली आय का अनुपात आदि कुछ मुद्दों को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण डाक नेटवर्क में धीरे-धीरे और अधिक विस्तार करने की सरकार की नीति है। इस परिसीमा के अन्दर ग्राम पंचायत वाले गांवों तथा पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों में स्थित ग्रामों को प्राथमिकता दी जाती है। छठी पंचवर्षीय योजना में 8,000 अतिरिक्त ग्रामीण डाकघर खोलने की योजना है।

पंजाब में बिजली की कमी

696. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, तथा जम्मू व कश्मीर से बिजली देने के लिए कोई अन्तर्राज्जीय पन-बिजली तथा ताप-बिजली परियोजनायें मंजूर की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका मूल्य ब्योरा क्या है उनके विद्युत प्रजनन में पंजाब का कितना हिस्सा है;

(ग) क्या पंजाब, जोकि देश का सर्वाधिक औद्योगिक राज्य बनता जा रहा है विद्युत सप्लाई की कमी से त्रस्त है और इसके दौरान अनेक उद्योग रुके हुए हैं तथा उनकी निर्यात वचन-बद्धता पर प्रभाव पड़ा है; और

(घ) यदि हां तो बिजली की सप्लाई के मामले में पंजाब की जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) अन्तर्राज्यीय परियोजनाओं पर इन कुछ राज्यों के सहयोग से विचार किया जा रहा है।

(ग) और (घ) पंजाब की इस समय कुल प्रतिष्ठापित क्षमता 1586.34 मेगावाट है। इसमें भाखड़ा और ब्यास कामप्लेक्स का हिस्सा शामिल है। 1486 मेगावाट की कुल क्षमता (अन्तर्राज्यीय देहर और पौंग विस्तार स्कीम से 188.28 मेगावाट पंजाब का हिस्सा इसमें शामिल है) की कई परियोजनाओं का निर्माण किया जा रहा है। इनको छठी और सातवीं योजना अवधियों के दौरान चालू किया जाएगा।

इस क्षमता के अतिरिक्त, केन्द्रीय क्षेत्र की निर्माणाधीन परियोजनाओं, नामश: बैरा-सूल, सलाल और सिंगरौली में पंजाब का हिस्सा है। सिंहन्द ताप विद्युत केन्द्र तथा नरोरा परमाणु विद्युत परियोजना से विद्युत के बंटवारे का अभी निर्णय लिया जाना है।

नई उत्पादन क्षमता के सृजन करने में राज्य के प्रयासों को बढ़ावा देने के अतिरिक्त उत्तरी क्षेत्र में क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र स्थापित किया जा रहा है। इससे उत्तरी क्षेत्र में सभी विद्युत प्रणालियों का समेकित प्रचालन, अधिक विद्युत वाले क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्र को विद्युत का अन्तरण तथा आपातकालीन बन्दी की स्थिति में विद्युत का आदान-प्रदान हो सकेगा।

शहरी वक्फ सम्पत्तियों के विकास की योजना

697. **श्री अशफाक हुसैन** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय वक्फ परिषद द्वारा शहरी वक्फ सम्पत्तियों के विकास के लिए बनाई गई योजनाओं का ब्योरा क्या है;

(ख) कितनी राशि व्यय की गई है तथा कौन सी परियोजनाएं आरम्भ की गई हैं और उनका पूर्ण ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार वक्फ सम्पत्तियों को संविधान की नवीं अनुसूची के अधीन संरक्षण प्रदान करने का है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है ।

[ग्रंथालय में रखा गया—देखिए संख्या एल० टी० 4227/82]

(ग) संविधान की नवीं अनुसूची केवल उन अधिनियमों को जो उस अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 के अधीन आपत्ति से बचाने के लिए है ।

केन्द्रीय अस्पताल, धनबाद में डाक्टर-मरीज और नर्स-मरीज अनुपात

698. **श्री ए० के० राय** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय अस्पताल धनबाद में पिछले पांच वर्षों में वर्षवार डाक्टर-मरीज और नर्स-मरीज अनुपात कितना रहा है;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान प्रति मरीज दवा और भोजन दोनों पर प्रतिदिन औसत खर्च कितना हुआ;

(ग) क्या धन की कमी और डाक्टरों तथा नर्सों की अपेक्षित संख्या में कमी के कारण अस्पताल के स्तर और इलाज में अचानक गिरावट आई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

पूर्वी यूरोप के देशों से सोडा ऐश का आयात

699. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी यूरोप के देशों से 80 डालर प्रतिटन की दर से सोडा ऐश का आयात किया जा सकता है जबकि देश के बाजारों में इसका भाव 2050रुपए से 2207 रुपये प्रति टन है।

(ख) यदि हां, तो स्वदेशी सोडा ऐश के भाव आयातित सोडा-ऐश से इतने अधिक होने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या उपाय किये हैं तथा तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) सोडा ऐश का आयात मूल्य अलग-अलग खेप के अनुसार भिन्न होता है, जो प्रेषक मूल देश तथा माल की मात्रा पर निर्भर करता है। यह प्रतीत होगा कि सोडा ऐश लाइट के कुछ प्रेषण का सी० आई० एफ० मूल्य अब 80 अमरीकी डालर प्रति टन है। स्वदेशी निर्माताओं का कारखाने से बाहर का मूल्य 1759.40 रुपये से 2395.57 रुपये प्रति टन के बीच हैं।

(ख) क्लोरीन तथा अलकोहल को छोड़कर, स्वदेश में उत्पादित किए जाने वाले अधिकांश रसायनों की कीमतें उन्नत देशों से अधिक हैं। भारतीय रसायन उद्योग के उत्पादों की अधिक कीमत होने के मुख्य कारण संयंत्र का छोटा होना तथा कच्चे माल का अधिक मूल्य है।

(ग) सोडा ऐश खुले सामान्य लाइसेंस (ओ० जी० एल०) के अन्तर्गत है। आयात नीति तथा आयात कर की लगातार पुनरीक्षा की जाती है। मांग तथा स्वदेशी उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए आयात विनियमन किए जाते हैं।

बिहार राज्य में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोलने के लिये विचाराधीन आवेदन-पत्र

700. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार राज्य में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोलने के लिये मई, 1982 तक कितने आवेदन-पत्र कितनी अवधि से विचाराधीन थे और उनका क्या परिणाम रहा;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार की यह नीति है कि प्रत्येक आदमी के पास टेलीफोन की सुविधा होनी चाहिये; और

(ग) यदि हां, तो इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये सरकार क्या विशेष कार्यवाही कर रही है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) बिहार राज्य में मई, 1982 तक सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने के लिए 58 आवेदन पत्र बकाया थे। इनमें से 40 आवेदन पत्र जनवरी, 82 और शेष मार्च, 81 से बकाया थे। इन मामलों में कार्रवाई की जा रही है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

अनधिकृत गैस सिलेंडरों को नियमित किया जाना

701. **श्री के० राममूर्ति** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय तेल निगम ने गत तीन वर्षों के दौरान कितने अनधिकृत गैस सिलिंडर नियमित किये;

(ख) क्या इस बात का पता लगाने के लिए कोई प्रयास किया जा रहा है कि सभी अनधिकृत गैस सिलिन्डर भारतीय तेल निगम के हों; और

(ग) इस व्यवस्था के कब तक जारी रहने की संभावना है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा नियमित किए गए अनाधिकृत खाना पकाने की गैस (एल० पी० जी०) के कनेक्शनों की संख्या का ब्योरा नीचे दिया गया है :

1979-80	कोई नहीं
1980-81	44,110
1981-82	16,811

(ख) इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा इस बात के सत्यापन के सभी प्रयास करने के बाद ही कि सिलेंडर इडेन का था अनधिकृत एल० पी० जी० कनेक्शनों को नियमित किया गया था।

(ग) नवम्बर, 1981 से इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा एल० पी० जी० कनेक्शनों को नियमित करने की प्रणाली बन्द कर दी गयी है।

बाजार में "सोरबिट्रेट" नामक हृदय रोग की दवाई का न मिलना

702. **श्री डी० एम० पुत्ते गौड़ा** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले चार महीनों से बाजार में सोरबिट्रेट नामक हृदय रोग दवा उपलब्ध नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने बाजार में इस दवा को लगातार उपलब्ध कराने के लिए क्या कार्यवाही की अथवा करने का विचार है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) से (ग) पिछले चार महीनों के दौरान विभिन्न भागों से "सोरबिट्रेट" की कमी की सूचना समय-समय

पर मिलती रही है । सम्बन्धित निर्माता के समक्ष मामला उठाया गया जिन्होंने सूचित किया कि मांग में वृद्धि के कारण कमी हुई । कम्पनी ने उस क्षेत्र में जहां से कमी की सूचना मिली थी, तुरन्त सप्लाई भेज दी । जिस फार्मुलेशन यानि सोडियम नाईट्रेट पर यह बल्क औषध आधारित है, के आयात की अनुमति खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत है ।

राज्य व्यापार निगम द्वारा अखबारी कागज का आयात

703. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वर्ष में राज्य व्यापार निगम से अखबारी कागज का आयात करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो कितना अखबारी कागज का आयात करने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या अखबारी कागज की कमी शीघ्र दूर हो जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो कब तक ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, हां ।

(ख) 1.84 लाख मीट्रिक टन ।

(ग) और (घ) अखबारी कागज की कोई कमी ध्यान में नहीं आई है । चालू वित्तरत वर्ष की शेष अवधि के दौरान भी अखबारी कागज की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के उपाय की लिए गए हैं ।

विधि मन्त्रियों के सम्मेलन में लिए गए निर्णय

704. **श्री एस० ए० दोराई सेवस्तियन :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों के विधि मंत्रियों के हाल ही में हुए सम्मेलन में क्या-क्या मुख्य निर्णय लिए गए; और

(ख) इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) हाल में हुए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के विधि मन्त्रियों के सम्मेलन में जो मुख्य निष्कर्ष निकले थे, उनका विवरण संलग्न है ।

(ख) जैसा कि उसमें बताया गया है, अनुवर्ती कार्रवाई केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा की जानी है ।

विवरण

विधि मंत्रियों का सम्मेलन, 1982
मुख्य निष्कर्ष

मद : न्यायालय फीस का समाप्त किया जाना

1.1. सम्मेलन न्यायालय फीस को पूर्णत: समाप्त करने की अपेक्षा उसके सुव्यवस्थीकरण के पक्ष में था। वास्तविक रूप से जरूरतमन्द व्यक्तियों की सहायता की जानी चाहिए और ऐसे विशेष प्रकार के मामलों का उल्लेख किया जाना चाहिए जिनके लिए न्यायालय फीस नहीं होनी चाहिए या नाममात्र की न्यायालय फीस होनी चाहिए उदाहरणार्थ: भू-अर्जन अपीलें, दुर्घटना से होने वाली मृत्युओं से उद्भूत दावे, आदि।

कार्रवाई : राज्यों द्वारा

1.2. सम्मेलन ने एक समिति का गठन किया जिनके सदस्य गुजरात, हरियाणा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल के विधि मन्त्री हैं और विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री इसके संयोजक हैं। यह समिति न्यायालय फीस के सुव्यवस्थीकरण के प्रश्न पर विचार करेगी और चार मास के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

कार्रवाई : न्याय विभाग द्वारा

मद : निचले न्यायालयों में बकाया मामले

2.1. ऐसे न्यायिक अधिकारियों का उचित रूप से चयन किया जाना चाहिए जो विधि का प्रशासन शीघ्रता से कर सकें।

कार्रवाई : राज्यों द्वारा

2.2. न्यायिक सेवा के लिए सर्वोत्तम कार्मिक प्राप्त करने में कठिनाइयां हैं, इसलिए उसके अनुकल्प के रूप में अखिल भारतीय आधार पर प्रतिभा की खोज की जाए। अधिकतर राज्यों के विधि मंत्रियों ने सिद्धान्त रूप में एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा स्थापित करने की बात स्वीकार कर ली। उन राज्यों से जिन्होंने इसके गठन के बारे में अपने विचार अभी तक सूचित नहीं किए हैं, अनुरोध किया गया है कि वे सहमत हो जाएं और अपनी प्रतिक्रिया शीघ्र भेजें जिससे कि राज्यों के साथ विचार-विमर्श के लिए भर्ती की रीति और अन्य पहलुओं पर विचार किया जा सके और विस्तृत स्कीम तैयार की जा सके।

कार्रवाई : राज्यों द्वारा

2.3. राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे न्यायालयों में बकाया मामलों की संख्या में कमी करने के लिए विधि आयोग द्वारा उसकी 77वीं और 79वीं रिपोर्टों में की गई सिफारियों को और समुचित पर्यवेक्षण नियन्त्रण, प्रशासनिक उपाय और जहां आवश्यक हो उच्च न्यायालय नियमों और आदेशों का संशोधन करने के सम्बन्ध में उन को भेजे गए अन्य सुझावों को कार्यान्वित करें।

कार्रवाई : राज्यों द्वारा

2.4. राज्य के विधि मंत्रियों को चाहिए कि वे निचले न्यायालयों में बकाया मामलों की समस्या को सुलझाने के विषय में व्यक्तिगत रुचि लें। वे उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधिपतियों और प्रशासनिक न्यायाधीशों से सम्पर्क बनाए रखें जिससे कि बकाया मामलों को कम करने के लिए संयुक्त रूप से प्रयास किया जा सके।

कार्रवाई : राज्यों द्वारा

2.5. जहां आवश्यक हो अतिरिक्त न्यायालय स्थापित किए जाएं। प्रत्येक जिले के लिए एक निरीक्षण न्यायाधीश नियत किया जाए।

कार्रवाई : राज्यों द्वारा

मद : निर्धनों को विधिक सहायता

3. निर्धनों को विधिक सहायता देने के कार्यक्रमों को और अधिक प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने को सुनिश्चित करने के लिए तथा जहां आवश्यक हो, केन्द्रीय विधिक सहायता समिति की वित्तीय सहायता से उसके विस्तार को सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इस सम्बन्ध में जब भी वित्तीय सहायता के लिए अनुरोध प्राप्त होंगे उन पर विचार किया जाएगा।

कार्रवाई : राज्यों द्वारा

मद : विधायी प्रारूपण संस्थान की स्थापना

4. विधायी प्रारूपण और अनुसंधान का एक संस्थान स्थापित करने का सुझाव सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। एक स्कीम तैयार करने के लिए सचिवों के एक समूह के समक्ष रखे जाने के उद्देश्य से अपेक्षित आंकड़े इकट्ठा करने के सम्बन्ध में प्रारम्भिक कार्रवाई की जा रही है।

कार्रवाई : विधायी विभाग द्वारा

एशियाई खेलों के लिए रंगीन टेलीविजन

705. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रंगीन टेलीविजन का अध्ययन करने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्री ने विदेशों का दौरा किया है;

(ख) यदि हां, तो वे किस-किस देश में गये;

(ग) उससे क्या अनुभव प्राप्त हुआ; और

(घ) क्या सरकार एशियाई खेलों को दूरदर्शन पर दिखाने हेतु रंगीन टेलीविजन प्रसारण आरम्भ करेगी ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (ग) सूचना और प्रसारण मन्त्री ने 22.5.82 से 9.6.82 तक सोवियत संघ, चैकोस्लोवाकिया, इंग्लैंड, अमरीका और जापान का

दौरा किया था। यह दौरा उन्होंने ताशकन्द फिल्म समारोह में भाग लेने तथा उन देशों के इलेक्ट्रोनिकी उद्योगों, विशेषकर एशियाई खेलों के सन्दर्भ में हमारे देश में रंगीन टेलीविजन तथा "इनसैट" के उपयोग के सन्दर्भ में, अपने आपको परिचित करने के लिए किया था। उन्हें जापान और अमरीका की अनुसंधान प्रयोगशालाओं और उनके टेलीविजन ढांचों पर किए जा रहे कार्य को देखने का भी अवसर मिला।

(घ) एशियाई खेलों को विदेशी टेलीविजन प्रसारण संगठनों के लिए रंगीन में टेलीकास्ट किया जाएगा। इन खेलों का रंगीन दूरदर्शन कवरेज यथासम्भव हद तक आन्तरिक ढांचे पर भी प्रस्तुत करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

शालीमार बाग निवासियों के लिए बिजली के बिल

706. **श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा : क्या ऊर्जा मन्त्री** शालीमार बाग निवासियों के लिए बिजली के बिल के बारे में 9 मार्च, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2634 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ए० सी० और ए० डी० शालीमार बाग, दिल्ली में डेसू के मीटरों की रीडिंग कितनी बार ली गई है; और क्या उनके बिल भेजे गए हैं;

(ख) डेसू के रीडिंग लेते समय मीटरों के ठीक ढंग से काम न करने के कितने मामले पकड़े गए;

(ग) क्या यह भी सच है कि गलत रीडिंग के साथ बिल भेजे गए हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार उपर्युक्त कालोनी में लगाए गए नये मीटरों के सही ढंग से काम करने का सर्वेक्षण कराने और आवंटियों की बिना कठिनाई के दोषपूर्ण मीटरों को बदलने का है यदि हां, तो आवंटियों को सहायता देने वाली योजना का ब्योरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) शालीमार बाग के ए० सी० तथा ए० डी० ब्लाकों के 879 कनेक्शनों के सम्बन्ध ये मीटर रीडिंग मई, 1982 के महीने में ली गई थी। इन कनेक्शनों के मई, 1982 तक के बिल उपभोक्ताओं को अलग-अलग भेजे जा रहे हैं।

(ख) उपरोक्त कनेक्शनों की मई, 1982 में रीडिंग लेते हुए 147 मामले ऐसे पाए गए जिनमें मीटर खराब होने की सम्भावना थी। ऐसे मामलों में अपेक्षित आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। जब भी किसी दोषपूर्ण मीटर को बदला जाता है तो जिस अवधि में मीटर खराब रहा है उस अवधि के लिए खपत का मूल्यांकन औसत आधार पर किया जाता है।

(ग) जैसा कि ऊपर बताया गया है रीडिंग, मीटरों में दिखाए गए अनुसार ली गई है और जब तक यह सुनिश्चित नहीं हो जाता कि मीटर दोषपूर्ण है, उपभोक्ताओं को गलत बिल भेजने का प्रश्न नहीं उठता।

(घ) संदिग्ध दोषपूर्ण मीटरों के मामले में, मामलों को छांट लिया गया है और इन मीटरों की चैकिंग की जा रही है। जहां पर मीटर वास्तव में दोषपूर्ण पाए जाते हैं वे बदल दिए जाएंगे।

चूंकि इन मामलों में खपत के बिलों का मूल्यांकन औसत आधार पर किया जाएगा, इन मामलों में उपभोक्ताओं को कोई कठिनाई नहीं होगी।

बिजली घरों के खराब कार्य-निष्पादन के लिए जिम्मेदार तत्व

707. **श्री के० लक्कप्पा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "भेल" द्वारा निर्मित विद्युत उपकरणों पर अपर्याप्त नियंत्रण के जांच राज्य बिजली बोर्डों और "भेल" के बीच सम्पर्क प्रक्रिया का अभाव और तापीय बिजली घरों को सप्लाई किए गए कोयले की खराब किस्म देश के बिजली घरों के खराब कार्य निष्पादन के लिए जिम्मेदार मुख्य तत्व हैं; और

(ख) यदि हां, तो देश के बिजलीघरों के कार्यकरण को सुधारने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्ज लि० और राज्य बिजली बोर्ड विद्युत उपस्करों की गुणवत्ता नियंत्रण की समुचित जांच नहीं कर रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप प्रचालन की प्रारम्भिक स्थितियों में अनेकों यनिटों में कमियां आई थीं और इनके सुस्थिर होने के लिये अधिक समय लगा। कई राज्य बिजली बोर्ड भी भारत हैवी इले० लि० के साथ समुचित संविदा नहीं करते हैं। कोयले में राख की अधिक मात्रा से और बड़े आकार के कोयले से भी ताप विद्युत यूनिटों के उत्पादन पर प्रभाव पड़ा है।

(ख) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने एक माडल संविदा तैयार की है और राज्य बिजली बोर्डों और अन्य संबन्धितों को इसे परिपत्रित किया है। इस माडल संविदा में गुणवत्ता नियंत्रण सम्बन्धी विस्तृत कार्यक्रम दिया गया है और इससे गुणवत्ता वाले उत्पादों की सप्लाई सुनिश्चित होगी। इसके अलावा, ताप विद्युत यूनिटों के कार्य निष्पादन में सुधार लाने के लिए कई उपाय किए गए हैं। इन उपायों में ये शामिल हैं :

(एक) संयंत्र सुधार कार्यक्रम तैयार करने के लिए तथा उन्हें कार्यान्वित करने के लिए राज्य बिजली बोर्डों की सहायता;

(दो) सुरक्षात्मक अनुरक्षण तकनीकें अपनाना;

(तीन) फुटकर पुर्जों की व्यवस्था;

(चार) अपेक्षित मात्रा में और गुणवत्ता वाले कोयले की सप्लाई सुनिश्चित करना। कोयले की गुणवत्ता में सुधार लाने की दृष्टि से कोयले के परिष्करण के कार्यक्रम तथा विजातीय सामग्रियों को हाथ से निकालने का कार्य भी शुरू किया गया है;

(पांच) कमियों का पता लगाने के लिये तथा शीघ्र सुस्थिर करने के लिए 100/110 मेगावाट की यूनिटों और 200/210 मेगावाट की यूनिटों के लिये कृतिक बलों का गठन;

(छः) विद्युत केन्द्रों के प्रचालन और अनुरक्षण कार्मिकों के इंजीनियरों को प्रशिक्षण।

प्रसारण की तीन चरण वाली (थ्री टायर) प्रणाली

708. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी ने प्रसारण की राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय तीन चरण वाली सेवाओं के शुरू करने हेतु कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) नई प्रणाली को कब तक व्यवहार में लाया जाएगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी हां ।

(ख) प्रथम चरण में, प्रस्तावित राष्ट्रीय चैनल संजाल में नागपुर में 1000 कि० वा० मीडियम वेव का एक ट्रांसमीटर शामिल होगा । उत्तरवर्ती चरणों में, इस ट्रांसमीटर को उच्च से अल्प शक्ति वाले मीडियम वेव के अनेक ट्रांसमीटरों के साथ समकालिक रूप से जोड़ा जाएगा । नागपुर के ट्रांसमीटर को कार्यक्रम दिल्ली से दिए जाएंगे जहां आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध की जाएंगी । कार्यक्रम मद्रास में भी तैयार किए जाएंगे ।

(ग) यह उम्मीद है कि नागपुर में 1000 कि० वा० मीडियम वेव का ट्रांसमीटर सेवा के लिए वर्ष 1985-86 में तैयार हो जाएगा ।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में अपराधी और असामाजिक तत्व

709. **श्री सुनील मैत्रा :**

श्री कुंवर राम :

क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के प्रशासकीय ढांचे में पर्याप्त अपराधियों और असामाजिक तत्वों की घुसपैठ हो गई है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इन तत्वों को हटाने के लिए क्या उपाय किए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

मध्य प्रदेश में गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्र की स्थापना के लिए स्थान का चुनाव

710. **श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में गैस पर आधारित एक उर्वरक संयंत्र की स्थापना के लिए स्थान चयन समिति द्वारा सुझाए गये स्थानों के प्राथमिकता आदेशों को बरकरार रखे जाने का प्रस्ताव है;

(ख) प्राथमिकता की दृष्टि से देश के उन स्थानों के क्या नाम हैं जहां की गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्र स्थापित किये जाने हेतु सिफारिश की गई है; और

(ग) स्थलों के चयन में उपरोक्त समिति ने कितना समय लगाया और प्रत्येक राज्य में इस प्रक्रिया पर कितनी धनराशि खर्च हुई;

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) छः उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का निर्णय किया गया है—मध्य प्रदेश और राजस्थान में एक, एक तथा उत्तर प्रदेश में चार। जो सुदूर पश्चिमी तट पर उपलब्ध गैस पर आधारित होंगे। अप्रैल 1980 में सरकार ने इन उर्वरक संयंत्रों तक गैस के परिवहन के लिए इष्टतम पाइपलाइन निर्धारित करने की सिफारिश करने के लिए एक समिति नियुक्त की। सितम्बर, 1980 में, सरकार ने इन संयंत्रों के लिए स्थान की सिफारिश करने के लिए एक और समिति नियुक्त की। इन्फ्रास्ट्रकचरल उपलब्धता, पर्यावरण पहलुओं आदि के दृष्टिकोण से राज्य सरकारों द्वारा सुझाए गए विभिन्न स्थानों की उपयुक्तता की जांच करने के बाद स्थान की सिफारिश की जानी थी। अप्रैल, 1981 में व्यवहार्य स्थानों का दो समितियों ने संयुक्त रूप से विस्तृत तकनीकी/आर्थिक उपयुक्तता अध्ययन कि । इन दो समितियों की रिपोर्ट, जिसमें विस्तृत तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन दिए गए हैं, 31 दिसम्बर, 1981 को प्राप्त हुई है।

रिपोर्ट की जांच समाप्त होने के तुरन्त बाद गैस पर आधारित छः उर्वरक संयंत्रों के वास्तविक स्थानों के सम्बन्ध में निर्णय लिए जाने की सम्भावना है।

स्थानों के बारे में विस्तृत जांच दो विशेषज्ञ दलों द्वारा की गई जिनमें मुख्यतः भारत सरकार के दो उपक्रमों के तकनीकी कार्मिक शामिल थे। अर्थात् मैसर्स प्राजेक्ट्स एण्ड डेवलेपमेन्ट इंडिया लिमिटेड और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के। भारत सरकार द्वारा उन पर 1,52,798 रुपये का व्यय किया गया है।

मध्य प्रदेश में विद्युतीकरण और विद्युतीकृत किये जाने वाले गांवों की संख्या

711. **श्री सुभाष यादव** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत मध्य प्रदेश राज्य में अब तक कितने गांव विद्युतीकृत हुए हैं;

(ख) वर्ष 1982-83 के दौरान मध्य प्रदेश राज्य में विशेषकर खरगोन जिले में कितने गांव विद्युतीकृत किए जाने की सम्भावना है; और

(ग) इस प्रयोजन के लिए आवंटित की गई राशि क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल 708,83 गांवों में से जून 1982 के अन्त तक 30,018 गांवों को विद्युतीकृत किया गया है ।

(ख) और (ग) वार्षिक योजना 1982-83 में मध्य प्रदेश में 2800 गांवों के विद्युतीकरण का लक्ष्य है । मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, 1982-83 के लक्ष्य में मध्य प्रदेश के खरगौन जिले में 100 गांवों का विद्युतीकरण करना शामिल है । वर्ष 1982-83 के लिये राज्य में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमों के लिए 30.70 करोड़ रुपये के परिव्यय का आवंटन किया गया है । इसमें राज्य के सामान्य विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 6.50 करोड़ रुपये, ग्राम विद्युतीकरण निगम से वित्त पोषण के लिए 14.20 करोड़ रुपए, संशोधित न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत 10.00 करोड़ रुपए शामिल हैं । इसके अतिरिक्त, कृषि पुनर्वित्त विकास निगम (ए०आर०डी०सी०) और विशिष्ट कृषि परियोजना (एस० पी० ए०) स्कीमों के अन्तर्गत 1,500 लाख रुपए की व्यवस्था किए जाने की सम्भावना है।

कम वजन के गैस सिलिण्डरों की सप्लाई

712. **श्री चन्द्रपाल शैलानी** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेरठ और अन्य जगहों से एल० पी० गैस एजेंसियों द्वारा कम वजन के गैस सिलिण्डरों की सप्लाई किए जाने के बारे में शिकायतें मिली हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन एजेंसियों के नाम क्या हैं जिनके विरुद्ध शिकायतें मिली हैं और सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) जी, हां । इंडियन आयल कारपोरेशन (आई० ओ० सी०) ने यह सूचित किया है कि उन्हें मेरठ तथा अन्य स्थानों के एल० पी० जी० ग्राहकों से अपने डिस्ट्रीब्यूटरों के विरुद्ध कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं ।

(ख) मेरठ स्थित निम्नलिखित इन्डेन डिस्ट्रीब्यूटरों के सम्बन्ध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं :

1. मैसर्स पासी गैस सर्विस
2. मैसर्स विजयंत गैस सर्विस
3. मैसर्स मेरठ गैस सर्विस
4. मैसर्स पवनसुत एन्टरप्राइसिस

उपर्युक्त डिस्ट्रीब्यूटरों के बारे में कम भार के एल० पी० जी० सिलैण्डरों पर प्राप्त हुई शिकायतों की जांच आई० ओ० सी० द्वारा कर ली गई है । अधिकांश शिकायतें ग्राहकों के खपत पैटर्न में अत्याधिक अन्तर पर आधारित हैं (दिनों की संख्या जब तक सिलैंडर समाप्त होता

है)। जहां ये सही पाई गई हैं उन मामलों में उसी अनुपात में ग्राहकों को आई० ओ० सी० द्वारा मुआवजा दिया गया है। आई० ओ० सी० ने अपने डिस्ट्रीब्यूटरों को उचित रूप से सावधान कर दिया है और उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए हैं कि केवल सही भार के एल० पी० जी० सिलेंडर ग्राहकों को डिलीवर दिए जाएं।

सूचना विभाग में उच्च पदों पर तदर्थ नियुक्तियां

713. **श्री दौलत राम सारण :**

प्रो० अजित कुमार मेहता :

श्री अजीत कुमार साहा :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छः महीनों के अन्दर तदर्थ नियुक्तियों की प्रथा को समाप्त करने के सरकार के दो वर्ष पूर्व के आदेशों के बावजूद सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन विभाग के उच्च पदों पर तदर्थ नियुक्तियां की जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और विभिन्न विभागों में ऐसे कितने पद हैं जिन पर इस समय तदर्थ नियुक्तियों के लोग काम कर रहे हैं और इन पदों पर उनका कार्य काल कितने समय के लिए है;

(ग) सरकार द्वारा छः महीनों के भीतर इस प्रथा को समाप्त करने के आदेशों के बावजूद तदर्थ नियुक्तियों को जारी रखने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने इस दिशा में क्या कार्यवाही की है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (**श्री बसन्त साठे**) : (क) सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन 13 माध्यम एकक हैं और इनमें से केवल चार माध्यम एककों के प्रमुख इस समय तदर्थ आधार पर नियुक्त हैं। ये तदर्थ नियुक्तियां अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से की गई हैं।

(ख) क्र० सं०	पद का नाम	सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालय का नाम	तारीख जिससे पद लगातार तदर्थ आधार पर भरा गया है।
1.	महानिदेशक	दूरदर्शन महानिदेशालय	1-5-80
2.	निदेशक	प्रकाशन विभाग	19-3-81
3.	निदेशक	विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय	12-5-80
4.	निदेशक	गवेषणा और संदर्भ प्रभाग	29-9-80

(ग) और (घ) इन तदर्थ नियुक्तियों को जारी इसलिए रखना पड़ा क्योंकि या तो जैसा कि महानिदेशक, दूरदर्शन के मामले में है, भर्ती नियम नहीं बने थे या, जैसा कि शेष 3 पदों, जो केन्द्रीय सूचना सेवा से सम्बद्ध हैं, के मामले में है, पोषक ग्रेड में परस्पर वरीयता के बारे में विवाद था जिससे इन पदों को तब तक तदर्थ आधार पर भरने पर विवश होना पड़ा जब तक इस प्रकार के विवादों का समाधान नहीं हो जाता। जबकि महानिदेशक दूरदर्शन के पद के भर्ती नियमों को अन्तिम रूप दिये जाने की कार्रवाई की जा रही है, केन्द्रीय सूचना सेवा में परस्पर वरीयता संबंधी विवाद का समाधान कर दिया गया है और तदर्थ नियुक्तियों को शीघ्र ही नियमित कर दिये जाने की सम्भावना है।

मराठी फिल्म "गल्ली से दिल्ली"

714. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड ने मराठी फिल्म "गल्ली के दिल्ली" पर आपत्ति की है क्योंकि उनमें राजनितिज्ञों पर व्यंग किया गया है:

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसी फिल्मों पर प्रतिबंध लगाना है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इसी फिल्म के दो गानों को आकाशवाणी से प्रसारित करने से मना कर दिया गया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) "गल्ली से दिल्ली" नामक फिल्म के दो गीतों को स्क्रीनिंग समिति द्वारा आकाशवाणी प्रसारण करने के लिए स्वीकृत नहीं किया गया है।

न्यायिक मामलों को निपटाने के लिए समय सीमा

715. **श्री एस० बी० सिदनाल** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि शीघ्रता से न्याय न मिलने के कारण देश में लोगों में असन्तोष व्याप्त है;

(ख) क्या सरकार का विचार न्यायालयों में मामलों के प्राय: होने वाले स्थगन को समाप्त करने और सभी प्रकार के न्यायिक मामलों को निपटाने के लिए समय सीमा निर्धारित करने के लिए विधियों में संशोधन करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) से (ग) सरकार को स्थिति की जानकारी है और वह इस समस्या पर बराबर विचार कर रही है। बकाया मामलों

से निपटने तथा विलम्ब से बचने के सम्बन्ध में विधि आयोग ने अनेक सिफारिशें की हैं। ये सिफारिशें राज्य सरकारों को आवश्यक कार्यवाही के लिए भेज दी गई हैं।

स्थगन के मामलों को कम करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता और दण्ड प्रक्रिया संहिता में समुचित उपबन्ध हैं और कोई संशोधन करने की आवश्यकता नहीं समझी जाती है। मामलों के निपटारे के सम्बन्ध में कोई समय-सीमा लागू करना व्यवहारिक नहीं है।

मई में हुए निर्वाचनों के विरुद्ध निर्वाचन आयोग को प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्यवाही

716. **श्री सूरजभान :**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत निर्वाचन आयोग को 19 मई, 1982 को हुए निर्वाचनों के सम्बन्ध में निर्वाचन अभियान के दौरान राज्य-वार किन-किन व्यक्तियों और दलों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) प्रत्येक शिकायत की विषय-वस्तु क्या थी और उन पर क्या कार्यवाही की गई, और

(ग) जनवरी, 1980 से मई, 1982 के बीच हुए अन्य उप-निर्वाचनों के सम्बन्ध में प्राप्त हुई शिकायतों की विषय-वस्तु क्या थी ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) से (ग) अपेक्षित जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सदन के पटल रख दी जाएगी।

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के कार्यकरण का पुनरीक्षण

717. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के कार्यकरण का पुनरीक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष रहे;

(ग) क्या सरकार की इस अधिनियम में कोई परिवर्तन करने की मंशा है; और

(घ) यदि हां, तो प्रस्तावित परिवर्तन किस किस्म के हैं और उनका ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) से (घ) केन्द्रीय सरकार ने कम्पनी अधिनियम, 1956 और एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार

अधिनियम (एम० आर० टी० पी० अधिनियम) 1969 का पुनरीक्षण करने के लिए उच्चाधिकार विशेषज्ञ समिति (सच्चर समिति) को अपने संकल्प दिनांक 23 जून, 1977 के द्वारा नियुक्त किया था। समिति ने इन अधिनियमों के कार्य का पुनरीक्षण किया था और अपनी रिपोर्ट अगस्त, 1978 में दे दी थी। अपनी रिपोर्ट में, समिति ने इन दोनों अधिनियमों के विभिन्न उपबन्धों में संशोधन करने का सुझाव दिया था। जहां तक एम० आर० टी० पी० अधिनियम का सम्बन्ध है, सरकार द्वारा उनको अधिक प्रभावी बनाने और देश में वर्तमान दिन-प्रतिदिन की आर्थिक स्थिति के सन्दर्भ में कतिपय उपबन्धों में संशोधन करने का पहले ही निर्णय कर लिया गया है। तदनुसार, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम में अत्यधिक तुरंत संशोधनों को मूर्तरूप देने के लिए एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (संशोधन) विधेयक, 1982 को लोक सभा में 27 अप्रैल, 1982 को पुरःस्थापित कर दिया गया है।

उत्तर-प्रदेश में टेलीफोन सलाहकार समितियां

718. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1980-82 की अवधि के दौरान उत्तर-प्रदेश में, राज्य और जिला स्तरों पर टेलीफोन सलाहकार समितियों का गठन किया गया है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूर्ण ब्योरा क्या है;

(ख) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या उपाय किए गए हैं; और

(ग) समितियों का गठन न करने के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां। उत्तर-प्रदेश राज्य के लिए एक दूरसंचार सलाहकार समिति गठित की गई हैं जिसमें टेलीफोन जिलों का अधिकार क्षेत्र शामिल नहीं है। किसी राज्य में प्रत्येक राजस्व जिले के लिए टेलीफोन सलाहकार समिति का गठन नहीं किया जाता बल्कि टेलीफोन जिले के लिए किया जाता है। उत्तर-प्रदेश राज्य में चार टेलीफोन जिले अर्थात आगरा, कानपुर, लखनऊ और वाराणसी हैं। इनमें से आगरा कानपुर और लखनऊ टेलीफोन जिलों के लिए टेलीफोन सलाहकार समितियां गठित की जा चुकी हैं; वाराणसी टेलीफोन जिले के लिए इस समिति का गठन अभी किया जाना है क्योंकि यह एक नव-सृजित टेलीफोन जिला है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

छोटा नागपुर और सन्थाल परगना में बी० सी० सी० एल०, सी० आई० एल० आदि द्वारा भूमि का अभिग्रहण

719. **श्री चित्त बसु :**

श्री विजय कुमार यादव :

क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बी० सी० सी० एल० और सी० आई० एल० ने हाल में बिहार कोयला क्षेत्रों में, विशेष रूप से छोटा नागपुर और सन्थाल परगना में विशाल भू-क्षेत्रों का अभिग्रहण किया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान उनके द्वारा अभिग्रहित भूमि का ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सभी मामलों में मुआवजे का भुगतान कर दिया गया है;

(घ) क्या उन लोगों के उचित पुनर्वास के लिए पर्याप्त प्रबन्ध कर लिए गए हैं, जो बेघर और भूमिहीन हो गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो पुनर्वास का कार्यक्रम का ब्योरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय के विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) और (ख) बिहार राज्य में पिछले तीन वर्षों में भा० को० को० लि० और से० को० लि० द्वारा अधिग्रहित भूमि नीचे दी गई है :

(एकड़ों में)

	भा० को० को० लि०	से० को० लि०
1979-80	61.63	100.22
1980-81	680.89	शून्य
1981-82	247.37	4.17
जोड़	989.89	104.39

(ग) भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अधीन भूमि के अधिग्रहण के लिए जिलाधीश के अनुरोध के आधार पर उनके पास पर्याप्त धनराशि जमा कर दी गई है ताकि भुगतान के पहले पूरी की जाने वाली आवश्यक औपचारिकताओं के पूरा हो जाने पर अलग-अलग मामलों में मुआवजे का भुगतान किया जा सके। जहां तक कोयलाधारी क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम के अधीन अधिग्रहीत भूमि के मुआवजे का प्रश्न है, मुआवजे का भुगतान अधिनियम की व्यवस्थाओं के अनुसार किया जाता है।

(घ) और (ङ) भू-वंचितों के परिवारों को उपलब्ध रिक्तियों की संख्या के अनुसार नौकरी देने का प्रस्ताव किया जाता है। इसके अलावा जिन आदिवासियों की भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है उनके पुनर्वासन के सम्बन्ध में सरकारी नीति के अनुसार कोयला कम्पनियों को भी यह सलाह दी गई है कि वे आदिवासियों को बसाने के लिए भूमि उपलब्ध कराएं।

डाक और तार विभाग की डाक सेवाओं में हानि

720. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 'डाक सेवाओं' में (वर्ष 1981-82 की भारतीय डाक और विभाग की वार्षिक रिपोर्ट विवरणिका 3 के अनुसार) वर्ष 1980-81 में 72.15 करोड़ रुपये की हानि के क्या कारण हैं जबकि वर्ष 1979-80 में 11.53 करोड़ रुपये की ही हानि हुई थी और वर्ष 1978-79 में 2.27 करोड़ का लाभ हुआ था ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : 1980-81 में डाक सेवाओं के घाटे में हुई वृद्धि का मुख्य कारण यह है कि विभाग की नीति डाक दरों को कम रखने की रही है (हालांकि ये दरें अलाभकारी पाई गई थीं) जिसका परिणाम यह रहा कि डाक शाखा खर्चे के बराबर राजस्व अर्जित नहीं कर सकी। निम्न कारणों के खर्च में वृद्धि को रोका नहीं जा सकता था।

(क) कर्मचारियों को विभिन्न रियायतें दिया जाना जैसे महंगाई भत्ते की मंजूरी, पेंशन-भोगियों को राहत/पेंशन फार्मूले को उदार बनाना तथा पेंशन प्रयोजन के लिए महंगाई भत्ते के एक भाग को वेतन के रूप में मानना तथा उत्पादन से जुड़े बोनस की कर्मचारियों की अदायगी।

(ख) लेखन सामग्री और मुद्रण की विभिन्न मदों, कार्यालय प्रयोग की अन्य मदों, जिनमें डाक भवनों के रखरखाव के लिए अपेक्षित मदें और (कार्यालय प्रयोग के लिए अपेक्षित) लेख सामग्री की मदें, मशीनरी और उपस्कर भी शामिल हैं, की कीमतों में भारी वृद्धि।

(ग) वायुयान तथा रेल द्वारा डाक की ढुलाई के लिए तथा डाक लेखन सामग्री आदि की छपाई के लिए दरों में वृद्धि।

बड़े बड़े मफिया ग्रुपों के विरुद्ध पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही न किया जाना

721. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कानून लागू करने वाले प्राधिकारियों द्वारा धनबाद में मफिया-गिरोहों के छोटे मोटे लोगों के विरुद्ध तो जांच की जा रही हैं लेकिन बड़े-बड़े मफिया गिरोहों को अपना काम निर्बाध रूप से चलाने के अछूता छोड़ा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है; और

(ग) यदि नहीं, तो धनबाद मफिया के ऐसे बड़े-बड़े नामों की सूची क्या है, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया; तथा उनके विरुद्ध शुरू की गई कार्यवाही का ब्योरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय के कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) से (ग) कानून और व्यवस्था राज्य सरकार का विषय है। अतः राज्य सरकार मामले में आवश्यक कार्रवाई कर रही है।

फिर भी, भा० को० को० लि० ने इस मामले में निम्नलिखित कदम उठाए हैं :

(1) कोयले, कोक और रेत के सड़क परिवहन का विभागीकरण;

(2) सिविल ठेकेदारों को धीरे धीरे खत्म करना;

(3) बैंक की अधिक शाखाएं और सहकारी ऋण/बचत समितियां खोलना;

(4) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई;

(5) के० ओ० सु० ब० को मजबूत बनाना;

(6) राज्य सरकार द्वारा खोले गए नए पुलिस थानों और पुलिस चौकियों के लिए भवनों का निर्माण।

औषध निर्माताओं को कच्चे माल की सप्लाई

722. **श्री राम प्यारे पनिका** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औषध निर्माताओं को समय पर कच्चा माल नहीं मिलता है;

(ख) यदि हां, तो उनके लिए समय पर कच्चे माल की सप्लाई की व्यवस्था करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय करने का विचार है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या गत छः महीनों के दौरान सरकार को ऐसी कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है तथा अब तक उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ) सरकार आवधिक रूप से और नियमित अन्तराल पर स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन (एस० टी० सी०) के माध्यम से किए जाने वाले सरणीबद्ध औषधों के वितरण की स्थिति की समीक्षा करती है। गत 6 महीनों के दौरान कुछ वास्तविक प्रयोगकर्ताओं द्वारा कुछ सरणीबद्ध औषधों की सीमित उपलब्धता की सूचना दी गई है । सीमित उपलब्धता अन्य बातों के साथ-साथ (क) अन्तर्राष्ट्रीय सप्लायरों द्वारा प्रेषण में विलम्ब, (ख) किस्म परीक्षण में औषध का पास न होना, (ग) कुछ सरणीबद्ध औषधों के स्वदेशी उत्पादकों द्वारा उत्पादन बाधाओं के कारण थी । इनमें से कुछ मामलों में वास्तविक प्रयोगकर्ताओं को आयात के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किए गए थे। सीमित सप्लाई की सूचना वाली कुछ सरणीबद्ध औषधों का वायुयान द्वारा आयात किए जाने के लिए एस० टी० सी० को भी अनुमति दी गई थी ।

डाक-सेवाओं में विविधता लाना

723. **श्री एन० डेनिस** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खपत के संदर्भ में डाक-प्रभार की मूल्य वृद्धि के प्रभाव का कोई अध्ययन शुरू कराया है;

(ख) क्या डाक सेवाओं में विविधता लाने के कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं । फिर भी, विभाग द्वारा समय-समय पर संकलित किए गए आंकड़ों के जरिए यह महसूस किया गया कि विभिन्न डाक सेवाओं की दरों में सामयिक संशोधन के बावजूद डाक परियात उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है।

(ख) और (ग) फिलहाल सेवाओं में रद्दो-बदल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । तथ पि, पिछड़े और जन-जातीय क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देते हुए देश में डाक जाल कार्य का और अधिक

विस्तार करने के प्रस्ताव है। छठी पंचवर्षीय योजना (1980 85) में ग्रामीण क्षेत्रों में 8,000 अतिरिक्त डाक घर खोलने का विचार है।

ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी के तेल की अनुपलब्धता

724. **श्री चिन्तामणि जेना :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, मिट्टी के तेल की अनुपलब्धता के बारे में बार-बार शिकायतें मिलती रहती हैं;

(ख) उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस समस्या का हल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को मिट्टी के तेल की सप्लाई समग्र रूप से संतोषजनक रही है और अभी हाल में उत्पाद की कोई गंभीर कमी नहीं दिखाई दी है। केवल अप्रैल, 1982 के महीने के दौरान, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड की बम्बई शोधनशाला में औद्योगिक सम्बन्धों की समस्याओं कोचीन और विशाखापटनम शोधनशालाओं के लगातार बन्द रहने और आयातों में कमी आ जाने के फलस्वरूप-उत्पाद उपलब्धता की बाधाओं के कारण मिट्टी के तेल की बिक्री पर प्रभाव पड़ा था। इसके परिणामस्वरूप, अप्रैल, 1982 के दौरान स्थानीय प्रगति की अस्थायी कमी हुई थी। जबकि मिट्टी के तेल का समग्र आवंटन पेट्रोलियम विभाग द्वारा किया जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों सहित राज्य के अन्तर्गत उत्पाद का सम-विवरण करना राज्य सरकार का उत्तरदायित्व होता है।

(ग) उपर्युक्त शोधनशालाओं में उत्पादन पुनः आरम्भ करने और आयात पारसलों को प्राप्त करने पर मई, 1982 से आगे मिट्टी के तेल की समग्र उपलब्धता में सुधार हुआ था और महीने के दौरान बिक्री अधिकांश रूप से आवंटनों के अनुरूप थी।

बिहार में गांवों का विद्युतीकरण

725. **श्री रामविलास पासवान :**

श्री राजेश कुमार सिंह :

क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत बिहार में कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया;

(ख) इस राज्य में वर्ष 1982-83 के दौरान कितने गांवों का विद्युतीकरण किये जाने की सम्भावना है; और

(ग) इस प्रयोजन के लिए आवंटित की गई राशि कितनी है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) प्रगति रिपोर्ट के अनुसार कुल 67,566 गांवों में से फरवरी, 1982 के अन्त तक राज्य में 23,108 गांवों को विद्युतीकृत कर दिया गया है जो 34.2 प्रति शत बैठते हैं।

(ख) और (ग) वर्ष 1982-83 के दौरान बिहार में 4,440 गांवों को विद्युतीकृत किए जाने का प्रस्ताव है। 1982-83 की वार्षिक योजना में 17.63 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था है, जिसमें 2.00 करोड़ रुपये राज्य के सामान्य विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत, 8.79 करोड़ रुपये ग्राम विद्युतीकरण निगम की वित्त व्यवस्था से तथा 6.84 करोड़ रुपये संशोधित न्यूनमत आवश्यकता कार्यक्रम (आर० एम० एन० पी०) के अन्तर्गत हैं।

समाचार-प्रसारण के बारे में मार्गदर्शी सिद्धान्त

726. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समाचार सेवा विभाग समाचार-प्रसारण के बारे में मार्गदर्शी सिद्धान्तों का पालन नहीं कर रहा है; और

(ख) इस सम्बन्ध में जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों का ब्योरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : (क) जी, नहीं।

(ख) अन्य बातों के साथ-साथ समाचार नीति के सम्बन्ध में आकाशवाणी/दूरदर्शन और अन्य माध्यमों को 2-7-80 को जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों की प्रति परिशिष्ट-1 पर है।

[ग्रन्थालय में रखा गया—देखिए संख्या एल० टी० 4228/82]

आकाशवाणी/दूरदर्शन के लिए पार्थसारथी समिति द्वारा अनुशंसित और सरकार द्वारा स्वीकृत तथा उक्त माध्यम एककों को जारी किए गए विशिष्ट समाचार नीति सम्बन्धी मार्गदर्शी परिशिष्ट-2 में दिए गए हैं।

[ग्रन्थालय में रखा गया—देखिए संख्या एल० टी० 4228/82]

दक्षिण भारत में उच्चतम न्यायालय की न्यायपीठ की स्थापना

727. **श्री स्कारिया थामस** :

प्रो० पी० जे० कुरियन :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थायी न्यायपीठ की स्थापना सम्बन्धी प्रस्ताव की अब क्या स्थिति है; और

(ख) इस न्यायपीठ द्वारा कब से काम शुरू किए जाने की सम्भावना है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) और (ख) संविधान के अनुच्छेद 130 में यह उपबन्ध है कि "उच्चतम न्यायालय दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थान या स्थानों में बैठेगा जिन्हें भारत का मुख्य न्यायाधिपति, राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय-समय पर नियत करे।" इस सम्बन्ध में भारत के मुख्य न्यायाधिपति से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

शांति घाटी परियोजना

728. श्री के० ए० राजन : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के बिजली मन्त्री ने राज्य में प्रस्तावित शांति घाटी परियोजना की क्रियान्विति के सम्बन्ध में उनसे मुलाकात की थी; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में हुई वार्ता का ब्योरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) केरल के बिजली मन्त्री ने 18 जून, 1982 को केन्द्रीय ऊर्जा मन्त्री से भेंट की थी। विचार-विमर्श के दौरान साईलेन्ट वैली जल-विद्युत परियोजना के प्रश्न पर चर्चा नहीं हुई।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

इलेक्ट्रोनिक मतदान मशीन का भविष्य में प्रयोग

729. श्री नरसिंह मकवाना : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इलेक्ट्रोनिक मतदान मशीन का प्रयोग कहां तक सफल सिद्ध हुआ है तथा इस मशीन का भविष्य में प्रयोग करने के लिए बनाई गई योजना का ब्योरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : निर्वाचन आयोग ने बताया है कि इलेक्ट्रोनिक कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड/भारत इलेक्ट्रोनिक लिमिटेड द्वारा विनिर्मित इलेक्ट्रोनिक मतदान मशीनों का आजमाइश के रूप में परीक्षा 19 मई, 1982 को विधान सभा के लिए हुए साधारण निर्वाचन में केरल राज्य में परुर सभा निर्वाचन क्षेत्र के कुछ भाग में किया गया था और यह कि ये मशीनें मतदाताओं द्वारा ग्राह्यता, मतदान में गोपनीयता और दक्षता बनाए रखने की दृष्टि से सफल साबित हुई हैं।

आयोग का प्रस्ताव है कि पर्याप्त धन और मशीनें उपलब्ध होने पर इस परीक्षण को एक विस्तृत क्षेत्र में अर्थात् यदि सम्भव हो सके तो, भविष्य में होने वाले साधारण निर्वाचन/उपनिर्वाचन में सुविधानुसार किसी सम्पूर्ण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जारी रखा जाए। आयोग भविष्य में मशीनों के प्रयोग के लिए योजना का ब्योरा इन परीक्षणों के परिणाम के आधार पर तैयार करेगा।

इन्दौर और धूलिया में दूरदर्शन केन्द्र

730. श्री शिव कुमार सिंह : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के इन्दौर में और महाराष्ट्र के धूलिया में दूरदर्शन रिले केन्द्र कब से काम करना शुरू कर देंगे; और

(ख) क्या मध्य प्रदेश के खंडवा जिले को भी इन रिले-केन्द्रों से लाभ पहुँचेगा ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) अगले 20 वर्षों में चार चरणों में देश में दूरदर्शन के विस्तार की भावी योजना के अन्तर्गत माइक्रोवेव लिंक की सहायता से दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित करने के लिए इन्दौर और धूलिया सहित 49 स्थानों को चुना गया है। इन्दौर और धूलिया प्रथम चरण (1980-85) में है। इन प्रस्तावों का कार्यान्वयन संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(ख) इन्दौर में 10 किलोवाट का ट्रांसमीटर लग जाने पर खण्डवा जिले के भागों में दूरदर्शन सेवा उपलब्ध होगी, किन्तु यह धूलिया के दूरदर्शन केन्द्र की सेवा परिधि से बाहर होगा।

पलाना तापीय विद्युत केन्द्र

731. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान के प्रस्तावित पलाना तापीय विद्युत केन्द्र के वित्तीय पहलू के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण है; और

(ग) उक्त विद्युत केन्द्र के लिए किस विशेष तारीख तक वित्तीय मंजूरी दे दी जायेगी और यह कब तक कार्य करना आरम्भ कर देगा ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) राजस्थान के बीकानेर जिले में पलाना में 60-60 मेगावाट की 2 यूनिटों के लिग्नाइट पर आधारित ताप विद्युत केन्द्र की प्रतिष्ठापना की स्कीम को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने 67.3 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति दे दी है। पलाना ताप विद्युत केन्द्र को तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति देते समय, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने पलाना ताप विद्युत परियोजना और पलाना खान परियोजना को साथ-साथ अनुमोदन प्रदान करने की सिफारिश की है। स्कीम को वित्त-पोषित करने के लिए राज्य की योजना में पर्याप्त स्रोत उपलब्ध न होने के कारण निवेश सम्बन्धी स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है। परियोजना की स्वीकृति के पश्चात पहली यूनिट चालू करने में लगभग 56 महीने लगने की संभावना है।

थाल वैशेट उर्वरक परियोजना की अनुमानित लागत

732. **श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र की थाल वैशेट उर्वरक परियोजना की मूल अनुमानित लागत क्या थी, और परियोजना की वर्तमान लागत क्या है; और

(ख) वर्तमान लागत में विदेशी मुद्रा का कितना भाग है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलवीर सिंह) : (क) और (ख) मैसर्स राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि० (आर० सी० एफ०) की थाल उर्वरक परियोजना की अनुमानित लागत 230 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा अंश सहित 511.34 करोड़ रुपए है, जैसाकि सरकार ने मई, 1979 में अनुमोदन किया था। आर० सी० एफ० ने हाल ही में परियोजना के निश्चित लागत अनुमान सरकार को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये है जो 301.2 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अंश सहित 917.3 करोड़ रुपये है।

औषध उद्योग के संगठित क्षेत्र में वृद्धि दर

733. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषध उद्योग के संगठित क्षेत्र को 25 प्रतिशत की वृद्धि दर की अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या नई नीति के अन्तर्गत विदेशी फर्में उत्पादन बढ़ाने के लिए जितना कच्चा माल चाहे, उतने की मांग भी कर सकती हैं;

(ग) नई औषध नीति में क्या मुख्य परिवर्तन किए गए हैं; और

(घ) नई नीति लघु क्षेत्र के लिए कहां तक लाभप्रद और सहायक होगी ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) वर्ष 1982-83 के लिए सरणीबद्ध औषधों की वितरण नीति में संगठित क्षेत्र के औषध यूनिटों, जिनके लाइसेंसों में फार्मूलेशन वार क्षमता निर्दिष्ट हैं, को 25% की मदवार वृद्धि दर की अनुमति दी गई है। उन मामलों में जहां लाइसेंस में विशिष्ट फार्मूलेशन वार क्षमता निर्दिष्ट नहीं है, जहां 25% वृद्धि दर की अनुमति होगी बशर्ते कि लाइसेंसी शुद्ध क्षमता लाइसेंस पर नियत और पृष्ठांकित की जाएगी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) 1978 की नई औषध नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। तथापि यदि प्रश्न में वर्ष 1982-83 के लिए सरणीबद्ध औषधों की वितरण नीति का हवाला दिया गया है तो उसमें लागू किए गए प्रमुख परिवर्तन निम्न प्रकार हैं :

(i) डी० जी० टी० डी० यूनिटों को मदवार 25% वृद्धि दर की अनुमति दी गई है।

(ii) भारतीय क्षेत्रीय डी० जी० टी० डी० यूनिटें अपनी उपरोक्त हकदारी से अधिक की मांग कर सकते है या प्राप्त कर सकते हैं बशर्ते कि वे अपने पूर्व आवंटित सरणीबद्ध औषधों की खपत को प्रमाणित करते हुए खपत प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें।

(iii) लघु उद्योग यूनिटों को 50% के समान वृद्धि दर की अनुमति दी गई है चाहे उनका वार्षिक बिक्री व्यापार कितना ही हो।

(iv) नए लघु उद्योग यूनिट के मामले में सरणीबद्ध औषधों की हकदारी का अधिकतम मूल्य तीन लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दिया गया है।

(v) लघु उद्योग यूनिटों को अपनी हकदारी के एक अंश को समर्पित करने के बाद पुराने सरणीबद्ध मदों और या किसी एक नई सरणीबद्ध मद की अतिरिक्त मात्रा का दावा करने और उसे प्राप्त करने के लिए अधिक गुंजाइश की अनुमति दी गई है।

(vi) औद्योगिक रूप से निर्दिष्ट पिछड़े क्षेत्र या व्यावसायिक विषधों में स्नातक/सनद प्राप्त या भूतपूर्व सैनिक/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के व्यक्तियों द्वारा लगाए गए लघु उद्योग यूनिटों के मामले में 1981-82 की वितरण नीति के अन्तर्गत पांच लाख रुपये की तुलना में सरणीबद्ध औषधों की हकदारी के अधिकतम मूल्य को बढ़ाकर साढ़े सात लाख रुपए कर दिया गया है।

(घ) उपरोक्त प्रावधान चूंकि लघु उद्योग यूनिटों से सम्बन्धित है, इसलिए सरणीबद्ध औषधों का अधिक आवंटन प्राप्त करने में ये इन यूनिटों के लिए लाभप्रद और सहायक होंगे।

केरल के त्रिवेन्द्रम जिले के लिए टेलीफोन सलाहकार समिति

734. **श्री ए० नीलालोहितदासन नाडार : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में टेलीफोन सलाहकार समितियों के पुनर्गठन के लिए क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं और उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि हाल ही में जब केरल के त्रिवेन्द्रम जिले को टेलीफोन सलाहकार समिति का गठन किया गया था, तो त्रिवेन्द्रम जिले का प्रतिनिधित्व करने वाले संसद सदस्यों को उसमें शामिल नहीं किया गया; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) प्रत्येक टेलीफोन जिले तथा प्रत्येक राज्य/संघ शासित प्रदेश के लिए टेलीफोन/दूरसंचार सलाहकार समितियां बनाई जाती हैं। टेलीफोन सलाहकार समितियों में विविध व्यवसायों की विभिन्न श्रेणियों जैसे राज्य प्रशासन, राज्य विधान मण्डल, संसद, व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग, चिकित्सा व्यवसाय, विधि व्यवसाय आदि के प्रतिनिधि होते हैं। दूरसंचार सर्किल/टेलीफोन जिले के अध्यक्ष से विभिन्न व्यवसायों का

प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों के नामों की सूची प्राप्त की जाती है। डाक तार विभाग संसद सदस्यों के नामांकन संसदीय कार्य विभाग से प्राप्त करता है। सरकार टेलीफोन सलाहकार समिति के लिए नामांकन, महाप्रबंधक/जिला प्रबंधक, मंत्रालय द्वारा सीधे प्राप्त तथा संसदीय कार्य विभाग से प्राप्त नामों की सूची पर विचार करने के बाद करती है।

(ख) और (ग) वर्तमान नीति के अनुसार संसदीय कार्य विभाग के परामर्श से त्रिवेन्द्रम टेलीफोन सलाहकार समिति के लिए दो संसद सदस्यों का नामांकन किया गया था।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में टेलीविजन-व्यवस्था आरम्भ करने के लिए पूर्वोत्तर परिषद् की मांग

735. **श्री बाजूबन रियान** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पूर्वोत्तर परिषद् ने उस क्षेत्र में कम से कम समय में और न्यूनतम व्यय पर टेलीविजन व्यवस्था आरम्भ करने के लिए 28 करोड़ रुपये की योजना, योजना आयोग की स्वीकृति की मांग की है;

(ख) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने इस मामले को योजना आयोग के साथ उठाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (ङ) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में 25.7 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय से दूरदर्शन सेवा शुरू करने की एक विशेष योजना इस मंत्रालय द्वारा तैयार की गई थी। उक्त योजना को उत्तर पूर्वी परिषद् ने भी स्वीकृत कर दिया था। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में दूरदर्शन सेवा शुरू करने की स्कीम को कार्यान्वित करने के लिए योजना आयोग में छठी पंचवर्षीय योजना में 7 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है।

प्राकृतिक गैस का उपयोग

736. **श्री रेणुपद दास** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्राकृतिक गैस का उपयोग करने के लिए नीति निर्णय लिया है; और

(ख) क्या प्राकृतिक गैस के प्रमुख अंश, मेथेन का उपयोग नहीं किया जाता है और उसे सही सरकारी नीति के अभाव में उद्योग को उचित ढंग से सप्लाई नहीं किया जा रहा है;

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) सरकार की वर्तमान नीति यह है कि जहां तक व्यवहार्य हो गैस का उपयोग उर्वरकों के उत्पादन, पेट्रो-

रसायनों और एल० पी० जी० के निकालने आदि के लिए फीड-स्टाक के रूप में लाया जाना चाहिए। जहां तक गैस (मेथान सहित) इन प्रयोजनों के लिए तत्काल प्रयोग में लाई जा सकती हो उसे बिजली पैदा करने आदि जैसे अन्य प्रयोजनों के लिए अस्थायी आधार पर दूसरे काम में प्रयोग में लाया जा सकता है जब तक कि उर्वरक और पेट्रो-रसायन जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्र इसे प्रयोग में लाने के लिए तैयार नहीं है।

गुजरात में कुछ कम दबाव वाली गैस जो उत्पादन प्रयोजनों के लिए आन्तरिक रूप से प्रयोग में लाई जाती है को छोड़कर असम्बद्ध और फ्री उपभोक्ताओं को दी जाती है। असम में इस समय गैस की अतिरिक्त उपलब्धता है, जिसका एक मुख्य भाग हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लि० (एच० एफ० सी० एल०) की नमरूप II यूनिट को तथा असम राज्य विद्युत बोर्ड की प्रस्तावित विस्तार यूनिट को सप्लाई करने के लिए दिया जाता है। तथापि, उपभोक्ताओं को दी जाने वाली गैस का भाग जो उनके द्वारा उठाया नहीं जाता और उपकरणों आदि का मशीनरी तौर पर खराब हो जाने से गैस की कुछ मात्रा को जलाया जाना आवश्यक हो जाता है। बम्बई हाई क्षेत्र से उत्पादित अपतटीय सम्बद्ध गैस मैसर्स राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स को फीड-स्टाक और ईंधन के रूप में और मैसर्स टाटा इलैक्ट्रिक कम्पनी और महाराष्ट्र स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड को विद्युत पैदा करने के लिए सप्लाई की जाती है। बिजली पैदा करने के लिए गैस की ईंधन के रूप में यह सप्लाई अपतटीय गैस के अधिमान्यता वाले उपभोक्ता अर्थात थाल फर्टिलाइजर्स प्लांटों आदि के पूरे होने तक पूर्णत: अस्थायी आधार पर है।

पेट्रोलियम उत्पादों के आयात

737. **श्री ए० टी० पाटिल : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष के प्रारंभ में पहले से ही अनुमानित पेट्रोलियम उत्पादों के सामान्य आयातों के अतिरिक्त इनका आयात बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कितनी मात्रा में वास्तविक आयात किये गये और इसी अवधि के दौरान देश में कितना उत्पादन हुआ;

(घ) आयातों की मात्रा कम करने अथवा उसे प्रतिबन्धित करने के लिए सरकार का उपयोग पर रोक, आयातों के स्थान पर अन्य तरीका अपनाने या किसी अन्य तरीके जैसे क्या उपाय करने का विचार है; और

(ङ) राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर इस स्थिति के क्या प्रभाव पड़े हैं और उनका मुकाबला करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) वर्ष 1982-83 में 4 मि० मी० टन पेट्रोलियम उत्पादों का आयात करने के प्रारम्भिक अन्तरिम अनु-

मानों की तुलना में वर्तमान अनुमान 5.8 मि० मी० टन ऐसे उत्पादों का आयात करने के हैं। आयात की आवश्यकताओं में वृद्धि होने के कारण अन्य बातों के साथ-साथ मुख्यत: जून, 1982 तक बम्बई में भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड में औद्योगिक सम्बन्ध समस्याएं तथा कम से कम सितम्बर, 1982 के अन्त तक इसकी गौण संसाधन यूनिट का बन्द होना और साथ ही मथुरा तथा कोयाली शोधनशालाओं की गौण संसाधन यूनिटों को चालू करने में विलम्ब थे।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों के आयात की वास्तविक मात्राएं और तदनुरूपी अवधि में स्वदेशी उत्पादन के आंकड़े नीचे दिए गए हैं :

(मात्रा मि० मी० टनों में)

वर्ष	पेट्रोलियम उत्पाद	
	स्वदेशी उत्पादन मात्रा	आयात मात्रा
1979-80	25.79	4.73
1980-81	24.12	7.29
1981-82*	28 20	4.97

*अस्थायी

(घ) और (ङ) इस सम्बन्ध में आयात पर निर्भरता को न्यूनतम करने के लिए सरकार द्वारा लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। देशीय अशोधित तेल के उत्पादन और परिशोधन क्षमता को बढ़ाने के लिए उठाये गये कदमों के अलावा पेट्रोलियम उत्पादों की खपत को कम करने के लिए अनेक उपाय किये गए हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं :

(1) सामान्य रूप से बाजार में बिकने वाले 45 प्रतिशत ताप कुशलता वाले अन्य मिट्टी के तेल के बत्ती वाले स्टोवों की तुलना में 60 प्रतिशत की ताप कुशलता वाले मिट्टी के तेल के बत्ती वाले स्टोवों की सुधरी हुई किस्म को आरम्भ करना।

(2) केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अपनी स्टांफकारों में मोटर स्पिरिट (पेट्रोल) की खपत की में बचत करने के लिए परामर्श देना।

(3) डीजल के उपभोग में कुशलता प्राप्त करने के लिए राज्य सरकारों को परामर्श देना कि वह शहरों और कस्बों में यात्री परिवहन वाहनों में और स्थानीय परिवहन कानूनी रूप से गति सीमाएं निर्धारित करें और साथ ही अधिक धुआं निकालने वाली माल व यात्री वाहनों को नियंत्रित करें।

(4) परिवहन क्षेत्र में हाई स्पीड डीजल तेल त उपयोग में अधिकतम कुशलता प्राप्त करने के लिए राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों जिनके पास वाहनों के बड़े-बड़े है अध्ययन आरम्भ करना।

(5) जहां कहीं भी प्रौद्योगिकीय रूप से व्यवहार्य है भट्टी के तेल का कोयले द्वारा प्रतिस्थापन किया जाना ।

(6) पेट्रोलियम संरक्षण तथा अनुसन्धान संघ से कहा गया है कि संरक्षण के उपायों के लिए अपनी गतिविधियों को तीव्र करें ।

आयातों पर निर्भरता को न्यूनतम करने के लिए इन उपायों को अपना रहा है और वर्ष 1981-82 के लिए खनिज तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के आयात के कारण विदेशी मुद्रा बहिर्गमन वर्ष 1980-81 की तुलना में कम रहा है ।

दिल्ली के अस्पतालों के कार्यकरण में विद्युत में कटौतियों के कारण बाधा

738. **श्री डा० सरदीश राय :**

श्री सुशील भट्टाचार्य :

क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि विद्युत में कटौतियों के कारण दिल्ली के अस्पतालों के कार्यकरण में बाधा पड़ी है; और

(ख) स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) दिल्ली/नई दिल्ली में स्थित सभी प्रमुख अस्पतालों को दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा समय-समय पर जारी लोड शैडिंग से छोड़ दिया गया है । यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं कि अस्पतालों को बिना किसी बाधा के विद्युत सप्लाई कायम रखी जाए ।

उन न्यायाधीशों के मामलों का पुनरीक्षण जिनके नातेदार उसी न्यायालय में विधि व्यवसाय कर रहे हैं

739. **श्री माधव राव सिंधिया : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत के मुख्य न्यायाधिपति श्री वाई० वी० चन्द्रचूड़ द्वारा लगभग एक वर्ष पूर्व व्यक्त किए गए इस आशय के विचार पर ध्यान दिया है कि उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों को जिनके नातेदार उसी न्यायालय में विधि व्यवसाय कर रहे हों, चाहिए कि वे स्वयं यह प्रस्थापना करें कि उनका स्थानान्तरण उनके राज्यों से बाहर कर दिया जाए जिससे कि न्यायपालिका उसके विरुद्ध प्राय: किए जाने वाले इस लांछन से बच सके कि वह पक्षपात को बढ़ावा दे रही है;

(ख) यदि हां, तो उक्त टिप्पणी को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार ऐसे न्यायाधीशों को संबंधित राज्यों से बाहर स्थानान्तरित करने को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न उच्च न्यायालयों में स्थिति की पुनरीक्षा की है;

(ग) इस प्रकार की पुनरीक्षा के क्या परिणाम निकले; और

(घ) उक्त परिणामों को ध्यान में रखते हुए, लोगों के दिमाग में उभरते हुए संदेह को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, भारत के मुख्य न्यायाधिपति ने अपने एक भाषण में उच्च न्यायालयों के उन न्यायाधीशों से जिनके निकट नातेदार उसी न्यायालय में विधि व्यवसाय कर रहे हैं, अपील की थी कि वे स्वेच्छा से राज्य के बाहर स्थानांतरित किए जाने का विकल्प दें।

(ख) से (घ) यदि भारत के मुख्य न्यायाधिपति द्वारा की गई अपील के प्रत्युत्तर में किसी न्यायाधीश से अपने स्थानांतरण के लिए कोई अनुरोध प्राप्त होता है तो सरकार उस पर विचार करेगी।

दक्षिण और पश्चिम दिल्ली में बिजली की कमी

740. **श्री तारिक अनवर** :

श्री एस० एम० कृष्ण :

क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण तथा पश्चिम दिल्ली की कालोनियों में बिजली की भारी कमी है और बार-बार कटौती की जाती है;

(ख) क्या बिजली में कटौती विद्युत की कमी के कारण की जाती है अथवा बिजली की सप्लाई में त्रुटि के कारण; और

(ग) क्या ग्रीष्म ऋतु के शेष भाग में स्थिति में सुधार होगा या ऐसी ही रहेगी ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) जहां तक विद्युत की उपलब्धता का सम्बन्ध है, कोई कमी नहीं है। मुख्य रूप से वितरण प्रणाली में बाधाओं के कारण तथा रोहतक रोड पर भाखड़ा तथा व्यास प्रबन्ध बोर्ड के उप केन्द्र में 100 एम० वी० ए० 220/33 के० वी० के दो ट्रांसफार्मरों के फेल हो जाने के कारण उत्तर और पश्चिम दिल्ली में लोड शैडिंग करना पड़ा था।

(ग) दिल्ली विद्युत संस्थान द्वारा युद्ध स्तर पर कुछ कार्य पूरे कर लिए जाने के कारण स्थिति में सुधार हो गया है।

बिहार में बिजली की कमी

741. **श्री रामस्वरूप राम** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार राज्य में पिछले कुछ सप्ताहों में बिजली का संकट बहुत बढ़ गया है जिसके परिणामस्वरूप औद्योगिक विकास ठप्प हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य में विद्युत की स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जून, 1982 के दौरान बिहार की औसत ऊर्जा आवश्यकता लगभग 12.7 मिलीयन यूनिट प्रतिदिन थी। 1 जून से 10 जून, 1982 के दौरान बिहार राज्य बिजली बोर्ड का उत्पादन लगभग 5.5 मिलियन यूनिट प्रतिदिन था तथा उन्हें प्रतिदिन 0.5 मिलियन यूनिट की सहायता उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुई और 0.8 मिलियन यूनिट की सहायता दामोदर घाटी निगम से प्राप्त हुई। इस प्रकार बिहार में 1 जून से 10 जून, 1982 के दौरान कुल मिलाकर प्रतिदिन विद्युत की उपलब्धता 6.8 मिलियन यूनिट थी। 11 जून से 30 जून, 1982 के दौरान बिहार राज्य बिजली बोर्ड का प्रतिदिन औसत विद्युत उत्पादन लगभग 8.1 मिलियन यूनिट था और उन्हें उत्तरी क्षेत्र से 0.3 मिलियन यूनिट की सहायता भी मिली है। तदनुसार 11 से 30 जून, 1982 के दौरान बिहार में कुल मिलाकर विद्युत की उपलब्धता लगभग 8.4 मिलियन यूनिट प्रतिदिन हो गई। बिहार में कोई अधिसूचित विद्युत कटौतियां/प्रतिबन्ध लागू नहीं हैं तथा विद्युत की कमी को पूरा करने के लिए दिन प्रतिदिन की विद्युत की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए लोड शेडिंग की जा रही है यद्यपि विद्युत की कमी का औद्योगिक उत्पादन पर प्रभाव पड़ा है तथापि यह कहना उचित नहीं होगा कि विद्युत की कमी के कारण बिहार में औद्योगिक विकास ठप्प हो गया है।

(ख) उत्तरी क्षेत्र में जब विद्युत की कमी को जब कभी कम करना सम्भव हो सका है, बिहार को उत्तर प्रदेश से सहायता देने का प्रबन्ध किया गया है। विद्युत की कम उपलब्धता की अवधि के दौरान बिहार दामोदर घाटी निगम से भी विद्युत प्राप्त करता रहा है। दीर्घकालिक उपाय के रूप में राज्य में विद्युत की उपलब्धता में सुधार करने के लिए छठी योजना अवधि के दौरान राज्य में 725 मेगावाट की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता को चालू करने का कार्यक्रम है। इसके अतिरिक्त बिहार को केन्द्रीय परियोजनाओं यथा कोयलकारो, फरक्का सुपर ताप विद्युत केन्द्र, लोकतक से पर्याप्त मात्रा में विद्युत प्राप्त होगी तथा कुछ सहायता चुखा जल विद्युत परियोजना (भूटान) से भी उपलब्ध होगी। इससे बिहार में विद्युत की स्थिति में और सुधार होगा।

स्टोवों के मूल्य

742. श्री गुफरान आजम : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय तेल निगम ने हाल ही में स्टोवों के मूल्यों पर कड़ा नियन्त्रण रखा था और निर्माताओं की एकपक्षीय रूप से मूल्य बढ़ाने की अनुमति नहीं दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो अब ढील दिये जाने के क्या कारण हैं क्योंकि स्टोवों के मूल्यों में पर्याप्त वृद्धि करने की अनुमति दे दी गई है; और

(ग) क्या स्टोवों के मूल्य नियंत्रित रखने और निर्माताओं की उपभोक्ता विरोधी इस प्रवृत्ति से हतोत्साहित करने के लिए क्या कोई कार्यवाही करने का विचार है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) इंडियन आयल कारपोरेशन का सामान्यता स्टोवों के मूल्यों पर कोई नियन्त्रण नहीं था। तथापि इंडियन आयल कारपोरेशन/इंडियल इस्टीट्यूट आफ पेट्रोलियम द्वारा डिजाइन किये गये नूतन स्टोवों के फैक्टरी के बाहर के मूल्य पुनरीक्षण समिति जिसमें इंडियन आयल कारपोरेशन इंडियन इस्टीट्यूट आफ पेट्रोलियम और नेशनल स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन शामिल है, द्वारा निर्धारित किये जाते हैं और फैक्टरी के बाहर के मूल्यों में आई० ओ० सी०/आई० आई० पी० और निर्माताओं के बीच किये गये करार के अनुसार संशोधन किया जाना होता है। नूतक स्टोव I और II के फैक्टरी से बाहर के मूल्य में संशोधन 1.6.82 से प्रति स्टोव रुपये 49 और रुपये 58 किया गया है। उपभोक्ताओं के लिए अन्तिम फुटकर बिक्री मूल्य एक राज्य से दूसरे राज्य में अलग-अलग होते हैं जो परिवर्तनीय घटकों जैसे परिवहन प्रभार, बिक्री कर और चुंगी आदि पर निर्भर होते हैं। एन० एस० आई० सी० के ध्यान में कोई मामला, जहां निर्माता द्वारा मूल्य बढ़ाया गया है, नहीं आया है।

(ग) उपर्युक्त को विचार में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

संसद और विधान सभाओं में रिक्त स्थान

743. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा और संसद के ऐसे कितने और कौन-कौन से निर्वाचन-क्षेत्र हैं जहां इस समय स्थान रिक्त हैं और इन स्थानों के रिक्त होने के क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : निर्वाचन आयोग से प्राप्त एक विवरण जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है, सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

विधान सभा और संसद के उन निर्वाचन क्षेत्रों के नाम और संख्यांक जिनमें स्थान रिक्त हैं और उनके रिक्त होने के कारण दर्शित करने वाला विवरण (6.7.1982 को जो स्थिति थी उसके अनुसार)

राज्य का नाम	रिक्त स्थानों की संख्या	निर्वाचन क्षेत्र का नाम और सं०	रिक्त होने की तारीख	रिक्त होने का कारण
1	2	3	4	5
		लोक सभा		
1. असम	12	3. स्वशासी जिले (अ० ज० जा०) 4. ध्रुबी	10 1.1980	(i) 3-स्वशासी जिले (अ० ज० जा०) में पर्याप्त निर्वाचन कर्मचारिवृंद

1	2	3	4	5
		5. कोक्रा झाड़ (अ० ज० जा०) 6. बारपेटा 7. गौहाटी 8. मंगलदाई 9. तेजपुर 10. नौगोंग 11. कलियाबोर 12. जोरहट 13. डिब्रूगढ़ 14. लखीमपुर		उपलब्ध न होने के कारण निर्वाचन नहीं हो सके। बाद में निर्वाचन लड़ रहे एक अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाने के कारण निर्वाचन प्रत्यादिष्ट हो गया। (ii) 6—बारपेटा निर्वाचन क्षेत्र के सभी विधिमान्यतः नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थियों ने अपने नाम वापस ले लिए। (iii) शेष निर्वाचन क्षेत्रों में कोई नाम निर्देशन दाखिल नहीं किया गया। टिप्पण : साधारणतः कहा जाए तो निर्वाचन कराए जाने के लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं थीं।
2. गुजरात	1	5. पोरबन्दर	9.5.1982	मृत्यु।
3. हरियाणा	2	4. सोनीपत	31.5.1982	त्यागपत्र।
4. जम्मू-कश्मीर	2	1. बारामूला	8.12.1981	मृत्यु।
5. मेघालय	1	1. शिलांग	10.1.1980	सभी विधिमान्यतः नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थियों ने अपने नाम वापस ले लिए।
6. तमिलनाडु	1	25. पेरियाकुलम	30.6.1982	मृत्यु।
		विधान सभा		
1. आंध्र प्रदेश	2	219. मेडचल	20.4.1982	त्यागपत्र।
		78. विजयवाड़ा पूर्व	20.4.1982	त्यागपत्र।
2. बिहार	1	98. दलसिंह सराय	21.4.1982	मृत्यु।

1	2	3	4	5	6
3.	हरियाणा	1	74. हिसार (पुनः मतदान)	18.4.1982	कुछ मतदान केन्द्रों में उपद्रव हो जाने के कारण मतदान नहीं हो सका। पुनः मतदान 11.7.1982 को हुआ।
4.	जम्मू-कश्मीर	2	42. दोरु	2.1.1982	मृत्यु।
			21. बडीबल	1.3.1982	मृत्यु।
5.	केरल	1	137. नेमोम	1.6.1982	त्यागपत्र।
6.	कर्नाटक	1	123. हुनसुर	6.6.1982	मृत्यु।
7.	मेघालय	3	6. नोंगबाह बहियाजेर	27.5.1982	मृत्यु।
			50. सेलसेल्ला	16.12.1979	मृत्यु।
			60. महेन्द्रगंज	13.12.1979	मृत्यु।
8.	मिजोरम	1	22. फुलडुंग सेई	16.6.1982	मृत्यु।
9.	नागालैंड	2	46. मोन टाउन	21.4.1982	मृत्यु।
			55. टोबू	27.4.1982	मृत्यु।
10.	त्रिपुरा	1	18. चारीलाम	12.1.1982	त्यागपत्र।
11.	उत्तर प्रदेश	1	217. लालगंज	23.5.1982	मृत्यु।

सरणीकृत औषधियों के लिए नई नीति

744. **श्री जयनारायण रोत**: क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1982-83 के लिए, सरणीकृत औषधियों (कच्चे माल) के लिए नई वितरण नीति को अन्तिम रूप दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) और (ख) जी हां। एक विवरण पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

वर्ष 1982-83 के लिए औषध उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों की सरणीबद्ध औषधों (कच्चे माल) के वितरण से सम्बन्धित नीति नीचे दर्शायी गई है :

डी० जी० टी० डी० एकक

(i) 1982-83 वर्ष में अधिकतम उत्पादन को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा घोषित निर्णय को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक डी० जी० टी० डी० एकक उसके लाइसेंस में यथा निर्दिष्ट फार्मूलेशन-वार क्षमताओं के आधार पर सरणीबद्ध औषध सामग्री पाने का तथा मद-वार 25 प्रतिशत की वृद्धि का हकदार होगा।

(ii) जिन मामलों में लाइसेंस में विशिष्ट फार्मूलेशन-वार क्षमता न दर्शायी गयी हो उनमें हकदारी पिछले वर्ष अर्थात 1981-82 की हकदारी के बराबर होगी। इस वर्ष के दौरान लाइसेंस प्राप्त क्षमताएं निर्धारित या पुनर्निर्धारित की जायेगी और लाइसेंसों पर पृष्ठांकित की जायेगी उसके पश्चात हकदारी क्षमता जमा उसमें वृद्धि के कारण 25 प्रतिशत की मद-वार वृद्धि के बराबर हो जायेगी।

(iii) जिस मामले में कोई भारतीय निर्यात क्षेत्र का डी० जी० टी० डी० एकक उपर्युक्त (1) और (2) के आधार पर निर्णित अपनी हकदारी के अतिरिक्त सरणीबद्ध कच्चा माल प्राप्त करना चाहता है, उसे उक्त सरणीबद्ध कच्चा माल इस शर्त पर दिया जाएगा, कि पहले जारी किए गए माल की खपत की पुष्टि के लिए उपयोग प्रामाण-पत्र प्रस्तुत करें। वर्ष में अन्त में, इस अतिरिक्त तथा तदर्थ आवंटन के सम्बन्ध में एकक को उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा। यदि इसका कुछ भाग उपयोग किए बिना रह जाता है तो इसे एकक के अगले वर्ष की हकदारी में समायोजित कर दिया जाएगा।

लघु क्षेत्र एकक

1982-83 की आयात निर्यात नीति के पैरा 5 (5) के अनुसार, ऐसे औद्योगिक एकक जिनका संयंत्र और मशीनरी में पूंजी निवेश 20 लाख रुपये से अधिक न हो, उन्हें लघु क्षेत्र का एकक माना जाएगा। लघु क्षेत्र के एककों को उनके संयंत्र तथा मशीनरी के कुल मूल्य के सम्बन्ध में कार्यरत सनदी/लागत लेखपाल से प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने को कहा जा सकता है :

(i) कोई भी लघु क्षेत्र उपक्रम वर्ष 1981-82 के लिए मद-वार हकदारी की सीमा तक सरणीबद्ध कच्चे माल का तथा 50 प्रतिशत के वृद्धि फैक्टर, जिसका न्यूनतम 3.00 लाख रुपये होना चाहिए, का हकदार होगा।

(ii) किसी भी लघु एकक को उसके द्वारा 1981-82 में प्राप्त किसी भी मद की अतिरिक्त मात्रा या कोई भी मदें मद मांगने की स्वतन्त्रता होगी। इस प्रयोजना के लघु एकक के लिए 1981-82 के दौरान की अपनी किसी भी या प्रत्येक मद की हकदारी के 15 प्रतिशत तक को छोड़कर अपेक्षित होगा। छोड़ी गयी मदों के मूल्य के अन्तर्गत ऐसे एकक का वर्तमान मद (मदों) और/या किसी भी नयी मद के सम्बन्ध में अतिरिक्त हकदारी की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है। उपरोक्त सुविधा केवल 31 दिसम्बर, 1982 तक जारी रहेगी।

नए लघु उद्योग एकक

(i) नए लघु उद्योग एकक कुल पांच लाख रुपये मूल्य तक के सरणीबद्ध मदों को पाने के हकदार होंगे ।

(ii) विनिर्दिष्ट औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में या व्यावसायिक विषयों में स्नातकों, डिप्लोमाधारियों द्वारा या भूतपूर्व सैनिकों/अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों द्वारा स्थापित किए गए लघु उद्योग एककों के मामले में हकदारी का अधिकतम मूल्य साढ़े सात लाख रुपये होगा ।

(iii) आयात एवं निर्यात नीति 1982-83 के पैरा 46 (2) के अनुसार उपर्युक्त (ii) में उल्लिखित एकक भी निम्नलिखित सुविधाओं के पात्र होंगे :

(क) उन्हें सरणीबद्ध अभिकरण के पास पंजीकृत माल की मात्रा के विक्रय मूल्य के केवल 1 प्रतिशत की दर (अन्य मामलों में 2 प्रतिशत के स्थान पर) से या 50,000 रुपये इनमें जो भी कम हो, देने की आवश्यकता होती है ।

(ख) वे सरणीबद्ध अभिकरण के पास 15 महीने की अवधि के लिए माल की अपनी आवश्यकताएं रजिस्टर कर सकते हैं (12 महीने के स्थान पर जो कि सामान्तया स्वीकार्य है) ताकि संक्रियाओं के आरम्भ के समय उनके पास तीन महीने का अतिरिक्त स्टाक हो । यह सुविधा केवल एक बार के लिए होगी ।

(ग) उन्हें सरणीबद्ध अभिकरण द्वारा आयातित माल के वास्तविक आवंटन के समय वरीयता प्रदान की जाए ।

उक्त अभिकरण इस प्रयोजना के लिए समय-समय पर उपयुक्त मार्गदर्शन तैयार करेगा ।

ऋण लाइसेंसधारी एकक

ऐसे ऋण लाइसेंसधारी एकक जिनकी अपनी विनिर्माण क्षमता नहीं होती, अपने आरम्भ के प्रथम वर्ष के दौरान 11 लाख रुपए तक के मूल्य का सरणीबद्ध कच्चा माल प्राप्त करने के हकदार होंगे । ऐसे एकक जिन्होंने एक वर्ष तक काम किया है वे 2 लाख रुपये तक का सरणीबद्ध कच्चा माल प्राप्त करने के हकदार होंगे और जिन्होंने दो वर्षों तक काम किया हो वे 3 लाख रुपये तक के मूल्य का सरणीबद्ध कच्चा माल प्राप्त करने के हकदार होंगे तीसरे वर्ष के बाद कोई हकदारी नहीं होगी ।

नई सरणीबद्ध की गई मदों से सम्बन्धित नीति

डी० जी० टी० डी० एकक

(i) नई सरणीबद्ध की मदों के सम्बन्ध में (अर्थात जो मदें 1981-82 के दौरान सरणीबद्ध नहीं की गई थी) हकदारी फार्मूलेशन क्षमताओं के आधार पर होगी, जैसेकि उनके लाइसेन्स (लाइसेंसों) में दर्शायी गयी है, तथा 25 प्रतिशत की मदवार वृद्धि ।

(ii) ऐसे मामलों में जिनमें लाइसेंस में किसी विशेष फार्मूलेशन या फार्मूलेशनों की विशिष्ट क्षमता उल्लिखित नहीं की गई हो, भारतीय क्षेत्र में डी० जी० टी० डी० एककों की हकदारी पिछले पांच वर्षों के दौरान किसी भी वर्ष अधिकतम खपत के बराबर तथा मद-वार 25 प्रतिशत की वृद्धि दर होगी। फेरा सेक्टर (विदेशी कम्पनियों) में डी० जी० टी० डी० एककों के मामले में हकदारी पिछले पांच वर्ष के दौरान किसी भी वर्ष की अधिकतम खपत के बराबर होगी। दोनों मामलों में, क्षमता के एक बार निर्धारित या पुनर्निर्धारित हो जाने पर, हकदारी ऐसी क्षमता के बराबर होगी तथा उसमें मद वार 25 प्रतिशत की वृद्धि जोड़ी जाएगी।

(iii) जहां भारतीय क्षेत्र में किसी डी० जी० टी० डी० एकक के लिए उपर्युक्त (i) और (ii) में उल्लिखित आधार पर गिनी गई उसकी हकदारी से अधिक और नए रूप से सरणीबद्ध मदें अपेक्षित होने की संभावना हो जाती है, तो उक्त एकक सरणीबद्ध अभिकरण से सम्पर्क स्थापित कर सकता है और वास्तविक खपत की पुष्टि के उपयोग प्रमाण-पत्र के आधार पर अतिरिक्त आवंटन प्राप्त कर सकता है।

(iv) जहां कोई दावा खपत के आधार पर किया जाता है, सम्बन्धित एकक किसी प्रेक्टिसिंग चारटर्ड/कोस्ट एकाउंटेण्ट द्वारा दिए गए उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा।

लघु उद्योग एकक

(i) इन एककों की हकदारी नए रूप से सरणीबद्ध की गई प्रत्येक मद के सम्बन्ध में पिछले पांच वर्षों में से किसी भी वर्ष की अधिकतम वार्षिक खपत के बराबर होगी तथा इसमें 50 प्रतिशत की मद-वार वृद्धि दर जोड़ी जाएगी।

(ii) सरणीबद्ध अभिकरण को प्रस्तुत की गई खपत दरें प्रक्टिसिंग चारटर्ड/कोस्ट एकाउण्टेट द्वारा प्रमाणीकृत की जाएगी।

कम मांगवाली मदें

निम्नलिखित मदों के लिए, वास्तविक उपभोक्ता अपनी आवश्यकताएं स्वदेशी निर्माताओं के पास सीधे दर्ज कर सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं :

(i) 2-मिथाइल इमिदाजोलो

(ii) विटामिन डी-3

(iii) विटामिन (रुटिन)

(iv) विटामिन ई तथा इसके उत्पाद।

(v) मेना डिओनो, मेनाडिओन सोडियम बिसल्फेट और एकोटोमोनाडिओन।

गैर-औषध मदों के लिए सरणीबद्ध मदों की हकदारी

डी० जी० टी० डी० तथा लघु उद्योग क्षेत्र एककों दोनों के द्वारा गैर-औषध मदों के उत्पादन के लिए अपेक्षित सरणीबद्ध मदों की हकदारी पिछले पांच वर्षों के दौरान किसी वर्ष की

सम्बद्ध सरणिबद्ध एकक की उच्चतम वार्षिक खपत के आधार पर होगी इस प्रयोजन के लिए एककों को प्रेक्टिसिंग चार्टर्ड/कोस्ट एकाउन्टेण्ट द्वारा विधिवत प्रमाणित अपने वास्तविक खपत के आंकड़े सरणिबद्ध अभिकरण को प्रस्तुत करने पड़ेंगे । उपर्युक्त नीति के होते हुए भी, मंत्रालय समय-समय पर किसी वास्तविक उपभोक्ता की हकदारी के सम्बन्ध में या किसी सरणिबद्ध औषध मद के सम्बन्ध में ऐसे निर्देश दे सकता है जो लोकहित में आवश्यक हों ।

टेलीफोन उपभोक्ताओं की शिकायतों पर तुरन्त ध्यान देना

745. **श्री रामजी भाई मावणि** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र ने टेलीफोन उपभोक्ताओं की ओर तुरन्त ध्यान देने और उनकी कठिनाईयों तथा शिकायतों को दूर करने के सम्बन्ध में हाल ही में दिल्ली में तथा देश में विभिन्न टेलीफोन अधिकारियों तथा टेलीफोन विभाग को अनुदेश दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अनुदेशों और सुझावों के क्या कारण हैं; और

(घ) टेलीफोन विभाग को दिये गये उपरोक्त अनुदेशों का क्या परिणाम निकला ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (घ) जी हां, जून 81 में दूरसंचार सर्किलों/टेलीफोन जिलों को कुछ हिदायतें इस बात को मद्देनजर रखते हुए दी गई थी कि दूरसंचार शिकायतों के निपटान और कार्रवाई को सरल और कारगार बनायी जाय तथा उपभोक्ताओं को संतोषजनक सेवाप्रदान की जा सके । हिदायतों में लिखित शिकायतों पर संतोषजनक ढंग से ध्यान देकर शिकायतों को दर्ज करने, पावती भेजने, शीघ्रता से कार्रवाई करने, मानीटर करने तथा उनके सम्बन्ध में अन्तिम उत्तर देने की व्यवस्था है । इसके अतिरिक्त, मंडल स्तर/क्षेत्र स्तर पर शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए शीर्ष केन्द्र बनाए गए हैं । हिदायतों के अन्तर्गत वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा शीर्ष केन्द्रों का आवधिक निरीक्षण करना भी शामिल है । सर्किलों/जिलों को आवधिक विवरण भी निदेशालय को भेजनी होगी । जिसका विश्लेषण किया जाता है, तथा आवश्यकताओं पर हिदायतें जारी की जाती हैं । नई पद्धति लागू करने के परिणामस्वरूप लिखित शिकायतों पर कार्रवाई करने तथा शीघ्रता से निपटान करने के लिए एक सरल, समरूप और कारगर पद्धति सिद्ध हुई है ।

न्यायाधीशों का स्थानान्तरण

746. **श्री उत्तम भाई एच० पटेल** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि इस मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद न्यायाधीशों के स्थानान्तरण के बारे में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिये गये हैं और उन्हें कब और किस प्रकार कार्यान्वित किया जायेगा ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को बाहर से लाने सम्बन्धी नीति के प्रश्न पर सरकार, उच्चतम न्यायालय के निर्णय

को ध्यान में रखते हुए, विचार कर रही है । यह बताना सम्भव नहीं है कि इस सम्बन्ध में कोई निर्णय कब तक कर लिया जाएगा ।

जनरेटरों की आवश्यकता और इसकी सप्लाई

747. **श्री बी० आर० नहाटा** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जनरेटरों और उपकरणों की आवश्यकता कितनी है और ये क्रयादेश किन कम्पनियों को दिये गये हैं और प्रत्येक कम्पनी को दिये गये क्रयादेशों की मात्रा कितनी है;

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना में पूरी की जाने वाली इन बिजली परियोजनाओं के लिए जनरेटरों, उपकरणों और बायलरों के निर्माण के लिए इन कम्पनियों की क्या क्षमता है;

(ग) क्या ये कम्पनियां समय के अन्दर इन उपकरणों की सप्लाई कर सकेंगी अथवा वे इन उपकरणों की सप्लाई करने में अधिक समय लेंगी, यदि हां, तो कितना; और

(घ) लक्ष्यों को समय पर पूरा करने में सरकार द्वारा क्या प्रबन्ध किये गये हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (घ) छठी योजना की योजनावधि के दौरान 19666 मेगावाट की क्षमता की वृद्धि करने का विचार है । तदनुसार 19666 मेगावाट के लिए जेनरेटरों की आवश्यकता होगी, कुल मिलाकर जेनरेटरों आदि मुख्य उपस्कर की सप्लाई के लिए मैसर्स भारत हैवी इलक्ट्रिकल्ज लिमिटेड को आर्डर दे दिए गए हैं । अभी तक 17453 मेगावाट के लिए भारत हैवी इलैक्ट्रिकल लिमिटेड को आर्डर दिए गए हैं जबकि कुछ शेष परियोजनाओं के आर्डरों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है, शेष क्षमता में से अधिकतर के लिए उपकर विदेशी सप्लाईकर्त्ताओं द्वारा सप्लाई किए जायेंगे । जहां तक उत्पादन क्षमता का सम्बन्ध है, भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्ज लिमिटेड के पास अपनी वचनबद्धता पूरी करने के लिए पर्याप्त क्षमता उपलब्ध है । वास्तव में, कुल 133175 मेगावाट की क्षमता के उपस्कर भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्ज लिमिटेड पहले ही सौंप चुका है । परियोजनाओं की प्रगति में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए पूरा ध्यान रखा जा रहा है ।

दिल्ली दूरदर्शन के प्रायोजित कार्यक्रम

748. **श्री मगन भाई बरोट** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली दूरदर्शन प्रसारण में प्रायोजित कार्यक्रम शुरू कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या ब्यौरा है; और

(ग) इन कार्यक्रमों से सरकार को अनुमानत: कितना राजस्व प्राप्त होगा ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : (क) जी, हां। सभी दूरदर्शन केन्द्रों से प्रायोजित कार्यक्रम चालू करने की योजना को सरकार ने स्वीकृति दे दी है।

(ख) कार्यक्रम निम्नलिखित तीन श्रेणियों के होंगे :

(क) प्रायोजकों द्वारा तैयार किये गए कार्यक्रम।

(ख) प्रायोजकों द्वारा आयातित विदेशी कार्यक्रम।

(ग) दूरदर्शन द्वारा तैयार और/या प्रस्तावित कार्यक्रम।

भुगतान की दर और अन्य ब्यौरा परिशिष्ट में दिया गया है।

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिए संख्या एस० टी० 4229/82]

(ग) प्राप्त होने वाले राजस्व की मात्रा योजना के प्रति अनुक्रिया पर निर्भर करेगी

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड को लोअर सल्फर हैवी स्टाक की सप्लाई

749. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने फरवरी, 1982 तक उरान में महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड के पीकिंग संयंत्र एकक के गैस टर्बाइनों को लोअर सल्फर हैवी स्टाक की 1,40,000 टन की पाइप लाइन सप्लाई करने का ठेका किया था;

(ख) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के इस वायदे की असफलता के कारण क्या हैं और समस्याओं को कब महसुस किया गया था और इन्हें हल करने के लिए क्या प्रयास किये गये थे;

(ग) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा गैस सप्लाई न किये जाने से महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड को भारत पेट्रोलियम से एल० ओ० सी० ईंधन के 220 किलोमीटर खरीदने के लिए प्रतिदिन 2.75 लाख रुपये अतिरिक्त खर्च करना पड़ रहा है;

(घ) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के खिलाफ वायु प्रदूषण की शिकायतें हैं जो उरान में प्रतिदिन मंहगी गैस ऊर्जा जला रहा है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस असफलता, जिससे बचा जा सकता था, के लिए किसी को दोषी ठहराया और तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की ओर से योजना में खामी के लिए जांच करेगी ?

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) जी, नहीं। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा एल० एस० एच० एस० की सप्लाई के लिए कोई ठेका नहीं किया गया था।

(ख) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

(ग) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने एम० एस० ई० बी० के साथ गैस (एल० एस० एच० एस० नहीं) छोड़े गए कार्य के आधार पर सप्लाई करने के लिए ठेका किया था। पाइपलाइन को मार्च, 1982 तक तैयार हो जाना था। इस पाइपलाइन को वास्तविक रूप से जून, 1982 के अन्त तक पूरा किया गया था। बी० पी० सी० एल० ने एम० एस० ई० बी०, उरान को अभी तक एल० एस० एच० एस० की कोई सप्लाई नहीं की है।

(घ) और (ङ) बम्बई पर्यावरण कार्यकारी दल द्वारा एक बयान दिया गया था कि सामान्य रूप से कुछ गैसों के जलने के कारण एक घने कुएं का आवरण स्पष्ट रूप से बम्बई हाई से भी दिखाई देता है और उसके कारण वायु प्रदूषण हुआ। तथापि उर्वरकों जैसे प्राथमिकता के उपयोगकर्ताओं को विलम्ब/आरम्भ करने में अधिक लम्बे लीड समय के कारण गैस को जलाया जाता है और यह एक क्षेत्र की आरम्भिक स्थितियों में उसके विकास का एक आवश्यक भाग होता है जो बम्बई हाई के मामले में हैं।

गुजरात की महसाना जिले की दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों को टेलीफोन कनेक्शन

750. **श्री मोती भाई आर० चौधरी : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में महसाना जिले के निम्नलिखित गांवों की दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों, जिन्होंने दो तीन वर्ष पूर्व टेलीफोन कनेक्शनों के लिए धनराशि जमा करा दी है, को कब तक टेलीफोन कनेक्शन दिये जायेंगे;

(1) मालवन एक्सचेंज से सहायता (तालुक सिद्धपुर)

(2) बसनवा (तालुक विजयपुर)

(3) हुरन (तालुक कडी)

(4) सरतानपुरा (तालुक खिरबु); और

(ख) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ये सभी सहकारी समितियां हैं और उन्हें प्राय: पशुओं की चिकित्सा के लिए मेहसाना जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के पशु चिकित्सकों को बुलाने की आवश्यकता पड़ती है, इन समितियों को शीघ्र टेलीफोन कनेक्शन दिये जायेंगे ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना):(क)विवरण नीचे दिया गया है :

(1) भीलवान टेलीफोन एक्सचेंज से मांग पंजीकृत की गई है। कनेक्शन शीघ्र ही दे दिया जायेगा।

(2) 29-6-1982 को जंतराल एक्सचेंज से कनेक्शन पहले ही दिया गया है।

(3) धर्मपुर एक्सचेंज के स्थान पर कड़ी एगसचेंज से टेलीफोन की मांग है, इस मामले की जांच की जा रही है और शीघ्र ही अन्तिम निर्णय लिया जाएगा।

(4) कोई मांग पंजीकृत नहीं है।

(ख) यथासम्भव शीघ्र कनेक्शन दे दिए जायेंगे बशर्ते कि भण्डार उपलब्ध हो और एक्सचेंज में क्षमता हो।

गुजरात में गैस पर आधारित तीसरे उर्वरक परियोजना की स्थापना

751. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात सरकार ने भड़ौच में गुजरात नर्मदा घाटी उर्वरक कम्पनी में विद्यमान सुविधाओं के विस्तार के लिए गैस पर आधारित तीसरी उर्वरक परियोजना की स्थापना के लिये एक विस्तृत सिफारिश प्रस्तुत की है;

(ख) क्या यह भी सच है कि बम्बई हाई और दक्षिण बेसिन गैस क्षेत्रों से उपलब्ध प्राकृतिक गैस की मात्रा गैस पर आधारित 10 उर्वरक संयंत्रों से अधिक की सहायता कर सकेगी;

(ग) क्या यह सच है कि आधारभूत ढांचा और सम्बद्ध सुविधाओं की तत्काल उपलब्धता को देखते हुए गुजरात गैस पर आधारित तीसरा उर्वरक संयंत्र स्थापित करने की स्थिति में है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस परियोजना को शीघ्र स्वीकृति दिये जाने की सम्भावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलवीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) बम्बई हाई/और बसीन क्षेत्रों में गैस की खोज के बाद सरकार ने महाराष्ट्र में दो गुजरात में दो बड़े आकार के उर्वरक प्लांट लगाने का निर्णय लिया। सरकार ने अधिशेष गस के आधार पर अतिरिक्त नाइट्रोजन क्षमता का निर्माण करने के प्रश्न का अध्ययन करने के लिए एक कार्यकारी दल गठित किया। व्यापक तकनीकी-आर्थिक अध्ययन करने के बाद दल ने सिफारिश की कि खपत वाले उत्तरी क्षेत्र में पाइप द्वारा गैस भेज कर गैस पर आधारित उर्वरक प्लांट लगाना किफायती होगा बजाए इसके कि पश्चिमी तट पर गैस स्रोत के निकट प्लांट लगाए जाएं और खपत वाले क्षेत्र में तैयार उर्वरकों का परिवहन किया जाए। इसलिए सरकार ने एक मध्य प्रदेश में, एक राजस्थान में और 4 उत्तर प्रदेश में गैस पर आधारित प्लांट लगाने का निर्णय लिया है। विद्यमान और निर्माणाधीन प्लांटों से गुजरात राज्य में वर्ष 1989-90 तक 5 लाख टन से अधिक नाइट्रोजन अधिशेष होने का अनुमान है। और इस अधिशेष को उत्तर के खपत वाले क्षेत्र में परिवहन करना पड़ेगा। इन तथ्यों के आलोक में इनफ्रास्ट्रक्चर और सम्बद्ध सुविधाओं की उपलब्धता के बावजूद गुजरात में सरकारी तौर पर एक अतिरिक्त उर्वरक प्लांट लगाने का मामला नहीं बनता। तथापि गुजरात राज्य सरकार ने गैस पर आधारित तीसरे प्लांट के लिए प्रस्ताव की सिफारिश करते हुए एक व्यापक ज्ञापन प्रस्तुत किया है और प्रस्ताव पर निर्णय लेने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

सीधी डायलिंग पद्धति के जरिये भीमीलिपत्तनम और माधुरवाड़ा को विशाखापत्तनम के साथ जोड़ा जाना

752. **श्री के० ए० स्वामी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भीमीलिपत्तनम, माधुरवाड़ा और विशाखापत्तनम को शामिल करके व्यापक टेलीफोन विकास सम्बन्धी एक प्रस्ताव के लिये सार्वजनिक अभ्यावेदनों का पता है; और

(ख) यूनिट फी अनटाइम्ड टैरिफ के साथ सीधी डायलिंग पद्धति के जरिए उपरोक्त स्थानों को विशाखापत्तनम के साथ जोड़ने के इस प्रस्ताव के कार्यान्वयन का कार्यक्रम क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां ।

(ख) प्रस्ताव के कार्यान्वयन के लिये कोई कार्यक्रम निर्धारित नहीं किया है । तथापि माधुरवाड़ा तथा विशाखापत्तनम के मध्य सीधी डायलिंग की पहले ही व्यवस्था कर दी गई है । जहां तक भीमीलिपत्तनम से विशाखापत्तनम को इकाई शुल्क आधार पर सीधी डायलिंग का संबंध है, फिलहाल इसका प्रस्ताव नहीं है ।

खादी तथा ग्रामोद्योग की वस्तुओं की खरीद में कमी करना

753. **श्री कुंवर राम** : क्या पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय ने हाल ही में खादी तथा ग्रामोद्योग की वस्तुओं की खरीद में कमी की है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या उपचारात्मक उपाय किये जा रहे है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) खादी तथा ग्रामोद्योग की वस्तुओं की खरीद में कमी करने के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है । पूर्ति और निपटान महानिदेशालय, प्रयोक्ता विभागों से प्राप्त मांगपत्रों के आधार पर ही, भण्डार की अधिप्राप्ति का प्रबन्ध करता है, तथा खरीद की मात्रा, प्रयोक्ता विभागों की मांग में घट-बढ़ के अनुसार, बदलती रहती हैं । इसके अतिरिक्त प्रयोक्ता विभाग अपनी प्रदत्त शक्तियों की सीमा तक सीधे खरीद भी कर सकते हैं, जिसे 1980 में 50 000 रु० से बढ़ाकर 1,00,000 रु० कर दिया गया है ।

(ख) उपर्युक्त (क) की दृष्टि से प्रश्न ही नहीं उठता ।

अशोधित तेल के आयात के लिए सऊदी अरब के साथ करार

754. **श्री रवीन्द्र वर्मा** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान अशोधित तेल के आयात के लिए सऊदी अरब के साथ किसी करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं;

(ख) कितनी मात्रा की सप्लाई की जायेगी और इसमें सम्बद्ध लागत क्या है;

(ग) क्या सोवियत संघ इस वर्ष 25 लाख टन अशोधित तेल सप्लाई करने के लिये सहमत हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसकी लागत और सुपुर्दगी अवधि क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) जी, हां। इस वर्ष निश्चित किये गये ठेके में प्रति वर्ष करीब 2 मि० मी० टन की दर से कच्चे तेल की सप्लाई के लिए व्यवस्था है। इस वर्ष इस ठेके के अन्तर्गत प्रचलित मूल्यों के आधार पर रुपये 270.00 की अनुमानित लागत पर करीब 1.2 मि० मी० टन अशोधित तेल की सप्लाई की जायेगी।

(ग) और (घ) जी, हां। ठेके में 1982 के दौरान करीब 2.5 मि० मी० टन कच्चे तेल की सप्लाई के लिए व्यवस्था है। 1982 के दौरान आयात किये जाने वाले कच्चे तेल की लगभग लागत प्रचलित मूल्यों के आधार पर 535 करोड़ रुपये होगी।

थाल बैशेट उर्वरक संयंत्रों में हुई प्रगति

755. **श्री डी० पी० यादव** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) थाल बैशेट संयंत्रों के बारे में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) क्या इन परियोजनाओं के लिए विदेशी सहायता प्राप्त करने में अब भी कोई दिक्कतें हैं और यदि हां, तो इन दिक्कतों को दूर करने के लिए आगे क्या प्रबन्ध किए जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) कारखाने के लिये अपेक्षित भूमि अर्जित कर ली गई है। जल, विद्युत, रेलवे साइडिंग आदि जैसी इन्फ्रास्ट्रकचरल सुविधाओं की व्यवस्था का प्रबन्ध कर लिया गया है। निर्माण कार्य चल रहा है। अमोनिया, यूरिया और वाष्प प्रजनन जैसे मुख्य संयंत्रों के लिये ठेके पर हस्ताक्षर कर दिये गये हैं और वे प्रभावी हो गये हैं। स्थल-दूर और इन्फ्रास्ट्रकचर से सम्बन्धित कार्य सन्तोषप्रद रूप से प्रगति कर रहे हैं। उपकरणों की विभिन्न मदों के लिये अधिप्राप्ति कार्य प्रारम्भ हो गया है और वाष्प प्रजनन संयंत्रों, टर्बो-जेनरेटिंग सेट्स कोयला नियंत्रण आदि से सम्बन्धित कार्य काफी सीमा तक पूरा हो गया है। कुछ संयंत्रों से सम्बन्धित निर्माण कार्य भी प्रारम्भ हो गया है।

(ख) जी नहीं।

आकाशवाणी तथा दूरदर्शन को स्वायत्तशासी दर्जा

756. **श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती** : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि आकाशवाणी तथा दूरदर्शन को स्वायत्तशासी दर्जा देने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : सरकार ने आकाशवाणी और दूरदर्शन के लिए स्वायत्तशासी निगम स्थापित न करने का निर्णय लिया है, क्योंकि ये माध्यम एकक लोगों की सेवा करने के अपने मूल उद्देश्य को प्राप्त कर सकें, इसके लिए इस प्रकार का सगठन जरूरी नहीं है ।

बिजली के कनेक्शन देने के लिए दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा लगाए गये प्रभार

757. **श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि अधिकृत कालोनियों में किसी मकान को बिजली कनेक्शन की मंजूरी देने के लिए दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान प्रत्येक आवेदक से विकास प्रभार के रूप में समस्त क्षेत्र पर 8 रुपये प्रति वर्गमीटर का प्रभार लेता है और दिल्ली में 12 से 15 लाख बिजली के कनेक्शनों के लिये दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान दिल्ली की जनता से प्रति वर्ष 6 से 8 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने इन कालोनियों के विकास पर धनराशि का कोई हिस्सा लिया था अथवा कोई राशि खर्च की थी;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस पद्धति को बन्द करने और दिल्ली के उपभोक्ताओं को राशि वापस देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) यह सच नहीं है ।

(ख) से (घ) ऊपर भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

हिमाचल प्रदेश के लिए डाक सलाहकार समिति का गठन

758. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के लिए डाक सलाहकार समिति के गठन में कोई बिलम्ब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या इस बीच समिति गठित कर दी गई है;

(ग) यदि हां, तो समिति के सदस्य कौन-कौन हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं; और पिछली समिति का कार्यकाल किस तारीख से समाप्त हो गया था ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (घ) हिमाचल प्रदेश की पिछली डाक सलाहकार समिति का कार्यकाल 31-12-80 को समाप्त हो गया था । नई डाक सलाहकार समिति का गठन इसलिए नहीं किया क्योंकि सम्बन्धित संगठनों की सिफारिशों की प्रतीक्षा की जा रही थी । समिति के पुनर्गठन के प्रस्ताव पर कार्रवाई की जा रही है ।

पेट्रोलियम उत्पादों की राज्यवार मांग

759. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य की, राज्यवार और उत्पादवार, मिट्टी के तेल, डीजल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादकों की मांग क्या है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार, वर्षवार और उत्पादनवार केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों को किये गये आवंटन का ब्यौरा क्या है;

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान वास्तव में सप्लाई की गई मात्रा क्या है;

(घ) क्या आवंटन और वास्तविक सप्लाई के बीच कोई अन्तर है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जायेगी ताकि किसी राज्य को कम सप्लाई के कारण दिक्कत न हो और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) से (च) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी ।

तमिलनाडु में तेलशोधक कारखाने की स्थापना करना

760. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वेदरानयम, तमिलनाडु में एक तेलशोधक कारखाने की स्थापना की सम्भावना का पता लगाने के लिये कोई कार्यवाही की है; और

(क) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) कावेरी बेसिन में अशोधित तेल की खोज की वाणिज्यिक स्तर का अभी मूल्यांकन किया जाना है अत: इस अवस्था में सम्भाव्यता अध्ययन आरम्भ किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

भारत और अन्य देशों में समाचार एजेन्सियों को भुगतान की गई राशि

761. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इण्डिया रेडियो भारत और अन्य देशों में किसी समाचार एजेंसी को किसी राशि का भुगतान करता है;

(ख) यदि हां, तो भारत और अन्य देशों में समाचार एजेन्सियों का ब्योरा क्या है और गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक एजेंसी को कितनी राशि का भुगतान किया गया है; और

(ग) क्या इन वर्षों में किसी नई एजेंसी को शामिल किया गया है अथवा हटाया गया है, यदि हां तो उसका ब्योरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : (क) और (ख) आकाशवाणी केवल भारत की चार समाचार एजेन्सियों का ग्राहक है । गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक समाचार एजेंसी को वर्ष-वार अदा की गई राशि का ब्योरा इस प्रकार है :

	1980-81
पी० टी० आई	34,18,800 रुपये
यू० एन० आई०	25,47,600 रुपये
हिन्दुस्तान समाचार	5,25,360 रुपये
समाचार भारती	4,63,200 रुपये
	1981-82
पी० टी० आई०	34,18,800 रुपये
यू० एन० आई०	25,47,600 रुपये
हिन्दुस्तान समाचार	5,25,360 रुपये
समाचार भारतीय	4,63,200 रुपये

(ग) जी, नहीं ।

पश्चिम बंगाल के सुन्दरवन क्षेत्र में टेलीफोन एक्सचेन्जों की स्थापना

762. श्री सनत कुमार मंडल : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के सुन्दरवन क्षेत्र में अमघारा, बोडरा, मैरीगंज, झारखलिया, भलान्या और छोटा मोल्लाखली बाजार स्थानों में टेलीफोन एक्सचेंज या आर० ए० एक्स० की स्थापना में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

(ख) क्या उक्त कार्य के 1981-82 के दौरान पूरा होने की आशा थी परन्तु अब तक पूरा नहीं हुआ है यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) परियोजना के कब तक पूरा होने और तथा इस पिछड़े क्षेत्रों में टेलीफोन सेवायें कब तक आरम्भ होने की सम्भावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) अमधारा, बोडरा, मेरीगंज, हाटगछिया, मलान्चा और छोटा मोल्लाखली में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए कोई पंजीकृत मांग नहीं है जिससे इन स्थानों पर टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने के लिए सम्भावना की कमी का पता चल सके। तथापि हाटगछिया और छोटा मोल्लाखली के अलावा अन्य सभी गांवों में लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन/संयुक्त डाक-तार घरों की सुविधा उपलब्ध है। इन दोनों गांवों में भी लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन/संयुक्त डाक तारघर की सुविधा 1982-83 के दौरान प्रदान करने के लिए योजना को मंजूरी दे दी गई है ?

(ख) एवं (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

दस बड़े औद्योगिक ग्रहों की परिसम्पत्तियां, बिक्री और लाभ

763. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1979, 1980 और 1981 के प्रत्येक वर्ष में दस बड़े औद्योगिक गृहों की कुल परिसम्पत्तियां, बिक्री और लाभ क्या रहे हैं;

(ख) धन उगाहने में उनके एकाधिकार को समाप्त करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं; और

(ग) उनके नियंत्रण में सहयोगी कम्पनियों और उनसे सम्बन्धित कम्पनियों के नाम क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) वर्ष 1979 और 1980 के लिए मांगी गई सूचना का विवरण-पत्र 1 (संलग्न) में उल्लेख किया जाता है। वर्ष 1981 की समरूपी सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि कुछ कम्पनियों के वर्ष 1981 के तुलनपत्र अभी प्रस्तुत करना देय नहीं है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4230/82]

(ख) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के उद्देश्यों में से एक यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक शक्ति का संचालन सामान्य अहितकारी आर्थिक शक्ति के संकेन्द्रण का परिणामी नहीं हो। इस उद्देश्य को प्रचुर विस्तार, नये उपक्रमों की स्थापना, विलयन, एकीकरण, अधिकार में लेने आदि के एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार और प्रमुख घरानों के प्रस्तावों के सम्बन्ध में और केन्द्रीय सरकार की वर्तमान औद्योगिक नीति को दृष्टिगत करते हुए, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के नियंत्रक उपबन्धों के माध्यम से उपलब्ध किया जाता है।

(ग) विवरण-2 (संलग्न) में एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत उपक्रमों और 31-12-1980 तक 10 के औद्योगिक घरानों में प्रत्येक के अन्तर्गत प्रदर्शित सूची को दर्शाया जाता हैं।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल० टी० 4230/82]

बड़े औद्योगिक घरानों के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारियों के वेतन तथा अन्य सुविधायें कम किया जाना

764. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़े औद्योगिक घरानों के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारियों द्वारा, वेतन, परिलब्धियों तथा अन्य सुविधाओं के रूप में ली जा रही बड़ी रकमों की उन्हें जानकारी है और क्या वे यह भी जानते हैं कि वे कम्पनी से लिए जाने वाले अनगिनत मात्रा में पेट्रोल आमोद-प्रमोद और कम्पनी की लागत पर उपलब्ध आवासों में उपलब्ध विलासपूर्ण फर्नीचर तथा अन्य सुविधाओं का लाभ उठाते हैं जिन्हें वे कम्पनियों (कर्मचारियों का ब्यौरा) नियम के साथ पठित कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (2क) के उपबन्धों की अनुपालना में अपनी वार्षिक रिपोर्टों के साथ दिये जाने वाले विवरण में इनकी गणना नहीं करते;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन बड़ी परिलब्धियों में कटौती करने और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि देश की 65 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है, इन अधिकारियों के वेतन तथा अन्य लाभों पर सीमा निर्धारित करने का है; और

(ग) इस दिशा में सरकार द्वारा अब तक कोई कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) कम्पनियों द्वारा प्रकाशित वार्षिक रिपोर्टों में, कम्पनी (कर्मचारियों के ब्यौरे) नियम, के साथ पठित, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(2क) के उपबन्धों के अनुसार विवरण-पत्र में, कम्पनियों के कार्यकारियों को दिये जाने वाली परिलब्धियों के ब्यौरे देना अपेक्षित है । इसी प्रकार के ब्यौरे, संक्षिप्त रूप से कम्पनी अधिनियम की अनुसूची-6 के अन्तर्गत भी दिये जाते हैं, जो लेखाओं पर टिप्पणियों के रूप में होते हैं, जिनको कम्पनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रमाणित किया जाता है ।

सरकार को ऐसी किसी सूचना के बारे में जानकारी नहीं है जिसमें कम्पनी अधिनियम के सम्बन्धित उपबन्धों के यथा-आरोपित व्यतिक्रमण प्रतीत होते हों ।

(ख) तथा (ग) उपरोक्त (क) के उत्तर की दृष्टि से उत्पन्न नहीं होते ।

सरकारी क्षेत्र की कोयला खानों में श्रमिक

765. **श्री निहाल सिंह** : क्या ऊर्जा मन्त्री सरकारी क्षेत्र की कोयला खानों में श्रमिकों के बारे में 16 मार्च, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3489 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की कोयला खानों में प्रशिक्षित, अर्द्ध-प्रशिक्षित तथा अप्रशिक्षित श्रमिकों के सम्बन्ध में जानकारी इस बीच एकत्रित कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय के कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) विभिन्न कोयला कम्पनियों में कुशल, अर्द्ध कुशल और अकुशल कामगारों की स्थिति निम्नलिखित है :

	से० को० लि०	भा० को० को० लि०	ई० को० लि०	वे० को० लि०
प्रशिक्षित	14,281	46,270	15,382	21,151
अर्द्ध प्रशिक्षित	17,740	48,154	70,089	29,947
अकुशल	61,193	45,847	सूचना एकत्र की जा रही है।	76,621

संसद सदस्यों के स्थायी निवास स्थानों पर डाक घर खोला जाना

766. **श्री निहाल सिंह** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संसद के दोनों सदनों (लोक सभा और राज्य सभा) के ऐसे कितने सदस्यों, के स्थायी निवास स्थानों पर डाकघर उपलब्ध नहीं हैं तथा ऐसे संसद सदस्यों के नाम तथा पते क्या हैं;

(ख) क्या कुछ संसद सदस्यों द्वारा अपने स्थायी निवास स्थानों पर डाकघर खोलने के लिए उनके मन्त्रालय को पत्र भेजे गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मथुरा में एल० पी० गैस एजेंसी

767. **श्री दिगम्बर सिंह** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री मथुरा में एल० पी० गैस की वितरण एजेंसियों के खोले जाने के बारे में 25 अगस्त, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1237 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मथुरा में एक गैस एजेंसी की स्थापना करने और इसे चालू करने में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या यह भारतीय तेल निगम की एजेंसी है और क्या यह अन्य एजेंसियों अर्थात् भारत पेट्रोलियम और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम निगम के गैस कनेक्शनधारियों, विशेष रूप से ऐसे केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों जो मथुरा/मथुरा छावनी में स्थानांतरित किये जाते हैं, की आवश्यकता भी पूरी करेगी;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और ऐसे गैस कनेक्शनधारियों, जो स्थानान्तरण होने पर मथुरा/मथुरा छावनी में नियुक्त किये जाते हैं, के मामले में क्या वैकल्पिक व्यवस्था करने का विचार है; और

(घ) मथुरा तेल शोधक कारखाने के अधिकारियों और कर्मचारियों, को अब गैस कहां से सप्लाई की जा रही है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) तेल कम्पनियों द्वारा मथुरा में विचार की जा रही तीन एल० पी० जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिपों में से दो के मामलों में (एक आई० ओ० सी० के और दूसरी बी० पी० सी०) पहले से ही डिस्ट्रीब्यूटरों का चयन किया जा चुका है और आशा है कि इन डिस्ट्रीब्यूटरशिपों को शीघ्र ही आरम्भ किया जाएगा। बी० पी० सी० के तीसरे मामले में डिस्ट्रीब्यूटर का चयन किया जा रहा है।

(ख) और (ग) उन समस्त एल० पी० जी० ग्राहकों जिनके पास असली स्थानान्तरण वाउचर होंगे उन्हें ऐसे स्थानान्तरण वाउचरों को वापिस करने पर सम्बन्धित तेल कम्पनी द्वारा मथुरा/मथुरा कैंट में उनको गैस कनेक्शन सुलभ कराये जायेंगे।

(घ) इस समय वे आगरा स्थित वर्तमान एल० पी० जी० के डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा तदर्थ आधार पर इन्डेन की सप्लाई प्राप्त कर रहे हैं।

सरकारी उपक्रमों में निदेशक मंडल तथा उनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व

768. **श्री भीखा भाई** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय के नियंत्रणाधीन ऐसे कितने सरकारी उपक्रम तथा उन्हीं के सहायक उपक्रम हैं जिनमें गैर-सरकारी तथा अंशकालिक निदेशक मनोनीत किए जाने हैं;

(ख) उक्त निदेशक मंडल किस तारीख से मनोनीत किए गए थे और उनका वर्तमान कार्यकाल कब समाप्त हो रहा है;

(ग) अनुसूचित जातियों/जनजातियों के कर्मचारियों के हितों की रक्षा के प्रयोजन से इन बोर्डों में मनोनीत अनुसूचित जातियों/जनजातियों के गैर सरकारी तथा अंशकालिक निर्देशकों सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(घ) यदि इन उपक्रमों तथा सहायक उपक्रमों में अनुसूचित जातियों/जनजातियों को कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है तो क्या इन जातियों के व्यक्तियों को गैर सरकारी तथा अंशकालिक निदेशक मनोनीत करने का कोई प्रभाव है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) सरकारी क्षेत्र के 30 उपक्रम हैं और उनकी 11 सहायक कम्पनियां हैं।

(ख) एक विवरण पत्र संलग्न है ।

[प्रथालय में रखा गया —देखिए संख्या एल० टी० 4231/82]

(ग) निम्नलिखित प्रत्येक उपक्रम में एक अनुसूचित जाति का सरकारी निदेशक है, जैसा नीचे दिखाया गया है :

उपक्रम और सहायक कम्पनी का नाम	निदेशक का नाम और पदनाम
1. इण्डो-बर्मा पेट्रोलियम कम्पनी	श्री जे० मण्डल, उप-वित्तीय सलाहकार, पेट्रोलियम विभाग
2. बीको-लारी लिमिटेड	श्री जे० मण्डल, उप-वित्तीय सलाहकार, पेट्रोलियम विभाग
3. ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी लिमिटेड	—वही—
4. बोंगाईगांव रिफाइनरी एण्ड पेट्रो-कैमिकल्स लिमिटेड	—वही—
5. बामर लारी कम्पनी लिमिटेड	—वही—
6. मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड	श्री वी० सेल्वाराज, अध्यक्ष, मद्रास पोर्ट ट्रस्ट

(घ) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए नियुक्ति के मामलों में कोटा आरक्षित करने और उन्हें उन्नति के अवसर प्रदान करने के लिए सरकार ने सरकारी उद्यमों को निदेश जारी किए हैं। निदेशक मण्डल और सरकार निदेशों के कार्यान्वयन पर निगाह रखती है। निदेशक मण्डल के गठन के सम्बन्ध में सरकार की नीति, निदेशक मण्डल के अंशकालिक सदस्यों की नियुक्ति के लिए उद्योग, वाणिज्य, प्रशासन आदि से अच्छे रिकार्ड वाले व्यक्तियों पर विचार करना है। विद्यमान नीति के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में ऐसे अंशकालिक निदेशकों के लिए जहां आवश्यक है, सरकार अनुसूचि जाति/अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित सुयोग्य व्यक्तियों पर विचार करती है।

योजना आयोग सरकारी आवास निर्माण संस्था को घरेलू बिजली कनेक्शन

769. **श्री भोखा भाई** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विवेक विहार नई दिल्ली के सामने स्थित योजना आयोग सरकारी आवास निर्माण संस्था को घरेलू बिजली का कनेक्शन न दिये जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या उन्हें मालूम है कि निर्माण कार्य आरम्भ कर चुकने वाले अथवा आगे शुरू करने वाले प्लाटधारियों को, विशेषत: छोटे प्लाटधारियों को बिजली का कनेक्शन मिलने में विलम्ब के कारण भारी परेशानी हो रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या उनका विचार इस मामले की जांच कराने तथा इसके लिए अधिकारियों पर उत्तरदायित्व निश्चित करने का है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या उनका विचार इस मामले में व्यक्तिगत रुचि लेने का है ताकि उन्हें शीघ्र ही बिजली का कनेक्शन मिल जाये ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) सोसाइटी ने ट्रक सेवाओं के सम्बन्ध में 2,21,190 रुपये की राशि के अपने 50 प्रतिशत हिस्से का भुगतान नहीं किया है।

(ख) जहां तकनीकी रूप से व्यवहार्य होता है, निर्माण प्रयोजन हेतु अस्थाई कनेक्शन दिए जा रहे हैं।

(ग) से (ङ) ऊपर भाग (क) और (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल को तेल का आवंटन

770. श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल कम्पनियां पश्चिम बंगाल को तेल के मासिक आवंटन में 5 प्रतिशत की कटौती कर रही हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि तेल कम्पनियों की इस कार्यवाही से पश्चिम बंगाल में स्थिति और खराब हो गई है; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) केवल अप्रैल, 1982 के दौरान, पश्चिम बंगाल में ही नहीं बल्कि समस्त देश में मिट्टी के तेल को जारी करने पर 5 प्रतिशत की कटौती लगाई गई थी।

(ख) जी, हां, अस्थायी रूप से।

(ग) सप्लाई स्थिति में सुधार होने पर पश्चिम बंगाल को सामान्य आवंटन से अधिक मई 1982 के महीने के लिए 2000 मी० टन मिट्टी के तेल का अतिरिक्त आवंटन किया गया था। मई, 1982 के दौरान की बिक्री अधिकांश रूप से आवंटन के अनुरूप थी।

स्वीकृत कोयला परियोजनाएं

771. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए कुछ कोयला परियोजनाओं को मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो इन कोयला परियोजनाओं के क्या नाम हैं और उनकी संख्या कितनी है;

(ग) इनमें से प्रत्येक कोयला परियोजना की अनुमानित लागत क्या है; और

(घ) इन परियोजनाओं में कोयले का उत्पादन शुरू करने में सम्भवतः कितना समय लगेगा ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) दिनांक 1-4-1981 से 30-6-1982 तक की अवधि में स्वीकृत कोयला परियोजनाओं के नाम, अनुमानित पूंजी लागत और प्रत्येक परियोजना में उत्पादन शुरू होने का अनुमानित समय संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्रम सं०	कोयला परियोजना का नाम	पूंजी लागत (रु० करोड़)	उत्पादन शुरू होने की अनुमानित तारीख
1	2	3	4
(1) सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड			
1.	सेलेक्टेड धोरी ओ० का० का पुनर्गठन	24.38	चालू खान-पुनर्गठन किया जा रहा है।
2.	धोरी वेस्ट का पुनर्गठन	33.30	—वही—
3.	रे-बचरा (भू० ग०) पुनर्गठन	8.35	—वही—
4.	लायो (भू० ग०) पुनर्गठन	9.68	—वही—
5.	भरतपुर ओपेनकास्ट के लिए अग्रिम कार्रवाई	4.44	1985-86
6.	निघई ओ० का० के लिए अग्रिम कार्रवाई	11.93	1984-85
7.	चूरी (भू० ग०) पुनर्गठन	16.38	चालू खान-पुनर्गठन किया जा रहा है।
8.	बोकारी कारगली एरिया में रेलवे लाइन को बदलना	15·93	गैर-उत्पादन परियोजना
9.	केन्द्रीय वर्कशाप, सिंगरौली का स्थापित किया जाना	30.78	—वही—

1 2	3	4
10. अमोलारी ओपेनकास्ट	323.32	1987-88
11. करकट्टा	29.60	1983-84
12. हजारीबाग और कुजू एरिया की कोलियरियों के लिए जलपूर्ति योजना	10.82	गैर उत्पादन परियोजना
13. सिंगरोली कोलफील्ड एरिया जलपूर्ति योजना (चरण-1)	18.87	—वही—
(2) वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि०		
14. संशोधित सिलेवाड़ा विस्तार	11.94	चालू खान-पुनर्गठन किया जा रहा है।
15. शिवपुरी विस्तार	9.45	—वही—
16. सास्ती ओपेनकास्ट (पुनर्गठन)	25.15	—वही—
17. पाली (वीरसिंहपूर ईस्ट)	11.66	1983-84
18. दुर्गापुर-रैयतवाड़ी (पुनर्गठन)	10.08	चालू खान-पुनर्गठन किया जा रहा है।
19. गोविन्दा (पुनर्गठन)	12.85	—वही—
20. नन्दन बाशरी	24.07	1984-85
21. संशोधित विश्रामपुर ओ० का०	22.22	चालू खान-पुनर्गठन किया जा रहा है।
(3) भारत कोकिंग लि०		
22. ब्लाक-II (कोकिंग)	112.05	1984-85
(4) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०		
23. कुमारखला फेज-II	18.46	चालू खान-पुनर्गठन किया जा रहा है।
(5) सिंगरैनी कोलयरिज कम्पनी लि०		
24. गोलेटी नं० 2 इन्क्लांन	5.60	1983-84
25. श्रीरामपुर नं० 2-ए इन्क्लांइन	6.04	1982-83
26. गोदावरी खानी नं० 9 इन्क्लांइन 27. गोदावरी खानी नं० 7 इन्क्लांइन	9.00	1983-84
28. श्रीरामपुर नं० 2 इन्क्लांइन	6.04	1983-84
29. सोरेनमाली नं० 1 इन्क्लांइन	13.84	1984-85

टेलीफोन प्रयोक्ताओं के घरों में मीटर बाक्स लगाना

772. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने टेलीफोन प्रयोक्ताओं के घरों में मीटर बाक्स लगाने के लिए अपने पूर्ववर्ती निर्णय संशोधन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का कार्यक्रम क्या है; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) उपभोक्ताओं के घरों में लगाने के लिए टेम्पर प्रूफ मीटर का अभी तक तकनीकी रूप से उपयुक्त डिजाइन नहीं खोजा जा सका है।

(ख) दूरसंचार अनुसंधान केन्द्र विश्व के अन्य भागों में इस दिशा में हुए विकास पर भी दृष्टि रख रहा है ।

(ग) उपर्युक्त (ख) के अनुसार ।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का पुनर्गठन

773. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने भावी चुनौतियों का सामना करने और विशेषकर चहुंमुखी खोज कार्य करने तथा इस दशाब्दी के अन्त तक तेल का उत्पादन प्रतिवर्ष 6 करोड़ टन करने के लिए मई के महीने में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का बड़े पैमाने पर पुनर्गठन करना आरम्भ किया था;

(ख) यदि हां, तो संगठन के पुनर्गठन के प्रथम चरण में क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) यदि हां, तो समूचे तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का पुनर्गठन करने के लिए अमल में लाये गए नए प्रस्तावों का मुख्य ब्योरा क्या है और इन परिवर्तनों से तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की कार्यकुशलता और कार्यकरण में कितना सुधार हुआ है; और

(घ) क्या चाल् वर्ष के दौरान प्रस्तावित तेल खोज का लक्ष्य पहले ही प्राप्त कर लिया गया है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा भावी चुनौतियों का सामना करने और चहुमुखी अन्वेषी कार्यकलापों को करने के उद्देश्य से एक आन्तरिक पुनर्गठन योजना तैयार की गई है।

(ख) पुनर्गठन के प्रथम चरण में विभिन्न बेसिनों के क्षेत्रों को महाप्रबन्धक प्रभारी जिन्हें अन्वेषी और उत्पादन गतिविधियों के प्रभावी और कुशल प्रबन्ध के लिए तथापक शक्तियां प्रदान की गई हैं, की नियुक्ति के साथ पुनर्गठित किया जा रहा है।

(ग) प्रणाली में प्रभावी नियंत्रण और अन्वेशी कार्यकलापों समन्वय के लिए व्यापारी ग्रुप का रुख अपनाने तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के अन्दर ही प्रत्येक कार्यकलाप के लिए लाभ के केन्द्रों का सृजन करने ताकि सभी स्तरों पर लागत चेतेना और लागत प्रभावोत्पादकता पैदा हो, की व्यवस्था है।

(घ) क्योंकि वर्ष 1982-83 अभी आरम्भ ही हुआ है अतः इस वर्ष के तेल अन्वेषण लक्ष्य आदि प्राप्त करने का इस समय प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में शीघ्र डाक सेवा

774. **श्री लक्ष्मण कर्मा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बस्तर जिले के उन स्थानों की संख्या कितनी है जहां शीघ्र डाक वितरण सेवा उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) क्या यह सच है कि बस्तर जिले में शीघ्र डाक वितरण सेवा और चल डाक सेवा के लिए कोई व्यवस्था नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो बस्तर जिले में शीघ्र डाक वितरण सेवा के लिए सरकार द्वारा क्या व्यवस्था किए जाने का विचार है और कब तक ये व्यवस्थायें वहां किए जाने की सम्भावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) जगदलपुर, मध्यप्रदेश के अन्य जिला मुख्यालयों से तीव्र-डाक सेवा द्वारा जुड़ा हुआ है। जिले का कोई अन्य स्थान तीव्र डाक सेवा द्वारा नहीं जुड़ा है। बस्तर जिले में 227 चल डाक घर कार्य कर रहे हैं।

(ग) फिलहाल बस्तर जिले के दूरवर्ती स्थानों को तीव्र डाक सेवा सुविधा प्रदान करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

बोधघाट पनबिजली परियोजना

775. **श्री लक्ष्मण कर्मा** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) बस्तर (मध्य प्रदेश) के बोधघाट परियोजना को कब मंजूरी दी गई थी और उसका अनुमति परिव्यय कितना है;

(ख) उस पर कार्य सम्भवतः कब आरम्भ कर दिया जायेगा; और

(ग) इस परियोजना को पूरा करने का कार्य किस एजेन्सी को दिया जायेगा और यह परियोजना सम्भवतः कब तक पूरी कर ली जायेगी ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) बोधघाट जल वि० परि० (4 × 125 मेगावाट) 209.30 करोड़ रु० की अनुमानित लागत पर फरवरी, 1979 में स्वीकृत की गई थी। इस परियोजना में अवसंरचनात्मक कार्य चल रहे हैं।

(ग) यह परियोजना पहले मध्य प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही थी परन्तु इस स्कीम का कार्यान्वयन अब मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड को सौंपा गया है।

बिजली की विस्तृत व्यवस्था करने हेतु विश्व बैंक से सरकारी ऋण

776. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की विस्तृत व्यवस्था करने के लिए सरकार ने हाल ही में विश्व बैंक से 3 करोड़ 40 लाख डालर का ऋण लिया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य को किए गए धन के आवंटन का ब्योरा क्या है;

(ग) राज्यों, विशेषकर महाराष्ट्र के लिए तैयार की गई ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं का ब्योरा क्या है; और

(घ) ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं के क्रियान्वयन में गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष राज्यवार कितनी प्रगति हुई ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) देश में ग्राम विद्युतीकरण में विस्तार के लिए तथा सुधार करने हेतु अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक भारत सरकार को 304.5 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण देने के लिए सहमत हो गया है ।

(ख) प्रत्येक राज्य के लिए राशि का अनन्तिम रूप से आवंटन इस प्रकार किया गया है :

क्रम सं०	राज्य बिजली बोर्ड का नाम	आवंटन (मिलियन डालर)
1.	आंध्र प्रदेश	29.36
2.	बिहार	21.70
3.	गुजरात	16.23
4.	हरियाणा	8.37
5.	कर्नाटक	10.21
6.	केरल	3.90
7.	मध्य प्रदेश	43.79
8.	महाराष्ट्र	30.21
9.	उड़ीसा	14.85
10.	पंजाब	20.93
11.	राजस्थान	20.65
12.	तमिलनाडु	10.95
13.	उत्तर प्रदेश	33.44
14.	पश्चिमी बंगाल	19.41
	उप-जोड़	284.00
	ग्राम विद्युतीकरण के लिए	1.00
	केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान अनिर्धारित	15.00
	फीस	4.50
	जोड़	304.50

(ग) राज्य बिजली बोर्डों द्वारा बनाई गई तथा वित्तीय सहायता की स्वीकृति के लिए ग्राम विद्युतीकरण निगम को भेजी गई 512 ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें मार्च, 1982 के अन्त में जांच की विभिन्न अवस्थाओं में थीं। इनमें 21.15 करोड़ रुपये की कुल ऋण परिव्यय की महाराष्ट्र की 62 स्कीमें शामिल हैं। राज्यवार ब्योरे दिखाने वाला विवरण संलग्न-1 है।

(घ) ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा वित्त पोषित ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 1979-80, 1980-81 और 1981-82 के दौरान 50,933 गांवों का विद्युतीकरण किया गया तथा 490787 पम्प सेटों को ऊर्जित किया गया। राज्यवार ब्योरे विवरण-2 में दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त लघु उद्योगों, घरेलू एवं वाणिज्यिक उपभोक्ताओं तक स्ट्रीट लाइटों के लिए भी सर्विस कनेक्शन दिए गए थे।

विवरण-1

ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों का राज्यवार ब्योरा दिखाने वाला विवरण, जो मार्च, 1982 के अन्त में ग्राम विद्युतीकरण निगम में जांच की विभिन्न स्थितियों में है।

क्रम सं०	राज्य का नाम	स्कीमों की संख्या	ऋण परिव्यय (लाख रुपये में)
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	35	1910
2.	असम	4*	304
3.	बिहार	35	1671
4.	गुजरात	21	996
5.	हरियाणा	8*	253
6.	हिमाचल प्रदेश	11*	657
7.	जम्मू और काश्मीर	11*	210
8.	कर्नाटक	36	1549
9.	केरल	9*	369
10.	मध्य प्रदेश	124	4806
11.	महाराष्ट्र	62	2115
12.	मणिपुर	—	—

1 2	3	4
13. मेघालय	—	—
14. नागालैंड	—	—
15. उड़ीसा	38*	913
16. पंजाब	11*	343
17. राजस्थान	11	925
18. सिक्किम	—	—
19. तमिलनाडु	57*	2228
20. त्रिपुरा	4*	127
21. उत्तर प्रदेश	21	1298
22. पश्चिम बंगाल	14*	558
जोड़ :	512	21232

*28-2-82 की स्थिति के अनुसार ।

विवरण-2

ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा वित्त पोषित ग्राम विद्युतीकरण परियोजनाओं के अन्तर्गत 1979-80, 1980-81 और 1981-82 के दौरान विद्युतीकृत गांवों और अर्जित पम्प सेटों का राज्यवार ब्योरा दिखाने वाला विवरण ।

क्रम सं०	राज्य का नाम	विद्युतीकृत गांवों की संख्या	अर्जित पम्प सेटों की संख्या
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	2883	66965
2.	असम	3292	483
3.	बिहार	5607	13940
4.	गुजरात	1834	26845
5.	हरियाणा	—	25762

1 2	3	4
6. हिमाचल प्रदेश	2861	315
7. जम्मू व कश्मीर	798	183
8. कर्नाटक	1143	25250
9. केरल	15	13619
10. मध्य प्रदेश	8987	76754
11. महाराष्ट्र	2671	62568
12. मणिपुर	94	—
13. मेघालय	400	6
14. नागालैंड	123	—
15. उड़ीसा	4663	7931
16. पंजाब	—	42085
17. राजस्थान	2984	49698
18. सिक्किम	—	—
19. तमिलनाडु	41	29096
20. त्रिपुरा	525 × 545	400
21. उत्तर प्रदेश	8262	47350
22. पश्चिम बंगाल	3770	2517
कुल जोड़	50933	490787

नासिक और अहमदनगर में दूरदर्शन केन्द्र का स्थापना करना

777. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नासिक और अहमदनगर में औद्योगिक विकास को देखते हुए इन नगरों में एक पृथक दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना करने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्योरा क्या है और इन केन्द्रों के कब तक स्थापित किये जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अहमदनगर (महाराष्ट्र) में नये टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची

778. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1982 को अहमदनगर (महाराष्ट्र राज्य) में नये टेलीफोन कनेक्शनों के लिए कितने व्यक्ति प्रतीक्षा सूची में हैं;

(ख) वे कब से प्रतीक्षा सूची में है और किस अवधि तक निपटा दी गई हैं;

(ग) नये टेलीफोन कनेक्शन देने के लिए सरकार क्या प्रभावी कदम उठा रही है; और

(घ) प्रतीक्षा सूची के कब तक निपटा लिए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) 30.6.82 को अहमदनगर की प्रतीक्षा में आवेदकों की संख्या निम्नानुसार है :

ओ० वाई० टी०	विशेष	सामान्य	योग
16	41	629	686

(ख) ओ० वाई० टी० विशेष और सामान्य श्रेणियों के अन्तर्गत प्रतीक्षा सूची क्रमशः 10.6.82.,9.12.81 और 12.3.82 तक निपटा दी गई है। सबसे पुराना आवेदन 7.12.79 से प्रतीक्षा सूची में था।

(ग) मौजूदा क्षमता से लगभग 50 कनेक्शन देने का प्रस्ताव है। तथा 1982-85 के दौरान क्षमता में 600 लाइनों की वृद्धि हो जाने पर और कनेक्शन दिए जायेंगे।

(घ) मौजूदा प्रतीक्षा सूची (अर्थात 30.6.82) का 1985 तक निपटान हो जाने की संभावना है ?

बंगलौर तथा नैनी स्थित टेलीफोन उद्योगों में सुविधाओं का आधुनिकीकरण

779. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज, बंगलौर काम्प्लैक्स में उपलब्ध सुविधाओं के आधुनीकीकरण तथा पुराने उपकरणों के बदलने के लिए चालू पंचवर्षीय योजना में कुल कितने निवेश का उपबन्ध है;

(ख) पिछले तीन वर्षों में बंगलौर तथा नेनी में टेलीफोन उद्योग के आधुनीकीकरण पर कितना व्यय किया गया; और

(ग) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में अब तक उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) इण्डियन टेलीफोन इण्डीस्ट्रीज लिमिटेड (आई० टी० आई०) के बंगलौर कम्पलेक्स में छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) के दौरान पुरानी मशीनें बदलने/उनका आधुनिकीकरण करने के लिए 13 करोड़

रुपए की व्यवस्था की गई है। पिछले तीन वर्षों में आई० टी० आई० के बंगलौर और नैनी कारखानों में पुरानी मशीनें बदलने/उनका आधुनिकीकरण करने पर अब तक जो राशि खर्च की है, उसका ब्यौरा नीचे लिखे अनुसार है :

(लाख रुपयों में)

	79-80	80-81	81-82
बंगलौर कम्पलेक्स	481	382	619
नैनी एकक	20	95	38

आधुनिकीकरण/पुरानी मशीनें बदलने की परियोजनाएं इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा तैयार की जाती हैं तथा इन्हें उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा मंजूर किया जाता है। इन परियोजनाओं को कम्पनी द्वारा निर्धारित वित्तीय साधनों से ही शुरू किया जाता है। इन परियोजनाओं का संतोषप्रद कार्यान्वयन करने के उद्देश्य से मंत्रालय समय-समय पर इस सम्बन्ध में जांच पड़ताल करता है।

सेवानिवृत न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले पैनलों द्वारा वितरकों का चयन

780. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोलियम और उसके उत्पादों के लिए वितरकों के चयन हेतु सेवानिवृत न्यायाधीशों की अध्यक्षता में एक पेनल बनाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) जी, हां।

(ख) अन्तिम निर्णय शीघ्र लिये जाने की आशा है।

दण्डकारण्य कर्मचारी संघ (अराजपत्रित) की ओर से अभ्यावेदन

781. **श्री सुशील कुमार भट्टाचार्य** : क्या **पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें दण्डकारण्य कर्मचारी संघ (अराजपत्रित); कोंडे गांव, मध्य प्रदेश के महासचिव की ओर से 15 मई, 1982 का अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें दण्डकारण्य परियोजना में स्थाई तथा अर्द्ध स्थाई सरकारी कर्मचारियों को पदोन्नतियां देने से इंकार किये जाने का विरोध किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाये गये हैं ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां।

(ख) दण्डकारण्य कर्मचारी संघ (अराजपत्रित) कोंडागांव ने पर्यवेक्षक/सैक्शनल अधिकारी (विद्युत) के पद की नियुक्ति के लिए विभागीय उम्मीदवारों को अवसर देने से इन्कार करने के विरुद्ध विरोध किया है। पद को भर्ती नियमों के अनुसार भरे जाने की अपेक्षा की जाती है। भर्ती नियमों में व्यवस्था है कि रिक्त स्थान केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभागों के अधीन समकक्ष पदों पर कार्य कर रहे अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यत: 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी) द्वारा, उसके न होने पर न्यूनतम योग्यताएं (1) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बिजली इंजीनियरिंग में डिग्री अथवा (2) बिजली इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, न्यूनतम 3 वर्ष की व्यावसायिक अनुभव रखने वाले अधिकारियों में से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाएंगे। इसके अतिरिक्त, पर्यवेक्षक/सैक्शनल अधिकारी (विद्युत) के पद पर नियुक्ति के लिए रखी गई अपेक्षित योग्यताएं दण्डकारण्य परियोजना में कार्य कर रहे किसी भी बिजली मिस्त्री के पास नहीं है।

गत छ: महीनों के दौरान दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में बिजली की मांग और उनकी आपूर्ति में अन्तर

782. श्री सुशील भट्टाचार्य : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छ: महीनों के दौरान, अलग-अलग, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में बिजली की मांग और उसकी सप्लाई में कितना अन्तर था; और

(ख) इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) जनवरी से जून, 1982 की अवधि के दौरान दिल्ली, बम्बई और कलकत्ता में ऊर्जा की आवश्यकता और उपलब्धता दिखाने वाला एक विवरण संलग्न है। दिल्ली, बम्बई और कलकत्ता की तरह मद्रास को विद्युत सप्लाई एक अलग विद्युत यूटिलिटी के द्वारा नहीं की जाती, परन्तु यह तमिलनाडु प्रणाली का एक भाग है। यद्यपि, तमिलनाडु में जनवरी, 1982 से ऊर्जा की लगभग 17 प्रतिशत कमी चल रही है तथा इस कमी के एक भाग को नेवेली से बढ़े हुए उत्पादन से तथा केरल से आयात बढ़ा कर पूरा किया जा रहा है। राज्य में कमी को पूरा करने की दृष्टि से राज्य ने कपड़ा उद्योगों तथा उच्च वोल्टता उद्योगों पर विद्युत कटौतियां लगा दी थीं। तथापि, इन कटौतियों को 1 जुलाई, 1982 से हटा लिया गया है। जनवरी, 1982 से जून, 1982 की अवधि के दौरान दिल्ली में ऊर्जा की कमी नहीं थी। महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में वर्ष 1982-83 के दौरान क्रमशः 750 मेगावाट तथा 278 मेगावाट की मात्रा में अतिरिक्त उत्पादन क्षमता के चालू होने पर बम्बई तथा कलकत्ता में विद्युत सप्लाई की स्थिति में सुधार होने की आशा है।

विवरण

लोक सभा में 13.7.1982 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं० 782 के भाग(क) और (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट उपाबन्ध

जनवरी से जून, 1982 के दौरान दिल्ली, बम्बई तथा कलकत्ता में दैनिक औसतन ऊर्जा आवश्यकता और उपलब्धता

	जनवरी, 1982	फरवरी, 1982	मार्च, 1982	अप्रैल, 1982	मई, 1982	जून, 1982
	(सभी आंकड़े मिलियन यूनिट में)					
दिल्ली						
आवश्यकता	9.37	9.35	7.99	9.10	9.61	10.46
उपलब्धता	9.71	10.59	12.04	13.08	12.86	13.10
*अधिशेष	0.34	1.24	4.05	3.98	3.25	2.64
बम्बई						
आवश्यकता	27.1	27.5	28.32	28.33	28.39	28.67
उपलब्धता	19.79	19.1	19.26	20.23	20.26	20.61
कमी	7.31	8.4	9.06	8.1	8.13	8.06
कलकत्ता						
आवश्यकता	10.51	10	10.09	11.5	11.71	11.3
उपलब्धता	8.97	9	9.12	9.76	9.24	10.2
कमी	1.54	1	.97	1.74	2.47	1.1

*उपरोक्त अधिशेष, इन्द्रप्रस्थ केन्द्र में हरियाणा के भाग को पूरा करने के पश्चात् था और दूसरे राज्यों को निर्यात् किया गया था।

द्वितीय प्रेस आयोग का प्रतिवेदन

783. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रमजीवी पत्रकारों के भारतीय फेडरेशन के 20 वें खुले अधिवेशन में केन्द्रीय सरकार से आह्वान किया गया है कि वह द्वितीय प्रेस आयोग का प्रतिवेदन संसद के समक्ष रखे;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा उपरोक्त प्रतिवेदन की जांच की जा चुकी है;

(ग) सरकार प्रेस पेनल का प्रतिवेदन कब तक स्वीकार करने और कार्यान्वित करने पर विचार कर रही है; और

(घ) इस बैठक में श्रमजीवी पत्रकारों द्वारा अन्य क्या मांगें की गई हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जांच आयोग अधिनियम, 1952 के उपबंधों के अनुसार, द्वितीय प्रेस आयोग की रिपोर्ट उस पर की गई कार्रवाई के ज्ञापन के साथ लोक सभा के समक्ष 2 अक्तूबर, 1982 तक रखी जानी अपेक्षित है ।

(घ) सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि इंडियन फेडरेशन आफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स के 5, 6 और 7 जून, 1982 को हुए 20वें खुले अधिवेशन में की गई कुछ महत्वपूर्ण मांगें इस प्रकार हैं :

(1) केन्द्रीय सरकार और इसकी एजेंसियों को पालेकर एवार्ड का निरीक्षण और मानिटर करने तथा उसे कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व सीधे लेना चाहिए ।

(2) पालेकर ट्रिब्युनलों के अनन्तिम प्रस्तावों के प्रकाशन की तिथि की स्थिति के अनुसार रोजगार में यथापूर्व स्थिति बहाल करने के लिए एक केन्द्रीय अध्यादेश प्रख्यापित किया जाना चाहिए ।

(3) सरकार को उन समाचार पत्र यूनिटों, जिनमें स्वचलन चालू किया जा रहा है या चालू कर दिया गया है, में रोजगार का सांविधिक संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए एक त्रिपक्षीय बैठक बुलानी चाहिए ।

(4) श्रमजीवी पत्रकारों को जो रियायतें पहले दी जाती थीं उनको रेल मंत्रालय द्वारा बहाल किया जाना चाहिए ।

(5) इस बात को जानने के लिए कि भारतीय पत्रकारों का प्रतिनिधि निकाय कौन सा है—इंडियन फेडरेशन आफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स या नेशनल यूनियन आफ जर्नलिस्ट्स, यदि आवश्यक हो तो सदस्यता का और सत्यापन किया जाना चाहिए ।

(6) भारत सरकार और राज्य सरकारों को ऐसा आवश्यक कानून बनाना चाहिए जिससे कि श्रमजीवी पत्रकार और गैर-पत्रकार समाचार पत्र कर्मचारी समूह बीमा योजना, जैसा कि वह अन्य उद्योगों पर लागू है, के लाभों को प्राप्त कर सकें ।

(7) ऐसे सरकारी कर्मचारी, जिनकी कारंवाइयों से जन हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो, से सम्बन्धित किन्ही भी रिपोर्टों की जांच, छानबीन और पूछताछ करने के लिए एक स्थायी समिति बनाई जानी चाहिए जिसमें सरकार के प्रतिनिधि, पत्रकार और न्यायपालिका के सदस्य या इसी प्रकार का दर्जा रखने वाले व्यक्ति शामिल हों । इस प्रयोजन के लिए संसद और राज्य विधान मंडलों में उपयुक्त विधान प्रस्तुत किए जाने चाहिएं ।

(8) सूचना आर प्रसारण मंत्रालय को आकाशवाणी के अंशकालिक संवाददाताओं का पारिश्रमिक श्रेणी-1 के समाचारपत्रों के बराबर करना चाहिए ।

(9) सूचना और प्रसारण मंत्रालय को आकाशवाणी के शंशकालिक संवाददाताओं को दीर्घकालीन आधार पर नियुक्त करना चाहिए तथा मासिक संविदा पद्धति को समाप्त कर देना चाहिए ।

(10) श्रमजीवी पत्रकारों और उनके आश्रितों के लिए पेंशन चालू करने की एक व्यापक योजना तैयार की जानी चाहिए ।

विदेशी तथा एम० आर० टी० पी० औषध कपनियों को छूट

784. **श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विदेशी तथा एम० आर० टी० पी० औषध कंपनियों को और छूट देने का है जबकि उन्होंने कुछ उद्योगों में 5 प्रतिशत वार्षिक उत्पादन का निर्णय पहले ही ले लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

विश्व बैंक से ऋण और राज्यों में ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाएं

786. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** :

श्री जायनल अबेदिन :

क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक द्वारा देश को ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए 1982-83 में कुल कितनी धनराशि का ऋण स्वीकृत किया गया है;

(ख) विश्व बैंक द्वारा प्रदत्त सहायता का प्रयोग करके विद्युत व्यवस्था करने के लिए प्रत्येक राज्य में विद्युतीकृत गांवों की संख्या कितनी है;

(ग) उस अवधि का ब्योरा क्या है जिसके अन्त तक उपरोक्त कार्यक्रम को कार्यान्वित किया जाएगा;

(घ) किस अवधि में इस प्रकार के ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम को कार्यान्वित किया जाएगा; और

(ङ) इस बारे में अब तक क्या कार्यक्रम बनाया गया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) देश में ग्राम विद्युतीकरण के विस्तार और सुधार के लिए अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक ने 1982-83 के दौरान 304.5 मिलियन डालर का ऋण स्वीकृत किया है।

(ख) उस परियोजना से, जिसके लिए उपरोक्त ऋण सहायता स्वीकृत की गई है, देश में 18000 गांवों का विद्युतीकरण किया जाएगा। राज्यवार ब्योरा अभी तैयार किया जाना है।

(ग) परियोजना को दिसम्बर, 1985 के अन्त तक पूरा किया जाना अपेक्षित है।

(घ) उपरोक्त ऋण के कार्य के लिए हस्ताक्षर किया गया समझौता अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक द्वारा अधिसूचित किए जाने की तारीख से लागू होगा। यह आशा की जाती है कि स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए सामग्री की प्राप्ति के लिए उपरोक्त निधियां 1983-84 तथा 1984-85 के दौरान उपलब्ध होंगी।

(ङ) सामग्री की प्राप्ति के लिए बोली सम्बन्धी कागजात तैयार कर लिए गए हैं तथा राज्य बिजली बोर्डों द्वारा अब बोली के लिए आमन्त्रण जारी किए जा रहे हैं।

माइनिंग इंजीनियरों के खाली पद

787. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयला क्षेत्रों में माइनिंग इंजीनियरों के 700 पद खाली पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो इन पदों को न भरने के क्या कारण है;

(ग) विभिन्न कोयला क्षेत्रों में, क्षेत्रवार कितने पद खाली पड़े हैं; और

(घ) सरकार ने खाली पदों को भरने के लिए क्या प्रयास किए हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय के कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली में इंडेन गैस की एजेन्सियां

788. **श्री रोशनलाल प्रसाद वर्मा** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में इंडेन गैस की कितनी एजेन्सियां हैं; और

(ख) प्रत्येक गैस एजेन्सी को कितने गैस कनेक्शन आवंटित किए गए हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : [(क) 60, 31.3.1982 को यथा स्थिति ।

(ख) :

क्रम संख्या	वितरक	उनके पास दर्ज ग्राहकों की संख्या (31.3.82 को)
1	2	3
1.	मैसर्स प्यारेलाल एण्ड सन्स	7847
2.	मैसर्स प्रेमनाथ मोटर्स	7915
3.	मैसर्स साउथ देहली गैस	9015
4	मैसर्स एग्रो इंडिया ट्रेडिंग	5126
5.	मैसर्स एल० के० इंटरप्राइसिस	6099
6.	मैसर्स केकट्स लिली इंटरप्राइसिस	5788
7.	मैसर्स अमर गैस सर्विस	4943
8.	मेसर्स शहीद सुभाष गैस	5049
9.	मैसर्स वार हीरो गैस सर्विस	5243
10.	मैसर्स अमरजीत गैस	7257
11.	मैसर्स मनोहर गैस	6067
12.	मैसर्स विकास गैस	6086
13.	मैसर्स देवी अनपूर्णा	6093
14.	मैसर्स दी पी० इंटरप्राइसिस	6250
15.	मैसर्स डी० पी० थाकोर एण्ड कम्पनी	5466
16.	मैसर्स एसोशियेटिड ट्रेडिंग कम्पनी	6705
17.	मैसर्स एलाइट एजेन्सी	7301
18.	मैसर्स बी० एन० गुप्ता एण्ड कम्पनी	6049

1	2	3
19.	मैसर्स आर० डी० इंटरप्राइसिस	5976
20.	मैसर्स पायल गैस	5151
21.	मैसर्स विक्रम इंटरप्राइसिस	4961
22.	मैसर्स जयन्त गैस	5353
23.	मैलर्स यूनीक्यू इंटरप्राइसिस	5244
24.	मैसर्स शक्ति इंटरप्राइसिस	5321
25.	मैसर्स ए० ए० आर० के० इंटरप्राइसिस	5424
26.	मैसर्स मोहनील गैस	5934
27.	मैसर्स जे० जे० गैस सर्विस	5063
28.	मैसर्स सुरजीत फ्यूल डिपो	6085
29.	मैसर्स लिट्स रेफरीग्रेशन	7124
30.	मैसर्स नाथ ट्रेडर्स	6019
31.	पापूलर केमिस्टस	5714
32.	मैसर्स संजीव गैस	4972
33.	मैसर्स जगज्योति इंटरप्राइसिस	5262
34.	मैसर्स कनवाल गैस	8715
35.	मैसर्स विवेक गैस सर्विस	5232
36.	मैसर्स आलोक गैस एजेन्सी	7090
37.	मैसर्स अनन्तजी गैस	5868
38.	मैसर्स वेक्सन्य गैस	5895
39.	मैसर्स सुनील इंटरप्राइसिस	5308
40.	मैसर्स अतल इंटरप्राइसिस	5474
41.	मैसर्स सुखराम गैस	2522
42.	मैसर्स अल्का फलेम	5832

1	2	3
43.	मैसर्स आर० के० एजेन्सी	5582
44.	मैसर्स हेम गैस एजेन्सी	5802
45.	मैसर्स मार्स इंटरप्राइसिस	6268
46.	मैसर्स राजधानी गैस	4819
47.	मैसर्स दीप्ती इंटरप्राइसिस	5698
48.	मैसर्स प्रभात गैस	5150
49.	सी० लाल एण्ड सन्स	6576
50.	मैसर्स विजय रतन इंटरप्राइसिस	4952
51.	मैसर्स पर्ल गैस सर्विस	3540
52.	मैसर्स प्रिया सर्विसिस	3152
53.	मैसर्स बिक्की सर्विसिस	3426
54.	मैसर्स विशाल इंटरप्राइसिस	2856
55.	मैसर्स कालका जी गैस	2372
56.	मैसर्स बन्दाना इंटरप्राइसिस	1649
57.	मैसर्स राकोट इंटरप्राइसिस	1851
58.	मैसर्स सीधाजेथा इंटरप्राइसिस	34
59.	मैसर्स सिवानीका इंटरप्राइसिस	1258
60.	रविन्द्र गैस सर्विस	98

उत्तर-प्रदेश के रानीखेत नगर को माइक्रोवेव प्रणाली द्वारा जोड़ना

789. **श्री हरीश रावत :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि/:

(क) क्या उत्तर-प्रदेश में रानीखेत नगर को माइक्रोवेव प्रणाली द्वारा जोड़े जाने के संबंध में कोई योजना उनके मंत्रालय के विचाराधीन है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस नगर के सैनिक दृष्टि से सामरिक महत्व को ध्यान में रखते हुए निकट भविष्य में इस नगर को माइक्रोवेव प्रणाली से जोड़ने की कोई सम्भावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं।

(ख) वर्तमान परियात के आधार पर रानीखेत को माइक्रोवेव प्रणाली से जोड़ने का औचित्य सिद्ध नहीं होता।

(ग) इस प्रकार की योजना पर निकट भविष्य में विचार नहीं किया जा रहा है। तथापि, रानीखेत इलाके में लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन के लिए ग्रामीण रेडियो प्रणाली की व्यवस्था करने पर विचार किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश द्वारा स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की गई ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाएं

790. **श्री हरीश रावत** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष ग्रामीण, विद्युतीकरण निगम को उनकी स्वीकृति के लिए उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से कितनी योजनाएं प्राप्त हुई हैं;

(ख) उत्तर प्रदेश के पहाड़ी-जिलों के लिए स्वीकृत योजनाओं को मिलाकर अब तक कुल कितनी योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है; और

(ग) विचाराधीन योजनाओं को कब तक स्वीकृति प्रदान कर दिए जाने की आशा है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) वित्तीय वर्ष 1981-82 के दौरान ग्राम विद्युतीकरण निगम को उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड से स्वीकृति के लिए 68 स्कीमें प्राप्त हुई थीं। इसके अतिरिक्त, पिछले वर्ष के आरम्भ होने पर अर्थात 1 अप्रैल, 1981 को 74 स्कीमें ग्राम विद्युत निगम मे जांच की विभिन्न अवस्थाओं में थीं तथा 14 स्कीमें जो राज्य बिजली बोर्ड को वापस भेज दी गई थीं वे उनके पास संशोधन के लिए पड़ी हुई हैं।

(ख) ग्राम विद्युतीकरण निगम ने उत्तर प्रदेश में 1981-82 के दौरान 80 ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें स्वीकृत की हैं जिसमें से 6 ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें पहाड़ी जिलों के लिए स्वीकृत की गई हैं।

(ग) वे स्कीमें जो वर्ष 1982-83 के आरम्भ में लम्बिल पड़ी थीं, उन पर चालू वर्ष के दौरान अनुमोदन के लिए धन उपलब्ध होने पर विचार किया जाएगा।

अल्मोड़ा में माइक्रोवेव टावर का निर्माण

791. **श्री हरीश रावत** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र के रूप में दूर-संचार विभाग द्वारा अल्मोड़ा में बनाई जा रही माइक्रोवेव टावर के उपयोग के लिए संचार मन्त्रालय से बातचीत शुरू करने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस क्षेत्र के दूरदर्शन देखने वालों और अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उनका मन्त्रालय क्या कदम उठा रहा है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : (क) और (ख) टेलीविजन एंटीना लगाने के लिए डाक-तार माइक्रोवेव टावरों का उपयोग करने के सामान्य प्रश्न पर संचार मन्त्रालय के साथ बातचीत चल रही है।

पिथौरागढ़ में माइक्रोवेव का निर्माण

792. श्री हरीश रावत : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में पिथौरागढ़ को माइक्रोवेव स्टेशन के निर्माण के लिए लिया स्थल का निर्णय कर लिया गया है और क्या इसके अनुमानित लागत का ब्योरा तैयार कर लिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और इस स्टेशन का निर्माण कार्य कब तक शुरू हो जाएगा ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) पिथौरागढ़ में एक स्थान का चयन किया गया था लेकिन रेडियो फ्रीक्वेन्सी के आवंटन पर गठित स्थायी सलाहकार समिति द्वारा इसकी अनुमति नहीं दी गई थी। अब नये स्थान का चयन किया जा रहा है। नए स्थान का निर्णय लिए जाने और रेडियो फ्रीक्वेन्सी के आवंटन पर गठित स्थायी सलाहकार समिति की अनुमति मिल जाने के बाद, कार्य का प्राक्कलन तैयार किया जाएगा। 1983 में निर्माण कार्य शुरू होने की सम्भावना है।

डाक तथा तार विभाग के सिविल विंग में जूनियर इन्जीनियर/सहायक इन्जीनियर और कार्यकारी इन्जीनियरों के आरक्षित पदों का आरक्षण समाप्त करना

793. श्री भीखा भाई : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक तथा तार विभाग के सिविल विंग में जूनियर इंजीनियर/सहायक इन्जीनियर और कार्यकारी इन्जीनियरों के कितने पद हैं;

(ख) जूनियर इंजीनियर/सहायक इन्जीनियर और कार्यकारी इन्जीनियर ग्रेड में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने व्यक्ति हैं;

(ग) उनके मन्त्रालय में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों के भरने के सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है;

(घ) उक्त श्रेणियों में अर्थात्, जूनियर इन्जीनियर/सहायक इन्जीनियर और कार्यकारी इन्जीनियर के कितने आरक्षित पदों का आरक्षण समाप्त किया गया है; और

(ङ) क्या किसी पद का आरक्षण समाप्त करने से पहले मन्त्री की स्वीकृति प्राप्त की गई है और यदि नहीं तो किस स्तर पर आरक्षण समाप्त किया गया है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ङ) अपेक्षित जानकारी प्राप्त की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

दिल्ली में नई एजेंसियां

794. **श्री कृष्ण चन्द्र पाण्डे :**

श्री सज्जन कुमार :

क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली की भारी जनसंख्या को देखते हुए दिल्ली में और अधिक नई गैस एजेंसियां खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) वर्ष 1982-83 की योजना के अन्तर्गत तेल कम्पनियों का दिल्ली में एल० पी० जी० की 13 नई वितरण एजेंसियां आरम्भ करने का प्रस्ताव है ।

दिल्ली के टेलीफोन एक्सचेंजों में टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची

795. **श्री कृष्ण चन्द्र पाण्डे :**

श्री सज्जन कुमार :

श्री रामजी भाई मावणि :

क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के प्रत्येक टेलीफोन एक्सचेंज में 1 जुलाई, 1982 को टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार का विचार उन व्यक्तियों को शीघ्र टेलीफोन देने के लिए क्या कार्यवाही करने का है जिनके नाम प्रतीक्षा सूची में हैं ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) 1-7-1982 को दिल्ली टेलीफोन में विभिन्न एक्सचेंजों के सम्बन्ध में प्रतीक्षा सूची तथा निपटान तारीखों के विवरण अनुबन्ध "क" में दिए गए हैं ।

[**ग्रंथालय में रखा गया — देखिए संख्या एल० टी० 4232/82**]

(ख) प्रतीक्षा सूची के निपटान के लिए नए टेलीफोन एक्सचेंज खोलने तथा मौजूदा एक्सचेंजों में वृद्धि करने का प्रस्ताव है । चालू आवेदनों में से फरीदाबाद, शाहदरा, शाहदरा पूर्व, जनकपुरी, जोरबाग, हौज खास, ओखला और नेहरू प्लेस क्षेत्रों के सामान्य श्रेणी के कुछ मामलों को छोड़कर अधिकांश को छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक निपटान हो जाने की संभावना है ।

दिल्ली के गांवों में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र

796. **श्री कृष्ण चन्द्र पाण्डे :**

श्री सज्जन कुमार :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के गांवों में रहने वाले कितने व्यक्तियों के सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र के लिए आवेदन किया है;

(ख) उन्हें कब तक सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र उपलब्ध कराए जाने की सम्भावना है; और

(ग) इन सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों का शीघ्र खोला जाना सुनिश्चित करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) इस सम्बन्ध में जानकारी एकत्र की जा रही हैं और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

औरंगाबाद में बम्बई उच्च न्यायालय की न्यायपीठ की स्थापना

797. **श्री उत्तर राठौर** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में बम्बई उच्च न्यायालय की एक स्थाई न्यायपीठ औरंगाबाद में स्थापित करने की मांग की जा रही है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उच्चतम न्यायालय ने अभी हाल ही में अपने एक निर्णय में एस० आर० सी० एक्ट की धारा 51(3) के अधीन उच्च न्यायालय की न्यायपीठ के खोले जाने के निर्णय को कायम रखा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार उक्त निर्णय को देखते हुए एस० आर० सी० एक्ट जी धारा 51(2) के अधीन अधिसूचना कब जारी करेगी ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की आवश्यकता

798. **श्री उत्तम राठौर** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष 1982-83 के दौरान पेट्रोलियम, कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की अनुमानित आवश्यकता कितनी है;

(ख) इसमें से कितनी अपने ही देश में उत्पादित किए जाने का अनुमान है;

(ग) कितनी मात्रा का आयात किये जाने का लक्ष्य रखा गया है; और

(घ) कौन से वर्ष तक देश को पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों में आत्मनिर्भर हो जाने की आशा है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) वर्ष 1982-83 के लिए देश की शोधनशालाओं मे परिशोधन करने के लिए कच्चे तेल की अनुमानित आवश्यकता करीब 31.7 मि० मी० टन है। वर्ष के लिए परिशोधित पेट्रोलियम उत्पादों की आवश्यकता का अनुमान 35.7 मि० मी० टन है।

(ख) और (ग) 1982-83 के दौरान कच्चे तेल के स्वदेशी उत्पादन का लक्ष्य करीब 20 95 मि० मी० टन है। 1982-83 के दौरान आयातित कच्चे तेल की शुद्ध आवश्यकता का अनुमान 11:98 मि० मी० टन और मुख्य पेट्रोलियम उत्पादों का अनुमान 5.8 मि० मी० टन है।

(घ) जबकि स्वदेशी कच्चे तेल के उत्पादन और स्वदेशी शोधन क्षमता दोनों को बढ़ाने के लिए कई उपाय किये गये हैं जिसके फलस्वरूप कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के आयात की सम्पूर्ण आवश्यकता कम हो जायेगी, इस सम्बन्ध में आत्मनिर्भरता पेट्रोलियम उत्पादों की मांग में वृद्धि की दर और पहले से ही खोजे गये क्षेत्रों से वास्तव में प्राप्त किये गये और नये क्षेत्रों जिन्हें भविष्य में खोजा जायेगा से प्राप्त स्वदेशी कच्चे तेल के उत्पादन स्तरों पर निर्भर होगी।

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा अन्धाधुन्ध विस्फोट

799. **श्री आनन्द पाठक** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड के प्राधिकारियों द्वारा वहां के आस-पास के गांवों में रहने वालों की जान-माल की परवाह किए बिना किए जाने वाले अन्धाधुन्ध विस्फोट की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) और (ख) दिनांक 1-4-1982 को अन्धाधुध ब्लास्टिंग के बारे में ई० को० लि० के पांडेश्वर एरिया की पुरुषोत्तमपुर ओ० का परियोजना के निकट ग्रामीणों ने एक शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत मिलने के तुरन्त बाद खान सुरक्षा महानिदेशालय के एक अधिकारी ने इस मामले की जांच की। जांच से पता चला है कि ग्रामीण ब्लास्टिंग स्थल से 690 मीटर दूर हैं और खतरे की सीमा से बाहर है और इस बात का वहां कोई सबूत नहीं है कि वर्क्स पर की गई ब्लास्टिंग के कम्पन से इन गावों में रहने वाले लोगों के जान-माल का कोई नुकसान हुआ हो। फिर भी, खा० सु० म० नि० के सुझाव के अनुसार के० खा० आ० और डि० सं० लि० द्वारा इस बारे में वैज्ञानिक अध्ययन किया गया है।

छठी पंचवर्षीय योजना में डाक सुविधाओं का विकास

800. **डा० कृपासिन्धु भोई :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना में डाक सुविधाओं के विकास के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है और इसका उपयोग किस तरीके से किया जाएगा;

(ख) राज्यवार कितने, डाकघर और स्टाफ क्वार्टर बनाने का विचार है;

(ग) राज्यवार राज्यों की राजधानियों को कितने जिला मुख्यालयों से जोड़ने का विचार है; और

(घ) इस अवधि में दी जाने वाली अन्य सुविधाओं सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) छठी पंचवर्षीय योजना में, डाक क्षेत्र के लिए कुल 172 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। इस परिव्यय का निम्नलिखित ढंग से उपयोग किया जाएगा।

योजना	परिव्यय (करोड़ रुपये)
1. पोस्टल नेटवर्क का विस्तार	9.82
2. भवनों और स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण	140.47
3. अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण (विभागेतर एजेंटों सहित)	10.00
4. डाक मोटर बेड़े में वृद्धि करना	4.91
5. रेल डाक सेवा मोटरों की व्यवस्था	3.15
6. डाक सेवाओं का यांत्रिकीकरण और आधुनिकीकरण	3.65
	172.00

(ख) से (घ) इस सम्बन्ध में जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

सोफ्ट कोक के मूल्य में वृद्धि

801. **श्रीमती गीता मुखर्जी :**

श्री रामावतार शास्त्री :

श्री रूपचन्द्र पाल :

क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोल इंडिया ने 1980 के बाद कितनी बार कोयले के मूल्य बढ़ाए हैं और प्रत्येक बार सोफ्ट कोक का कितना मूल्य निर्धारित किया गया;

(ख) क्या सरकार को यह जानकारी है कि कोल इंडिया द्वारा अन्तिम बार बढ़ाए गए मूल्य के कारण सोफ्ट कोक का खुदरा मूल्य 2 से 3 रुपये प्रति 40 कि० ग्राम बढ़ने की सम्भावना है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सोफ्ट कोक के घरेलू उपयोग के लिए कुछ राज सहायता देने का है ताकि निर्धन तथा मध्यम श्रेणी के लोगों को कुछ राहत मिल सके।

ऊर्जा मन्त्रालय के कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) से (ग) कोयले की कीमतों में 1980 के बाद 2 बार वृद्धि की गई है—पहली बार 14.2.1981 से और दूसरी बार 27.5.1982 से और साफ्ट कोक की खान मुहाना कीमत क्रमशः रु० 150 प्रतिटन और रु० 175 प्रतिटन निश्चित की गई है। साफ्ट कोक की जो कीमत अब निश्चित की गई है उसमें रु० 40 प्रतिटन की राज्य सहायता है। इसके परिणामस्वरूप साफ्ट कोक की कीमत में वृद्धि प्रति 40 किलोग्राम लगभग रु० 1.10 से अधिक नहीं होनी चाहिए। परन्तु साफ्ट कोक की फुटकर कीमत भारत सरकार नहीं निश्चित करती है।

अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन

802. **श्री वी० एस० विजयराघवन :**
श्री जयनारायण रौत :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा गठित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) और (ख) विधि आयोग ने एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन की सिफारिश अपनी 77वीं रिपोर्ट में की है। इस विषय में राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधिपतियों के विचार मांगे गए हैं। इस सेवा के गठन के बारे में ब्योरा तैयार नहीं किया गया है। यह प्रश्न तभी उठेगा जब राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों के न्यायाधिपतियों के विचार प्राप्त हो जाएंगे।

कलकत्ता की चार्टर्ड अकाउंट फर्म के एक लेखा परीक्षक सहायक की धनबाद में हत्या

803. **श्री अजय बिश्वास :**
श्री अजित बाग :
श्री हन्नान मोल्लाह :
श्री रामावतार शास्त्री :
डा० सरदीश राय :
श्री अजित कुमार साहा.

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता की चार्टर्ड अकाउंट फर्म के एक लेखा परीक्षक सहायक की 27 अप्रैल, 1982 को धनबाद में किन परिस्थितियों में हत्या की गई;

(ख) क्या लेखा परीक्षक सहायक ने बी० सी० सी० एल० के एक क्षेत्र में नकद धनराशि की जांच करने के लिए कहा था और सम्बन्धित अधिकारियों ने ऐसा करने से इन्कार कर दिया था;

(ग) यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) यदि अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है और मृत व्यक्ति के परिवार को कितना मुआवजा दिया गया है ?

ऊर्जा मन्त्रालय के कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) चूंकि कानून और व्यवस्था राज्य सरकार का विषय है अतः इस मामले की जांच पुलिस कर रही है।

(ख) स्वर्गीय श्री एस० एस० दास, लेखा-परीक्षा-सहायक ने 23 अप्रैल 1982 को रोकड़ के सत्यापन के लिए कहा था और उन्हें सूचित किया गया कि चूंकि दूसरी चाभी एरिया वित्त प्रबन्धक के पास है जो सरकारी दौरे पर कलकत्ता गए हुए हैं, अतः रोकड़ की तिजोरी नहीं खोली जा सकती। दिनांक 24 अप्रैल, 1981 को श्री दास ने रोकड़ सत्यापन के लिए फिर कहा और चूंकि एरिया वित्त प्रबन्धक कलकत्ता से नहीं लौटे थे, इसलिए दूसरी चाभी उनके घर से प्राप्त कर ली गई थी। जब तक यह चाभी प्राप्त हुई श्री दास और एक दूसरे लेखा-परीक्षा-सहायक उस एरिया से दूसरे एरिया के लिए चले गए थे। उन्हें उस एरिया में यह सूचित किया गया कि अब वे रोकड़ का सत्यापन कर सकते हैं। श्री दास और दूसरे लेखा-परीक्षा-सहायक ने सूचित किया कि अब वे रोकड़ का सत्यापन सोमवार, दिनांक 26 अप्रैल को करेंगे। श्री दास और दूसरे लेखा-परीक्षा-सहायक ने रोकड़ का सत्यापन 26 अप्रैल 1982 को किया था।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभाओं के हाल ही के निर्वाचन

804. श्री अमर राय प्रधान : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों में मई, 1982 में विधान सभा के निर्वाचन हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम तथा निर्वाचन जीतने वाले विधान सभा सदस्यों की दलवार स्थिति क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) जी हां।

(ख) निर्वाचन आयोग द्वारा दिया गया विवरण, जिसमें राज्यों के नाम और उन विधान सभा सदस्यों की, जो मई, 1982 में हुए निर्वाचन में विजयी हुए हैं, पार्टीवार स्थिति दर्शायी गई है, सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

राज्यों के नाम और उन विधान सभा सदस्य, जो मई, 1982 को हुए निर्वाचन में विजयी हुए हैं, पार्टीवार स्थिति (परिणाम की घोषणा के समय)।

राज्य का नाम	पार्टी का नाम	निर्वाचित सदस्यों की संख्या
1	2	3
हरियाणा	इंडियन नेशनल कांग्रेस	36
	लोक दल	31
	भारतीय जनता पार्टी	6
	जनता पार्टी	1
	स्वतन्त्र	15
	योग	89*
	*एक स्थान खाली। (74-हिसार विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र) 11-7-1982 को पुनः मतदान कराने का आदेश।	
हिमाचल प्रदेश	इंडियन नेशनल कांग्रेस	31
	जनता पार्टी	2
	भारतीय जनता पार्टी	29
	स्वतन्त्र	6
	योग	68
केरल	भारत की कम्युनिस्ट पार्टी	13
	भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मा०)	26
	इंडियन कांग्रेस (सोशलिस्ट)	7
	इंडियन नेशनल कांग्रेस	20

1	2	3
	जनता पार्टी	4
	केरल कांग्रेस	6
	केरल कांग्रेस (ज०)	8
	आल इंडिया मुस्लिम लीग	4
	रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी	4
	मुस्लिम लीग	14
	स्वतन्त्र	34
	योग	140
पश्चिमी बंगाल	इंडियन नेशनल कांग्रेस	49
	इंडियन कांग्रेस (सोशलिस्ट)	4
	भारत की कम्युनिस्ट पार्टी	7
	भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मा०)	174
	अखिल भारतीय फार्वर्ड ब्लाक	28
	रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी	19
	सोशलिस्ट यूनिटी सेन्टर आफ इंडिया	2
	स्वतन्त्र	11
	योग	294

आल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किया जाना

805. **श्री अमर राय प्रधान :**

श्री रामविलास पासवान :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, नहीं ।

(ख) आकाशवाणी के केन्द्रों की घोषणाओं में, "आकाशवाणी" और "आल इंडिया रेडियो" शब्दों का प्रयोग संगठन की पहचान के लिए किया जाता रहा है। हाल ही में, इस मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की सिफारिशों के अनुसार, एक समान घोषणा "आकाशवाणी" का प्रयोग शुरू किया गया था। तथापि, इस परिवर्तन के विरुद्ध अभ्यावेदनों पर विचार करने के बाद पहले वाली परिपाठी बहाल कर दी गई है ।

विधान सभा निर्वाचनों में जाली/नकली मतपत्रों के प्रयोग के सम्बन्धी शिकायतें

806. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल के राज्य विधान सभा निर्वाचनों मे जाली मतपत्र अथवा नकली मतपत्रों के प्रयोग किए जाने की कितनी शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं; और

(ख) क्या इनमें से किसी शिकायत को सही पाया गया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

आन्ध्र प्रदेश में मनुगूर में सुपर ताप विद्युत परियोजना

807. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह आन्ध्र प्रदेश में मनुगूर में एक सुपर ताप विद्युत परियोजना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब स्थापित किया जाएगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) आन्ध्र प्रदेश में मांगरू में एक वृहत् पिट हैड ताप विद्युत केन्द्र की व्यवहार्यता की जांच के लिए राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने अध्ययन प्रारम्भ कर दिए हैं। अभी प्रस्ताव विचाराधीन है।

दिल्ली में बिजली की कमी

808. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :**

श्री एस० एम० कृष्ण :

क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में बिजली की कमी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा राजधानी में बिजली के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

ऊर्जा मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) अपर्याप्त विद्युत उत्पादन के कारण दिल्ली में विद्युत की कोई कमी नहीं है। परन्तु दिल्ली की विद्युत की भावी

आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सभी केन्द्रीय विद्युत परियोजनाओं में दिल्ली को हिस्सा दिया जा रहा है।

गोदावरी बेसिन में पेट्रोलियम गैस के लिये कुओं की खुदाई

809. **श्री पी० रोजगोपाल नायडू** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गोदावरी बेसिन में पेट्रोलियम और गैस का पता लगाने के लिए कुओं की खुदाई का काम पुन: शुरू कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) अन्वेषी व्यधन कार्य जारी है।

(ख) अपतटीय एवम् तटीय कूपों में दोनों ही में हाइड्रोकार्बनों के संकेत मिले हैं। परन्तु अभी तक किसी भी वाणिज्यिक क्षेत्र को स्थापित नहीं किया गया है।

पेट्रोलियम के लिए बंगाल की खाड़ी में सर्वेक्षण

810. **श्री पी० रोजगोपाल नायडू** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पेट्रोलियम प्राप्त करने के लिए बंगाल की खाड़ी में सर्वेक्षण कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : जी, नहीं। वर्ष 1978-79 के दौरान पश्चिम बंगाल बेसिन के तटीय तथा अपतटीय दोनों के आंकड़ों की समीक्षा की गयी थी। बाद में, बंगाल की खाड़ी से दूर सुन्दरवन के निकटस्थ तथा सुन्दरवन की नदियों के निकट के छिछले जल क्षेत्र में भू-कम्पीय सर्वेक्षण नवम्बर 1979 में प्रारम्भ किए गए थे तथा यह जून, 1981 में पूरे हुए थे।

(ख) हालांकि सर्वेक्षण आंकड़ों का संसाधन पूरा किया जा चुका है परिणाम तभी ज्ञात होंगे जब आंकड़ों की व्याख्या की जायेगी।

दिल्ली में बिजली की कमी

811. **श्री के० लक्कप्पा** :

श्री गुफरान आजम :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में अभी हाल के कुछ महीनों में बिजली की कमी रही है;

(ख) क्या प्रधान मंत्री ने दिल्ली में बिजली की गड़बड़ी को रोकने के संबंध में कुछ निदेश जारी किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के एसोसिएशन ने स्थिति पर काबू पाने हेतु बिजली की कमी दूर करने में रोष प्रकट किया है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जहां तक समग्र रूप से विद्युत की उपलब्धता का संबंध है विद्युत की कोई कमी नहीं है। तथापि, पारेषण और वितरण प्रणाली में बाधाओं के कारण तथा रोहतक रोड पर भाखड़ा तथा व्यास प्रबन्ध बोर्ड के दो 100 एम० वी० ए० विद्युत ट्रासफार्मरों के फेल हो जाने के परिणामस्वरूप सप्लाई में लोड शेडिंग किया गया है।

(ख) और (ग) प्रधान मंत्री महोदया ने निर्देश दिए थे कि दिल्ली में लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए।

(घ) जी, नहीं, कोई रोष प्रकट नहीं किया गया है। एसोशिएशन से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने बताया है कि उन्होंने अपने सदस्यों को निर्देश दिए है कि बुलाने आदि पर उपभोक्ताओं की शिकायतों तथा बड़े/छोटे ब्रेकडाउनों को दूर करने के लिए उपलब्ध होने के अलावा वे प्रातः 8.00 बजे से सायं 8.00 बजे तक सक्रिय रूप से सरकारी ड्यूटी पर रहें।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

वक्फ अधिनियम में संशोधन

812. **श्री के० लक्कप्पा :**

श्री गुफरान आजम :

क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक ऐसा फार्मूला तैयार करने की दृष्टि से जिससे वक्फ संबंधी विषयों के बारे में समस्याओं के विभिन्न पहलुओं को समन्वित करके उन्हें निपटाया जा सके, सरकार का विचार वक्फ अधिनियम, 1954 मे संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या वक्फ जांच समिति, अल्पसंख्यक आयोग और मुस्लिम संसद सदस्यों के विचारों पर भी ध्यान दिया जाएगा; और

(ग) यदि हां, तो इसे कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) वक्फ जांच समिति की सिफारिशों की समीक्षा कर ली गई है। अल्पसंख्यक आयोग के विचारों और मुसलमान संसद् सदस्यों तथा अन्य द्वारा व्यक्त किए गए विचारों

को ध्यान में रखते हुए उन सिफारिशों की पुनः समीक्षा की जा रही है। सरकार सभी विचारों पर ध्यान देने के पश्चात् ही उक्त अधिनियम का संशोधन करने के लिए अपने प्रस्तावों को अन्तिम रूप देगी और अधिनियम का संशोधन करने के लिए एक विधेयक संसद् के अगले सत्र में पुर:स्थापित करने का विचार है।

सवाई माधोपुर राजस्थान में उर्वरक संयंत्र की स्थापना

813. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में उर्वरक संयंत्र की स्थापना के लिए अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया है;

(ख) इसकी अनुमानित लागत तथा इसकी प्रतिदिन की उत्पादन क्षमता कितनी है; और

(ग) इस उर्वरक कम्पलेक्स के पूरा होने की निर्धारित तारीख क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीयकरण के बाद से कोयले के मूल्यों में वृद्धि

814. **श्री सुनील मैत्रा** :

श्री हन्नान मोल्लाह :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण करने के बाद सरकार ने कितनी बार कोयले के मूल्यों में वृद्धि की है; और

(ख) हर बार की गई वृद्धि के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) और (ख) कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के बाद कोयले की औसत खान मुहाना कीमत में 5 बार वृद्धि की गई है। कोयले की कीमतों में वृद्धि जिन कारणों से आवश्यक हो गई वह इस प्रकार हैं, भण्डार सामग्री, बिजली, उपकरण, अतिरिक्त पुर्जे आदि उत्पादन सामग्रियों की लागत में वृद्धि, मूल्यह्रास में वृद्धि और ब्याज में वृद्धि, मजदूरी में वृद्धि, आदि।

प्राकृतिक गैस का उपयोग

815. **श्री सुनील मैत्रा** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 1980-81 के दौरान उपलब्ध 2.8 मिलियर घन मीटर प्राकृतिक गैस में से कितनी गैस का उपयोग किया गया है;

(ख) उपयोग न की गई गैस का मूल्य क्या है; और

(ग) इस संबंध में उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) वर्ष 1980-81 के दौरान गैस का कुल उत्पादन 2319.41 मिलियन घन मीटर था इसमें से उपयोग में लाई गई गैस की मात्रा 1564.80 मिलियन घन मीटर थी ।

(ख) और (ग) प्रयोग नहीं की गई गैस का मूल्य भारित औसत मूल्य के आधार पर लगभग 24.67 करोड़ रुपये था। गैस के अधिकतम प्रयोग के लिए निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं।

सिन्दरी उर्वरक कारखाने में ठेकेदारों द्वारा सुरक्षा नियमों का उल्लंघन

816. **श्री अजित बाग** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिंदरी उर्वरक कारखाने में प्रबन्धकों ने सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करके ठेकेदार के कुछ आदमियों को कारखाने के अन्दर ठहरने और खाना बनाने की अनुमति दी हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार हाल ही में कारखाने में लगी भयंकर आग तथा सुरक्षा की दृष्टि से यह कार्य बन्द करेगी;

(ग) यदि हां, तो उठाए जाने वाले कदमों का क्या ब्यौरा है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) मैसर्स गणपतराय राशि वाशिया स्टील कम्पनी, जिन्होंने सिन्दरी कारखाने के पुराने और फालतू प्लांटों को खरीदा है, के कुछ कामगार जो इन प्लाओं की सामग्रियों को तोड़ने तथा उनका परिवहन करने में लगे हैं, को फालतू प्लांट में रहने और खाना पकाने की अनुमति दी गई थी। सिन्दरी प्रबन्ध ने अनुमति देते समय प्लांट की सुरक्षा सुनिश्चित करने के पर्याप्त कदम उठाए थे।

(ख) और (ग) 9.5.1982 को फर्म को यह काम बन्द करने के लिए कहा गया था जिसे तभी से बन्द कर दिया गया है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कोल इंडिया लिमिटेड और बी० सी० सी० एल० में वित्तीय प्रबन्ध प्रणाली

817. **श्री अजित बाग** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ङ) कोल इंडिया लिमिटेड और बी० सी० सी० एल० जैसी इसकी सहायक कम्पनियों में वित्तीय प्रबन्ध की क्या प्रणाली है;

(ख) क्या सरकार को यह जानकारी है कि इस प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) कोल इंडिया लि० और उसकी प्रत्येक सहायक कंपनी के लिए अलग-अलग निदेशक बोर्ड हैं। प्रत्येक सहायक कंपनी के निदेशक बोर्ड के साथ एक पूर्णकालिक निदेशक (वित्त) लगाया गया है जो, अन्य बातों के साथ-साथ यह काम करते है। बोर्ड द्वारा अनुमोदन के लिए कंपनी की वित्तीय नीतियां बनाना, कंपनी के सभी स्तरों पर परिचालन और निवेश के संबंध में वित्तीय सलाह देना, लागत घटाने, कुशलता बढ़ाने और लाभकारिता बढ़ाने की दृष्टि से विशेष अध्ययन करना, आन्तरिक लेखा परीक्षा करना, आदि। उन्हें अपनी काम संबंधी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए पर्याप्त प्राधिकार दिए गए हैं। एरिया और कोलियरियों के स्तर पर वित्तीय मामलों की देखभाल संबद्ध एरिया के एरिया वित्त प्रबंधक करते हैं यह कार्रवाई वे संबद्ध क्षेत्रों के महाप्रबंधकों को प्रत्यायित शक्तियों के अधीन रहने वाले-मामलों में करते हैं और उनकी शक्ति से बाहर के मामले एरिया वित्त प्रबन्ध द्वारा समुचित जांच पड़ताल के बाद अनुमोदन के लिए मुख्यालय को भेजे जाते हैं। कोल इंडिया लि० एक धारक कंपनी है और यह उन परियोजनाओं के सम्बन्ध में साध्यता अध्ययन/विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की संवीक्षा करता है जिनका कार्यान्वयन बोर्ड में विहित शक्तियों के अधीन करने का विचार रहता है अथवा जिन्हें सरकार के पास अनुमोदन के लिए भेजने का विचार है। इस सम्बन्ध में व्यावहारिकता लाभकारिता और प्रस्तावित पूंजी परिव्यय के औचित्य का ध्यान रखा जाता है। को० ई० लि० अपने परिचालन संबंधी कार्यक्रमों और सहायक कंपनियों के ऐसे ही कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए अपेक्षित वित्तीय स्रोत निश्चित करता है, ऐसे वित्तीय नियंत्रण की प्रणाली बनाता है और उसका अनुरक्षण करता है जिससे सहायक कंपनियों आदि को आवंटन और धनराशि जारी करने सम्बन्धी बातों का नियमन हो। अब तक कोल इंडिया लि० के वित्तीय मामलों की देखभाल वित्त के प्रमुख करते रहे हैं परन्तु हाल ही में एक निदेशक (वित्त) का पद बनाया गया है जिसका उद्देश्य कोल इंडिया लि० की वित्तीय व्यवस्था को मजबूत का बनाने है।

(ख) से (घ) इस प्रणाली की लगातार पुनरीक्षा की जाती है और जब कभी आवश्यक होता है तो परिस्थिति के अनुसार इसमें सुधार किए जाते हैं।

मध्य प्रदेश में बिजली की मांग और सप्लाई

818. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या है जिन्हें मांग के अनुसार बिजली सप्लाई नहीं हो रही है; और

(ग) क्या पिछले छः महीने के दौरान मध्य प्रदेश में बिजली का संकट रहा है और यदि हां, तो इस बारे में राज्य में बिजली अधिकतम मांग सप्लाई क्षमता तथा वर्तमान कमी का ब्यौरा क्या है।

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) इस समय राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्यों में ऊर्जा की कमी महसूस की जा रही है। उड़ीसा और महाराष्ट्र में इस वर्ष स्थिति में सुधार होने की आशा है।

(ख) मध्य प्रदेश लगभग 27 प्रतिशत की मात्रा में अपर्याप्त विद्युत उत्पादन क्षमता के कारण की कमी का सामना कर रहा है। अप्रतिबन्धित व्यस्ततमकालीन मांग पूरी की गई, औसत व्यस्ततमकालीन मांग तथा व्यस्ततमकालीन कमी के ब्यौरे नीचे दिए गये हैं :

महीना	अप्रतिबन्धित व्यस्ततमकालीन मांग	पूरी की गई व्यस्ततमकालीन मांग	व्यस्ततमकालीन कमी
			(आंकड़े मेगावाट में)
जनवरी 82	1600	893	707
फरवरी 82	1550	901	649
मार्च 82	1600	967	633
अप्रैल 82	1500	980	520
मई 82	1500	983	517
जून 82	1500	920	580

मध्य प्रदेश में डाकघरों के भवनों की कमी

819. **श्री सुभाष यादव** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में डाकघरों के भवनों की कमी है और यदि हां, तो सरकार का विचार 1982-83 में डाकघरों के लिए कितने भवन बनाने का है; और

(ख) इस कार्य के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां। 1982-83 के दौरान मध्य प्रदेश सर्किल में 13 स्थानों पर डाकघर भवन निर्माण करने का प्रस्ताव है।

(ख) 1982-83 के लिए 21.52 लाख रुपये रखे गए हैं।

दल बदल के बारे में निर्वाचन आयोग का सुझाव

820. **श्री सुभाष यादव :**

श्री रामविलास पासवान :

श्रीमती प्रमिला दण्डवते :

श्री राजेश कुमार सिंह :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व निर्वाचन अयुक्त ने सरकार को दल बदल रोकने के लिये देश में निर्वाचन सम्बन्धी सुधार करने का सुझाव दिया था; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) "दल-बदल" के के सम्बन्ध में मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कोई औपचारिक पत्र प्राप्त नहीं हुआ है । किन्तु सरकार का ध्यान भूतपूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री एस० एल० शकधर द्वारा व्यक्त किए गए उन विचारों की ओर दिलाया गया है जो उन्होंने 26 सितम्बर, 1980 को वोटर्स काउंसिल एण्ड सिटिजन फार डेमोक्रेसी दिल्ली के समक्ष अपने भाषण में तथा मई, 1982 में शिलांग में आयोजित मुख्य निर्वाचन अधिकारी सम्मेलन में दिए गए अपने भाषण में व्यक्त किए थे । उनमें उन्होंने यह सुझाव दिया था कि नाम निर्देशन पत्र में इस आशय की एक घोषणा सम्मिलित की जाए कि यदि कोई अभ्यर्थी जिसका निर्वाचन उसे आवंटित प्रतीक के आधार पर हुआ है, अपनी दलीय स्थिति या निर्दलीय प्रस्थिति को निर्वाचन के पश्चात् बदलता है तो वह निरर्हित हो जाएगा और सदस्य नहीं रहेगा ।

(ख) राजनीतिक दलबदल को प्रभावकारी रूप से रोकने के लिए उपयुक्त विधान बनाने के प्रश्न पर मंत्रिमंडल की निर्वाचन सुधार समिति, निर्वाचन सुधार से सम्बन्धित अन्य विषयों के साथ विचार कर रही है ।

आकाशवाणी कार्यक्रमों हेतु "इन्सैट" का उपयोग

821. **श्री सुभाष यादव :**

श्री रामविलास पासवान :

श्री राजेश कुमार सिंह :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी ने कार्यक्रमों को पुनः प्रसारण के लिए "प्रोग्राम सिग्नल" उपलब्ध कराने हेतु भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह का उपयोग शुरू कर दिया है; और

(ख) आकाशवाणी के ऐसे, केन्द्रों के नाम क्या हैं, जिन्होंने आकाशवाणी दिल्ली से इस उपग्रह के जरिये कार्यक्रमों का पुनः प्रसारण शुरू कर दिया है; और

(ग) आकाशवाणी के अन्य कौन-कौन से केन्द्र पुनः प्रसारण शुरू करेंगे, यदि हां, तो कब ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, हां ।

(क) आकाशवाणी के अहमदाबाद और हैदराबाद केन्द्रों ने नई दिल्ली से मूल रूप से प्रसारित किए जाने वाले कतिपय समाचार बुलेटिनों को उपग्रह सम्पर्क के माध्यम से रिले करना शुरू कर दिया है ।

(ग) उम्मीद है कि आठ और केन्द्र अर्थात् श्रीनगर, जयपुर, भोपाल, त्रिवेन्द्रम, गोहाटी, इम्फाल, कोहिमा और कटक अगस्त, 1982 की समाप्ति से पहले केन्द्रीय रूप से मूल रूप से प्रसारित किये जाने वाले कुछ सम चार बुलेटिनों को उपग्रह सम्पर्क के माध्यम से रिले करना शुरू कर देंगे ।

आकाशवाणी के शेष सभी केन्द्र अन्तत: केन्द्रीय रूप से मूल रूप से प्रसारित किए जाने वाले समाचार बुलेटिनों और राष्ट्रीय कार्यक्रमों को रिले करने के लिए "इन्सेट" की सुविधा का उपयोग करेंगे । उम्मीद है कि ये केन्द्र 1983 की समाप्ति से पहले इस सुविधा का उपयोग करने के लिए सुसज्जित हो जायेंगे ।

विधि मन्त्रियों का सम्मेलन

822. **श्री सुभाष यादव** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले विधि मंत्रियों का एक सम्मेलन नई दिल्ली में जून, 1982 के दूसरे सप्ताह के दौरान हुआ था; और

(ख) इस सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्तियों के नाम तथा उनकी संख्या क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के विधि मन्त्रियों का सम्मेलन 18 और 19 जून, 1982 को नई दिल्ली में हुआ था ।

(ख) इस सम्मेलन में भाग लेने वाले सदस्यों के नाम और उनकी संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल० टी० 4233/82]

तेल के रुग्ण कुंओं के स्थान

823. **श्री नवीन रवाणी** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में रुग्ण कुओं की संख्या क्या है और वे कहां-कहां पर स्थित हैं;

(ख) वे कब से रुग्ण पड़े हैं; और

(ग) इन कुओं की मरम्मत करने और उनमें उत्पादन शुरू करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) बम्बई हाई में दो रूग्ण कूप हैं।

जहां तक तटीय क्षेत्र का सम्बन्ध है वहां 551 रूग्ण कूप हैं जिनमें से 353 कूप पश्चिमी क्षेत्र (गुजरात) में तथा 198 पूर्वी क्षेत्र (असम) में स्थित हैं।

(ख) बम्बई हाई में रूग्ण दो कूपों में से एक में नवम्बर, 1980 से उत्पादन समस्याएं हैं तथा दूसरे में मई, 1981 से।

आयल इण्डिया लिमिटेड (ओ० आई० एल०) के 95 रूग्ण कूपों में से 14 कूप एक वर्ष से कम समय से रूग्ण हैं, 15 कूप एक से तीन वर्ष के बीच से रूग्ण हैं तथा 66 कूप 3 वर्ष से अधिक से रूग्ण हैं। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के पश्चिमी तथा पूर्वी क्षेत्र में तटीय कूपों के रूग्ण होने की अवधि के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

(ग) कम उत्पादकता वाले कूपों की मरम्मत तथा पुनरुद्धार के लिये निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :

(1) वर्क ओवर रिगों की संख्या बढ़ाना तथा आधुनिक उपकरण लगाना;

(2) सभी वर्क ओवर रिगों को दिन रात चलाना;

(3) कूपों का उद्दीपन करना; तथा

(4) वर्क ओवर सेवाओं के लिये संविदाएं।

तेल की खोज करने के लिए दरें आमन्त्रित किया जाना

824. **श्री नवीन रवाणी** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय उप-महाद्वीप में क्षेत्र में तट दूर तथा तट पर तेल की खोज और तेल निकालने के लिए दूसरा बार तेल कम्पनियों से दरें आमन्त्रित करने हेतु ब्यौरा तैयार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) कितनी कम्पनियों ने प्रस्ताव भेजे हैं और उनकी शर्तें क्या हैं; और

(घ) कितनी कम्पनियों ने पहली निविदा का अन्तर दिया है, किन किन कम्पनियों की निविदाओं को स्वीकार किया गया और किन स्थानों से तथा किन शर्तों पर उन्हें स्वीकार किया गया ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सात तेल कम्पनियों ने अलग-अलग या संयुक्त रूप से बोलियों (बिड्स) के प्रथम आमन्त्रण में प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। सौराष्ट्र अपतट खण्ड-2 के लिये यू० एस० ए० की एक तेल कम्पनी-शैवरॉन का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। इस कम्पनी के साथ हस्ताक्षर की गयी संविदा की मुख्य शर्तें सदन के माननीय सदस्यों को दिनांक 30 मार्च, 1982 को अतारांकित प्रश्न संख्या 6019 के उत्तर में पहले ही बता दी गयी हैं।

दिल्ली में बिजली का बन्द होना और बिजली की खपत के गलत बिल बनाया जाना

825. **श्री बिगम्बर सिंह** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विभागाध्यक्ष के बिना दिल्ली विद्युत प्रदान संस्थान अस्त-व्यस्त पड़ा है;

(ख) क्या हाल में बिना पूर्व सूचना के बिजली बन्द की जाती रही है, जिससे भीषण गर्मी में जनता को अत्यधिक असुविधा हुई;

(ग) क्या बिजली की खपत के बिलों के बनाये जाने का काम भी पिछड़ गया है तथा कई-कई महीनों का बिल एक साथ बनाया जाता है, जिससे उपभोक्ताओं को उसका भुगतान एक मुश्त करने में कठिनाई अनुभव होती है;

(घ) क्या बड़ी असावधानी से बिल बनाए जाते हैं तथा किसी स्तर पर उसकी कोई जांच नहीं की जाती;

(ङ) क्या मीटरों में भी गड़बड़ी है और निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के बावजूद उनकी कोई जांच नहीं की जाती अथवा उन्हें बदला नहीं जाता; और

(च) क्या सरकार का विचार "डेसू" के गड़बड़ घोटाले की, विशेष रूप से गर्मी के इस मौसम में बिजली की भारी कटौती करने की जांच करने के लिये तथा इसके बिल बनाने सम्बन्धी और पब्लिक डीलिंग सम्बन्धी तन्त्र में सुधार करने के लिये विशेषज्ञों की एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति गठित करने का है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, नहीं। दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 490(2) (ख) के अन्तर्गत दिल्ली नगर निगम की शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयुक्त, दिल्ली नगर निगम, महा प्रबंधक डेसू के कार्यभार को देख-रेख कर रहे हैं।

(ख) भाखड़ा एवं ब्यास प्रबन्ध बोर्ड के नियन्त्रणाधीन रोहतक रोड ग्रिड केन्द्र में 100 एम० वी० ए० के दूसरे ट्रांसफार्मर के फेल हो जाने के कारण पारेषण और वितरण में बाधाओं के परिणामस्वरूप लोड शैडिंग करना पड़ा था।

(ग) हाल ही में शक्ति नगर, सिविल लाइन, शंकर रोड और मोतीनगर जिलों द्वारा उपभोक्ताओं को दिए गए दीर्घ अवधि के लम्बित पड़े बिजली की खपत के बिल 2 महीनों की खपत के स्थान पर 4 महीनों की खपत के बिल बनाए गए तथा उपभोक्ताओं के अनुरोध पर, विकल्प रूप में उपभोक्ताओं को किस्तों में भुगतान करने की अनुमति दी गई। शंकर रोड और मोती नगर जिलों में अब पुनः द्विमासिक बिल बनाए जा रहे हैं।

(घ) कम्प्यूटर द्वारा पता लगायी गई गलतियों की जांच करने के बाद सामान्य रूप से बिलों को कम्प्यूटर पर तैयार कराया जाता है। बिल बनाने के लिए डेसू को उनके ठीक-ठीक तैयार किए जाने की सुपुर्द करने से पूर्व इनकी परिशुद्धता की जांच करने के लिए कम्प्यूटर एजेंसी द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण सम्बन्धी कार्य भी किए जाने अपेक्षित होते हैं। इन बिलों को उपभोक्ताओं को जारी करने से पूर्व इनकी पुनः जांच करने के प्रयास भी किए जाते हैं।

(ङ) उपभोक्ता द्वारा निर्धारित फीस की अदायगी के पश्चात् ठीक प्रकार से कार्य न करने वाले मीटरों की जांच की जाती है मीटर बदल दिया जाता है/निर्धारित फीस की अदायगी करने के पश्चात् 1.4.1981 से 30.5.1982 तक की अवधि के दौरान लगभग 10,100 सिंगल फेस मीटरों तथा 176 मोली-फेस मीटरों की जांच की गई है।

(च) दिल्ली में विद्युत सप्लाई में ब्रेक डाउन के कारणों का तथा ग्रिड में गड़बड़ियों के कारण की गम्भीरता से जांच करने के लिए तथा उपचारात्मक सुझाव देने के लिए एक उच्च स्तर कृत्तिक बल का गठन किया गया है। जैसा कि उपर्युक्त (ख) में बताया गया है, कि लोड रोडिंग कम उत्पादन के कारण नहीं की गई थी बल्कि भाखड़ा एवं व्यास प्रबंध बोर्ड के नियंत्रणाधीन रोहतक रोड ग्रिड केन्द्र में 100 एम० वी० ए० के दो ट्रांसफार्मर के फेल हो जाने के परिणाम-स्वरूप पारेषण और वितरण में बाधाओं के कारण लोड शैडिंग की गई थी।

दक्षिण बंगाल में तेल के भण्डार

826. **श्री नीरेन घोष :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस तथा अमरीका के तेल विशेषज्ञ इसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि कलकत्ता नगर सहित दक्षिण बंगाल में तेल के भारी भण्डार हैं;

(ख) वे इस निष्कर्ष पर किस वर्ष पहुंचे थे; और

(ग) विशेषज्ञों की राय प्राप्त होने के बाद सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई/किये जाने का प्रस्ताव है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) जी, नहीं। अमेरीकन तेल कम्पनियां अपने व्यधन कार्यों के परिणामों से संतुष्ट नहीं थीं। तथापि रूसी विशेषज्ञ जो संयुक्त रूप से तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के विशेषज्ञों के साथ आंकड़ों का मूल्यांकन कर रहे हैं इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि उस क्षेत्र में हाईड्रो-कार्बन क्षमता पर्याप्त है।

(ख) अमेरिकन तेल कम्पनियों ने बेसिन का मूल्यांकन 1960-61 और बाद में 1976 में किया था। रूसी विशेषज्ञों ने तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के विशेषज्ञों के साथ संयुक्त रूप से 1976 में मूल्यांकन किया था।

(ग) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने इन्डो स्टेनबेक पेट्रोलियम प्रायोजना द्वारा एकत्र किये गये भूवैज्ञानिक, भू-भौतिकीय और कूप आंकड़ों की समीक्षा और पुनः व्याख्या की और आगे भूकम्पीय कार्य को आरम्भ किया। इन सर्वेक्षणों के आधार पर आयोग अब तक पश्चिम बंगाल में 7 कुएँ खोदे जा चुके हैं। इस समय, दो स्थलों पर व्यधन कार्य चल रहा है। वर्ष 1982-83 के दौरान एक और स्थान पर व्यधन करने का प्रस्ताव दिया गया है। तेल-एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने वर्ष 1963 में सदृश उपकरण के साथ परम्परागत भूकम्पीय सर्वेक्षण आरम्भ किये थे और उसके बाद परिष्कृत डिजिटल भूकम्प लेखियों का प्रयोग करके सी० डी० पी० भूकम्पीय सर्वेक्षण किए गए थे। सूक्ष्म गुरुत्व सर्वेक्षण तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा वर्ष 1978-79 से किये जा रहे हैं।

भू-अन्वेषी सर्वेक्षणों के क्षेत्र में, वर्ष 1981-82 के क्षेत्रीय मौसम के दौरान पश्चिम बंगाल में 5 भूकम्पीय और 2 गुरुत्व-चुम्बकीय पार्टियों कार्य-संचालन में थी। आयोग ने वर्ष 1982-83 के दौरान और छठी पंचवर्षीय योजना के शेष 2 वर्षों में 23 भू-अन्वेषी पार्टियों को कार्य पर लगाने की योजना बनाई है।

इसके अतिरिक्त, सोवियत संघ के साथ दो ठेकों पर हस्ताक्षर किये गये हैं—एक पश्चिम बंगाल में एक निर्दिष्ट क्षेत्र में केवल सोवियत संघ द्वारा अन्वेषण किया जाना और दूसरा पश्चिम बंगाल के अन्य क्षेत्रों के लिए भूकम्पीय आंकड़ों का अधिग्रहण करना और भारत विशेषज्ञों के सहयोग से प्रासेस करना।

तेल की खोज

827. **श्री नीरेन घोष : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगले दशक के लिए तटक्षेत्र तथा तटदूर क्षेत्रों में तेल की खोज तथा तेल निकालने में कार्यक्रमों के बारे में योजनाओं का ब्योरा क्या है; और

(ख) इस योजना में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा क्या भूमिका निभाई गई है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी।

धनबाद माफिया की गतिविधियों को रोकने के उपाय

828. **श्री नीरेन घोष** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धनबाद में जहां की स्थिति बहुत ही विकट है धनबाद माफिया की गतिविधियों को रोकने के लिए उठाये गये कदमों का ब्योरा क्या है;

(ख) क्या किए गए इन उपायों के फलस्वरूप माफिया गिरोह की गतिविधियां कम होनी शुरू हो गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) से (घ) कानून और व्यवस्था राज्य सरकार का विषय है । अत: राज्य सरकार मामले में आवश्यक कार्रवाई कर रही है । फिर भी, भा० को० को० लि० ने इस मामले में निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(1) कोयले, कोक और रेत के सड़क परिवहन का विभागीकरण,

(2) सिविल ठेकेदारों को धीरे-धीरे खत्म करना,

(3) बैंक की अधिक शाखाएं और सहकारी ऋण/बचत समितियां खोलना,

(4) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई,

(5) के० ओ० सु० ब० को मजबूत बनाना,

(6) राज्य सरकार द्वारा खोले गए नए पुलिस थानों और पुलिस चौकियों के लिए भवनों का निर्माण ।

हल्दिया में पेट्रो-रसायन कम्प्लैक्स

829. श्री नीरेन घोष :

श्री सत्यगोपाल मिश्र :

क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस बात के बावजूद कि केन्द्रीय सरकार पश्चिम बंगाल में हल्दिया स्थित प्रस्तावित पेट्रो-रसायन कम्पलैक्स परियोजना की तकनीकी क्षमता के बारे में संतुष्ट हो गई है फिर भी सरकार इस संयंत्र में साम्य पूंजी लगाने के सम्बन्ध में कोई वचन देने की स्थिति में नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) छठी पंचवर्षीय योजना के केन्द्रीय सैक्टर में हल्दिया में प्रस्तावित पेट्रो-रसायन उद्योग समूह के लिए कोई व्यवस्था नहीं है ।

टेलीफोन मीटरों द्वारा अधिक कालें नोट करने सम्बन्धी शिकायतों का निपटान

830. श्री विजय कुमार यादव : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने टेलीफोन अधिकारियों को आदेश दिये हैं कि टेलीफोन मीटरों द्वारा अधिक कालें नोट करने सम्बन्धी शिकायतों को एक मास की अवधि में निपटाया जाये; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी शिकायतों को तत्काल निपटाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) जी हां। 5-4-82 को सभी एककों को यथासम्भव एक महीने के अन्दर-अन्दर मीटर पर अधिक बिल आने की शिकायतों को निपटाने के अनुदेश जारी कर दिये गये हैं। सभी सर्किलों/जिलों के अध्यक्षों को सम्बन्धित अधिकारियों से सामयिक रिपोर्ट प्राप्त करने, उनके निष्पादन को मानिटर करने तथा मीटर पर अधिक बिल आने की शिकायतों के अतिशीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने के लिए जहां भी आवश्यक हो, औपचारिक कार्रवाई करने के निदेश दिये गये हैं।

उत्तरी राज्यों में गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्रों की स्थापना किया जाना

831. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उत्तरी राज्यों में गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्रों की स्थापना करने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं का ब्योरा क्या है और इनके लिए किन-किन स्थानों पर विचार किया गया है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) गैस पर आधारित छः उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है, मध्य प्रदेश और राजस्थान में एक तथा उत्तर प्रदेश में चार। इन संयंत्रों के वास्तविक स्थानों तथा अन्य ब्योरों का अभी निर्णय नहीं किया गया है।

न्यायालय फीस समाप्त करने के बारे में राज्यों के विधि मंत्रियों का सम्मेलन

832. **श्री एस० बी० सिदनाल** :

श्री आर० पी० गायकवाड़ :

श्री रामजी भाई मावणि :

श्री भोगेन्द्र झा :

श्री उत्तम भाई एम० पटेल :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष जून के दौरान आयोजित राज्यों के विधि मंत्रियों के सम्मेलन में न्यायालय फीस समाप्त करने के मामले पर विचार-विमर्श किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में राज्य सरकारों के क्या विचार हैं; और

(ग) न्यायालय फीस समाप्त करने के बारे में सम्मेलन द्वारा क्या निर्णय किया गया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) जी हां ।

(ख) सम्मेलन में मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के विधि मंत्रियों ने यह कहा था कि वे न्यायालय फीस के समाप्त किए जाने के पक्ष में हैं । अन्य राज्यों और (विधान मंडल वाले) संघ राज्य क्षेत्रों के विधि मन्त्री, जिन्होंने विचार-विमर्श में भाग लिया, न्यायालय फीस के समाप्त किए जाने के पक्ष में नहीं थे ।

(ग) सम्मेलन का विचार था कि वित्तीय मजबूरी के कारण दृष्टिकोण यह होना चाहिए कि न्यायालय फीस का सुव्यवस्थीकरण किया जाए और उसे समाप्त न किया जाए । सम्मेलन ने 5 राज्यों अर्थात् गुजरात, हरियाणा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल के विधि मंत्रियों की एक समिति का गठन किया है जिसके संयोजक विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री होंगे । यह समिति न्यायालय फीस के सुव्यवस्थीकरण के प्रश्न पर विचार करने के लिए गठित की गई है ।

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में लम्बित मामलों का निपटारा

833. **श्री सूरज भान :**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में दस वर्ष या इससे अधिक समय से लम्बित मामलों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या विधि आयोग ने इस समस्या के बारे में कुछ सुझाव दिए हैं; यदि हां, तो सुझावों का मूल पाठ क्या है और उन पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है; और

(ग) तब से अब तक कितनी बार इस समस्या का पुनर्विलोकन किया गया है और उसके क्या परिणाम रहे हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के सम्बन्ध में उनकी रजिस्ट्रियों द्वारा दी गई जानकारी दर्शित करने वाला विवरण संलग्न है ।

(ख) और (ग) विधि आयोग ने उच्च न्यायालयों में लम्बित मामलों की समस्या की चर्चा अपनी 79वीं रिपोर्ट में की थी जो 1979 में प्रस्तुत की गई थी । यह रिपोर्ट सदन के पटल पर रख दी गई थी और राज्य सरकारों तथा उच्च न्यायालयों को कार्यवाही के लिए 1980 में भेज दी गई थी । न्यायालयों में मामलों के लम्बित रहने की समस्या के विभिन्न जटिल कारण हैं और सुधार एक निरन्तर प्रक्रिया है । बकाया मामलों के प्रश्न से निपटने के लिए राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों को जो उपाय करने हैं उनके विषय में राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों का ध्यान इस वर्ष जून में फिर से आकृष्ट किया गया ।

विवरण

दस वर्ष या अधिक समय से लम्बित मामले

उच्चतम न्यायालय	
(1-4-82 को)	2045
उच्च न्यायालय	
(31-12-81 को)	
1. इलाहाबाद	815
2. आन्ध्र प्रदेश	2
3. बम्बई	769
4. कलकत्ता*	7671
5. दिल्ली	1837
6. गोहाटी	66
7. गुजरात	19
8. हिमाचल प्रदेश	123
9. जम्मू-कश्मीर	38
10. कर्नाटक*	6
11. केरल	—
12. मध्य प्रदेश*	298
13. मद्रास	5
14. उड़ीसा	51
15. पटना*	1864
16. पंजाब और हरियाणा	217
17. राजस्थान*	280
18. सिक्किम	—
योग	14061

*केवल मुख्य मामले ।

त्रिवेन्द्रम में दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना में हुई प्रगति

834. **श्री पी० के० कोडियन :**

श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिवेन्द्रम में एक दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना किए जाने में क्या प्रगति हुई है;

(ख) इस सम्बन्ध में अब तक कितनी राशि व्यय हुई है; और

(ग) इस केन्द्र में कब तक कार्य शुरू हो जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : (क) भवन निर्माण कार्य चल रहे हैं। उपकरणों के लिए आर्डर दे दिये गए हैं। तथापि, स्टूडियो उपकरणों सम्बन्धी आर्डरों में रंगीन संचालन के लिए आपरिवर्तन किया जा रहा है। इस्पात के टावर के लिए आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय को इन्डेन्ट भेज दिया गया था और प्राप्त कोटेशनों की छानबीन हो रही है।

(ख) अब तक 144.10 लाख रुपये की राशि खर्च हो चुकी है।

(ग) त्रिवेन्द्रम में दूरदर्शन रिले केन्द्र के 1984-85 के दौरान चालू हो जाने की उम्मीद है।

त्रिवेन्द्रम में केरल उच्च न्यायालय की न्यायपीठ की स्थापना

835. **श्री पी० के० कोडियन :**

श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिवेन्द्रम में केरल उच्च न्यायालय की न्यायपीठ की स्थापना किए जाने के प्रस्ताव पर सरकार द्वारा विचार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) और (ख) राज्य सरकार ने केरल उच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ त्रिवेन्द्रम में स्थापित करने के लिए एक प्रस्ताव सितम्बर, 1971 में भेजा था। कुछ कानूनी परामर्श पूरा करने के लिए उन्हें जुलाई, 1973 में लिखा गया था। राज्य सरकार ने जून, 1978 में यह सूचित किया था कि वे अभी इस पर विचार कर रहे हैं। उसके पश्चात उनका कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

दूसरे प्रेस आयोग की सिफारिशें

836. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समाचार पत्रों के स्वामित्व का नया ढांचा बनाए जाने के सम्बन्ध में दूसरे प्रेस आयोग द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं; और

(ख) इन सिफारिशों पर सरकार द्वारा क्या निर्णय लिए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) द्वितीय प्रेस आयोग की सिफारिशों की जांच की जा रही है। उन पर की गई कार्रवाई के आपन के साथ रिपोर्ट सदन की मेज पर यथा समय रख दी जायेगी।

उत्तर प्रदेश में बदायूं जिले को दिल्ली और लखनऊ के साथ एस० टी० डी० से जोड़ा जाना

837. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में बदायूं जिले को दिल्ली लखनऊ तथा अन्य महत्वपूर्ण नगरों के साथ एस० टी० डी० से जोड़े जाने का क्या प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसे प्रस्ताव पर कब तक विचार किया जाएगा और क्रियान्वित किया जाएगा ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) योजना की मन्जूरी दे दी गई है तथा उपस्कर के लिए आर्डर दिए गए हैं। उपस्कर का कुछ भाग प्राप्त हो गया है तथा कार्य पहले ही प्रारम्भ हो चुका है।

पत्र-पत्रिकाओं को दिए गए विज्ञापनों पर किया गया व्यय

838. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1979-80, 1980-81, 1981-82 और चालू वर्ष के दौरान (राज्यवार, भाषावार और वर्षवार तथा श्रेणीवार) उर्दू, अंग्रेजी, हिन्दी तथा अन्य भाषाओं में कितने दैनिक पत्र, साप्ताहिक, द्वि साप्ताहिक, मासिक पत्र-पत्रिकाएं प्रकाशित हुई; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन पत्रिकाओं को दिए गए विज्ञापनों पर कुल कितनी राशि व्यय हुई और प्रत्येक श्रेणी की पत्र-पत्रिकाओं और समाचार पत्रों (भाषावार) वर्षवार और श्रेणी-वार) कितनी राशि व्यय की गई ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और उसको सदन की मेज पर रख दिया जायेगा।

वर्ष 1982-83 के दौरान बिजली का अतिरिक्त उत्पादन

839. **श्री चित्त बसु :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 1982-83 में 3480 मेगावाट बिजली का अतिरिक्त उत्पादन करने का है; और

(ख) बिजली के व्यर्थ जाने को कम करने के लिए, जो कि विगत में एक आम बात बन गई थी, क्या विशेष कदम उठाए जा रहे हैं और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बिक्रम महाजन) : (क) जी, हां।

(ख) विद्युत परियोजनाओं को शीघ्रता से चालू करने की दृष्टि से परियोजनाओं के विभिन्न कार्यकलापों की ध्यानपूर्वक मानीटरिंग करने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में निर्माण मानीटरिंग निदेशालयों की स्थापना की गई है। परियोजना प्राधिकारियों, उपस्कर सप्लाईकर्त्ताओं तथा निर्माताओं, निर्माण एजेन्सियों आदि के साथ केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में समन्वय तथा समीक्षा बैठकें नियमित रूप से की जाती हैं। उपचारात्मक कारंवाई के लिए सभी बाधाओं पर काफी बारीकी से ध्यान रखा जाता है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी परियोजना स्थलों का दौरा करते हैं तथा कठिनाइयों को दूर करने के लिए उपयुक्त प्राधिकारियों के साथ मामलों पर विचार-विमर्श करते हैं। उपयुक्त कार्रवाई के लिए राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार के स्तर पर विद्युत विभाग में समीक्षा बैठकें भी की जाती हैं। ऊर्जा मन्त्री के स्तर पर राज्यों के विद्युत मन्त्रियों की बैठकें भी राष्ट्रीय स्तर पर की जाती हैं जिनमें निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं को चालू करने के बारे में उपचारी कार्रवाई के लिए समीक्षा की जाती है।

कोयले के उत्पादन पर विकास शुल्क लगाये जाने का प्रस्ताव

840. **श्री चित्त बसु :**

श्री तारिक अनवर :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कोयले के उत्पादन पर "विकास शुल्क" लगाने का है, जिससे कि किन्ही राज्य परियोजनाओं का वित्तपोषण किया किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) क्या इस शुल्क के फलस्वरूप कोयले के मूल्यों पर प्रभाव पड़ेगा ?

ऊर्जा मन्त्रालय के कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

कोयले के मूल्यों में वृद्धि के परिणाम

841. **श्री चित्त बसु** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न श्रेणी के कोयले के मूल्यों में हाल की वृद्धि के फलस्वरूप औद्योगिक उत्पादन और सामान जीवन निर्वाह लागत में वृद्धि वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी ?

ऊर्जा मन्त्रालय के कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) और (ख) हाल ही में विभिन्न ग्रेडों के कोयले की कीमत में जो वृद्धि की गई है उसका औद्योगिक उत्पादन की लागत पर तथा जन-सामान्य के रहन-सहन की लागत पर कोई बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ा है। जो जनसाधारण साफ्ट कोक को घरेलू ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं उनकी कठिनाई को कम करने के लिए सरकार ने साफ्ट कोक की कीमत रु० 175 प्रतिटन निश्चित की है और इसके लिए रु० 40 प्रतिटन की राज्य सहायता मन्जूर की गई है।

राष्ट्रीय ग्रिड बनाये जाने सम्बन्धी निर्णय

842. **श्री चित्त बसु** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अतिरिक्त विद्युत उत्पादन वाले क्षेत्र से बिजली की इसकी कमी वाले क्षेत्रों को अन्तर्क्षेत्रीय सप्लाई करने हेतु एक राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड बनाने के लिए अन्तिम निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या विशिष्ट कदम उठाए गये हैं; और

(ग) अब तक क्या प्रगति हुई है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) यद्यपि सरकार ने सिद्धान्त रूप में समेकित राष्ट्रीय बिजली प्रणाली की आवश्यकता को स्वीकार कर लिया है, फिर भी राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड का सृजन करने की क्रियाविधि विभिन्न राज्य सरकारों/राज्य बिजली बोर्डों आदि के परामर्श से तैयार की जानी है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों आदि के साथ निरन्तर बातचीत की जा रही है।

तेल शोधन कारखानों के विस्तार के लिए विश्व बैंक से ऋण

843. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में तेलशोधन कारखानों के विस्तार के लिए विश्व बैंक ने ऋण की मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो ऋण के रूप में कितनी राशि की मंजूरी दी गई है, उसकी ब्याज की दर तथा अन्य शर्तें क्या हैं; और

(ग) इस ऋण के माध्यम से शुरू किये जाने वाले तेलशोधन कारखानों के विस्तार कार्यक्रम का ब्योरा क्या है और उसके फलस्वरूप रोजगार के कितने अवसर पैदा होंगे ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) से (ग) जी, हां। विश्व बैंक ने 11.6 प्रतिशत की ब्याज की दर पर 200 मि० अमरीकी डालर ऋण के लिए मंजूरी दी है। ऋण की अदायगी 20 वर्षों, जिसमें 5 वर्ष विलम्बन काल शामिल है, में की जायेगी। ऋण अन्य बातों के साथ निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए उपयोग में लाया जायेगा।

(i) सी० आर० एल० की कोचीन शोधनशाला की वर्तमान प्रतिवर्ष 3.3 मि० मी० टन की क्षमता से प्रतिवर्ष 1.0 मि० मी० टन की फ्लुइड केटलिटिक क्रेकर (एफ० सी० सी० सुविधा सहित प्रतिवर्ष 4.5 मि० मी० टन क्रूड प्रोसेसिंग क्षमता का विस्तार करने के लिए,

(ii) एम० आर० लि० की मद्रास शोधनशाला की वर्तमान प्रति वर्ष की 2.8 मि० मी० टन की क्षमता से प्रतिवर्ष 0.6 मि० मी० टन की नई एफ० सी० सी० सुविधा सहित क्रूड प्रोसेसिंग क्षमता को प्रतिवर्ष 5.6 मि० मी० टन तक दुगना करने के लिए;

(iii) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि० की विशाखापत्तनम शोधनशाला की प्रतिवर्ष 1.5 मि० मी० टन की क्षमता को प्रतिवर्ष 0.6 मि० मी० टन की नई एफ० सी० सी० सुविधा सहित प्रति वर्ष 4.5 मि० मी० टन की क्रूड प्रोसेसिंग क्षमता का विस्तार करने के लिए;

(iv) भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि० का नवीकरण करना और प्रतिवर्ष 6 मि० मी० टन की क्रूड प्रोसेसिस क्षमता प्रदान करना और प्रति वर्ष 0.6 मि० मी० टन की एक नई एफ० सी० सी० यूनिट की प्रतिस्थापना करने के लिए;

(v) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि० की बम्बई शोधनशाला में एक सल्फर रिकवरी यूनिट की प्रतिस्थापना करना; और

(vi) शोधनशाला की कम्पनियों की ऊर्जा कार्यकुशलता को और प्रदूषण नियंत्रण प्रणालियों को बेहतर बनाने के लिए।

निर्माण के दौरान, जन-शक्ति की आवश्यकता के अलावा इन विस्तारों से अन्त में कुल रोजगार क्षमता पैदा की जायेगी और आधुनिकीकरण परियोजनाओं में इस समय करीब 800 व्यक्तियों को रोजगार दिये जाने का अनुमान है।

बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए पन बिजली परियोजनाएं

844. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा :**

श्री डी० एम० पुत्ते गौड़ा :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कुल बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए कुछ पन-बिजली परियोजनाएं स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं के लिए कितने स्थलों का पता किया गया है और वे स्थान कहां कहां पर हैं;

(ग) क्या इस संबंध में मंत्रालय ने योजना आयोग से विचार विमर्श किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (घ) जल विद्युत परियोजनाएं प्रतिस्थापित करना एक सतत् प्रक्रिया है तथा संपूर्ण विद्युत विकास कार्यक्रम का एक आवश्यक अंग है। विद्युत सम्बन्धी मांग, साधनों की स्थिति आदि को ध्यान में रखते हुए योजना आयोग और सम्बन्धित राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके क्रियान्वयन हेतु विशिष्ट स्कीमों का पता लगाया जाता है।

इस समय लगभग 10,000 मेगावाट की कुल प्रतिष्ठापित क्षमता की जल विद्युत परियोजनाएं क्रियान्वयन की विभिन्न स्थिति में हैं। इनमें से छठी योजना (1980-85) में 43 स्कीमों से 4768 मेगावाट की जल विद्युत क्षमता की अभिवृद्धि की परिकल्पना की गई है। क्रियान्वयनाधीन जल विद्युत स्कीमें तथा योजना आयोग द्वारा स्वीकृत की गई स्कीमों के ब्यौरे उपाबंध-1 में दिए गए हैं। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत की गई स्कीमें तथा योजना आयोग की स्वीकृति की प्रतीक्षा कर रही स्कीमें और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण/केन्द्रीय जल आयोग में जांच की जा रही स्कीमों के ब्यौरे क्रमश: उपाबंध-दो और तीन में दिए गए हैं।

[ग्रंथालय में रखे गये—देखिए संख्या एल० टी० 4234/82]

प्रतियों की संख्या छापने के सम्बन्ध में सरकार के समाचार पत्रों को अनुदेश

845. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा :**

श्री डी० एम० पुत्ते गौडा :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में सरकार ने दैनिक समाचारपत्रों को पिछले दिन की मुद्रित प्रतियों की संख्या प्रतिदिन छापने की एक अधिसूचना जारी की है;

(ख) यदि हां, तो इंडियन एंड ईस्टर्न न्यूजपेपर्स सोसाइटी (आई० ई० एम० एस०) ने इस निर्णय का जोरदार विरोध किया है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इससे समाचारपत्रों खासतौर पर छोटे तथा मंझोले समाचारपत्रों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और इससे उनमें हानिकारक प्रतिस्पर्द्धा शुरू हो जायेगी; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) अनेक समाचारपत्रों ने पिछले दिन के अंक की मुद्रित प्रतियों की संख्या छापना पहले ही शुरू कर दिया है। यह उपाय मुख्यतया एक आवश्यक वस्तु अखबारी कागज, जिसका बड़ा भाग आयात करना होता है, की खपत मानिटर करने के प्रयोजन से शुरू किया गया है। सरकार का यह विचार है कि संशोधित अखबारी कागज नियंत्रण आदेश वास्तविक लघु और मझोले समाचारपत्रों के हितों की पूर्ति करेगा, क्योंकि यह मुख्यतया अखबारी कागज और विज्ञापन प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रसार संख्या के बढ़ा चढ़ाकर दावे करने की प्रवृत्ति को रोकने के उपाय के रूप में कार्य करेगा।

कोयला उत्पादन में भारत को सोवियत रूस की सहायता

846. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा :**

श्री डी० एन० पुत्ते गौडा :

क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ, भारत की, 1987-88 तक कोयला उत्पादन को दुगना करने की इसकी योजना में सहयोग देने का इच्छुक है;

(ख) यदि हां, तो क्या सोवियत विशेषज्ञों ने इस सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूरा ब्योरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) वर्ष 1981-82 के दौरान देश में कोयले का उत्पादन 124.92 मि० टन था और इसे 1987-88 तक दुगुना करने की कोई योजना नहीं है। परन्तु, अधिक क्षमता वाली कुछ खानों का विकास सोवियत रूस की सहायता से किए जाने का प्रस्ताव है।

(ख) और (ग) सोवियत रूस के विशेषज्ञ निम्नलिखित परियोजनाओं में सहायता कर रहे हैं :

परियोजना का नाम	परियोजना के पूरा हो जाने पर प्रत्याशित वार्षिक उत्पादन
1. निधई	14 मि० टन
2. मुकुन्दा	12 मि० टन
3. जयन्त ओ० का० (फेस II)	10 मि० टन
4. झंझरा	2.8 मि० टन

झंझरा के मामले में परियोजना रिपोर्ट बनाने का काम पूरा हो गया है।

निर्वाचन सुधार

847. **श्री मूल चन्द डागा :**

प्रो० रूपचन्द पाल :

श्री नरसिंह मकवाना :

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्तमान चुनाव प्रणाली में सुधार करने का है और यदि हां, तो यह कब तक किया जाएगा और चुनाव आयोग द्वारा सुझाए गए मुद्दों सहित किन-किन विषयों और मुद्दों पर विचार किया जा रहा है; और

(ख) वर्तमान चुनाव प्रणाली में विपक्षी दलों की सलाह लेकर कब तक सुधार किए जाने की संभावना है ताकि दलबदल को रोका जा सके और धन की शक्ति के आधार पर प्रतिनिधियों का चुनाव न हो सके ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) और (ख) निर्वाचन सुधार सम्बन्धी विभिन्न प्रस्तावों के अन्तर्गत निर्वाचन आयोग द्वारा सुझाए गए वे प्रस्ताव भी हैं जिन पर मंत्रिमंडल की निर्वाचन सुधार समिति इस समय विचार कर रही है। इन प्रस्तावों के अन्तर्गत निर्वाचन विधि के प्राय: सभी पहलू आते हैं। उदाहरण के लिए ये प्रस्ताव हैं निर्वाचक नामावलियों को अद्यतन बनाए रखना, निर्वाचनों में शासकीय तंत्र के दुरुपयोग को रोकना, निर्वाचनों में भ्रष्ट आचरण और धन शक्ति की गुंजाइश को कम करना, निर्वाचन व्यय में कमी करना, मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करना, सरकार द्वारा अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय का दिया जाना, लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के निर्वाचनों के सम्बन्ध में सूची पद्धति या कोई अन्य पद्धति अपनाकर वयस्क मताधिकार की विद्यमान प्रणाली में परिवर्तन लाना और राजनैतिक दल बदल को रोका जाना, आदि। जैसा कि लोक सभा के अतारांकित प्रश्न सं० 393, तारीख 23 फरवरी, 1982 के उत्तर में कहा गया है कि उक्त समिति द्वारा इन प्रस्तावों पर अनन्तिम निष्कर्ष पर पहुंचने के पश्चात् इन पर राजनैतिक दलों के साथ और जहां आवश्यक होगा, राज्य सरकारों के साथ भी विचार-विमर्श किया जाएगा। अत: अन्तिक विनिश्चय करने में अभी कुछ समय और लगेगा और इस प्रक्रम पर यह बताना संभव नहीं है कि इन प्रस्तावों को अन्तिम रूप कब तक दिया जा सकेगा।

केन्द्रीय तारघर, नई दिल्ली में तारों का निपटान

848. **श्री मूल चन्द डागा :** क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय तारघर, नई दिल्ली में अप्रैल, मई, जून 1982 के महीनों के दौरान (एक) डाक से भेजे गए, (दो) व्यक्तिगत तौर पर जाकर भेजे गए; (तीन) संदेशवाहक के माध्यम से भेजे गए; (चार) मालवाहक विमान द्वारा भेजे गए तारों के आंकड़े अप्रैल, मई, जून, 1981 के इन्हीं महीनों के दौरान भेजे गए तारों की तुलना में क्या है, परिवर्तन सम्बन्धी यदि कोई आंकड़े हैं तो वे क्या हैं;

(ख) जैसा ऊपर संकेत दिया गया है क्या तार भेजने का काम सर्किट में काफी समय तक व्यवधान रहने अथवा चालू सर्किट पर कार्याधिक्य कम करने के मामले में निपटाया गया है; और

(ग) क्या ऐसे भी कोई उदाहरण हैं जब निपटान के लिए भेजे गए तार संप्रेषण के दौरान हो गया हो ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) (क) अप्रैल, मई, जून, 1981 तथा अप्रैल, मई, जून, 1982 के महीनों के दौरान केन्द्रीय तारघर, नई दिल्ली में तारों के निपटान के आंकड़ों का तुलनात्मक विवरण संलग्न है ।

अप्रैल, जून, 2982 की अवधि के दौरान डाक तथा मालवाहक विमान द्वारा तारों के निपटान में पर्याप्त कमी हुई है । इसका कारण सिगनलिन स्टाफ में शार्ट ड्यूटी टेलीग्राफिस्टों की भर्ती करके वृद्धि करना तथा परियात का तार द्वारा निपटान करना है ।

परियात का निपटान व्यक्तिगत तौर पर केवल स्थानीय कार्यालयों में ही होता है क्योंकि इस प्रकार के इकट्ठे तारों का निपटान लाइन द्वारा पारेषण की अपेक्षा शीघ्र होता है । अप्रैल, मई, जून, 1981 की तुलना में अप्रैल, मई, जून, 82 के दौरान संदेश वाहक के माध्यम से परियात में वृद्धि सर्किटों में व्यवधान तथा बिजली फेल होने के कारण हुई तथा इस माध्यम से परियात का निपटान तार की अपेक्षा जल्दी हुआ ।

(ख) परियात का निपटान जैसा कि विवरण में दिया गया है उपरोक्त (क) में दिए गए कारणों से हुआ ।

(ग) प्राप्त जानकारी के अनुसार अप्रैल, मई, जून, 1982 के महीनों के दौरान इस प्रकार की किसी क्षति का समाचार नहीं मिला है ।

विवरण

केन्द्रीय तारघर, नई दिल्ली में अप्रैल, 81 मई 81, जून 81 तथा अप्रैल 82, मई, 82 जून, 82 के महीनों के दौरान डाक से भेजे गए/व्यक्तिगत तौर पर भेजे गए/संदेशवाहक द्वारा भेजे गए/मालवाहक विमान द्वारा भेजे गए तारों का विवरण

	1981			1982		
	अप्रैल	मई	जून	अप्रैल	मई	जून
(1) डाक से भेजे गए	575	652	1063	409	856	1379
(2) व्यक्तिगत तौर पर भेजे गए (स्थानीय कार्यालयों में)	46906	770030	72400	102951	111976	117544
(3) संदेशवाहक द्वारा भेजे गए	10760	50261	35365	56273	67043	63500
(4) मालवाहक विमान द्वारा भेजे गए	74024	122556	104020	33412	45729	41635

समय-समय पर टेलीफोनों की जांच करने की योजना

849. **श्री एस० ए० कृष्ण** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसी योजना शुरू करने का प्रस्ताव है जिसके अन्तर्गत टेलीफोनों की, खराब उपकरणों और गलत कनेक्शनों की शिकायतों को दूर करने के लिए समय-समय पर जांच की जाए; और

(ख) यदि हां, तो योजना को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) विभाग ने कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा टेलीफोनों और लाइनों की निरीक्षण अनुसूची को सक्रियता से कार्यान्वित करने के लिए पहले से ही कार्रवाई आरम्भ कर दी है।

कोल इण्डिया की विभिन्न परियोजनाओं की उत्पादन लागत में वृद्धि

850. **श्री रामप्यारे पनिका** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया की विभिन्न परियोजनाओं की उत्पादन लागत में बहुत वृद्धि हो गई है;

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य क्या कारण हैं;

(ग) क्या उपादानों को दूर करने के लिए प्रयास किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) और (ख) कोयले की उत्पादन लागत में वृद्धि के मुख्य कारण यह हैं— उत्पादन सामग्रियों की लागतों में वृद्धि, कर्मचारियों की मजदूरी में वृद्धि, मूल्य ह्रास, ब्याज आदि में वृद्धि।

(ग) और (घ) उत्पादन की लागत कम करने के लिए उठाए गए कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ यह शामिल हैं :

1. ओपेनकास्ट खानों का शीघ्रता से विकास करके उत्पादन बढ़ाना, उन्नत प्रौद्योगिकी और आधुनिक उपकरणों का प्रयोग शुरू करना, उत्पादन सामग्रियों — जैसे बिजली, विस्फोटक पदार्थ, आदि की बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित करना—जैसे भूमि अधिग्रहण में शीघ्रता, राज्य सरकारों से निकट सम्पर्क करके कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार।

2. खनिकों में अनुपस्थिति की आदत पर नियंत्रण।

3. जनशक्ति का नियन्त्रण और उत्पादकता में सुधार।

4. भंडार सामग्री के प्रयोग पर नियंत्रण और उसमें किफायत।

नई दिल्ली में खाना पकाने की गैस की सप्लाई

851. श्री रामप्यारे पनिका : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार नई दिल्ली के प्रत्येक घर में खाना पकाने की गैस की सप्लाई करने की योजना तैयार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या नई दिल्ली के अतिरिक्त देश के अन्य भागों में गैस की सप्लाई की कोई योजना सरकार के पास है;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और कब तक तथा किन-किन स्थानों पर उसको कार्यान्वित किए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसका क्या कारण है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) से (ङ) खाना पकाने की गैस (एल० पी० जी०) की उपलब्धता में वृद्धि होने से तेल कम्पनियों द्वारा दिल्ली सहित अपने एल० पी० जी० विपणन कार्यक्रम के एक भाग के रूप में प्रतीक्षा सूची में से देश के विभिन्न भागों में नए एल० पी० जी० कनेक्शन जारी किये जाते हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत समस्त जिला मुख्यालय कस्बे और 50,000 और उससे अधिक जनसंख्या वाले कस्बे शामिल किये गए हैं। वर्ष 1981-82 के दौरान पहले से ही लगभग 12 लाख नए एल० पी० जी० कनेक्शन जारी किये जा चुके हैं। वर्ष 1982-83 के दौरान 14 लाख ग्राहकों का नाम दर्ज करने का प्रस्ताव दिया गया है। एल० पी० जी० की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए एल० पी० जी० कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची का एक चरण-बद्ध ढंग से निपटान किया जा रहा है।

मनीआर्डरों का वितरण

852. श्री रामप्यारे पनिका : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में मनीआर्डर के वितरण में पर्याप्त सावधानियां नहीं बरती जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और क्या मनीआर्डरों की वितरण करने अथवा विलम्ब से वितरण करने की शिकायतें इस वर्ष मिली हैं;

(ग) यदि हां, तो कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और क्या उन शिकायतों पर सरकार द्वारा अब कोई कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं, मनीआर्डरों के वितरण में पर्याप्त सावधानी बरती जाती है।

(ख) से (घ) 1982 की पहली तिमाही (जनवरी से मार्च) के दौरान विभाग को मनीआर्डर सेवा के बारे में 85502 शिकायतें मिली। जिनमें भुगतान न होने तथा विलम्ब से भुगतान होने वाली शिकायतें भी थीं। इसी अवधि में मनीआर्डर की 91606 शिकायतें, जिसमें पहले प्राप्त हुई कुछ शिकायतें भी शामिल हैं, निपटाई गईं। नियमानुसार ऐसी प्रत्येक शिकायत की पावती भेजी जाती है, जांच पड़ताल की जाती है तथा शीघ्र निपटान करके उत्तर भेज दिया जाता है। जहां जांच पड़ताल से भुगतान होने का पता चलता है वहां दूसरा मनीआर्डर जारी करके भुगतान किया जाता है। जानबूझकर भुगतान न करने या विलम्ब से भुगतान करने वाले दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है तथा औपचारिक कदम उठाए जाते हैं ताकि ऐसी गलती पुन: न होने पाएं।

सरकार द्वारा दो ताप बिजलीघर स्थापित किया जाना

853. **श्री रामप्यारे पनिका :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार निकट भविष्य में दो ताप बिजलीघर स्थापित करने जा रही है;

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों के क्या नाम हैं जहां इन्हें स्थापित किए जाने का विचार है और उनको पूरा करने का क्या लक्ष्य रखा गया है;

(ग) क्या इन बिजलीघरों के लिए स्थानों का चयन कर लिया गया है और निधि स्वीकृत कर दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो उनके लिए अब कितनी भूमि क्षेत्र का अधिग्रहण किया गया है और उसमें कितनी धनराशि खर्च होगी ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (घ) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम सोवियत सहायता से मध्य प्रदेश के सीधी जिले में विन्ध्याचल सुपर ताप विद्युत केन्द्र के प्रथम चरण (1260 मेगावाट) की स्थापना कर रहा है। इस प्रयोजन के लिए सोवियत पक्ष के साथ हाल ही में एक संविदा पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यू० के० की सहायता से रिहन्द सुपर ताप विद्युत केन्द्र के प्रथम चरण (1000 मेगावाट) की स्थापना के लिए भी राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने हाल ही में एक फ्रेम संविदा पर हस्ताक्षर किए हैं। यह परियोजना उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर जिले में रिहन्द जलाशय के तटों पर स्थापित की जाएगी। इन दोनों परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रारम्भिक कार्य हाथ में ले लिए गए हैं। इन परियोजनाओं से वर्ष 1987-88 से आगे लाभ प्राप्त होना शुरू हो जाने की आशा है।

दिल्ली में बिजली में बारम्बार 'ब्रेकडाउन"

854. **श्री मंगल किशोर शर्मा :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राजधानी के विभिन्न भागों में बिजली की सप्लाई में बारम्बार होने वाली ब्रेक डाउन का पता है;

(ख) यदि हां, तो देश की राजधानी में बिजली की सप्लाई में होने वाले इस "ब्रेक डाउन" स्थिति के मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) क्या प्रधान मन्त्री ने "डेसू" अधिकारियों को आदेश जारी किए थे कि स्थिति में तत्काल सुधार लाया जाए और बिजली की बिना व्यवधान सप्लाई सुनिश्चित की जाए; और

(घ) प्रधान मन्त्री के इस सम्बन्ध में जारी आदेशों का क्या प्रभाव पड़ा है और राजधानी को बिजली की बिना व्यवधान सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं और उन प्रयासों के क्या परिणाम निकले हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) विद्युत सप्लाई में बारम्बार ब्रेकडाउन नहीं हुए लेकिन अभी हाल ही में पश्चिमी, उत्तरी और केन्द्रीय दिल्ली में विद्युत सप्लाई में बाधा मुख्य रूप से लोड शैडिंग के कारण हुई है, न कि ब्रेकडाउन के कारण। भाखड़ा-व्यास प्रबन्ध बोर्ड के नियन्त्रण में रोहतक रोड़ ग्रिड केन्द्र में दो 100 एम० वी० ए० विद्युत ट्रांसफार्मरों के फेल हो जाने के परिणामस्वरूप पारेषण सम्बन्धी बाधाएं हुईं।

(ग) जी, हां। प्रधान मन्त्री ने दिल्ली में लोड शैडिंग को न्यूनतम करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के सम्बन्ध में अनुदेश दिए हैं।

(घ) पारेषण और वितरण सम्बन्धी बाधाओं के कारण लोड शैडिंग करनी पड़ी थी। महरौली उप केन्द्र में 100 एम० वी० ए० 220/66 के० वी० ट्रांसफार्मर, रिज वैली उपकेन्द्र में 30 एम० वी० ए० 66/33 के० वी० के दो ट्रांसफार्मर तथा पार्क स्ट्रीट में 30 एम० वी० ए० के पहले ट्रांसफार्मर के चालू होने से प्रणाली पर दबाव में कुछ राहत मिली है। इस प्रकार कुछ समय के लिए लोड शैडिंग समाप्त हो गई है।

टेलीफोन बिलों की बकाया धनराशि

855. **श्री नवल किशोर शर्मा :**

श्री राम सिंह शाक्य :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में टेलीफोन बिलों की बकाया धनराशि करोड़ों रुपये तक पहुंच गई है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में टेलीफोन बिलों की कुल कितनी धनराशि बकाया है;

(ग) ऐसे कितने-कितने लोग हैं, जिनकी ओर 5,000 रुपये, 10,000 रुपये और 20,000 रुपये तक की धनराशि बकाया है; और

(घ) उनके विरुद्ध बकाया धनराशि की वसूली के लिए क्या कार्यवाही शुरू की गई है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) दिल्ली में 31.5.82 तक जारी किए गए टेलीफोन बिलों के बकाया की कुल राशि 31.5.82 को 14.12 करोड़ रुपये थी।

(ग) 31.5.82 को श्रेणीवार संख्या नीचे दी गई है :

	संख्या
(1) वे उपभोक्ता जिनकी बकाया की राशि 5000 रु० से 9999 रु० तक है	2707
(2) वे उपभोक्ता जिनकी बकाया की राशि 10,000 से 19,999 रु० तक है	1371
(3) वे उपभोक्ता जिनकी बकाया की राशि 20,000 रु० या उससे अधिक है	737

(घ) विवादग्रस्त बिलों एवं जिन मामलों की जांच की जा रही है, को छोड़कर अन्य अदायगी न करने वाले उपभोक्ताओं (जिन्होंने बार-बार अनुस्मारक दिए जाने के बावजूद बिलों का भुगतान नहीं किया है) का टेलीफोन अदायगी न किए जाने के कारण काट दिया जाता है। प्रभारों के शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने की दृष्टि से उपभोक्ता के नाम यदि दूसरा टेलीफोन है तो उसे भी काट दिया जाता है। ऐसे अदायगी न करने वाले उपभोक्ताओं से व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क करने और भुगतान प्राप्त करने के लिए टेलीफोन राजस्व निरीक्षकों को भेजा जाता है। इन सब प्रयासों के बावजूद यदि भुगतान प्राप्त नहीं होता तो गुणावगुण के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाती है।

निर्धन व्यक्तियों को कानूनी सहायता देने सम्बन्धी भगवती समिति की सिफारिशों का क्रियान्वयन

856. श्री रामविलास पासवान :

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाज के निर्धन व्यक्तियों को कानूनी सहायता देने सम्बन्धी भगवती समिति की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को अब तक सरकार द्वारा क्रियान्वित नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) सभी राज्य सरकारों द्वारा इन सिफारिशों को कब तक क्रियान्वित किये जाने की सम्भावना है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) और (ख) निर्धन के

लिए विधिक सहायता सम्बन्धी भगवती समिति की सिफारिशें विधिक सहायता स्कीमों को कार्यान्वित करने के लिए समिति द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं। यह समिति भारत सरकार द्वारा तारीख 26-9-80 के एक संकल्प द्वारा न्यायमूर्ति श्री पी० एन० भगवती की अध्यक्षता के अधीन स्थापित की गई है । न्यायमूर्ति श्री पी० एन० भगवती भारत के उच्चतम न्यायालय के एक आसीन न्यायाधीश हैं। समिति ने एक आदर्श स्कीम तैयार की है जिसके आधार पर राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्ड आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में स्थापित किए गए हैं। ये बोर्ड कार्य कर रहे हैं। असम, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, राजस्थान, त्रिपुरा, पश्चिमी बंगाल, तथा दादरा और नगर हवेली, गोवा, दमण और दीव और पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्रों की अपनी अलग-अलग विधिक सहायता स्कीमें हैं।

उच्चतम न्यायालय ने न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री डी० ए० देसाई की अध्यक्षता के अधीन उच्चतम न्यायालय विधिक सहायता समिति स्थापित की गई है। यह समिति तारीख 9 जुलाई, 1981 के संकल्प द्वारा स्थापित की गई है और यह अपना कार्य कर रही है।

(ग) "निर्धनों को विधिक सहायता" की व्यवस्था और उनके लिए स्कीमों का कार्यान्वयन एक निरन्तर प्रक्रिया है इसलिए यह बताना सम्भव नहीं है कि ये सिफारिशें सभी राज्य सरकारों द्वारा सम्भवत: कब तक कार्यान्वित की जाएंगी।

पटना में किदवईपुरी में डाक एवम् तार के भूखण्ड पर अनधिकृत कब्जा

857. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना में किदवईपुरी में डाक एवं तार विभाग की मिली जुली कालोनी है;

(ख) क्या कुछ पार्टियों ने उपरोक्त कालोनी में डाक तार विभाग से सम्बद्ध खाली पड़े भूखण्ड पर पर अनधिकृत कब्जा कर दिया है; और

(ग) यदि उपरोक्त (क) और (ख) के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो डाक तार विभाग के भूखण्ड से अनधिकृत कब्जे बेदखल कराने के लिए क्या उपाय किए गये हैं और सरकार के स्थायी आदेशों के अनुसार, आवास बोर्ड बिहार सरकार ने भूमि का अधिग्रहण करने के तत्काल बाद पक्की चार दीवारी न बनाने के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) जी, हां।

(ग) अनधिकृत कब्जा करने वाले व्यक्तियों को बेदखल कराने के लिए स्थानीय जिला मैजिस्ट्रेट और पुलिस प्राधिकारियों से शिकायत की गई है।

मौजूदा सरकारी हिदायतों के अनुसार सामान्य परिस्थितियों में पक्की चारदीवारी कराने का प्रावधान नहीं है। वर्तमान पद्धति के अनुसार कांटेदार तार की बाड़ लगा दी गई है।

"गैस आफ गैस सिण्लैडर चोट्स वस्टेड" शीर्षक से समाचार

858. श्री रामावतार शास्त्री : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "पेट्रियट" दिनांक 10 मई, 1981 में "गैस आफ गैस सिलैण्डर चोट्स वस्टेड" शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समाचार का ब्योरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है और क्या उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) जी, हां।

(ख) समाचार-पत्र में यह उल्लेख किया गया है कि दिल्ली पुलिस ने पड़ोसी राज्य को नकली कुकिंग गैस (एल० पी० जी०) भेजने में लगे हुए दो व्यक्तियों को पकड़ लिया।

(ग) इसमें तेल कम्पनियों अथवा उनके कोई भी एल० पी० जी० वितरकों के हाथ होने की अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं की गयी है। तथापि, तेल कम्पनियों को परामर्श दिया गया है कि वे एल० पी० जी० सिलेण्डरों की जांच/हिसाब रखने के लिए सतर्क रहें।

बंगलौर में खाना पकाने की गैस की सप्लाई

859. श्री डी० एन० पुत्ते गोडा : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बंगलौर और दक्षिण के अन्य शहरों में खाना पकाने की गैस की सप्लाई बहुत अनियमित हो गई है और उसके लिए एक सप्ताह से तीन सप्ताह तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है जिससे घर में काम करने वाली महिलाओं और अन्य उपभोक्ताओं को कठिनाई उठानी पड़ रही है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन क्षेत्रों में भारतीय तेल निगम ने अपने डीलरों को कोई स्टाक सप्लाई नहीं किया है जिससे प्रत्येक डीलर के पास आर्डर जमा हो गए हैं; और

(ग) स्थिति को सुधारने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) से (ग) गत तीन महीनों के दौरान बम्बई से एल० पी० जी० की सीमित उपलब्धता जो भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि० (बी० पी० सी० एल०) की बम्बई शोधनशाला में औद्योगिक सम्बन्धों की समस्याओं और तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग (ओ० एन० जी० सी०) की उरान यूनिट के बंद हो जाने के के कारण थी, के कारण बंगलौर और दक्षिण के अन्य शहरों में कुकिंग गैस (एल० पी० जी०) की सप्लाई में कुछ कमी आई थी। उपर्युक्त दो यूनिटों में उत्पादन के पुनः चालू हो जाने के साथ बंगलौर और दक्षिण के अन्य शहरों में एल० पी० जी० की सप्लाई वास्तव में सामान्य हो गई है।

बिजली की सप्लाई में भारी पैमाने पर ब्रेक-डाउन

860. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मई तथा जून के महीनों में लगभग सारे देश में बिजली सप्लाई में भारी पैमाने पर ब्रेक-डाउन के समाचार मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) सामान्य स्थिति कब तक स्थापित की जाने की संभावना है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

कोयला क्षेत्र की बिजली की मांग के पुनरीक्षण के लिए बैठक

861. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने कोयला क्षेत्र को बिजली उत्पादन करने वाली एजेन्सियों द्वारा मांग को पूरा करने की संभावनाओं के पुनरीक्षण के लिए कोयला तथा बिजली विभागों के सचिवों तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, दामोदर घाटी निगम तथा कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमेनों की एक बैठक आयोजित की थी;

(ख) यदि हां, तो बैठक में किन विषयों पर चर्चा हुई और क्या निर्णय किये गये;

(ग) उनके हस्तक्षेप के पश्चात से कोयला क्षेत्र को बिजली की सप्लाई में कहां तक वृद्धि हुई है; और

(घ) उन्होंने इन सभी विभागों को क्या मार्गनिर्देश जारी किए हैं तथा क्या उपरोक्त अधिकारियों के साथ उनकी बातचीत के बाद कोयला उत्पादन में वृद्धि हुई है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गीशंकर मिश्र) : (क) से (घ) ऊर्जा मंत्री समय-समय पर कोयला क्षेत्र और बिजली बनाने वाली एजेन्सियों के साथ बैठकें आयोजित करते हैं । यह बैठकें अन्य बातों के साथ-साथ इन बातों की पुनरीक्षा के लिए होती है । कोयला क्षेत्र की बिजली की आवश्यकता तथा बिजली आवश्यकताओं को पूरा करने वाली बिजली उत्पादक एजेन्सियों का निष्पादन और भावी क्षमता । दोनों क्षेत्र के निष्पादन की निगरानी ऐसी बैठकों में और साथ ही विभिन्न स्तरों पर की जाती है । इसमें औद्योगिक आधारभूत सुविधाओं की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा उच्चतम स्तर पर निगरानी भी शामिल है ।

बिजली की कमी के परिणामस्वरूप कई बार कोयले के उत्पादन पर प्रभाव पड़ा है । फिर भी, विभिन्न स्तरों पर लगातार निगरानी रखने और आवश्यक कदम उठाने के परिणामस्वरूप कोल इंडिया लि० में वर्ष 1982-83 की पहली तिमाही के दौरान 259.5 लाख टन के कुल कोयला उत्पादन का अनुमान लगाया गया है । यह उत्पादन 1981-82 की पहली तिमाही के

दौरान हुए उत्पादन से 14.55 लाख टन अथवा 5.9% अधिक है। जून, 1982 का उत्पादन मई, 1982 के उत्पादन से 2.5 लाख टन अधिक है।

एफ० ए० सी० टी०, कोचीन में हड़ताल

862. **श्री के० ए० राजन** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एफ० ए० सी० टी० कोचीन के इंजिनियरी और संचालन कर्मचारी गत कुछ सप्ताहों से हड़ताल पर हैं; और

(ख) यदि हां, तो विवाद का ब्यौरा क्या है और उसका हल करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) जी, हां। उद्योगमण्डल प्रभाग में फैक्ट इन्जीनियरिंग वर्कस एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करने वाला कर्मचारियों का एक समूह 7 जून से 16 जून, 1982 तक हड़ताल पर था।

(ख) स्थानीय उप श्रम आयुक्त के सामने हुई समझौता कार्यवाही में फैक्ट और उसकी मान्यता प्राप्त यूनियन के मध्य दिनांक 16 मई, 1982 को एक दीर्घावधि मजदूरी समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे। तथापि, फैक्ट इन्जीनियरिंग वर्कस एसोसिएशन नामक एक यूनियन ने करार पर हस्ताक्षर नहीं किए। उनकी प्रमुख मांग यह है कि उद्योगमण्डल प्रभाग की इन्जीनियरिंग अनुभाग और संचालन विंग के बीच वेतनमानों में समता होनी चाहिए। एसोसिएशन में उत्पादकता में सुधार करने और समयोपरि कार्य में कमी करने की दृष्टि से दीर्घावधि मजदूरी समझौता में शामिल की गई प्रबन्धकों की तीन अपेक्षाओं पर भी आपत्ति उठाई है।

फैक्ट इन्जीनियरिंग वर्मा एसोसिएशन ने अपना मामला, दीर्घावधि मजदूरी समझौते की धारा 26 के अन्तर्गत न्याय के लिए राज्य श्रम आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किया है।

मयूर बिहार, डी० डी० ए० कालोनी में टेलीफोन सुविधाएं

863. **श्री के० ए० राजन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मयूर बिहार डी० डी० ए० कालोनी में आपात समय में अपर्याप्त टेलीफोन सुविधाओं के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इन सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कौन से उपाय किए जाने का विचार है; और

(ग) क्या सरकार ने किसी विकलांग व्यक्ति द्वारा चलाये जाने वाले एक सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र की स्थापना करने के बारे में प्रस्ताव पर निर्णय ले लिया है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) इस समय मयूर विहार क्षेत्र में कुछ टेलीफोन कनेक्शन काम कर रहे हैं। इस क्षेत्र में सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए एक नया टेलीफोन एक्सचेंज (शाहदरा-दक्षिण) स्थापित किया जा रहा है।

(ग) जी हां। विकलांग व्यक्ति द्वारा संचालित एक सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने के लिए कार्यवाई की जा रही है।

मध्य प्रदेश को बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने हेतु कदम

864. **श्री शिव कुमार सिंह** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश को बिजली के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के बारे में उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या केन्द्र सरकार का मध्य प्रदेश को बी० एच० ई० एल० और बी० ए० एल० सी० ओ० के लिए अतिरिक्त बिजली को सप्लाई करने का विचार है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) मध्य प्रदेश की वर्तमान प्रतिष्ठापित क्षमता 1630.50 मेगावाट है। कुल 3180 मेगावाट की परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं और इस समय राज्य बिजली बोर्ड द्वारा क्रियान्वित की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त, मध्य प्रदेश को अन्तर्राज्यीय पेंच जल विद्युत परियोजना (160 मेगावाट) से 106.66 मेगावाट का हिस्सा तथा केन्द्रीय क्षेत्र की कोरबा परियोजना (चरण एक और दो) से छठी योजना में 140 मेगावाट का तथा सातवीं योजना में 461 मेगावाट का हिस्सा मिलेगा। मध्य प्रदेश में स्थापित की जा रही 1260 मेगावाट की केन्द्रीय क्षेत्र की विन्ध्याचल परियोजना से भी राज्य को हिस्सा मिलेगा। इस परियोजना से विद्युत के हिस्सों के बारे में अभी निर्णय लिया जाना है। राज्य सरकार ने केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को छः जल तथा चार ताप विद्युत परियोजनाएं भी तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति के लिए भेज दिये गये हैं।

यह आशा की जाती है कि यदि परियोजनायें कार्यक्रम के अनुसार चालू कर दी जाती हैं तो 1984-85 के अन्त मध्य प्रदेश समग्र रूप से ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हो जाएगा।

(ख) उत्तरी क्षेत्र में फालतू विद्युत की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए इस्पात अध्युपीनियम आदि जैसे अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश को सहायता दी जा रही है।

कोटा ताप बिजली केन्द्र के पहले एकक को चालू करने में देरी

865. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोटा ताप बिजली केन्द्र के पहले एकक को चालू करने में देरी के क्या कारण हैं; और

(ख) उक्त एकक कब तक कार्य करना आरम्भ कर देगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) कोटा विद्युत केन्द्र के लिए यूनिटें अन्य संगठनों के सहयोग से भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्ज लिमिटेड द्वारा निर्मित की जा रही हैं।

कोटा ताप विद्युत केन्द्र की पहली यूनिट को चालू करने में विलम्ब का मुख्य कारण 29 मई, 1982 को परीक्षण क दौरान कंडेन्सर की विस्तार धौंकनी का फेल हो जाना है, जो कि निर्माण सम्बन्धी खराबी प्रतीत होती है।

(ख) यूनिट को अब सितम्बर, 1982 के अन्त तक समकालित किए जाने की आशा है।

सरीन समिति का प्रतिवेदन

866. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरीन समिति की यह सिफारिश, कि सार्वजनिक स्थानों जैसे बाजारों, सामुदायिक केन्द्रों, रेलवे स्टेशनों, अस्पतालों और सिनेमाघरों में अधिक सार्वजनिक टेलीफोन लगाये जाने चाहिये, सरकार द्वारा मान ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके कार्यान्वयन के लिये क्या कदम उठाये गये हैं और इस बारे में क्या प्रगति हुई है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) क्षेत्रीय एककों को आवश्यक अनुदेश दे दिए गए हैं। उपर्युक्त स्थानों पर सार्वजनिक टेलीफोनों की संख्या कालान्तर में उत्तरोत्तर बढ़ाई जाएगी।

जैसलमेर जिले में तेल गैस के लिए खुदाई

867. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जैसलमेर जिले में तेल और गैस की खोज और खुदाई के काम में तथा विशेषकर जैसलमेर जिले के दक्षिण भाग के आधे क्षेत्र में स्थित गोपर में तेल की खुदाई के काम में हुई प्रगति का विस्तृत ब्योरा क्या है; और

(ख) राजस्थान में बाड़मेर, बीकानेर और नागौर के तलछटी बेसिन में तेल तथा गैस की खोज के काम में हुई प्रगति का विस्तृत ब्योरा है।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने राजस्थान के जैसलमेर जिले में अब तक सोलह अन्वेषी कुएं खोदे हैं। तथापि इस क्षेत्र में हाईड्रो कार्बनस के कोई व्यापारिक भण्डार नहीं मिले हैं।

जैसलमेर जिले के दक्षिण अर्द्ध-भाग में गोटारु के स्थान पर व्यधन कार्य 28 फरवरी, 1982 को आरम्भ किया गया था। उस कुएं को जिसको 3,500 मीटर की गहराई तक खोदने का लक्ष्य बनाया गया था, को 5 7.1982 तक 2,006 मीटर की गहराई तक खोदा जा चुका है।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा राजस्थान में खुली तलछटी चट्टानों का भूवैज्ञानिक चित्रण किया गया है और विस्तृत सूचना प्राप्त करने के लिए कुछ क्षेत्रों में जारी रखा जा रहा

है। 43,500 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में वायु चुम्बकीय सर्वेक्षण किये गए हैं। 84,000 वर्ग किलो मीटर क्षेत्र में गुरुत्व चुम्बकीय सर्वेक्षण किये गए हैं। मुख्य रूप से राजस्थान के जैसलमेर बेसिन को शामिल करते हुए 9,100 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र मे परावर्तन और अपवर्तन के तरीकों से भूकम्पीय सर्वेक्षण किये गए हैं।

जहां तक जैसलमेर बेसिन के उत्तरी अर्द्ध भाग का सम्बन्ध है, इसको अभी हाल में ओ० आई० एल० को सौंपा गया है जिसने क्षेत्र में भूकम्पीय सर्वेक्षणों के लिए पूछ-ताछ जारी की है। भूकम्पीय सर्वेक्षण कार्य समाप्त करने के बाद संरचनाओं का पता लगने पर व्यधन संचालन आरंभ करना निर्भर करेगा।

(ख) सतय के भीतर का स्तरित शैल विज्ञान और संरचनात्मक सूचना प्राप्त करने के लिए तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने बीकानेर नागौर बेसिन में एक संरचनात्मक कुआं (पुगल-1) खोदा है। इस कुएं ने तेल अथवा गैस की विषमानता के कोई संकेत दिये थे। बाड़मेर क्षेत्र को कम सम्भावना के क्षेत्र का दर्जा दिया गया है।

सवाई माधोपुर, राजस्थान में उर्वरक संयन्त्र की स्थापना करने से प्रभाव

868. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के उस स्थान का नाम क्या है जहां उर्वरक संयंत्र की स्थापना की जा रही है;

(ख) क्या सवाई माधोपुर में उर्वरक संयंत्र की स्थापना का रणथम्भोर बांध और उसके इर्द गिर्द के क्षेत्र में परिस्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का इस उर्वरक संयंत्र के लिए राजस्थान में किसी और स्थान का चयन करने का विचार है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) राजस्थान में गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्र के उपयुक्त स्थान के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

उर्वरक संयंत्र के स्थान का निर्णय विभिन्न तकनीकी आर्थिक तथ्यों पर्यावरण सम्भावनाओं और अन्य सम्बन्धित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

इंडियन कांटिनेंटल शेल्फ में तेल की खोज के लिए निविदायें मंगाना

869. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने इंडियन कांटिनेन्टल शेल्फ में तट से दूर और तट पर तेल की खोज तथा तेल के निकालने के लिये तेल कम्पनियों से दूसरी बार निविदाएं आमन्त्रित करने हेतु ब्यौरा तैयार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या विश्वव्यापी निविदायें मांगी जायेंगी या पहले ही मांग ली गई हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या इस संम्बन्ध में कोई अन्तिम समझौता कर लिया गया है; यदि हां, तो वे राष्ट्र या फर्में कौन सी हैं जिसे अन्तिम रूप से ठेका दिया गया है; और

(घ) दूसरी बार निविदायें मांगने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) जी, अभी तक नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) यह आवश्यक है कि कम से कम सम्भव समय में खनिज तेल के आयात को घटा कर कम से कम किया जाये। राष्ट्रीय तेल कम्पनियां अर्थात् तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग और आयल इण्डिया लिमिटेड खनिज तेल की खोज और उसके उत्पादन के लिये अपने अधिक से अधिक संभव प्रयास जितने वे कर सकती हैं कर रही हैं और तदनुसार उन्होंने योजनाएं और कार्यक्रम तैयार किये हैं। अपने प्रयासों को पूरक बनाने और कम से कम सम्भव समय में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए विदेशी कम्पनियों द्वारा देश के कुछ चुने गए ब्लाकों में हाईड्रोकार्बन साधनों का अन्वेषण और दोहन करने के लिए बोलियां (बिड्स) आमन्त्रित करने का निर्णय लिया गया है।

दिल्ली स्थित बिजली घर में विस्फोटक का पाया जाना

870. **श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में स्थित बिजलीघर में एक कर्मचारी ने विस्फोटक का पता लगाया था;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई जांच की गई थी;

(ग) यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले;

(घ) क्या इसमें कुछ विदेशी तत्वों का हाथ होने की सम्भावना है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार ने देश में ऐसे सभी प्रतिष्ठानों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : जी, हां।

(ख) से (घ) मामले की जांच की जा रही है।

(ङ) और (च) सभी सम्बन्धितों को सतर्कता बरतने तथा आवश्यक उपचारी पूर्वोपाय करने के लिए उपयुक्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

केरल की पनबिजली परियोजना स्वीकृति हेतु लम्बित

871. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल की कितनी पनबिजली परियोजनाएं भारत सरकार के पास स्वीकृति हेतु लम्बित हैं और उनका ब्योरा क्या है; और

(ख) भारत सरकार द्वारा उन्हें कब तक स्वीकृति दिए जाने की सम्भावना है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) केरल में 7 बहुद्देशीय/जल-विद्युत परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है । इनमें से, लोअर पेरियार जल-विद्युत परियोजना (3 × 60 मेगावाट) को राज्य योजना में शामिल करने के लिए योजना आयोग से सिफारिश की गई है ।

विवरण

स्कीम का नाम	प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)	अनुमानित लागत (करोड़ रु० में)	परियोजना रिपोर्ट प्राप्त होने की तारीख	परियोजना रिपोर्ट की वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5
1. लोअर पेरियार	3 × 60	8843	फरवरी, 1978	इस स्कीम को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और पर्यावरण विभाग द्वारा स्वीकृति किया गया है तथा छठी योजना में शामिल करने के लिए योजना आयोग को सिफारिश की गई है । योजना आयोग की स्वीकृति की प्रतीक्षा है ।
2. करापारा कुरियारकुट्टी बहूद्देश्यीय परियोजना	95	32.1	जनवरी, 1979	परियोजना रिपोर्ट की जांच केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण/ केन्द्रीय जल आयोग में की गई तथा परियोजना प्राधिकारियों को टिप्पणियों भेज दी गई हैं । इन टिप्पणियों के उत्तरों की प्रतीक्षा की जा रही है । बहुद्देश्यीय परियोजना होने के कारण परियोजना

1	2	3	4	5
				की पहले योजना आयोग की तकनीकी परामर्शी समिति से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। उसके बाद तकनीकी आर्थिक स्वीकृति के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा विद्युत के भाग पर विचार किया जायगा।
3. मनन्थवाड़ी बहुद्देश्यीय परियोजना	4 × 60	69.12	मई, 1980	परियोजना रिपोर्ट की जांच केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण/केन्द्रीय जल आयोग और विद्युत विभाग में की गई तथा टिप्पणियां परियोजना प्राधिकारियों को भेज दी गई हैं। इन टिप्पणियों के उत्तरों की प्रतीक्षा है। चूंकि परियोजना में सिंचाई और विद्युत उत्पादन के लिए मनन्थवाड़ी नदी काविनी की एक सहायक नदी (कावेरी बेसिन) के जल को पश्चिम दिशा की ओर व्यपवर्तित किया जाना है, अतः इस परियोजना के अन्तर्राज्यीय पहलुओं को हल करना आवश्यक होगा। बहुद्देश्यीय परियोजना होने के कारण परियोजना को पहले योजना आयोग की तकनीकी परामर्शी समिति द्वारा स्वीकृत कराना होगा। उसके बाद, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा

1	2	3	4	5
				विद्युत के हिस्से पर विचार किया जाएगा।
4. कुटियाडी विस्तार	—	13.05	दिसम्बर, 1976	परियोजना रिपोर्ट की जांच केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण/केन्द्रीय जल आयोग में की गई और टिप्पणियां परियोजना प्राधिकारियों को भेज दी गई हैं। हाल ही में प्राप्त संशोधित अनुमानित लागत और विद्युत सक्षमता अध्ययनों की जांच की जा रही है। वर्तमान कुटियाडी बिजली घर में विद्युत के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए परियोजना में कुटियाडी बेसिन में, कावेरी बेसिन में, काविनी की एक सहायक नदी करमनथोड् के जल की पश्चिम दिशा की ओर व्यपवर्तित किया जाना है। स्कीम के अन्तर्राज्यीय पहलुओं का समाधान करना आवश्यक है। अन्तर्राज्यीय पहलुओं के समाधान होने के पश्चात् तथा परियोजना विशिष्टियों को अन्तिम रूप दिए जाने के बाद स्कीम पर तकनीकी आर्थिक अनुमोदन के लिए विचार किया जाएगा।
5. पंडियार पून्नापूझा हैलरेस	2 × 35	21.95	दिसम्बर, 1972	परियोजना रिपोर्ट की जांच कर ली गई है। इस स्कीम का विकास

1	2	3	4	5
				तमिलनाडु प्राधिकारियों द्वारा तैयार की गई पंडियार के टेलरेस विकास के रूप में करने का प्रस्ताव है। इस सम्बन्ध में 1965 में तत्कालीन सदस्य योजना आयोग की उपस्थिति में तमिलनाडु और केरल के बीच एक समझौता हुआ था जिसके अन्तर्गत केरल अनुप्रवाह द्वारा उसी बेसिन में विद्युत उत्पादन और सिंचाई के उपयोग के लिए टेलरेस जल को छोड़ कर विद्युत उत्पादन के लिए पश्चिम की ओर बहने-वाली चेलियार नदी की सहायक नदियां पंडियार और पुन्नापूझा नदियों के जल को रोकने की अनुमति तमिलनाडु सरकार को दी गई। इसके बाद इस बेसिन के कुछ जल को पूर्व की ओर व्यपवर्तित करने के लिए तमिलनाडु सरकार की ओर से पुनः विचार किया गया । केरल सरकार ने यह सूचित किया कि इस समय इस मामले पर दोनों राज्य सरकारों के बीच विचार विमर्श हो रहा है। तमिलनाडु की स्कीम को क्रियान्वित करने के लिए

1	2	3	4	5
				निर्णय लिए जाने के बाद ही केरल की पंडियार पुन्नापूझा टेलरेस स्कीम को स्वीकृति के लिए विचार किया जा सकता है।
6. साइलेंट घाटी जल-विद्युत परियोजना	2 × 60	58.00	अप्रैल, 1978	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा फरवरी, 1979 में परियोजना को स्वीकृत किया गया है, तथापि, पर्यावरण विशेषज्ञों और परिस्थिति वैज्ञानिकों द्वारा व्यक्त गम्भीर आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए संयुक्त केन्द्र-राज्य समिति द्वारा मामले की पुन: जांच की जा रही है।
7. पुयानकुट्टी जल विद्युत परियोजना	750	565.15	मार्च, 1981	परियोजना रिपोर्ट की जांच की गई और सिविल कार्यों, विद्युत सम्बन्धी कार्यों, जल-विज्ञान, सिविल डिजाइनों आदि की लागत के अनुमानों के सम्बन्ध में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और केंद्रीय जल आयोग की टिप्पणियां राज्य को भेज दी गई थीं तथा उनके उत्तरों की प्रतीक्षा है। इसकी तकनीकी और आर्थिक व्यवहार्यता सुनिश्चित हो जाने के बाद ही स्कीम की तकनीकी आर्थिक स्वीकृति के लिए विचार किया जाएगा।

दामोदर घाटी निगम द्वारा कलकत्ता को सप्लाई में कटौती

872. **श्री रेणुपद दास :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पश्चिम बंगाल सरकार ने संयुक्त रूप से दामोदर घाटी निगम की स्थापना की थी और कई वर्षों से उसके पूंजी निर्माण में योगदान किया है, क्या पश्चिम बंगाल सरकार को राज्य सरकार से पूर्व परामर्श लिए बिना कलकत्ता को बिजली की सप्लाई में कटौती करने के (अप्रैल से आगे) दामोदर घाटी निगम के हाल के निर्णय को चुनौती देने का अधिकार है; और

(ख) यदि हां, तो दामोदर घाटी निगम के विरुद्ध क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) दामोदर घाटी निगम से विद्युत का संशोधित आवंटन दामोदर घाटी निगम को शासित करने वाले सांविधिक अधिनियम के पूर्णतः अन्दर है।

पश्चिम बंगाल में तेल की खोज

873. **श्री रेणुपद दास :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के तट पर और तट दूर दोनों क्षेत्रों में तेल की खोज का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है, तो क्या; और

(ग) इस कार्यक्रम को किन-किन स्थानों में चलाया जायेगा ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग कुछ समय से बंगाल बेसिन में तेल अन्वेषण कार्य कर रहा है।

(ख) और (ग) वर्तमान में, बंगाल बेसिन में एक भारतीय सोवियत दल, चार भारतीय भू-कम्पीय दल तथा दो गुरुत्व-चुम्बकीय दल भू-भौतिकीय सर्वेक्षण कार्य कर रहे हैं और 1981-82 क्षेत्रीय मौसम के दौरान निम्नलिखित लक्ष्य रखे गये हैं ;

भू-कम्पीय सर्वेक्षण—800 लाईन किलोमीटर

गुरुत्व-चुम्बकीय सर्वेक्षण—4500 स्टेशन

वर्तमान में जगुली-1 तथा विष्णुपुर में व्यधन कार्य प्रगति पर है। इन कूपों की लक्षित गहराई क्रमशः 5,000 मीटर तथा 3,000 मीटर है। बोदरा-2 में चालू वर्ष के दौरान व्यधन कार्य किये जाने का प्रस्ताव है।

विशेष रूप से हिमालय की नदियों पर आधारित पनबिजली परियोजनाओं की योजनाएं बनाना

874. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या ऊर्जा मंत्री विभिन्न स्रोतों से बिजली का उत्पादन और इसकी प्रति व्यक्ति उपलब्धता के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 2752 दिनांक 9 मार्च, 1982 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पनबिजली ऊर्जा का सबसे सस्ता एवं अधिक चलने वाला स्रोत है; और

(ख) यदि हां, तो देश की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए विशेषरूप से हिमालय की नदियों पर आधारित पनबिजली परियोजनाएं बनाने एवं उनको कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जल विद्युत पर्याप्त सस्ती, साफ है तथा ऊर्जा का पुननंवीकरण करने योग्य स्रोत है।

(ख) सरकार देश की जल-विद्युत शक्यता का उपयोग करने के लिए उत्सुक है। इस संबंध में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(1) लगभग 10,000 मेगावाट की कुल प्रतिष्ठापित क्षमता की जल विद्युत परियोजनाएं निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

(2) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में देश की जल विद्युत शक्यता का पुनर्मूल्यांकन किया जा रहा है।

(3) उपरोक्त पुनर्मूल्यांकन के अनुसरण में, सोपानबद्ध रूप में निर्माण के लिए हाथ में ली जा सकने वाली और स्कीमों का पता लगाने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने एक अध्ययन आरम्भ किया है।

(4) उपयुक्त जल विद्युत परियोजनाओं का कार्यान्वयन हाथ में लेने के लिए केन्द्रीय क्षेत्र में राष्ट्रीय जल विद्युत निगम तथा उत्तर-पूर्वी विद्युत शक्ति निगम की स्थापना की गई है। ये निगमें इस सम्बन्ध में राज्यों के प्रयासों की अनुपूर्ति करेंगी।

(5) परियोजनाओं के निर्माण कार्यक्रम को सबसे कम समयावधि में पूरा करने पर जो देने के लिए अन्वेषण तथा निर्माण तरीकों में सुधार करने के लिए भी गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिया जा रहा है।

उच्चतम न्यायालय की बार एसोसिएशन द्वारा हड़ताल की धमकी

875. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या वकीलों को बिना सुने ही कुछ वर्गों के मामलों के शीघ्र निपटारे के सुझाव पर उच्चतम न्यायालय बार एसोसिएशन ने हड़ताल की धमकी दी थी; यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री से प्राप्त जानकारी के अनुसार, उच्चतम न्यायालय के रजिस्ट्रार ने 19-4-1982 को उच्चतम न्यायालय बार एसोसिएशन के अवैतनिक सचिव को एक पत्र लिखा था, जिसमें यह कहा गया था कि भारत के मुख्य न्यायाधिपति और अन्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय में मामलों को शीघ्र निपटाने के बारे में विचार करने और उपाय करने के बारे में उत्सुक हैं और इस दिशा में एक उपाय के रूप में यह विचार किया गया है कि कतिपय प्रवर्गों के मामलों का निपटारा, दो माननीय न्यायाधीशों की, जो अपने-अपने चैंबरों में बैठेंगे, एक न्यायपीठ द्वारा उनका परिचालन करके सप्ताह में एक बार किया जाएगा। पत्र में यह उल्लेख किया गया था कि यदि उनमें से किसी न्यायाधीश की राय यह है कि मामले में मौखिक तर्क सुने जाने चाहिए तो वह मामला न्यायालय में न्यायपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूची में रखा जाना चाहिए। पत्र का उत्तर शीघ्र मांगा गया था। क्योंकि यह प्रस्ताव था कि इन परिवर्तनों को न्यायालयों के ग्रीष्म दीर्घावकाश के लिए बन्द हो जाने के पश्चात जुलाई, 1982 में उनके पुन: खुलने पर लागू किया जाए। उच्चतम न्यायालय के बार एसोसिएशन के सचिव ने उच्चतम न्यायालय के रजिस्ट्रार को एक पत्र तारीख 20-4-1982 को लिखा जिसमें उच्चतम न्यायालय बार एसोसिएशन के संकल्प की सूचना दी गई थी। इस पत्र में रजिस्ट्रार के तारीख 19-4-1982 के पत्र का विरोध करते हुए यह सूचना दी गई थी कि यदि इस पत्र को वापस नहीं लिया गया तो बार तारीख 23-4-1982 से अनिश्चित कालीन हड़ताल आरम्भ कर देगा।

उच्चतम न्यायालय नियम का संशोधन करने के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 145 के अधीन राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए कोई प्रस्ताव सरकार को अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। किन्तु, सरकार इसे दुर्भाग्यपूर्ण समझती है कि मामलों का शीघ्र निपटारा करने के एक उपाय के सम्बन्ध में बार का दृष्टिकोण जानने के उद्देश्य से रजिस्ट्रार द्वारा लिखे गए पत्र के उत्तर में हड़ताल की धमकी दी गई।

उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री ने सूचना दी है कि उसके पश्चात हड़ताल आदि की कोई और सूचना उन्हें प्राप्त नहीं हुई है।

तापीय बिजलीघरों के कार्य निष्पादन के सम्बन्ध में जून, 1982 में आयोजित गोष्ठी

876. **श्री माधवराव सिंधिया** : ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में तापीय बिजलीघरों के कार्य निष्पादन पर 9 जून, 1982 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में एक गोष्ठी आयोजित की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो ताप बिजली का उत्पादन बढ़ाने के लिए उसमें किन कदमों का सुझाव दिया गया था ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हां।

(ख) 9 और 10 जून. 1982 को हुए ताप-विद्युत संयंत्रों के कार्य-निष्पादन पर सेमिनार की विभिन्न तकनीकी बैठकों की मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित थीं :

(1) चालू करने के लिए मशीनों की फिटनैस की जांच करने तथा कुशल जनशक्ति की उपलब्धता के लिए नियामक आयोग की स्थापना करना ।

(2) विभिन्न केन्द्रों से फीड-बैक एकत्र करने के लिए तथा व्यक्तिगत यूटीलिटीज में इसको परिपत्रित करने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण जैसी एक केन्द्रीय एजेन्सी की आवश्यकता ।

(3) यह आवश्यक समझा गया कि 210 मेगावाट के बायलरों का पता लगाया जाए जिससे कि कमी वाले क्षेत्रों में सुधार के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाया जा सके ।

(4) एक केन्द्र में खरीदी जाने वाली मदों सहित उपस्कर आनुषंगिकों का अन्त: आदान-प्रदान सुनिश्चित किया जाना चाहिए ।

(5) यह आवश्यक समझा गया कि टर्बाइनों में रोटरों के फेल होने के कारणों की गहराई से जांच की जाए तथा विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों को आवश्यक फीड-बैक उपलब्ध कराया जाए ।

(6) बड़ी मशीनों के फ्लेंजों के टूटने-फूटने से बन्दी की अवधि लम्बी होती है । धातुकर्मीय में नए सिरे से जांच-पडताल करनी पड़ती है तथा धातुकर्मीय सम्बन्धी आवश्यकताओं में सम्भव परिवर्तनों की जांच करवाई जाए ।

(7) ताप विद्युत केन्द्रों में मेक-अप जल की अधिक खपत के कारणों की जांच की जानी चाहिए तथा खपत को 7% से कम करके 3% तक लाया जाना चाहिए ।

(8) भारत हैवी इले० लि० को मुख्य इजैक्टर नोजलों के कार्य-निष्पादन में सुधार के लिए इन पर पुन: नए सिरे से ध्यान देना चाहिए ।

(9) जेनरेटरों में स्टील रिंग के घिसने के कारणों की जांच की जाए ।

(10) जेनरेटरों का प्रचालन करने के एक वर्ष बाद ओवरहाल किया जाना तथा इसके पश्चात प्रत्येक 2-3 वर्ष बाद ओवरहाल करना असन्तोषजनक समझा गया तथा यह महसूस किया गया कि ऐसे ओवरहाल की आवश्यकता पड़ने से पहले जेनरेटरों को 8 से 10 वर्षों की अवधि के लिए चलाना सम्भव होगा ।

(11) नियन्त्रण तथा इन्स्ट्रमेंटेशन में आनुषंगिकों के क्रमवार नियन्त्रण के लिए सोलिड-स्टेट प्रणाली अपनाई जानी चाहिए ।

(12) यूनिट की सुरक्षा के रिले-पर आधारित प्रणाली अपनाई जानी चाहिए ।

(13) देश में बहुत सी यूनिटों में हुए अनुभवों से यह महसूस किया गया है कि इन्हें 45% से अधिक राख की मात्रा वाले कोयले के द्वारा चलाना पड़ता है और इसलिए बायलर डिजाइन में, वर्षा ऋतु में नमी आदि जैसी अन्य विशेषताओं के अतिरिक्त, इसका भी ध्यान रखना चाहिए ।

(14) यह भी महसूस किया गया कि विद्युत संयंत्रों को कोयले की सप्लाई के सम्बन्ध में कुछ नियन्त्रण होना चाहिए ताकि कोयले के बहुत बड़े टुकड़ों तथा पत्थरों को सम्भव सीमा तक हटाया जा सके ।

(15) जल रसायन का अध्ययन करने के लिए विद्युत सन्यन्त्र प्रयोगशालाओं को अद्यतन विश्लेषणात्मक उपकरणों के साथ सुसज्जित किया जाना चाहिए ।

(16) देश में उत्प्रेरित कार्बन की बहुत अधिक कमी है । क्योंकि पानी में जैव-संदूषण का ध्यान रखने के लिए इस सामग्री की विशेष रूप से आवश्यकता पड़ती है । तदनुसार इस सामग्री के उत्पादन को बढ़ाने के लिए उपाय किए जाने चाहिए ।

(17) सभी राज्य बिजली बोर्डों में वाणिज्यिक लेखा पद्धति लागू की जाए ।

(18) ताप विद्युत इंजीनियरों का संवर्ग अलग किया जाना चाहिए ।

अखबारी कागज की कीमत में वृद्धि

877. **श्री माधवराव सिंधिया :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अखबारी कागज की कीमतों में वृद्धि करने का है ?

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव के ब्यौरे क्या हैं और वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(ग) देश में अखबारी कागज की उत्पादन लागत क्या है और औसत आधार पर इसे बाहर से आयात करने की लागत क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) सूचना और प्रसारण मंत्रालय केवल आयातित अखबारी कागज का ही मूल्य तय करने से सहयोजित है । यह मूल्य खरीद मूल्य, माल भाड़ा दरें और अमरी की डालर बनाम भारतीय रुपया की विनिमय दर जैसी विभिन्न बातों को ध्यान में रखते हुए हर तिमाही तय किया जाता है । यह समय-समय पर भिन्न-भिन्न हो सकता है । अप्रैल-जून, 1982 के दौरान 48.8 जी० एस० एम० के मानक अखबारी कागज का हाई सी बिक्री मूल्य और बफर स्टाक का बिक्री मूल्य क्रमशः 6120 रुपये और 6010 रुपये प्रति मीट्रिक टन था । चालू तिमाही के बिक्री मूल्य की घोषणा शीघ्र ही की जायेगी ।

(ग) स्वदेशी अखबारी कागज के निर्माण की लागत यूनिट प्रति यूनिट और समय-समय पर भी भिन्न-भिन्न होती है । फरवरी, 1982 में, नेपा मिल्स द्वारा तैयार किए जाने वाले अखबारी कागज के निर्माण की लागत लगभग 5200 रुपये प्रति मीट्रिक टन थी । विदेशों से आयातित अखबारी कागज की इस समय लागत लगभग 5500 रुपये प्रति मीट्रिक टन, लागत, बीमा और भाड़ा सहित (आयात शुल्क को छोड़कर) है ।

घटिया किस्म के कोयले को कम राख वाले कोयले में बदलने का नया तरीका

878. **श्री माधवराव सिंधिया :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घटिया कोयले को कम राख वाले कोयले में बदलने का नया तरीका धनबाद की बरुदा कोयला (धावनशाला) में अपनाया जाना है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की मुख्य बातें क्या हैं और इस प्रक्रिया से कितनी बचत होने की सम्भावना है; और

(ग) इस नए तरीके को अन्य कोयला धवनशालाओं में प्रयोग में लाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

ऊर्जा मन्त्रालय के कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) भारत कोकिंग कोल लि० की बरोरा वाशरी में कोई नई प्रणाली नहीं अपनाई गई है। बरोरा में अपनाई गई प्रणाली बिल्कुल पारम्परिक है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान और गुजरात में लिग्नाइट पर आधारित तापीय संयंत्र

879. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लिग्नाइट पर आधारित दो तापीय बिजली घरों की स्थापना एक राजस्थान के बीकानेर जिले में तथा दूसरा गुजरात के कच्छ जिले में करने का निर्णय किया है;

(ख) प्रस्तावित संयंत्रों की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) ये प्रस्ताव इस समय किस अवस्था पर हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) गुजरात के कच्छ जिले में 60-60 मेगावाट की दो यूनिटों वाले लिग्नाइट पर आधारित ताप विद्युत केन्द्र की प्रतिस्थापना के लिए एक स्कीम योजना आयोग द्वारा 71.27 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 28 सितम्बर, 1979 को स्वीकृत की गई थी। इस समय इस स्कीम का कार्यान्वयन किया जा रहा है। अद्यतन मूल्यांकन के अनुसार इन यूनिटों के जून, 1986 तथा दिसम्बर, 86 में चालू होने की आशा है।

राजस्थान के बीकानेर जिले में पालना में 60-60 मेगावाट की दो यूनिटों वाले लिग्नाइट पर आधारित ताप विद्युत केन्द्र की प्रतिष्ठापना के लिए स्कीम 67.3 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी आर्थिक रूप से स्वीकृत कर दी गई है। पालना ताप विद्युत परियोजना को तकनीकी आर्थिक स्वीकृति देते समय केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने इसके साथ-साथ पालना विद्युत परियोजना तथा पालना खनन परियोजना के लिए भी स्वीकृति की सिफारिश की है। पालना ताप विद्युत केन्द्र के 60 मेगावाट की प्रथम यूनिट के स्वीकृति की तारीख से 56 महीनों की अवधि में चालू होने की आशा है तथा दूसरी यूनिट इसके 6 महीने बाद चालू किए जाने की आशा है बशर्ते कि दोनों विद्युत परियोजनाओं तथा खनन परियोजना की एक साथ ही स्वीकृति दी जाती है तथा एक साथ हाथ में लिया जाता है।

इस स्कीम के लिए योजना आयोग से निवेश सम्बन्धी निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है।

सूचना माध्यम के लिए सूचना नीति

880. **श्री अजित कुमार साहा :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी सूचना माध्यमों में कोई सूचना नीति है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (ग) सरकार द्वारा सूचना और संचार को विकास की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण साधन समझे जाते हैं। इसलिए सूचना माध्यमों की भूमिका लोगों को सूचित और शिक्षित करना तथा पंचवर्षीय योजनाओं में शामिल राष्ट्रीय विकास गतिविधि में भाग लेने के लिए उनको प्रेरित करना है। इस प्रकार सूचना माध्यमों के सम्बन्ध में नीति देश की विकासीय नीति को प्रतिबिंबित करती है। तथापि, सरकारी माध्यमों को ये मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए हुए हैं कि प्रत्येक माध्यम एकक—आकाशवाणी, दूरदर्शन, फिल्म प्रभाग, पत्र सूचना कार्यालय, विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय, क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय, प्रकाशन विभाग, इत्यादि द्वारा प्रचार गतिविधि किस प्रकार की जानी है। मार्गदर्शी सिद्धान्तों में प्रचार प्रयास में प्राथमिकताओं तथा प्रचार के कार्यक्रम बनाने में दिए जाने वाले बल के बारे में स्पष्ट रूप से बताया गया है। मार्गदर्शी सिद्धान्तों में प्रचार कार्यक्रमों के वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय और विश्वासोत्पादक प्रस्तुतीकरण की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला गया है ताकि इस देश की एकता तथा विकासीय प्रयासों में उद्देश्य की एकता की आवश्यकता के बारे में लोगों में विश्वास उत्पन्न किया जा सके।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा कलकत्ता में तेल की खोज की योजना

881. **श्री तारिक अनवर :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने कलकत्ता में तट दूर तथा तट पर तेल की खोज के काम को तेज करने के लिए एक लम्बी तथा खर्चीली योजना तैयार की है;

(ख) क्या यह भी सच है कि पहले की खोज कलकत्ता नगर के चारों ओर के स्थानों तक सीमित थी अब नगर ही इसका लक्ष्य बन गया है; और

(ग) क्या ड्रिलिंग का कलकत्ता ट्यूब रेलवे के निर्माण कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने पश्चिम बंगाल सहित भारत के सभी तलछटी बेसिनों में त्वरित अन्वेषण तथा उपयोग के लिए एक दस वर्षीय प्रत्यास्मक योजना ढांचा तैयार किया है।

(ख) कलकत्ता शहर तथा इसके अड़ोस-पड़ोस सहित सारे बंगाल बेसिन में अन्वेषण कार्य किया जा रहा है। कलकत्ता शहर में तथा इसके आस-पास विस्तृत गुरुत्व चुम्बकीय सर्वेक्षण किये

गये हैं। विस्तृत "कलकत्ता ग्रेविटी ह्वाई" के विभेदन तथा पुष्टि के लिए बाइब्रोसिन सर्वेक्षणों के किये जाने का भी प्रस्ताव है।

(ग) इस अवस्था में कुछ कहना सम्भव नहीं है, क्योंकि व्यधन के लिये स्थलों का निर्णय सर्वेक्षणों के परिणाम उपलब्ध हो जाने के बाद ही किया जायेगा।

लक्ष्मीनगर, दिल्ली में टेलीफोन सुविधायें

882. **श्री तारिक अनवर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संचार मन्त्रालय को लक्ष्मी नगर, दिल्ली के निवासी कल्याण संगठन से एक अभ्यावेदन मिला है; और

(ख) क्षेत्र में टेलीफोन सुविधाओं की व्यवस्था के लिए संगठन के अनुरोध पर क्या कार्रवाई की गई है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां। इस सम्बन्ध में दिल्ली के पोस्टमास्टर जनरल को एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था।

(ख) लक्ष्मीनगर डाकघर में तार सुविधाओं की व्यवस्था करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है। इस सम्बन्ध में काम हो रहा है और उसके शीघ्र हो जाने की सम्भावना है।

एम० आर० टी० पी० कम्पनियों द्वारा समवाय अधिनियम का उल्लंघन

883. **श्री तारिक अनवर** : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन एम० आर० टी० पी० कम्पनियों के नाम क्या हैं जिनके विरुद्ध समवाय अधिनियम, 1956 के मुख्य तथा लघु उल्लंघनों के लिए कम्पनी कार्य विभाग द्वारा कार्रवाई की गई है;

(ख) मुख्य उल्लघनों के बारे में धारा-वार ब्योरे क्या हैं और कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या यह सच है कि भारी संख्या में कम्पनियों ने केन्द्र सरकार द्वारा की गई कार्रवाई से बचने के लिए या तो अपीलें दायर कर दी हैं और या मामलों को लम्बा खींचा जा रहा है; और

(घ) ये उल्लंघन (तुलनीय आकार की) 'फेरा' कम्पनियों के उल्लंघनों में किस प्रकार तुलनीय हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) से (घ) कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करने वाली कम्पनियों पर अभियोग की, सम्पूर्ण भारत में फैले

हुए, बहुसंख्यक कम्पनी रजिस्ट्रारों द्वारा पैरवी की जाती है। प्रमुख घरानों सहित एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार कम्पनियों की कुल संख्या 1600 के लगभग है। इनके अतिरिक्त, कतिपय गैर-एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार 'फेरा' कम्पनियां भी हैं। मांगी गई सूचना, रजिस्ट्रारों के पास उपलब्ध सहस्रों मामलों से संग्रहीत तथा संकलित की जायेगी, जिसमें अत्याधिक समय, श्रम व धन लगेगा, जो सम्भावित परिणामों के समनुरूप नहीं होगा। तथापि, किसी विशिष्ट कम्पनी अथवा समूह से सम्बन्धित सूचना, मांगी जाने पर, भेज दी जायेगी।

नेशनल फर्टिलाइजर्स लि० द्वारा विकसित किए गए तरल उर्वरक

884. **श्री गुफरान आजम : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या नेशनल फर्टिलाइजर्स लि० ने सूखे क्षेत्रों में खेती करने के लिए तरल उर्वरक का विकास किया है;

(ख) यदि हां, तो विकसित किए गए तरल उरर्वक का पूर्ण ब्योरा क्या है;

(ग) किन-किन स्थानों में तरल उर्वरक का उत्पादन किया जायेगा;

(घ) इन इकाइयों में जो तरल उर्वरक विकसित किए जाएंगे, उनके क्षमता का पूर्ण ब्योरा क्या है; और

(ङ) उर्वरक कृषि भूमि के लिए कहीं तक उपयुक्त होगा ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया तरल उर्वरक 1.3 की विशिष्ट ग्रेविटी और 32.5 नाट्रोजन के साथ रंग विहीन घोल है। यह एक वगैर दबाव वाला तरल उर्वरक है और तरल के रूप में 0^0 सन्टीग्रेड तक भी रुक सकता है। इसके बासल और टोपड्रेसिंग ओनों रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इसमें बहुत ज्यादा पोषण करने का गुण है और इसे मिश्रित किया जा सकता है तथा माइक्रो-न्यूट्रिएन्ट्स, बीडिसाइड्स इन्सैक्टिसाइड्स के साथ प्रयोग किया जा सकता है और इस प्रकार माइक्रो-न्यूट्रिएन्टस, बीडिसाइड्स, इन्सेक्टिसाइड्स आदि के पृथक प्रयोग की आवश्यकता को दूर करता है।

(ग) और (घ) नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड इस उत्पाद को रजिस्टर करने और उत्पादन की वाणिज्यिक व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए कदम उठाएगा। इसके पश्चात नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड द्वारा संयंत्र में उपयुक्त क्षमता के साथ उत्पादन सुविधाएं स्थापित करने का विचार है।

(ङ) अभी तक किए गए प्रयोगों से पता चलता है कि तरल उर्वरक स्ट्रेट नाइट्रोजिनस उर्वरक की भांति ही अच्छा उर्वरक सिद्ध होगा और यह सूखे क्षेत्रों में उत्तम होगा।

बम्बई हाई और गुजरात में हाल में खुदाई किये गये कुओं में तेल का भन्डार

885. **श्री मोहनलाल पटेल** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में की गई बरपाई में बम्बई हाई और गुजरात के जिन कुओं में तेल मिला है, उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) तेल के इन कुओं से कितनी मात्रा में तेल और गैस प्राप्त होने की सम्भावना है; और

(ग) क्या बम्बई हाई और गुजरात में और अधिक कुओं की बरपाई किये जाने की कोई योजना है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

सम्पूर्ण देश में दूरदर्शन सेवाएं

886. **श्री मोहनलाल पटेल** : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कार्यरत दूरदर्शन केन्द्रों का ब्यौरा क्या है और उनके प्रसारण केन्द्र (रिले केन्द्र) कौन से हैं; और

(ख) क्या सम्पूर्ण देश में दूरदर्शन सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) इस समय दूरदर्शन के ढांचे में 19 ट्रांसमीटर और 11 निर्माण केन्द्र है और यह देश की 17.9% जनसंख्या और 6.5% क्षेत्र को दूरदर्शन सेवा प्रदान करता है। "इनसेट" सहित चालू योजनागत परियोजनाओं के पूरा हो जाने के बाद दूरदर्शन सेवा देश की 33.1% जनसंख्या और 15.5% क्षेत्र को उपलब्ध होगी। दूरदर्शन के विस्तार की योजनाएं संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए और सापेक्ष प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए चरणबद्ध ढंग से तैयार की जाती है। ग्रामीण और शहरी जनसंख्या के कवरेज की सीमा, सीमावर्ती, दूरस्थ और पिछड़े क्षेत्रों को सेवा आदि जैसी विभिन्न बातों को भी ध्यान में रखा जाता है। इसको देखते हुए यह बताना कठिन है कि दूरदर्शन सेवा समूचे देश में कब तक उपलब्ध की जा सकेगी।

विवरण

इस समय भारत में निम्नलिखित दूरदर्शन केन्द्र कार्य कर रहे हैं :

मौजूदा दूरदर्शन केन्द्र	रिले केन्द्र
1. दिल्ली	मसूरी
2. बम्बई	पुणे
3. श्रीनगर	—
4. कलकत्ता	—
5. मद्रास	—
6. लखनऊ	कानपुर
7. जलन्धर	अमृतसर
"साईट" उत्तरवर्ती ट्रांसमीटर	
8. पिंजर	
9. जयपुर	
10. रायपुर	
11. गुलबर्गा	
12. हैदराबाद	
13. सम्बलपुर	
14. मुजफ्फरपुर	
15. बंगलौर (अन्तरिम ढांचा)	

सी० बी० एम० केन्द्र को स्वचालित केन्द्र बनाया जाना

887. प्रो० नारायण चन्द्र पराशर : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा चालू वित्त वर्ष के दौरान जिला मुख्यालयों में सी० बी० एम० केन्द्रों को स्वचालित केन्द्र बनाये जाने का कोई प्राथमिकतावार कार्यक्रम बनाया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे स्थानों के सर्किलवार बहुराज्यीय सर्किल के सामने में राज्य-वार क्या नाम हैं, जहां पर इस कार्य हेतु भूमि का अधिग्रहण किया गया है;

(ग) क्या इन स्थानों पर परियोजना को भी स्वीकृति दे दी गई है;

(घ) यदि हां तो प्रत्येक स्थान पर स्वचालित केन्द्र कब तक स्थापित कर दिये जायेंगे; और

(ङ) यदि नहीं, तो ऐसे स्थानों पर इन परियोजनाओं को कब तक मंजूरी दे दी जायेगी और कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां ।

(ख) से (ङ) अपेक्षित जानकारी प्राप्त की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

विख्यात स्वाधीनता सेनानियों की जीवनियों का प्रकाशन

888. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रकाशन विभाग ने विख्यात स्वाधीनता सेनानियों की जीवनियां प्रकाशित करने का निर्णय किया है ताकि उनके द्वारा स्वाधीनता संघर्ष में दिये गये योगदान को उजागर किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो उन स्वाधीनता सेनानियों के राज्यवार क्या नाम हैं जिनके बारे में उक्त निर्णय किया गया है और उक्त जीवनियों के प्रकाशन में कितना समय लग जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) प्रख्यात स्वतंत्रा सेनानियों की जीवनियां प्रकाशन विभाग द्वारा प्रख्यात नागरिकों की जीवनियों के साथ "आधुनिक भारत के निर्माता" पुस्तकमाला के अन्तर्गत पहले ही प्रकाशित की जा रही हैं । अब तक इस पुस्तकमाला के अन्तर्गत विभिन्न भाषाओं में 103 जीवनियां प्रकाशित की जा चुकी हैं । इसके अलावा, कुछ जीवनियां "भारत के अमर चरित्र" पुस्तकमाला के अन्तर्गत भी प्रकाशित की गई हैं । प्रकाशन के लिए नियोजित जीवनियों का चयन इस ढंग से किया जाता है कि जीवन के सभी क्षेत्रों और देश के सभी भागों की प्रख्यात हस्तियां कवर हो जाएं । प्रख्यात व्यक्ति किस राज्य/क्षेत्र से सम्बन्धित है, इसको कभी भी ध्यान में नहीं रखा जाता । स्वतंत्रता सेनानियों सहित उन प्रख्यात भारतियों, जिनकी जीवनियां प्रकाशित करने की योजना है, के नाम परिशिष्ट में दिये गये हैं । ये जीवनियां प्रकाशन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं और इनको यथा समय रिलीज कर दिया जायेगा ।

ग्रंथालय में रखा गया —देखिए संख्या एल० टी० 4235/82]

हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक टेलीफोन घर

889. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में (जिलेवार) उत्तरी पश्चिमी सर्किल में किन-किन स्थानों के लिए इन स्थानों का तीर्थ स्थान होने के कारण सार्वजनिक टेलीफोन घर स्थापित किये जाने की स्वीकृति के लिए मंडल इंजीनियर (तार) को कैटेगरी स्टेशन स्थान प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये जा चुके हैं: और किन-किन तारीखों को वे प्रस्तुत किये गये हैं;

(ख) क्या इन सभी स्थानों में सार्वजनिक टेलीफोन घर स्थापित करने की स्वीकृति दी जा चुकी है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस देरी के क्या कारण हैं और उन्हें कब तक स्वीकृत किये जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) पिछले एक वर्ष में निम्न तीन स्थानों के लिए तीर्थ स्थान प्रमाण-पत्र प्राप्त हुए हैं अर्थात्

(i) जिला कांगड़ा में थिल

(ii)) जिला हमीरपुर में करोड़

(iii) जिला हमीरपुर में चामुखा

(ख) जी नहीं।

(ग) उक्त तीन स्थानों में से करोड़ में लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन तथा चामुखा में स्थानीय सार्वजनिक टेलीफोन की मंजूरी दे दी गई है। थिल के लिए लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन की मंजूरी नहीं दी जा सकी क्योंकि प्रत्याशित वार्षिक राजस्व वार्षिक आवर्ती व्यय के 10 प्रतिशत से कम था और इसीलिए यह उदारीकृत नीति के अन्तर्गत भी नहीं आ सका।

माफिया सदस्यों की जानकारी प्राप्त होना

890. **श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्राधिकारियों ने लगभग 780 माफिया सदस्यों की जानकारी प्राप्त कर ली है और कार्य के लिए सूची बी० बी० सी० एल० प्राधिकारियों को प्रस्तुत की जा चुकी है;

(ख) यदि हां, तो बी० बी० सी० एल० प्राधिकारियों द्वारा कितने सदस्यों के विरुद्ध मुकदमें चलाये गये और इन मुकदमों के क्या परिणाम निकले;

(ग) बी० बी० सी० एल० प्राधिकारियों द्वारा कितने और माफिया सदस्यों के विरुद्ध मुकदमें चलाये जायेंगे; और

(घ) 780 नामों से युक्त माफिया सदस्यों की सूची, उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्योरा तथा जिन सदस्यों के विरुद्ध अब तक कार्यवाही नहीं की गई है उनका ब्योरा तथा कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कोटा में रेडियो स्टेशन की स्थापना

891. **श्री जय नारायण रोत :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोटा में स्थापित किये जाने वाले प्रस्ताव रेडियो स्टेशन के लिए राजस्थान सरकार ने लगभग आठ एकड़ भूमि देने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार ने क्या निर्णय लिया है;

(ग) स्थल पर वास्तविक कार्य कब तक आरम्भ करने का विचार है; और

(घ) उक्त स्टेशन अनुमानतः किस तिथि तक कार्य करने लगेगा ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (ग) राजस्थान सरकार ने कोटा में रेडियो स्टेशन स्थापित करने के लिए 5.9 एकड़ भूमि आवंटित की है। उस सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह भूमि को उस लागत पर अन्तरित कर दे जिसे वित्तीय सीमाओं और प्रावधानों के अन्दर समजित किया जा सके। आकाशवाणी को स्थान सौंप दिए जाने के बाद सिविल निर्माण कार्यों को यथाशीघ्र हाथ में लिया जायेगा।

(घ) रेडियो स्टेशन के छठी योजना अवधि (1980-85) के दौरान चालू हो जाने की उम्मीद है।

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में अनुसूचित जाति के न्यायाधीशों की नियुक्ति

892. **श्री जयनारायण रोत** : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के उच्चतम न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के कितने स्थान रिक्त पड़े हैं; और

(ख) क्या इन न्यायालयों में अनुसूचित जनजाति के न्यायाधीशों को नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) 1.7.1982 को उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के 4 पद और विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के 89 पद रिक्त थे।

(ख) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्तियां संविधान के सुसंगत उपबन्धों के अनुसार की जाती हैं जिसमें किसी जाति या वर्ग के लिए आरक्षण का उपबंध नहीं है। फिर भी सरकार ने राज्यों के मुख्य मंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधिपतियों को इस बात पर बल देते हुए लिखा है कि यथासंभव अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों और अन्य कमजोर वर्गों को समुचित प्रतिनिधित्व दिया जाए।

गुजरात में टेलीफोन कनेक्शन

893. **श्री रामजी भाई भवाणी : क्या संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में गुजरात में राज्य संचार मंत्री ने यह कहा है कि छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक टेलीफोन कनेक्शन की कोई प्रतीक्षा सूची शेष नहीं रहेगी;

(ख) यदि हां, तो उक्त वक्तव्य का ब्यौरा क्या है;

(ग) उसे पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) 31 मई, 1982 को गुजरात के विभिन्न स्थानों में प्रत्येक श्रेणी की प्रतीक्षा सूची में कितने नाम थे और उन्हें टेलीफोन कब तक मिल जाएगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, नहीं ।

(ख) सभी प्रतीक्षा सूचियों को 7 वीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक निपटाने की बात कही गई है न कि छठी योजना के अन्त तक ।

(ग) वर्तमान प्रतीक्षा सूची के निपटान एवं भविष्य की समस्त मांगों को पूरा करने के लिए योजना तैयार की गई है । आशा है कि उपस्करों के उत्पादन में यथेष्ट मात्रा में वृद्धि होगी और हम इस मांग को पूरा करने में समर्थ होंगे ।

(घ) गुजरात दूरसंचार सर्किल और अहमदाबाद टेलीफोन जिला :

ओवाईटी	विशेष	सामान्य
3518	2428	44011

वर्तमान प्रतीक्षा सूची के अधिकांश आवेदनों को छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक निपटा जाने की आशा है बशर्ते कि उपस्कर और मडार उपलब्ध होता रहे ।

भेल उपकरण के खराब कार्य निष्पादन के कारण "लो प्लांट लोड फैक्टर"

894. **श्री बी० आर० नाहाटा** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि भेल द्वारा निर्मित उपस्करणों के खराब कार्य निष्पादन के कारण विशेषत: विद्युत सप्लाई बन्द रहने की अवधि में वृद्धि होती है जिससे लो पी० एल० एफ० होता है, जैसाकि विभिन्न विद्युत बोर्डों की शिकायत है अथवा रख-रखाव ठीक न होने के कारण लो पी० एल० एफ० और विद्युत सप्लाई बन्द रहने की अवधि में वृद्धि होती है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्ज लि० सामान्यत: बायलर, टर्बाइनें, जेनरेटर, जेनरेटर ट्रांसफार्मर तथा सम्बद्ध आनुषंगिकों की सप्लाई करता है । यह एक विद्युत केन्द्र के लिए कुल उपस्करों का 40-45 प्रतिशत (मूल्य-वार) बैठता है । कोयला हैंडलिंग, राख हैंडलिंग, जल शीतलन प्रणाली तथा नियंत्रण और इन्स्ट्रूमेंटेशन प्रणाली आदि जैसी अन्य प्रणालियां अन्य स्रोतों से प्राप्त की जाती हैं तथा इनका प्रतिष्ठापन राज्य बिजली

बोर्डों द्वारा उनकी अपनी या उनके परामर्शदाताओं की विशिष्ठयों के अनुसार किया जाता है। एक यूनिट का संयंत्र भार अनुपात/क्षमता समुपयोजन भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्ज लि० द्वारा सप्लाई किए गए उपस्करों सहित सभी प्रणालियों के सफलतापूर्वक प्रचालन पर निर्भर करता है। भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्ज लि० द्वारा निर्मित किए गए कुछ उपस्करों में कुछ कमियां हैं जिसके परिणामस्वरूप कम उत्पादन होता है। तथापि, इन कमियों को पूरा करने के लिये किये गये उपायों के परिणामस्वरूप, इन यूनिटों में सुधार हो रहा है। सुरक्षात्मक अनुरक्षण की कमी तथा कुशल प्रचालन कार्मिकों की कमी, घटिया किस्म का कोयला होने के कारण भी ताप विद्युत संयंत्रों के क्षमता समुपयोजन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

विद्युत परियोजनाओं को सप्लाई किए गए कोयले का तापीय मान

895. **श्री बी० आर० नाहाटा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपकरण का डिजाइन निर्धारित करते समय प्रत्येक विद्युत परियोजना को किए जाने वाले कोयले का तापीय मान क्या था; और इन विद्युत परियोजनाओं को किस किस्म का कोयला सप्लाई किया है तथा गत पांच वर्षों के दौरान उनका मान कितना रहा है; और

(ख) विद्युत परियोजनाओं को घटे हुए तापीय मान के कोयले की सप्लाई किए जाने के क्या कारण हैं और उपकरण के डिजाइन के अनुसार तापीय मान का कोयला सप्लाई किए जाने के सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है तथा कब से और उसके क्या परिणाम निकले ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) कोयला विभाग द्वारा गठित स्थायी लिंकेज समिति द्वारा लिंक किए साधनों से उपलब्ध कराए जाने वाले कोयले की प्रत्याशित केलोरिफिक क्षमता को ध्यान में रखकर विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों के अन्तर्गत ताप विद्युत परियोजनाएं तैयार की जाती हैं। अधिकतम सतत रेटिंग के लिए स्वदेशी तौर पर सप्लाई किए गए वायलरों (बी० एच० ई० एल०) के लिए सकल केलोरीफिक क्षमता कोयले की गुणवत्ता 3600-4000 के० सी० ए० एल०/किलोग्राम के बीच होती है। कुछ छोटे तथा आयातित सेटों के लिए लगभग 5000 के० सी० ए० एल०/किलोग्राम की सकल केलोरीफिक क्षमता के कोयले की आवश्यकता होती है। विभिन्न ताप विद्युत केन्द्रों को सप्लाई किए जा रहे कोयले की गुणवत्ता समय-समय पर बहुत भिन्न होती है और पिछले पांच वर्षों के दौरान यह गुणवत्ता 2000 के० सी० ए० एल०/किलोग्राम 5500 के० सी० ए० एल०/किलोग्राम के बीच रही है।

(ख) सलेटी पत्थर, पत्थरों आदि के रहित ठीक आकार के कोयले की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए ओपन कास्ट कोयला खानों पर कोयला हैण्डलिंग संयंत्रों/स्क्रीनिंग संयंत्रों/पिकिंग बेल्टों/क्रशरों के प्रतिष्ठान, भूल चूक करने वाली कोयला खानों पर प्रतिनिधियों को तैनात करने जैसे विभिन्न कदम उठाये गए/उठाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, ताप विद्युत केन्द्रों को धुले हुए कोयले की सप्लाई हेतु नोन-कोकिंग कोयले के परिष्करण का अध्ययन किया जा रहा है। ऊर्जा और रेल मंत्रालय द्वारा ताप विद्युत केन्द्रों को सप्लाई किए गए कोयले की गुणवत्ता की लगातार मानीटरिंग की जाती है।

बम्बई में गैर सरकारी दूरदर्शन स्टेशन

896. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बम्बई में ऐसा भी कोई दूरदर्शन स्टेशन है जो गैर सरकारी है तथा जिसको गैर सरकारी तौर पर चलाया जाता है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे गैर सरकारी दूरदर्शन स्टेशन के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है; और यदि हां, तो किस प्रकार की; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) के अनुसार सवाल नहीं पैदा होता।

विज्ञापन नीति

897. **श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र में नई सरकार की स्थापना के पश्चात से विज्ञापन नीति में परिवर्तन हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरे क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) जी, हां। संशोधित विज्ञापन नीति, जो 1-10-1980 से लागू हुई, से निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं :

1. पात्रता का मानदण्ड :

लघु और मझोले समाचार-पत्रों के लिए निम्नलिखित छूट दी गई :

(क) न्यूनतम बिक्रीत प्रसार संख्या 2000 प्रतियों से घटाकर 1000 प्रतियां कर दी गई।

(ख) निरन्तर प्रकाशन की अवधि 6 मास से घटाकर 4 मास कर दी गई।

(ग) मुद्रित क्षेत्र निम्नानुसार कम कर दिया गया :

(1) दैनिकों के लिये—1260 से 760 मानक कालम सेंटीमीटर।

(2) साप्ताहिकों और पाक्षिकों के लिये—720 से 480 मानक कालम सेंटीमीटर।

(3) मासिक और अन्य प्रकाशन—1200 से 960 मानक कालम सेंटीमीटर।

2. विज्ञापन दरें :

भाषायी समाचार-पत्रों की विज्ञापन दरें प्रसार संख्या की समान परिधि में आने वाले अंग्रेजी समाचार-पत्रों के बराबर कर दी गई है ।

3. उत्तरवर्ती संशोधन :

1-10-1980 के बाद निम्नलिखित परिवर्तन किए गए :

(1) पिछड़े, सीमावर्ती और दूरस्थ क्षेत्रों से प्रकाशित होने वाले समाचार-पत्रों/नियतकालिक पत्रों पर लागू होने वाले पात्रता मानदंडों के रूप में 500 प्रतियों की विक्रीत प्रसार संख्या जम्मू व कश्मीर राज्य से प्रकाशित होने वाले समाचार-पत्रों/नियतकालिक पत्रों पर भी लागू होगी ।

(2) 2000 प्रतियों तक की विक्रीत प्रसार संख्या वाले समाचार-पत्रों/पत्रिकाओं को अपने प्रसार संख्या के दावों के समर्थन में चार्टर्ड लेखाकार का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने से छूट होगी ।

(3) निर्माण लागत में सामान्य वृद्धि को देखते हुए, 1-10-1981 से विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय की दरों में 20% की वृद्धि की गई ।

शाखा डाकघर खोलना

898. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष 1981-82 और चालू वित्तीय वर्ष (अद्यतन) के दौरान अलग-अलग सर्किलवार (मल्टी स्टेट सर्किलों के लिए राज्यवार) देश में कितने शाखा डाकघर (एक) मंजूर किए गए (दो) खोले ग ;

(ख) क्या वर्ष 1982-83 के लिए प्रत्येक सर्किल राज्य का कोटा अथवा निर्धारित संख्या के रूप में कोई लक्ष्य भी निर्धारित किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) स्वीकृति के लिए और खोले जाने के लिए विचाराधीन ऐसे प्रस्तावों की राज्यवार पृथक-पृथक संख्या क्या है, जो इसलिए वर्ष 1981-82 में खोले नहीं ज' सके क्योंकि वे प्रत्येक राज्य के लिए आवंटित कोटे से अधिक थे ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जानकारी एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) जी हां ।

(ग) वार्षिक योजना 1982-83 के अन्तर्गत देश में सर्किल-वार खोले जाने वाले प्रस्तावित ग्रामीण डाकघरों की संख्या संलग्न विवरण विवरण में दी गई है ।

(घ) जानकारी एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

विवरण

वार्षिक योजना 1982-83 के अन्तर्गत देश में सर्किलवार खोले जाने वाले प्रस्तावित ग्रामीण डाकघरों की संख्या :

सर्किल का नाम	वार्षिक योजना 1982-83 के अन्तर्गत खोले जाने वाले प्रस्तावित ग्रामीण डाकघरों की संख्या
1. आन्ध्र	45
2. बिहार	110
3. दिल्ली	03
4. गुजरात	45
5. जम्मू एवं कश्मीर	25
6. केरल	15
7. कर्नाटक	50
8. मध्य-प्रदेश	100
9. महाराष्ट्र	80
10. उत्तर-पूर्वी	85
11. उत्तर-पश्चिमी	42
12. उड़ीसा	40
13. राजस्थान	55
14. तमिलनाडु	40
15. उत्तर-प्रदेश	160
16. पश्चिम-बंगाल	55
17. आरक्षित रखे गए	50
	योग 1,000

बम्बई हाई में उत्पादन लक्ष्य

899. **श्री रामसिंह शाक्य** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल व प्राकृतिक गैस आयोग वर्ष 1981-82 के दौरान बम्बई हाई में उत्पाद लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाया; और

(ख) यदि हां तो क्या उक्त कमी के कारणों की जांच कर ली गई है तथा बम्बई हाई में उत्पादन बढ़ाने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) जी हां।

(ख) वर्ष 1981-82 के दौरान अशोधित तेल के उत्पादन में हुई मामूली कमी, जैक अप रिग की देर से प्राप्ति, थोड़ी अवधि के लिये कुछ प्रचालन कठिनाइयों जिनका टैंकरों के लदान पर प्रभाव पड़ा था तथा अशोधित तेल की किस्म में तीक्ष्ण परन्तु अस्थायी परिवर्तन जिसके कारण शोधनशालाओं द्वारा अशोधित तेल की अस्थायी तौर पर कम खरीद के कारण हुई।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने बम्बई हाई तथा संरचना क्षेत्रों से उत्पादन बढ़ाने की एक योजना तैयार की है ।

आंध्र प्रदेश के लिए फिल्म सेंसर बोर्ड

900. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के लिए एक फिल्म सेंसर बोर्ड का गठन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : (क) और (ख) फिल्म सेंसर बोर्ड के तीन प्रादेशिक कार्यालय हैं, जो बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में हैं। बोर्ड के और प्रादेशिक कार्यालय स्थापित करने प्रस्ताव को योजना में शामिल किया गया है। नये प्रादेशिक कार्यालय बंगलौर, नई दिल्ली, त्रिवेन्द्रम और हैदराबाद में होंगे। प्रस्ताव को संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए यथा समय कार्यान्वित किया जायेगा।

दामोदर घाटी निगम के चेयरमैन द्वारा प्रेस वक्तव्य दिया जाना

901. **श्री सुनीस मैत्रा** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दामोदर घाटी निगम के चेयरमैन के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है जिससे अपनी बात कहने के लिए केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री से अनुरोध करने के बजाय प्रेस में वक्तव्य दिया और पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री की टिप्पणियों को "राजनीति से प्रेरित" बताया ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : अध्यक्ष, दामोदर घाटी निगम को सलाह दी गई है कि वे समाचार पत्रों को ऐसी टिप्पणी न दें जो सिविल कर्मचारियों के कार्य और कर्त्तव्य के अनुरूप नहीं हैं ।

मुख्य न्यायाधिपति और अन्य न्यायाधीशों की राज्य के बाहर से नियुक्ति की सिफारिशें

902. **श्री राजेश कुमार सिंह : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इस सर्वसम्मत सिफारिश को लागू करने का है कि किसी उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधिपति और कम से कम एक तिहाई न्यायाधीश राज्य के बाहर के होने चाहिए;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह प्रस्ताव कब से लागू किए जाने की सम्भावना है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) से (ग) उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को बाहर से लाने सम्बन्धी नीति के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है । यह बताना सम्भव नहीं है कि इस सम्बन्ध में कोई निर्णय कब तक कर लिया जाएगा ।

उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के रिक्त पद

903. **श्री राजेश कुमार सिंह :**

श्री एन० डेनिस :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के प्रत्येक उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के कितने पद खाली हैं;

(ख) ये पद कब से खाली पड़े हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार इन सभी पदों को भरने का है और यदि हां, तो ये सब पद कब तक भर लिए जायेंगे ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) से (ग) 1-7-1982 की उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के चार पद रिक्त थे । दो पद क्रमश: 1-1-1982 और 7-3-1982 को रिक्त हुए थे जब उन पदों पर कार्य करने वाले न्यायाधीश सेवा निवृत्त हुए थे । शेष दो रिक्त पद किसी तारीख विशेष से संबद्ध नहीं कहे जा सकते हैं क्योंकि किसी भी समय पर भारत के मुख्य न्यायाधिपति सहित 16 न्यायाधीशों से अधिक न्यायाधीश अपने पदों पर कार्य नहीं कर रहे थे । उच्चतम न्यायालय में रिक्त स्थानों के भरे जाने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है ।

1-7-1982 को उच्च न्यायालयों में न्यायाधीओं के 89 पद भरे जाने थे। उच्च न्यायालय-वार उनका ब्योरा और वे तरीके जिनसे वे पद रिक्त हुए थे, संलग्न विवरण में बताई गई है।

[ग्रंथालय में रखा गया --देखिए संख्या एल० टी० 4276/82]

उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के रिक्त स्थानों को भरने के लिए, अधिकांश मामलों में राज्य प्राधिकारियों से पूर्ण रूप से सुनिश्चित प्रस्ताव अभी प्राप्त होने है। इनके सम्बन्ध में उन्हें अनुस्मरण पत्र बराबर भेजे जा रहे हैं। मुख्य मंत्रियों और मुख्य न्यायाधिपतियों से जोर देकर यह कहा गया है कि उन पदों को जिनके रिक्त होने की सम्भावना है, भरने के लिए अग्रिम कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

यह बताना सम्भव नही है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में विद्यमान रिक्त पद कब तक भरे जायेंगे।

ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए विश्व बैंक द्वारा पेशकश किया गया ऋण प्राप्त करना

904. **श्री सुनील भट्टाचार्य** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका विभाग 14 राज्यों में ग्रामीण विद्युत कार्यक्रमों के लिए हाल ही में विश्व बैंक का पेशकश किया गया ऋण प्राप्त करेगा;

(ख) यदि हां, तो ऐसे ऋणों की शर्तें क्या हैं; और

(ग) इसका उपभोक्ताओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हां। देश में ग्रामीण विद्युतीकरण के विस्तार और सुधार के लिए अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (आई० बी० आर० डी०) ने हाल ही में हुए समझौते के आधार पर भारत सरकार को 304.5 मिलियन डालर ऋण देने के लिए स्वीकृति दे दी है।

(ख) उपरोक्त ऋण में से लिए गए तथा समय-समय पर बकाया मूलधन पर 11/3/5 प्रतिशत ब्याज प्रति वर्ष है तथा न लिए गए ऋण के मूलधन पर समय-समय पर बचनबद्धता प्रभार $\frac{3}{4}$ प्रतिशत है। इस ऋण का भुगतान छः-छः महीनों की किश्तों में होगा जो 1 जनवरी, 1988 से शुरू होगी तथा 1 जुलाई, 2002 को समाप्त होगी।

(ग) आई० बी० आर० डी० द्वारा उपलब्ध कराया जाने वाला ऋण मुख्य रूप से विभिन्न राज्यों में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों में उपयोग में लायी जाने वाली सामग्री उपलब्ध कराए जाने के लिए है और इससे उपभोक्ताओं पर प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है।

विवाहों का रजिस्ट्रीकरण

905. **श्री डी० एम० पुत्तेगौडा** :

श्री एच० एन० नन्जेगौडा :

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने केन्द्र से सिफारिश की है कि इस संघ राज्य क्षेत्र में होने वाले सभी विवाहों का सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकरण होना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली प्रशासन ने दहेज की बुराई को रोकने के लिए ऐसी सिफारिश की है; और

(ग) यदि हां, तो सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और यह सिफारिश कब तक लागू की जायेंगी ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) से (ग) नवम्बर, 1976 में दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली विवाह रजिस्ट्रीकरण, विधेयक, 1976 नामक एक विधेयक केन्द्रीय सरकार के पास आगे कार्रवाई के लिए भेजा था। इस विधेयक में रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारियों की नियुक्ति, संघ राज्य क्षेत्र में अनुष्ठापित विवाहों के रजिस्ट्रीकरण, रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन से सम्बन्धित विषय, रजिस्ट्रीकरण फीस, रजिस्ट्रीकरण न कराने के लिए शास्ति और अन्य सम्बन्धित विषयों के बारे में उपबन्ध थे। दिल्ली प्रशासन ने इस विधेयक की सिफारिश दहेज की कुप्रथा को रोकने के लिए नहीं की थी। विधेयक से संलग्न उद्देश्यों और कारणों के कथन में उस विवाह फीस का, जो दिल्ली प्रशासन को प्राप्त होगी तथा विभिन्न सामाजिक योजनायें विशेषरूप से आवास योजनायें तैयार करने के प्रयोजन के लिए उन व्यक्तियों के जो विवाह करते हैं, जीवन-मरण सम्बन्धी आंकड़ों की उपयोगिता का उल्लेख है। इस विधेयक पर पृथक रूप से कोई कार्रवाई नहीं की गई क्योंकि उस समय केन्द्रीय सरकार विवाहों के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण के लिए अखिल भारतीय विधान के एक प्रस्ताव पर विचार कर रही थी। अखिल भारतीय विधान के प्रस्ताव पर राज्य सरकारों से परामर्श करके और राज्य सरकारों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को, देश में व्याप्त साधारण निरक्षरता और अन्य विशेष समस्याओं को जो विवाह विधियों के सम्बन्ध में उठेंगी तथा जनजाति क्षेत्रों में और अल्पसंख्यक समुदायों की रूढ़ियों को ध्यान में रख कर विचार किया गया था। केन्द्रीय सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची कि ऐसा कोई विधान प्रभावी रूप से क्रियान्वित नहीं किया जा सकेगा।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : मैंने इंडियन आयल कारपोरेशन के मामले पर श्री बंसीलाल के विरुद्ध विशेषाधिकार भंग की सूचना दी थी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देखिए, मुझे इस विषय पर कई सूचनायें प्राप्त हुई हैं। मैं इन सभी को देख रहा हूं और फिर उन पर निर्णय लूंगा।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : विपक्षी दलों के अनेक नेताओं ने पहले ही आपको इस बारे में पत्र लिखे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं इन सब पर विचार कर रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने वह पत्र पढ़ा है। उस पर विचार हो रहा है

प्रो० मधु दण्डवते : हमने पहले ही आपको लिखा है कि आप इस मामले को लें। हमने तो केवल रिकार्ड ही मांगा है।

अध्यक्ष महोदय : मैं हर मामले को देख रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप घबड़ाते क्यों हैं ? आप एक अनुभवी सदस्य हैं। आप ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं ?

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : इण्डियन एक्सप्रेस में जो भी धन है, उसके सम्बन्ध में मैंने श्री अरुण शोरी के विरुद्ध एक विशेषाधिकार की सूचना दी है। यह विशेषाधिकार भंग और सभा के अवमान का मामला है।

अध्यक्ष महोदय : यह मेरे विचाराधीन है।

प्रो० के० के० तिवारी : यह विशेषाधिकार भंग का और सदन की मर्यादा भंग का एक गम्भीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी जांच कर रहा हूं।

(व्यवधान)

डा० कृपा सिन्धु भोई (सम्बलपुर) : मैंने उड़ीसा में आये भीषण सूखे के बारे में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है।

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर विचार करेंगे।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान स्पिनिंग ऐंड वीविंग मिल में तालाबन्दी कर दी गई है···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह राज्य का विषय है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं दी जाती है।

(व्यवधान)**

श्री सी० टी० दण्डपाणि (पोल्लाची) : यह एक बहुत बड़ा घोटाला है। यह 60 करोड़ रु० का मामला है। देश के सम्मान और अखण्डता को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में बेचा जा रहा है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह राज्य का मामला है। मैं इस पर विचार करूंगा।

(व्यवधान)

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री सी० टी० दण्डपाणि : इससे केन्द्रीय सरकार का भी वास्ता है, क्योंकि यह मामला नौवहन विकास निधि समिति के पास है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी अनुमति के बिना क्यों बोल रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री सी० टी० दण्डपाणि : तमिलनाडु सरकार बल्गेरिया से···प्राप्त करने की कोशिश कर रही है···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मुझसे मिलें । अगर यह ठीक हुआ तो मैं इस पर विचार करूंगा ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, इसकी अनुमति नहीं है ।

श्री सी० टी० दण्डपाणि : मुझे आशा है कि आप इस पर कम से कम एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्वीकार करेंगे ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप आइये, मैं देखूंगा ।

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, पब्लिक अण्डरटेकिंग्ज कमेटी की इण्डियन आयल के सम्बन्ध में जो 47वीं रिपोर्ट है उसके मिनिट्स अभी तक नहीं दिए गए हैं । आप वह दिलवाईये और इस पर डिस्कशन करवाइये ।

अध्यक्ष महोदय : यह मामला मेरे सामने है ।

श्री रामविलास पासवान : जब कोई रिपोर्ट पेश होती है तो उसके मिनिट्स (व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : श्री रामविलास, जब मैं कह रहा हूं कि यह मामला मेरे विचाराधीन है तो आप एतबार क्यों नहीं करते ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है ।

श्री के० मायातेवर (डिन्डिगल) : दिल्ली की जनता के लिए पीने का पानी नहीं है । उन्हें नहाने, शौच आदि के लिए पानी नहीं मिल रहा है···

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री जी इसको देख लेंगे ।

श्री के० मायातेवर : लोगों को परेशानी हो रही है । यह एक महत्वपूर्ण मामला है । पानी के बिना हम जिन्दा नहीं रह सकते । हम कार्यालय नहीं आ सकते ।

अध्यक्ष महोदय : आपकी बात नोट कर ली गयी है ।

श्री के० मायातेवर : पानी के बिना हम जिन्दा नहीं रह सकते । खासकर नार्थ और साऊथ ऐवन्यू में पानी नहीं है । गुरुद्वारा रकाबगंज रोड के संसद सदस्यों के मकानों में पानी नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : आप बार-बार क्यों कह रहे हैं ? आपकी बात नोट कर ली गयी है। मैंने पहले ही उन्हें कहा है कि वह इस मामले की जांच कर देखें।

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : अध्यक्ष महोदय, मैंने···

अध्यक्ष महोदय : मैं एक-एक करके ही सुन सकता हूं। आपका मौका भी आ जायेगा, न कहीं आप जा रहे हैं न मैं जा रहा हूं।

श्री हरिकेश बहादुर।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति की 47वें प्रतिवेदन के कार्यवाही सारांश को सभा पटल पर नहीं रखा गया। जब सभा पटल पर प्रतिवेदन रखा जाता है तो साथ ही इसके कार्यवाही-सारांश भी रखे जाते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह पहले ही मेरे विचाराधीन है। कृपया बैठ जाइये। मैंने कह दिया है कि मेरे पास है।

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा आश्वासन देने के बावजूद मण्डल कमीशन की रिपोर्ट पर डिस्कशन नहीं हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय : आप गलत बात क्यों करते हैं। आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हमने कार्यमंत्रणा समिति में फैसला किया है कि हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। आप बार-बार क्यों उठा रहे हैं।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है। मैंने अनुमति नहीं दी है। हां, श्री पंडित ?

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री नाडार, कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री नाडार को अनुमति नहीं दी गई है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

डा० बसन्त कुमार पंडित (राजगढ़) : छः हजार छात्रों को प्रवेश नहीं दिया गया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने नियम 377 के अधीन मामलों की अनुमति दी है।

श्री रामावतार शास्त्री : यही बात मैं भी कहना चाहता था कि जहां तक हमारे बिहार का सम्बन्ध है, ऐसे 300 स्टूडेन्ट्स बैठे हुए हैं टेन प्लस टू प्लस थ्री के, उनके प्रवेश के लिए शीघ्र कोई उपाय किया जाना चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : मैंने मन्त्री महोदय श्री पी० सी० सेठी के विरुद्ध एक निन्दा प्रस्ताव की सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : वह मेरे विचाराधीन है।

श्री जगपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न आपके पास भेजा हुआ है लेकिन आपने अभी तक कोई ऐक्शन नहीं लिया है। (व्यवधान) मैं 23 तारीख को वहां डी० एस० पी० से जब मिलने जा रहा था··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप यह गरम किस पर हो रहे हैं ? आपने अभी दिया है, इसको भी मैं देखूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने अभी दिया है।

श्री जयपाल सिंह (हरिद्वार) : कल दिया था।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। मुझे इसका विश्लेषण करने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री जयपाल सिंह : हम लोगों और कांग्रेस (आई) के हरिजन सांसदों के साथ कई बार ऐसा हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : प्रिवलेज मोशन दिया है। समिति उनके मामले पर कार्यवाही कर रही है। यह क्या है ?···

(व्यवधान)

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष जी, इनके साथ जो घटना घटी है, इसको आप देख लीजिए। इसकी घटनायें आए दिन एम० पीज के साथ हो रही हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप हमेशा व्यवधान डालने की कोशिश करते हैं।

श्री शिव प्रसाद साहू (रांची) : अध्यक्ष जी, हम लोगों ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आप लोगों के समक्ष पेश किया है। बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश में भयंकर अकाल पड़ा हुआ है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको बताया है कि बाद में डिसकशन होगा। यह समय नहीं है। इसकी अनुमति नहीं दी जाती है।

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

यह बात बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आ चुकी है, उसमें तय हो चुका है। आपको पता है या नहीं, आप पता कर लीजिए। फिर आकर बात करिए।

श्री कृष्ण प्रकाश तिवारी (इलाहाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी वही सवाल है। आपको ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है कि समूचे उत्तर भारत में अभूतपूर्व सूखा पड़ा हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने अभी बताया है। फिर आपको बताऊं। बारी-बारी सब पूछेंगे, तो कैसे बताऊंगा। आपको मालूम होना चाहिए कि हमने क्या निर्णय किया है। हमें इस विषय पर बाद में चर्चा करनी है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : उस दिन प्रो० के० के० तिवारी ने पश्चिमी बंगाल में चुनाव का प्रश्न उठाया था। तथा समाचार-पत्रों में यह खबर छपी है कि आपने उस पर चर्चा करने का आश्वासन दिया है मेरा प्रश्न यह है कि कौन से नियम के अन्तर्गत आपने अनुमति दी है ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहां कहा है ?

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : समाचार-पत्रों में ऐसा छपा है।

अध्यक्ष महोदय : आप हियर-से पर विश्वास मत किया कीजिए।

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : आपने मुझे आश्वासन दिया है'' (**व्यवधान**)।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको जो आश्वासन दिया है वह यह कि हम चुनाव सुधारों तथा दल बदल पर वाद-विवाद करने जा रहे हैं और उसी में सब कुछ आ जायेगा। मैंने आपको यह आश्वासन दिया है।

(**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं दी गयी मैंने श्री जाटिया को अनुमति नहीं दी।

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : अध्यक्ष महोदय राजस्थान में हजारों बिजली कर्मचारियों को जेलों में बन्द कर दिया गया है और सरकार उनकी बातों पर विचार करने के लिए तैयार नहीं है।''

अध्यक्ष महोदय : यह राज्य का विषय है। अनुमति नहीं दी जाती।

श्री एम० एम० लारेंस (इडुक्की) : हमने कर्नाटक सरकार द्वारा अपनायी जा रही भाषा नीति के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है'''

अध्यक्ष महोदय : यह राज्य का विषय है।

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, बहुत गम्भीर मामला है। सिविल एविएशन मिनस्टर के प्राइवेट सैक्रेटरी कस्टम द्वारा पकड़े गए हैं।

**कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : पकड़ा गया है, तो पकड़ा गया है।

मैं व्यक्तिगत मामलों को नहीं ले रहा हूं। उस पर कानून के अनुसार कार्यवाही लागू की जायेगी।

श्री के० मायातेवर : मेरी मांग का क्या हुआ दिल्ली में पानी नहीं है विशेष रूप से नोर्थ एवेन्यू तथा साउथ एवेन्यू में संसद सदस्यों के फ्लेटों में···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप बड़े सन्तोषी जीव हैं। भीष्म जी, ये बहुत सन्तोषी हैं, सिर्फ पानी मांगते हैं।

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : अच्छे-अच्छे पानी मांग रहे हैं।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामिनाथन्) : मैं राव वीरेन्द्र सिंह की ओर से निम्न पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—भाग दो (प्रशासन तथा वित्त)।

(2) उपर्युक्त प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 4162/82]

भारतीय तार यंत्र (दूसरा संशोधन) नियम, 1982

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

भारतीय तार-यंत्र अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अन्तर्गत भारतीय तार-यंत्र (दूसरा संशोधन) नियम, 1982 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 24 अप्रैल, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 352(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल० टी० 4163/82]

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत अधिसूचनायें, कृषि-उद्योग निगम लिमिटेड, बंगलोर के वर्ष 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन, उसकी सरकार द्वारा समीक्षा तथा विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामिनाथन्) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 284(अ) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 31 मार्च, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, जिसमें विभिन्न राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों तथा वस्तु बोर्डों को 1 फरवरी, 1982 से 31 जुलाई, 1982 तक की अवधि के दौरान स्वदेशी विनिर्माताओं द्वारा उर्वरकों की सप्लाई सम्बन्धी आदेश हैं ।

[ग्रन्थालय में रखी गयी—देखिए संख्या एल० टी० 4164/82]

(2) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 63 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) नागालैण्ड वन्य जीव (सौदे तथा टैक्सीडर्मी), नियम, 1982, जो दिनांक 20 अप्रैल, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 325(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) नागालैण्ड वन्य जीव (स्टाक की घोषणा) नियम, 1982, जो दिनांक 20 अप्रैल, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 326(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रन्थालय में रखे गये—देखिए संख्या एल० टी० 4165/82]

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों को एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) कर्नाटक कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, बंगलोर के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) कर्नाटक कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, बंगलोर के वर्ष 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल० टी० 4166/82]

सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम 1944, तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत अधिसूचनायें

वित्त मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा

नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण) :

(एक) सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क वापसी (द्वितीय संशोधन) नियम, 1982, जो दिनांक 30 अप्रैल, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सख्या सा० का० नि० 364(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क वापसी (तीसरा संशोधन) नियम, 1982, जो दिनांक 5 मई, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 368(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए सख्या एल० टी० 4167/82]

(2) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) सा० का० नि० 415(अ), जो दिनांक 18 मई, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा कतिपय विनिर्देश वाले मिश्र-धातु की इस्पात शलाकाओं या छडों पर, जब उनका आयात अन्तर्दहन इंजनों के विनिर्माण के लिए भारत में किया जाता है, उन पर उदग्रहणीय सीमा-शुल्क के, उतने भाग से छूट देते हैं, जितना मूल्य के 60 प्रतिशत से अधिक है ।

(दो) सा० का० नि० 424 (अ) तथा 425 (अ), जो दिनांक 26 मई, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो लैड कांच नलिका और शलाकाओं को विद्युत लैंपों और जाज्वल्यमान ट्यूबों के लिए संघटकों के विनिर्माण के लिए मूल सीमा-शुल्क में उतने भाग से छूट देती है, जो मूल्यानुसार 25 प्रतिशत से अधिक है, तथा उन पर लगने वाले समस्त उपसंगी सीमा-शुल्क से छूट के बारे में है ।

(तीन) सा० का० नि० 426(अ), जो दिनांक 27 मई, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा दिनांक 30 दिसम्बर, 1978 की अधिसूचना संख्या 240-सीमा-शुल्क में कतिपय संशोधन किये गये हैं ताकि इलेक्ट्रोनिक विभाग को डिजिटल डिजीएन और ऐसी ही संयोजक किस्म की घड़ियों के पुर्जों के आयात के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत किया जा सके ।

(चार) सा० का नि० 449(अ), जो दिनांक 7 जून, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 27 नवम्बर, 1980 की अधिसूचना संख्या 231-सीमा-शुल्क में और संशोधन किये गये हैं ताकि बी० एच० ई० एल० की सम्बन्धित यूनिटों के महाप्रबन्धकों को किसी वस्तु को सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम के शीर्ष 85.01 (1) के अन्तर्गत आने वाली किन्हीं वस्तुओं के संयोजन या निर्माण, प्रारम्भिक स्थापना के लिये अपेक्षित पुर्जों पर रियायती सीमा-शुल्क का लाभ उठाने हेतु प्रमाण-पत्र जारी करने के लिये प्राधिकृत किया जा सके ।

(पांच) सा० का० नि० 456(अ), जो 18 जून, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 19 अगस्त, 1980 को अधिसूचना संख्या 166-सी० शु०, में आगे संशोधन किया गया है जिससे कि कोकिंग कोयले पर सीमा-शुल्क से छूट की वैधता की अवधि को 30 जून, 1983 तक बढ़ाया जा सके।

(छः) सा० का० नि० 467(अ), जो 23 जून 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 1 अप्रैल, 1980 की अधिसूचना संख्या 68-सी० शु० में आगे संशोधन किया गया है जिससे कि शीर्षक संख्या 39.01/06 के अन्तर्गत आने वाले नाइलोन गट्टों पर रियायती सीमा-शुल्क लागू किया सके।

(सात) सा० का० नि० 471(अ), जो 25 जून, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा अपरिष्कृत सोडियम बोरेट को 40 प्रतिशत मूल्यानुसार से अधिक मूल सीमा-शुल्क से और उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण अतिरिक्त सीमा-शुल्क से छूट दी गई है।

(आठ) सा० का० नि० 473(अ), जो 28 जून, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 23 जुलाई, 1980 की अधिसूचना संख्या 149-सी० शु० में आगे संशोधन किया गया है, जिससे कि फोटो कैमरों के हिस्सों पर रियायती सीमा-शुल्क की वैधता की अवधि को 30 जून, 1983 तक बढ़ाया जा सके।

(नौ) सा० का० नि० 474(अ) और 475(अ), जो 28 जून, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा तेल की अपतट खोज अथवा उसके विद्रोहन के सम्बन्ध में प्रायात की गई कतिपय विनिर्दिष्ट वस्तुओं को, उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण मूल, अतिरिक्त और उपसंगी सीमा-शुल्क से छूट दी गई है।

(दस) सा० का० नि० 479(अ), जो 29 जून, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 14 अक्तूबर, 1980 की अधिसूचना संख्या 201-सी० शु० में आगे संशोधन किया गया है, जिससे कि विदेशों में लगने वाली प्रदर्शनियों में स्वर्णाभूषणों और वस्तुओं की बिक्री की योजना के अन्तर्गत आयात किये गये स्वर्ण पर सीमा शुल्क की छूट को लागू किया जा सके।

(ग्यारह) सा० का० नि० 483(अ), जो 1 जुलाई, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जो विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में, अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्रा में संपरिवर्तन की विनिमय दरों के बारे में है।

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल० टी० 4168/82]

(3) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) सा० का० नि० 453(अ), जो 11 जून, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो मई-सितम्बर, 1982 के दौरान चीनी के अतिरिक्त उत्पादन के लिए केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क रिबेट योजना के बारे में है।

(दो) सा० का० नि० 463(अ), जो 22 जून, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 28 फरवरी, 1982 की अधिसूचना संख्या 104/82-के० उ० शु० में संशोधन किए गए हैं।

(तीन) सा० का० नि० 480(अ), जो 30 जून, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो लोहे की चादरों, छड़ों, शलाकाओं और कोणों से विनिर्मित पशु चालित यानों को, जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की पहली अनुसूची की मद संख्या 68 के अधीन आते हैं, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क की अदायगी से छूट देने के बारे में हैं।

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल० टी० 4169/82]

राज्य-सभा से संदेश

सचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेश की सूचना सभा को देनी है

'मुझे लोक सभा को यह सूचना देने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने आज 9 जुलाई 1982 को हुई अपनी बैठक में भारतीय पशुचिकित्सा परिषद, विधेयक 1981 सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में, निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया है :

"कि भारतीय पशुचिकित्सा परिषद विधेयक, 1981 सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने का समय राज्य सभा के 125वें सत्र के अन्तिम सप्ताह के प्रथम दिन तक बढ़ाया जाये"

रेल अभिसमय समिति

पांचवां प्रतिवेदन

श्री डूमर लाल बैठा (अररिया) : मैं पांचवी योजना अवधि (1974-78) और 1978-80 के दौरान रेलों के कार्यकरण और वित्तीय परिणामों की समीक्षा' और 'पांचवीं योजना अवधि (1974-78) और 1978-80 के दौरान माड़े और यात्री यातायात सम्बन्धी लक्ष्यों और उपलब्धियों' के बारे में रेल अभिसमय समिति का पांचवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना

बम्बई के अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एयर इंडिया के एक बोइंग विमान का हाल में दुर्घटनाग्रस्त होना

श्री चन्द्रपाल शैलानी (हाथरस) : अध्यक्ष महोदय, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न-लिखित विषय की ओर पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्री जी का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :

"बम्बई के अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एअर इंडिया के एक बोइंग विमान के हाल में दुर्घटनाग्रस्त हो जाने और उसके परिणामस्वरूप लगभग 20 व्यक्तियों की मृत्यु होने के समाचार।"

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : मुझे बड़े खेद के साथ इस सदन को 22 जून, 1982 को हुई एयर इंडिया के बोइंग 707 विमान की उस दुखःद दुर्घटना के बारे में सूचित करना पड़ रहा है जिसमें दो केबिन कार्मिकों सहित 17 व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा 25 व्यक्ति घायल हुए जिन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। यह अभागा बोइंग 707 विमान वी० टी०-डी० जे० जे० 99 यात्रियों तथा कर्मीदल के 12 सदस्यों के साथ सिंगापुर से बम्बई के लिए कुआलालम्पुर यथा मद्रास होते हुए अपनी अनुसूचित उड़ान ए० आई०-403 का परिचालन कर रहा था। 99 यात्रियों में से, 38 सिंगापुर में, 6 कुआलालम्पुर में तथा 55 मद्रास में विमान में सवार हुए थे।

विमान बंबई हवाई अड्डे पर धावनपथ 27 पर अवतरण करने के लिए आई० एल० एस० एप्रोच कर रहा था तथा धावनपथ 09 के प्रवेशाद्वार (थ्रेशोल्ड) के उत्तर-पश्चिम में ध्वस्त हुआ पाया गया। विमान के कुछ उपकरण दूर-दूर बिखरे पाए गए। विमान पूरी तरह से नष्ट हो गया। दुर्घटना 22 जून, 1982 को भारतीय समय के अनुसार लगभग 0434 बजे हुई।

बोइंग 707 विमान (गौरीशंकर) का निर्माण 1960 में किया गया था यथा इसे 21 फरवरी, 1960 को पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी किया गया जिसमें एयर इंडिया को इसका स्वामी दर्शाया गया। दुर्घटना के समय, विमान के पास चालू-उड़न योग्यता प्रमाण-पत्र था।

अधिग्रहण किए जाने के पश्चात्, विमान ने लगभग 66,077.48 घंटे की उड़ान भरी थी। इसकी अन्तिम बड़ी जांच 3 अप्रैल, 1982 को उस समय की गई थी जब इसने 65,601 घंटे पूरे कर लिए थे। दुर्घटना होने से पूर्व इसकी बड़ी जांच के पश्चात्, इसने लगभग 476 घंटे की उड़ान की थी।

विमान की उड़ान कैप्टन गुडविन द्वारा की जा रही थी जिन्हें कि 6818 घंटे की उड़ान का अनुभव है, जिसमें से उन्होंने लगभग 1917 घंटे की उड़ान बोइंग 707 विमान के प्रधान विमानचालक के रूप में की थी। उनकी सहायता सह-विमानचालक एस० नाथ कर रहे थे जिन्हें कि कुल मिलाकर 7979 घंटे की उड़ान का अनुभव था जिसमें से उन्होंने लगभग 829 घंटे बोइंग

707 विमान के सह-विमानचालक के रूप में उड़ान की थी। उनके स्वस्थ होने के सम्बन्ध में उनकी डाक्टरी जांच क्रमशः 20 फरवरी, 1982 तथा 9 जनवरी, 1982 को की गई थी।

घायल व्यक्तियों को शीघ्र ही अस्पताल पहुंचाया गया, उनका प्राथमिक उपचार किया गया तथा 25 व्यक्तियों को छोड़कर, जिन्हें इलाज के लिए भर्ती किया गया, अन्यों को प्राथमिक उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। एयर इंडिया ने प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को जिसे सहायता की आवश्यकता थी, तुरंत ही 2,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की। मृतकों तथा घायलों के रिश्तेदारों को निःशुल्क यात्रा सुविधाएं तथा बम्बई में निःशुल्क आवास प्रदान किए गए।

केन्द्रीय सरकार ने वायुयान नियम, 1937 के नियम 75 के अन्तर्गत बम्बई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति पी० वी० सावंत की अध्यक्षता में एक जांच अदालत का गठन किया है। चार असेसर जांच-अदालत की सहायता कर रहे हैं। आशा है कि जांच अदालत अपनी जांच पूरी करके 30 सितम्बर, 1982 तक केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी।

श्री चन्द्रपाल शैलानी : अध्यक्ष महोदय, गत 22 जून को बम्बई के अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक अनहोनी एवं दिल हिला देने वाली दुर्घटना हो गई। एअर इंडिया का बोइंग 707 "गौरी शंकर" नाम का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

यह दुर्घटना सुबह 4 बजकर 34 मिनट पर हुई बताई जाती है। बड़े खेद का विषय है कि इस दुर्घटना में 20 लोगों की जानें गईं और करीब 25 लोग बुरी तरह से घायल हुए। मरने वाले लोगों में 18 यात्री और 2 विमान के कर्मचारी थे। यह दुर्घटना क्यों हुई और कैसे हुई ? जैसा कि समाचारपत्रों के माध्यम से पता चला है कि जिस वक्त यह प्लेन लैंड करने वाला था, उस वक्त बम्बई का मौसम बहुत खराब था। तेज हवाएं चल रही थीं, आसमान में बादल छाये हुए थे और चारों तरफ धुंधला नजर आ रहा था और जो कन्ट्रोल टावर है, उसने भी पाइलट को सूचना दी थी कि हवाई-अड्डा लैंड करने के काबिल नहीं है, अनुकूल नहीं है लेकिन फिर भी वह लैंड हुआ और रन-वे को क्रोस करके दूर जाकर एक दीवार से और कांटों से टकराकर ध्वस्त हो गया और एक नाले में जाकर गिर पड़ा। इस विमान के तीन हिस्से हो गये। टकराते ही एक पंख और इंजन विमान से अलग हो गया, बीच का हिस्सा अलग हो गया और पीछे का हिस्सा भी अलग हो गया। बीच का हिस्सा घुटने-घुटने पानी में डूबा हुआ था।

उपाध्यक्ष महोदय : यह सूचना मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत की जानी चाहिए। आप अपना प्रश्न पूछिए। वह अवश्य ही इसे सदन में प्रस्तुत करेंगे। आप अपना प्रश्न पूछिए।

श्री चन्द्रपाल शैलानी : मैं उसी पर आ रहा हूं मेरे कहने का आशय यह है कि विमान दुर्घटनाग्रस्त होते रहते हैं और लोगों की जानें जाती हैं और अनेक दुर्घटनाओं में बहुत से लोगों की जानें गई हैं। वैसे तो हर इन्सान, हर आदमी की जान बराबर है लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, जिनकी सेवा और जिनके काम देश के लिए, समाज के लिए और पूरी मानवता के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक विमान दुर्घटना में इस देश के महान् वैज्ञानिक, साइंटिस्ट डा० भाभा की भी मृत्यु

हुई थी और एक विमान दुर्घटना में इस देश के एक भूतपूर्व मंत्री, महान् समाजवादी, विचारक श्री कुमारमंगलम की मृत्यु हुई थी और यह संयोग की बात है कि इस विमान में एक चोटी के वैज्ञानिक एवं भाभा परमाणु केन्द्र के निदेशक डा० राजा रमन्ना यात्रा कर रहे थे और सौभाग्यवश वे बच गये। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस तरह की दुर्घटनाएं होती रहती हैं और यह दुर्घटना भी कोई मामूली दुर्घटना नहीं हुई है। मेरा आपसे यह निवेदन है कि इस तरह की दुर्घटनाएं न हों और उनको रोकने के लिए क्या उपाय किये जाएं, इस सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री जी से चन्द सवालात करूंगा और मैं तो मंत्री जी की सराहना भी करूंगा उनकी कार्य-क्षमता की, उनकी तत्परता की भी सराहना करूंगा कि जैसे ही यह दुर्घटना हुई, वे फौरन बम्बई एअर-पोर्ट पर गए और दुर्घटना-स्थल का मायना किया, अधिकारियों से बातचीत की और जो लोग घायल हुए थे, उनको देखने के लिए अस्पताल भी गये और उनके प्रति सहानुभूति प्रकट की और तुरन्त की दुर्घटना की जूडीशियल इंक्वायरी के लिए आदेश दिये।

उपाध्यक्ष महोदय : अब अपना प्रश्न पूछिए।

श्री चन्द्रपाल शैलानी : अब मैं कुछ सवाल पूछ कर अपनी बात को समाप्त करूंगा।

1. इस विमान दुर्घटना से पहले उसी रात को बम्बई इन्टरनेशनल एअरपोर्ट पर कितने एअरक्राफ्ट लैंड हुए ?

2. एक एअरक्राफ्ट की कितनी लाइफ होती है और उसके अनुसार क्या इस विमान का काम में लाया जाना उचित था ?

3. एअर इंडिया के बोइंग 707 का लास्ट एक्सीडेंट कब हुआ था और उसमें कितने आदमी मारे गये थे ?

4. बम्बई एअरपोर्ट पर आई० सी० ए० ओ० स्टैन्डर्ड के मुताबिक सभी लैंडिंग फैसीलिटीज उपलब्ध हैं, यदि नहीं तो क्यों ?

5. क्या सरकार इस तरह की विमान दुर्घटनाओं की जांच के लिए इन्डिपेन्डेंट एक्सीडेंट एजेन्सीज एपाइन्ट करेगी, यदि नहीं तो क्यों ?

6. समाचारपत्रों द्वारा पता चला है कि इस दुर्घटना से पहले एअर इन्डिया का एक बोइंग 747 बम्बई से दूसरी जगह डाइवर्ट हुआ था, क्या यह सच है ?

लेण्ड करते वक्त विमान की जो नारमल स्पीड होती है, यह विमान उसी स्पीड पर था या उससे अधिक स्पीड पर ?

क्या कंट्रोल टावर ने विमान के पाइलट को मौसम खराब होने तथा दूर-दूर तक धुंधला नजर आने की चेतावनी दी थी ?

क्या विमान का मलबा रनवे पर भी बिखरा पाया गया था जो इस बात का सूचक है कि विमान में पहले से ही टूट-फूट हो चुकी थी ?

इस विमान दुर्घटना की सिविल एवियेशन डिपार्टमेंट द्वारा जांच की गई है उसकी प्राथमिक रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हुई है, उसका ब्योरा क्या है ?

कई बार विमान चालकों की मानसिक स्थिति तनावपूर्ण होती है और वे विमान संचालन में असावधानी कर जाते हैं। कुछ वर्ष पूर्व एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था उसकी जांच से पता चला था कि पाइलट की मानसिक स्थिति तनावपूर्ण थी। क्या एयर इंडिया के दुर्घटनाग्रस्त विमान "गौरी शंकर" के पाइलट की भी मानसिक स्थिति खराब थी ? इसकी सरकार ने जांच कराई है या नहीं ?

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि माननीय सदस्य ने जो यह कहा है कि 20 आदमियों की मृत्यु हुई है, मृत्यु 20 की नहीं है, मृत्यु 17 आदमियों की हुई है और यह मैंने अपने स्टेटमेंट में भी बताया है।

जहां तक इनके प्रश्नों का सम्बन्ध है, इनका पहला प्रश्न यह है कि एयर इंडिया के कितने एयरक्राफ्ट इस दुर्घटना के पहले लेण्ड हुए थे ? इस दुर्घटना से बहुत थोड़े समय पहले एक प्लेन वहां पर लैंड किया था और दूसरे ने वहां से टेक आफ किया था।

जहां तक इसका सम्बन्ध है कि लास्ट एक्सीडेंट कब हुआ था, मेरे पास जो इन्फर्मेशन है वह यह है :

एयर इंडिया के 707 बोइंग विमान की पिछली दुर्घटना मोंट ब्लैंक में 24.1.1966 को हुई थी जिसमें 106 यात्रियों का तथा 11 चालक दल के सदस्यों की मृत्यु हुई थी।

तीसरा इनका प्रश्न है कि बम्बई में सारी लैंडिंग फेसिलिटीज हैं या नहीं ? इन्टरनेशनल सिविल एवियेशन आरगेनाइजेशन के मुताबिक बम्बई में सारी लैंडिंग सुविधाएं हैं।

इन्होंने एक प्रश्न किया कि क्या एयर इंडिया की कोई फ्लाईट इस दुर्घटना से पहले डाइवर्ट हुई थी या नहीं ? ऐसी कोई सूचना मेरे पास नहीं है कि कोई एयरक्राफ्ट उसके पहले डाइवर्ट हुआ था।

पांचवां सवाल इन्होंने सिविल एवियेशन डिपार्टमेंट की जांच की रिपोर्ट के सम्बन्ध में किया है। वह रिपोर्ट अभी गवर्नमेंट के पास नहीं आयी है। लेकिन इसके सम्बन्ध में पोजिशन यह है कि जब कोई एक्सीडेंट होता है तो तुरन्त डाइरेक्टर जनरल सिविल एवियेशन इंस्पेक्टर सेफ्टी या कंट्रोलर सेफ्टी को इन्वेस्टीगेशन करने के लिये अपोइंट कर देते हैं और वह इन्वेस्टीगेशन चलता रहता है। अगर कोर्ट आफ इक्वायरी चलती है या कोर्ट आफ इक्वायरी अपोइंट हो जाती है तो अनलेस एण्ड अनटिल कोर्ट आफ इक्वायरी उनको दूसरा कोई आदेश दें कि वह इन्वेस्टीगेशन जारी रखें या न रखें वे उसके मुताबिक काम करते हैं।

श्री चन्द्रपाल शैलानी : पाइलट की मानसिक स्थिति के बारे में तो आपने कहा नहीं।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : इनका अन्तिम क्वेश्चन है। आपने स्टेटमेंट को अगर ध्यान से सुना होगा तो देखा होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको किसी व्यवधान का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। मैं सदन का कार्य संचालन नियमों के अनुसार कर रहा हूं। वह श्री शैलानी का उत्तर दे रहे हैं। ध्यानाकर्षण में मंत्री को व्यवधान का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको मंत्री महोदय की बात में व्यवधान डालने का कोई अधिकार नहीं है।

(व्यवधान)

इससे और ज्यादा मजाक लगता है। इसलिए मैंने ऐसा कहा है।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : लास्ट क्वेश्चन इनका यह था कि जो पायलट थे, उनकी मानसिक स्थिति क्या थी ? उपाध्यक्ष महोदय, पायलट की मानसिक स्थिति क्या थी, इसकी भी जांच कोर्ट आफ इन्क्वायरी करेगी और फिर उसकी रिपोर्ट हम लोगों के पास आएगी।

श्री चन्द्रपाल शैलानी : माननीय उपाध्यक्ष जी, इंडिपेंडेंट इन्क्वारी बोर्ड के बारे में मेरा प्रश्न था।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : इन्होंने जो इंडिपेंडेंट इन्क्वारी बोर्ड के सम्बन्ध में कहा है, उसकी आवश्यकता इसलिए नहीं समझी जाती है कि जब कोर्ट आफ इन्क्वारी सेटअप हुई है तो वह इंडिपेंडेंट है और जांच करके रिपोर्ट गवर्नमेंट को देगी। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : हमें यह ध्यानाकर्षण आधे घंटे में समाप्त कर देना चाहिए। यही नियम है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया इसे कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल न किया जाए।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : यही नियम है। मैं आपको नियम बता रहा हूं। इस तरह से हमने बहुत-सा समय नष्ट किया है तथा हमारे पास महत्वपूर्ण विधेयकों पर विवाद करने का समय नहीं बचेगा। ध्यानाकर्षण पर, हम 1 या 1½ घंटे से ज्यादा समय लेते है। एक महत्वपूर्ण संविधान संशोधन विधेयक आ रहा है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह बिलकुल ठीक है। मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। यदि डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी जैसे सदस्य ही सहयोग नहीं देंगे तो मैं सदन का संचालन नहीं कर पाऊंगा।

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री उत्तम राठौर (हिंगोली) : सौभाग्यवश, काफी लोगों का हवाई यात्रा में काफी विश्वास हो गया था। लेकिन इस समय हमें एक गम्भीर दुर्घटना का सामना करना पड़ा है। हम सबको इसके लिए बहुत खेद है। मैं समझता हूं, पिछले $2\frac{1}{2}$ वर्षों में नागर विमानन मन्त्रालय में श्री अनन्त प्रसाद शर्मा के कार्यकाल के दौरान हवाई जहाजों का उड़ान भरना और उतरना सबसे अधिक सुरक्षित रहा है।

महोदय, हमने देखा है कि तकनीशियनों में बहुत असन्तोष है। विमानों में अतिरिक्त यात्री ले जाए जा रहे हैं। दो बार विमान अपहरण की घटनाएं हुई हैं, कुछ दुर्घटनाएं हुईं और बहुत सी शिकायतें की गई हैं। इतना सब होने पर भी वे अधिक भाड़ा ले रहे हैं।

मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या पायलट ने विमान उतारने के लिए कंट्रोल टावर से अनुमति ली थी और यदि उसने अनुमति ली थी, तो क्या कन्ट्रोल टावर ने पायलट को हवाई अड्डे पर मौजूदा मौसम का चार्ट दिया था ? यह पहली बात है। दूसरी बात मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि विमान उतारते वक्त वास्तव में विमान का इंचार्ज कौन था—वह कैप्टन गुडविन था या श्री एस० नाथ था ?

तीसरे में, क्या यह सच है कि विमान ने हवाई पट्टी को छुआ और वह करीब 300 मीटर तक लुढ़कता चला गया और उसने पुनः उड़ान भरने का प्रयत्न किया। यदि हां, तो ऐसा क्यों हुआ ?

ये कुछ प्रश्न हैं जो मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं और मुझे आशा है कि मुझे इन प्रश्नों का उपयुक्त उत्तर मिलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने सीधा प्रश्न पूछा है और उन्हें सीधा उत्तर ही दिया जाएगा।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : मैं माननीय सदस्य का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने देश तथा विदेशों में इण्डियन एयरलाइन्स तथा एयर-इण्डिया की यात्राओं की प्रशंसा की है। वास्तव में, आरम्भ में ही, मैंने इस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना पर खेद व्यक्त किया है।

जहां तक अपहरण का सम्बन्ध है, जैसा कि आप तथा माननीय सभा को यह जानकारी है कि कभी-कभी ऐसा हो जाता है और इस तरह की बातें हमारे नियन्त्रण से बाहर हैं। लेकिन अपहरण के मामले में भी, जहां तक हमारा सम्बन्ध है, हम यह देखते का पूरा प्रयत्न करते हैं कि यात्रियों, पायलट और कर्मीदल को पूरा सहायता की जाए तथा हम उन की पूरी सुरक्षा का हमेशा ध्यान रखते हैं। मैं माननीय सभा को यह सूचित करना चाहता हूं कि इन्डियन एयरलाइन्स के विमान के अपहरण की पिछली घटना में, हमने उन यात्रियों को वापस लाने लिए अतिरिक्त विमान लाहौर भेजे थे, जिन्हें कई दलों में लाया गया था।

माननीय सदस्य द्वारा अन्य प्रश्न यह पूछा गया था कि क्या पायलट ने विमान उतारने की अनुमति ली थी। पायलट को इसकी अनुमति दी गई थी और अवतरण करने की अनुमति कण्ट्रोल टावर ने दी थी।

मौसम के बारे में जो प्रश्न है, वास्तव में इसकी भी जांच की जाएगी। लेकिन मैं यह बता देना चाहता हूं कि मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार मौसम की वास्तविक स्थिति यह थी कि

मौसम न्यूनतम निर्धारित सीमा से ऊपर था तथा नियमों के अनुसार विमान को हवाई पत्तन पर उतारा जा सकता था। मुझे खेद है इसके अतिरिक्त मैं कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हूं क्योंकि यह भी जांच का मामला होगा।

जहां तक विमान के इन्जार्ज का सम्बन्ध है; अर्थात् इस विशेष मामले में विमान की उड़ान की कमान किसके हाथ में थी, तो विमान की कमान कैप्टन गुडविन द्वारा की जा रही थी। मैं उससे अधिक और कुछ नहीं कह सकता क्योंकि यह तथ्य जानते हुए भी कि विमान की उड़ान कैप्टन गुडविन कर रहे थे, यह प्रश्न कि विमान की उड़ान कौन कर रहा था यह निश्चय करना न्यायालय का काम होगा और न्यायालय द्वारा निश्चित किए जाने तथा रिपोर्ट देने के बाद ही इस बात का पता चल सकेगा।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : मन्त्री महोदय ने पूरे विस्तार से बताया है कि दुर्घटना कैसे हुई तथा उन्होंने क्या-क्या सावधानियां बरती हैं। एयर इन्डिया को विश्व में बहुत अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त है। अधिकांश लोग एयर-इन्डिया द्वारा यात्रा करना अधिक पसन्द करते हैं। इसकी 1966 से 1982 तक अर्थात 15 वर्ष तक 2½ अथवा 3 वर्ष के जनता शासन सहित अपनी विमान सेवा में कोई दुर्घटना नहीं हुई। मैं यह जानना चाहता हूं कि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए मन्त्री कौन-कौन से ठोस कदम उठाने जा रहे हैं।

दूसरे में मैं यह जानना चाहता हूं कि जब इतनी मूसलाधार वर्षा हो रही थी तो पायलट को आकाश साफ होने तक थोड़ी देर के लिए आकाश में ही रहने के लिए क्यों नहीं कहा गया। आखिर, सुबह के करीब 4 ही बजे थे। बम्बई में 5 बजे सूर्योदय हो जाता है। यही कारण है मैंने यह पूछा है कि पायलट को यह क्यों नहीं कहा गया कि या तो वह कहीं और चला जाए अथवा थोड़ी देर और आकाश में ही रहे ताकि ऐसी दुर्घटना न हो। यह सावधानी क्यों नहीं बरती गई।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : जहां तक मौसम की परिस्थिति का सम्बन्ध है। मैंने पहले ही प्रश्न का उत्तर दे दिया है। जहां तक सुरक्षा उपायों का सम्बन्ध है, मैंने पहले ही वक्तव्य दिया है जिसमें कहा गया है कि अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन स्तर पर अवतरण के सभी सुरक्षा उपाय बम्बई में उपलब्ध कराए गए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री एडुआर्डो फैलीरो।

श्री एडुआर्डो फैलीरो (मारमागाओ) : दुर्घटना की रिपोर्ट की गई है तथा रिपोर्ट से पता चलता है कि यह कितनी भयंकर दुर्घटना हुई है। रिपोर्ट के अनुसार जब इस बड़े जम्बो विमान ने उतरने का प्रयास किया यह तीन टुकड़ों में विघटित हो गया और यदि ईंधन के टैंक फट जाते तो यह दुर्घटना और भी अधिक भयंकर रूप ले लेती। उस स्थान पर थोड़ा सा पानी जमा था और बारिश हो रही थी और सम्भवतः वर्षा और पानी की वजह से ही पैट्रोल टैंक नहीं फटे। अगर ईंधन के टैंक फट जाते तो कोई भी यात्री जिन्दा नहीं बचता। 111 यात्रियों में से 17 यात्री भी नहीं बचते और न ही कोई यह बताने वाला होता कि वास्तव में क्या हुआ।

मैं सरकार की सराहना करता हूं तथा मैं मन्त्री महोदय को बधाई देता हूं कि उन्होंने इसकी न्यायिक जांच करने का निश्चय किया है। ऐसे मामलों में अकसर जांच नहीं कराई

जाती । जब मन्त्री महोदय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच कराते हैं तो इससे जनता के मन में बहुत अधिक विश्वास पैदा होता है कि सरकार वास्तव में निष्पक्ष संकाय तथा निष्पक्ष व्यक्ति द्वारा खुली जांच करना चाहती है ।

मैं सरकार से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि वह पुनः जनता का विश्वास प्राप्त करे तथा जनता का विश्वास दिलाए कि ऐसे मामलों में सरकार किस तरह कार्य करती है तथा न्यायिक जांच की रिपोर्ट सभा पटल पर रखे और जनता को बताए कि वास्तव में यह दुर्घटना कैसे हुई ताकि सबको यह पता लग सके कि यह दुर्घटना कैसे हुई और भविष्य में इस तरह की दुर्घटनाओं को रोका जाएगा तथा उपचारात्मक आवश्यक उपाय किये जायेंगे । जनता का विश्वास पैदा करना बहुत महत्वपूर्ण कार्य है ।

साथ ही इसकी जांच के प्रश्न पर, मैं यह याद दिलाना चाहूंगा कि तीसरी लोक सभा की प्राक्कलन समिति ने अपनी एक रिपोर्ट में काफी पहले यह सुझाव दिया था कि एयर इण्डिया तथा इण्डियन एयरलाइन्स में होने वाली दुर्घटनाओं की जांच करने के लिए एक स्वतन्त्र वायु सुरक्षा आयोग का गठन किया जाएगा जो नागर विमानन के महानिदेशक से पूर्णतः स्वतन्त्र होगा । ऐसा 1963 में कहा गया था और प्राक्कलन समिति ने 1967 में और फिर 1968 में पुनः एक स्वतंत्र वायु सुरक्षा आयोग के गठन की सिफारिश को दोहराया था ।

1975 में भी इसी विषय पर सरकार द्वारा नियुक्त, श्री जे० आर० डी० की अध्यक्षता में नागर विमानन समीक्षा समिति ने भी यही सिफारिश की थी ।

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस सिफारिश को इसलिए स्वीकार किया गया था, ऐसी सूचना दी गई थी कि 5 मार्च, 1980 को केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल ने श्री जे० आर० डी० टाटा की अध्यक्षता में नागरिक विमानन समीक्षा समिति की यह सिफारिश स्वीकार की है कि विमान दुर्घटनाओं की जांच एक स्वतन्त्र जांच आयोग के सुपुर्द कर दी जाये ।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सिफारिश स्वीकार की गई है और यदि स्वीकार की गई है, तो वास्तव में आयोग के गठन में क्या देरी है ।

यह बिल्कुल उचित सिद्धांत है कि अपने ही न्यायालय में कोई भी स्वयं न्यायाधीश न बने । इस सिद्धान्त को हम सब जानते हैं । इससे नागर विमानन के महानिदेशक पर या उनकी जांच पर कोई आक्षेप नहीं किया जा रहा है लेकिन ऐसा महसूस किया गया है कि वास्तव में नागर विमानन महानिदेशक एक ऐसा अधिकारी है जो सब व्यवस्था करता है तथा नागर विमानन के संचालन को नियन्त्रित करता तथा मार्गनिर्देशन और पत्तन स्थल सुविधाओं की व्यवस्था करता है । वही अधिकारी हालांकि जनता की नजर में यह ठीक नहीं है, जो वायु सुरक्षा उपकरणों के लिए जिम्मेवार है, इस बात को नहीं देख सकता कि उसका संचालन ठीक से हो रहा है । यह ठीक नहीं है कि वही अधिकारी यह देखे, पता लगाये कि इस विशेष मामले में उपकरण ठीक से काम कर रहे थे ।

पहला और मुख्य प्रश्न यह है कि, सरकार ने सिफारिश स्वीकार की थी उसका क्या हुआ तथा उसे कार्यान्वित क्यों नहीं किया जा रहा और यदि सरकार उस सिफारिश को लागू करने जा रही है तो ऐसा कब तक करेंगे ।

साथ ही नागर विमानन महानिदेशक के मामले में इस वर्ष अप्रैल में इस शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया गया —

"एयर सेफ्टी गिवन ऐ० बाई। नियरली 1000 एविएशन जावस् येट टु बी फिल्ड" विमान सुरक्षा समाप्त हो गई है। विमान सेवा में करीब 1000 रिक्त स्थानों की पूर्ति अभी की जानी है।"

तथा इस रिपोर्ट से पता चलता है कि किस तरह से यह पद अभी खाली है 'इकोनॉमिक टाइम्स' में यह प्रकाशित हुआ है; इसमें वायु सुरक्षा से सम्बन्धित इन सभी पदों के बारे में विस्तार से बताया गया है जिनकी पूर्ति अभी तक नहीं की गई है । मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इसमें देरी क्यों की गई तथा क्या अप्रैल 1982 से आज तक की अवधि के दौरान इन पदों को भरा गया है यदि नहीं तो उन्हें अब तक क्यों नहीं भरा गया है । और यदि इन पदों को आंशिक रूप से भरा गया है, कितने पदों को अभी तक भरा गया है । और बाकी पदों को कब तक भरा जाएगा ।

मैं पुनः नागर विमानन महानिदेशक की बात पर आता हूं। ऐसी सूचनाएं मिली है कि महानिदेशक के पद पर ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किये जाने का प्रस्ताव है। जो भारतीय प्रशासनिक सेवा से हो। यह महसूस किया गया है कि यह तकनीकी पद है और इतने वर्षों से इस पद पर किया तकनीकी व्यक्ति को ही नियुक्त किया जाता रहा है। अतः यह प्रश्न उठता है कि क्या सरकार का इरादा महानिदेशक के पद पर किसी प्रशासनिक व्यक्ति की नियुक्ति करके इस प्रक्रिया में परिवर्तन करने का है। और यदि हां, सरकार किस कारण से यह परिवर्तन करना चाहती है।

यह प्रश्न यहां पहले ही पूछा जा चुका हो कि विमान को उड़ान कौन कर रहा था । एक रिपोर्ट यह मिली है कि जो पायलट विमान उड़ा रहा था और अन्य पायलट, जो, चैक पायलट था, ने गलतफहमी से काम किया और काकपिट में हुई गलतफहमियों से एयर-इन्डिया विमान की दुर्घटना हुई ! ऐसा प्रतीत होता है कि उन दोनों को गलतफहमी हो गई थी । लेकिन जैसा कि मन्त्री महोदय ने ठीक ही कहा है, और मैं उनसे सहमत हूं, कि इस मामले की जांच जांच आयोग ही करेगा । इस स्थिति में यह कहना असामयिक होगा कि कौन सा पायलट इसके लिए जिम्मेदार था, और कौन सा पायलट प्रभारी पायलट था और क्या इन पायलटों के बीच गलतफहमी हुई थी ।

लेकिन जो प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं और जिसका उत्तर मन्त्री दे सकते हैं यह है कि क्या उनके विचार में हमारे पाइलटों के लिये प्रशिक्षण सुविधायें पर्याप्त हैं—क्योंकि यह एक सामान्य प्रश्न है जिसे पूछा जा रहा है—एयर इन्डिया और इन्डियन एयरलाईन्स में पाइलटों के कौन-कौन सी प्रशिक्षण सुविधायें प्रदान की गयीं, क्या वे समझते हैं कि ये पर्याप्त हैं और इस सम्बन्ध में वे क्या सुधार करना चाहते हैं ।

प्रश्न यह पैदा होता है और यह इतना महत्व का नहीं है, लेकिन शायद इस प्रकार के मामलों में केवल मुआवजा ही दिया जा सकता है । इन्सान की मौत से हुये नुकसान को वित्तीय

मुआवजा पूरा नहीं कर सकता लेकिन इस मामले में शायद केवल यही एक मुआवजा है जो मृत लोगों के परिवारों के दिया जा सकता है। और क्या मैं कह सकता हूं—और महोदय आप मुझसे सहमत होंगे कि जब मैं यह कहता हूं—कि विवरण के पैरा 6 में इस प्रकार कहा गया है, वह पर्याप्त नहीं है, अर्थात :

"एयर इण्डिया ने सहायता के जरूरतमन्द प्रत्येक व्यक्ति को तुरन्त 2,000 रुपये की वित्तीय राहत प्रदान की।"

यह तथ्यों पर गम्भीरता से विचार करने का एक बहुत अच्छा तरीका नहीं है। आपको देखना चाहिये कि क्या अवमूल्यन तथा मुद्रास्फीति को देखते हुये, जो मुआवजा दिया जा रहा है वह इन वर्षों में बढ़ता जा रहा है···

उपाध्यक्ष महोदय : इसी कारण···तुरन्त वित्तीय सहायता···

श्री एडुआर्डो फैलेरो : 2000 रुपये का मुआवजा चाहे तुरन्त दिया जाये मेरे विचार में पर्याप्त नहीं है।

इनमें से कुछ यात्री इस सभा के माननीय सदस्य श्री एस० एम० कृष्ण के परिचित थे। उस वायुयान में नवविवाहित पति-पत्नी, दो यात्री थे, वे शादी के बाद आमोद-प्रमोद के लिए सिंगापुर गये थे और वापसी में वे मद्रास में उतरना चाहते थे क्योंकि यह बंगलोर के कुछ नजदीक था लेकिन उन्हें मद्रास में उतरने की अनुमति नहीं दी गयी क्योंकि टिकट बम्बई के थे और उसी दौरान वे अपनी जानें खो बैठे। उन्हें मद्रास में उतरने की अनुमति नहीं दी गयी। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या वे अपने टिकट के अनुसार बम्बई से पहले उतर सकते थे, क्या वे इसके हकदार थे और यदि हां तो उन्हें मद्रास में उतरने की अनुमति क्यों नहीं दी गई। यदि उन्हें मद्रास में उतरने दिया जाता तो उनकी जानें बच जातीं।

अन्त में, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह सच है—मन्त्री इस आरोप पर विचार करें—कि बम्बई हवाई अड्डे पर चिकित्सा सुविधायें प्रदान करने के लिए क्या लगभग 45 मिनट लगे थे। यदि सुविधायें समय पर उपलब्ध की गयी होतीं तो कई लोग जख्मी होने से या मरने से बच जाते।

मैं अन्त में अनुरोध करूंगा कि टिकट के मूल्य में बहुत वृद्धि होने से यात्री कम से कम यह आशा रखने के हकदार थे कि उनकी गन्तव्य स्थान तक की यात्रा दुखद नहीं होगी। अत: मैं सच-मुच जानना चाहूंगा कि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं की आशंकायें दूर करने के लिए हवाई अड्डे पर किस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था करने पर विचार कर रहे हैं।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : मैं माननीय सदस्य का कुछ प्रश्न उठाने तथा हमारे लिये उनका स्पष्टीकरण करने के लिए आभारी हू। एक ऐसा प्रश्न वायुयान के पाइलट तथा समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार से उत्पन्न भ्रम के बारे में है। मुझे खेद है कि मैं उन बातों की चर्चा न कर सकूंगा क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूं कि केप्टन वायुयान केप्टन गुडविन की कमान में था। इसके अतिरिक्त मैं यह नहीं कह सकता कि उस समय वास्तव में कमान किसके पास थी कौन

उतार रहा था और न ही उतार रहा था। इन सभी पहलुओं की जांच, जांच अदालत ही करेगी। अत: मैंने शुरू में कहा है कि मैं उस बारे में कुछ नहीं कह सकूंगा।

माननीय सदस्य ने इस हेतु एक स्वतंत्र जांच बोर्ड स्थापित करने का प्रश्न उठाया है। यह सच है कि टाटा समिति सहित बहुत सी समितियों ने इस बारे में अनेक सिफारिशें की हैं और सरकार ने इस मामले पर विचार किया है और इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि चूंकि दुर्घटना के समय हम उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का जांच आयोग नियुक्त करते हैं इसलिए इस प्रकार के स्वतंत्र जांच बोर्ड स्थापित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस आयोग की कुछ मूल्यांकन भी सहायता करते हैं। अत: यह व्यवस्था एक स्थायी जांच बोर्ड नियुक्त करने की ही तरह है क्योंकि इससे यह लक्ष्य पूरा हो जाता है और हम आशा करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि इस प्रकार की दुर्घटनायें अधिक न हों क्योंकि उस मामले में केवल···(व्यवधान)। अत: सरकार ने उस प्रकार का निर्णय लिया है।

माननीय सदस्य ने यह प्रश्न भी उठाया है कि नागर विमानन विभाग में हजारों पद रिक्त पड़े हैं। इस बारे में सभा में भी प्रश्न उठाया गया था और मैं इस प्रश्न का उत्तर विस्तारपूर्वक दे चुका हूं। इनमें से पद विभागीय पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं और उनमें से कुछ संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भरे जाते हैं। इनमें से कुछ भरे जा चुके हैं और कुछ अभी संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भरे जाने हैं।

इन्होंने यह प्रश्न भी उठाया है कि सरकार भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को नागर विमानन महानिदेशक के पद पर नियुक्ति करना चाहती है। इस मामले पर भी मैं चर्चा नहीं करना चाहूंगा। सरकार स्वेच्छा से किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह प्रशासनिक सेवा का अधिकारी हो अथवा नागर विमानन विभाग से बाहर का हो यदि उन्हें उस पद के लिए योग्य व्यक्ति न मिले, नियुक्त कर सकती है। यह पहला मौका नहीं है जब ये सरकार के विचार के बारे में बात कर रहे हों। ऐसा पहले भी कई बार किया जा चुका है। संशोधित नियमों के अनुसार नागर विमानन विभाग के लोगों के लिये उप महानिदेशक पद में सात वर्ष की सेवा होनी चाहिए। अत: यदि इस पैमाने के अनुसार लोग मिलते हैं तो निश्चय ही हम लोगों को बाहर से नियुक्त नहीं करना चाहेंगे। लेकिन यदि हमें न मिले तो हमें बाहर से भी लेने पड़ेंगे।

फिर प्रशिक्षण का प्रश्न आता है। मैं कहना चाहूंगा कि इंडियन एयर लाइन्स तथा एयर इण्डिया के प्रशिक्षण की अपनी प्रणाली है और जहां तक इण्डियन एयर लाइन्स का सम्बन्ध है, बाहर के देश भी हैदराबाद में हमारे प्रशिक्षण का लाभ उठाते हैं।

जहां तक एयर इण्डिया का सम्बन्ध है, प्रशिक्षण का प्रबन्ध बम्बई में है। इसके अतिरिक्त, प्रशिक्षण के बाद परीक्षक पाइलटों की परीक्षा लेते हैं। सह-पाइलटों को प्रशिक्षण के बाद कमांड दी जाती है, उनकी परीक्षा करने के बाद, यदि वे कुछ शर्तों को पूरा करते हैं तो उन्हें कमांड दी जाती है।

मेरे मित्र ने मुआवजे के बारे में कुछ कहा था। यह 2000 रुपये जिसका जिक्र वक्तव्य में किया गया है, मुआवजा नहीं है। यदि कोई चाहे तो यह एक तत्काल सहायता है क्योंकि उनका

सामान गुम हुआ है और उन्हें इधर तथा उधर फेंका गया। अतः यह केवल एक तत्काल सहायता थी जहां तक मुआवजों का सम्बन्ध है, उसके लिए मुआवजे के नियम हैं। मैं माननीय सदस्यों के लिए उस नियम को पढ़ना चाहता हूं, जो इस प्रकार है :

"उनके आश्रितों के मामले में उनकी मजूरी कमाने की क्षमता, परिवार के सदस्यों का आश्रित होना तथा अन्य प्रसंगिक बातें का निर्णय करते हुए ध्यान में रखा जाता है जो अन्तर्राष्ट्रीय यात्रियों के मामले में इसे 7 लाख रुपये तक होता है।

जहां तक स्वदेशी यात्रियों का सम्बन्ध है यह दो लाख रुपये है।"

हम ऐसे मामलों में गुम माल के लिए 7600 रुपये देते हैं। अतः आप देखेंगे कि सम्बन्धित लोगों को पर्याप्त मुआवजा देने के लिए प्रावधान है। कुछ मामलों में दावे प्रस्तुत किए जा चुक हैं। फिर हम देखेंगे कि उनके दावों का भुगतान यथाशीघ्र किया जाये। हम अधिक समय नहीं लेंगे। धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री विजय कुमार यादव।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : जो दम्पति मद्रास में उतरना चाहती थी, उनके बारे में आपको क्या कहना है ?

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : उसके बारे में मेरे पास कोई सूचना नहीं है कि क्या दम्पति को वहां उतरने नहीं दिया गया।

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह की घटनाओं से हमारी हवाई सेवाओं की प्रतिष्ठा पर जबर्दस्त चोट पहुंचती है। यह जो दुर्घटना हुई इसका भी असर हमारी सेवाओं पर पडा है और इससे हमारी हवाई सेवाओं की बदनामी हुई है। वैसे एकाध बार यह सवाल उठा था तो मन्त्री जी ने बहुत सारे आंकड़े पेश किए कि हमारे यहां यात्रियों की संख्या बढ़ गई है और अगर यात्रियों की सख्या ज्यादा है तो हमारी सेवाओं के बारे में लोगो के दिल व दिमाग में गलतफहमी नहीं है। आप जानते हैं अच्छी तरह से कि रेलों में कितनी दुर्घटनाएं हो रही हैं, बावजूद इसके उसमें सवारियों की संख्या में वृद्धि ही हो रही है। तो परिस्थिति का तकाजा है, जल्द से जल्द लोग एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं, दुनिया का विकास हो रहा है और हमारे मुल्क का भी विकास हो रहा है इसीलिए हवाई सेवाओं की आवश्यकता ज्यादा से ज्यादा लोग महसूस करते हैं और खतरा उठाकर भी उनसे यात्रा करना चाहते हैं।

मन्त्री जी ने चिन्ता तो अवश्य प्रकट की है लेकिन ऐसी बात को भी उन्होंने कमीशन के नाम पर बताने से इन्कार कर दिया है जिससे मैं समझता हूं कि कमीशन का जो दायरा है उस पर कोई आघात नहीं पहुंचता। एक दो माननीय सदस्यों ने केवल एक बात जानने की कोशिश की थी कि ऐक्सीडेंट से समय ऐक्चुअली कौन पायलट हवाई जहाज की पायलटिंग कर रहा था। उन्होंने यह नहीं पूछा कि कौन इसके लिए जिम्मेदार है, उस पर आप जिम्मेदारी लादते हैं या नहीं लादते हैं ? केवल एक फैक्चुअल जानकारी हासिल करने की कोशिश की लेकिन मन्त्री महोदय उसे भी नकार गए। तो कम से कम इतनी बड़ी दुर्घटनाओं के मौके पर जब कि सारा देश जानना चाहता

है और आपके कायदे कानून का कोई उल्लंघन नहीं होता है तो इतनी साधारण सी जानकारी देने में मन्त्री जी को गुरेज नहीं करना चाहिए । इसमें ऐसा लगता है कि न जाने उनके दिमाग में किसी को बचाने की बात है या क्या बात है, कुछ समझ में नहीं आता है ।

अखबारों की रिपोर्ट के मुताबिक मद्रास से जब यह जहाज चला तो लगभग एक घंटा उसको वहीं देर हो गई चलने में । पैसेंजर्स का जो कुछ बयान अखबारों में निकला है उसमें इस बात को दर्शाया गया है कि वहीं से कुछ न कुछ गड़बड़ी इस हवाई जहाज के अन्दर कुछ पैसेंजर्स ने नोटिस की थी और पाया था कि कुछ गड़बड़ी जहाज में है । यह बात कहां तक सही है ? लेकिन कमीशन बैठा हुआ है, जब बैठे हुए हैं इसलिए जो भी सवाल उठेगा उसका जवाब वे देंगे, आप यहां पर कह देंगे कि यह मत पूछिए और वह मत पूछिए ।

मन्त्री जी ने अपने जवाब में कहा था कि कुछ समय पूर्व एक जहाज वहां से उड़ा था और एक जहाज उतरा भी था । अखबारों की रिपोर्ट के अनुसार कन्ट्रोल टावर की तरफ से कहा गया था कि मौसम अच्छा नहीं है और पट्टी जो है वह भी उतरने लायक नहीं है तब थोड़ी देर के बाद ही उतरने की इजाजत क्यों दी गई । अगर कोई जहाज पहले उतरा था और टेकआफ हुआ और कन्ट्रोल टावर ने थोड़ी देर के बाद जो मौसम था, जो अन्धेरा था और जोरों की जो वर्षा हो रही थी वह सारा वातावरण एक दो मिनट में ही बदल गया हो, बरसात ठीक हो गई हो और पट्टी उतरने लायक और टेकआफ के लायक हो गई हो—मैं ऐसा नहीं समझता हूं । यह सारे प्वाइन्ट्स जो हैं वह कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं ।

तीसरी बात यह कही गई है कि जहाज एक दीवार से टकरा गया लेकिन काकपिट के अन्दर जितने लोग हैं वे सेफ हैं, केवल टेल एन्ड में जो लोग थे उनकी डेथ हुई है । जहाज का टकराव आगे से होता है लेकिन आगे वाले बच जाते हैं, बीच वाले बच जाते हैं और पीछे वाले जो लोग थे वही दुर्घटनाग्रस्त होते हैं—यह बात समझ में नहीं आती है ।

बोइंग-707 जहाज का जहां तक सम्बन्ध है, आज से ही नहीं, बल्कि पहले से ही मालूम है कि ज्यादातर मुल्क इसको रिजेक्ट कर रहे हैं । यहां तक कि जो मुल्क अण्डरडेवलप्ड हैं वे भी इसको रिजेक्ट कर रहे हैं । जबकि दूसरे मुल्क बोइंग-707 को अनफिट करार दे रहे हैं, हमारे मुल्क में इस जहाज को इन्टरनेशनल और डोमेस्टिक सर्विस में क्यों रखा गया है ?

इसके अलावा एक माननीय सदस्य ने कहा है कि एक दुर्घटना और हुई थी जिसमें एक हमारे बड़े साइंटिस्ट श्री भाभा मारे गए थे और उनकी फाइल—बहुत ही नेशनल और इन्टरनेशनल इम्पोर्टेन्स की—आज तक नहीं मिली । इस जहाज में भी हमारे एक बहुत बड़े साइंटिस्ट—रामन्ना साहब का नाम आया है, जो कि उससे सफर कर रहे थे, उनके पास भी बहुत सारी फाइल्स थीं और उनकी वह अटैची गायब हो गई थी, बाद में कहा जाता है कि उनकी अटैची मिली लेकिन उनके सारे कागजात भी मिले या नहीं और क्या इसमें भी कोई कांसपिरेसी तो नहीं है—यह मैं जानना चाहता हूं ।

इसमें जज की बहाली की बात भी कही गई है लेकिन फार्स्ट हैण्ड इन्क्वायरी जज महोदय की ओर से नहीं की जा रही है । एक्सीडेन्ट के बाद डिपार्टमेन्टल इंक्वायरी के लिए डिपार्टमेंट के

लोग मौके पर गए। ऐसी स्थिति में कई दिनों के बाद तो बहुत सारी चीजों के इधर से उधर हो जाने का खतरा मौजूद रहता है। क्या सरकार यह मुनासिब नहीं समझती है कि डिपार्टमेंट इंक्वायरी के स्थान पर हमेशा के लिए एक ऐसा कायदा बनाया जाए कि जैसे ही कोई एक्सीडेन्ट हो फौरन जज की बहाली हो और सबसे पहले एक्सीडेन्ट स्पाट पर वह जायें और जज के जिम्मे ही सारी इंक्वायरी की व्यवस्था हो ?

इसके अलावा मन्त्री महोदय ने यह भी बताया है कि इस जहाज की जांच इतने घंटे पहले की गई थी, मैं जानना चाहता हूं इस सम्बन्ध में क्या नियम हैं, कितने घंटे चलने के बाद जहाज और पायलट की जांच की जाती है और उस नियम का निर्वाह इस मामले में भी किया गया था या नहीं ?

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सवाल किए हैं, वे कोई नए सवाल नहीं हैं। इन्होंने कहा कि उस समय कौन पायलट जहाज को चला रहा था या कौन नहीं चला रहा था। इसका उत्तर मैंने पहले ही दे दिया है कि कैप्टेन गुडविन के कमाण्ड में वह जहाज था।...(**व्यवधान**)...कमाण्ड के मायने आप अगर समझते हैं, तो समझ लीजिए। इसके अलावा मैंने कहा कि उस समय कौन चला रहा था या नहीं चला रहा था यह कोर्ट बतलाएगा जांच करके। जहां तक उनका यह कहना कि इसमें किसी को बचाने की बात तो नहीं है ? मैं माननीय सदन को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि जिसके ऊपर जो जिम्मेदारी इस एक्सीडेंड के लिए ठहराई जाएगी उसको बराबर सजा दी जाएगी, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। इसमें किसी को बचाने का सवाल नहीं उठता है।

इन्होंने अखबारों का भी जिक्र किया। अखबारों में बहुत सी बातें छपती हैं, उन सारी बातों की तरफ हम कुछ नहीं कह सकते हैं कि कहां तक वे ठीक हैं या कहां तक गलत हैं। जैसा मैंने आपसे कहा कि एक अखबार में छपा है कि यह कन्फयूजन की वजह से हुआ है। ये सारी बातें कोर्ट आफ इंक्वायरी देखेगी कि इसमें क्या सच्चाई है या क्या सच्चाई नहीं है और उसकी रिपोर्ट सरकार के सामने आएगी।

इन्होंने यह भी कहा कि क्या वजह है कि काक-पिट में जो लोग थे, वे बच गए और जो लोग बीच में थे, वे बच गए और जो आखिर में थे, उन्हीं लोगों की मृत्यु हुई है ? उपाध्यक्ष महोदय यह आप समझ सकते हैं कि एक्सीडेंट कैसे हुआ, इसमें हवाई जहाज को किस तरह से चोट पहुंची है, कैसे टटा, कैसे गिरा, ये सब जांच करने की चीज है। इसके सम्बन्ध में माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि इसके सम्बन्ध में कोर्ट आफ इंक्वायरी से 30 सितम्बर तक की रिपोर्ट मांगी है, उस वक्त तक के लिए वे इन्तजार करें।

जहां बोइंग-707 के रिजैक्शन की बात है। मैं माननीय सदन को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो भी इस वक्त हमारे पास बोइंग-707 हैं, उनकी बराबर जांच होती है और जांच करके ही हम उनको फिर सेवा में लगाते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होती है। बात यह है कि बोइंग-707 में खर्चा ज्यादा लगता है ! आपरेशन कास्ट बहुत ज्यादा है। इसलिए 707 को बदल कर लोग दूसरे जहाज ले रहे हैं, जिसमें आपरेशन कास्ट बहुत कम है। हमने भी यह तय किया है कि जितने भी हमारे पास जहाज हैं, उनको 1985 तक फेज-आउट करके दूसरे हवाई

जहाज लेंगे, जिसमें कि आपरेशनल कास्ट कम आता है। इसमें पयूल ज्यादा लगता है और कोई वजह नहीं है।··· (व्यवधान)···

आप जो बतलायेंगे, उसको भी सोचेंगे। इन्होंने रमन्ना साहब के ब्रिफकेस के बारे में कहा है कि वह गायब हो गया है और यह भी कहा कि बाद में मिल गया। उनके भी कागजात थे, जो सारी चीजें थीं, वे मिलीं या नहीं मिलीं, इस बारे में हम लोगों को मालूम नहीं है। यह आप पता कर सकते हैं और वह भी बतला सकते हैं। यह आपने कहा है कि बाद में उनको ब्रिफकेस मिल गया है। जहां तक डी० जी० सी० ए० की इंक्वायरी का सवाल है, इसके बदले में आप इन्डिपेंडेंट इन्क्वायरी की बात करते हैं। इसका भी उत्तर मैंने आपको दे दिया है। डी० जी० सी० ए० की इन्क्वायरी प्रारम्भिक इन्क्वायरी है और कानून के मुताबिक, जब कोई एक्सीडेंट होता है तो डी० जी० सी० ए० एटोमेटिकली आर्डर देता है और इन्क्वायरी आरम्भ हो जाती है। मैंने बतलाया कि कोर्ट आफ इन्क्वायरी सेट-अप होती है, उस वक्त चाहे इन्क्वायरी बन्द हो जाती है या वह जैसा हुकम देता है, उसके मुताबिक काम करते हैं।

———

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के साथ भारत की विस्तारित व्यवस्था के कार्यक्रम के बारे में वक्तव्य

वित्त मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : मेरे से पूर्ववर्ती माननीय वित्त मन्त्री महोदय ने 23 नवम्बर, 1981 को सदन को सूचित किया था कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा 9 नवम्बर, 1981 को एक विस्तारित व्यवस्था का अनुमोदन कर दिया गया है जिसकी राशि 5 अरब एस० डी० आर० है तथा संवितरण की अवधि 3 वर्ष है। यह व्यवस्था सरकार के विदेशी समायोजन कार्यक्रम के समर्थन में है जो अनिवार्य रूप से छठी आयोजना पर आधारित है। विस्तारित व्यवस्था के पहले वर्ष के कार्यक्रम के अन्तर्गत, भारत को 30 जून, 1982 तक 90.00 करोड़ एस० डी० आर० तक की रकम निकालने का अधिकार प्राप्त था। पहले वर्ष का कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा हो गया है और कार्यक्रम मे परिकल्पित खरीदारियां सम्यक रूप से कर ली गई हैं।

2. मुझे सदन को सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि दूसरे वर्ष के कार्यक्रम के सम्बन्ध में कोष के साथ बातचीत सफलतापूर्वक पूरी हो गई है और कोष ने 9 जुलाई, 1982 को दूसरे वर्ष के कार्यक्रम का अनुमोदन कर दिया है जिससे भारत को जुलाई, 1982 से 30 जून, 1983 तक की अवधि में 180 करोड़ एस० डी० आर० की एक अन्य राशि निकालने में सहायता मिलेगी।

3. वर्ष 1982-83 का कार्यक्रम जो उन नीतियों पर आधारित होगा जिन्हें अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक के नाम लिखे दिनांक 8 जून, 1982 के मेरे पत्र के साथ कोष को भेजे गए एक विवरण में वर्णित किया गया है। इन कागज-पत्रों की प्रतियां संसदीय पुस्तकालय में रख दी गई हैं।

4. इन कागज-पत्रों के अवलोकन से माननीय सदस्यों को पता चल जाएगा कि नीति सम्बन्धी विवरण में उन मूलभूत नीतियों और कार्यक्रमों पर जोर दिया गया है जिन्हें इस सदन द्वारा समय-समय पर अनुमोदित किया गया है। मैं इन नीतियों का विशद विवेचन नहीं करना चाहता क्योंकि इन्हें सरकार द्वारा 23 नवम्बर, 1981 को दिए गए उक्त वक्तव्य में तथा उस समय संसदीय पुस्तकालय में रखे गए संगत कागज पत्रों में पूर्ण रूप से वर्णित किया जा चुका है।

5. फिर भी, मैं कार्यनिष्पादन सम्बन्धी उन मानदण्डों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जिन्हें वर्ष 1982-83 के कार्यक्रम के सम्बन्ध में स्वीकार किया गया है। चालू राजकोषीय वर्ष के सम्बन्ध में हम राजकोषीय वर्ष के अन्त तक कुल घरेलू ऋण की बकाया राशि को राजकोषीय वर्ष 1981-82 के 73,729 करोड़ रुपए की बकाया राशि के मुकाबले अधिक से अधिक 87 679 करोड़ रुपए तक सीमित रखने के अपने इरादे का संकेत दे चुके हैं। इससे यह पता चलता है कि 26 मार्च, 1982 की बकाया राशि के मुकाबले वर्ष के दौरान घरेलू ऋण में लगभग 18.9 प्रतिशत तक विस्तार कर दिया गया है। मुझे विश्वास है कि सदन इस बात से सहमत होगा कि यह सीमा मुद्रास्फीति पर अंकुश रखते हुए अर्थव्यवस्था की समुचित ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से पूरा करने के उद्देश्य के अनुरूप है।

6. राजकोषीय वर्ष 1982-83 के अन्त तक केन्द्र और राज्य सरकारों को कुल मिलाकर बैंकिंग प्रणाली से प्राप्त कुल निवल ऋण की बकाया राशि को, 26 मार्च, 1682 के 30 903 करोड़ रुपए की बकाया राशि के मुकाबले, 36,453 करोड़ रुपए तक सीमित रखने का प्रस्ताव है। इस तरह राजकोषीय वर्ष 1982-83 में बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से सरकार को प्राप्त होने वाले निवल ऋण में 5,550 करोड़ रुपए की वृद्धि होगी जबकि इसके मुकाबले राजकोषीय वर्ष 1981-82 में सरकार को प्राप्त हुए निवल ऋण में 5167 करोड़ रुपए की वास्तविक वृद्धि हुई थी।

7. राजकोषीय वर्ष 1982 83 में सरकार का 12 वर्ष तक की परिपक्वता वाले गैर-रियायती ऋणों की सरकारी रूप से संविदा करने तथा उनकी गारंटी देने की सीमा को 1.4 अरब एस० डी० आर० तक करने का इरादा है। इस सीमा में केवल सहायता ऋणों को ही शामिल नहीं किया गया है बल्कि उन ऋणों को भी शामिल नहीं किया गया है जिनकी परिपक्वता अवधि 12 वर्ष से भी अधिक है। इसके अलावा, इस राशि में उड़ीसा स्थित नए इस्पात संयंत्र के लिए तथा सिंगरौली स्थित उच्च तापीय संयंत्र, दौर-II के लिए भी ऋण शामिल नहीं होंगे। वर्ष 1982-83 के लिए विदेशी वाणिज्यिक ऋणों पर लगाई गई इस सीमा में ऐसे साधनों के सम्बन्ध में अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं का ध्यान रखा गया है तथा यह सीमा विदेशी ऋणों के विवेकपूर्ण प्रबन्ध की हमारी नीति के अनुरूप भी है।

8. अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि विस्तारित व्यवस्था के अन्तर्गत वर्ष 1982-83 के कार्यक्रम से हमारे भुगतान शेषों की क्षमता को फिर से स्थापित करने की सरकार की नीति को प्रभावकारी ढंग से क्रियान्वित करने में सहायता मिलेगी। पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम उत्पादों, उर्वरकों, इस्पात, खाद्य तेलों तथा अलौह धातुओं का घरेलू उत्पादन बढ़ाने पर

विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस तरह से आयात प्रतिस्थापन बराबर हमारे भुगतान शेषों की समस्याओं के निराकरण के लिए हमारी नीति का एक प्रमुख अंग बना हुआ है। इसके साथ-साथ निर्यात बढ़ाने के लिए प्रयासों में तेजी लाई जा रही है। वर्ष 1981-82 में इस दिशा में काफी अधिक प्रगति हुई है।

9. वर्ष 1982-83 के कार्यक्रम में हमारी वे प्राथमिकताएं तथा नीतियां प्रतिबिम्बित हैं जिन्हें संसद द्वारा अनुमोदित किया गया है। सरकार की बराबर यह कोशिश रहेगी कि विस्तारित व्यवस्था के कार्यान्वयन के दौरान हमारी मूलभूत नीतियों की कोई अवहेलना न हो।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : आप उस पर चर्चा की अनुमति दें।

उपाध्यक्ष महोदय : अभी नहीं।

श्री सत्यसाधन चक्रबर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : क्या उस पर कोई चर्चा होगी ?

उपाध्यक्ष महोदय : उस पर कोई चर्चा नहीं होगी। अब हम अगले विषय को लेंगे। श्री भीष्म नारायण सिंह अब प्रस्ताव पेश करेंगे।

कार्य मंत्रणा समिति

31वां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 9 जुलाई, 1982 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मंत्रणा समिति के 31वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे पास प्रो० अजित कुमार मेहता की संशोधन की एक सूचना है। संशोधन की सूचना में उन्होंने कहा है कि मजदूर संघ (संशोधन) विधेयक 1982 की चर्चा के लिये समय 3 से 6 घंटे बढ़ाया जाये। मजदूर संघ (संशोधन) विधेयक 1982 के लिए ये समय को 3 से 6 घंटे बढ़ाना चाहते हैं, जैसे कि कार्य मंत्रणा समिति ने निर्णय दिया है। इसी प्रकार, ये कार्य अधिग्रहण (संशोधन) विधेयक, 1982 के लिए भी समय को चार घंटे से आठ घंटे बढ़ाना चाहते हैं। फिर ये यह भी चाहते हैं कि छावनी (संशोधन) विधेयक, 1982 के लिये भी समय तीन घंटे से बढ़ाकर छः घंटे किया जाये।

मैं प्रो० मेहता से अनुरोध करता हूं कि वे सहयोग करें और अपने संशोधन को पेश न करें। कार्य मंत्रणा समिति ने इसका निर्णय किया है और आपकी पार्टी का भी उसमें प्रतिनिधित्व है। यदि आप इसे उठायें तो आप अनुशासन भंग करेंगे। इस संशोधन को पेश करना उचित नहीं है। मैं आपसे विशेष अनुरोध करता हूं। आपका प्रश्न क्या है, कृपा करके बतायें।

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : मैं तो यह कहना चाहता हूं कि ये इतने महत्वपूर्ण विषय हैं और इनके लिए समय का निर्धारण जो हुआ है, वह बहुत कम है जैसे लैंड एक्वीजीशन (एमेंडमेंट) बिल है···

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी पार्टी उससे सहमत हुई है ।

प्रो० अजित कुमार मेहता : इसी तरह से केन्टोनमेंट्स (एमेंडमेंट) बिल है और ट्रेड यूनियन्स (एमेंडमेंट) बिल है । ये सब बड़े महत्वपूर्ण विषय हैं और हजारों हजार लोग इनसे प्रभावित होते हैं । इसलिए निश्चित रूप से इन पर बहस का समय बढ़ाया जाना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपा इसे पूर्वोदहारण के रूप में पेश न करें, मैंने आपको विशेष तौर पर अनुमति दी है ।

प्रो० अजित कुमार मेहता : मेरी बात आप सुन तो लीजिए । आपने जो यह कहा कि हमारी पार्टी के रेप्रेजेन्टेटिव ने भी इससे एग्री किया है, तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या आगे से यह परिपाटी बनेगी कि केवल इन्डिपेन्डेंट सदस्य ही इसके बारे में संशोधन ला सकते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 9 जुलाई, 1982 की सभा में प्रस्तुत किये गये कार्य मंत्रणा समिति के 31वें प्रतिवेदन से सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

विधेयक

(एक) संसद सदस्य वेतन, भत्ते तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं "कि संसद सदस्य वेतन, भत्ते तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक 1982 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संसद सदस्य वेतन, भत्ते तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 1982 को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री भीष्म नारायण सिंह : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

(दा) सम्पदा शुल्क (संशोधन) विधेयक

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : श्री प्रणव मुखर्जी की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि सम्पदा शुल्क अधिनियम, 1953 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सम्पदा शुल्क अधिनियम, 1953 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

(तीन) पूर्त विन्यास (संशोधन) विधेयक

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : मैं श्री प्रणव मुखर्जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि पूर्त विन्यास अधिनियम, 1890 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जायें ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पूर्त विन्यास अधिनियम, 1890 का और संशोधन करने वाले विधेयक का पुरःस्थापित की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

तत्पश्चात् लोकसभा मध्यान्ह भोजन के लिए 2 बजकर 15 मिनट म० प० तक के लिए स्थगित हुई ।

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोकसभा 2 बजकर 17 मिनट पर पुनः समवेत हुई ।
(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) बिहार की बन्द पड़ी कटिहार जूट मिल को पुनः चलाने की आवश्यकता

श्री तारिक अनवर (कटिहार) : मैं केन्द्रीय वाणिज्य मन्त्री का ध्यान कटिहार जूट मिल, कटिहार (बिहार) की तालाबन्दी और उसे बन्द करने के समाचार की ओर आकर्षित करना चाहता

हूं। जैसा कि मुझे पता चला है यह जूट मिल कुप्रबन्ध और धन के अभाव के कारण रुग्ण चल रही थी। इस मिल की ओर अत्यधिक विद्युत शुल्क बकाया होने के कारण विद्युत विभाग ने मिल की विद्युत सप्लाई को काट दिया है। जूट मिल के बन्द हो जाने से हजारों गरीब मजदूर और उनके परिवार भूखों मरेंगे। चूंकि मैं इस क्षेत्र का प्रतिनिधि हूं, इसलिए मेरा यह नैतिक दायित्व है कि मैं इस मिल को पुनः चालू कराऊं।

अतः मैं वाणिज्य मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इसमें व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करें ताकि मजदूर अपनी मजदूरी और जीविका प्राप्त कर सकें। मैं वित्त मन्त्री से भी विद्युत शुल्क की बकाया राशि के भुगतान तथा अन्य आवर्ती खर्चों के भुगतान के लिए पर्याप्त धन देने का अनुरोध करता हूं।

(दो) पूर्वोत्तर रेलवे के बरेली-पीलीभीत-शाहजहांपुर-बहेड़ी बदायूं सेक्शन में गाड़ियों का देरी से चलना

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : मान्यवर, एन० ई० आर० के बरेली-पीलीभीत-पूरनपुर-शाहजहांपुर, बहेड़ी बदायूं सेक्शन में रेलगाड़ियां आमतौर से 6 से 8 घंटे तक लेट चल रही है यहां तक कि एक्सप्रेस ट्रेनें भी 4 5 घंटे लेट चलती हैं। यह क्रम 2 वर्षों से अबोध गति से चल रहा है। परिणाम यह है कि न्यायालय को जाने वालों को विशेष रूप से तथा अन्य यात्रियों को सामान्यतः भारी कठिनाई व हानि उठानी पड़ती है। साथ ही रेल विभाग को अत्यधिक आर्थिक हानि हो रही है क्योंकि यात्री रेल पर न बैठकर बसों से यात्रा करने में अधिक सुविधा एवं समय की बचत अनुभव करते हैं।

इस समस्या को विशेष रूप से लेकर एन० ई० रेलवे डेली पैसेंजर्स एसोसिएशन तथा एन० ई० आर० के इज्जत नगर डिवीजन के अधिकारियों की एक बैठक 9.8.81 को बदायूं में हुई थी, जिसमें अधिकारियों ने ट्रेन्स को ठीक समय पर चलाने का आश्वासन दिया था। समझ में नहीं आता कि 50-60 किलोमीटर के अन्दर ही इस विभाग में ट्रेन्स क्यों इतना लेट हो जाती हैं। इस बैठक के पश्चात् भी लेट रनिंग कम होना तो दूर उल्टे बढ़ गया है।

मैं माननीय रेल मन्त्री से मांग करता हूं कि वे उपरोक्त भाग में ट्रेनों को समय से चलाने की अविलम्ब व्यवस्था करें तथा इस मार्ग पर चलने वाली एक्सप्रेस व मेल ट्रेनों में डीजल इन्जन लगाकर यात्रियों की सुविधाजनक रूप से यात्रा कराने की मांग भी स्वीकार करें।

(तीन) राजस्थान सीमा होकर भारत-पाकिस्तान के बीच रेल और सड़क यातायात खोले जाने सम्बन्धी कार्यवाही

श्री अशोक गहलोत (जोधपुर) : सन् 1965 से भारत-पाकिस्तान के बीच राजस्थान के बाड़मेर जिले के मुनाबो खोखरापार से रेल सड़क मार्ग बन्द पड़ा है, जिसके कारण राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश इत्यादि क्षेत्रों के लोगों को जो अपने रिश्तेदारों से मिलने हैदराबाद, सिंध एवं मीरपुर खास

(पाकिस्तान) जाना चाहते हैं उन्हें दिल्ली, अमृतसर, लाहौर (पाकिस्तान) की लम्बी यात्रा तय कर हैदराबाद, सिंध पहुंचना पड़ता है, जिससे प्रति व्यक्ति 400 रुपए व चार दिन का समय लग जाता है, जबकि अगर बाड़मेर होकर पाकिस्तान जाने का रास्ता खोल दिया जाता है तो मात्र 23 रुपए के खर्च व 30 घंटे के समय में ही यात्री हैदराबाद, सिंध या मीरपुर खास (पाकिस्तान) पहुंच सकेगा। देश के विभाजन के समय राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश दिल्ली के निवासी ही पाकिस्तान के हैदराबाद, सिंध, मीरपुर खास में जाकर बसे थे। इस कारण जाने वाले यात्री इन्हीं प्रदेशों से अधिक संख्या में जाते हैं एवं पाकिस्तान से आने वाले यात्री भी इन्हीं प्रदेशों में अपने रिश्तेदारों से मिलने आते हैं।

मेरा प्रधान मन्त्री जी, सरकार व विदेश मन्त्री जी से निवेदन है कि यात्रियों की सुविधा के हित में एवं क्षेत्र के विकास की संभावना को देखते हुए मुनाबा-खोखरापार मार्ग खोलने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें।

(चार) दिल्ली में कालेजों और स्कूलों में प्रवेश की समस्या

श्री चतुर्भुज (झालावाड़) : देहली के अन्दर सभी बड़े स्कूलों में एवं कालेजों में विद्यार्थियों के दाखिले बन्द कर दिए गए हैं। करीब 25 हजार विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु उच्च स्कूलों में प्रवेश लेने से वंचित हो गए हैं। 25 हजार विद्यार्थी अधिकांश लघु एवं सीमांत कृषकों के बालक, मजदूरों के बालक छोटे व्यापारी एवं कमजोर वर्ग के बालक हैं। क्या 20 सूत्री कार्यक्रम जो छोटे वर्ग के लिए प्रस्तुत किया गया है—इसके अन्तर्गत उक्त विद्यार्थी उच्च शिक्षा से वंचित नहीं हैं एवं उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें इस हेतु केन्द्र सरकार क्या प्रबन्ध कर रही है। अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करें।

(पांच) बिहार सरकार की दो पेट्रो-रसायन परियोजनाओं को केन्द्र द्वारा स्वीकृति

प्रो० अजीत कुमार मेहता (समस्तीपुर) : यह विडम्बना ही है कि अक्षय प्राकृतिक सम्पदाओं से परिपूर्ण राज्य बिहार के अधिकांश निवासी गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करें। उनकी आजीविका का परम्परागत साधन कृषि जनसंख्या में वृद्धि के कारण अलाभकर जोत में परिणत हो गया है। अतः यहां के लोगों को पिछड़ेपन से मुक्त करने के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने और बेरोजगारी मिटाने के लिए राज्य में उद्योग-धन्धे का और विस्तार आवश्यक है। इस उद्देश्य से बिहार सरकार ने सोच-विचार कर दो पेट्रो केमिकल परियोजनाएं : 1—कैल्शियम कार्बाइड-पी० वी० सी० परियोजना और 2-पोलिस्टरीन परियोजना तैयार कर केन्द्र को स्वीकृति के लिए भेजा है। दूसरे राज्यों की इस प्रकार की परियोजनाओं को तो स्वीकृति मिल चुकी है, परन्तु बिहार की परियोजना अभी तक लम्बित है। जिसे विकास की प्रक्रिया तीव्र करने के लिए शीघ्र स्वीकृति मिलनी चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार से आग्रह है कि उक्त योजनाओं पर अविलम्ब स्वीकृति प्रदान करें।

(छः) स्वतन्त्रता सेनानियों की पेंशन बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : सरकार ने स्वतन्त्रता सैनानी पेंशन योजना, 1972 को 1.8.80 से "स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना" के नाम से उदार बनाकर हजारों सेनानियों

की भारी सेवा की है। सभी सेनानियों ने इस उदार योजना का हार्दिक स्वागत किया है तथा सरकार को इसके लिए बधाई दी है।

परन्तु महंगाई में वृद्धि के साथ सैनानियों की कठिनाइयां भी बढ़ती जा रही हैं। इसलिए, उनकी मांग है कि प्रतिमाह मिलने वाली पेंशन की राशि को तीन सौ रुपए से बढ़ाकर चार सौ रुपए कर दिया जाए।

प्राय: सभी सेनानी बूढ़े हो चुके हैं। ऐसे लोगों को रोग आसानी से धर दबाता है जिसके लिये इलाज की सख्त जरूरत ही है। इसके लिए भारत सरकार की ओर से चिकित्सा के लिए कम से कम एक सौ रुपये माहवारी प्रत्येक सेनानी को अतिरिक्त राशि के रूप में देने की व्यवस्था की जानी चाहिये। इस प्रकार कुल मिलाकर सेनानियों को प्रत्येक माह पांच सौ रुपये पेंशन के रूप में दिया जाए।

सेनानियों में इस बात से घोर असन्तोष है कि सन् 1931 के गांधी इर्विन समझौते के बाद जेलों से रिहा सभी सेनानियों को सम्मान पेंशन की राशि नहीं दी जा रही है। इस ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिये।

स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना के अन्तर्गत गठित गैर सरकारी-सलाहकार समिति ने गृह मंत्री की अध्यक्षता में हुई अपनी 18 जून, 1982 की बैठक में सर्वसम्मति से सिफारिश की थी कि (1) स्वेज कैनाल और अम्बाला कैंट के मामलों से सम्बन्धित व्यक्तियों (2) सी० आई० एच० विद्रोह और मिस्र विद्रोह के मामलों में कैद की सजा काटे व्यक्तियों (3) 1871 के कूका आन्दोलन में भाग लेने वाले व्यक्तियों (4) 1940 के हालवेल स्मारक हटाओ आन्दोलन में भाग लेने वाले व्यक्तियों (5) रानी झांसी रेजिमेंट की भूतपूर्व आजाद हिन्द की उन महिलाओं को जो युद्ध के मोर्चे पर लड़ी थीं, स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन की राशि दी जाए। समिति ने यह भी सिफारिश की थी कि जेलों में रहते स्वतन्त्रता सेनानी माता पिता के पैदा हुए बच्चों तथा जो उनके साथ जेलों में अर्हक अवधि तक रहे उन्हें सम्मान पेंशन देने की व्यवस्था की जाये। बाद की बैठक में समिति ने पुनप्रा वायलार, तेलंगाना आन्दोलन और मोपला आन्दोलन में भाग लेने वाले सेनानियों को भी पेंशन देने की सिफारिश की।

सलाहकार समिति की सिफारिशों को एक साल गुजर गया है। फिर भी दुख और आश्चर्य की बात है कि उसकी सिफारिशों को अब तक अमल में क्यों नहीं लाया गया। अखिल भारतीय स्वतन्त्रता सेनानी संगठन ने अपनी गत 6 जुलाई की बैठक में उक्त सिफारिशों को फौरन लागू करने की मांग की है।

सरकार को इन सारी बातों के बारे में सदन के सामने शीघ्र एक वक्तव्य प्रस्तुत करना चाहिये।

———

विशेषाधिकार समिति

दूसरा प्रतिवेदन

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री रामविलास पासवान अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : मैंने प्रस्ताव में संशोधन प्रस्तुत किया था।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें प्रस्ताव प्रस्तुत करने दो। तभी आप जान पाएंगे कि प्रस्ताव क्या है।

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : मैं प्रस्ताव करता हू :

"कि यह सभा 21 अप्रैल 1982 को सभा में प्रस्तुत किए गए विशेषाधिकार समिति के दूसरे प्रतिवेदन पर विचार करती है।"

उपाध्यक्ष महोदय, आज का जो विषय है वह किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, किसी दल विशेष का नहीं बल्कि ऐसा विषय है जो सदन और सदस्यों की गरिमा से सम्बन्ध रखता है। इस सदन की परिपाटी आज से नहीं अंग्रेजों के समय से ही यह चली आ रही है कि इस सदन और इसके सदस्यों की गरिमा की रक्षा की जाये। हमारे सामने विट्ठल भाई पटेल का फोटो लगा हुआ है। उन्होंने अंग्रेजों के समय भी प्रतिकार किया था और सदन की गरिमा और मर्यादा को कायम रखा था। चाहे इस पक्ष के या उस पक्ष के सदस्य हों, वरिष्ठ से वरिष्ठ हों या नये से नये सदस्य हों सभी को आज यह महसूस हो रहा है कि सदस्यों की प्रतिष्ठा अफसरों के मुकाबले में घटती जा रही है और ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता है जिस दिन किसी न किसी सदस्य का ह्यूमिलियेशन न होता हो। माननीय सदस्य का अपमान नहीं होता हो। और कोई एक भी उदाहरण नहीं है कि जिसमें किसी भी अफसर के खिलाफ किसी सदस्य ने शिकायत की हो और उस अफसर को प्रताड़ित किया गया हो। उल्टे जिस अफसर के खिलाफ मामला होता है, बना बनाया एक जवाब आता है जिसके तहत नीचे से ऊपर के अधिकारी और मंत्री तक उसी जवाब को यहां पढ़ दिया करते है और अफसर खुश हो जाते हैं। और बाद में उस अफसर को जिसके खिलाफ शिकायत होती है, प्रोमोशन भी मिल जाता है। मैं चाहूंगा कि प्रिवलेज कमेटी की जो सेकेन्ड रिपोर्ट है, उस कमेटी के जितने विद्वान सदस्य हैं और खास करके जो उसके सभापति हैं उनके प्रति मेरी बड़ी आस्था है, समिति की रिपोर्ट को ही देखा जाय जो इन्होंने साक्ष्य लिया है तो शायद ही कोई ऐसा सदस्य है जिसने अफसर के करतूत को सराहनीय कहा हो, सबने उसकी निन्दा की है एक स्वर से। माननीय सदस्य, श्री कुंवर राम, यहां बैठे हुये हैं, 29 नवम्बर, 1980 की घटना है, ये स्कूटर पर अपने लड़के के साथ पटना सेक्रेटेरिट गये थे, शनिवार का दिन था, सेक्रेटेरियट चारों तरफ से घेर करके बन्द किया हुआ था, उसी के बीच में बैंक है, उस दिन शनिवार होने की वजह से बैंक 12 बजे तक खुला था। यह 12 बजे से 10 मिनट पहले ही जाते हैं अपने बैंक से पैसा निकालने के लिये। सही बात माननीय सभापति जी और सदस्यों ने पूछी थी कि जहां बैंक में लोगों का पैसा जमा रहता है उस गेट को बन्द रखने की क्या तुक है ? लेकिन वह दूसरा मामला है। जब माननीय सदस्य वहां जाते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि तुम्हारे पास आइडेंटिटी कार्ड है तुम एम० पी० हो ? वह अपने

लड़के को भेजकर कार्ड मंगाते हैं। उसके बाद उनको कहा जाता है कि तुम नहीं जा सकते हो। माननीय सदस्य ने कहा कि हमारी बीवी बीमार है, हमें पैसा निकालना है। कहा गया तुम नहीं जा सकते हो। उसके बाद माननीय सदस्य धरना पर बैठ जाते हैं। उस समय उनके साथ गाली गलौज दी गयी, जिसका सदस्य ने जिक्र किया है, जितनी भी गाली दी गई हैं उसको मैं यहां नहीं कह सकता हूं। और कहा गया तुम्हारी आंखें निकाल लेंगे। गिन करके 35 डंडे मारेंगे, बाद में 50 हो गये। इस तरह से माननीय सदस्य का ह्यूमिलिएशन होता है गाली दी जाती है। माननीय सदस्य कहते हैं कि मैं यहां से नहीं उठूंगा जब तक मुख्य मंत्री या कोई वरिष्ठ अधिकारी नहीं आता। उसके बाद एक मंत्री आते हैं वह इनको लेकर चीफ मिनिस्टर के यहां जाते हैं। तो माननीय सदस्य के शब्द हैं पृष्ठ 44 पर, माननीय सदस्य कहते हैं कमेटी के सामने 'ऐसा लगा कि जितना पुलिस ने अपराध नहीं किया था उससे ज्यादा मुख्य मंत्री ने अपराध किया। यह तो सच्ची घटना है, उसके बाद उन्होंने कहा मुख्य मंत्री ने डांट कर कहा तुम बेवकूफ हो, तुम लिखकर दे दो। इन्होंने लिखकर दिया, उसी दिन 29 तारीख को लिखकर दिया। सदन में मामला उठाया गया 5 दिसम्बर, 1980 को/उसके बाद पुलिस रेकार्ड करती है 15 जनवरी को। होम कमिश्नर, श्री अरुण पाठक से जब कमेटी के सामने पूछा जाता है, श्री सोमनाथ चैटर्जी ने पूछा क्या आपने यह जानने का प्रयत्न किया कि नगर पुलिस अधीक्षक ने किस प्रकार मामले की जांच की? तो होम कमिश्नर कहते हैं "मैंने कोई स्वतंत्र जांच नहीं की।"

फिर पेज 53 पर श्री चैटर्जी पूछते हैं, "आपने जानने का प्रयत्न नहीं किया कि माननीय सदस्य का कथन क्या है?"

होम कमिश्नर कहता है कि जी नहीं, नहीं किया।

श्री पी० शिवशंकर जी कहते हैं कि क्या हम समझें कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पुलिस ने अपनी सीमाओं का उल्लंघन किया? अरुण पाठक कहता है कि स्पष्टतः इसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है।

चटर्जी साहब कहते हैं कि पुलिस सही है या माननीय सदस्य? अरुण पाठक कहता है कि पुलिस वहां उपस्थिति थी, हो सकता है कि उसने असंसदीय भाषा का प्रयोग किया हो।

श्री पी० शिव शंकर, जो उस समय ला मिनिस्टर थे, कहते हैं कि पुलिस ने अपनी सीमाओं का उल्लंघन किया और माननीय सदस्य की भावनाओं को ठेस पहुंचायी? गृह-आयुक्त कहता है कि जी हां माननीय सदस्य की भावनाओं को ठेस पहुंचायी गई थी।

पेज 55 पर चटर्जी साहब कहते हैं कि क्या आप जानते हैं कि इस निरीक्षक ने किसी प्रकार की जांच की? क्या उन्होंने माननीय सदस्य के विचार लिये, क्या इस निरीक्षक ने स्वतंत्र साक्षियों के विचार और उनके बयान लिये अथवा नहीं? ऐसा लगता है कि आपको कुछ भी पता नहीं है। अरुण पाठक कहता है कि मैंने कोई जांच नहीं की।

उसके बाद शिवशंकर जी कहते हैं, आप आयुक्त हैं, आप एक जिम्मेदार और बहुत ऊंचे अधिकारी हैं, जो कुछ हुआ आप उसकी जांच किये बिना कैसे उसकी पुष्टि कर सकते हैं, मैं इस बात से हैरान हूं?

श्रीमती शीला कौल कहती हैं कि क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि आपको विशेषाधिकार समिति के समक्ष जवाब देने के लिए आना है, क्या आप इस समिति के महत्व को समझते हैं ?

श्री जी० एल० डोगरा जी ने कहा कि सभी सदस्य किसी भी समय सचिवालय में जाने के अधिकारी हैं, वास्तव में सरकार चला रहे हैं, ऐसा आप मानते हैं ? होम कमिश्नर कहता है कि हम इस मामले में ऐसा नहीं सोचते।

संसद्-सदस्य न जा सकता, असेम्बली का मेम्बर नहीं जा सकता है, उसके लिये ताला लगा दिया जायेगा। वह पूछते हैं कि क्या सदस्य को हक है, सदस्य भी सरकार चला रहे हैं, ऐसा आप महसूस करते हैं ? वह कहता है मैं ऐसा नहीं मानता। यह एरोगैन्ट जवाब है उसका।

डोगरा जी कहते हैं कि क्या सिपाही के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई थी जबकि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने क्षमा याचना कर ली ? जब इन लोगों ने होम कमिश्नर से रिपोर्ट मांगी तो होम कमिश्नर ने उल्टा सीधा रिपोर्ट दिया जो माननीय सदस्य ने कहा था। सीनियर सुपरिन्टडेंट आफ पुलिस श्री पांडे ने यह रिपोर्ट दी। जो जमादार था पांडे, उसने सीधा खिलाफ में रिपोर्ट दिया। इन्क्वायरी आफिसर तिवारी ने अपनी रिपोर्ट खिलाफ दे दिया। उसी के आधार पर यहां से कह दिया गया।

एक संसद्-सदस्य का मामला होता है, प्रिविलेज कमेटी में मामला रैफर किया जाता है सम्मानित सदन इस मामले को भेजता है और अफसर को इतनी भी तमीज नहीं है कि होम कमिश्नर अपने आप जाकर इन्क्वायरी करे। होम कमिश्नर को पूछा जाता है कि तुमने इन्क्वायरी किया, तो कहता है कि नहीं। किससे इन्क्वायरी करवायी तो कहताहै सीनियर एस० पी० से सीनियर एस० पी० से कहा जाता है कि तुमने इन्क्वायरी किया, वह कहता है नहीं। उससे पूछा जाता है किसने इन्क्वायरी की तो कहता है इन्क्वायरी वेस्ट है नगर पुलिस अधीक्षक पर। नगर पुलिस अधीक्षक, सिटी एस० पी० से पूछा जाता है कि तुमने इन्क्वायरी किया तो कहता है कि उसने नहीं किया। किसने इन्क्वायरी किया ? इन्सपैक्टर आफ पुलिस ने किया।

इन्सपैक्टर आफ पुलिस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन हमारे कमेटी के सदस्य हैं, वह कहते हैं, कि अधिकारी ने अपोलोजी मांग लिया। इसलिये यह सबसे बड़ी चीज हो गई।

रोज ह्यूमिलियेशन हो रहा है। हमारे एक मेम्बर श्री जगपाल सिंह जी उठा रहे थे, उनके साथ ह्यूमिलियेशन हुआ, जाटिया जी के साथ ह्यूमिलियेशन हुआ, तमाम सदस्यों के साथ ह्यूमिलियेशन होता है लेकिन पुलिस कमिश्नर आकर कह देता है कि हमसे थोड़ी गलती हो गई, वह भी जबर्दस्ती।

सभापति महोदय ने कहा कि पहली रिपोर्ट में यह कहा गया कि संबंधित सिपाही को प्रोड्यूस करो, तो कहा कि छुट्टी पर है। सभापति महोदय ने कहा कि पहली रिपोर्ट में बताया गया कि सिपाही छुट्टी पर था, इसलिये उसका बयान नही लिया जा सका, तो क्या आप उसकी छुट्टी के सम्बन्ध में बता सकते है ?

होम कमिश्नर कहता है कि हमने विवरण की जांच नहीं की है ।

श्री पी० शिवशंकर, उस समय के ला-मिनिस्टर, कहते हैं कि समिति को दुख है, इस मामले में साक्ष्य देने आये हुये साक्षियों ने परस्पर विरोधी बातें कही हैं । हमें खेद है कि इतने उच्च अधिकारियों ने संपद्-सदस्य के विशेषाधिकार के सम्बन्ध में अपनी अकर्मण्यता प्रदर्शित की है, आपके पास अपनी अकर्मण्यता के लिये कोई स्पष्टीकरण है ? श्री शिवशंकर ने होम कमिश्नर से पूछा कि आप वरिष्ठ अधिकारी हैं, आपका निष्कर्ष है कि पुलिस ने अपनी सीमा का उल्लंघन किया और माननीय सदस्य की भावनाओं को ठेस पहुँचाई, लेकिन जब आप इस निर्णय पर पहुंच गए, तब भी आपने कुछ नहीं किया, आप अपनी अकर्मण्यता की क्या सफाई देते हैं । होम कमिश्नर कहता है : "फीलिंग्स जरूर इन्जर हुई हैं ।" माननीय सदस्य को इस तरह बेइज्जत करके अफसर इस तरह का जवाब देते हैं ।

सबसे दुखद स्थिति यह है—माननीय सदस्य बैठे हुए हैं, उनसे पूछिए—कि वह अफसर वहां जाकर कहता है कि मैंने कमेटी के सामने माफी मांग ली , मगर मैं तुमसे बदला लूंगा, तुमको सबक सिखाऊंगा ! यह मेम्बर आफ पार्लियामेंट की डिग्निटी है । जहां तक चीफ मिनिस्टर का सम्बन्ध है, सभापति महोदय ने स्वयं कहा है कि या तो चीफ मिनिस्टर को बुलाया जाना चाहिये था या उससे रिपोर्ट मांगी जानी चाहिये थी । चीफ मिनिस्टर माननीय सदस्य को कहता है कि तुम बेवकूफ हो, लिखकर दो । ऐसा ह्यूमिलियेशन होता है ।

घटना की जांच करवाई जाती है एक पुलिस इंस्पैक्टर से । इस सदन की डिग्नटी और मेम्बर आफ पार्लियामेंट की डिग्नटी का स्टैंडर्ड यह है कि एक इंस्पैक्टर आफ पुलिस घटना की जांच करता है । होम कमिश्नर, सीनियर सुपरिन्टेडेंट आफ पुलिस और एस० पी० धमंड के साथ कहते हैं कि हमने जांच की पुष्टि कर दी है ।

मैं प्रिविलेजिज कमेटी के सभापति महोदय और माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि क्या होम कमिश्नर और सीनियर सुपरिन्टेडेंट आफ पुलिस का यह दायित्व नहीं था कि जिस कांस्टेबल और जमादार ने माननीय सदस्यों को ह्यूमिलिएट किया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया, उनके साथ बदतमीजी की, उनको पनिशमेंट दें । क्या अभी तक उन्हें कोई पनिशमेंट दिया गया है ? सीधी सी बात है कि वह कमेटी के सामने आया और कह दिया कि मैं आपसे क्षमा-याचना करता हूं । जब श्रीमती शीला कौल, श्री शिवशंकर ला-मिनिस्टर और कमेटी के मेम्बरों ने बार-बार कहा कि आप प्रिविलेजिज कमेटी के सामने हैं, आप सोच-समझ कर बात करें, तब वह कहता है कि हमसे गलती हो गई है । क्या कमेटी ने उसका एटीच्यूड देखा ?

कमेटी ने आखिर में अपने निष्कर्षों में कहा है :

"22. समिति ने अपने समक्ष दिये गये साक्ष्य तथा उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात् यह देखा है कि एक ओर श्री अरुण पाठक, गृह आयुक्त, बिहार सरकार तथा श्री ए० के० पांडे, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पटना द्वारा और दूसरी ओर ड्यूटी तैनात कांस्टेबल श्री अब्दुल सत्तार तथा जमादार शिव प पांडे द्वारा समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य के बीच कतिपय महत्वपूर्ण परस्पर-विरोधी बातें हैं ।"

माननीय सदस्य का कहना है कि बैंक में उनका अकाउंट है और वह पैसा निकालने के लिए स्कूटर पर वहां गए थे। लेकिन सिपाही और जमादार कहते हैं कि ये बाहर आदमियों के साथ गेट तोड़ने के लिए आए थे और जबरदस्ती घुसना चाहते थे। उन्होंने यह लिखित दिया। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है ? जब इनके अपने सदस्य के साथ ऐसा व्यवहार होता है, तो दूसरों के साथ क्या होता होगा।

समिति ने पैराग्राफ 24 में कहा है :

"समिति ने यह भी देखा है कि यद्यपि श्री कुंवर राम संसद् सदस्य ने 29 नवम्बर 1980 को मुख्य मंत्री से लिखित रूप में शिकायत की थी, किन्तु संबंधित पुलिस अधिकारियों का बयान 15 जनवरी, 1981 को रिकार्ड किया गया और पुलिस निरीक्षक, सचिवालय पटना ने इस मामले की रिपोर्ट उसी दिन अर्थात् 15 जनवरी, 1981 को नगर पुलिस अधीक्षक पटना को दी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पटना ने भी 16 जनवरी, 1981 को एक रिपोर्ट संयुक्त सचिव, बिहार सरकार को भेजी। इससे इस बात का पता चलता है कि सम्बन्धित अधिकारियों ने कितनी लापरवाही से जांच की थी।

एक ही दिन में इंसपेक्टर लिखकर के देता है, एस० पी० को एन्डोर्स कर देता है, एस० पी० एन्डोर्स कर देता है एम० एम० पी० को और एस० एस० पी० होम कमिश्नर को एन्डोर्स कर देता है। 16 तारीख को यानी दूसरे दिन होम कमिश्नर उसे ज्वाइंट सेक्रेटरी को भेज देता है। कमेटी कहती है कि :

"अत: समिति यह टिप्पणी करती है कि पुलिस द्वारा जांच किये जाने में अनावश्यक विलम्ब किया गया और फिर एक ही दिन में अर्थात 15 जनवरी, 1981 को जांच भी कर ली गयी तथा जांच रिपोर्ट भी भेज दी गई जबकि श्री कुंवर राम, संसद सदस्य ने 29 नवम्बर, 1980 को घटना के तत्काल बाद लिखित रूप में शिकायत कर दी थी।

समिति का विचार है कि पुलिस ने बहुत लापरवाही के साथ तथा सरसरी तौर पर जांच की है और सही-सही तथ्य नहीं बताये हैं। इस सम्बन्ध में श्री अरुण पाठक, गृह आयुक्त बिहार सरकार तथा श्री ए० के० पांडे, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पटना द्वारा समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य से सच्चाई का पता लगाने में बिलकुल सहायता नहीं मिली है।"

क्या किया है उसके ऊपर ? कमेटी ने यह माना है कि होम कमिश्नर ने कमेटी को मिस-गाइड किया, सिनियर सुपरिंटेंडेंट पुलिस ने कमेटी को मिसगाइड किया, रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं कि उसने साक्ष्य में कमेटी को गुमराह करने का प्रयत्न किया, लेकिन एक भी चाबुक आपका उस पर नहीं लगा। इतने जिम्मेदार पदाधिकारी, जिसके हाथ में पूरे स्टेट की बागडोर है वह माननीय संसद सदस्य को इस तरह जलील करता है, गलत रिपोर्ट भेजता है, कमेटी की फाइंडिंग है कि उससे हमको सहायता नहीं मिली है लेकिन वह आकर लास्ट में कहता है कि थोड़ी गलती हुई है तो आपने सीधे-सीधे उसको छोड़ दिया। किसी न किसी रूप में हमें कहीं न कहीं तो खूंटा गाड़ना चाहिए। आज तक स्थिति यही है कि किसी एक भी पदाधिकारी के खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई। माननीय संसद सदस्य के खिलाफ मामला होगा, मिनिस्टर के खिलाफ मामला होगा, बहुत से और

मामले होते है लेकिन एक भी अफसर को आपने आज तक क्लच में नही लिया। नतीजा यह हो रहा है कि ब्यूरोक्रेसी देश मे बढ़ रही है, अफसर का मन बढ़ रहा है, वह जानता है कि किसी भी सदस्य को गाली दे दो, किसी भी सदस्य को थप्पड़ मार दो, किसी भी सदस्य को कुछ भी कर दो, सीधी सी बात आ जायगी एन्क्वायरी एन्ड रिपोर्ट। दो महीने बाद एन्क्वायरी होती है। 29 नवम्बर को यह घटना घटी, 5 दिसम्बर को कुंवर राम जी ने इसे पार्लियामेंट में उठाया और 15 जनवरी का यह मामला जाकर रेकार्ड होता है, तो आप समझ सकते हैं कि उसमें क्या हो सकता है? उनका एक गिरोह बन चुका है, मैं कहना नही चाहता हू लेकिन कमेटी ने सारी चीजें अच्छी की, उसने अपनी फाइंडिंग्स दी, सब कुछ किया और सभापति महोदय की बार बार रूलिंग के बावजूद भी हमें पता नहीं चलता है कि लास्ट में कमेटी का डंडा, उसका हुक इतना ढीला क्यो हो गया कि उसको छोड़ दिया। इसलिए मैं अभी भी समझता हूं कि कमेटी को चाहिए था कमेटी का अपना प्रिविलज है लेकिन यह सदन उससे भी बड़ा है, कमेटी को निश्चित रूप से कहना चाहिए था कि ऐसे अफसरों को जेल भेजा जाय जिस अफसर ने इस प्रकार ससद सदस्य के साथ बदतमीजी की है। मैक्सिमम पनिशमेंट उसको देना चाहिए। लेकिन आप उसको डिमांट भी नहीं करते हैं, आपने उसके ऊपर मेशोर भी नहीं लगाया कुछ भी नहीं किया। यह कमेटी करना चाहिए था। इसलिए मेरा यह आज का प्रस्ताव है और मैं तो इस राय का हूं कि चीफ मिनिस्टर को बुलवाना चाहिए था। तमाम संसद सदस्यों की राय थी कि चीफ मिनिस्टर को बुलवाइए। आप उसी पार्टी को विलांग करते हैं, आप संसद सदस्य हैं, चीफ मिनिस्टर यहां से जाता है, क्या संसद सदस्य की कोई गरिमा नहीं है? कोई मेम्बर आफ पार्लियामेंट चीफ मिनिस्टर के पास जाय और कहे कि पुलिस ने हमको गाली दी है तो चीफ मिनिस्टर यह कहेगा कि तुम बेवकूफ हो? यह चीफ मिनिस्टर का जबाव है कि तुम बेवकूफ हो। इसलिए जो सभापति महोदय की राय थी मैं उससे सहमत हू। सभापति जी ने कहा था कि या तो चीफ मिनिस्टर के बुलाया जाय नहीं तो चीफ मिनिस्टर से रिपोर्ट मांगी जाय। यही कारण है कि आज भी माननीय ससद सदस्य को धमकी दी जा रही है, आज भी वह अफसर कहता है कि मैंने गलती मानी है लेकिन मैंने गलती तुम से नहीं मानी है और तुमको मैं सबक सिखाऊंगा। इसलिए मेरा यह मोशन है और यह मोशन इसलिए है कि भविष्य में कोई भी बड़े से बड़ा पदाधिकारी इस सम्मानित सदन के सदस्य के साथ खिलवाड़ नहीं करे और उसकी इंटेग्रिटी के सम्बन्ध में उंगली उठाने या उसकी प्रतिष्ठा को गिराने का कोई काम न कर सके।

मैंने इस पर अपना अमेन्डमेन्ट भी मूव किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न बाद में उठेगा।

श्री रामविलास पासवान : इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि या तो पदाधिकारी को यहां बुलाया जाए और उससे माफी मंगवाई जाए या फिर कोई दूसरा ऐक्शन आप लेना चाहते हैं तो लें। (व्यवधान) ठीक है उसको जेल भेज दिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी।

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : उन्हें सभा में बुलाइये।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : श्री रामविलास पासवान ने अधिकांशत: सच्चाई बता दी है इसलिए मैं उसे दोहराऊंगा नहीं ।

मैंने एक संशोधन पेश भी किया था जिसमें इस प्रतिवेदन को वापस समिति को भेजने तथा उसे कुछ नए साक्ष्य देखने के लिए कहा गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप स्वयं को इस प्रस्ताव तक ही सीमित रखें ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं न तो पटना रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नम्बर 1 की और न ही शहरी सहकारी बैंक की बात कर रहा हूं ।

(व्यवधान)

मैं इस प्रतिवेदन पर आशंका व्यक्त नहीं कर रहा हू क्योंकि इस समिति में बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं । मैं यह नहीं सोचता कि सभा यह निर्णय दे कि क्या किया जाना है । मेरे विचार में जो मत व्यक्त किया गया है उसे दृष्टि में रखते हुए समिति अपने निष्कर्षों की पुनरीक्षा करे और तत्पश्चात् ऐसे निष्कर्ष दे जो सभा को और अधिक अच्छे लगें । यह कोई पहली घटना नहीं है । जैसा कि बताया गया है ऐसी कुछ घटनाएं हुई हैं। श्री जटिया का मामला हुआ है । सारी घटनाएं हरिजन संसद सदस्यों के साथ हुई हैं । यह ऐसा मुद्दा है जिसे इस सामान्य संदर्भ में देखा जाना है —कि देश में क्या हो रहा है । यह कोई साधारण मामला नहीं है । यह एक ऐसी बात है जिसे हमें अत्यन्त गम्भीरता से लेना चाहिए । इसमें कोई राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं है । यह घटना शासक दल के सदस्य के साथ हुई है । हम शासक दल की सुरक्षा की बात कर रहे हैं जो अपने सदस्यों को बचाने में असमर्थ है ।

उपाध्यक्ष महोदय : एक अन्य सदस्य की सुरक्षा के बारे में ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : और दुर्भाग्यवश वह सदस्य शासक दल का है । मैं सिफारिश करता हूं कि वे इधर आकर बैठें । यह बेहतर स्थान है ।

मैं आपका ध्यान प्रतिवेदन के पृष्ठ 35 की ओर आकर्षित करता हूं । इसमें लिखा है :

"समिति ने यह देखा है कि एक ओर बिहार सरकार के गृह आयुक्त श्री अरुण पाठक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री ए० के० पांडे द्वारा और दूसरी ओर ड्यूटी पर तैनात सिपाही श्री अब्दुल सत्तार और जमादार श्री शिवदास पांडे द्वारा समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्यों में कुछ सारपूर्ण परस्पर-विरोध है । समिति ने जांच करने में पुलिस द्वारा किए गए अनुचित विलम्ब को तथा बाद में उसी दिन अर्थात 15 जनवरी, 1981 को जांच करने तथा जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को भी नोट किया है ।"

अनुचित विलम्ब के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है । परन्तु समिति ने नोट किया है कि पुलिस द्वारा अनुचित विलम्ब किया गया है और बाद में अर्थात 15 जनवरी को ही जांच करके उसी दिन प्रतिवेदन भी प्रस्तुत कर दिया गया है ।

"जबकि श्री कुंवर राम, संसद सदस्य ने 29 नवम्बर, 1980 को घटना के तत्काल बाद लिखित रूप में शिकायत कर दी थी ।"

जांच की तारीख 15 जनवरी है। समिति ने नोट किया कि इसमें 'अनुचित विलम्ब' किया गया है। प्रतिवेदन में लिखा है जब अन्तिम रूप से जांच की गई तो पुलिस निरीक्षक द्वारा उसी दिन जांच आरम्भ की गई और उसी दिन पूरी भी कर दी गई।

"समिति का यह विचार है कि पुलिस ने बहुत ही लापरवाही के साथ और सरसरी तौर पर जांच की है और सही-सही तथ्य नहीं बताये हैं।"

वहां के प्रशासन की इससे और अधिक निन्दा क्या हो सकती है। समिति कहती है :

"बिहार के गृह आयुक्त श्री अरुण पाठक और पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री ए० के० पाण्डे द्वारा समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्य से समिति को सच्चाई का पता लगाने में बिल्कुल सहायता नहीं मिली है।"

इसे देखिए। यह किसी व्यक्ति को सूअर कहने का कूटनीतिक तरीका है।

एक माननीय सदस्य : झूठा, झूठा।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : अथवा एक झूठा व्यक्ति। ठीक है। यदि सूअर असंसदीय शब्द है तो इसे आप निकाल सकते हैं अब अगली बात :

"समिति बिहार के गृह आयुक्त श्री अरुण पाठक..... द्वारा समिति के समक्ष दिए गए लिखित वक्तव्यों और मौखिक साक्ष्य से सन्तुष्ट नहीं है।"

अन्त में समिति कहती है कि "इस मामले की सम्पूर्ण परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए समिति का यह मत है कि...ड्यूटी पर तैनात सिपाही श्री अब्दुल सत्तार ने श्री कुंवर राम संसद् सदस्य के साथ उस समय दुर्व्यवहार किया और अश्लील गलियां दीं..." समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह एक गम्भीर मामला है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अभी 4 या 5 सदस्यों को और बोलना है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, कृपया एक मिनट ठहरिए। इसमें तो कोई सन्देह नहीं कि यह घटना हुई और संसद सदस्य के बयान की पुष्टि हो गई है। समिति के समक्ष प्रशासन का व्यवहार अशोभनीय रहा, इसकी पुष्टि उसी से हो जाती है जो कुछ समिति ने कहा है। समिति ने बहुत ही सहृदयतापूर्ण निर्णय लिया है कि चूंकि उन्होंने क्षमा मांग ली है इसलिए मामले को आगे न बढ़ाया जाए। यही मुख्य मुद्दा है। मैं इसी मुद्दे पर मामला उठाना चाहता हूं। यह "क्षमा-याचना" वास्तविक क्षमायाचना नहीं है। मेरे विचार में यह क्षमा ऐसे ही मांग ली गई है। यह क्षमायाचना दण्ड से बचने के लिए की गई है।

मैं प्रतिवेदन के पृष्ठ 99 से उद्धृत करता हूं। आप कृपया अपने 'इयर फोन' को लगा लीजिए, यह हिन्दी में है।

उपाध्यक्ष महोदय : डा० स्वामी मैं आपकी हिन्दी समझता हूं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : पृष्ठ 99 पर लिखा है कि सभापति महोदय ने श्री पाठक से पूछा और उनके उत्तर के आधार पर उन्होंने उसे क्षमा कर दिया।

'यह मेरी बिल्कुल मन्शा नहीं थी कि एम० पी० साहब को कुछ हो और अगर हुआ है तो क्षमा मांगता हूं, उसके लिए।'

इसका क्या अर्थ होता है ? आरम्भ से अन्त तक ऐसा ही होता रहा है। कई अन्य जगहों पर भी यह कहा गया है कि "अगर ऐसा हुआ है।" तब यह 'क्षमा याचना' नहीं है। मैं नहीं जानता कि समिति इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंची है कि उन्होंने क्षमा याचना कर ली है। अतः यह कोई वास्तविक क्षमा याचना नहीं है।

(व्यवधान)

दूसरी बात यह है कि उन्होंने बिहार के मुख्य मन्त्री को साक्ष्य के लिए नहीं बुलाया। उन्हें मुख्य मन्त्री को बुलाना चाहिए था क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ कहा बताया जाता है। उससे कुछ फर्क पड़ता या नहीं परन्तु मामले की सत्यता जानने हेतु, उन्हें बुलाया जाना चाहिए था।

अतः मैं इस सभा से अनुरोध करता हूं कि वह सर्वसम्मति से इस प्रतिवेदन को समिति को वापस भेजे और उन बुद्धिमान व्यक्तियों से कहे कि वे थोड़ा सा सख्त हों और देश के इस बड़े मुद्दे पर तथा इस तथ्य को देखते हुए कि ये घटनाएं अब बारम्बार हो रही हैं। इस पर अधिक गम्भीरता से विचार करें और उन लोगों द्वारा किए गए अपराध के लिए उन्हें उपयुक्त सजा दें।

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, श्री रामविलास पासवान और डा० स्वामी ने जो कुछ कहा है, उसको दोहरा कर मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूं। उन्होंने कान्स्टेबिल और जमादार ने जो माफी मांगी है, उसकी भाषा पर आपका ध्यान आकर्षित किया है।

"श्रीमान मैं इस माननीय समिति के निष्कर्ष को बिना शर्त मानते हुए, मेरे आचरण से माननीय सदस्य श्री कुंवर राम जी का यदि कोई अपमान हुआ है तो उसके लिए बिना शर्त इस माननीय समिति से और माननीय संसद सदस्य श्री कुंवर राम जी से क्षमा प्रार्थी हूं। मेरी प्रार्थना है कि मुझे क्षमा किया जाए।

कहां माफी मांगी है, उन्होंने, उन्होंने कहां अपराध स्वीकार किया है। उन्होंने तो कहा है कि हमने अपना कर्तव्य-पालन किया है और उस कर्तव्य-पालन के कारण श्री कुंवर राम जी यदि गलत समझा, यह उनकी समझदारी नहीं थी, क्योंकि मैं तो अपना कर्तव्यपालन कर रहा था। उस कर्तव्यपालन करने के कारण श्री कुंवर राम जी ने यह समझा कि उनका अपमान हो रहा है। अगर उन्होंने इसको अपमान समझा है, तो हम उनसे मांफी मांगते हैं। इस बात से जाहिर होता है कि उन दोनों आदमियों ने ऐसा समझा ही नहीं कि उन्होंने कोई अपराध किया है, तब फिर इस मांफी मांगने के क्या मायने हैं ? मेरा यह कहना है कि उन्होंने माफी मांगी ही नहीं है। समिति के

माननीय सदस्यों को भ्रम हुआ है कि उन दोनों व्यक्तियों ने समिति से माफी मांगी है। माफी मांगी ही नहीं है, इसलिये उनको छोड़ देने का सवाल ही नहीं उठता है।

दूसरी बात--श्री कुंवर राम ने जब बिहार के मुख्य मन्त्री से शिकायत की, तो मुख्य मंत्री ने कहा—बेवकूफ हो। एक संसद सदस्य को कहा—बेवकूफ हो। इस बात को उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा है। इसलिये विशेषाधिकार का प्रश्न मुख्य मत्री पर भी बनता है तथा विशेषाधिकार समिति के सामने मुख्य मन्त्री को भी बुलाया जाना चाहिये था।

एक और बात देखिये—जब कुंवर राम जी ने मुख्य मन्त्री को लिखित शिकायत ता० 29 नवम्बर को दी तो उस पर कितने दिनों तक जांच की कार्यवाही नहीं हुई। जांच की कार्यवाही 15 जनवरी को हुई—कितने समय का अन्तराल रहा—डेढ़ महीने बाद कार्यवाही शुरू हुई, डेढ़ महीने बाद विज्ञ पदाधिकारियों को एक ही दिन की जांच में पता चल गया कि कुंवरराम जी ने जो कहा है, वह सब गलत है। कांस्टेबल और जमादार ने जो कहा है, वह सही है। यह सब क्या दिखलाता है ? मेरी समझ में तो यही दिखलाता है कि अधिकारियों का यह रवैया है कि उनके विभाग में यदि किसी से गलती हुई है तो उसको किसी प्रकार से सजा न मिले, इस तरह का उपाय वे करते हैं। वास्तव में उन्होंने किसी प्रकार की कोई जांच नहीं की, केवल जांच की रस्म-अदायगी की गई। डेढ़ महीने तक कुछ नहीं किया गया, लेकिन उसके बाद एकदम सजगता आ गई, नीचे से सारी रिपोर्ट आई, जांच हुई और जांच करने के बाद वह रिपोर्ट भेज दी गई। इतनी शीघ्रता पुलिस विभाग में कहां होती है ?

उपाध्यक्ष महोदय, गृह आयुक्त ने इस बात की चर्चा की है कि इसमें सन्देह है कि कांस्टेबिल ने श्री कुंवर राम के साथ अभद्र व्यवहार किया होगा। मैं आपका ध्यान उनके प्रतिवेदन की तरफ ले जाना चाहता हूं--जिसमें उन्होंने कहा है कि श्री कुंवर राम ने उन कांस्टेबिल्ज को, जो अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे थे, भद्दी गालियां दीं। कांस्टेबिल और जमादार ने कुछ नहीं कहा। जिनको पुलिस के साथ व्यवहार का थोड़ा भी अनुभव होगा, वे इस बात से खुद समझ जायेंगे कि ऐसी बात नहीं हो सकती कि पुलिस कर्मचारी को कोई आदमी गाली दे और वह चुपचाप सहता चला जाये। व्यवहार में तो हमेशा ऐसा ही होता है कि पुलिस के कर्मचारी भद्दी गालियां देने में अभ्यस्त होते हैं और यदि कोई गाली देने की गलती कर दे तो उसको अच्छी सजा देते हैं।

इसलिये इन सब तथ्यों पर ध्यान देते हुए मैं सदन से आग्रह करूंगा कि दोषी व्यक्तियों को सदन में उपस्थित कराकर उनको प्रताड़ित करने का निर्णय ले।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री अनिल कुमार पाण्डे द्वारा की गई जांच का प्रतिवेदन 16 जनवरी को बिहार सरकार के संयुक्त सचिव को भेजा गया था। इस प्रतिवेदन में यह निष्कर्ष निकाला गया है। मैं उद्धृत करता हूं :

> "जहाँ तक पासों की जांच करने के लिए ड्यूटी पर तैनात प्रहरी श्री अब्दुल सत्तार द्वारा अभद्र व्यवहार किए जाने का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य द्वारा लगाए आरोप सिद्ध नहीं हो पाए हैं।"

इस प्रकार अत्यन्त विलम्ब से 15 जनवरी को की गई इस जांच में, जो एक ही दिन में पूरी कर दी गई और जिसे विशेषाधिकार समिति ने सरसरी और जल्दी से की गई जांच बताया है, यह निष्कर्ष निकाला गया है कि माननीय सदस्य के आरोप सिद्ध नहीं हो पाए हैं और इस प्रतिवेदन पर पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री अनिल कुमार पाण्डे द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं।

बाद में, समिति को दिए गए सभी साक्ष्यों के आधार पर समिति स्वयं इस निष्कर्ष पर पहुंची है तथा उसने स्पष्ट रूप से यह विचार व्यक्त किया है कि, "सम्पूर्ण परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए समिति का यह मत है कि श्री कुंवर राम, संसद सदस्य के साथ दुर्व्यवहार किया गया और उन्हें अश्लील गालियां दी गईं।" इस निष्कर्ष के बारे में जब उनसे बार-बार अलग-अलग पूछा गया तभी इन लोगों ने बिना शर्त क्षमा मांगी। इस समय तक उनकी जांच का यही निष्कर्ष था और उनका यही कथन था कि माननीय सदस्य के आरोप सिद्ध नहीं हो पाए है और इसलिए निराधार हैं। जब समिति ने स्वयं अपने निष्कर्ष के बारे में उनसे एक-एक करके अलग-अलग पूछा तभी इन लोगों ने बिना शर्त क्षमा मांगी। यह एक बहुत ही विलक्षण बात है। निस्सन्देह विशेषाधिकार समिति इस सभा की समिति है। हम उनका अत्यन्त सम्मान करते हैं। परन्तु हमने उन्हें इस सभा के सदस्यों के विशेषाधिकारों को बनाए रखने की और इस सभा के सदस्यों का सम्मान बनाए रखने की एक विशिष्ट जिम्मेवारी सौंपी है तथा मैं यह अनुभव करता हूं कि इस मामले में सम्भवत: कुछ नरमी बरती गई है।

मैं अपने जीवन काल में यह नहीं समझ सकता कि मुख्य मन्त्री को क्यों नहीं बुलाया गया। कोई भी यह नहीं कह सकता कि मुख्य मन्त्री का इस घटना से कोई सम्बन्ध नहीं था। इस घटना की ओर स्वयं संसद सदस्य ने घटना के कुछ ही समय बाद उनका ध्यान आकर्षित किया था, जब उन्होंने 'बेवकूफ' कहकर आग में घी डालने का काम किया और उन्होंने केवल इतना कहा "ठीक है। मैंने आपकी बात सुन ली है। अब आप जाइये।"

मैं नहीं जानता कि देश में कोई अन्य ऐसा राज्य है जिसने कोई ऐसा परिपत्र जारी किया गया हो जिसमें मुख्य मंत्री को यह भी अधिकार दिया गया हो"

एक माननीय सदस्य : किसी भी अन्य राज्य में नहीं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : और यह भी कि कोई भी संसद सदस्य या विधान सभा सदस्य सचिवालय के प्रांगण में 3-30 बजे के पहले प्रवेश नहीं कर सकता। वह केवल 3-30 बजे से 5-00 बजे के बीच जा सकता है। उसे केवल इस समय के दौरान प्रवेश करने की अनुमति है। अन्यथा उसे प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। यह बिल्कुल असाधारण बात है और ऐसा परिपत्र जहां तक मेरी जानकारी है, किसी अन्य राज्य ने जारी नहीं किया है। और विशेषरूप से इस स्थिति में जब सचिवालय के प्रांगण में सहकारी बैंक हो। सदस्य केवल 3-30 बजे के बाद प्रवेश कर सकते है। जब बैंक बन्द हो चुका होता है।

एक माननीय सदस्य : महाराष्ट्र में भी ऐसा ही है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मेरे विचार में समिति को शायद ही कोई और साक्ष्य उपलब्ध हो। श्री स्वामी ने संभवत: इस मामले को समिति को वापस भेजने के लिए कहा है। जो कुछ साक्ष्य

उपलब्ध हैं वे प्राप्त किए गए। या तो इसे पुनरीक्षा के लिए उनके पास वापस भेजा जा सकता है अथवा उन सम्बन्धित अधिकारियों को यहां बुलाया जा सकता है। यही किया जा सकता है कि उन्हें यहां सभा में बुलाया जाये और उनसे वहां बिना शर्त माफी मांगने के लिए कहा जाए। परन्तु मेरे विचार में शायद समिति इस मामले में अपने निष्कर्षों की पुनरीक्षा करना चाहे।

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : उपाध्यक्ष महोदय, कुंवर राम जी के साथ जो कुछ हुआ है और हमारी प्रिविलेजेज कमेटी की जो रिपोर्ट आई है, उससे एक बात साफ जाहिर है कि उन कर्मचारियों ने इरादतन हमारे एक सम्मान्य सदस्य के साथ दुर्व्यवहार किया है। हमारे पासवान जी ने जो नरेट किया है रिपोर्ट में से, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता लेकिन सवाल यह है कि इस जनतंत्र को अगर जिन्दा रखना है, तो 8-10 लाख लोगों ने जो अपने प्रतिनिधि को चुन कर भेजा है, नौकरशाही के हाथ उसको पिटवाने से क्या वह जिन्दा रह सकेगा ? यदि उसका सम्मान नहीं होगा, तो इस सदन का सम्मान भी धीरे-धीरे खत्म होता चला जाएगा आज हमारे देश में नौकरशाही का पंजा इतना जकड़ गया है कि एक मैम्बर आफ पार्लियामेंट भी उसके सामने बोलते हुए घबड़ता है।

पहले तो मैं मांग करूंगा कि एक संसद् सदस्य को यह अधिकार होना चाहिए कि अपनी स्टेट के, अपने क्षेत्र के छोटे और बड़े अफसरों को महीने में कम से एक बार अपने घर बुला सके। एक संसद् सदस्य दस लाख मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए संसद् सदस्य को यह अधिकार होना चाहिये कि वह उन्हें बुलाकर काम बता सके और बाद में बुलाकर उनसे यह जान सके कि वह काम हुआ या नहीं। एक दारोगा थाने में बैठा हुआ तो किसी को भी बुला सकता है।

आज लोक सभा और राज्य सभा की गरिमा घट रही है। इस पर पूर्ण रूप से सोचने की जरूरत है। मेरा सुझाव इसलिए है कि संसद् सदस्यों को यह अधिकार देना चाहिए महीने में कम से कम एक बार बुला कर वह उन्हें काम दे सके और बाद में उनसे पूछ सके कि मैंने आपको जितने काम दिये थे वे आपने किये या नहीं किये।

23 जून, 1982 को सहारनपुर जिले के नांगल अंबल में साढ़े तीन बजे वहां के दारोगा ने मेरे साथ जो व्यवहार किया उसके बारे में मैंने आपको एक प्रिवलेज मोशन दिया है। एक दारोगा और डी० एस० पी० ने वहां मुझको रोककर कहा कि तुम आगे नहीं जाओगे और फिर फुफ पर पथराव कराया। वहां एस० पी० आये तो मैंने उनसे कहा कि यह पथराव कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि आप मेरी गाड़ी में बैठकर चलिये, मैं आपको थाने में छोड़ दूंगा। मेरे न जाने पर वे मुझको उसी हालत में छोड़कर चल दिये और पथराव कराने वाले दारोगा को उन्होंने नहीं रोका। इससे मेरे शेडो का सिर फूट गया, मेरे ड्राइवर के मुंह पर चोट आयी और मेरे साथ जो स्थानीय विधायक श्री रामस्वरूप निम थे उनका भी सिर फोड़ दिया गया। इस बात की शिकायत मैंने एस० एस० पी० से की लेकिन आज तक दारोगा और डी० एस० पी० के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया।

एक दारोगा एक ससद् सदस्य के खिलाफ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत करता है और मजे की बात यह है कि उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है। अगर आप अधिकारियों के

खिलाफ ऐसे मामलों में सख्ती से कार्यवाही न करेंगे, सख्ती के साथ एक्शन नहीं लेंगे, चाहे उन्हें सस्पेंड करने की बात हो, उनके बरखास्त करने की बात हो, उन्हें जेल भेजने की बात हो तब तक आप इस सदन की या उस सदन की गरिमा को नहीं बचा सकते हैं। इसके लिए चाहे आप कोई कमेटी बिठाइये जो कि यह निर्णय करे कि क्या दंड देना है। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो आज संसद् सदस्य का जो ह्रास हो रहा है, और हमारे संसद् सदस्य लोगों के सामने पिटते जा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में उनकी क्या स्थिति होती। हम चाहते हैं कि अगर आपको जनतंत्र की व्यवस्था मजबूत करनी है तो आपको संसद् सदस्य को भी पूरा सम्मान देना होगा। आज संसद सदस्य के साथ इस तरह के व्यवहार द्वारा लोकतंत्रीय पद्धति पर ही हमला हो रहा है।

इसलिए मेरा सुझाव है कि कुंवर राम जी वाले मामले पर अधिकारियों को सस्पेंड किया जाना चाहिए, टरमिनेट किया जाना चाहिए और अगर उन्हें जेल भी भेजा जा सकता हो तो वह भी करना चाहिए।

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : आदरणीय सभाध्यक्ष जी, मैंने तो उस दर्द को कहा था जो मुझे हुआ है। इसलिए अब मैं उस दर्द को पुनः व्यक्त करने की कोशिश नहीं करूंगा।

किन्तु यह बात सही है कि प्रजातंत्र के अन्दर संसद् के माध्यम से जो यह व्यवस्था हम चला रहे हैं, उसमें संसद् की मर्यादा को अक्षुण्ण रखने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए हमें कदम उठाने होंगे। अगर हमें इस सम्मानित संस्था की मर्यादा की रक्षा करनी है तो देश में कुंवर रामजी के साथ हो रही घटनाओं पर हमें काबू पाना होगा। मुझे लगता है कि कुंवर राम जी को संसद् सदस्य बनने के बाद मां-बहिन की गाली का यह तोफा मिला है। मैं समझता हूं कि यह हमारे स्वाभिमान पर, हमारे प्रजातंत्र पर कलंक है। अभी जगपाल सिंह जी ने बताया कि पुलिस उनको भी पिटता हुआ छोड़कर चली गयी। अगर हम संसद सदस्य हुए हैं तो इसलिए नहीं कि पुलिस हमारे साथ इस तरह का व्यवहार करे।

ऐसे अनेक लोग हैं जो अपने अन्दर सारे दर्द और पीड़ा को समेटे हुए हैं। संसद सदस्यों को गरिमा बनाये रखने का दायित्व भी संसद का है। हमें इसको बनाये रखना चाहिये। कोई कुछ भी करता जाये और हम उसको माफ करते जाएं, यह कितनी हद तक होगा। इसलिये हमारी समिति ने जो निर्णय लिया है, ठीक है, लेकिन इसके बारे में पुनरावलोकन होना चाहिये। यह सामंतवादी मनोवृत्ति है। इस तरह से तो संसद सदस्य भी जातिवाद के आधार पर माना जाएगा। यदि संसद सदस्य आदिवासी होगा उसको पीट दिया जायेगा। ये रोजमर्रा की बात हो गई है। ये बातें हमारे मर्म को आहत करती हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस मामले पर गंभीरता से विचार होना चाहिये। यह कोई सत्यनारायण जटिया, कुंवर राम या जगपाल सिंह का व्यक्तिगत मामला नहीं है, बल्कि संसद सदस्य होने के नाते जो गरिमा होनी चाहिये उसको बनाये रखने का काम निश्चित रूप से संसद का है। यदि हम अपने दायित्व को पूरा नहीं कर सके तो हमारा संसद सदस्य होना बेमानी है।

इसलिये मेरा आग्रह है कि गरिमा को स्थापित करने के लिये जितनी कठोर से कठोर कार्यवाही की जा सकती है, की जानी चाहिये। यह प्रजातंत्र के मूल्यों को बनाये रखने के लिये जरूरी है। संसद सदस्य की गरिमा को बनाये रखने के लिये यदि हमें कुछ कठोर कदम भी उठाने पड़ें तो

उठाये जाने चाहिये। मेरा आग्रह है कि इस सारे प्रश्न पर फिर से गंभीरता से विचार करें। हमारे ही लोग समिति में बैठे हैं, उनको हमारी पीड़ा का अहसास है। इस ओर वे विचार करें, यह मेरा आग्रह है।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पुरुलिया) : जिन तथ्यों का एक से अधिक सदस्य पहले ही उल्लेख कर चुके है, मैं उन पर नहीं बोलूंगी।

सिपाही से लेकर मुख्यमंत्री तथा समस्त प्रशासन का लापरवाहीपूर्ण रवैया स्पष्ट है। मुझे इस पर इस लिये बोलना पड़ रहा है क्योंकि जब यह एक सदस्य के विशेषाधिकारों की रक्षा करने का प्रश्न है तो मेरे विचार से उन लोगों के विशेषाधिकारों का बचाव करना भी वास्तव में हमारा कर्त्तव्य है जिनका कि हम प्रतिनिधित्व करते हैं। यहीं तो प्रश्न खड़ा होता है।

तो यह तो एक बड़ा ही गम्भीर मामला है कि संसद सदस्यों के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। परन्तु उससे भी गम्भीर बात यह है कि यदि सांसदों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जा सकता है और दुर्व्यवहार करने वाले लोग साफ बचकर निकल सकते हैं तो हमारे निर्वाचन क्षेत्रों के लाखों निवासियों का क्या हाल होगा ? यही तो खतरे वाली बात है। यदि आप इस दृष्टिकोण से इस प्रतिवेदन पर विचार करें तो मैं कहूंगी कि यदि प्रशासन द्वारा दर्शाये गये गम्भीर और सर्वाधिक घृणित लापरवाहीपूर्ण रवैये की किसी भी बात को ध्यान में रखते हुये अनदेखी कर दी जाये तो फिर हम अपने सदस्यों के प्रति उनके अधिकारों की रक्षा न करने के लिए उत्तरदायी होंगे। अतः इस बात को ध्यान में रखते हुये मेरा विचार है कि इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिये और इन लोगों को कम से कम यहां बुलाया तो जाना चाहिये जिससे हमारे निर्वाचन क्षेत्रों के लोग यह तो अनुभव करें कि ऐसे मामलों में इस प्रकार का व्यवहार करने का यह कोई उचित तरीका नहीं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, उस ओर से कोई सदस्य नहीं बोला है।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : मैंने अपना नाम दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : यहां इसमें आपका नाम तो है नहीं।

श्री हरिकेश बहादुर : मैंने तो 10 बजे से पहले ही दिया था।

उपाध्यक्ष महोदय : यहां इसमें तो आपका नाम है नहीं।

श्री हरिकेश बहादुर : यह तो सचिवालय की भूल है।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, मैं आपको दो मिनट बोलने का समय दूंगा। अब मैं श्री सुन्दर सिंह को बुलाता हूं। उसके बाद आप बोलोगे। श्री सुन्दर सिंह।

श्री सुन्दर सिंह (फिल्लौर) : मैं तो एडमिनिस्ट्रेशन से पहले ही बहुत तंग हूं। जो वह कर रही हैं, जो अफसर कर रहे हैं, जो ब्यूरोक्रेसी कर रही है वह मैम्बरों को चाहे पार्लियामेंट के हों या असेम्बलीज के हों, उनको दुरुस्त कर रही है। बजाय एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक करने के हमें ही ठीक वे कर रहे हैं।

इस पर ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, ज्यादा बात करने की कोई जरूरत नहीं है। जिसने मैम्बर की बेइज्जती की है, उसको डिसमिस करना चाहिये, सख्त से सख्त और ज्यादा से

ज्यादा उसको सजा देनी चाहिये । जो मिनिस्टर हैं वे ब्यूरोक्रेसी के मातहत चलते हैं । जो उसके मातहत चलते है उसको भी डिसमिस कराओ । मैं तो एडमिनिस्ट्रेशन से पहले से ही बुहत लंग हूं । मैं मिनिस्टर रह चुका है । तब किसी में जुर्रत नहीं पड़ती थी कि ऐसा काम वह कर सके । जिसने मेम्बर की बेइज्जती की है, उसको डिसमिस करने से भी कुछ नहीं बनेगा । * * । माफी मांगने से तो काम चल ही नही सकता है । उसको जूते मारे ताकि एडमिनिस्ट्रेशन को सबक मिले । ज्यादा बात मैं नहीं कहता हूं । जहां कोई गलती करे उसको सीधे डिसमिस किया जाए । किसी भी एम० पी० के साथ बदसलूकीहो, जो भी ऐसा करता है उसको ठीक किया जाना चाहिये । इसमें पार्टी का कोई सवाल नहीं है । यह हाउस की डिगनिटी का सवाल है जिसको हमको कायम रखना है । तभी काम हो सकता है । ज्यादा से ज्यादा उसको सजा दी जानी चाहिये, सख्त से सख्त सजा उसको दी जानी चाहिये । **

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने कुछ असंसदीय शब्दों का प्रयोग किया है । मैं कार्यवाही वृत्तांत को देखूंगा ।

श्री रामविलास पासवान : इसे कार्यवाही वृतान्त से न निकालिए । (**व्यवधान**)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : वह अंश जहां वे कहते हैं कि उन्हें इस सदन में बुलाकर···**

उपाध्यक्ष महोदय : उसे कार्यवाही-वृतान्त से निकाला जा सकता है ।

श्री सुन्दर सिंह : मेरे कहने का मतलब यह था कि कड़ी से कड़ी सजा उनको होनी चाहिये ।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि समिति का विचार है कि पुलिस ने बहुत लाहरवाही के साथ, सरसरी तौर पर जांच की है और सही-सही तथ्य नहीं बताए । इस सम्बन्ध में श्री अरुण पाठक गृह आयुक्त बिहार सरकार तथा ए० के० पांडे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पटना द्वारा समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्य से सच्चाई का पता लगाने में बिल्कुल सहायता नहीं मिली है ।

उपाध्यक्ष महोदय, यही अधिकारी हैं जो कि श्री कुंवर राम जी के साथ जिन लोगों ने दुर्व्यवहार किया है, बदतमीजी की, उनकी बचा रहे हैं । समिति के समक्ष जब ये उपस्थित हुए तो लगातार इन लोगों ने बहुत ही घमण्डपूर्ण आचरण का प्रदर्शन किया । समिति के सामने जब ये आए तो समिति के माननीय सदस्यों को कई बार कहना पडा कि आप समिति के सामने आए हुए हैं, आप इस बात का ध्यान रखें कि जो कुछ भी आप कह रहे हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है, समिति एक बहुत ही संसद की महत्वपूर्ण समिति है, इसलिए जो कुछ कहना हो, सोच-समझकर कहिये लेकिन इतना होने के बावजूद भी श्री अरुण पाठक ने जिस प्रकार समिति के सामने वक्तव्य दिया है, उससे साफ जाहिर होता है कि माननीय सदस्य के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, उसके प्रति उनके मन में कोई भी किसी भी प्रकार का क्षोभ नहीं था ।

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृतान्त से निकाल दिया गया ।

उस समय के कानून मंत्री ने बहुत साफ शब्दों में यह कहा था कि समिति को दुख है कि इस मामले में साक्ष्य देने आए हुए साक्षी ने परस्पर विरोधी बातें कही हैं। हमें खेद है कि इतने उच्च अधिकारियों ने संसद सदस्य के विशेषाधिकार के सम्बन्ध में अपनी अकर्मण्यता प्रदर्शित की है।

उन्होंने यह भी कहा था कि :

"आपको इसी कारण नोटिस जारी किया गया था। आपको कुछ कहना है ? आपके पास अपनी अकर्मण्यता के लिए कोई स्पष्टीकरण है ? यदि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तो समिति निर्णय करेगी कि इस मामले में क्या किया जाए।"

यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसी सदस्य का प्रश्न नहीं है बल्कि सम्पूर्ण सदन की गरिमा का सवाल है। आज हम संसद सदस्यों के साथ, चाहे किसी भी दल के हो, जिस प्रकार हमारे साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है उसका वर्णन करना असम्भव है। कहीं भी हम जनता के काम को लेकर जाते हैं तो हमारे साथ दुर्व्यवहार होता है। और इस प्रकार की घटनायें इस सदन के सामने आ चुकी हैं। नागपुर के एक पुलिस अधिकारी ने यहां के सदस्य के साथ दुर्व्यवहार किया था उसे यहां बुलाकर डांटा गया था। उसके बाद भी देश की नौकरशाही पर कोई असर नहीं पड़ा। आपको मालूम होगा इसी सदन के एक सदस्य, श्री चन्द्रपाल शैलानी के साथ एकबार दुर्व्यवहार हुआ था, उसका प्रिवलेज नोटिस आया था, जो कुछ भी संसद ने किया उसका कोई असर देश की नौकरशाही पर नहीं पड़ा। हमारे साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। हम अपनी बात यहां हते हैं, विशेषाधिकार समिति उस मामले की जांच करती है और अन्त में उन्हें क्षमा प्रदान कर देती है मानवता के दृष्टिकोण से। लेकिन हम कितने भी मानवीय हों, उसका कोई असर नौकरशाही पर नहीं पड़ता। इसलिये सदन की गरिमा को बचाने के लिये आवश्यक है कि इस प्रकार के अपराधी अधिकारियों के खिलाफ सदन कार्यवाही करे। और इसलिये मैं विशेष रूप से सदन से अपील करूंगा कि इस पूरे मामले को विशेषाधिकार समिति को फिर से सुपुर्द किया जाये ताकि जो दंड देने की बचत है उसे समिति पुनः तय करे कि उन्हें क्या दंड देना है। मैं सुझाव देना चाहता हूं किसी वरिष्ठ अधिकारी को, चाहे वह गृह आयुक्त हो जिला पुलिस अधीक्षक, जिसने समिति को गलत सूचना देने की कोशिश की, मिसगाइड किया है, उनमें से किसी न किसी अधिकारी के खिलाफ, या दोनों के ही खिलाफ, कोई सख्त कार्यवाही की जाये। या तो उनको डिग्रेड किया जाये या उनको मुअत्तल किया जाये, या सदन में तुला कर डांटा जाये, या उनको जेल में भेजा जाये, या इससे भी बड़ा कोई दंड दिया जाये। डांटने से कुछ नहीं होने वाला है, उनको दंड देना आवश्यक है। मैं समझता हूं सम्पूर्ण सदन की भावना इस बात से जुड़ी होगी क्योंकि सभी सदस्यों को इस प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसमें किसी पार्टी का सवाल नहीं है, बल्कि सभी माननीय सदस्यों की प्रतिष्ठा और गरिमा का सवाल है, सम्पूर्ण सदन का भारत की सर्वोच्च संसद का सवाल है जिसकी सर्वोच्चता की हम बात करते हैं उसके माननीय सदस्यों की कोई इज्जत नहीं रह गई है, खास करके नौकरशाही की नजर में। इसलिये उन्हें सबक सिखाना आवश्यक है। इसलिये माननीय कुंवर राम की प्रतिष्ठा को बचाने के जो भी लिये कारगर कदम उठाया जाये उसका मैं समर्थन करता हूं क्योंकि उससे सारे सदन की गरिमा बचेगी।

श्री हरिनाथ मिश्र (दरभंगा) : महोदय, मैंने पाया है कि कुल मिलाकर आठ सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया है । मैं अपने युवा मित्र श्री रामविलास पासवान की सदन में किसी भी मामले की पैरवी करने के उनके आम दृढ़ इरादे की सराहना करता हूं, परन्तु जिस ढंग से उन्होंने इस मामले को उठाया है या उन्होंने अपने प्रस्ताव में जो सुझाव दिया है, उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद नहीं दे सकता हूं । मोटे तौर पर माननीय सदस्यों ने दो मुद्दे उठाए हैं ।

मोटे तौर से माननीय सदस्यों ने दो ही मुद्दे उठाए हैं। पहला यह है कि विशेषाधिकार समिति द्वारा सुझाया गया और अमल में लाया गया दण्ड अपर्याप्त है। दूसरे, अनेक गणमान्य सदस्यों ने गम्भीरतापूर्वक यह सुझाव दिया है कि बिहार के मुख्य मन्त्री को समिति के समक्ष उपस्थित होकर साक्ष्य देने के लिए क्यों नहीं कहा गया ।

महोदय, मैं आरम्भ में ही आपका और माननीय सदस्यों का ध्यान प्रतिवेदन के पृष्ठ (iii) की ओर खींचना चाहता हूं जिसमें 1981-82 के 'विशेषाधिकार समिति के सदस्यों' के नाम दिये गये हैं। चैयरमैन के अतिरिक्त इसमें चौदह और सदस्य थे । मैं उनके नाम पढ़कर सुनाता हूं :

श्री आर० एल० भाटिया

श्री सोमनाथ चटर्जी

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव

श्री गिरधारी लाल डोगरा

श्री जार्ज फर्नान्डीस

श्री रामजेठ मलानी

श्रीमती शीला कौल

श्री जगन्नाथ कौशल

श्री विक्रम महाजन

श्री ए० ए० रहीम

श्री पी० शिवशंकर

श्री पी० वेंकट सुब्बैया

श्री रामसिंह यादव, और

श्री विजय कुमार यादव

महोदय हम देखते हैं कि इस समिति में किसी दल या महत्वपूर्ण ग्रुप को छोड़ा नहीं गया है । (व्यवधान)

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : इसमें दल का तो प्रश्न ही नहीं है, ये लोग वहां दलगत आधार पर कार्य नहीं करते हैं ।

श्री हरिनाथ मिश्र : कृपया मेरी बात सुनिए ।

श्री जी० एम० बनातवाला : बिल्कुल असंगत बात है । वह उस ढंग को पूर्णतया विकृत करने का प्रयास कर रहे हैं जिस ढंग से यह समिति काम करती है । सर्वप्रथम मैं उनके इस वक्तव्य को चुनौती देता हूं जिसमें उन्होंने कहा है कि हर किसी को प्रतिनिधित्व दिया गया है । दूसरी बात मैं यह कहूंगा कि हम समितियों में दलगत आधार पर काम नहीं करते हैं । अत:, महोदय, यह विनिर्णय दीजिए कि इस प्रकार के वक्तव्य को कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया जायेगा ।

श्री हरिनाथ मिश्र : यह तो उपाध्यक्ष महोदय पर निर्भर करता है । (व्यवधान) मैं आपका ध्यान पृष्ठ 44 की ओर खींचता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मिश्रा जी, मुझे यह पता है कि द्रविड़ मुनेत्र कष्गम को प्रतिनिधित्व नहीं मिला था ।

श्री हरिनाथ मिश्र : महोदय, मेरे विचार से द्रविड़ मुनेत्र कष्गम के किसी भी सदस्य ने चर्चा में भी भाग में नहीं लिया है ।...

(व्यवधान)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : सत्तारूढ़ दल समिति में आपके दल की भी प्रतिनिधित्व कर रहा है ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस पर कोई आपत्ति नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री हरिनाथ मिश्र : यदि आप पृष्ठ 44 देखें तो आपको यह मिलेगा :

"पन्द्रहवीं बैठक"

चेयरमैन के अतिरिक्त श्री आर० एल० भाटिया, श्री जी० एल० डोगरा, श्री राम जेटमलानी, श्री जगन्नाथ कौशल, श्री पी० शिवशंकर और श्री पी० वेकट सुब्बैया उपस्थित थे । और एक जगह पर यह कहा गया है :

> "समिति ने श्री कुंवर राम, संसद द्वारा 29 नवम्बर, 1980 को नया सचिवालय, पटना में पुलिस गार्ड द्वारा उन्हें परेशान किये जाने तथा संसद सदस्यों के प्रति अपशब्दों के प्रयोग के बारे में उठाए गये विशेषाधिकार के प्रश्न पर अपने द्वितीय प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार किया तथा उसे स्वीकृत कर लिया ।"

प्रारूप प्रतिवेदन की अग्रिम प्रतियां माननीय सदस्यों को भेजी गई थी । किसी भी माननीय सदस्य ने आज तक किसी प्रकार का विमति टिप्पन, किसी प्रकार की असहमति नहीं भेजी है या प्रकट की है । अत: यह मान लिया जाता है...

एक माननीय सदस्य : सभा-सर्वोच्च है ।

श्री हरिनाथ मिश्र : सदन सर्वोच्च है और इसलिए मैं उसके सम्मुख इसका उल्लेख कर रहा हूं यह अनुमान लगाना स्वाभाविक है कि प्रतिवेदन पर समिति की सर्वसम्मति की मोहर लगी हुई है। अभी-अभी मुझे···मिला है··· **(व्यवधान)**

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : क्या विनति-टिप्पण भूतल भी प्रभाव से दिया जा सकता है ?

श्री हरिनाथ मिश्र : नहीं, नहीं दिया जा सकता। अब दण्ड की बात लीजिए और कृपया प्रतिवेदन 11 को देखिए। वहां आप देखेंगे कि श्री ए० के० पाण्डे ने भी निम्नलिखित शब्दों में अपना पूर्ण खेद प्रकट किया है :

"मैं समिति से बिना शर्त क्षमा याचना करता हूं।" **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : महोदय, जब विशेषाधिकार समिति के चेयरमैन चर्चा में भाग ले रहे हों तो क्या बार-बार व्यवधान डालना उचित है ? क्या यह रवैया उचित है ? इस सभा में उनके साथ यह व्यवहार किया जा रहा है।

श्री हरिनाथ मिश्र : महोदय, श्री अरुण पाठक द्वारा की गई तथाकथित क्षमा याचना के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है। उसने अपनी निर्विवाद क्षमा इन शब्दों में मांगी है :

"अपने पहले के बयान में भी मैंने क्षमा याचना की। जैसा कि मैंने कहा था कि मैंने गलती की थी और उस समय मैंने यह नहीं समझा था कि इसका कोई नैतिक तथा प्रशासनिक पहलू भी हो सकता है। इसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूं। मेरा जान-बूझकर माननीय सदस्य को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं था और यदि उन्हें ठेस पहुंची है तो उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूं।"

महोदय, मैंने दो अधिकारियों का उल्लेख किया है। ये दो अधिकारी तो घटनास्थल पर नहीं थे। परन्तु समिति का विचार था कि रचनात्मक उत्तरदायित्व उनका भी था और इसलिए उनसे समिति के समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा गया था।

इसी प्रकार श्री शिवदास पाण्डेय, जमादार ने भी इन शब्दों में अपनी बिना शर्त क्षमा याचना की :

"श्रीमन्, सरकारी कार्य का पालन करते समय मेरे आचरण से यदि माननीय सदस्य की भावनाओं को ठेस पहुंची है तो इसके लिए मैं बिना शर्त क्षमा याचना करता हूं।"

अन्त में, श्री अब्दुल सत्तार, सिपाही ने, जिसको कि समझा जाता है कि उसने संसद सदस्य श्री कुंवर राम को गालियां दी थीं, अपनी बिना शर्त क्षमा याचना निम्नलिखित शब्दों में की :

"श्रीमन्, इस माननीय समिति के निष्कर्ष को बिना शर्त स्वीकार करते हुए···।"

अब देखना यह है कि इस माननीय समिति की जांच का परिणाम क्या है ? मैं समिति के निष्कर्ष के संगत अंश को पढ़कर सुनाऊंगा। पृष्ठ 31 पर यह कहा गया है :

"समिति श्री अरुण पाठक, गृह आयुक्त बिहार सरकार श्री ए० के० पाण्डे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पटना; श्री शिवदास पाण्डे, जमादार और श्री अब्दुल सत्तार ड्यूटी कांस्टेबल द्वारा समिति के समक्ष दिए गए लिखित वक्तव्यों और मौखिक साक्ष्य से संतुष्ट नहीं। मामले से सम्बन्धित सब परिस्थितियों को देखते हुए समिति का यह मत है कि श्री शिवदास पाण्डे, जमादार के पर्यवेक्षण में सेवारत श्री अब्दुल सत्तार, ड्यूटी कांस्टेबल ने श्री कुंवर राम, संसद सदस्य के साथ दुर्व्यवहार किया तथा अपशब्द कहे।"

और मुख्य अपराधी का कहना इस प्रकार है :

"श्रीमन्, मैं माननीय समिति के निष्कर्ष को बिना शर्त मानते हुए, मेरे व्यवहार आचरण से माननीय संदस्य श्री कुंवर राम जी का यदि कोई अपमान हुआ है तो उसके लिए बिना शर्त इस माननीय समिति से और माननीय संसद सदस्य श्री कुंवरराम श्री से क्षमा प्रार्थी हू। मेरी प्रार्थना है कि मुझे क्षमा किया जाये।"

(व्यवधान)

श्री हरिनाथ मिश्र : यह तो रही क्षमा मांगने की बात···(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : यह विशेषाधिकार समिति के चेयरमैन हैं। केवल वे ही उसका बचाव कर सकते हैं। आप उसका बचाव कैसे कर सकते हैं ?

श्री हरिनाथ मिश्र : अब मैं दूसरी बात पर आता हूं कि मुख्य मन्त्री महोदय को विशेषाधिकार समिति के समक्ष उपस्थित होने के लिए क्यों नहीं बुलाया गया था।

आपकी अनुमति से, मैं 5 सितम्बर, 1980 को श्री कुंवर राम द्वारा इस सम्मानित सदन में दिए गए वक्तव्य का उल्लेख करना चाहूंगा। मुख्य मन्त्री महोदय के बारे में उन्होंने कहा था :

"···हमने कहा कि जब तक मुख्य मन्त्री यहां नहीं आएंगे और उसको ससपेंड नहीं करेंगे, तब तक हम नहीं जायेंगे। सचिवालय के बहुत से छोटे कर्मचारी जो इस व्यवस्था यानी घेराबन्दी से परेशान थे, वे हमारे बीच में खड़े हो गये। लगभग 10 हजार की भीड़ आ गयी हमने यह देखा कि ला-एंड आर्डर का प्राबलम हो जाएगा, हमने बेटे को कहा कि जाकर जल्दी चीफ मिनिस्टर को इन्फार्म करो और या तो किसी भी आफिसर को भेज सकते हैं या अपने आप आ सकते हैं तो यह मामला शांत हो सकता है, लेकिन हुकूमत की ओर से कोई भी आया नहीं। फिर हमको खुदा जाना पड़ा मुख्य मन्त्री के डेरे पर। मुख्य मन्त्री के पास जाकर हमने ब्यान दिया और मुख्य मन्त्री का जो व्यवहार था, यह जानने के बाद कि मेम्बर आफ पार्लियामेंट के साथ यह घटना घटी है, तो उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि लिखकर दे दो और चले गये कोठे पर। इस तरह का उनका व्यवहार हुआ और उनका पुलिस के प्रति इतना प्रेम था। यह हमारे साथ बेइज्जती हुई···।"

मैं आपसे ठंडे दिमाग से यह विचार करने का निवेदन करता हूं कि क्या मुख्य मन्त्री महोदय इस मामले में बीच में आते हैं और विशेषाधिकार समिति उन्हें किस आधार पर आपने समक्ष उपस्थित होने के लिए बुलावा भेजती··· (**व्यवधान**)।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या आप हमें बतायेंगे कि मुख्य मन्त्री महोदय को न बुलाने का निर्णय समिति ने सर्वसम्मति से लिया था···(**व्यवधान**) ।

श्री कुंवर राम (नर्वादा) : अरुण पाठक और पाण्डेय जी भी तो पिक्चर में नहीं आते हैं, अगर चीफ मिनिस्टर नहीं आते हैं । उनको क्यों बुलाया ?

(**व्यवधान**)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या मुख्य मन्त्री महोदय को न बुलाने का निर्णय समिति ने सर्वसम्मति से लिया था ?···(व्यवधान)

श्री हरिनाथ मिश्र : जी हां, जैसाकि मैं बता चुका हूं···(**व्यवधान**)

अब मैं श्री कुंवर राम द्वारा समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्य की बात करता हूं··· (**व्यवधान**) । मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे मेरी बात शान्तिपूर्वक सुनें । कृपया प्रतिवेदन के पृष्ठ 43-44 को देखिए ।

"**सभापति महोदय** : लोक सभा में आपने जो व्यान दिया है, क्या उसके अतिरिक्त भी आपको कुछ कहना है या सभी बातें उसी में आ गई हैं ?"

श्री कुंवर राम : कुछ तो कहना ही पड़ेगा ।

जिस वक्त वहां पर काफी भीड़ लगी हुई थी और मैं धरने पर बैठा हुआ था तो मैंने अपने लड़के से कहा कि तुम जाओ और मुख्य मन्त्री से जाकर कहो कि जब तक वे यहां पर नहीं आयेंगे मैं धरने से नहीं हटूंगा । पुलिस के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए क्योंकि उसने मेरी बेइज्जती की है । मेरे लडके ने चीफ मिनिस्टर के घर पर जाकर, जोकि पास में ही था, यह सूचना दी तो उनके दो पी० ए० आए । एम० पी० ए० का नाम इन्दू बाबू है, दूसरे का नाम मैं नहीं जानता । उन्होंने कहा कि आप चीफ मिनिस्टर से भेंट कर लें । मैंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि वहां पर भीड़ काफी थी और सारे लोग इस बेइज्जती पर नाराज थे । कुछ नारे भी लग रहे थे जो ठीक भी नहीं थे क्योंकि हुकूमत के खिलाफ नारे लगा रहे थे । मैं तो सिर्फ इतना ही चाहता था कि पुलिस पर ऐक्शन हो । बहरहाल मैंने उनसे कहा कि मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, मुख्य मन्त्री यहां पर आयें । फिर थोड़ी देर बाद स्वास्थ्य विभाग के राज्य मन्त्री, श्री शमायते नबी हैं, वे वहां पर आए और उन्होंने कहा कि अगर आप मुख्य मन्त्री जी को यहां पर बुलायेंगे तो हालत खराब हो जायेगी, हो सकता है कि गोली भी चल जाए । मैंने कहा कि अगर मुख्य मन्त्री नहीं आ सकते हैं तो क्या आई० जी०, डी० आई० जी०, एस० पी० या डी० एस० पी० भी नहीं आ सकता है ? उन्होंने कहा कि हम इस पर ऐक्शन लेंगे और सस्पेंड करेंगे, आप हमारी बात को मानिए । फिर मैं उनके साथ गाड़ी पर बैठकर चलने लगा तो बहुत से लोगों ने रोकने की कोशिश की ।

सभापति महोदय : आप कितनी देर धरने पर रहे ?

श्री कुंवर राम : मैं ढाई घंटे धरने पर रहा। उस समय लोगों ने जो तकलीफ बयान की उससे मुझे अपनी हुकूमत पर शर्म आ रही थी। बहरहाल मैं उन साथ मुख्य मन्त्री के यहां गया। वे ऊपर थे, ऊपर से नीचे आए तो मैंने उनसे कहा..."

एक माननीय सदस्य : वह क्या बात कहना चाहते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : वह उस बात का उत्तर दे रहे हैं कि मुख्य मन्त्री महोदय को क्यों नहीं बुलाया गया था।

श्री हरिनाथ मिश्र :

"...कि मैं तो बैंक में पैसे लेने के लिए गया हुआ था। उन्होंने कहा कि आप बेवकूफ हैं, आप क्यों चले गए ? मैंने कहा कि मैं तो बैंक गया था, सेक्रेटेरियट नहीं गया था, आपने बैंक को क्यों बन्द करके रखा है ? कितनी लोगों को परेशानी हो रही थी। उसमें हमें भी परेशानी हुई। इसके लिए तो कोई व्यवस्था रखनी चाहिए कि बैंक कोई जा सके। उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, आप लिख कर दीजिए और चले गए कोठे पर। हमे बहुत तकलीफ हुई। ऐसा लगा कि जितना पुलिस ने अपराध नहीं किया था उससे ज्यादा मुख्य मन्त्री ने अपराध किया।"

समिति की बैठक के दौरान मामले पर और आगे चर्चा की गई थी।...

उपाध्यक्ष महोदय : प्रत्येक सदस्य के पास प्रतिवेदन की प्रति है उसमें से कुछ बातें ले लीजिये और तब उत्तर दीजिए।

श्री हरिनाथ मिश्र : मुझे उन बहुत-से महत्वपूर्ण मुद्दों के उत्तर देने हैं जो कि यहां उठाए गये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप प्रतिवेदन का उल्लेख किये बगैर और उसमें से पढ़े बिना ही, यहां उठाई गईं सभी शंकाओं या प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। आप वैसा करने में सक्षम हैं।... **(व्यवधान)**

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उन्हें यह समझना चाहिए कि सदन की भावना क्या है और समग्र प्रश्न का पुनरीक्षण करना चाहिये।...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : सदन की भावना यह है कि आपको सब कुछ पता है और आप प्रतिवेदन में से बिना पढ़े ही अपनी बात कह सकते हैं।

श्री हरिनाथ मिश्र : मैं प्रतिवेदन में से कुछ महत्वपूर्ण अंशों को पढ़कर सुनाना चाहता हूं, जिससे स्थिति और स्पष्ट हो जायेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि हर बात अक्षरश: पढ़ी जायेगी तो सभा अधीर हो जायेगी। इसलिए मैं आपकी सहायता करने का प्रयास कर रहा हूं। आपको सब कुछ पता है।

श्री हरिनाथ मिश्र : मैं तो सदन के समक्ष तथ्यों को यथासम्भव संक्षेप में रखना चाहता हूं।

श्री राम जेठमलानी ने श्री कुवर राम से निम्नलिखित बात पूछी थी :

"आपने अभी सुना। संसद के समक्ष अपने बयान में आपने विशेष रूप से मुख्य मंत्री के साथ हुई घटना का उल्लेख नहीं किया है। क्या आपके पास इस सम्बन्ध में कोई स्पष्टीकरण है।"

श्री कुंवर राम : "उनका ऐसा व्यवहार था जिससे मैंने बेइज्जती महसूस की। उनका व्यवहार बिल्कुल ठीक नहीं था।"

"श्रीमती शीला कौल : आपके चीफ मिनिस्टर के साथ ताल्लुकात कैसे हैं ?

श्री कुंवर राम (नवादा) : ताल्लुकात अच्छे है। उनके राजनीतिक संघर्ष में एक बार नहीं पांच-पांच बार हमने साथ दिया है।

श्री जी० एल० डोगरा (जम्मू) : यह ठीक है, इनके ताल्लुकात उनसे अच्छे हैं।

श्रीमती शीला कौल : मेरा मतलब यह है कि दोस्ती में ऐसा भी कह देते हैं कि आप बेवकूफी की बात कर रहे हैं।

श्री राम जेठमलानी : हो सकता है उन्होंने मजाक में ऐसा कह दिया हो।"
अब, महोदय हम कुछ देर के लिये ठहरकर स्थिति का विश्लेषण करते हैं।

जब यह समाचार मुख्य-मन्त्री के पास पहुंचा कि श्री कुंवर राम धरने पर बैठे हुए हैं, तब उन्होंने अपने दो निजी सहायकों को उनको लाने के लिये भेजा। लेकिन श्री कुंवर राम वहां नहीं जा सके। बाद में उन्होंने अपने एक राज्य मन्त्री को श्री कुंवर राम को अपने निवास पर लाने के लिये भेजा। राज्य मन्त्री जी आये, तथा उन्होंने श्री कुंवर राम को अपनी कार में बैठने के लिये मनाया और तब दोनों मुख्य मन्त्री के निवास स्थान के लिये चल दिये।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, अब वह मुख्य मन्त्री के पक्ष में बोल रहे हैं। महोदय, उसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। केवल वह इतना बता सकते हैं कि मुख्य मन्त्री को क्यों नहीं बुलाया गया ? लेकिन इस समय वह मुख्य मन्त्री का पक्ष ले रहे हैं। मैं यह दिखाने के लिये साक्ष्य का कुछ अंश पढ़ सकता हूं कि श्री जी० ए० डोगरा ने उसके बारे में क्या कहा है कि उनको एक संसद सदस्य के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिये। अन्य सदस्य उनसे यह कह रहे थे कि मुख्य मंत्री को बुलाया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप समाप्त करें।

श्री हरिनाथ मिश्र : जब वे वहां पहुंचे, तब मुख्य मन्त्री जी आये तथा श्री कुंवर राम से यह अनुरोध किया कि आपको जो कुछ कहना है आप उसे मेरे निजी सहायक को लिखित रूप में दे दें तथा उसके बाद वे ऊपर चले गये।

समिति ने जो कुछ कहा है मैंने उसका विश्लेषण करने की कोशिश की है, तथा बिना किसी अपवाद के सभी सदस्यों ने इसमें भाग लिया है।

मेरा यह विनम्र निवेदन है, कि स्पष्टतः इस बात पर आपत्ति की जा सकती है :

"आप बेवकूफ हैं, आप वहां क्यों चले गए ।"

(व्यवधान)

श्री हरिनाथ मिश्र : मुझे यह पूछने की अनुमति दी जाये कि क्या संसद सदस्य सामाजिक प्राणी हैं अथवा वे समाज से बाहर कार्य करते हैं ? यदि मैं मजाक अथवा व्यंग्य रूप से अपने किसी एक मित्र को बेवकूफ कहता हूं और यह कहता हूं कि आप सीधे पुलिस के पास क्यों चले गये, तब क्या यह कोई अपराध है ? यह बात स्पष्ट है कि यदि मुख्य मन्त्री को इस आधार पर घसीटा जाता है, तब शायद हममें से कोई भी समिति के घेरे से नहीं बच पायेगा ।

एक माननीय सदस्य : तब समिति का उद्देश्य क्या है ?

श्री हरिनाथ मिश्र : मैं उस बात पर ही आ रहा हूं । महोदय, विशेषाधिकार समिति का सभापति रहने के कारण, शाब्दिक तथा यथार्थ दृष्टिकोण अपनाते हुए, मैं यह कहूंगा कि मुझे यह मालूम है कि जब किसी सदस्य को उसके संसदीय दायित्वों को पूरा करने से रोका जाता है अथवा उसको परेशान किया जाता है तब ऐसा करने वाले अथवा वाली को विशेषाधिकार भंग करने का दोषी ठहराया जा सकता है ।

एक दूसरी किस्म के भी विशेषाधिकार भंग के मामले होते हैं जिन्हें लिया जा सकता है तथा उपयुक्त दण्ड दिया जा सकता है ।

> "दोनों ही सदन न केवल तथ्यों से उत्पन्न अवमानों, जिनका साधारण न्यायालय संज्ञेय करेंगे, अपितु उनका भी जिनका संज्ञेय नहीं कर सकते, जैसे अवमानपूर्ण अपमान, घोर मिथ्या, निन्दा अथवा मिथ्या उच्चारण करना, जो ऐसे निन्दा अथवा शारीरिक क्षति के वर्ग के अन्तर्गत नहीं आते हैं जिन पर कार्यवाही की जा सके, दण्ड देंगे।"

(इस प्रणीत में संसदीय प्रणाली—पृष्ठ 153)

और इसके आधार पर ही, यद्यपि श्री कुंवर राम अपने संसदीय कर्त्तव्यों को पूरा करने के लिये सचिवालय नहीं गये थे, हम इस सारे विषय की बड़ी बारीकी से जांच की है । मैंने देखा है कि विभिन्न वक्ताओं द्वारा बार-बार समिति के निष्कर्षों का उल्लेख किया गया है; तथा उस मुद्दे पर किसी के द्वारा भी कोई आपत्ति नहीं की गई है ।

दण्ड की मात्रा के प्रश्न पर आते हुए मैं यह कहूंगा कि डा० स्वामी द्वारा यह सुझाव दिया गया है कि इस विषय को उसी समिति के पास दोबारा भेज दिया जाये । समिति ने इस विषय पर यथासम्भव गम्भीरता से तथा बारीकी से विचार किया है । यदि दोषी व्यक्तियों के प्रति ढिलाई बरतने के लिये समिति किसी रूप में दोषी पाई जाती है तब सदन उच्चतम संस्था के रूप में इस पर स्वयं निर्णय ले सकता है । मेरे माननीय साथी श्री सोमनाथ चटर्जी द्वारा अभी मुझे एक सुझाव दिया गया है । जो इस प्रकार है, मैं पढ़ता हूं :

"यदि यह सजा का प्रश्न है· · ·"

(व्यवधान)

नहीं, यह उनका सुझाव है।

"इसको पुनः समिति के पास क्यों भेजा जाना चाहिये ?"

जी हां, यह एक महत्वपूर्ण सुझाव है। यदि समिति यह देखती है कि सदन उससे पूर्णतः असहमत है, यदि सदन का यह विचार है कि समिति दोषी व्यक्तियों के प्रति जानबूझकर उदार रही तो ऐसी स्थिति में सदन को दोषी व्यक्तियों को सजा देने का, जैसा वह चाहे, पूर्णतः अधिकार प्राप्त है।

अब मैं अन्तिम बात पर आता हूं।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : कृपया मुझे क्षमा करें। यदि विशेषाधिकार समिति के किसी माननीय सदस्य द्वारा समिति की कार्यवाही के दौरान कोई छोटा सा टिप्पण आपको दिया गया है, तो मेरा यह विचार है कि आपको उसे यहां उद्धृत नहीं करना चाहिये। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक अभी· · ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैंने उनको अभी ही एक निजी टिप्पण भेजा है। (व्यवधान)

श्री हरिनाथ मिश्र : यह बात सच है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : इसको रिकार्ड में सम्मिलित न किया जाये।

प्रो० मधु दण्डवते : यदि मूल टिप्पणी बुरी थी, तो मेरा विचार है कि यह उससे भी बदतर है।

उपाध्यक्ष महोदय : विशेषाधिकार समिति के एक सदस्य द्वारा सभापति को निजी तौर पर एक टिप्पण भेजा गया है। बस इतनी सी बात है। यह उन दोनों के बीच का मामला है।

प्रो० मधु दण्डवते : इसके द्वारा निजी क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है। यह अनुमति के योग्य नहीं है।

श्री हरिनाथ मिश्र : यदि विशेषाधिकार समिति के सदस्य मेरे परम मित्र तथा साथी का नाम लेकर मैंने कोई गलती की है, तब आप इसको कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल सकते हैं। खैर, मैं अन्तिम बात पर आ रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे इसको कार्यवाही वृत्तान्त से निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री हरिनाथ मिश्र : यह सभी जानते हैं कि हमारे संविधान के अनुसार· · ·(व्यवधान) मैं अन्तिम बात पर ही आ रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : हम सभी यह उम्मीद करते हैं कि आप अपनी अन्तिम बात पूरी करेंगे।

श्री हरिनाथ मिश्र : जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम है इस गरिमायुक्त सदन के विशेषाधिकार वे ही हैं जो कि हाउस ऑफ कामन्स के हैं, तथा इस सदन के सदस्यों के व्यक्तिगत विशेषाधिकार वे ही हैं जो कि हाऊस ऑफ कामन्स के सदस्यों मे विशेषाधिकार हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : यह बात सही नहीं हैं।

श्री हरिनाथ मिश्र : यह बात शत-प्रतिशत सही है।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आपातकाल के दौरान संवैधानिक संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है।

श्री हरिनाथ मिश्र : यह सही स्थिति हैं क्योंकि मैं यह जानता हूं कि हाऊस ऑफ कामन्स ने 1967 में अपनी विशेषाधिकार समिति के कार्यकरण की समीक्षा करने के लिये एक चयन समिति का अनुमोदन किया था। पूरे 11 वर्षों तक यह उप-समिति अथवा समिति इस मामले को लिए बैठी रही तथा विचार-विमर्श चलता रहा। और वर्ष 1978 में इसने यह निष्कर्ष दिया था, जिसमे कि सदन सहमत हुआ था कि सदन के दण्ड सम्बन्धी क्षेत्राधिकार को स्वतंत्र रूप से उपयोग में लाना चाहिये। यदि मेरी जानकारी सही है, तो इस निर्णय के लिए जाने के समय से ही हाऊस ऑफ कामन्स द्वारा अपने दण्ड सम्बन्धी क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं किया गया है। मैं इस बारे में निश्चित नहीं हूं, लेकिन मुझे ऐसा बताया गया है (व्यवधान) किसी व्यक्ति अथवा संस्था की महानता उसके हृदय की विशालता तथा उदारता पर निर्भर करती है। (व्यवधान)। यह बात निर्विवाद है कि यह गरिमायुक्त सदन हमारे विशाल देश के नागरिकों का प्रतिनिधित्व करता है तथा हमारे लोगों की आशाओं तथा आकांक्षाओं का भी प्रतिनिधित्व करता है। इस सदन का आदेश सम्पूर्ण देश पर लागू होता है। विशेषाधिकार समिति की यह परम्परा रही है कि जब भी कभी अवमान करने वाले द्वारा उसके द्वारा किये गये अवमान के लिए बिना शर्त खेद व्यक्त किया जाता है अथवा बिना शर्त के क्षमा मांगी जाती है तो उसको अवश्य ही स्वीकार किया जाता है तथा सदन भी अपनी उदारता तथा अपनी विशाल हृदयता से तथा अपनी गौरवपूर्ण भावना से विशेषाधिकार समिति की सिफारिशों से सहमत हो जाता है।

जैसाकि मैंने आपको बताया है, अवमान करने वालों द्वारा बिना शर्त के क्षमा याचना की गई है, तथा समिति ने यह उचित समझा कि इस विषय को यहीं समाप्त किया जाये। मैं माननीय सदस्य श्री पासवान तथा अन्य सदस्यों से, जिनके प्रति मैं काफी आदर तथा श्रद्धा रखता हूं, यह अनुरोध करता हूं कि वे उस परम्परा का अनुसरण करें जो कि काफी पहले से विद्यमान है तथा इस विषय को यहीं समाप्त करें।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : इनको प्रतिवेदन वापस लेना चाहिये।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : मुझे समिति के सदस्य के रूप में रहने का विशेषाधिकार प्राप्त रहा है। मैं विशेषाधिकार समिति में सात वर्ष से अधिक तक रहा हूं। हमें ज्ञात है कि हमने सभा की समिति के रूप मे कार्य किया है और हमें इस बात पर बहुत खुशी तथा गौरव है कि हमने विशेषाधिकार समिति की कार्यवाही को पूर्णतः पक्षपातहीन आधार पर चलाया है।

जहां तक वर्तमान विषय का सम्बन्ध है, सदन ने तथा जिन आदरणीय सदस्यों ने इसमें भाग लिया है उनमें से किसी ने भी निष्कर्षों पर आपत्ति नहीं की है। निष्कर्षों पर कोई भी प्रश्न नहीं उठाया जा रहा है। अतः इस सीमा तक समिति के प्रतिवेदन का समर्थन किया गया है। अब प्रश्न यह है कि क्या सजा दी जानी चाहिये ? पिछले अनुभव को तथा विशेषाधिकार समिति की परम्परा को ध्यान में रखते हुये जहां बिना शर्त क्षमा याचना की जाती है, वहां हमने पहले के उदाहरणों का अनुसरण करते हुए यह सोचा कि उसको स्वीकार कर लिया जाये तथा इसे मंजूर कर लिया गया। यदि सम्पूर्ण सदन—हम भी सदन के ही एक अंग हैं तथा समिति में सदन की समिति के रूप में प्रतिनिधित्व करते हैं—यह समझता है कि विशेषाधिकार समिति के सदस्यों को किसी अन्य सजा पर विचार करना चाहिये था तो सदन को उस पर विचार करने की स्वतन्त्रता है। मेरा केवल यह निवेदन है कि यदि इसको दोबारा समिति के पास भेजा जाता है तो, क्योंकि किये गये दोष का कोई भिन्न निष्कर्ष निकालने का कोई प्रश्न ही नहीं है और क्योंकि इस निष्कर्ष को सदन द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, तथ्यों पर पुनः विचार करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तथ्यों के आधार पर जो निष्कर्ष निकाला है उसे सदन द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। अतः अब प्रश्न यह है कि प्राप्त किये गये तथ्यों के आधार पर निकाले गये निष्कर्षों पर क्या सजा दी जानी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : सजा की मात्रा क्या होनी चाहिये।

श्री सोमनाथ चटर्जी : सजा की क्या मात्रा होनी चाहिये ? अतः मेरा विनयपूर्वक यह निवेदन है कि यदि इस गरिमायुक्त सदन का यह विचार है कि कोई अन्य सजा दी जानी चाहिये, तो सदन को उसके बारे में स्वयं निर्णय करना चाहिये। इसको समिति के पास पुनः नहीं भेजा जाना चाहिये, क्योंकि समिति को इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना है। अतः मैं सुझाव के तौर पर नहीं बल्कि यह अनुरोध करता हूं कि कोई अन्य सजा दी जाये। मैं समिति द्वारा दी गई सिफारिशों पर ही दृढ़ हूं अर्थात् यह कि इस विषय को यहीं समाप्त किया जाये, क्योंकि बिना शर्त के क्षमा याचना की गई है। लेकिन, अपने सद्विवेक के अनुसार यदि सदन यह चाहता है कि कोई अन्य सजा दी जाये, तो सदन ऐसा कर सकता है। जहां तक हमारा सम्बन्ध है सभी मुद्दों पर अन्तिम निर्णय ले लिया गया है, अब हम अपने ही कार्यवाही वृत्तान्तों का पुनः अध्ययन करने की यन्त्रणा दी जानी चाहिये।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : सदन को ही कोई कष्ट क्यों दिया जाये ? हम समिति के प्रतिवेदन को स्वीकार करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, मन्त्री महोदय जी ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बैय्या) : अध्यक्ष महोदय, चाहे सदन के बाहर की बात हो अथवा सदन के अन्दर की बात हो सदस्यों के विशेषाधिकार अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। जब कभी सदस्यों के विशेषाधिकार प्रभावित होते हों तो हमारा यह कर्त्तव्य हो जाता है कि माननीय सदस्यों के विशेषाधिकारों का संरक्षण किया जाये। माननीय सदस्यों ने बहुत ठीक ही यह कहा है कि कोई दलगत भावना अथवा कोई अन्य ऐसी बात नहीं है जिसका इससे कोई सम्बन्ध हो। लेकिन जैसा कि श्री शकधर ने कहा है, इस बारे में एक पम्परा रही है। मैं शकधर की पुस्तक से उद्धरण दे रहा हू, उन्होंने बताया है कि :

"....जब कथित दोषी द्वारा खेद व्यक्त कर दिया जाता है अथवा स्पष्टीकरण दे दिया जाता है तो ऐसा हो सकता है कि समिति कोई निष्कर्ष नहीं दे कि विशेषाधिकार भंग किया गया है अथवा नहीं और यह सिफारिश करे कि इस विषय पर सदन द्वारा और आगे कोई कार्यवाही न की जाये। इस प्रकार के मामलों में सदन द्वारा सिफारिश को निरपवाद रूप से स्वीकार कर लिया जाता है।"

सर्वश्री कौल तथा शकधर ने यह सिफारिश की है।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : कोई निष्कर्ष नहीं दिया जाता है ? **(व्यवधान)**

श्री पी० वेंकट सुब्बैय्या : हमने सदन की भावनाओं को नोट किया है तथा जैसाकि सभापति द्वारा इस विषय को रखा गया है। विचारों में कोई मतभेद नहीं है तथा समिति की सिफारिशों को सदन द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया है तथा समिति के निष्कर्षों के सम्बन्ध में कोई मतभेद नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : कोई नहीं।

श्री पी० वेंकट सुब्बैय्या : मैं बड़ी विनम्रता के साथ आपसे यह निवेदन करता हूं कि इस विषय पर सदन द्वारा जो भी विचार प्रकट किये जायेंगे सरकार का उस पर कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन मैं इस बात पर पुनः जोर देना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में एक परम्परा रही है, तथा जब इस विषय पर कोई निर्णय किया जाये तब विषय के इस पहलू को भी ध्यान में रखा जाये।

श्री राजेश पाइलट (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं। मैंने विशेषाधिकार समिति के सभापति के भाषण का केवल आधा अंश ही सुना है। मैं भी उनके वरिष्ठ साथी श्री सोमनाथ चटर्जी से सहमत हूं। लेकिन मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हूं कि सजा की अवधि का निर्णय सदन पर छोड़ दिया जाय। मैं यह नही समझ सकता कि इतने वरिष्ठ और अनुभवी सदस्य जब समिति के सदस्य थे तब वे अपनी जिम्मेवारियों को सही ढंग से क्यों नहीं निभा सके और इस मामले को सदन पर क्यों छोड़ दिया है ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, यह बात नहीं है .... **(व्यवधान)**

श्री राजेश पाइलट : यह सही नहीं है। वे वरिष्ठ लोग हैं हालांकि सदन सर्वोच्च है। लेकिन वे इसे सदन के जिम्मे छोड़ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : देखिए, शांत रहें। मेरी समझ में समिति के निष्कर्षों के प्रति कोई असंगति या असहमति नहीं है। प्रश्न यह है कि सजा कितनी होनी चाहिए। इस मामले में हम सदन से पुनः विचार करने के लिए कह सकते हैं।

प्रो० एन० जी० रंगा : क्या मैं एक सुझाव दे सकता हूं? मैं नहीं जानता कि हम क्यों कहें। उन्होंने पहले ही विचार कर लिया है। उनकी बिना शर्त मांफी पहले ही सदन में है और इसे बार-बार हमारे पास भेजा गया है।

अध्यक्ष महोदय : रंगाजी, जहां तक जांच निष्कर्षों का सम्बन्ध है, इस पर कोई असहमति नहीं है। प्रश्न तो सिर्फ सजा का है। मेरे ख्याल से सदन के सभी पक्षों की यही राय है। मैं इसके लिए कह रहा हूं। मेरा यही विचार है।

प्रो० मधु दंडवते : मेरा सुझाव है कि सजा हो इसका निर्णय भी यदि उन पर छोड़ दिया जाये तो वे आराम से सोच समझकर अपने दिमाग से कोई सुझाव दे सकते हैं। यह ज्यादा अच्छा होगा।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : यह हूबहू वही संशोधन है जो मैंने पेश किया है। मैं रिकार्ड के लिए कहना चाहूंगा कि जैसा कि श्री वेंकट सुब्बैय्या ने कहा है उसके विपरीत इस रिपोर्ट में पहले ही निष्कर्ष निकाल लिया गया है कि कुछ गलत कार्य किया गया है, जबकि पहले वाले मामले में, जिसका उन्होंने जिक्र किया है कोई निष्कर्ष नहीं निकाला गया था और गवाह ने अपने आप या उन लोगों ने, जिन्हें समिति के समक्ष बुलाया गया था, माफी मांगी थी। यहां मैं कहना चाहूंगा कि काफी मुश्किल से तथ्यों पर पहुंचा गया और समिति ने अपना एक निर्णय दिया। श्रीमान्, मेरी जानकारी के अनुसार यह कभी भी परिपाटी नहीं रही है कि सदन में विशेषाधिकार समिति की सिफारिशों में रूप भेद किया गया हो या उनमें विस्तार किया गया है। इसलिए अपने आप ही सजा देने के बजाय हमें वही परिपाटी जारी रखनी चाहिए, क्योंकि इसमें हर कोई अपने विचार रखेगा कि इसे कैसे लिया जाये। इसलिए पहले हमें समिति के निष्कर्षों का समर्थन करना चाहिए और फिर यह मांग करनी चाहिये ही यह सजा दी जाय जो कि समिति ने नहीं दी है।

अध्यक्ष महोदय : हमें समिति की क्षमता और योग्यता पर पूरा भरोसा है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : समिति के सभापति ने यहां विस्तार से अपना पक्ष रखा है। जहां तक मैं समझ सका हूं, वे इस प्रकार है। वह समिति के चेयरमैन की हैसियत से और शायद समिति के सारे सदस्य इस बात से सन्तुष्ट हैं कि जो कुछ उन्होंने किया है, और जिस सीमा तक वे गये हैं, इससे वे सन्तुष्ट हैं। उनके विचार से उन्होंने सही निर्णय लिया है। अगर सभा यह फैसला करती है कि सजा की मात्रा के बारे में समिति पुनर्विचार करे तो समिति को यह स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए कि यह सदन की तरफ से उनके लिए एक प्रकार का निर्देश पद है और उन्हें अपने पुराने रवैये यह पुनः अटल नहीं रहना चाहिए। उससे इसी दिशा में मामले पर विचार के लिए आशा की जा सकती है।

अध्यक्ष महोदय : मेरी भी यही राय है ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं यहां एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, ताकि कोई गलतफहमी न रहे। उच्च अधिकारियों का मर्यादा भंग में हाथ नहीं है। वे वहां पर नहीं थे। इसलिए उनको दंड नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वे मर्यादा भंग के लिए दोषी नहीं हैं। अधिकारियों के आचरण के बारे में हमारी आलोचना यह थी कि उनके द्वारा जांच लापरवाही से की गई थी। उन्होंने ठीक प्रकार से जांच नहीं की। लेकिन उस घटना के लिए आप उन्हें मर्यादा भंग के लिए दोषी नहीं ठहरा सकते केवल दो सिपाहियों को ही आखिरकार मर्यादा भंग के लिए दोषी ठहराया जा सकता है और उन्हें जेल भेजा जा सकता है या उनकी यहां भर्त्सना की जा सकती है। अन्य सभी उच्च अधिकारियों को दण्ड नहीं मिलेगा। मैं इस स्थिति से बचना चाहता था, परन्तु अब मैं कुछ नहीं कर सकता।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आप उनको सजा देने के लिए कानून की दृष्टि से विचार करें।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या आप उस आदमी को सजा देने के लिए, जो कि इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं है, हम कह रहे हैं। क्या मजाक है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मिसाल के तौर पर, वे यह सिफारिश कर सकते थे कि उन अधिकारियों को सदन में पेश करके उनकी भर्त्सना की जाये। यह उनके अधिकार में था। मुझे हैरानी है कि श्री सोमनाथ चटर्जी समझे कि उनकी शक्तियां सीमित हैं।

प्रो० एन० जी० रंगा : क्या आप यह समझते हैं कि ये अधिकारी इतने बड़े है कि उन्हें सदन में आमन्त्रण किया जाय ? इस तरह की सजा बहुत कम मामलों में दी जाती है। मैं नहीं समझता कि ये अधिकारी इस काबिल हैं कि इन्हें सदन में सजा दी जाये।

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष जी, फिर सारी चीज को साइडट्रेक किया जा रहा है। सीधी सी बात है कि माननीय कमेटी के प्रति तमाम सदस्यों की बहुत श्रद्धा है। उसकी विद्वता पर, एफिसिएंसी पर और उसकी मेहनत पर पूरा विश्वास है, लेकिन आफ्टर आल कमेटी इस पूरे सदन का एक पार्ट है। सदन सिर्फ अपनी फीलिंग्स दे रहा है। सदन इस बात को देख रहा है कि दिन प्रति दिन मेंबर आफ पार्लियामेंट काहयूमिलिएशन हो रहा है और कमेटी ने इस बात को कबूल किया है। आपकी कितनी पावर थी, यह मैं नहीं जानता। यह इंटरनल मैटर है। चटर्जी साहब ने कहा कि व्यक्तिगत मानता हूं। मैं इसको नहीं मानता हूं। इस रिपोर्ट में जो साफ कहा गया है उससे मैं बंधा हुआ हूं। कहा गया है :

> "समिति का विचार है कि पुलिस ने बहुत लापरवाही के साथ और सरसरी तौर पर जांच की है और सही-सही तथ्य नहीं बताए हैं। इस सम्बन्ध में श्री अरुण पाठक, गृह आयुक्त बिहार सरकार तथा श्री ए० के० पांडे, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पटना द्वारा समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्य से सच्चाई का पता लगाने में बिल्कुल सहायता नहीं मिली है।"

यह आपकी रिपोर्ट है, मेरी नहीं है, आपकी फाइंडिंग्ज हैं मेरी नहीं। ये सभी अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं। आपने उनसे माफी मंगवाई। अगर वे समिति के सामने माफी मांग सकते हैं और माफी मंगवाई जा सकती है तो सदन के सामने उनको बुला उनसे माफी क्यों नहीं मंगवाई जा सकती है? यह उसकी जुरिसडिक्शन के कैसे बाहर हो जाएगा। मैं नहीं समझ पाया हूं। अगर यह कहा जाता है तो मैं इससे सहमत नहीं हूं। शकधर कौल सबको आपने कोट किया है और प्रेसीडेंट आपने बताएं। लेकिन पार्लियामेंट नया प्रेसीडेंट भी—तो कायम कर सकती है।

अध्यक्ष महोदय : अब मुझे यह पता लगाने दें कि सदन की सहमति क्या है।

श्री के० मायातेवर (डिन्डिगल) : मेरे दल ने अपने कोई विचार नहीं दिये हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई दल का मामला नहीं है। यह तो दलहीन, गैर-दलीय विचार है।

श्री पी० वेंकट सुब्बय्या : मैं माननीय सदस्यों से अपील करूंगा कि समिति की सिफारिशों को मान लिया जाये···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब मुझे आम सहमति जान लेने दें।

श्री के० मायातेवर : मर्यादा समिति ने दोषी अधिकारियों को कोई दण्ड नहीं दिया है। यह इस सदन का पहला और मूलभूत कार्य है कि वह सजा के बारे में फैसला करे। 1978 में, जब मैं इसका सदस्य था, जहां तक श्रीमती इन्दिरा गांधी वाले मामले का सम्बन्ध है, हालांकि समिति ने कोई सिफारिश नहीं की थी। फिर भी सदन ने उन्हें जेल भेजने का फैसला किया था। इसलिए यह इस सदन का कार्य और अधिकार है कि वह दिए जाने वाले दण्ड की मात्रा के बारे में फैसला करे।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री रामविलास पासवान द्वारा पेश किये गये प्रस्ताव को मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 21 अप्रैल, 1982 को सभा में प्रस्तुत किये विशेषाधिकार समिति के दूसरे प्रतिवेदन पर विचार करती है।"

जो सदस्य पक्ष में हों, कृपया वे हां कहें।

कुछ माननीय सदस्य : हां।

अध्यक्ष महोदय : जो सदस्य इसके विपक्ष में हों। कृपया वे 'ना' कहें।

कुछ माननीय सदस्य : 'नहीं'।

प्रो० मधु दण्डवते : प्रस्ताव विचार के लिए है, न कि सजा की मात्रा के बारे में।

अध्यक्ष महोदय : निस्सन्देह निर्णय 'हां' वालों के पक्ष में हुआ। अगर आप मत विभाजन चाहते हैं तो, मैं उसके लिए तैयार हूं। प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 21 अप्रैल, 1982 को सभा में प्रस्तुत किये गये विशेषाधिकार समिति के दूसरे प्रतिवेदन पर विचार करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री रामविलास पासवान : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"सदन विशेषाधिकार समिति की द्वितीय रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात निश्चय करता है कि सदन की मानहानि करने वाले सर्वश्री अरुण पाठक, तत्कालीन गृह आयुक्त, श्री ए० के० पांडे, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, श्री शिवदास पांडेय जमादार एवं अब्दुल सत्तार कांस्टेबल को सदन के सम्मुख बुलाकर उन्हें प्रताड़ित किया जाए।"

प्रो० अजित कुमार मेहता : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"यह सदन दोषी व्यक्तियों को सदन में उपस्थित कराकर प्रत ड़ित करने का निर्णय लेता है।"

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : दुर्भाग्यवश, मेरे पास संशोधन की प्रति नहीं हैं···मुझे मिल गई है।

मैं प्रस्ताव करता हू :

"कि प्रतिवेदन साक्ष्य पर पुनर्विचार करने के लिए विशेषाधिकार समिति को पुन: सौंपा जाये।"

मैं यह जोड़ सकता हूं कि, "प्रतिवेदन दण्ड की मात्रा को पुनर्विलोकन करने के लिए पुन: विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाये···"(**व्यवधान**)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या मैं इसे पुन: पढ़ूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि आपने इसे पढ़ दिया है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं नहीं चाहता कि यह बहुत संक्षिप्त हो।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

"समिति के प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात सभा समिति के निष्कर्षों को स्वीकार करती है, परन्तु दिये जाने वाले दण्ड की मात्रा पुनर्विलोकन करने के लिए समिति को प्रतिवेदन पुन: सौंपती है।"

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री पासवान द्वारा पेश को गए संशोधन को, सभा में मतदान के लिए रखता हूं :

प्रश्न यह है :

"सदन प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात यह निश्चय करता है कि सदन की मानहानि-करने वाले सर्वश्री अरुण पाठक, तत्कालीन गृह आयुक्त, श्री ए० के० पांडे, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, श्री शिवदास पांडेय, जमादार एवं अब्दुल सत्तार, कांस्टेबल को सदन के सम्मुख बुलाकर उन्हें प्रताड़ित किया जाए।"

जो सदस्य इसके पक्ष में हों, कृपया वे 'हां' कहें।

कई माननीय सदस्य : हां।

अध्यक्ष महोदय : जो सदस्य इसके विपक्ष में हैं, कृपया वे 'ना' कहें।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब मुझे मतविभाजन के लिए कहना पड़ेगा।

(व्यवधान)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : अगर मेरा संशोधन स्वीकार कर लिया जाता है तो वह अपना संशोधन वापस ले लें।

(व्यवधान)

श्री रामविलास पासवान : अगर डा० स्वामी का संशोधन स्वीकार कर लिया जाता है, तो मैं अपना संशोधन वापस ले लेता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता कि क्या होगा। मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता।

श्री पी० वेंकट सुब्बय्या : डा० स्वामी के संशोधन को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : तब ठीक है। तब आप अपना संशोधन वापस ले लें।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता-दक्षिण) : श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। श्री पासवान ने अपना संशोधन रखा। आपने इस पर सभा की राय मांगी है और सभा ने ध्वनि मत से इसे स्वीकार भी कर लिया। आपको फैसला करना है कि राय क्या है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं तो मतविभाजन करवा रहा था।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : आपको नियमों के अन्तर्गत चलना होगा।

अध्यक्ष महोदय : नियमों के अन्तर्गत ही मैं मत विभाजन के लिए कह रहा था।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : तब आप पहले वह संशोधन रखें।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। वह इसे वापस लेने के लिए तैयार है और उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : इस स्थिति में वह इसे वापस नहीं ले सकते, क्योंकि···

अध्यक्ष महोदय : मैं सदन से पूछता हूं कि क्या श्री रामविलास पासवान के···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : श्रीमन्, आपको नियमों के अन्तर्गत चलना होगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप जानबूझकर मेरे लिए परेशानी क्यों पैदा कर रहे हैं? कोई प्रश्न नहीं है। आप स्वीकार कर रहे हैं कि···

(व्यवधान)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : यह नियमों के अनुसार होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यही तो हम कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, आपने परिणाम घोषित नहीं किया है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं इसे दुबारा लूंगा।

प्रश्न यह है :

"सदन प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात, निश्चय करता है कि सदन की मान-हानि करने वाले सर्वश्री अरुण पाठक, तत्कालीन ग्रह आयुक्त, ए० के० पाण्डे, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, शिवदास पाण्डेय, जमादार एवं अब्दुल सत्तार, कांस्टेबल को सदन के सम्मुख बुलाकर उन्हें प्रताड़ित किया जाए।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं प्रो० अजित कुमार मेहता के संशोधन को विचार के लिए रखता हूं। क्या आप इसे वापस लेना पसन्द करेंगे।

प्रो० अजित कुमार मेहता : हां, मैं सदन से अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : क्या सभा प्रो० अजित कुमार मेहता द्वारा रखे गए संशोधन को वापस लेने की अनुमति देती है?

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी के उस संशोधन को रखता हूं, कि "प्रतिवेदन दण्ड की मात्रा पर पुनर्विचार करने और अन्य सभी निष्कर्षों की स्वीकृति के लिये पुनः समिति को सौंपा जाए।"

श्री पी० वेंकट सुब्बय्या : उन्होंने समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हां, उन्होंने समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। वे इससे पूरी तरह सहमत हैं, सिवाय इसके कि दण्ड की मात्रा पर पुन: विचार किया जाये।

श्री सन्तोष मोहन देव (सिल्चर) : निष्कर्ष स्वीकार करने के बाद।

अध्यक्ष महोदय : निष्कर्ष ठीक है।

प्रश्न यह है :

"समिति के प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात यह सभा समिति के निष्कर्षों को स्वीकार करती है, परन्तु दिए जाने वाले दंड की मात्रा का पुनर्विलोकन करने के लिए समिति को प्रतिवेदन पुन: सौंपती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

संविधान (46वां संशोधन) विधेयक

अध्यक्ष महोदय : अब सभा संविधान (46वां संशोधन) विधेयक, 1981 पर विचार करेगी। इसके लिए 3 घंटे रखे गये हैं। यदि सभा सहमत हो तो हम दो घंटे सामान्य चर्चा के लिए रख सकते हैं तथा एक घंटा खंडवार विचार तथा तीसरे वाचन के लिए रख सकते हैं। हम सभा की सहमति से इसके समाप्त होने तक बैठेंगे। क्या सहमत है ?

माननीय सदस्य : हां।

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।

पहले मैं संघ तथा राज्यों द्वारा लगाये जाने वाले विक्रय करों के सम्बन्ध में वर्तमान संवैधानिक स्थिति को संक्षेप में स्पष्ट कर देना चाहता हूं। संविधान की सातवीं अनुसूची में राज्य सूची की प्रविष्टि 54 में राज्यों को उनकी सीमाओं में होने वाली माल के क्रय या विक्रय पर (समाचार पत्रों के अतिरिक्त) कर लगाने के लिए प्राधिकृत किया गया है। संघ सूची की प्रविष्टि 92(क) में संसद को समाचार पत्रों से भिन्न माल के क्रय या विक्रय पर उस दशा में कर लगाने के लिये प्राधिकरण किया गया है जिसमें ऐसा क्रय या विक्रय अन्तर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के दौरान हो। ऐसे करों से प्राप्त होने वाला राजस्व संविधान के अनुच्छेद 269(1)(छ) के अन्तर्गत राज्यों को जाता है। अनुच्छेद 286(3) के अन्तर्गत संसद को प्राधिकृत किया गया है कि वह किसी भी माल को अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य में विशेष महत्व का माल घोषित कर सकती है और ऐसे माल पर राज्यों द्वारा कर उदग्रहण की पद्धति दरों तथा अन्य आनुषंगिक बातों के संबंध में निबेधन तथा, शर्तें निर्धारित कर सकती है।

माल का विक्रय, शब्द की परिभाषा संविधान में न होने के कारण उच्चतम न्यायालय ने अनेक बार यही बात कही है कि संविधान में विधायी शक्तियों सम्बन्धी प्रविष्टियों में प्रयुक्त इस शब्द का अर्थ वही है जो माल का विक्रय अधिनियम 1930 की धारा 4 में इस शब्द का अर्थ है। इसलिए राज्य विधान मंडल राज्य सूची के अन्तर्गत उन सौदों पर कर लगाने के लिए कानून बना सकती है जिसमें बिक्री के घटक हों अर्थात् संविदा के लिए सक्षम दल, आपसी सहमति, समझौते के अनुसार मूल्य के लिए एक दल से दूसरे दल को सम्पत्ति का अन्तरण। यह उन सौदों पर कर नहीं लगा सकती जो माल का विक्रय अधिनियम, 1930 में दिये गये अर्थ के अनुसार विक्रय' के अन्तर्गत नहीं आते। वर्तमान संवैधानिक दृष्टि से एक मालिक द्वारा एजेन्ट को माल का परेषण करना या एक मुख्य कार्यालय द्वारा शाखा को माल का अन्तरण करना या इसके विपरीत माल का अन्तरण केन्द्रीय विक्रय का अधिनियम के अन्तर्गत देयता से बचने के लिए किया जाता है। चूंकि ये सौदे विक्रय नहीं माने जा सकते इसलिए इनमें मूल्य के बदले एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच सम्पति का हस्तान्तरण नहीं होता। इसके अतिरिक्त एक संकर संविदा जो पूर्णरूप से अविभाज्य है, संक्रम संविदा माना जाता है जिसमें कार्य कुशलता और श्रम अन्तर्ग्रस्त है और प्रत्यक्ष रूप से सम्पत्ति या माल का अन्तरण नहीं होता। अवक्रय के समझौते को विक्रय नहीं माना जा सकता, क्योंकि ऐसे सौदे में सम्पत्ति का अन्तरण तब तक नहीं होता जब तक खरीदने की इच्छा नहीं की जाती और समझौते की अन्य शर्तें पूरी नहीं की जातीं। इसके अलावा सितम्बर 1978 में दिये गये अपने एक निर्णय ने उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि होटल अथवा रेस्तरां में दिए जाने वाले भोजन का कर लगाने के लिए भोजन की बिक्री नहीं माना जा सकता, बल्कि इसको मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की गयी सेवायें अथवा मानव मात्र की शारीरिक आवश्यकताओं के लिए सहायक माना जाना चाहिए। न्यायालय के कुछ निर्णय संक्षेप में विधेयक के साथ संलग्न उद्देश्यों तथा कारणों के कथन में दिये गये हैं।

महोदय, बिक्री कर से प्राप्त सारा राजस्व, जिसमें माल की अन्तर्राज्यीय बिक्री पर लगाये गये केन्द्रीय बिक्री कर भी सम्मिलित है, राज्यों को जाता है। राज्य सरकार, जो बिक्री कर लगाती हैं (जिनमें केन्द्रीय बिक्री कर भी सम्मिलित हैं) माल के प्रेषण तथा संकर्मसविदा तथा अवक्रय के सौदों आदि तरीकों के माध्यम से केन्द्रीय बिक्री करों के भारी अपवंचन की रिपोर्ट करती रही हैं। माल के विक्रय पर कर लगाने की राज्य सरकारों की शक्ति से सम्बन्धित तथा केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956 की समस्याओं पर विधि आयोग ने अपने 61वें प्रतिवेदन में विचार किया था तथा उसको 21 मार्च 1978 को सभा पटल पर रखा गया था। विधि आयोग की संविधान में संशोधन सम्बन्धी सिफारिशों पर राज्य सरकारों की सलाह से विचार किया गया था तथा 15 मार्च, 1979 को लोक सभा में संविधान में संशोधन करने के लिए संविधान (49वां संशोधन) अधिनियम, 1979 प्रस्तुत किया गया था। परन्तु लोक सभा के भंग हो जाने से उक्त अधिनियम व्ययगत हो गया।

वर्तमान लोक सभा के चुनावों तथा वर्तमान सरकार के सत्ता में आने के बाद वर्तमान बिक्री कर प्रणाली में सुधार के प्रश्न पर, 16 और 17 सितम्बर, 1980 को विशेष रूप से इसी उद्देश्य से नई दिल्ली में बुलाये गये मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन में काफी चर्चा की गयी थी। अन्तिम सत्र में सम्मेलन ने यह सकल्प पास किया जिसमें यह सिफारिश की गयी थी कि दूसरी बातों के

साथ केन्द्रीय सरकार को व्यक्त हुई संविधान (49वां संशोधन) विधेयक के आधार पर एक संविधान (संशोधन) विधेयक पुरःस्थापित करने के लिए विचार करना चाहिए।

महोदय, मुख्य मन्त्रियों की इस सिफारिश पर सरकार ने ध्यानपूर्वक विचार किया और यह महसूस किया गया कि राज्यों की वित्तीय स्थिति के हित में यह सुनिश्चित करने के लिए कि पारेषण अन्तरण जैसे कर से बचने के विभिन्न तरीकों द्वारा बिक्री कर राजस्व की चोरी न हो, कदम उठाये जाने आवश्यक हैं। यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि राज्यों को होटलों में खाने की बिक्री जैसी कुछ ऐसी श्रेणियों की बिक्री पर भी राजस्व का नुकसान न हो जो उसे अब तक मिलता रहा है। तदनुसार इस विधेयक के माध्यम से भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में संघीय सूची में 92ख नई प्रविष्टि अन्तःस्थापित करने के लिए संविधान में संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है जिससे जहां माल के पारेषण अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य में हों वहां पारेषणों पर भी कर लगाया जा सके। ऐसे करों से प्राप्त राजस्व अनुच्छेद 269 में संशोधन करके राज्यों को दिया जाये। संविधान के अनुच्छेद 366 में "माल को क्रय या विक्रय पर कर" की परिभाषा को सम्मिलित करने का भी प्रस्ताव किया गया है। जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित है :

(क) नियन्त्रित वस्तुओं का प्रतिफल के लिए अन्तरण;

(ख) संकर्म संविदा के निष्पादन में अन्तर्गस्त माल के स्वत्व का अन्तरण;

(ग) अवक्रय पर माल का परिदान या किश्तों में संदाय की कोई पद्धति;

(घ) किसी माल के किसी प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का नकदी, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए अन्तरण;

(ङ) व्यक्तियों के अनियमित संगम या निकाय द्वारा अपने किसी सदस्य को नकदी, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए माल का प्रदाय निगमित समिति द्वारा अपने सदस्यों को माल की सप्लाई को विक्रय कर लगाने के उद्देश्य से पहले ही विक्रय माना जाता है।

(च) खाद्य या किसी पेय का नकदी, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए प्रदाय जो सेवा के रूप में या उसके किसी भाग के रूप में हो।

अनुच्छेद 286 के खण्ड (3) का संशोधन करने की प्रस्थापना है जिससे कि संसद को इस बात के लिए समर्थ बनाया जा सके कि वह विधि द्वारा, उन निबन्धनों और शर्तों को विनिर्दिष्ट करें जो संकर्म संविदा के निष्पादन में अन्तर्ग्रस्त माल के अन्तरण पर, अवक्रय पर माल के परिदान पर या किस्तों में संदाय की किसी पद्धति पर तथा किसी माल के उपयोग के अधिकार पर कर के उद्ग्रहण की पद्धति, दरों और अन्य आनुषंगिक बातों के सम्बन्ध में हों। पहले से एकत्र किये गये करों की वापसी से राज्य सरकारों की रक्षा करने, जो कि अन्यथा उन्हें होटलों व रेस्टरां में भोजन सामग्री की सप्लाई से सम्बन्धित उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार वापस करना अपेक्षित है, के लिए विधेयक में राज्यों के पिछले करों का विधि मान्यकरण करने के लिए एक उपबन्ध को भी सम्मिलित किया गया है। इस विधि मान्यकरण उपबन्ध को बनाते समय यह ध्यान रखा गया है कि उच्चतम न्यायालय के संगत निर्णयों तथा इस संशोधन अधिनियम के लागू होने की तारीखों की अवधि के बीच कोई भी कर देय नहीं होगा यदि सम्बन्धित व्यापारी ने खरीददार से उस अवधि

के दौरान कोई कर इसलिए नहीं लिया कि उस समय ऐसा कोई कर नहीं लगाया गया जा सकता था। मगर ऐसे मामलों में प्रमाण की जिम्मेदारी व्यापारी पर ही होगी।

महोदय, विधेयक में सम्मिलित उपबन्धों का प्रभाव सीमाओं पर हुए सौदों या माल की बिक्री के सौदों, जिन पर न्यायालय के निर्णय के अनुसार कर नहीं लगाया जा सकता, से सम्बन्धित कराधान के क्षेत्रों का राज्य सरकारों को अन्तरण करना होगा। तकनीकी दृष्टि से इस क्षेत्र को संघीय सूची की अवशिष्ट प्रविष्टि 97 के अन्तर्गत लिया जा सकता है परन्तु इसका केन्द्र के द्वारा प्रभावपूर्ण ढंग से उपभोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि बिक्री कर मुख्य रूप से राज्यों के कराधान क्षेत्र में आता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस विधेयक में दिये गये प्रस्तावों से माल की खरीद या बिक्री पर करों से सम्बन्धित सांविधानिक योजना को युक्तिसंगत बनाना तथा राज्यों द्वारा अब तक अपनायी गई परंपरा का पुष्टिकरण ही होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि प्रस्तावित संशोधन हो जाते हैं तो राज्य सरकारों द्वारा अपनी विकास योजनाओं के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने के क्षेत्र में सुधार होगा।

राजस्व की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारें इस विधेयक को शीघ्र ही अधिनियमत करने के लिए दबाव डाल रही हैं। इसलिए मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है कि वर्तमान विधेयक को सभा के सभी वर्गों का समर्थन मिलेगा।

महोदय मैं प्रस्तुत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री बापूसाहिब परुलेकर (रत्नगिरि) : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाला विधेयक एक प्रवर समिति को सौंपा जाये जिसमें 9 सदस्य हों, अर्थात् :

(1) श्री सतीश अग्रवाल

(2) श्री जेवियर अराकल

(3) श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती

(4) श्री सोमनाथ चटर्जी

(5) श्री मूलचन्द डागा

(6) श्री रामविलास पासवान

(7) डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी

(8) श्री प्रणव कुमार मुखर्जी; और

(9) श्री बापूसाहिब परुलेकर

और उसे शीतकालीन सत्र 1982 के प्रथम दिन तक प्रतिवेदन देने का अनुदेश दिया जाये।"

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : अध्यक्ष महोदय, हम इस विधेयक का स्वागत करते हैं। यह बहुत पहले लाया जाना चाहिए था। राज्य सरकारों के पास जो सीमित तथा अल्प संसाधन उपलब्ध हैं उनके साथ-साथ अदालतों ने अनेक संवैधानिक उपबन्धों का कुछ निश्चित अर्थ निकालकर राज्य सरकारों को बिक्री कर से प्राप्त होने वाली आय को सीमित कर दिया है। इसके अलावा व्यापारी वर्ग की पटुता ऐसी रही है कि वे परेषण अन्तरण आदि जैसे सौदों के नये-नये तरीके ढूंढते रहे हैं जिससे वे कर से बच सकें और कई अवसरों पर वे कराधान से सफलतापूर्वक बच निकले हैं, संकर्म संविदा के अर्थ का लाभ उठाकर जो कि बिक्री कर से परे रखा गया था, बहुत से विवाद तथा बहुत से मुकदमे होते रहे हैं जिनसे राज्य को करों से होने वाले राजस्व की हानि हुई तथा मुकदमेबाजी पर होने वाले व्यय से और अतिरिक्त हानि हुई है।

मुझे खुशी है कि विभिन्न प्रकार के सौदे जिनको आरम्भ में निस्संदेह कराधान के जाल में लेने की कोशिश की थी। इन सौदों को, जो अब तक करापान से बचते आ रहे हैं, कराधान के जाल में लाया जा रहा है और सब कुछ ठीक किया जा रहा है। चूंकि इस विधेयक में बहुत सी कमियों को दूर करने तथा राज्य सरकारों के बिक्री कर लगाने के अधिकार को मान्यता देने का प्रयत्न किया गया है और इसमें इस आवश्यकता के प्रति भी जागरुकता दिखायी गई है कि राज्यों को बिक्री कर के माध्यम से अपने संशाधनों को बढ़ाने की अनुमति दी जा रही है, हम इस विधेयक का स्वागत करते हैं, समर्थन करते हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा है कि इसके विक्रय से लाया गया है।

महोदय मैं इन बातों को विस्तार से नहीं कहना चाहता कि वे सौदे किस प्रकार के होंगे जो अब इस संशोधन के द्वारा सम्मिलित किये जा रहे हैं और जैसा कि माननीय मन्त्री ने कहा है जो कि इन्हें कराधान के अन्तर्गत लाया जाना चाहिए। परन्तु कुछ ऐसे पहलू हैं जिनकी ओर मैं आपकी अनुमति से मन्त्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

पहले तो मैं खण्ड 3 का संदर्भ देती हूं। अनुच्छेद 286 में संशोधन करने का प्रस्ताव है। वर्तमान अनुच्छेद 286(3) संसद को अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य में माल की खरीद और बिक्री के सम्बन्ध में कर लगाने की प्रणाली, दर तथा अन्य बातों का निर्धारित करने की अनुमति देता है। संविधान के अन्तर्गत अन्तर्राज्यीय व्यापार तथा वाणिज्य में कर लगाने का अधिकार संघीय संसद को है और इसीलिए केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम संघीय संसद द्वारा अधिनियमित किया गया है। जहां तक अन्तर्राज्यीय विक्रय मामलों का सम्बन्ध है, कर लगाने का अधिकार राज्य सरकारों का है : हम प्रस्तावित संशोधन का स्वागत करते हैं। विधेयक के खण्ड 4 में यह सुझाव दिया गया है।

(श्री चिंतामणि पाणिग्रही पीठासीन हुए)

जो अब यह स्पष्ट करता है कि 'माल के यथा विक्रय' की परिभाषा या विवरण में किस तरह के सौदे सम्मिलित किए जाएंगे।

अब जबकि इस परिभाषा को क्षेत्र में विस्तार करने के लिए अनुच्छेद 366 को उप-अनुच्छेद 29-क जोड़ कर संशोधित किया जा रहा है—यह परिभाषा है, आप जानते हैं कि अनुच्छेद 366 में, परिभाषा में 'माल के क्रय या विक्रय' शब्दों का अर्थ शामिल करने के लिए, उन विभिन्न प्रकार के सौदों को सम्मिलित करके या अन्तःस्थापित करके और अधिक विस्तृत किया गया है, जो सदैव कर-योग्य मदों अथवा कर-योग्य वस्तुयें समझी गयी हैं। लेकिन जो न्यायिक निर्वचन से इसके बाहर रखी गयी हैं। हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आता कि मन्त्री महोदय यह क्यों चाहते हैं कि केन्द्र सरकार विक्रय और क्रय के सौदों के सम्बन्ध में कर उद्ग्रहण पद्धति, दरों तथा अन्य आनुषंगिक मामलों को निर्धारित करने की शक्ति ले, जिनका अन्तर्राज्यिक व्यापार और बिक्री, आयात और निर्यात से कोई सम्बन्ध नहीं है तथा वह शक्ति अपने हाथ में ले ले जो कि अब तक अन्तर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य तक सीमित थी।

कृपया खण्ड 3 का (ब) देखिए जिसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 366 के 29क में उल्लिखित कर अथवा माल के विक्रय अथवा क्रय पर कर—"उद्ग्रहण की पद्धति, दरों तथा अन्य आनुषंगिक बातों के सम्बन्ध में ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन होगी जो संसद, विधि द्वारा, विनिर्दिष्ट करे।" परेषण अन्तरण का मामला लीजिए। परेषण-अन्तरण को अब 'माल के विक्रय अथवा क्रय' की परिभाषा में रखा जा रहा है। यदि यह अन्तर्राज्य व्यापार और वाणिज्य की सीमा में आता है तो संसद का इस पर कोई नियन्त्रण नहीं है। यदि यह अन्तरराज्य का मामला है, तो करदर तथा उद्ग्रहण प्रणाली के बारे में निर्णय लेने का अधिकार राज्य के पास होना चाहिए। पहले केवल अन्तर्राज्यीय व्यापार तथा निर्यात प्रधान और आयात प्रधान व्यापार और वाणिज्य के सम्बन्ध में सौदे में संसद की शक्ति होती थी जिस पर किसी ने आपत्ति नहीं की क्योंकि इसका अधिकार क्षेत्र विस्तृत है। लेकिन मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वह खंड 3 में (ख) जोड़ें जिससे यह संविधान संशोधन का भाग बनाया जा सके।

इस विधेयक के पास हो जाने के बाद, खण्ड 6 संविधान का भाग नहीं बनेगा। खण्ड 6 कदापि संवैधानिक उपलब्ध नहीं होगा। इसके परिणामस्वरूप संविधान में संशोधन नहीं होगा, संविधान में नया उपबन्ध अन्तर्स्थापित नहीं होगा। इसका सांविधिक अधिनियम के रूप में प्रभाव पड़ने के अलावा कुछ नहीं होगा। यद्यपि खण्ड 6 को संविधान संशोधन विधेयक में अन्तःस्थापित किया गया है, फिर भी आप इसे देखें तो पायेंगे कि इसमें यह नहीं कहा गया कि यह संविधान का भाग माना जायेगा अथवा इसमें किसी संवैधानिक उपलब्ध में संशोधन माना जायेगा। अतः यद्यपि इसे सांविधानिक विधेयक के रूप में पारित कर दिया गया है, लेकिन इसका प्रभाव मात्र साधारण सांविधिक अधिनियमन के समान ही है।

अब कृपया खंड 6 की पहली पंक्ति देखिए; "संविधान के प्रत्येक उपबन्ध के प्रयोजनों के लिए जिसमें माल के क्रय या विक्रय पर कर आता है।" फिर कुछ संशोधन दिए गए हैं। यहां विधानमंडल सांविधानिक अभिव्यक्तियों का अर्थ देने का प्रयत्न करता है। जब तक निर्वचन, संविधान का भाग नहीं बनाया जाता तब तक संविधान का निर्वचन करना विधानमंडलीय हैसियत से विधानमंडल का कार्य नहीं है। अनुच्छेद 366 में निर्वचन खंड दिया गया है। अतः मुझे बहुत अधिक सन्देह है कि क्या सांविधानिक उपबन्ध को दिया गया संविधिक निर्वचन, जो कि किसी पद को दिए गए विस्तृत अर्थ के रूप में है, संवीक्षा कसौटी पर खरा उतरेगा।

मैं चाहता हूं कि इस कानून को समर्थन दिया जाए और बनाये रखा जाये, मैं नहीं चाहता कि कानून पर आपत्ति की जाए, क्योंकि यह कानून स्वागत योग्य है और हम इसका समर्थन करते हैं। लेकिन निर्वाचन का मामला न्यायालय पर छोड़ दिया जाना चाहिए। यह वैधानिक आदेश का मामला नहीं है कि संविधान का अथवा संविधान के कुछ उपबन्धों का क्या अर्थ है। लेकिन, महोदय, मुझे सन्देह है कि क्या इस प्रक्रिया से समस्या का समाधान हो सकेगा। मैं चाहता हूं कि इसे संविधान का ही भाग बनाया जाए।

इसके साथ ही, अब मैं बहुत महत्वपूर्ण पहलू की बात करना चाहता हूं और मुझे आशा है कि चूंकि यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है इसलिए मुझे इसे उठाने के लिए सदन की अनुमति लेनी होगी, प्रश्न यह है हमारे वित्त मन्त्री ने बिक्री-कर की वसूली के सम्बन्ध में, संविधान में उपबन्ध करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक पेश किया है, जिससे बिक्री कर पर राजस्व वसूली के सम्बन्ध में राज्यों के अधिकारों में अगर वृद्धि नहीं होगी तो वे बने तो रहेंगे। और उन्होंने उद्देश्यों और कारणों के कथन में बताया है कि बिक्री कर से राज्य को प्राप्त होने वाले राजस्व में वृद्धि की जानी चाहिए, लेकिन साथ ही हमें भारी चिंता है कि सरकार बिक्री कर की सारी प्रणाली को समाप्त करने का प्रस्ताव कर रही है। संविधान के अन्तर्गत इस क्षेत्र में केन्द्र की अखिल भारतीय मामलों — विदेश संचार, रक्षा सेवाएं और ऐसी अन्य सेवाएं आदि के सम्बन्ध में असंदिग्ध जिम्मेदारियां हैं, जिन पर कोई आपत्ति नहीं कर सकता। लेकिन इस सम्मानित सभा में प्रत्येक व्यक्ति को राज्यों की उन बड़ी जिम्मेदारियों की जानकारी है जो संविधान में बताई गई हैं। स्वास्थ्य की समस्या, शिक्षा की समस्या, उद्योग की समस्या, लोक कल्याण योजनाएं आदि राज्य की प्राथमिक जिम्मेदारियां हैं। लेकिन राजस्व का स्रोत क्या है ? इस देश में राजस्व का प्रमुख स्रोत बिक्री करके अलावा कुछ नहीं है।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : राज्यों के लिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं राज्यों की बात कर रहा हूं। कई महत्वपूर्ण विषयों में, जो लोगों से सम्बन्धित होते हैं, जो लोगों के कल्याण से सम्बन्धित होते हैं, उनके लिए राज्यों को धन की आवश्यकता होती है तथा यह स्वतः सिद्ध है कि राज्यों को धन का उचित भाग प्राप्त करने का अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन इस देश में धन किस तरह जुटाया जाता है ? केन्द्रीय सरकार कर लगाकर, अन्तर्राष्ट्रीय ऋण से, धारक बांड से, विशेष तथा सहायक सीमा शुल्क से, आयकर, सीमा शुल्क से, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क से तथा और कई मदों से धन जुटा सकती है· · ·

एक माननीय सदस्य : और अधिशुल्क से।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इस प्रकार के शुल्क हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि केन्द्र को विशेष रूप से प्रदान की गई शक्तियों के अलावा कर लगाने की अवशिष्ट शक्ति भी प्राप्त है। मुझे खुशी है कि वित्त आयोग के अध्यक्ष आ गए हैं। मुझे आशा है कि उनके आयोग की शक्ति और अधिक कम नहीं होगी · मुझे ऐसा ही पता चला, यह कम की जा रही है। अब इस देश में एक प्रणाली चालू करनी होगी। वास्तव में, संविधान में इस बात पर विचार किया गया है कि राज्यों की जिम्मेदारियों तथा उनके राजस्व के सीमित संसाधनों को ध्यान में रखते हुए बिक्री कर से अतिरिक्त

आय कर, सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आदि जैसे मामलों में अखिल भारतीय स्तर पर वसूली की जानी चाहिए। इन्हें वित्त आयोग द्वारा अपनाए जाने वाले किसी तरीके के अनुसार केन्द्र और राज्यों के बीच बांटा जाना चाहिए। लेकिन आज वित्त आयोग और अधिक निर्णय नहीं लेता। निर्णय वित्त आयोग जैसे संवैधानिक निकाय द्वारा नहीं बल्कि योजना आयोग जैसे गैर सांविधिक प्रशासनीक निकाय द्वारा लिया जाता है और योजना आयोग ही उपलब्ध परिसम्पत्तियों, धन आदि के वितरण के बारे में निर्णय ले रहा है। मुझे आशा है कि मन्त्री महोदय मुस्करा रहे हैं। उनकी मुस्कान देश के भले के लिए होती है, वह बड़े नेक पुरुष हैं, मैं उन्हें शुभकामना देता हूं···

सभापति महोदय : वह इसलिए मुस्कराए हैं, क्योंकि आपने कहा है कि राज्यों को संसाधनों का आवंटन योजना आयोग करता है, वित्त आयोग नहीं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैंने कहा है कि वितरण का अधिकार योजना आयोग को दिया गया है जो कि एक गैर सांविधिक और प्रशासकीय निकाय है। मुझे विश्वास है कि श्री चव्हाण इससे सहमत होंगे और यदि वित्त आयोग को दिन प्रतिदिन उसकी शक्ति और अधिकार से वंचित कर दिया गया, तो उन्हें खुशी नहीं होगी।

अब मैं जो प्रश्न पूछना चाहता हूं वह यह है कि एक तरफ तो माननीय वित्त मन्त्री संविधान संशोधन विधेयक में राज्यों के लिए बिक्री कर राजस्व के संसाधनों में वृद्धि करना चाहते हैं और दूसरी तरफ उनकी सरकार बिक्री कर हटाने का प्रयत्न कर रही है। किस तरह से ? यह कार्य अतिरिक्त उत्पाद शुल्क अथवा इसी तरह का कोई अन्य शुल्क लगाकर किया जा रहा है। मैं माननीय वित्त मन्त्री से यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने और सरकार ने अपनी समझदारी से एक ऐसा रुख अपना करके, यदि वह हठधर्मिता या पूर्ण भावशून्यता नहीं है, यह निर्णय लिया है कि कल से कोई 'ओवरड्राफ्ट' नहीं दिया जाएगा। कल से कोई 'ओवरड्राफ्ट' नहीं होगा। ठीक है, आप केन्द्र में हैं। रिजर्व बैंक पर आपका नियंत्रण है। आप ऐसा रुख अपना सकते हैं, राज्यों में कुछ भी होता रहे उसकी कोई बात नहीं। मैं कह सकता हूं, कोई 'ओवरड्राफ्ट' नहीं दिया जायेगा। लेकिन संसाधनों के बारे में क्या विचार है ? आपका योजना आयोग पर नियंत्रण है। वित्त आयोग को अभी काम करना है जो प्रणाली बताई गई है उससे केवल राज्यों के ही राजस्व के संसाधन समाप्त होंगे। मुझे प्रसन्नता है मैं किसी एक ही राज्य के विचार व्यक्त नहीं कर रहा हूं। मन्त्री महोदय जानते हैं कि प्रत्येक राज्य ने यह मांग की है। थोड़े समय में ही, मैं आपको दिखा दूंगा कि यह ऐसा मामला है जिस पर सरकार को शीघ्र विचार करना आवश्यक है।

अब मन्त्री महोदय ने कहा है तथा उन्होंने अपना आदेश, अपना कार्यकारी आदेश दिया है कि और अधिक 'ओवरड्राफ्ट' नहीं दिए जाएंगे। अब प्रत्येक राज्य में यह स्थिति उत्पन्न हो गई है कि जनता के कल्याण को आवश्यक योजनाओं के लिए आवश्यक व्यय को कैसे पूरा किया जाए तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा हाल ही में लिए गए निर्णय के प्रकाश में राज्य द्वारा संसाधनों को प्राप्त करने का प्रश्न ओवरड्राफ्ट समस्या के सन्दर्भ में बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। यद्यपि मैं जानता हूं कि निर्णय को इतना शीघ्र नहीं बदला जाएगा लेकिन कभी तो राज्य के लोगों द्वारा तथा पूरे देश के लोगों द्वारा दिये गये किसी भी बेहतर सुझाव को मन्त्री महोदय स्वीकार करेंगे। कोई भी भारतीय नागरिक राज्य की नागरिकता से बाहर नहीं है।

देश में क्या स्थिति है ? 1957 तक राज्यों को सभी वस्तुओं पर बिक्री कर लगाने की अनुमति थी, क्योंकि 1957 तक संविधान में बिक्री कर लगाने का अधिकार केवल राज्य की विधान सभाओं का ही दिया गया था, किसी और को नहीं। 1957 में मुख्यमन्त्रियों का सम्मेलन हुआ। इस देश में सभी मुख्यमन्त्री एक ही दल के थे। मुख्य मन्त्रियों ने दिल्ली में सम्मेलन किया तथा डा० बी० सी० राय के मना करने के बावजूद भी यह निर्णय लिया गया कि कुछ वस्तुओं को विशेष महत्व की वस्तुएं घोषित किया जाएगा। कृपया उन वस्तुओं पर ध्यान दें—चीनी, तम्बाकू, सूती कपड़े, सूती-धागा रेशम कृत्रिम रेशम तथा ऊनी कपड़े। इनमें से कुछ वस्तुएं देश में अधिकतम राजस्व अर्जित करने वाली वस्तुएं हैं। अब 1957 में पहली बार नया अधिनियम पारित किया गया अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व के माल) अधिनियम 1957, जिसमें कहा गया है कि कोई भी राज्य सरकार इन वस्तुओं पर 2 प्रतिशत की दर से ज्यादा कर नहीं लगा सकती, बाद में इसे बढ़ाकर 4 प्रतिशत की दर दिया गया। क्या हुआ ? कृपया इसे समझिए कि इसका आपके राज्य पर भी प्रभाव पड़ेगा और पड़ रहा है। केन्द्रीय सरकार अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क लगाएगी, उसे पूरे भारत से इकट्ठा करेगी और उसको उस सूत्र के अनुसार वितरित करेगी, जिसकी प्रतिशतता 1957 के अधिनियम में उल्लिखित है।

इसके फलस्वरूप, अतिरिक्त शुल्कों की दरें केन्द्र निश्चित करता है। ये दरें उत्पाद शुल्क से अन्य दरों की तुलना में कम ही रही हैं। इसके फलस्वरूप, कानूनी तौर पर निर्धारित फार्मूले के अनुसार राज्यों के बीच आबंटित राशि अन्य विक्रय करों से वसूल की जाने वाली राशि के कम हो गयी। 1957 में मुख्य मन्त्री इससे सहमत क्यों हुए थे ? वे इससे इस आधार पर सहमत हुए थे कि राज्य को विक्रय कर की अपेक्षा अतिरिक्त शुल्क से कुछ अधिक भाग मिलेगा और इसका भारतव्यापी प्रभाव होगा आपको अतिरिक्त करों के रूप में बहुत अधिक मिलेगा। आप इन वस्तुओं पर कर लगाने तथा वसूल करने की जिम्मेदारी से मुक्त होने से क्यों डरते हैं जिसे केन्द्रीय सरकार विभायेगी और आपको पैसा देगी और आप खुश होंगे, उन्होंने ऐसा सोचा और यकीन किया। इसके आधार पर, पंडित नेहरू ने तथा अन्य जो वहां थे, उन्होंने ये सब बातें स्वीकार कीं। इसके फलस्वरूप, सर्वसाधारण के उपयोग की इन बहुमूल्य वस्तुओं पर लगाये गये करों से प्राप्त राशि तथा राजस्व में तेजी से गिरावट आयी। आप जानते हैं कि संविधान के अन्तर्गत, जहां यक सहायक शुल्क तथा विशेष शुल्क का सम्बन्ध है, इसे राज्यों में बांटना होता है। जहां तक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अथवा सीमा शुल्क का सम्बन्ध है, जितना भी वसूल हो, इसका कुछ भाग राज्यों को देना पड़ता है। अतिरिक्त शुल्क राज्यों को दिया जाता है।

जब कभी भी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क के दरों में वृद्धि करके राजस्व बढ़ाना पड़ता है तो इससे अतिरिक्त शुल्क में वृद्धि होती है क्योंकि यह सारी राशि राज्यों को चली जाती है। यह प्रक्रिया अब भी अपनायी जा रही है जिसके अन्तर्गत विशेष शुल्क लगाये जाते हैं, जिसकी सारी राशि केन्द्र को जाती है। सहायक शुल्क लगाये जाते हैं अथवा दरें बढ़ायी जाती हैं तो सारी राशि केन्द्र को जाती है। उत्पाद शुल्क अथवा सीमा शुल्क का एक भाग, राज्यों को जाता है। स्थिति यह है। इसी कारण 1970 में...

श्री के० ब्रह्मानंद रेड्डी (नरसारावपेट) : मैं इस पर बोलना चाहूंगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : बहुत अच्छा । कृपया यह सिद्ध करने की कोशिश करें कि क्या हम गलती पर हैं । 1970 में, पश्चिम बंगाल में जब वामपंथी मोर्चे की सरकार वहां नहीं थी तो अधिकांश राज्य कांग्रेस शासित ही थे । 1970 में दिल्ली में मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन हुआ । क्या निर्णय लिया गया ? 1970 में यह निर्णय लिया गया कि दो अथवा तीन वर्षों के बाद—अब इस बात को 12 वर्ष हो चुके हैं—उत्पाद शुल्क की अतिरिक्त दर को बढ़ाकर निकासी किए गए माल का 10.8 प्रतिशत बढ़ाया जायेगा । अतिरिक्त उत्पाद शुल्क की दर कम रखी गयी । सर्वसम्मत निर्णय यह था कि 1972-83 से इसे बढ़ाकर 10.8 प्रतिशत किया जाएगा । दूसरा निर्णय यह था—मेरे विचार में श्री रेड्डी के पास इस बैठक के कार्यवाही सारांश होंगे—कि एक ओर बुनियादी उत्पाद शुल्क तथा विशेष उत्पाद शुल्क तथा दूसरी ओर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लिया जायेगा तथा इसका अनुपात 2 1 होगा ।

12 वर्ष गुजर गये हैं । अनुपात वह नहीं है । 2:1 का अर्थ यह है कि अतिरिक्त शुल्क इतनी मात्रा में लगाना पड़ेगा जो राज्यों के बीच वितरित किया जाये । तीसरा सर्वसम्मत निर्णय यह था कि केन्द्रीय सरकार अतिरिक्त उत्पाद शुल्क की इस योजना के कार्यान्वयन से उत्पन्न समस्याओं का निरन्तर मूल्यांकन करने के लिए तुरन्त एक समीक्षा समिति का गठन करेगी ।

1970 में यह एक सर्वसम्मत निर्णय था क्योंकि उस समय सभी मुख्य मन्त्री एक ही दल के थे । क्या हुआ ? अतिरिक्त शुल्क कई वर्षों तक 6.8 प्रतिशत पर ही रहा । फिर भी 2:1 के अनुपात का लक्ष्य 12 वर्षों में प्राप्त नहीं किया जा सका है और कोई भी नया निर्णय नहीं लिया जा सका । समीक्षा समिति का गठन 1979 में जनता शासन के दौरान उस समय किया गया जब राष्ट्रीय विकास परिषद ने इस प्रश्न को उठाया था । लेकिन आखिर 1981 में और मैं समझता हूं कि 1982 में भी समीक्षा समिति की बैठक नहीं हुई । यह मेरी शिकायत नहीं है । पांचवे वित्त आयोग (1969) को विशेषतौर पर कहा गया था, मैं उद्धृत करता हूं :

> "पांचवें वित्त आयोग (1969) को निदेशक पदों द्वारा विशेषतौर पर संशोधन बिना वर्तमान उत्पाद शुल्कों की व्यवस्था को बनाये रखने और उन्हें अन्य वस्तुओं पर लागू करने की सम्भावनाओं को छोड़कर अन्य सिफारिशें करने के लिए कहा गया । अन्य बातों के साथ पांचवें वित्त आयोग ने अनुभव किया कि 'प्रतीत होता है कि यदि राज्य कपड़े, चीनी, तथा तम्बाकू पर विक्रय कर लगाने के लिए स्वतंत्र होते तो उनमें से बहुत राज्य अधिक कर राजस्व वसूल करने में समर्थ होते । उत्पादन करने वाले राज्य भी आय प्राप्त करते । उत्पादन करने वाले राज्य भी इन वस्तुओं के अन्य राज्यों को निर्यात करने से प्राप्त केन्द्रीय विक्रय कर से लाभान्वित होते ।" पांचवें वित्त आयोग ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश भी की कि 'अधिकतर राज्य साधारणत: इसके विरुद्ध हैं । हम समझते हैं कि इस योजना को तब तक जारी रखना उचित नहीं होगा जब तक कि भारत सरकार, राज्य सरकारों से इस मामले पर और बातचीत करने के बाद उचित संशोधनों सहित इसे जारी रखने सम्बन्धी प्राप समझौते पर नहीं पहुँचती ।"

"कुछ भी नहीं किया गया है । फिर सातवां वित्त आयोग—हम में से किसी ने भी गठित नहीं किया—उन्होंने क्या कहा । उन्होंने इस पर विचार किया और कहा :

"यह देखा गया है कि अतिरिक्त उत्पाद शुल्क की दर को निकासी मूल्य के 10.8 प्रतिशत स्तर तक बढ़ाने की बजाये 1973-74 में वास्तविक प्रतिशत 8.66 था जो धीरे-धीरे घटकर 1977-78 में 6.82 प्रतिशत हो गया। सातवें वित्त आयोग ने इस बात को भी ध्यान में रखा है कि उस समीक्षा समिति की बैठक ही नहीं हुई जिसमें अतिरिक्त उत्पाद शुल्क योजना के लगातार मूल्यांकन के लिए राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व होता है।"

इसका गठन 1979 में किया गया अर्थात् 9 वर्षों के बाद। लेकिन इसकी बैठक नहीं हुई। स्थिति क्या है? मैं पश्चिम बंगाल के आंकड़े दे रहा हूं। 1958-59 में 16.65 करोड़ रुपये के विक्रय कर की वसूली की गयी और हम 3.35 करोड़ रुपये के अतिरिक्त शुल्क मिले। यदि हम 1978-79 के आंकड़े लें, जो मेरे पास हैं, तो पता चलेगा कि 16 करोड़ रुपये की विक्रय कर की यह वसूली बढ़कर 249.61 करोड़ रुपये हो गई और जिन वस्तुओं पर यह लोग कर भार उठा सकते हैं उनके मामले में यह रकम 3.55 करोड़ रुपये से बढ़कर केवल 25 करोड़ रुपए हुई है। यह अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के लगाये जाने का परिणाम है। अतः मैं अनुरोध करता हूं और मैंने कोई सख्त शब्दों का उपयोग नहीं किया, मैंने केवल इतना ही कहा है कि ओवर-ड्राफ्ट सम्बन्धी निर्णय से मन्त्री के अक्खड़पन (एरोगेन्स) और राज्य की समस्याओं के प्रति उदासीनता का पता चलता है...

सभापति महोदय : 'एरोगेन्स' अच्छा शब्द नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं इसे कल्पित अक्खड़पन (सपोज्ड-एरोगेन्स) अथवा राज्य की समस्या के प्रति उदासीनता कहता हूं। अब राजस्व कहां से आयेगा? आप विक्रय कर समाप्त करने जा रहे हैं। यह संशोधन किसलिए है? यह मात्र बहाना है। मैं मन्त्री महोदय से स्पष्ट घोषणा चाहता हूं कि यह सरकार उस समय तक विक्रय कर समाप्त नहीं करेगी जब तक कि सभी राज्य इसके लिये सहमत न हों...और सम्पूर्ण, सुनिश्चित स्वीकार्य मुआवजे की इतनी राशि की सुस्पष्ट मांग हो जितनी कर की वसूली की रकम में हुई वृद्धि को बनाये रखने के लिए जरूरी हो। जैसे कि मैं कह चुका हूं नवीनतम वसूली 16 करोड़ रुपए से बढ़कर 250 करोड़ रुपए हो गई है लेकिन अतिरिक्त शुल्क में कोई भी समानुपातिक वृद्धि नहीं हुई है।

अतः मैं मन्त्री महोदय से केवल इतना ही अनुरोध करूंगा : यदि आप राष्ट्र तथा राज्यों के हितों के अनुसार कोई प्रस्ताव लाते हैं तो हम आपको निश्चय अपना समर्थन देंगे, जैसे कि हम काफी पहले से करते आये हैं। हम आपको समर्थन देते आये हैं। हम आपको अपनी सहायता प्रदान करते आये हैं। 1970 में मुख्य मन्त्रियों द्वारा लिये गए सर्वसम्मत निर्णय को अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है। राष्ट्रीय विकास परिषद की हर बैठक में मुख्य मंत्रियों की यही मांग रहती है। आप उन पर यही दोष लगाते आ रहे हैं कि वे लोगों के हितों का ध्यान नहीं रख रहे। आप उन पर यह दोष लगाते आ रहे हैं कि वे कल्याणकारी योजनाओं की ओर ध्यान नहीं दे रहे। आप उन पर यह दोष भी लगाते आ रहे हैं कि वे रोजगार के अवसर नहीं बढ़ा रहे अदि-आदि। लेकिन आप अधिकाधिक संसाधनों को अपने ही हाथों में केन्द्रित कर रहे हैं। दिल्ली से आप कार्यपालक आदेश जारी कर रहे हैं। यह सभी राज्यों के लिए चिंता का विषय है, केवल पश्चिम बंगाल के ही लिये नहीं, पश्चिम बंगाल कठिनाइयों में संघर्ष करेगा और विजयी होगा; आप पश्चिम बंगाल को अपने

अधीन न ला सकेंगे । आप हमें समाप्त नहीं कर सकते; आप वामपंथी तथा प्रजातंत्रीय ताकतों की निरन्तर प्रगति को नहीं रोक सकते । आपसे मेरा केवल इतना अनुरोध है : कृपया देश के सभी राज्यों के सर्वांगीण विकास के लिये एक यथार्थ व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनायें । मुझे खुशी है कि सभा में दो भूतपूर्व सभापति उपस्थित हैं और मुझे विश्वास है कि वे राज्यों की कठिनाइयों को समझेंगे और इन समस्याओं पर सही परिपेक्ष्य में विचार करेंगे ।

इन शब्दों के साथ, मैं विधेयक का समर्थन करता हूं । धन्यवाद ।

प्रो० सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : राज्यों के दर्जे को प्रतिष्ठा-सम्पन्न नगर-पालिकाओं के दर्जे तक न घटाए ।

(व्यवधान)

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : मैं पश्चिम बंगाल का समर्थन करूंगा । लेकिन मैं मार्क्सवादियों का समर्थन नहीं करूंगा ।

सभापति महोदय, यह जो बिल प्रस्तुत किया गया है, इसका मैं समर्थन करता हूं और मेरा खासतौर से निवेदन यह है कि इसमें जो इंटरस्टेट सेल्सटैक्स लगाया गया है, उसमें माननीय वित्त मन्त्री जी से गुजारिश है कि जो स्टेट गुड्स प्रोड्यूस करता है, उसका हैड आफिस दूसरी स्टेट में बना दिया जाता है, सारा गुड्स उस स्टेट में जाता है और वहां पर सेल होता है तो जो प्रोड्यूसिंग स्टेट है, उसको तो सेल्स टैक्स नहीं मिलता और जिस जगह जाकर बिकता है, उस स्टेट को सेल्स टैक्स मिलता है ।

इसमें प्रावधान किया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट सेल्स टैक्स वसूल करेगी । इसका मतलब यह होगा कि इस सेल्स टैक्स से दोनों स्टेट्स को बराबर बराबर सेल्स टैक्स मिलेगा । इससे जो प्रोड्यूसिंग स्टेट है, उसको नुकसान होगा और जो प्रोड्यूस नहीं करता, केवल वहां पर सेल होता है, उस स्टेट को उससे फायदा मिलेगा ।

ऐसी बहुत सी पब्लिक सेक्टर की और प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्रीज हैं, जिनके हैड आफिसेस बम्बई और कलकत्ता में हैं और वहां पर सारा गुड्स जाता है और सेल होता है । इस बिक्री का फायदा प्रोड्यूसिंग स्टेट को होना चाहिए न कि जहां पर सेल होता है ।

इसलिए मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इस वजह से प्रोड्यूसिंग स्टेट्स को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और उसकी सेल्स टैक्स की आमदनी खत्म हो रही है और फायदा उस स्टेट को मिल रहा है जो प्रोड्यूस नहीं करता, बल्कि वहां पर सेल होता है । इसलिए इस सम्बन्ध में ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि अगर भारत सरकार उस सेल्स टैक्स को वसूल करती है तो उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उस स्टेट को मिलना चाहिए जो प्रोड्यूस करता है । ऐसे लोग अपने हैड आफिस को उस स्टेट में रख लेते हैं या स्थानान्तरित कर लेते हैं जहां सेल्स टैक्स कम होता है । सेल्स टैक्स की ऊंची दर से बचने के लिए वे वहां अपने हैड आफिस रख लेते हैं और वहां से सेल दिखाते हैं । इस तरह से वे प्रोड्यूसिंग स्टेट को सेल्स टैक्स से महरूम करते हैं । सेल्स टैक्स उस स्टेट को मिलना चाहिये जो प्रोड्यूस करती है ।

आपने नई व्यवस्था करने की बात कही है। आपने खास तौर से फूड ड्रिंक्स या होटल्ज के सम्बन्ध में प्रावधान किए हैं। फाइव स्टार होटलों को आपने छूट देने की बात इसलिए की है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी व्यवस्था दी है कि खाने पीने का जो सामान है चूंकि उसमें कोई परचेज नहीं होती है इस वास्ते उसको सेल्स टैक्स से छूट मिलनी चाहिये। फाइव स्टार होटल्ज को पहले भी सेल्स टैक्स से छूट दी गई थी जो बिल्कुल गलत है। वे होटल दूसरे होटलों के मुकाबले में कम से कम दस या पन्द्रह गुना ज्यादा वसूल करते हैं। केवल सर्विसिस के आधार पर उन्हें सेल्स टैक्स से छूट दी जाए और लाभ पहुंचाया जाए यह बिल्कुल गलत है। यह छूट उनको नहीं मिलनी चाहिये। पहले जो उनको छोड़ा गया था उसका सेल्स टैक्स का पैसा भी उनसे वसूल किया जाना चाहिये। वहां ऐसे लोग नहीं जाते हैं जिनको किसी प्रकार की छूट मिलनी चाहिये। बड़े-बड़े लोग वहां रहते हैं, बड़ी आमदनियों वाले रहते हैं, प्राइवेट या पब्लिक कम्पनियों के लोग रहते हैं और उनको किसी भी प्रकार की छूट दी जाती है तो यह गलत है, यह बेमानी है। उनको किसी प्रकार की रियायत नहीं मिलनी चाहिये।

अब मैं ओवर ड्राफ्ट्स के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। जो राज्य अपनी आमदनी से ज्यादा खर्च करते हैं, ऐसी चीजों पर खर्च करते हैं जिसकी वजह से उनको पार्टी स्ट्रेंथन हो और आम जनता का कोई फायदा न हो, यह ठीक नहीं है। चुनाव के समय मैं वेस्ट बंगाल गया था। बहुत सी बातों की मुझे जानकारी मिली। फूड फार वर्क का सारा काम वहां अपनी पार्टी को स्ट्रेंथन करने के लिए, कैडर को बनाने के लिए हुआ है। जहां पर इस प्रकार से पैसा खराब किया जाए...

प्रो० रूपचन्द पाल (हुगली) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। इस विषय की चर्चा का अवसर लेते हुये, ये राज्य सरकार की निंदा कर रहे हैं, ये राज्य सरकार की यह झूठी निंदा कर रहे हैं कि अनाज के बदले क्या कार्यक्रम से दल के कार्यकर्ता ही लाभान्वित हुये हैं जबकि सच्चाई यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के लोग वहां आये....

सभापति महोदय : इसमें व्यवस्था का प्रश्न क्या है? इसमें व्यवस्था का कोई भी प्रश्न नहीं है आप अपनी बारी आने पर ही बोल सकते हैं।

श्री गिरधारी लाल व्यास : यह बिल्कुल सही बात है, गलत बात नहीं है इस वास्ते इसको सुनकर आपको तकलीफ होती है। वहां फूड फार वर्क के अन्दर जो अनाज लिया गया आज तक उसका हिसाब भारत सरकार को नहीं दिया और लाखों करोड़ों रुपये का अनाज बरबाद कर दिया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के माननीय सदस्य ने ओवर ड्राफ्ट्स का जिक्र किया और कहा कि उनको स्वीकृत किया जाना चाहिये। इन्होंने इस प्रकार से करोड़ों रुपया मिसयूज किया। तीन चार सौ करोड़ का ओवर ड्राफ्ट इनकी स्टेट के ऊपर है। अगर इस प्रकार से हर स्टेट पैसे का मिसयूज करे, पैसे को बरबाद करे तो कैसे काम चल सकता है। सत्तरह सौ करोड़ रुपये के ओवर ड्राफ्ट सभी स्टेट्स के ऊपर हैं। मैं अपनी स्टेट की भी बात कहता हूं, जिन-जिन स्टेट्स ने ओवर ड्राफ्ट किया है उसके लिये वित्त मन्त्री जी ने जो चेतावनी दी है कि आइन्दा ओवर ड्राफ्ट सहन नहीं किया जाएगा, यह अच्छी बात है। अगर फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं रखा गया तो सारी व्यवस्था बिगड़ जायगी। जो लोग ओवर ड्राफ्ट करते हैं उनके खिलाफ सख्त फाइनेंशियल डिसिप्लिन इम्पोज किया जाना चाहिये भारत सरकार और रिजर्व बैंक की तरफ से।

वेस्ट बंगाल सरकार ने काफी पैसा बरबाद किया है, सारा पैसा गलत तरीके से बरबाद किया है। इतना पैसा और किसी स्टेट में बरबाद नहीं हुआ है। इसके लिये वित्त मन्त्री जी बराबर चेतावनी देते रहते है, और हमारे मार्क्सवादी सदस्यों को तकलीफ होती है कि वित्त मंत्री उनके खिलाफ हैं। यह तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेन्टेन करने की बात है। इन्होंने डेवलपमेंटल वर्क्स में भी बहुत सारी गड़बड़ की है। प्लानिंग कमीशन की तरफ से जो स्वीकृतियां दी गयीं हैं उनका सारा फायदा अपनी पार्टी कैडर को मेन्टेन करने के लिये किया है। इन्होंने जितनी गड़बड़ वेस्ट बंगाल में चुनाव के समय की है अगर इलेक्शन कमीशन उसकी जांच कराये तो मालूम पड़ जायेगा कि कितनी गड़बड़ी की है। इन्होंने ला एंड आर्डर को खत्म किया।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ।

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : प्रान्यवर, संविधान के 46वें संशोधन विधेयक के द्वारा अनुच्छेद 269, 286, 366 का संशोधन करके पूंजीवादी सेल्स टैक्स को दमनकारी प्रक्रिया को सरल बनाने के नाम पर जो वित्त मन्त्री जी संशोधन विधेयक लाये हैं इसका मैं कुछ हद तक तो समर्थन करता हूं, और वह भी इसलिये कि पिछले 33, 34 साल की आजादी में जो सिस्टम हमारे समाज का पूंजीवादी बन गया वह इस सरकार की मजबूरी है, और हमारी भी मजबूरी है कि इस तरीके का संशोधन सदन के अन्दर पेश होना चाहिये। लेकिन दूसरी तरफ जहां देश में यह चर्चा चल रही थी कि इस देश की सरकार को सेल्स टैक्स के बोझ को खत्म करना चाहिए, सेल्स टैक्स खत्म होना चाहिए क्योंकि पूरे देश की जनता का एक तरफ जहां यह व्यवस्था व्यापारियों के दमन का रास्ता बन गयी, वही दूसरी तरफ जनता का भी शोषण सेल्स टैक्स के नाम पर व्यापारियों और अधिकारियों द्वारा होता है। ऐसे वक्त में मैं वित्त मन्त्री से अपील करूंगा हमारे समाज में जिस तरीके से करप्शन है और आपकी सरकार में जो करप्शन की चरम सीमा बढ़ी, अगर थोड़ा भी आप अंकुश लगाना चाहते हैं करप्शन पर तो सेल्स टैक्स की प्रक्रिया को खत्म कीजिये। और अगर सेल्स टैक्स लगाना चाहते हैं तो कोई ऐसी प्रक्रिया लाइये, प्रोडक्शन टैक्स लगा सकते हैं। कारखानों और उद्योग धन्धों में जैसे ही सामान निकल कर चले आपकी सरकार उद्योगपतियों के साथ बैठकर तय कर सकती है कि इतना इस पर प्रोडक्शन टैक्स लगेगा और जनता को इतना भुगतान करना पड़ेगा। इससे जनता का दमन जो ब्यूरोक्रेसी करती है और कैपिटलिस्ट क्लास करती है वह खत्म होगा। इसलिये मैं अपील करूंगा कि आप ऐसे वक्त देश के लोगों को यह आश्वासन दीजिये। पिछले दिनों सेल्स टैक्स के बारे में चर्चा चल रही थी। एक तरफ व्यापारी हैं, आपका छोटा-सा दारोगा जाकर सेल्स टैक्स के नाम पर झूठे मुकदमे बनाकर उसकी दुकान बन्द करा देता है, उसको गिरफ्तार करा देता है। फिर वही व्यापारी सेल्स टैक्स के नाम पर महंगा सामान बेचकर जनता को शोषण करता है। मेरा निवेदन है कि आप सेल्स टैक्स की प्रक्रिया को समाप्त करने पर विचार करें। अगर आप ऐसा नहीं करते तो मैं और देश की जनता यह समझेंगे कि आप पूंजीवादी व्यवस्था को मजबूत करने के लिये यह बिल ला रहे हैं।

फाइव स्टार होटल का हमारे एक सदस्य ने जिक्र किया। यह फाइव स्टार होटल्स आपके सिस्टम का प्रतिबिम्ब है। आप इस अमेंडमेंट बिल के द्वारा फाइव स्टार होटल की कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं नहीं जानता कि आपकी सरकार ने माननीय इन्दिरा गांधी जी के आशीर्वाद

से, क्यों एम० पीज० की कोठियों की जगह काटकर, म्युनिसपलिटी के नियमों का उल्लघन करके श्री चरणजीत सिंह जी को फाइव स्टार होटल बनाने की इजाजत दी है ? मैं समझता हूं कि फाइव स्टार होटल की कल्चर को इस देश पर थोपने के लिये यह किया गया है ।

हमारे पूरे देश में एक फैमिली की आमदनी पूरे साल में 1200 रुपये से ज्यादा नहीं है और फाइव स्टार होटल में एक रात के ठहरने के लिये 1,000 रुपये वसूल किए जाते हैं । आपके मौर्या होटल में एक रात में ठहरने के लिये 2,700 रुपए वसूल किए जाते हैं । इस तरह से आप फाइव स्टार होटल की कल्चर को बढ़ावा दे रहे है ।

हमारा कांस्टीट्यूशन फडरल सिस्टम पर है । उसके अनुसार राज्यों की शक्तियां कम नहीं होनी चाहिए । सेल्स टैक्स के नाम पर स्टेट्स को जो आमदनी होती थी, आप उनके अधिकार को छीन रहे है । मेरा निवेदन है कि आप राज्यों के अधिकार को कम न करें ।

राज्य के डैवलपमैंट के कार्य चाहे उसमें सड़क बनाना हो, हस्पताल का कार्य हो, देहात के अन्दर कच्ची सड़क बनाने का काम हो, अनाज के बदले काम की योजना जो थी उन सब पर आप इस तरह से स्टेट की आमदनी पर अंकुश लगाना चाहते हैं । आप इंटर स्टेट के नाम पर स्टेट की आमदनी और उसकी शक्तियों को कम करते जा रहे हैं ।

मेरा निवेदन है कि जो भी उत्पादक राज्य हैं, जो भी मैंटीरियल जो भी स्टेट पैदा करती है, इस बिल के आने से उस स्टेट को कोई फायदा नहीं होगा बल्कि जहां जाकर वह माल बिकेगा, उस राज्य को फायदा होगा । मैं माननीय सदस्य की बात का जवाब देना चाहता हूं कि जिस प्रदेश में भी प्रोडक्शन होता है, वहीं पर आप टैक्स लगाइए ताकि उस टैक्स की आमदनी से प्रदेश के लोगों को फायदा पहुंचाया जा सके । अगर आप इस संशोधन के द्वारा कार्य करना चाहें तो इससे आपका उद्देश्य पूरा नहीं होगा ।

मेरा निवेदन है कि आप अपनी और कांग्रेस पार्टी की नीति सरल बनाकर सेल्स टैक्स को खत्म करने पर विचार करें ।

श्री सी० टी० दण्डपाणि (पोल्लाची) : सभापति महोदय, यह विधेयक कतिपय उपबन्धों और मूल अधिनियम में छुटपुट बातें अन्त:स्थापित करने के सम्बन्ध में है, परन्तु मेरे कुछ मित्रों ने वित्त के समग्र क्षेत्र में केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के बारे कुछ बातें कही हैं ।

इस उपाय का स्वागत करते हुए, मैं सरकार के संवैधानिक औचित्य के बारे में कुछ कहना चाहता हूं ।

महोदय, जहां तक 54वीं प्रविष्ठि का सम्बन्ध है, मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रविष्ठि 52(ख) राज्य सूची का अतिक्रमण कर सकती है । यदि 52(क) अथवा (ख) को स्वीकार कर लिया जाता है तो राज्य सरकारों को वहां से बाहर जाने वाली वस्तुओं पर कर लगाने का कोई अधिकार नहीं रहेगा । निस्सन्देह, वित्त मन्त्री ने यह एक युक्तियुक्त तर्क दिया है कि इससे हुई आय को राज्य में बांटा जाएगा । बरहहाल, हमारे संविधान में कोई अतिक्रमण करने जैसी बात नहीं है । जहां तक प्रथम सूची का सम्बन्ध है, केन्द्रीय सरकार को कुछ क्षेत्रों में कर लगाने का निरपेक्ष

अधिकार प्राप्त है। जहां तक राज्य सूची का सम्बन्ध है, राज्य सरकारों को निरपेक्ष अधिकार प्राप्त है। समवर्ती सूची में राज्यों को अथवा केन्द्र को उद्ग्रहण का अधिकार प्राप्त है।

मेरे अपने कुछ सन्देह हैं, क्या इस संशोधन से 'राज्य सरकारों के अधिकार' क्षीण हो जाएंगे। विधि आयोग के प्रतिवेदन में भी यह कहा गया है कि क्या राज्यों को ये अधिकार दिए जा सकते हैं अथवा उन्हें केन्द्र स्वयं अपने पास रख सकता है। प्रतिवेदन मे कहा गया है :

"(i) संघ को संविधान की सप्तम अनुसूची की संघ सूची की प्रविष्ठि 97 के अधीन निर्माण ठेकों पर कर लगाने का अधिकार है···"

इसमें पुन: लिखा है :

"उच्चतम न्यायालय के निर्णयों से पूर्व 'विक्रय' शब्द को संकीर्ण अर्थ में नहीं लिया जाता था। विधायी सूची की प्रविष्ठियों का व्यापक अर्थ लिया जाना चाहिए। वित्त को ही महत्व देना आवश्यक नहीं है। सौदे सारांश में विक्रय से मिलते-जुलते हैं। अत: यह अधिकार राज्यो को दिया जाना चाहिए।"

यदि इस विकल्प को स्वीकार कर लिया जाता है तो प्ररूपण के कई तरीके मौजूद हैं अर्थात :

(क) राज्य सूची की प्रविष्ठि 54 में संशोधन, अथवा

(ख) राज्य सूची में एक नई प्रविष्ठि जोड़ना; अथवा

(ग) अनुच्छेद 366 में 'विक्रय' शब्द की व्यापक परिभाषा अन्त: स्थापित करना ताकि निर्माण ठेकों को भी सम्मिलित किया जा सके।"

परन्तु एक अन्य अवसर पर आयोग ने किराया-खरीद के बारे में जो कहा है, मैं उसे उद्धृत करना चाहता हूं :

"यदि हम किराया-खरीद के सम्बन्ध में उपर्युक्त द्विभागीकरण को समाप्त कर दें तो स्थिति कम जटिल हो जाएगी क्योंकि उपर्युक्त कठिनाइयों से हम बच जाएंगे। व्यापक अर्थ में किराया-खरीद पर कर लगाने के सम्पूर्ण अधिकार (राज्य अधीन) को इस प्रकार स्थानांतरित किया जा सकता है :

(1) इसे या तो इस उपबन्ध के अधीन केन्द्र सरकार को अन्तरित किया जाए कि आय राज्य को दी जायेगी।

अथवा

(2) इसे राज्यों को अन्तरित किया जाए।

इन दो रास्तों में किस को अपनाया जाना है, नीति संबंधी मामला है। हमारी प्राथमिकता यह है कि इस अधिकार को राज्यों को हस्तान्तरित कर दिया जाना चाहिए क्योंकि हमारे विचार में सम्पूर्ण सौदा राज्य में होता है और राज्यों को ही यह अधिकार दिया जाना चाहिए।"

यह विधि आयोग के प्रतिवेदन में कहा गया है। इसी प्रकार उन दिनों द्राविड़ मुनेत्र कषगम सरकार द्वारा नियुक्त राजामन्नार समिति ने भी यही कहा है। मेरे पास उसका सही अंश नहीं है। इसमें अनुच्छेद 269 में विनिर्दिष्ट उन मदों का उल्लेख है जिनसे अतिरिक्त राजस्व प्राप्त किया जा सकता है। परन्तु इसमें दूर-ढांचा तथा उससे सम्बन्धित मामलों की जांच को कार्य केन्द्र पर छोड़ दिया गया है। परन्तु यह आम भावना है कि अनुच्छेद 269 में उल्लिखित करों का केन्द्रीय सरकार किसी सराहनीय सीमा तक उद्ग्रहण नहीं कर सकी है। राज्य सदैव यह शिकायत करते रहे हैं कि केन्द्र की ओर से उत्साह में कमी के कारण इन करों को सही ढंग से नहीं उगाहा जा रहा है। एक दूसरा कारण यह है कि केन्द्र सरकार द्वारा कोई अंश नहीं रखा जाता है। इस संदर्भ में मैं यह कहना चाहता हूं कि राज्य सरकारों को इस मामले में कुछ अधिकार दिये जाने चाहिये। पश्चिम बंगाल से कुछ सदस्यों ने इस विषय में कुछ कहा है परन्तु में उनकी तरह नहीं कहना चाहता। यदि कोई राज्य सरकार किसी विशिष्ट मद पर कर लगाना चाहती है तो केन्द्र सरकार उस राज्य सरकार विशेष को एजेंट बना सकती है ताकि वह राज्य सरकार केन्द्र सरकार के विशेष एजेंट के रूप में अधिकतम उगाही कर सके। अतः मैं माननीय मंत्री महोदय से इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए कहूंगा क्योंकि इस मामले में उनके कुछ और विचार या तर्क हो सकते हैं।

अनुच्छेद 302 केन्द्र सरकार के निरपेक्ष अधिकारों से सम्बद्ध हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से उस विषय पर भी विचार करने के लिए कहूंगा। मेरे मित्रों ने इस सम्बन्ध में कहा है, परन्तु मेरे विचार में सरकार या मन्त्री महोदय का इरादा राज्यों के विरुद्ध जाने का नहीं है। पहले भी कई अवसरों पर यह कहा गया है। "कराधान जांच आयोग ने अन्तर-राज्य व्यापार की परिभाषा करने और उस पर कर उद्ग्रहण करने का अधिकार संघ सरकार को देने के उद्देश्य से संविधान में संशोधन का सुझाव दिया था। यह संघ सूची में एक अतिरिक्त मद 92-क और अनुच्छेद 269 (झ) में उपखण्ड (छ) को अन्तःस्थापित करके किया गया। इस कर से प्राप्त आय को राज्यों को वितरित किया जाना था।" मेरे विचार में सरकार इस विधेयक को इसी उद्देश्य से लाई है। यह एक बड़ा मामला है—संघ-राज्य वित्तीय सम्बन्ध। हमें इस पर चर्चा करने के लिए अधिक समय चाहिए। मुझे मंत्री महोदय में विश्वास है और मुझे आशा है कि करों की वसूली के सम्बन्ध में राज्य सरकारों के अधिकारों में किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

श्री बापू साहिब परुलेकर (रत्नगिरि) : सभापति महोदय, पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के सदस्यों ने इस विधायी उपाय का समर्थन किया है। परन्तु मुझे खेद है कि मैं उनसे सहमत नहीं हो सकता। मैं महसूस करता हूं कि इस विधायी उपाय को प्रस्तुत करने का उद्देश्य राज्यों की जेबों को भरना है। निस्सन्देह, इस सम्बन्ध में मुझे कोई आपत्ति नहीं हो सकती थी परन्तु ऐसा करते समय आम आदमी के हितों की उपेक्षा की जाती ही है। मैं अनुभव करता हू कि इस विधायी उपाय के पारित हो जाने से आम आदमी पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और काफी बुरा प्रभाव पड़ेगा। अतः माननीय वित्त मंत्री के विचारार्थ कतिपय मुद्दे रखूंगा और उनसे अनुरोध करूंगा कि इस विधेयक को पारित करने के लिए प्रस्तुत करने से पूर्व इस सम्पूर्ण उपाय पर पुनः विचार करें।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रारम्भ में पूर्व नम्रता के साथ मैं कहना चाहता हूं कि यह संविधान संशोधन विधेयक स्वयं में असंवैधानिक है। विधेयक के नाम और प्रथम खण्ड से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह विधेयक संविधान में संशोधन करने के लिए है। निस्सन्देह, मेरे सम्मानित साथी श्री सोमनाथ चटर्जी ने केवल इसका उल्लेख किया और इसकी गहराई में गए बिना कह दिया यह ठीक है। परन्तु मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं पूर्ण निष्ठा से यह अनुभव करता हूं कि यदि इस बात को वित्त मंत्री के ध्यान में न लाया गया तो मुझे आशंका है कि उच्चतम न्यायालय संभवतः इसे तत्काल रद्द कर दे।

यदि हम इस विधेयक को पढ़ें तो हमें पता चलता है कि खण्ड 2 से 4 संविधान के अनुच्छेद 269, 286 और 366 में संशोधन करने से संबंधित है। खण्ड 5 का संबंध सप्तम अनुसूची की प्रथम सूची में एक नई प्रविष्ट 92ख जोड़ने से है। ये संविधान संशोधन हैं। परन्तु मेरे विचार में खण्ड 6 संविधान संशोधन नहीं है। मुझे प्रसन्नता है कि भूतपूर्व विधि मंत्री और वर्तमान विधि मंत्री दोनों यहां मौजूद हैं और सही निष्कर्ष पर पहुंचने में हमें इससे काफी सहायता मिलेगी।

उद्देश्यों और कारणों के कथन के पैरा 13 में कहा गया है कि :

"विधेयक के खण्ड 6 का उद्देश्य उन विधियों को विधिमान्य करना है जिनके द्वारा प्रतिफल के लिए खाद्य या पेय के प्रदाय पर कर उद्गृहीत किया जाता है और ऐसी किसी विधि के अधीन करके रूप में संग्रहण या वसूली की जाती है।"

अतः उद्देश्यों के पैरा 13 में दिए गए इस कथन से यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि खण्ड 6 का संविधान के किसी भी अनुच्छेद में संशोधन करने से कोई वास्ता नहीं है। अतः मुद्दा यह है कि क्या एक संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा विभिन्न अधिनियमों को उचित ठहराया जा सकता है और क्या संविधान में भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन किया जा सकता है। मैं माननीय वित्त मंत्री से इन दो मुद्दों पर विचार करने तथा इन दोनों का उत्तर देने का अनुरोध करता हूं।

संसद की अनुच्छेद 368 के अन्तर्गत की संवैधानिक शक्ति अनुच्छेद 246, जिसके अन्तर्गत सामान्य कानून पारित किए जाते हैं, के अधीन विधायी शक्ति से बिल्कुल भिन्न हैं। संविधान में संशोधन करने वाला अधिनियम एक कानून है परन्तु वह अनुच्छेद 246 के अधीन विधायी अधिकारों के प्रत्यायोजन से बने कानून से भिन्न है। अनुच्छेद 368 संशोधन करने वाले निकाय को भूतलक्षी प्रभाव से अथवा बिना भूतलक्षी प्रभाव से सामान्य कानून पारित करने का अधिकार नहीं देता।

महोदय, अपने कथन की पुष्टि में मैं माननीय वित्त मंत्री का ध्यान विधेयक के पृष्ठ 8 पर राष्ट्रपति की सिफारिश की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इसमें लिखा है, मैं उद्धृत करता हूं :

"राष्ट्रपति भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले इस विधेयक की विषय-वस्तु से अवगत कराये जाने पर, संविधान के अनुच्छेद 117 के खण्ड (1) और अनुच्छेद 274 के खण्ड (1) के अधीन इस विधेयक को लोक सभा में पुरःस्थापित करने की अनुमति देते हैं।"

इस प्रकार राष्ट्रपति अनुच्छेद 117 और अनुच्छेद 274 के अधीन इस विधेयक को पुरः-स्थापित करने की अनुमति दे दी है। अनुच्छेद 117 धन विधेयक से सम्बन्धित है और अनुच्छेद 274 कराधान से संबंधित है। अतः मुद्दा यह है कि क्या राष्ट्रपति ने इसे अनुच्छेद 117 और अनुच्छेद 274 के अधीन पुरःस्थापित करने की अर्थात इसे धन विधेयक मानने की अनुमति दे दी है। मैं जो बात कहना चाहता हूं वह यह है कि खण्ड 6 को संविधान संशोधन विधेयक के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है जबकि खण्ड 6 में व्याख्या के लिए एक प्रथम विधेयक लाया जाना चाहिए था। मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि धन विधेयक और कराधान को प्रभावित करने वाले विधेयक, सामान्य कानून हैं, और वे अनुच्छेद 246 के अधीन आते हैं न कि अनुच्छेद 368 के अधीन। एक क्षण के लिए यह मान लीजिए कि संविधान विधेयक को धन विधेयक समझ कर राष्ट्रपति द्वारा गलत अनुच्छेद के अन्तर्गत सिफारिश की गई है तो मेरे विचार में यह असंवैधानिक होगा। अतः मैं पूर्ण सम्मान के साथ यह कहना चाहता हूं कि यह उपाय, जिसमें अनुच्छेद 246 के अधीन दी गई साधारण विधायी शक्तियों को संवैधानिक शक्तियों के साथ जोड़ा गया है, मेरी कल्पना से बाहर है। इस विषय पर मेरा निराकरण किया जाना चाहिए। मुझे बहुत प्रसन्नता होगी।

मेरे सम्मानित मित्र श्री सोमनाथ चटर्जी द्वारा एक हवाला दिया गया था। परन्तु उन्होंने जो कुछ कहा है मैं उससे सहमत नहीं हूं यद्यपि उन्होंने बड़ी ही उत्सुकता से वह सब कहा था।

दूसरा मुद्दा जिसकी ओर मैं माननीय वित्त मन्त्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वह है खण्ड 4। खण्ड 4, विशेषरूप से उपखण्ड (घ) में कहा गया है:

> "किसी माल का किसी प्रयोजन के लिए उपयोग करने के अधिकार के, नकदी, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए अन्तरण (चाहे वह किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए हो या नहीं) या कर;"

इस खण्ड को संभवतः सरकार को फिल्म उद्योग के व्यक्तियों से हुए अनुभव के संदर्भ में लाया गया है। पृष्ठ 6 के पैरा 6 में उद्देश्यों और कारणों के कथन में यह उल्लिखित है:

> "फिल्मों के पट्टे करने के तरीके से भी बिक्रय-कर से बचा जा रहा है। फिल्म की बाबत मुख्य अधिकार उसका समुपयोजन है और कुछ अवधि तक समुप्रयोजन करने के पश्चात् अधिकांशतः फिल्मों की कोई कीमत नहीं रह जाती है।"

संभवतः इसी इरादे से इस विधेयक विशेष में खण्ड (घ) को सम्मिलित किया गया है। परन्तु इस खण्ड विशेष की शब्दावली से, मेरी राय में, भयंकर परिणाम निकलेंगे। यदि खेती करने के लिए उपस्कर किराये पर दिया जाता है, ट्रैक्टर फर्नीचर किराये पर दिये जाते हैं तो क्या उन्हें बिक्रय कर देना होता है? हम सांसद फर्नीचर किराये पर लेते हैं। क्या हमें उन पर कर देना होता है? यदि हम इस खण्ड का गम्भीरतापूर्वक सख्ती से विवेचन करें तो मेरा निवेदन है कि फिर तो बच्चों द्वारा एक घंटे के लिए किराये पर ली जाने वाली साइकिलों पर भी बिक्रय कर लगेगा। मैं यह अनुभव करता हूं कि कुछ अधिक समझदार बिक्रय कर अधिकारी नये पैदा होने वाले बच्चों से बिक्रय कर वसूल कर सकते हैं क्योंकि वह प्रसूति-गृह में पालने को उपयोग में लायेगा।

मेरे विनम्र मतानुसार, इन सब बातों की पूर्णतया अवज्ञा की गई है । इससे भ्रष्टाचार और भी पनपेगा । विक्रय कर अधिकारी इन लोगों के पीछे पड़ जायेंगे । आपका इरादा बहुत ही ठीक हो सकता है, आपका उद्देश्य अतीव सही हो सकता है, परन्तु मुझे यह कहने की अनुमति दीजिए कि आपका प्रारूपण बहुत ही कमजोर है । हो सकता है कि इसको यह स्वरूप उन अधिकारियों को सभी प्रकार की शक्ति प्रदान करने के लिए किया गया हो जो कि इस कर-विशेष को वसूल करेंगे । मेरा सविनय निवेदन है कि इस पर पुनर्विचार किया जाए और इसीलिए मैंने एक संशोधन प्रस्तुत किया है कि इसे इसमें से निकाल दिया जाना चाहिए । निस्सन्देह, इरादा यह नहीं है कि कर न लिया जाए और सरकार को राजस्व की प्राप्ति न हो । परन्तु मैं अनुभव करता हूं कि इस पर पुनर्विचार किया जाए ।

आप तो जानते हैं कि मद्रास उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि प्रतिलिपाधिकार भी माल ही है । यदि किसी प्रतिलिपाधिकार का लाईसेंस दिया जाता है तो, क्या उस यह पर खण्ड (घ) लागू नहीं होगा ? और क्या इसके परिणाम भयंकर नहीं होंगे ? क्या सरकार ने, इस पहलू विशेष पर विचार किया है ? मेरा सविनय निवेदन है कि इस विशिष्ट खण्ड के निर्माताओं ने इस बात पर विचार नहीं किया है । इन दृष्टान्तों की संख्या बढ़ाई जा सकती है । अतः, मैं विनम्रता-पूर्वक यह अनुभव करता हूं कि हमारी ससदीय विधियों के प्रारूपक ऐसी जल्दी न करें जिससे राज्य के हाथ में व्यापक शक्तियां आ जाएं । अतः मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि या तो वे इस विशिष्ट खण्ड को इसमें से निकाल दें अथवा संशोधित कर दें और यह देखें कि जो दृष्टान्त मैंने उद्धृत किए हैं वे इस खण्ड (घ) में समावेशित न होने पाएं । अन्यथा यदि विक्रय कर अधिकारियों और यहां तक कि उच्च-न्यायालय के न्यायाधीशों ने भी इस प्रकार इसका अर्थ लगाया तो हम सभी पर और हर आम आदमी पर यह चोट करेगा । यहां हमारे साथ उच्च-न्यायालयों के न्यायाधीश भी बैठे हैं । हम नहीं जानते कि यदि आज वे पीठासीन होते तो वे इसकी व्याख्या किस प्रकार करते ।

तीसरे, मैं उप-खण्ड (च) पर आता हूं जिसमें "किसी सेवा के अंग के रूप में अथवा अन्य किसी भी प्रकार से आपूर्ति पर कर" की बात कही गई है । मुझे इस कर की वसूली के बारे में कुछ नहीं कहना है परन्तु संविधान के लागू होने के दिन से अर्थात् 26 जनवरी, 1950 से इसे पूर्वव्याप्ति-सहित लाग करना कुछ ऐसी बात है जो मेरी समझ से बाहर है । सम्भवतया, यह विशिष्ट उप-खण्ड (च) उच्चतम न्यायालय के दो विनिर्णयों को ध्यान में रखकर ही सम्मिलित किया गया है । एक विनिर्णय तो एशोसिएटड होटल्स के मामले में 4 जनवरी, 1972 को दिया गया था जिसमें उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि यदि होटल में किराये पर मकान लेकर रहने ठहरने वालों को खाने की वस्तुमें परोसी जाती हैं तो फिर विक्रय कर नहीं लिया जा सकता है । परन्तु, उस समय जलपान गृहों में भोजन देने का प्रश्न विचाराधीन नहीं था । उस पर नार्दर्न इण्डिया केटररस के मामले में विचार किया गया था, जिसका फैसला 7 सितम्बर, 1978 को दिया गया था । इन दो मामलों को लेकर ही इस विशिष्ट खण्ड को जोड़ा गया है । बचत खंड के साथ पठित इसका यह अर्थ हुआ कि 26 जनवरी, 1950 से लेकर 4 जनवरी, 1972 तक का कर होटल मालिकों से भोजन देने के एवज में विधेयक के पारित हो जाने के दिन से वसूल किया जाएगा और जहां तक जलपान गृहों का सम्बन्ध है, यह कर 26 जनवरी, 1950 से लेकर

7 सितम्बर, 1978 तक का वसूल किया जाएगा और वह भी विधेयक के पारित होने की तारीख से। यदि हम उप-खण्ड (च) को वंधीकरण खण्ड अर्थात खण्ड 6(2) के साथ पढ़ें तो स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है।

जैसाकि मैंने प्रारम्भ में ही निवेदन किया है यह मेरा अपना सन्देह है कि क्या संविधान के संशोधन को पूर्वव्याप्ति सहित लागू किया जा सकता और यदि पूर्वव्याप्ति सहित लागू ही करना है तो सरकार को कुछ ईमानदारी से काम लेना होगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : खण्ड 6 भी है।

श्री बापूसाहिब परुलेकर : मैं पहले ही इसका उल्लेख कर चुका हूं। समय की कमी के कारण मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूं। स्थिति इस प्रकार है कि विधि की सीमा के अधीन, आप विक्रय-कर अधिकारियों को होटल मालिकों से इस विशिष्ट राशि को सन् 1950 से लेकर 1972 तक और इस विशिष्ट विधेयक के पारित हो जाने की तिथि से वसूल करने के अधिकार/शक्ति प्रदान कर रहे हैं। आप यह देखेंगे कि इस अवधि में भी, कई बार यह कर देय नहीं होगा। परन्तु यदि कर पहले ही वसूल कर लिया गया है तो उसे वापिस नहीं किया जा सकता है। यह अन्याय है। यदि किसी अवधि के लिए उद्ग्रहण या निर्धारण पहले ही किया जा चुका है तो इसको वैद्यीकृत कर दिया जाएगा। यदि अपीलें लम्बित हैं तो उनको निरस्त कर दिया जाएगा और तदानुसार कर वसूल किया जाएगा। यदि 1950 से लेकर 1972 तक के कराधान को वैद्य ठहराने के लिए कोई कानून बनाने के लिए संसद की बैठक अब बुलाई जाए तो उससे सरकार की सदाशयता का स्पष्ट रूप से पता नहीं चलता है। मेरा सविनय निवेदन है कि इस प्रकार का पूर्वव्याप्तिमय संशोधन और वह भी लम्बे समय के बाद, स्वीकार न किया जाए।

उप-खण्ड (ग), जिसमें किराया-खरीद की बात कही गई है, के बारे में मैं कहूंगा कि हर तरह से आम आदमी पर ही प्रहार होगा। वास्तव में जब समझौता लागू किया गया था तो सुपुर्दगी के समय किराया-खरीद समझौते पर कोई कर वसूल नहीं किया गया था। सम्पदा को बेचने और उसका विक्रय होने पर ही कर वसूल किया गया था। इस खण्ड के विचार से सुपुर्दगी के समय कर वसूल किया जाएगा। यदि हम एक ऐसे मामले पर विचार करें जहां किराया-खरीद के समझौते की अवज्ञा की गई हो और विक्रेता ने माल वापिस ले लिया हो। किराया-खरीद समझौते के अधीन एक ही बार कर लिया जाएगा। यदि समझौते का उल्लंघन किया जाता है तो वस्तुओं को वापिस लेकर दुबारा बेचा जाता है तो एक ही वस्तु पर तीसरी बार कराधान होगा। अतः मेरा निवेदन है कि आम आदमी पर ही यह मार पड़ेगी।

महोदय, खण्ड 4(ख) को, जिसका उल्लेख मेरे विद्वान मित्र ने किया था, मैं ठीक नहीं समझता। इस बारे में मुझे कुछ बताया जाए तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। खण्ड 4(ख) में कहा गया है :

> "किसी संकर्म संविदा के निष्पादन में अन्तर्ग्रस्त माल में के स्वत्व के (चाहे माल के रूप में या किसी अन्य रूप में) अन्तरण पर कर।"

इसका क्या अर्थ है ? यदि मैं किसी दर्जी को अपना कोट सिलने के लिए या पेंट सिलने के लिए कोई कपड़े का टुकड़ा देता हूं तो क्या वह इसमें समाविष्ट नहीं होगा ? यदि मैं नालीदार चादरें, ईंटें और सीमेंट देकर किसी ठेकेदार से मकान बनाने के लिए कहूं तो यह इस पर लागू होगा। अत: मैं इन दो दृष्टान्तों की पृष्ठभूमि में इस उप-खण्ड को पढ़कर सुनाता हूं :

"किसी संकर्म संविदा के निष्पादन में अन्तर्ग्रस्त माल में के स्वत्व के (चाहे माल के रूप में या अन्य रूप में) अन्तरण पर कर।"

यह केवल सम्पत्ति का हस्तान्तरण है। अत: स्वामित्व का हस्तान्तरण नहीं होता है।महोदय, इन दृष्टान्तों को बढ़ाया जा सकता है। मैंने इस पर विचार किया और अनुभव किया। उदाहरणस्वरूप, घड़ीसाज का कार्य। यदि मैं अपनी घड़ी ठीक करने के लिए देता हूं और उसका एक पुर्जा देता हूं तो उसे ठीक कराने के लिए यह सम्पत्ति का हस्तान्तरण होगा, स्वामित्व का नहीं। ढांचों का निर्माण, विद्युतीय एवं साहुल संविदाएं, टंकण और साइक्लोस्टाइलिंग ये सभी चीजें उसके अन्दर आनी चाहियें यदि आप एक विशिष्ट अनुच्छेद में केवल इस विशिष्ट खण्ड को डालते समय गम्भीरतापूर्वक विचार करें जिसमें इसे साइक्लोस्टाइल कराने हेतु टंकण कराने के लिए बिना स्वामित्व के सुपुर्दगी हो। यह इसमें आ जाएगा और मैं यह निवेदन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि विधेयक के पारित होने के बाद जब दृष्टान्त सामने आयेंगे तो इन सब लोगों को तंग किया जाएगा। मैं यह तो नहीं जानता हूं कि उन सभदों की स्थिति क्या होगी जिन्हें प्रतिदिन दर्जनों और सैकड़ों कागज टाइप कराने पड़ते हैं और जिनके लिए उन्हें भुगतान करना पड़ता है। अत:, मैं इस बात को स्पष्ट करने के लिए मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूं। इतना ही नहीं। यदि मैं अस्पताल में एक्स-रे करवाने जाता हूं तो उस पर भी विक्रय कर लगेगा। अत: मेरा मन्त्री महोदय से यह विनम्र निवेदन है कि कृपया इस विशिष्ट विधेयक की शब्दावली विचार करें। आपकी नियत साफ हो सकती है, आपका उद्देश्य प्रशंसनीय हो सकता है, परन्तु यदि आप इस विशिष्ट अधिनियम को पढ़ने का प्रयास करें तो आप पायेंगे कि बहुत सी कठिनाइयां आएंगी।

जो उदाहरण मैंने दिए हैं वे बढ़ सकते हैं। फिर भी मैं अनुभव करता हूं कि देश की अर्थ-व्यवस्था पर प्रस्तावित कर उपायों के दूरगामी प्रभाव को समझने के लिए किसी के लिए भी ये पर्याप्त हैं।

महोदय, मैं इस सम्मानित सदन का ध्यान संविधान के अनुच्छेद 301 की ओर भी दिलाना चाहता हूं। मेरा कहने का आशय यह है कि शब्दों में नहीं तो अपितु सिद्धान्त रूप में यह अनुच्छेद 301 के प्रावधान का उल्लघन करता है जिसमें कहा गया है कि समस्त भारतवर्ष में व्यापार या वाणिज्य का मुक्त कार्यव्यापार होगा। मेरे विनम्र मतानुसार इस अनुच्छेद 301 के नियामक सिद्धान्त का उल्लंघन किया जा रहा है।

महोदय, जहां तक खण्ड 2(क) की बात है, माल के बारे में बहुत-सी बातें कहीं जा सकती हैं, अर्थात, सामान्य अन्तरण के बारे में। कुछ गरारती, बेईमानी व्यापारी भी तो पकड़े हैं। परन्तु आप कृपया सच्चे व्यापारी और सही निर्माता की तो बात सोचिए। मान लो दिल्ली में मेरा एक कारखाना है और दिल्ली के इस कारखाने में किसी वस्तु-विशेष के निर्माण के लिए मुझे विदेशों

से कच्चा-माल लाने की आवश्यकता पड़े और वह माल केवल समुद्री जहाज से ही लाया जा सकता हो तो वह जलयान दिल्ली नहीं आ सकता है । अत:, उस माल को मद्रास या अथवा बम्बई में उतारना पड़ेगा । मैं जिस वस्तु का निर्माण करना चाहता हूं उसके निर्माणार्थ मुझे वह माल दिल्ली लाना पड़ेगा । परन्तु उस माल को दिल्ली लाने के लिए मुझे विक्रय-कर देना पड़ेगा और माल तैयार हो जाने के बाद मैं उन्हें उन अनेक स्थानों पर वापिस भेजूंगा जहां मेरी दुकान हैं और मुझे एक बार फिर विक्रय-कर देना पड़ेगा-तो फिर कौन इन खर्चों का बोझ उठायेगा ? इन दृष्टांतों की संख्या अधिक भी हो सकती है । अत:, मेरा निवेदन है कि जो उपाय आप कर रहे हैं वह अच्छी नियत से ही क्यों न कर रहे हों, परन्तु इससे आम आदमी की कठिनाइयां बढ़ जाएंगी । अत: मैंने एक संशोधन प्रस्तुत किया है कि इस विशिष्ट अधिनियम पर, इस खण्ड के प्रत्येक शब्द पर और धारा के प्रत्येक शब्द नए सिरे से विचार किया जाए । हमें इस पर गम्भीरता से विचार करना होगा । इस थोड़े से समय में मेरे लिए सभी दृष्टान्तों को यहां सुनाना सम्भव नहीं है और इसीलिए मैंने यह सुझाव दिया है कि यह विधेयक प्रवर-समिति के पास भेज दिया जाए । जो माननीय सदस्य आयकर की वकालत कर रहे हैं और जो इस व्यापार के अनुभवी हैं उन्हें इस समिति में सम्मिलित किया जाना चाहिये और वे इस पर विचार करें और जो बातें हम यहां कहना चाहते हैं और जो वे कहने की स्थिति में नहीं हैं, उन सभी बातों पर वहां विचार करें और इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि विधेयक को प्रवर-समिति के पास भेज दिया जाए ।

अन्त में, मेरा निवेदन है कि जहां तक विक्रय-कर का सम्बन्ध है हमने सदैव यह रवैया अपनाया है कि इसके बदले उत्पाद-शुल्क जैसे किसी अन्य कर को लगाकर इसको समाप्त कर देना चाहिए जिसमें यह पूर्व-शर्त हो कि उस कर-विशेष का कुछ प्रतिशत राज्य को दिया जाए । राज्य को नुकसान नहीं होगा । साथ ही आम आदमी को भी नुकसान नहीं होगा । अत: मेरा सविनय निवेदन यह है कि यद्यपि मैं आपके उद्देश्यों और इरादों का समर्थन करता हूं कि राज्यों का खजाना भरा जाना चाहिए और राज्यों को राजस्व मिलना चाहिए, लेकिन आपने जिस तरीके से इस विधान को पेश किया है, उससे और कठिनाइयां पैदा होंगी । इससे भ्रष्टाचार के दरवाजे खुल जाएंगे । कई भ्रष्टाचारी अधिकारी पैदा हो जाएंगे और आम आदमी को हानि होगी । अत: मैं निवेदन करता हूं कि इस पर ठीक तरीके से विचार किया जाना चाहिए । मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि वह मेरा संशोधन स्वीकार करें और इसे प्रवर समिति के पास भेजें ।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : हमारे समक्ष इस समय जो विधेयक है अर्थात 46वां संशोधन विधेयक, उसमें राज्यों को अन्तर्राज्यीय सौदे से बिक्री-कर के रूप में अधिक भाग देने का प्रावधान है ।

मैं प्रथमत: इस बात पर बल देना चाहता हूं कि वर्तमान परिस्थितियों में हमारे देश में जिस तरह से बिक्री-कर की उगाही की जाती है, वह छोटे व्यापारियों और अब उपभोक्ताओं के लिए भी पीड़ाजनक है । अत: पूरे देश के लघु व्यापारी, छोटे व्यापारी, मेरा अभिप्राय है खुदरा व्यापारी इसकी शिकायत कर रहे हैं और वे चाहते हैं कि बिक्री कर एक ही बार लगे । यह आशंका है कि राज्यों को अपना हिस्सा नहीं मिलेगा । अत: मुझे आशा थी कि वर्तमान विधेयक के द्वारा सरकार कुछ ऐसे सुझाव प्रस्तुत करेगी जिनसे राज्यों की आय कम नहीं होगा, उनका हिस्सा बढ़ेगा ।

साथ ही बहुत बार लगने वाला बिक्री-कर समाप्त कर दिया जायेगा। यह उसी प्रकार नहीं रहता क्योंकि बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार फैला हुआ है। छोटे दुकानदारों को जो भुगतान करना पड़ता है वह सरकार को नहीं मिलता। वे तो भुगतान करते हैं पर सरकार को नहीं मिलता। इसमें केवल भ्रष्टाचार पल रहा है। सरकारी खजाने में बहुत कम हिस्सा जाता है। यही आज की वास्तविकता है। अतः मुझे अब भी यह आशा है कि इस विधेयक को इस शर्त पर प्रवर समिति के पास भेजा जाएगा कि बिक्री-कर को एक बार लगाने के लिए, उत्पादन पर लगाने के लिए, कोई रास्ता खोजा जाएगा ताकि आय कम न हो। राज्यों का हिस्सा बढ़े और साथ ही उनकी परेशानी भी दूर हो।

दूसरी बात मैं यह बताना चाहता हूं कि जब हमारे सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय बनाए गए हैं और वहां के न्यायाधीश किस वर्ग के हैं, वे आम आदमी के पक्ष में बहुत कम निर्णय देते हैं।

यहां एक मामला ध्यान में है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने विनिर्णय दिया :

> "कि खाने की सेवा, चाहे वह होटल में हो या रेस्तरां में, बिक्री-कर की उगाही के प्रयोजनार्थ भोजन की बिक्री नहीं है बल्कि इसे माननीय आवश्यकताओं की सन्तुष्टि को पूरा करने के लिए अथवा मनुष्यों की शारीरिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए की गई सेवा माना जाना चाहिए।"

सर्वोच्च न्यायालय का विनिर्णय है कि "मानवीय आवश्यकता की सन्तुष्टि के लिए अथवा मनुष्यों की शारीरिक आवश्यकता पूरी करने के लिए की गई सेवा को कर से छूट दी जानी चाहिए। इस विधेयक से हम इसे समाप्त करने जा रहे हैं। मैं समझता हू यह बड़ी गम्भीर बात है। यदि हम विधेयक को उस रूप में पारित कर देते हैं, विशेषकर खंड 6 जिसके अनुसार, अब सर्वोच्च न्यायालय के विनिर्णय को समाप्त किया जा रहा है तो इस बिन्दु पर उन होटलों और रेस्तरां में भी खाद्य पदार्थों पर उन व्यक्तियों के लिए भी बिक्री-कर लग जाएगा जो रोज वहां जाते हैं या रहते हैं।

यह बहुत गम्भीर बात है। जब सर्वोच्च न्यायालय ने आम आदमी के पक्ष में निर्णय दिया है तो आप उसे समाप्त करने जा रहे है। अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई के समय गांधी जी ने आम आदमियों के लिए बहुत से उपाय किए। उस संघर्ष से पूरा देश प्रभावित हुआ था। आज आप सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध भोजन पर कर लगाने जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि इस सदन को, सत्तारूढ़ दल तथा वित्त मन्त्री को कम से कम इस प्रश्न पर तो विचार करना ही चाहिए। खाने की वस्तुओं पर कर नहीं लगना चाहिए। यही मेरा अनुरोध है।

मेरे कुछ सहयोगियों ने पश्चिम बंगाल में काम के बदले अनाज कार्यक्रम का प्रश्न उठाया है। मैं समझता हूं कि काम के बदले अनाज कार्यक्रम तथा एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम गरीबों के लिए बनाए गए हैं। मैं जानता हूं, जिन राज्यों में कांग्रेस (इ) का शासन है, यह बराबर सब लोगों द्वारा बांट लिया जाता है। धनी लोगों, ठेकेदारों और अधिकारियों सभी का काम के बदले अनाज कार्यक्रम तथा एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में हिस्सा है। मेरे ख्याल से, ये कार्यक्रम

केवल पश्चिम बंगाल में गरीब लोगों के लिए हैं और ऐसा पूरे देश के मामले में होना चाहिए। अगर ऐसा पूरे देश में नहीं है तो यह हमारा दुर्भाग्य है, देश का दुर्भाग्य है और यह हमारी असफलता है। यह निर्धनों के लिए है और निर्धनों को ही मिलना चाहिए। यदि कहीं मध्यम वर्ग के लोगों को इसमें से हिस्सा मिलता है तो यह भ्रष्टाचार की निशानी है और इस सदन में इसका विरोध किया जाना चाहिए।

अन्तिम प्रश्न जो मैं पूछना चाहूंगा वह यह है कि राज्यों को और अधिक हिस्सा देने का विधेयक का उद्देश्य अच्छा है। अन्तर्राज्यीय सौदों में कर राज्यों को मिलने चाहिए—वह भी अच्छा है। लेकिन मैं पुनः कहूंगा कि बिक्री-कर एक ही बार लगाया जाना चाहिए, बहुत बार नहीं। खाद्य-पदार्थों को कर से छूट मिलनी चाहिए। मेरा यही अनुरोध है।

आपके निर्देशों के अनुसार मैं अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : हम 6 बजे के बाद भी बैठेंगे और प्रयत्न करेंगे कि यह संविधान (संशोधन) विधेयक पारित किया जाए। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : इसकी घोषणा पहले ही की जा चुकी है। श्री चित बसु। वह अन्तिम वक्ता है।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : महोदय, मैं विधेयक की विशेषताओं का स्वागत करता हूं। उसकी विशेषताएं यह हैं, प्रथमतः, यह विधेयक राज्यों के राजस्व को बढ़ाने की आवश्यकता को मान्यता प्रदान करता है। महोदय दूसरे, बिक्री-कर को राज्य के लिए राजस्व का एक साधन माना गया है, यद्यपि उद्देश्यों और कारणों के कथन में कहा गया है कि यह संघ सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसका अर्थ है यह इस सिद्धान्त को और दृढ़ करता है कि राज्य सरकारों को राजस्व के अतिरिक्त साधन दिए जाने चाहिए।

लेकिन इस समय मेरा आलोचनात्मक प्रश्न यही है कि यद्यपि इसे मान्यता दी जा चुकी है और मैं समझता हूं तथा मुझे आशा है कि इसे मात्र सामान्य उक्ति ही नहीं माना जाना चाहिए बल्कि इसका अनुसरण भी किया जाना चाहिए। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि आज केवल बिक्री कर ही राज्यों की आय का मुख्य समाधन है। चूंकि राज्य सरकारें लोगों के अधिक निकट होती हैं; अतः लोग कल्याण कार्यों को बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों से बहुत आशा रखते हैं। लेकिन हम यह अच्छी तरह जानते हैं कि राज्यों के संसाधन न बढ़ते हैं न कम होते हैं। लेकिन लोगों की मांगें, आशाएं तथा आकांक्षाएं बढ़ती रहती हैं। इनमें विरोधाभास रहता है। यदि हम सचमुच चाहते हैं कि राजस्व संसाधनों का उचित वितरण होना चाहिए, तो यह आवश्यक है कि केन्द्र-राज्य के वित्तीय संबंधों को नया रूप दिया जाए। यह मांग आज केवल हमारे कुछ सहयोगियों और साथियों द्वारा ही नहीं की गई बल्कि अपने राजनैतिक विचारों और राजनैतिक संबंधों के बावजूद राज्यों की भी यह निरन्तर मांग रही है। यहां तक कि जिन राज्यों में कांग्रेस-आई का शासन है वे भी ऐसा ही महसूस करते हैं। मैं नहीं जानता कि क्या उनमें यह सब कहने का साहस है।

संचार मन्त्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : साहस पर आप ही का एकाधिकार है।

श्री चित बसु : वह मेरा एकाधिकार नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : उनके हित आपके हाथों में बहुत सुरक्षित हैं।

श्री चित्त बसु : जैसा कि मैं पहले बता रहा था, यह बात सामान्य कथन ही नहीं रहनी चाहिए बल्कि इस पर अमल भी होना चाहिए। मुझे आशा है कि यह श्रीगणेश है और मुझे खुशी है कि कम से कम इस तथ्य को मान लिया गया है कि राज्यों को राजस्व के और अधिक संसाधनों की आवश्यकता है। मुझे आशा है कि इसे श्रीगणेश ही माना जाएगा।

पुनः ओवरड्राफ्ट का प्रश्न आता है। वित्त मन्त्री ने ओवरड्राफ्ट के पैकेज कार्यक्रम के मामले में बहुत कठोर रुख अपनाया है। मैं कहता हूं कि यह कठोर है। यह उन राज्यों के लिए कठोर है जो कल्याणकारी कार्यों में वृद्धि करना चाहते हैं। वित्त मन्त्री ने संसाधनों को एकत्र करने का कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं बताया है। लेकिन उन्होंने यह देखने का प्रयत्न किया है कि राज्य सरकारें ओवरड्राफ्ट न लें और यदि वे ओवरड्राफ्ट लेती हैं तो उन्हें दण्ड दिया जाएगा।

वह किसको दंडित कर रहे हैं वह कोई विशेष राज्य सरकार नहीं है चाहे वह पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार है अथवा राजस्थान की। अन्ततः लोगों को ही दंड दिया जा रहा है। सारी आर्थिक शक्ति केन्द्र सरकार के हाथों में ही संकेन्द्रित की जा रही है इस तथ्य के आधार पर कि केन्द्र सरकार सारी आर्थिक क्षमता अपने हाथों में लेने में समर्थ है, अब वे लोगों को दंड देने का प्रयत्न कर रहे हैं। प्रश्न यह नहीं है कि इस राज्य सरकार को दंड दिया जाए अथवा उस राज्य सरकार को दंडित किया जाए। यदि आप महसूस करते है कि किसी विशेष सरकार को, पश्चिम बंगाल सरकार को दंड देने से आपको प्रसन्नता होगी तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। हम जानते हैं कि किस तरह से टिके रहना है। अन्ततः वे लोग ही हैं चाहे वे इस राज्य से सम्बन्धित हों या उस राज्य से सम्बन्धित हों या वह राज्य इस सरकार द्वारा चलाया जा रहा है अथवा उस सरकार द्वारा, इस दल द्वारा अथवा उस दल द्वारा, जिन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। क्या केन्द्र और राज्य के बीच वित्तीय सम्बन्धों का पुनर्मूल्यांकन किए जाने की आवश्यकता नहीं है ?

केन्द्र सरकार घाटे का बजट बनाने का काफी सहारा ले सकती है। जहां तक मुझे जानकारी है, कुछ वर्षों से घाटे का बजट 9000 करोड़ रुपए के लगभग हैं। लेकिन जहां तक राज्य सरकारों के ओवरड्राफ्टों का सम्बन्ध है वे 1700 करोड़ रुपए के लगभग हैं। आप राज्य सरकारों का रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट के रूप में संसाधन प्राप्त करने का अधिकार समाप्त कर देंगे, तो राज्यों के बहुत से कल्याणकारी कार्यों को समाप्त कर देना पड़ेगा। अतः मैं कहूंगा कि सरकार इस विधेयक के माध्यम से राज्यों के राजस्व अर्जित करने के संसाधनों को बढ़ाने की आवश्यकता को तो मान्यता दे रही है, लेकिन वास्तव में जो हो रहा है वह वास्तविक स्थिति के अनुरूप नहीं है।

यह उपाय स्वागत योग्य है। इसमें कोई सन्देह नहीं। लेकिन इस तथ्य का कि आप राज्यों के राजस्व संसाधनों को बढ़ाने की आवश्यकता को मान्यता दी है, पालन भी किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में मैं समझता हूं कि राज्यों तथा केन्द्र के बीच वित्तीय सम्बन्धों को नया रूप दिया जाना चाहिए तथा उसके लिए, आठवें वित्त आयोग के अध्यक्ष यहां उपस्थित हैं और

मुझे आशा है कि वह भी इस बात पर विचार करेंगे कि राज्यों की इस चिरस्थायी समस्या का समाधान किस तरह किया जा सकता है और लोगों की बढ़ती हुई आशाओं तथा आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए राज्यों की किस प्रकार सहायता की जा सकतीहै। अतः विधेयक का समर्थन करते हुए, मैं यह महसूस करता हूं कि इस बड़ी समस्या पर विचार किया जाना चाहिए। इस प्रश्न की ऐसे ही उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए ।

मुझे आशा है कि सरकार इस पर विचार करेगी और देखेगी कि राज्यों के राजस्व संसाधनों में वृद्धि करने के लिए कुछ कदम उठाए जायें ।

यह प्रश्न पूछा जा चुका है मैं भी इसे पुनः पूछता हूं कि बिक्री कर को समाप्त करने का प्रस्ताव है। यहां मेरे कुछ सहयोगी भी जोर-शोर से इस प्रस्ताव पर जोर दे रहे हैं। लेकिन राज्यों का क्या होगा ? बिक्री कर की क्षतिपूर्ति कौन करेगा ?

जैसा कि हमारे माननीय साथी श्री सोमनाथ चटर्जी द्वारा पहले ही बताया जा चुका है कि केन्द्र ने पश्चिम बंगाल में इसे 16 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 240 करोड़ रुपए से 250 करोड़ रुपए तक कर दिया है। यह राज्यों के संसाधनों का मुख्य स्रोत हो गया है। जब तक राज्यों को उचित और पर्याप्त रूप से बिक्री कर का मुआवजा नहीं दिया जाता तब तक राज्य सरकारें लोगों के प्रति दायित्व को पूरा नहीं कर सकतीं।

अतः यह बिक्री कर को समाप्त करने का प्रश्न नहीं है। यह राज्यों को अधिक से अधिक राजस्व संसाधन उपलब्ध कराने का प्रश्न है ।

मैं माननीय वित्त मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि अब बिक्री कर को समाप्त करने का प्रस्ताव किस अवस्था में है और क्या वह इस सदन को आश्वासन दे सकते है कि बिक्री कर समाप्त करने के मामले में भी, राज्य सरकार द्वारा बिक्री कर समाप्त करने पर भी उचित और पर्याप्त मुआवजा दिया जाएगा ।

संक्षेप में ये तीन या चार बातें हैं जो मैं कहना चाहता हूं और मुझे आशा है कि माननीय वित्त मंत्री इन पर विचार करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मंत्री महोदय उत्तर देंगे ।

श्री प्रणव मुखर्जी : मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं, जिन्होंने इस विधेयक पर अपने विचार प्रकट किये। और विशेषकर विधेयक को सदन के सभी पक्षों से काफी समर्थन प्राप्त हुआ है।

साथ ही मैं कुछ मुद्दों को स्पष्ट करना चाहता हूं, खासकर अपने मित्र श्री बापूसाहिब परुलेकर के। शायद वह जानते हैं कि जो कुछ मैं आज आपके विचार के लिए पेश कर रहा हूं, उसका थोड़ा सा लम्बा इतिहास है।

अगर लोक सभा भंग न की गई होती तो इस विधेयक का संचालन, बिना किसी मामूली रद्दोबदल के हमारे मित्र श्री सतीश अग्रवाल द्वारा किया गया होता न कि श्री चरण सिंह द्वारा,

मेरे पूर्ववर्ती मंत्री श्री सतीश अग्रवाल की बजाय अब मात्र यह लिखा है—श्री आर० वेंकटरामन, ठीक उन परिवर्तनों के साथ जो मैंने किये थे।

1979 में इस विधेयक को पेश किया गया था, परन्तु क्योंकि लोक सभा भंग हो गई थी इसलिए इसे पहले नहीं लिया जा सका। इसलिए जब नई सरकार सत्ता में आई तो मैंने इस तथ्य का उल्लेख आरम्भिक टिप्पणी में किया।

राज्यों के मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में, जब हमने बिक्री कर के बारे में चर्चा की, तो वहां अन्य कई मदों पर भिन्न-भिन्न राय थी, लेकिन इस विषय पर सभी मुख्य मंत्रियों ने चाहे वे किसी भी राजनैतिक दल से संबधित हों उन्होंने अपने विचार प्रकट किये और वे इस बात पर सहमत थे कि पिछले विधेयक जैसा ही एक अन्य संविधान संशोधन विधेयक लाया जाये।

इसलिए, हम इसे उस रूप में पेश कर रहे हैं। आपने एक और गलती की है। आपने इस विधान को बिक्रीकर का एक बिक्री मामला समझा है। यह बिक्री कर का मामला नहीं है। आपने अपना ध्यान खण्ड पर केन्द्रित किया है और इस बात की ओर ध्यान दिया है कि सामान की बिक्री की परिभाषा क्या होनी चाहिये, जिसे सम्मिलित किया गया है। यह विक्रय कर विधेयक नहीं है, बल्कि संविधान में संशोधन करके राज्य सरकारों को शक्ति प्रदान करने की व्यवस्था करने वाला विधेयक है ताकि वे इसके आधार पर कानून बना सकें। मुझे डर है कि कोई भी राज्य सरकार—आखिकार सभी राज्य सरकारें जनता के प्रति उत्तरदायी और जवाबदेह हैं—आपके सुझावों को स्वीकार नहीं करेगी। पर कोई बिक्री कर अधिकारी का मामला नहीं है। इसको बिक्री कर कानून में ही होना चाहिए। इसलिए कोई भी राज्य सरकार बिक्री कर कानून नहीं चाहेगी, क्योंकि अगर आप टंकण और टिटि की सेवायें प्राप्त करते हैं, तो प्रत्येक साइक्लोस्टाइल्ड और छपे हुए पेपर पर बिक्री कर देना होगा।

आप कह सकते है कि कानूनी रूप से उसको शक्ति है। लेकिन इसको अधिनियमित करना पड़ेगा, इसको हमारे द्वारा नहीं राज्य सरकार द्वारा कानून की पुस्तक में लाना पड़ेगा। जहां तक बिक्री कर अधिकारी का प्रश्न है, इस विधेयक द्वारा उन्हें वे शक्तियां नहीं प्राप्त हो जातीं, इससे तो राज्य सरकारों को शक्तियां मिल जायेंगी कि वे इनके अन्तर्गत कानून बनायें, इसलिए, इस पर उलझन में पड़ने की आवश्यकता नहीं है।

दूसरी बात उन्होंने यह कही है कि क्या खण्ड 6 को संविधान का भाग माना जाये। एक अनुभवी वकील होने के नाते उनको यह मालूम होना चाहिए कि यह एक सामान्य वैधानिक प्रक्रिया है। हम किस उद्देश्य से संविधान संशोधन विधेयक के खण्डों में परिवर्तन ला रहे हैं? कुछ फैसले सुनाये गये हैं, जिनकी वजह से कुछ पेचीदगियां पैदा हो गई हैं। उच्चतम न्यायालय के फैसले को देखते हुए इस खण्ड 2 से 4 में स्थिति को सही परिप्रेक्ष्य में रखने का प्रयास कर रहे हैं और खण्ड 6 में उस कार्यवाही को विधिमान्य बनाया जा रहा है जो कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप अवैधानिक घोषित कर दी गई थी। अत: खण्ड 6 खण्ड 2 से 4 में किये जा रहे संशोधनों का परिणाम है। हम पहली दफा इस प्रकार का कानून नहीं ला रहे हैं। पहले भी इस

प्रकार के कानून लाये गये थे, और ये उपबन्ध हमारी विधायी शक्ति के भीतर हैं। असल में इस प्रकार के कई एक संशोधन पहले ही हैं, जैसे संविधान की धारा 29(2) सातवां संशोधन अधिनियम, 1956 और अन्य कई। मैं इन सबका उल्लेख करके सदन का बहुमूल्य समय नष्ट नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ तीन या चार प्रमुख बातों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। अपने भाषण में श्री सोमनाथ चटर्जी ने कहा है कि हम मूल और विशेष उत्पादन शुल्कों में 2:1 का अनुपात क्यों नहीं रख रहेहैं। वास्तव में हम ऐसा ही करने का प्रयास कर रहे हैं, 1981-82 के संशोधित बजट अनुमान में 1.95:1 का अनुपात रखा गया है। इसलिए हम 2:1 के अनुपात पर आने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक 10% का प्रश्न है, जिस पर पहले ही सहमति हो चुकी है, इसे हम आहिस्ता-आहिस्ता 1989-90 तक प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। इसे हम एक ही रात में प्राप्त नहीं कर सकते।

यहां मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं। एक भी विपक्ष के सदस्य ने, जो यह जोरदार अपील कर रहे हैं कि केन्द्र अतिरिक्त उत्पादन में वृद्धि करें, मुझे मुबारकबाद नहीं दी है। अगर आप बजट पर उनकी टिप्पणियों को देखें तो पायेंगे कि हर एक ने मेरे बजट की निन्दा की है। इस दफा मैंने उत्पादन-शुल्क में बढ़ोत्तरी की है, जोकि शत-प्रतिशत राज्यों को मिलेगी। सिवाय श्री चह्वाण के जिन्होंने चर्चा आरम्भ की, बाकी किसी भी सदस्य ने मेरी सराहना नहीं की है। मैंने यह सिर्फ राज्यों के लिए किया है 50 करोड़ रुपये या इसके आसपास. असली सही रकम मैं भूल गया हूं। मैं इसकी जिम्मेवारी लेता हूं। शुल्क लगाने के लिए मैंने सदस्यों के कटु वचन सुने, लेकिन इससे जो राशि प्राप्ति होगी वह पूरी की पूरी राज्य सरकारों को मिलेगी। इसलिए हम शुल्क बढ़ा रहे हैं। यह बात नहीं है कि हम बढ़ा नहीं रहे हैं। दूसरी बात यह पूछी गई है कि क्या हमने अनुच्छेद 269 के अन्तर्गत कर व्यवस्था को आठवें वित्त आयोग के पास विचारार्थ भेजा है। हमने ऐसा किया है और आठवां वित्त आयोग इस संभावना का पता लगायेगा कि क्या हम राज्यों के राजस्व को बढ़ा सकते हैं। मैं कुछ माननीय सदस्यों के इस सुझाव से सहमत हूं कि यह एक महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, जिस पर राज्य निर्भर रहते हैं। अगर आप बिक्री-कर से प्राप्त होने वाली आय के आकड़ों को देखें तो आपको पता चलेगा कि 1972 में यह आय 965 करोड़ रु० थी। मैं सभी राज्यों के एकट्ठे आंकड़े ले रहा हूं—अब यह बढ़कर 4205 करोड़ हो गई हैं। इसलिए इसको खत्म करना शायद सम्भव नहीं है, और भारत सरकार की यह इच्छा भी नहीं है; जब हमने राज्यों के मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन किया था, तो यह हमारा आशय नहीं था कि राज्य सरकारों को मुश्किलों में डालें। हमने उन्हें आश्वासन दिया है कि हम जो उन्हें भाग प्राप्त हो रहा है इसमें होने वाली कमी को पूरा करेंगे। न केवल उन्हें पूरा मुआवजा देंगे बल्कि साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित करेंगे कि इसमें वृद्धि हो। ये केवल वित्तीय प्रश्न नहीं है, क्योंकि राज्य सरकारें सोचती हैं कि यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें उन्हें महारथ प्राप्त है और वे पसन्द नहीं करेंगे कि उनसे यह शक्ति छीन ली जाए। दूसरी तरफ जो इसके समाप्त होने की जोरदार वकालत कर रहे हैं, उनका भी एक तर्क है, क्योंकि इसका दुरुपयोग किया जाता है। इसका काफी अपवंचन होता है। और इससे लोगों में काफी लोभ है। इसलिए मैं नहीं कहता कि दोनों तरफ से तर्क-वितर्क नहीं रखे गये हैं, हमने एक मिश्रित रवैया अपनाया है, आखिरकार हमें राज्यों को साथ लेकर चलना है। श्री सोमनाथ चटर्जी और श्री वित बसु ने यह कहा है लेकिन मैं इसको स्पष्ट करना चाहता हूं। प०

कमलापति त्रिपाठी की अध्यक्षता में जो समिति कार्य कर रही है, वह बिक्री कर को समाप्त करने के लिए नहीं है; बल्कि यह तो उन पांच अन्य मदों को भी अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के अन्तर्गत लायेगी जिनके मामले में मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन में सहमति हो गई थी। इसलिए वह समिति बिक्री कर की समाप्ति के लिए नहीं है। हमने राज्यों के मुख्य मंत्रियों को विभिन्न वैकल्पिक सुझाव दिये हैं, कि वर्तमान बिक्री कर व्यवस्था के बदले हम अतिरिक्त उत्पादन शुल्क या अन्य किसी प्रकार का शुल्क लगा सकते हैं, जिससे कि राज्यों के हितों की रक्षा की जा सके, वर्तमान आय को बनाये रखे और इसमें आगे वृद्धि भी होती रहे और साथ ही साथ कम कष्टदायक, कम बोझिल और कम मन्त्रणाप्रद हो, लेकिन हम राज्यों को अभी तक इस बात पर सहमत नहीं कर पाये हैं। मूल प्रस्ताव सारे ढांचे के लिए था लेकिन जब वे सहमत नहीं हुये तो उसके बाद यह निश्चित किया गया कि उत्पादन शुल्क के बदले इन पांच महत्वपूर्ण वस्तुओं को अतिरिक्त उत्पादन शुल्क के घेरे में लाया जाये। स्थिति यह है, लेकिन मैं समझता हूं कि ऐसी स्थिति आ गई है, कि हम कह सकें कि अब इससे अधिक रिआयत नहीं दी जा सकती। यह सच है कि यह एक क्षेत्र है। लेकिन साथ ही अगर आप देखें कि कुछ वस्तुओं पर बिक्री कर 20% है लेकिन उत्पादन शुल्क केवल 8 से 9 प्रतिशत है, जोकि काफी अरमिरित है।

मैं कुछ अन्य सदस्यों द्वारा उठाये गये मदों की ओर नहीं जाना चाहता। मैं माननीय सदस्यों के विचारार्थ केवल एक मद की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैंने केवल हठधर्मी के लिए ओवर-ड्राफ्ट बन्द नहीं किये हैं। मैंने हिदायत दी है कि 1743 करोड़ रुपये का दायित्व लेने के बाद ओवरड्राफ्ट बन्द कर दिया जायेगा। मैं जानता हूं कि जब मैं अगले वर्ष बजट पेश करूंगा तो सभी माननीय सदस्य मुझे पकड़ लेंगे और कहेंगे कि इतना घाटे का बजट क्यों पेश किया है? मैंने घाटे का अनुमान 1365 करोड़ रुपये का लगाया था, परन्तु राज्य सरकारों का यह दायित्व लेते ही, उसमे 1763 करोड़ रुपए से भी अधिक की वृद्धि हो गयी है।

मैंने 31 मार्च 1982 को जितने ओवरड्राफ्ट थे उनकी गणना की है और मुख्य मंत्रियों से बातचीत कर ली है। मुझे लगता है कि किसी भी मुख्य मंत्री के आपके जैसे विचार नहीं थे पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री के भी नहीं। वे चाहते थे कि यह 7 वर्ष की अवधि के दौरान होना चाहिए। उनकी आशा क्या रही होगी? यदि पुराना फार्मूला लागू रहता तो जो ओवरड्राफ्ट 31 मार्च 1982 को थे उनके एकतिहाई का वर्ष 1982-83 में ही समायोजन हो जाता। इसके बजाय उसकी वर्ष 1983-84 में कुछ नहीं देना, 1983-84 में कुछ नही देना तथा पहली किश्त 1984-85 में देय होती है और तत्पश्चात उसके पांच वर्ष बाद···

श्री चित्त बसु : वे कैसे समायोजन करेंगे।

श्री प्रणव मुखर्जी : क्या समायोजन होगा? यह पहली अप्रैल से 30 जून तक होगा—जो कुछ उन्होंने पहली अप्रैल से 30 जून तक लिया है माननीय सदस्यों को ध्यान रखना चाहिए कि आखिरकार वे ही केन्द्रीय वित्त के लिए उत्तरदायी हैं। मैं सारा धन आपके ही अनुमोदन से खर्च करता हूं और आपको मुझे फिजूल खर्च करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। यह आपका उत्तर-दायित्व है कि स्थिति क्या होनी चाहिए। यदि आप उन राज्यों को देखें जिन्होंने कभी ओवरड्राफ्ट का सहारा नहीं लिया, उन्होंने यही सोचा कि आठवां वित्त आयोग आ रहा है तथा 1 अप्रैल से 30

जून तक वे रिजर्व बैंक से भारी मात्रा में ऋण यह सोचकर लेते रहे कि भारत सरकार 30 जून को जो बकाया राशि होगी उस सब मध्यावधि ऋण में बदलने का निर्णय लेगी। इस प्रकार की व्यवहार तथा रुख वास्तव में गम्भीर है तथा वित्तीय अनुशासन के लिए हानिकारक है तथा इसकी अनुमति नहीं ही जा सकती।

दूसरी बात यह है। यह सुझाव दिया गया था कि हम वित्त आयोग के प्राधिकार को कम करने का प्रयत्न कर रहे हैं। यह बिल्कुल गलत है। वित्त आयोग सांविधानिक निकाय है। परन्तु यह स्थायी निकाय नहीं है। दो के बीच कोई अन्तराल नहीं है—सातवें वित्त आयोग की सिफारिशें समाप्त होंगी और आठवें की शुरू हो जायेगी। वित्त आयोग एक से डेढ वर्ष की अवधि तक कार्य करता है। यह निर्देश पदों तथा कार्य की मात्रा पर निर्भर करता है। वित्त आयोग की सिफारिशें बाध्यकारी होती हैं। योजना आयोग जो करता है वह यह है। इसके बारे में कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। योजना आयोग केवल राज्य सरकारों को संसाधन जुटाने के लिए सुझाव देता है। वित्त आयोग राज्य सरकारों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखता है। हम अभी अभी चौथे और पांचवें वित्त आयोग की सिफारिशों को देखेंगे। सातवां वित्त आयोग तो उत्पाद शुल्क का 40% आवंटित करने की सीमा तक गया है—मैं आपकर या प्रत्यक्ष कर की बात नहीं कर रहा हूं। इसलिए प्रत्येक वित्त आयोग राज्यों की समस्याओं पर ध्यान देता है। मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है कि आठवां वित्त आयोग, जिसके अध्यक्ष श्री चव्हाण जी हैं—उनको एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य का मुख्य मन्त्री तथा वित्त मन्त्री का अनुभव है इसलिए वे मेरी समस्याओं तथा राज्यों के मुख्य मन्त्रियों की समस्याओं का ध्यान रखेंगे—उचित सिफारिशें करेंगे। हम इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वित्त आयोग की शक्तियों कम करने का कोई प्रश्न ही नहीं है।

महोदय, मैं नहीं समझता कि और कोई प्रश्न उठाया गया है। मैं आशा करता हूं कि श्री बापूसाहिब परुलेकर अपने संशोधन पर अड़ेंगे नहीं। मैंने इसका स्पष्टीकरण दे दिया है कि मैं संशोधन को नहीं मान सकता। मैंने इसको प्रवर समिति को भेजने की बात सोची थी परन्तु यह केवल समर्थकारी प्रावधान है। हम खेप स्थानान्तरणों पर कर लगाने तथा ऐसी शर्तें निर्धारित करने के लिए संसद को कानून बनाना पड़ेगा कि जिनके अधीन कुछ सौदों पर राज्य सरकारें कर लगा सकती हैं। यदि आप उस समय यह सोचें कि यह कानून प्रवर समिति को भेजा जाना चाहिए तथा जनता की राय जाननी चाहिये तो मैं समझता हूं कि वह अधिक उचित होगा। यह केवल समर्थकारी प्रावधान है। हम संविधान का संशोधन केवल उन प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए कर रहे हैं जो कि उच्चतम न्यायालय के निर्णयों द्वारा तोड़ मरोड़ दिये गये हैं।

दूसरा पहलू यह है। यह मान्यता के सम्बन्ध में है। आपको यह बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि राज्य सरकारें न केवल कुछ क्षेत्रों में कर लेने से रोकी गयी हैं बल्कि उनको कुछ राशि वापिस भी करनी पड़ेगी। जब उनको धन की वापसी करनी पड़ेगी तो वह धन किसके पास जाएंगा ? आखिर यह उपभोक्ताओं को नहीं जायेगा। इसलिए आपको राज्य सरकारों की कार्यवाही को मान्य ठहराना पड़ेगा नहीं तो ऐसी स्थिति आ जाएगी जब धन राज्य सरकार के खजाने से व्यापारियों के पास जाएगा। व्यापारी यह धन उपभोक्ताओं तक नहीं पहुचने देंगे इसलिए इस विधेयक की तत्कालीन आवश्यकता है।

धन्यवाद, महोदय ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री परुलेकर, क्या आप अपने संशोधन पर जोर दे रहे हैं ?

श्री बापूसाहेब परुलेकर : इसको मतदान के लिए तो रखा जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्री बापूसाहेब पारुलेकर द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधन संख्या 3 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं ।

(संशोधन संख्या 3 सभा में मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ)

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रस्ताव को सभा में मतदान के लिए रखने से पूर्व मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह संविधान संशोधन विधेयक होने की वजह से इसका मतदान विभाजन के द्वारा किया जाना है ।

प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रकोष्ठ खाली कर दिये जायें—

प्रकोष्ठ खाली कर दिये गये । अब विभाजन ।

लोक सभा में मत विभाजन हुआ ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

एक माननीय सदस्य : मशीन काम नहीं कर रही है ।

अध्यक्ष महोदय : मतदान मशीन ठीक से काम नहीं कर रही है । हम मतदान कल कर सकते हैं ।

क्या अब मैं सैक्टर-वार शुद्धियों की घोषणा कर सकता हूं :

सैक्टर 1	: विभाजन संख्या 90
सैक्टर 5	: विभाजन संख्या 545 इस सैक्टर में ऐसा कोई अन्य है जिसको रिकार्ड नहीं किया गया हो ?
सैक्टर 3 और 4	: विभाजन संख्या 332, 340, 341, 345, 336, 343, 541, 347, 345
सैक्टर 2	: विभाजन संख्या 121, 112, 131, 143, 145
सैक्टर 3	: 231, 246, 252, 228, 239, 240, 251, 263, 264
सैक्टर 6	: विभाजन संख्या 498, 463, 526 ।

रक्षा तथा गृह मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन्) : अध्यक्ष महोदय, संविधान संशोधन विधेयक के लिए आपको न केवल पहले वाचन में सभा का बहुमत प्राप्त करना पड़ेगा बल्कि

खण्डवार विचार करते समय तथा अन्तिम अवस्था में भी । क्योंकि मशीन ठीक से कार्य नहीं कर रही है, मैं सुझाव दूंगा कि हम इसे कल ले सकते हैं और अब सभा को स्थगित कर सकते हैं। कल हमारे पास उचित बहुमत भी होगा···

(व्यवधान)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : वस्तुतः यद्यपि हमारे पास कारण है, फिर भी क्योंकि मतदान शुरू हो चुका है, मैं समझता हूं कि अब हम ऐसा नहीं कर सकते ।

अध्यक्ष महोदय : हम ऐसा कर सकते हैं ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : दूसरा तरीका ठीक रहेगा क्या, यह आपके लिए है आप उसको अपना सकते हैं परन्तु नियमों के अनुसार हम ऐसा नहीं कर सकते।

श्री आर० वेंकटरामन् : जब मशीन ठीक से काम न कर रही हो तो आप मतों को रिकार्ड कैसे करेंगे ?

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : हमारे पास विकल्प तरीका भी है। हम पर्चियों का प्रयोग कर सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : यहां देखिये । 1 दिसम्बर, 1971 को एक विभाजन के परिणाम बोर्ड पर आने के बाद बहुत से सदस्यों की इस शिकायत पर कि उनके मत मशीन से रिकार्ड नहीं हुए हैं, अध्यक्ष महोदय नये सिरे से विभाजन कराने के लिए सहमत हो गये थे । अतः हम एक और विभाजन कर सकते हैं ।

प्रकोष्ठों को पुनः खाली कर दिया जाये—

अध्यक्ष महोदय : प्रकोष्ठ खाली हो गये हैं । कृपया अपना स्थान ग्रहण करें ।

रक्षा तथा गृह मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन्) : अध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि आप पुनः मतदान करायें, मैं अनुरोध करता हूं कि क्योंकि मशीन ठीक से काम नहीं कर रही है और काफी भ्रम पैदा कर रही है, मैं आपसे अपील करता हूं कि अब आप सभा को स्थगित कर दें ताकि मशीन को ठीक किया जा सके और कल मतदान कराया जा सके ।

अध्यक्ष महोदय : क्या सभा की यही राय है ?

बहुत से माननीय सदस्य : जी, हां ।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। मैं सभा को स्थगित करता हूं। सभा कल 11 बजे तक के लिए स्थगित होती है ।

7.03 म० प०

(तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार 14, जुलाई, 1982/23 आषाढ़, 1904 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।)

———

चौधरी मुद्रण केन्द्र, दिल्ली-53